उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, वर्ष 1916}

THE UTTAR PRADESH MUNICIPALITIES ACT, 1916

[Uttar Pradesh Act No. II of 1916]

{उत्तर प्रदेश}[5] नगरपालिका अधिनियम, 1916[1]

{{उत्तर प्रदेश}[5] अधिनियम संख्या 2, वर्ष 1916}

संयुक्त प्रान्त में नगरपालिकाओं से सम्बद्ध विधि को समेकित करने के लिए

अधिनियम

यह इष्टकर है कि संयुक्त प्रान्त में नगरपालिकाओं से सम्बद्ध विधि को समेकित और संशोधित किया जाये, अतएव एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :——

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1—— (1) यह अधिनियम {उत्तर प्रदेश}[5] नगरपालिका अधिनियम, 1916 कहा जायेगा। संक्षिप्त शीर्ष, प्रसार और प्रारम्भ

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह पहली जुलाई, 1916 से प्रवृत्त होगा।

2—— जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम में – परिभाषाएं

{(1) 'पिछड़े वर्गों' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994 की अनुसूची—एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;}[3]

(2) 'भवन' का तात्पर्य किसी मकान उपगृह, अस्तबल, छादक (शेड़) झोपड़ी या अन्य बाड़ा या ढांचे से है चाहे वह पक्की ईट, लकड़ी, मिट्टी, धातु या चाहे किसी भी अन्य पदार्थ से बना हो, चाहे उनका उपयोग मनुष्यों के रहने के लिए या अन्यथा किया जाता हो और इसके अन्तर्गत कोई बरामदा, चबूतरा मकान की कुर्सी, जीना, देहली, दीवाल, जिसमें किसी उद्यान या कृषि भूमि, जो किसी भवन से अनुलग्न न हो, की चहारदीवारी से भिन्न किसी अहाते की दीवाल सम्मिलित है, किन्तु इसके अन्तर्गत कोई तम्बू या कोई अन्य ऐसा परिवहनीय अस्थायी आश्रय स्थल नहीं है;

(3) 'उपविधि' का तात्पर्य इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके बनायी गयी उपविधि से है;

(4) {***}[4]

(5) 'अहाता' का तात्पर्य ऐसी भूमि से है, चाहे वह घिरी हुई हो या नहीं, जो किसी भवन से अनुलग्न हो या अनेक भवनों का सामान्य अनुलग्नक हो;

{(5—क) 'निदेशक' का तात्पर्य धारा 31—ख के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त स्थानीय निकाय निदेशक, उत्तर प्रदेश से है;}[2]

---

1. उद्देश्यों और कारणों के विवरण हेतु गजट 1975, भाग विधान परिषद् की कार्यवाही तदैव गजट 1915, भाग 70 पृष्ठ 503 देखिए।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 41 वर्ष 1976 के अध्याय—3 की धारा 19 द्वारा बढ़ाया गया।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 73(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 73(ख) द्वारा निकाला गया।
5. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

{(5–कक) 'जिला योजना समिति' का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243–य घ के अधीन गठित जिला योजना समिति से है;}[1]

(6) 'नाली' के अन्तर्गत सीवर, पाइप, खाई, कुल्या (चैनल) या कोई अन्य युक्ति है, जो कूड़ा–करकट, सीवेज और दूषित जल या वर्षा–जल या अवभूमि जल को बहा ले जाने के लिए हो और उसके अन्तर्गत मैला घर, दुर्गगन्धित वायु निरोधक यंत्र, हौदी, हौज, फलस टंकिया तथा उनसे अनुलग्न अन्य फिटिंग भी है;

{(6–क) 'वित्त आयोग' का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243–झ {के अधीन गठित}[5] वित्त आयोग से है;}[2]

(7) किसी स्थानीय क्षेत्र के निर्देश में प्रयुक्त 'निवासी' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो उस क्षेत्र में सामान्यतया निवास अथवा कारबार करता हो या वहां पर स्थावर सम्पत्ति का स्वामी या अध्यासी हो;

(8) 'निवास गृह' से अन्तर्गत भवनों का ऐसा समूह या भवन या किसी भवन का भाग है, जिसका उपयोग तीर्थ–यात्रियों और यात्रियों के आवास के लिए होता है, सम्मिलित है;

{(8–क) 'मास्टर प्लान' का तात्पर्य ऐसी व्यापक योजना से है, जिसमें निम्नलिखित का वर्तमान तथा प्रस्तावित स्थल और सामान्य विन्यास दिखाया गया हो–

(क) मुख्य सड़कें और परिवहन;

(ख) आवासीय अनुभाग;

(ग) व्यापार क्षेत्र;

(घ) औद्योगिक क्षेत्र;

(ङ) शैक्षिक संस्थाएं;

(च) सार्वजनिक पार्क, खेल के मैदान और मनोरंजन के अन्य स्थान;

(छ) सार्वजनिक तथा अर्द्ध–सार्वजनिक भवन; तथा

(ज) कोई अन्य स्थान, जो किसी विनिर्दिष्ट उपयोग के लिए हो।}[9]

{(9) 'नगरपालिका' का तात्पर्य धारा {संविधान के अनुच्छेद 243–त के खण्ड (ङ) में निर्दिष्ट}[6] किसी स्वायत्तशासी संस्था से है;

(9–क) 'नगरपालिका क्षेत्र' का तात्पर्य किसी नगरपालिका के प्रादेशिक क्षेत्र से है {***}[7] ;

[8]{(9–ख) 'नगरपालिका परिषद्' का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243–थ के खण्ड (1) के उपखण्ड (ख) के अधीन गठित नगरपालिका परिषद् से है;

(9–ग) 'नगर पंचायत' का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243–य के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अधीन गठित नगर पंचायत से है;}}[3]

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 73 (ग) द्वारा बढाया गया।
2. उपर्युक्त की धारा 73 (घ) द्वारा बढाया गया।
3. उपर्युक्त की धारा 73(ङ) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 33 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उपर्युक्त की धारा 33 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उपर्युक्त की धारा 33 (ग) द्वारा निकाला गया।
8. उपर्युक्त की धारा 33 (घ) द्वारा प्रतिस्थापित।
9. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 26 वर्ष 1964 द्वारा अन्तर्विष्ट।

(10) 'अधिसूचना' का तात्पर्य सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना से है;

(11) 'अध्यासी' के अन्तर्गत ऐसा स्वामी है, जिसका अपनी निजी भूमि या भवन पर वास्तविक अध्यासन हो;

(12) '{नगरपालिका}[1] का अधिकारी' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो तत्समय इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन सृजित या चालू रखा गया कोई पद धारण करता हो, किन्तु इसके अन्तर्गत इस प्रकार {नगरपालिका}[1] का या उसकी समिति का कोई सदस्य न होगा;

(13) 'स्वामी' के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति है, जो तत्समय किसी भूमि या भवन का किराया या ऐसे किराये का कोई भाग, चाहे स्वयं अपने लेखे में या न्यासी के रूप में, या किसी व्यक्ति के लिए या किसी धार्मिक या पूर्त प्रयोजन के लिए अभिकर्ता के रूप में या किसी न्यायालय के आदेश द्वारा या उसके अधीन नियुक्त प्रापक के रूप में प्राप्त कर रहा हो या प्राप्त करने का हकदार हो या यदि उक्त भूमि या भवन किसी किरायेदार को उठाया गया होता तो उसे इस प्रकार प्राप्त करता है;

{(13–क) 'पंचायत' का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243–त के खण्ड (च) में निर्दिष्ट पंचायत से है;}[2]

(14) 'भवन का भाग' के अन्तर्गत कोई दीवाल, भूमिगत कमरा या रास्ता, बरामदा, स्थिर चबूतरा, कुर्सी, जीना या देहली है, जो किसी वर्तमान भवन से संलग्न हो या उसके अहाते के भीतर हो या जो ऐसी भूमि पर निर्मित हो या जो ऐसी भूमि पर निर्मित हो, जो किसी प्रक्षिप्त भवन का स्थल या अहाता होने वाली हो;

(15) 'पैट्रोलियम' का तात्पर्य इण्डियन पेट्रोलियम ऐक्ट, 1899 में यथापरिभाषित पेटोलियम से है;

{(16) 'जनसंख्या' का तात्पर्य ऐसी अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना पर यथा अभिनिश्चित् जनसंख्या से है, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो चुके हों;}[3]

(17) (एक) 'विहित' का तात्पर्य इस अधिनियम या तद्धीन बनी नियमावली द्वारा या के अधीन किसी अन्य अधिनियमित द्वारा या के अधीन विहित से है;

(दो) 'विहित अधिकारी' का तात्पर्य ऐसे अधिकारी या नियमित निकाय से है, जिसे राज्य सरकार ने इस निमित्त सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा नियुक्त किया हो और यदि ऐसे अधिकारी या निगमित निकाय की नियुक्त न की जाय, तो आयुक्त से है;

(18) 'सार्वजनिक स्थान' का तात्पर्य किसी ऐसे स्थान से है, जो निजी सम्पत्ति न हो और जो जनता के उपयोग या उपभोग के लिए खुला हो चाहे ऐसा स्थान {नगरपालिका}[1] में निहित हो या नहीं;

(19) 'सार्वजनिक सड़क' का तात्पर्य ऐसी सड़क से है ––

(क) जो धारा 221 के उपबंध के अधीन {नगरपालिका}[1] द्वारा सार्वजनिक सड़क घोषित की जाय; या

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 73 (च) द्वारा बढाया गया।
3. उपर्युक्त की धारा 73 (छ) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) जिसे उस भूमि के जिसमें सड़क समाविष्ट हो, स्वामी की स्पष्ट या विवक्षित सम्मति से नगरपालिका या अन्य लोक निधि से समतल किया गया हो, उसमें खडंज बिछाया गया हो उसे पक्का किया गया हो, उसमें नालियां बनायी गयी हो; सीवर लगाया गया हो या उसकी मरम्मत की गयी हो;

(20) 'विनियम' का तात्पर्य इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके बनाये गये किसी विनियम से है;

(21) 'नियम' का तात्पर्य इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके बनाये गये किसी नियम से है;

{(21–क) पद 'अनुसूचित बैंक' का वही अर्थ होगा, जो रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ऐक्ट, 1934 में 'शेड्यूल्ड बैंक' के लिए समनुदेशित है;}[8]

(22) "{नगरपालिका}[9] का सेवक'' का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है, जो {नगरपालिका}[9] से वेतन प्राप्त करता हो और उसकी सेवा में हो;

{(22–क) 'लघुतर नगरीय क्षेत्र' का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243–य के खण्ड (2) के अधीन इस रूप में अधिसूचित क्षेत्र से है;}[4]

{(22–ख) 'राज्य निर्वाचन आयोग' का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243–ट {के अधीन गठित}[5] राज्य निर्वाचन आयोग से है;}[1]

(23) 'सड़क' का तात्पर्य किसी मार्ग, पुल, पगडंडी, गली, चौक आंगन, संकरी गली या रास्ता से है, जिसमें जनता को जनता के किसी भाग को आने जाने का अधिकार हो और इसके अन्तर्गत उसके दोनों पार्श्व, नालियां या नाबदान और सशक्त सम्पत्ति की परिभाषित सीमा तक की भूमि भी है, भले ही ऐसी भूमि के उपर कोई बरामदा या अन्य ऊपरी ढांचे का प्रक्षेपण हो;

{(23–क) 'संक्रमणशील क्षेत्र' का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243–थ के खण्ड (2) के अधीन इस रूप में अधिसूचित किसी ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में संक्रमणगत क्षेत्र से है;}[6]

(24) 1935 का संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 5–'गाड़ी' का तात्पर्य किसी पहियेदार वाहन से है, जिसे सड़क पर प्रयुक्त किया जा सकता है और इसके अन्तर्गत बाईसाइकिल ट्राइसिकिल या संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 में यथा परिभाषित मोटर गाड़ी है;

{(24–क) 'कक्ष समिति' का तात्पर्य {संविधान के अनुच्छेद 243–घ में निर्दिष्ट}[7] कक्ष समिति से है;}[2]

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 73 (ज) द्वारा बढाया गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 73 (ञ) द्वारा बढाया गया।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 33 (ङ) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 33 (च) द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उपर्युक्त की धारा 33 (छ) द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उपर्युक्त की धारा 33 (ज) द्वारा प्रतिस्थापित।
8. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1964 द्वारा अन्तर्विष्ट।
9. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।

(25) 'घरेलू प्रयोजनों के लिए जल' के अन्तर्गत ऐसा जल नहीं होगा, जो पशु या घोड़ा के लिए, अथवा गाड़ियों की धुलाई के लिए हो, जहां उक्त पशु, घोड़े या गाडियां बिक्री या किराये के लिए या किसी नये वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए या लोक वाहक द्वारा रखे गये हो या ऐसा जल नहीं होगा, जो किसी व्यापार, निर्माण या कारबार के लिए अथवा भवन निर्माण के प्रयोजन के लिए अथवा उद्यान, जो किसी आवासीय मकान से अनुलग्न न हो, की सिंचाई के लिए या फौब्बारों के लिए या किसी अलंकारिक प्रयोजन के लिए हो;

(26) 'जलकल' के अन्तर्गत ऐसी सभी झीलें, टंकियां, सरिता, हौज, सोते, पम्प कुएं, जलाशय, जलसेतु, नहर, जलकपाट, मुख्य नल, पाइप, पुलियों, इंजन, बम्बा, खड़ा नल, जलवाहक नल और सभी, मशीनरी, भूमि, भवन, पुल और वस्तुए है, जो जल—सम्भरण के लिए हो अथवा जल सम्भरण के लिए प्रयुक्त होती हो;

(27) जहां किसी व्यक्ति से कोई कार्य करने या कोई अन्य कार्य करने की अपेक्षा करने के लिए किसी प्राधिकारी को कोई शक्ति प्रदत्त किया जाना अभिव्यक्ति हो, वहां उक्त प्राधिकारी, स्वविवेकानुसार, उस व्यक्ति से दोनों में से कोई एक कार्य करने की या यदि ऐसे कार्य की प्रकृति अनुज्ञा दे तो दोनों ही कार्य करने की अपेक्षा कर सकता है या उस व्यक्ति को, ऐसे किसी भी कार्य को जिसे वह पसन्द करे, करने का विकल्प दे सकता है।

अध्याय 2

नगरपालिका का गठन और शासन

संक्रमणशील क्षेत्र और लघुत्तर नगरीय क्षेत्र की घोषणा इत्यादि

{3—— {(1) संविधान के अनुच्छेद 243—थ के खण्ड (2) के अधीन राज्यपाल द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कोई क्षेत्र, जिसकी सीमायें उसमें विनिर्दिष्ट हो, यथास्थिति, संक्रमणशील क्षेत्र या लघुत्तर नगरीय क्षेत्र होगा।

(2) राज्यपाल, संविधान के अनुच्छेद 243—थ के खण्ड (2) के अधीन किसी पश्चात्वर्ती अधिसूचना द्वारा उपधारा (1) में, यथास्थिति निर्दिष्ट किसी संक्रमणशील क्षेत्र या लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में से किसी क्षेत्र को सम्मिलित कर सकते हैं या उसमें से किसी क्षेत्र को निकाल सकते हैं।}[3]

{(3) {उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट अधिसूचनाएं}[4] इस शर्त के अधीन होगी कि ऐसी अधिसूचना धारा 9 द्वारा अपेक्षित पूर्व प्रकाशन के पश्चात् जारी की जाए और इस धारा में किसी बात के होते हुए भी ऐसे किसी क्षेत्र को, जो कोई छावनी हो अथवा किसी छावनी का भाग हो, इस धारा के अधीन संक्रमणशील क्षेत्र अथवा लघुत्तर नगरीय क्षेत्र घोषित नहीं किया जायेगा और न उसमे सम्मिलित किया जायेगा।}[1]

प्रत्येक संक्रमणशील क्षेत्र और लघुत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगरपालिका

{3—क—— (1) संविधान के अनुच्छेद 243—थ के खण्ड (1) के अधीन और उसके भाग 9—क के अनुसार ——

(क) प्रत्येक संक्रमणशील क्षेत्र के लिए गठित नगरपालिका को नगर पंचायत के रूप में जाना जायेगा;

(ख) प्रत्येक लघुत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए गठित नगरपालिका के नगरपालिका परिषद् के रूप में जाना जायेगा।}[5]

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 74 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय—तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 34 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 34 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 35 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) उपधारा (1) के अधीन गठित प्रत्येक नगर पंचायत अथवा नगरपालिका परिषद् एक निगमित निकाय होगी।

(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी ––

(क) प्रत्येक नगरपालिका, जो उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व विद्यमान थी, {ऐसे प्रारम्भ से और उक्त अधिनियम द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका परिषद् के पहली बार गठित होने तक}[3] इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका परिषद् समझा जायेगा;

(ख) धारा 338 के अधीन गठित प्रत्येक नोटीफाइड एरिया कमेटी अथवा संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया ऐक्ट, 1914 के अधीन गठित प्रत्येक टाउन एरिया कमेटी, जो कि खण्ड (क) में निर्दिष्ट अधिनियम के ठीक पूर्व थी। {ऐसे प्रारम्भ से और खण्ड (क) में निर्दिष्ट अधिनियम द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के अधीन नगर पंचायत के पहली बार गठित होने तक}[4] इस अधिनियम के अधीन नगर पंचायत समझी जायेगी।}[1]

कक्ष समितियों का गठन और संरचना

[1]{3–ख–– (1) तीन लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिका परिषद् के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर संविधान के अनुच्छेद 243–ब के खण्ड (1) के अधीन गठित प्रत्येक कक्ष समिति में पांच कक्ष होंगे।

(2) किसी कक्ष समिति का प्रादेशिक क्षेत्र, उस समिति में समाविष्ट कक्षों के प्रादेशिक क्षेत्र से मिलकर बनेगा।

(3) प्रत्येक कक्ष समिति में निम्नलिखित होंगे ––

(क) कक्ष समिति के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर कक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले नगरपालिका परिषद के सभी सदस्य;

(ख) तीन में अनधिक ऐसे अन्य सदस्य, जो राज्य सरकार द्वारा सम्बद्ध कक्ष समिति के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्टीकृत व्यक्तियों में से जिन्हें नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान और अनुभव हो, नाम–निर्दिष्ट किए जायेंगे।

(4) कक्ष समिति अपने गठन के पश्चात् अपनी प्रथम बैठक में और प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्ष में उसी मास में अपनी प्रथम बैठक में उपधारा (3) के खण्ड (क) में उल्लिखित सदस्यों में से एक के उस समिति के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करेगी।

(5) अध्यक्ष के पद का कार्यकाल एक वर्ष होगा, किन्तु वह अपना उत्तराधिकारी चुने जाने तक पद धारण करेगा और पुनर्निवाचन के लिए पात्र होगा।

(6) नगरपालिका परिषद् का सदस्य रह जाने पर अध्यक्ष तुरन्त अपना पद रिक्त कर देगा।

(7) अध्यक्ष के पद की उसकी पदावधि के समाप्त हाने के पूर्व त्याग–पत्र या अन्यथा किसी कारण से रिक्त हो जाने की दशा में कक्ष समिति, रिक्त होने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, उपधारा (4) के अनुसार नये अध्यक्ष का निर्वाचन करेगी :

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 74 द्वारा बढाया गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 35 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 35 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित।

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार निर्वाचित अध्यक्ष केवल उस अवशेष अवधि के लिए पद धारण करेगा जिसके लिए वह व्यक्ति, जिसके स्थान पर उसे निर्वाचित किया गया है, यह धारण करेगा, जिसके लिए वह व्यक्ति, जिसके स्थान पर उसे निर्वाचित किया गया है, पद धारण करता यदि ऐसी रिक्ति न हुई होती।

(8) कक्ष समिति का कार्यकाल नगरपालिका परिषद् की अवधि के साथ समाप्त होगा।

(9) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कक्ष समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगी, जो नियमों द्वारा विहित किए जाएं।}[5]

अधिसूचना जारी करने की प्रारम्भिक प्रक्रिया

4–– (1) {धारा 3 में निर्दिष्ट}[6] अधिसूचना जारी होने के पूर्व, {राज्यपाल}[1] सरकारी गजट में और सार्वजनिक नोटिस के प्रकाशन के प्रयोजनार्थ उसके द्वारा अनुमोदित ऐसे समाचार–पत्र में जो उस जिले में प्रकाशित होता हो अथवा जिले में यदि ऐसा समाचार–पत्र न हो तो उस डिवीजन में जिसमें अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाला स्थानीय क्षेत्र स्थित हो, प्रकाशित होने वाले समाचार–पत्र में, प्रस्तावित अधिसूचना की हिन्दी प्रारूप ऐसे नोटिस के साथ प्रकाशित करेगी, जिसमें यह वर्णित होगा कि उक्त प्रारूप पर उस अवधि की समाप्ति पर जैसा उक्त नोटिस में उल्लिखित हो, विचार किया जायेगा और उसे जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में तथा सम्बन्धित स्थानीय क्षेत्र के भीतर या उससे आसन्न एक या अधिक प्रमुख स्थानों में, चिपकवा देगी; और

(2) {राज्यपाल}[1] अधिसूचना जारी करने के पूर्व किसी ऐसी लिखित आपत्ति या सुझाव पर विचार करेगा, जो उसे किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप के सम्बन्ध में, विवर्णित अवधि के भीतर प्राप्त हो।

{संक्रमणशील क्षेत्र अथवा लघुत्तर नगरीय क्षेत्र}[2] में किसी क्षेत्र को सम्मिलित करने का प्रभाव

5–– {जब धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट अधिसूचना द्वारा राज्यपाल किसी क्षेत्र को किसी {संक्रमणशील क्षेत्र अथवा लघुत्तर नगरीय क्षेत्र}[2] में सम्मिलित करे}[7] तो वह क्षेत्र एतद्द्वारा उन सभी अधिसूचनाओं, नियमों, विनियमों, उपविधियों, आदेशों और निदेशों के अधीन जा किए गए या बनाए गए हों और जो उक्त क्षेत्र को सम्मिलित करने के तुरन्त पूर्व सम्पूर्ण {संक्रमणशील क्षेत्र अथवा लघुत्तर नगरीय क्षेत्र}[2] में प्रवृत्त रहे हों।

6–– {***}[3]

नगरपालिका बोर्ड के कर्तव्य

7–– (1) प्रत्येक नगरपालिका का यह कर्तव्य होगा कि वह {नगरपालिका क्षेत्र के भीतर}[8] निम्नलिखित व्यवस्था करे ––

(क) सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर रोशनी;

(ख) सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर पानी;

{(खख) नगरपालिका की सीमा का सर्वेक्षण करना और सीमा चिन्ह लगाना;}[9]

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 75 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 76 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 77 द्वारा मिटाया गया।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 36 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उपर्युक्त की धारा 37 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उपर्युक्त की धारा 38 द्वारा प्रतिस्थापित।
8. उपर्युक्त की धारा 39 द्वारा प्रतिस्थापित।
9. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1964 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ग) सार्वजनिक सड़कों, स्थानों और नालियों की सफाई करना, हानिकर वनस्पति को हटाना और समस्त लोक न्यूसेंस का उपशमन करना;

(घ) संतापकारी, खतरनाक या आपत्तिजनक व्यापार, आजीविका या प्रथा का विनियमन करना;

{(घघ) आवारों कुत्तों तथा खतरनाक पशुओं को परिरूद्ध करना, हटाना या नष्ट करना;}[1]

(ङ) लोक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा के आधार पर सड़कों या सार्वजनिक स्थानों में अवांछनीय अवरोध और प्रक्षेप हटाना;

(च) खतरनाक भवनों या स्थानों को सुरक्षित बनाना या हटाना;

(छ) मृतकों के निस्तारण के लिए स्थान अर्जित, अनरुक्षित, परिवर्तित और विनियमित अदावाकृत शवों के पुलिस से लिखित रूप में यह अभिनिश्चित करने के पश्चात् कि ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं है, निस्तारण का प्रबन्ध करना;

(ज) सार्वजनिक सड़कों, पुलियों, बाजारों, वधशालाओं, शौचालयों, संडासों, मूत्रालयों, नालियों, जलोत्सारण निर्माणकार्यों तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी निर्माण कार्यों का निर्माण, परिवर्तन और अनुरक्षण करना;

{(जज) घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जलपूर्ति उपलब्ध कराना;}[2]

(झ) सड़क के किनारे तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों में वृक्ष लगाना और उनका अनुरक्षण करना;

(ञ) ऐसे स्थानों में, जहां वर्तमान जल संभरण के अपर्याप्त या अस्वास्थ्यप्रद होने से वहां के निवासियों के स्वास्थ्य को संकट हो, शुद्ध और स्वास्थ्यप्रद जल के पर्याप्त संभरण की व्यवस्था करना, मनुष्यों के उपभोग के लिए प्रयुक्त होने वाले जल को प्रदूषित होने से बचाना और प्रदूषित जल के ऐसे उपयोग को रोकना;

{(ञञ) जल सभरण के किसी अन्य स्रोत के अतिरिक्त, सार्वजनिक कुओं को यदि कोई हो, ठीक हालत में रखना, उनके जल को प्रदूषित होने से बचारा और उसे मनुष्यों के उपयोग के योग्य बनाये रखना;}[1]

(ट) जन्म और मरण का रजिस्ट्रीकरण;

(ठ) सार्वजनिक टीका लगाने की प्रणाली की स्थापना और उसका अनुरक्षण या उन्हें सहायता प्रदान करना;

(ड) सार्वजनिक चिकित्सालयों और औषधालयों की स्थापना, उनका अनुरक्षण या उनकी सहायता करना और सार्वजनिक चिकित्सा सम्बन्धी सहायता की व्यवस्था करना;

{(डड) प्रसूति केन्द्रों, शिशु कल्याण और जन्म नियंत्रण क्लीनिकों की स्थापना, अनुरक्षण और सहायता करना और जनसंख्या नियंत्रण, परिवार कल्याण और छोटे परिवार के मान का संवर्द्धन करना;}[3]

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 26 वर्ष 1964 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 78 (क) द्वारा बढाया गया।
3. उपर्युक्त की धारा 78 (ख) द्वारा बढ़ाया गया।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ढ) पशु चिकित्सालयों का अनुरक्षण करना या अनुरक्षण हेतु उन्हें सहायता प्रदान करना;

{(ढढ) शारीरिक संवर्धन की संस्थाओं की स्थापना और उसका अनुरक्षण या उन्हें सहायता प्रदान करना;}[1]

(ण) प्राथमिक स्कूलों की स्थापना और उनका अनुरक्षण करना;

(त) आग बुझाने में सहायता देना और आग लगने पर जीवन तथा सम्पत्ति की रक्षा करना;

(थ) बोर्ड में निहित या उसके प्रबन्ध में सौंपी गई सम्पत्ति की सुरक्षा करना, उसका अनुरक्षण और विकास करना;

{(थथ) {नगरपालिका}[2] की वित्त को संतोषप्रद स्थिति में बनाए रखना और उसके दायित्वों को पूरा करना;}[1]

(द) शासकीय पत्रों पर तत्काल ध्यान देना और विवरणियां, विवरण और रिपोर्ट तैयार करना, जिन्हें राज्य सरकार {नगरपालिका}[2] से प्रस्तुत करने की अपेक्षा करे; और

(ध) विधि द्वारा उस पर अधिरोपित किसी बाध्यता की पूर्ति करना;

{(न) चर्मशोधन शालाओं को विनियमित करना;

(प) पार्किंग स्थल, बस स्टाप और जन सुविधाओं का निर्माण और अनुरक्षण करना;

(फ) नगरीय वानिकी और पारिस्थतिकी पहुलओं की अभिवृद्धि और पर्यावरण का संरक्षण करना;

(ब) समाज के दुर्बल वर्गों के जिनके अन्तर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मन्द व्यक्ति हैं, हितों का संरक्षण करना;

(भ) सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक पहलुओं की अभिवृद्धि करना;

(म) कांजी हाऊस, का निर्माण और अनुरक्षण करना और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण करना;

(य) गन्दी–बस्ती सुधार और उन्नयन;

(य–क) नगरीय निर्धनता कम करना;

(य–ख) नगरीय सुख–सुविधाओं और सुविधाओं, जैसे कि पार्क, उद्यान और खेल के मैदानों की व्यवस्था करना।}[3]

{***}

{नगरपालिका}[2] के वैवेकिक कृत्य

8–– (1) {नगरपालिका}[2] की सीमाओं के भीतर और विहित प्राधिकारी की स्वीकृति से ऐसी सीमाओं के बाहर, निम्नलिखित के लिए व्यवस्था कर सकता है :–

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1964 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 78 (ग) द्वारा बढाया गया।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

(क) उन क्षेत्रों में, जिनमें चाहे पहले के निर्माण किया गया हो या नहीं नवीन सार्वजनिक सड़कों का विन्यास और इस प्रयोजन के लिए तथा भवनों और उनके अहातों के निर्माताओं के लिए जो ऐसी सडकों से संसक्त हो, भूमि अर्जित करना;

{(कक) मास्टर प्लान तैयार करना और उसे निष्पादित करना;}[1]

(ख) {***}[3] पुस्तकालय, संग्रहालय, वाचनालय, रेडियो संग्राहों केन्द्र कुष्ठाश्रम, अनाथालय, शिशु सदन और महिला उद्धार–गृह, पागलखाना हाल, कार्यालय धर्मशाला, विश्राम–गृह, दुग्धशाला, स्नानागार, स्नान–घाट, धोबियों के धुलाई–स्थल, पीने के पानी का स्रोत (डिकिंग फाउंटेन) तालाब, कुआं, बांध तथा अन्य लोकोपयोग निर्माण कार्यों का निर्माण, उनकी स्थापना तथा उनका अनुरक्षण में अंशदान देना;

(ग) {***}[1]

(घ) प्राथमिक स्कूलों की स्थापना और उनके अनुरक्षण से भिन्न उपायों द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों का प्रसार करना;

(ङ) जनगणना करना और ऐसी सूचना के लिए इनाम देना, जिससे जन्म–मरण के आंकडों का सही रजिस्ट्रीकरण सुनिश्चित हो सके;

{(ङङ) ऐसी सूचना के लिए इनाम देना, जिससे इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित कर के अपवर्चन का या नगरपालिका में निहित या उसके प्रबन्ध या नियंत्रण में सौंपी गई सम्पत्ति को हानि पहुंचाने या उस पर अधिक्रमण करने का पता लगे;}[2]

(च) {***}[1]

(छ) स्थानीय विपत्ति पड़ने पर सहायता कार्यों की स्थापना और उनका अनुरक्षण करके या अन्य प्रकार से सहायता करना;

(ज) {***}[1]

(झ) धारा 298 के शीर्षक 'छ' के उपशीर्षक (क) के अधीन उल्लिखित किसी व्यापार या निर्माण के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त स्थान प्राप्त करना या प्राप्त करने में सहायता देना;

(ञ) सीवेज के निस्तारण के लिए फार्म या कारखाना स्थापित करना और उसका अनुरक्षण करना;

{(ञञ) विष्ठा और कूड़ा–करकट से कम्पोस्ट खाद तैयार करने के लिए प्रबन्ध करना;}[2]

(ट) ट्राम मार्ग, रेल पथ या संचालन के अन्य साधनों और बिजली या गैस की रोशनी या विद्युत या गैस के शक्ति संक्रम का निर्माण करना, उन्हें सहायता देना या उनको प्रत्याभूति देना;

{(टट) पर्यटक यातायात की अभिवृद्धि करना;

(ठ) मेले और प्रदर्शनियां लगाना;

(ठठ) गृह और नगर नियोजन योजनाएं तैयार करना और उनका निष्पादन;

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1964 द्वारा प्रतिस्थापित तथा निकाला गया।
2. उपर्युक्त की धारा द्वारा बढ़ाया गया।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 79(क) द्वारा निकाला गया।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ठठठ) व्यापार और उद्योग की अभिवृद्धि के लिए उपाय करना;

(ठठठठ) दुग्ध संभरण;

(ठठठठठ) अपने कर्मचारियों के लिए श्रम कल्याण केन्द्र स्थापित करना और ऐसे कर्मचारियों के किसी एसोसियेशन संघ या क्लब की सामान्य उन्नति के लिए अनुदान अथवा ऋण देकर उसके कार्यकलापों में सहायता देना;

(ठठठठठठ) नगरपालिका संघों को संगठित करना और उन्हें अंशदान देना;}[1]

(ड) धारा 7 में या इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों में विनिर्दिष्ट उपायों से भिन्न ऐसे उपाय करना, जिनसे लोक सुरक्षा, स्वास्थ्य या सुविधा में अभिवृद्धि होने की संभावना हो; और

{(डड) अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों की सामाजिक निर्योग्यताओं की ऐसी रीति से दूर कराना, जो विहित की जाए}[3]

{(डडड) भिक्षा–वृत्ति पर नियंत्रण के लिए उपाय करना;}[1]

(ढ) कोई ऐसा कार्य करना, जिसके सम्बन्ध में व्यय राज्य सरकार द्वारा या {नगरपालिका द्वारा}[4] विहित प्राधिकारी की स्वीकृति से, नगरपालिका निधि पर समुचित प्रभार घोषित किया जाय :

परन्तु यह कि राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा किसी नगरपालिका या समस्त नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में यह घोषणा कर सकती है कि इस धारा में उल्लिखित कोई भी कृत्य सम्बद्ध नगरपालिका या नगरपालिका का कर्तव्य होगा और तदुपरान्त इस अधिनियम के उपबन्ध उस पर लागू होंगे मानों वह धारा 7 द्वारा अधिरोपित कोई कर्तव्य हो।

(2) नगरपालिका, नगरपालिका की सीमाओं से परे किसी नगरपालिका उपक्रम की प्रसुविधाओं के विस्तार के लिए व्यवस्था कर सकता है :

परन्तु यह कि किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र में, जिसमें किसी छावनी का सम्पूर्ण या उसका कोई भाग समाविष्ट तथा अन्तर्विष्ट हो, जल सम्भरण के लिए किसी नगरपालिका उपक्रम की प्रसुविधाओं के विस्तार के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, कोई व्यवस्था नहीं की जायेगी।

(3) {***}[2]

8–क–– {***}[5]

[6]{9–– किसी नगरपालिका में एक अध्यक्ष और –– नगरपालिका की संरचना

{(क) निर्वाचित सदस्य, जिनकी संख्या 4 से कम और 45 से अधिक नहीं होगी, जैसा कि राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे;}[8]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 07 वर्ष 1949 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1964 द्वारा निकाला तथा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 79(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 80 द्वारा निकाला गया।
6. उपर्युक्त की धारा 81 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।
8. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 13 वर्ष 2002 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) पदेन सदस्य, जिसमें लोकसभा और राज्य विधान सभा के ऐसे समस्त सदस्य सम्मिलित है, जो उन निवर्चन क्षेत्रों का प्रनिधित्व करते हैं, जिसमें पूर्णतः या भागतः नगरपालिका क्षेत्र समाविष्ट है;

(ग) पदेन सदस्य, जिसमें राज्य सभा और राज्य विधान परिषद् के ऐसे समस्त सदस्य सम्मिलित है, जो नगरपालिका क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्टीकृत है;

{(घ) नाम–निर्दिष्ट सदस्य, जो राज्य सरकार द्वारा, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से नामित किये जायेंगे और जिनकी संख्या ––

(एक) नगर पंचायत की दशा में, दो से कम और सात से अधिक नहीं होगी;

(दो) नगरपालिका परिषद् की दशा में तीन से कम और नौ से अधिक नहीं होगी;

परन्तु यह कि राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जाने वाले सदस्यों में निम्न वर्ग को अनिवार्य रूप से प्रतिनिधित्व प्रदान किया जायेगा–

(1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति,

(2) महिला,

(3) अन्य पिछड़ा वर्ग,

(4) अल्पसंख्यक समुदाय।}[8]

(ङ) धारा 104 के अधीन स्थापित समितियों के अध्यक्ष, यदि स्थाई हों, यदि वे किन्हीं पूर्वगामी खण्डों के अधीन सदस्य न हों :

प्रतिबंध यह है कि खण्ड (घ) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को नगरपालिका की बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं होगा :

किन्तु अग्रेत्तर प्रतिबंध यह है कि खण्ड (क) से (ङ) में निर्दिष्ट श्रेणी के सदस्यों में किसी रिक्त से किसी नगरपालिका के गठन या पुनर्गठन में कोई बाधा नहीं पड़ेगी।}[1]

स्थानों का आरक्षण

{9–क–– (1) प्रत्येक नगरपालिका में स्थान {अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों}[3] के लिए आरक्षण किए जायेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों के संख्या उस नगरपालिका में सीधे निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के उसी अनुपात में होगी, जैसी कि नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की {या नगरपालिका क्षेत्र में पिछड़े वर्गों की}[4] जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या में हो और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका में विभिन्न कक्षों को चक्रानुक्रम द्वारा ऐसे क्रम में, जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाए, आवंटित किये जा सकेंगे :

{प्रतिबन्ध यह है कि नगरपालिका में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण कुल स्थानों की संख्या के {चौदह}[7] प्रतिशत से अधिक नहीं होगा :

अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि यदि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आंकडे उपलब्ध न हो तो नियमों द्वारा विहित रीति से सर्वेक्षण करके उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकती है।}[5]

(2) { *** }[6]

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 81 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 40 (क) (एक) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 40 (क) (दो) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 40 (क) (तीन) द्वारा बढ़ाया गया।
6. उपर्युक्त की धारा 40 (ख) द्वारा निकाला गया।
7. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 13 वर्ष 2002 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
8. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 09 वर्ष 2014 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

(3) {उपधारा 1}[5] के अधीन आरक्षित स्थानों के कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून स्थान यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की स्त्रियों के लिए आरक्षित किये जायेंगे।

(4) किसी नगरपालिका में स्थानों की कुल संख्या उपधारा (3) के अधीन आरक्षित स्थानों को सम्मिलित करते हुए, के एक तिहाई से अन्यून स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित किए जायेंगे और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका में विभिन्न कक्षों को चक्रानुक्रम द्वारा, ऐसे क्रम में, जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाये, आवंटित किए जा सकेंगे।

(5) राज्य में नगरपालिकाओं के अध्यक्ष {एवं उपाध्यक्ष}[6] के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और स्त्रियों के लिए ऐसी रीति में आरक्षित किए जायेंगे, जो नियमों द्वारा विहित की जाय :

{परन्तु यह कि यदि किसी नगर निगम के नगर प्रमुख का पद आरक्षित हो तो उस नगर निगम के उप नगर प्रमुख का पद आरक्षित नहीं होगा।}[7]

(6) इस धारा के अधीन स्थानों और अध्यक्षों के पदों का अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभाव में नहीं रह जायेगा।

स्पष्टीकरण—— यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडे वर्गों के व्यक्तियों और स्त्रियों को अनारक्षित स्थानों या पदों के लिए चुनाव लड़ने से निवारित नहीं करेगी।}[1]

10—— {***}[2]

नगरपालिका का कार्यकाल

{10—क—— (1) प्रत्येक नगरपालिका, जब तक कि धारा 30 के अधीन पहले ही विघटित न कर दी जाये, उसकी पहली बैठक के लिए नियत दिनांक से पांच वर्ष तक, न कि उससे अधिक बनी रहेगी।

(2) किसी नगरपालिका को गठित करने के लिए निर्वाचन——

(क) उपधारा (1) के विनिर्दिष्ट कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व; या

(ख) उसके विघटित होने के दिनांक से छः माह की अवधि के समाप्ति के पूर्व पूरा किया जायेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जहां शेष अवधि जिसके लिए विघटित नगरपालिका बनी रहती है, छः मास से कम है, वहां ऐसी अवधि के लिए नगरपालिका गठित करने के लिए इस धारा के अधीन कोई निर्वाचन करना आवश्यक नहीं होगा।

(3) किसी नगरपालिका के अवसान के पूर्व उसके विघटन पर गठित नगरपालिका केवल उस शेष अवधि के लिए बनी रहेगी, जिसके लिए इस प्रकार विघटित नगरपालिका उपधारा (1) के अधीन उस दशा में बनी रहेगी, यदि उसे विघटित नहीं किया गया होता।}[3]

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 81 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 82 द्वारा निकाला गया।
3. उपर्युक्त की धारा 83 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय—तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 40(ग) द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उ0प्र0 अधिनियम सं0 3 वर्ष 1996 के अध्याय—तीन की धारा 3(क) द्वारा अन्तर्विष्ट।
7. उपर्युक्त की धारा 3 (ख) द्वारा अन्तर्विष्ट।

{(4) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, जहां अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण अथवा जनहित में किसी नगरपालिका का, उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व, गठन हेतु निर्वाचन कराया जाना व्यवहारिक न हो, वहां ऐसी नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत के विधिवत् गठित होने तक, नगरपालिका परिषद् /नगर पंचायत की समस्त शक्तियों, कृत्यों एवं कर्तव्यों का प्रयोग एवं कार्यान्वयन, जिला मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्त ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो उप जिलाधिकारी के स्तर से नीचे का न हो, द्वारा किया जायेगा तथ ऐसा जिला मजिस्ट्रेट अथवा अधिकारी, 'प्रशासक' कहलायेगा और ऐसे प्रशासक को विधिक रूप में नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत, अध्यक्ष या समिति, जैसा भी अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, समझा जायेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन नियुक्त प्रशासक के कार्यकाल की अवधि छः मास या नये बोर्ड के गठन तक, जो भी पहले हो, से अधिक नहीं होगी।}[8]

10–कक–– {***}[9]

11–– {***}[1]

कक्षों का परिसीमन

{11–क–– (1) किसी नगरपालिका के सदस्यों के निर्वाचन के प्रयोजनार्थ प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में, जिन्हें कक्ष कहा जायेगा, ऐसी रीति में विभाजित किया जायेगा कि जहां तक सम्भव हो सके, प्रत्येक कक्ष की जनसंख्या सम्पूर्ण नगरपालिका क्षेत्र में एक समान हो।

(2) नगरपालिका में प्रत्येक कक्ष का प्रतिनिधित्व एक सदस्य द्वारा किया जायेगा :}[2]

परिसीमन आदेश

11–ख–– (1) राज्य सरकार, आदेश द्वारा निम्नलिखित का अवधारण करेगी ––

{(क) कक्षों की संख्या, जिनमें प्रत्येक नगरपालिका बोर्ड के निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए विभाजित किया जायेगा;}[3]

(ख) प्रत्येक कक्ष का विस्तार;

(ग) {***}[4]

{(घ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और स्त्रियों के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या;}[5]

(2) उपधारा (1) के आदेश का प्रारूप {कम से कम सात दिन की अवधि के लिए प्रकाशित किया जायेगा ।}[7]

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 84 द्वारा निकाला गया।
2. उपर्युक्त की धारा 85 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 86 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 86 (ख) द्वारा निकाला गया।
5. उपर्युक्त की धारा 86 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उपर्युक्त की धारा 41 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
8. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 03 वर्ष 2008 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।
9. उपर्युक्त की धारा 3 द्वारा निकाला गया।

(3) राज्य सरकार, उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत की गई आपत्तियों {***}[5] पर विचार करेगी और आदेश का प्रारूप यदि आवश्यक हो, तद्नुसार संशोधित, परिवर्तित या उपान्तरित किया जायेगा और तदुपरान्त वह अन्तिम हो जायेगा।

परिसीमन आदेश का संशोधन

11–ग–– {(1)}[6] राज्य सरकार सम्बन्धित {नगरपालिका}[3] से परामर्श करने के पश्चात् एक पश्चात्वर्ती आदेश द्वारा 11–ख की उपधारा (3) के अधीन दिए गए आदेश को परिवर्तित या संशोधित कर सकेगी।

{(2) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश के परिवर्तन या संशोधन के लिए धारा 11–ख की उपधारा (2) और (3) के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।}[6]

12–– {***}[1]

निर्वाचक नामावली

सदस्यों का निर्वाचन

{12–क –– किसी {नगरपालिका}[3] के सदस्य इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किये जायेंगे।

प्रत्येक कक्ष के लिए निर्वाचक नामावली

12–ख–– (1) प्रत्येक कक्ष के लिए एक निर्वाचक नामावली होगी, जो राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार तैयार की जायेगी।

{(2) उपधारा (1) के अधीन रहते हुए प्रत्येक कक्ष के लिए निर्वाचक नामावली निर्वाचन अधिकारी (नगर स्थानीय निकाय) के पर्यवेक्षण के अधीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण के नियमों द्वारा विहित रीति से तैयार और प्रकाशित की जायेगी।

(2–क) उपधारा (2) के निर्दिष्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नगर स्थानीय निकाय) और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी होंगे, जैसा राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से, इस निमित्त नाम–निर्दिष्ट या पदाभिहित करे।

(2–ख) निर्वाचक नामावली के प्रकाशन पर यह, इस अधिनियम के द्वारा या अधीन किए गए किसी परिवर्तन, परिवर्धन या उपान्तर के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अनुसार कक्ष के लिए तैयार की गई निर्वाचक नामावली होगी।}[7]

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 7 वर्ष 1953 द्वारा निरसित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 25 वर्ष 1983 के अध्याय–दो की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 41 (ख) द्वारा निकाला गया।
6. उपर्युक्त की धारा 42 द्वारा पुनर्संख्यांकित तथा बढ़ाया गया।
7. उपर्युक्त की धारा 43 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।

(3) इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी {निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी}[4] किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली तैयार करने के प्रयोजन के लिए तत्समय प्रवृत्त लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अधीन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए तैयार की गई निर्वाचक नामावली को {राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार}[5] अपना सकता है, जहां तक उसका सम्बन्ध इस कक्ष के क्षेत्र से हो :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे कक्ष के लिए निर्वाचक नामावली में ऐसे कक्ष के निर्वाचन के लिए नाम–निर्देशन के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूर्ण होने के पूर्व किसी संशोधन, परिवर्तन या शुद्धि को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।}[2]

निर्वाचकों के लिए अर्हता

[1]{12–ग–– धारा 12–घ और 12 ङ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक व्यक्ति जिसने उस वर्ष की, जिसमें निर्वाचक नामावली तैयार या पुनरीक्षित की जाय, पहली जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और जो कक्ष के क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी हो, कक्ष की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण का हकदार होगा ––

स्पष्टीकरण–– (एक) किसी व्यक्ति के संबंध में केवल इसी कारण कि कक्ष के क्षेत्र में उसका किसी निवास गृह पर स्वामित्व या कब्जा है, यह न समझा जायगा कि वह वहाँ मामूली तौर से निवासी है;

(दो) अपने मामूली निवास–स्थान से अपने आपको अस्थायी रूप से अनुपस्थित रखने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में केवल इसी कारण यह न समझा जायेगा कि वह वहां मामूली तौर से निवासी नहीं रहा;

(तीन) संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्बन्ध में कक्ष के क्षेत्र से अनुपस्थित रहने मात्र के कारण, अपनी पदावधि के दौरान उस क्षेत्र का मामूली तौर से निवासी होने से परिविरत नहीं समझा जायेगा;

(चार) यह विनिश्चय करने के लिए कि किन व्यक्तियों को किसी सुसंगत समय पर किसी विशिष्ट क्षेत्र का मामूली तौर से निवासी समझा जाय या न समझा जाय, किन्हीं अन्य तथ्यों पर, जिन्हें विहित किया जाय, विचार किया जायेगा;

(पांच) यदि किसी मामले में यह प्रश्न उठे कि किसी सुसंगत समय पर कोई व्यक्ति मामूली तौर से वहां का निवासी है तो उस प्रश्न का अवधारण मामले के सभी तथ्यों के निर्देश में किया जायेगा।

निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए अनर्हताएं

12–घ–– (1) कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए अनर्ह होगा, यदि वह ––

(एक) भारत का नागरिक न हो; या

(दो) विकृत चित्त हो और उसके ऐसा होने की किसी सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान हो; या

(तीन) निर्वाचन सम्बन्धी भ्रष्ट आचारण और अन्य अपराधों से सम्बन्धित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन मत देने के लिए तत्समय अनर्ह हो।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 35 वर्ष 1978 के अध्याय–तीन की धारा 15 द्वारा धारा ग से ज तक बढ़ाया गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 87 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 43 (ख) (एक) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 43 (ख) (दो) द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) जो व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन अनर्ह हो जाय, उसका नाम उस निर्वाचक नामावली से तत्काल काट दिया जायेगा, जिसमें वह दर्ज है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति के नाम को, जो ऐसी किसी अनर्हता के कारण निर्वाचक नामावली से काट दिया गया हो, उस नामावली में तत्काल फिर से रख दिया जायेगा, यदि ऐसी अनर्हता उस अवधि के दौरान, जिसमें ऐसी नामावली प्रवृत्ति रहती है, किसी ऐसी विधि के अधीन हटा दी जाती है, जो ऐसा हटाना प्राधिकृत करती है।

रजिस्ट्रीकरण केवल एक कक्ष में होगा

12—ङ—— (1) कोई व्यक्ति एक से अधिक कक्ष की निर्वाचक नामावली में या एक ही कक्ष की निर्वाचक नामावली से एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकरण का हकदार न होगा।

(2) कोई व्यक्ति किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण का हकदार नहीं होगा, यदि उसका नाम किसी नगर, अन्य {नगरपालिका क्षेत्र छावनी या ग्राम पंचायत का क्षेत्र}[1] से सम्बन्धित किसी निर्वाचक नामावली में दर्ज हो, जब तक कि वह यह दर्शित न करे कि उसका नाम ऐसी निर्वाचक नामावली से काट दिया गया है।

निर्वाचक नामावलियों में सुधार

{12—च—— (1) जहां निर्वाचक, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का चाहे उसको दिए गए किसी आदेश पत्र पर या स्वप्रेरणा से ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझे, यह समझाया हो आदेश निर्वाचक नामावली की कोई प्रविष्टि सुधारी या निष्कासित की जानी चाहिए या रजिस्ट्रीकरण के लिए हकदार किसी व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में परिवर्धन किया जाना चाहिए वहां वह इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और दिए गए आदेशों के अधीन रहे हुए, किसी प्रविष्टि का, यथास्थिति निष्कासन, सुधार या परिवर्धन करेगा :

परन्तु ऐसा कोई सुधार, निष्कासन या परिवर्धन, कक्ष के किसी निर्वाचन के लिए नामांकन देने के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और इस निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व नहीं किया जायेगाः

परन्तु यह भी कि कोई सुधार या निष्कासन, जो किसी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो उसके विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही के संबंध में सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना, नहीं किया जायेगा।

(2) निर्वाचक नामावली में किसी नाम को सम्मिलित करने, निष्कासित करने या सुधार करने के संबंध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के किसी आदेश के विरूद्ध अपील ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से और ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को, जिसे नियमों द्वारा विहित किया जाय, प्रस्तुत की जायेगी।}[5]

निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण

12—छ—— {राज्य निर्वाचन आयोग}[2] यदि वह सामान्य या उप—निर्वाचन के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक समझे, किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली का ऐसी रीति से, जिसे वह उचित समझे, {***}[3] पुनरीक्षण करने का निर्देश दे सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कक्ष को निर्वाचक नामावली, जैसी कि वह कोई ऐसा निदेश दिए जाने के समय प्रवृत्त बनी रहेगी, जब तक कि इस प्रकार निदेशित {***}[3] पुनरीक्षण पूरा न हो जाय।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 88 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 90 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 90 (ख) द्वारा निकाला गया।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय—तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 44 द्वारा प्रतिस्थापित।

12–ज–– {जहां तक निम्नलिखित में से किसी के सम्बन्ध में इस नियम या तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा उपबन्ध किया जाये, राज्य निर्वाचन आयोग}[6] निर्वाचक नामावलियों से सम्बद्ध निम्नलिखित विषयों के बारे में, आदेश द्वारा उपबन्ध बना सकती है, अर्थात् :–– निर्वाचक नामावली सम्बन्धी आदेश

(क) दिनांक, जिस पर इस अधिनियम के अधीन प्रथमतः तैयार की गई और तत्पश्चात् तैयार की गई निर्वाचक नामावलियां प्रवृत्त होंगी और उनके प्रवर्तन की अवधि;

(ख) सम्बन्धित निर्वाचक के आवेदन–पत्र पर निर्वाचक नामावली में किसी वर्तमान प्रविष्टि को ठीक करना;

(ग) निर्वाचक नामावलियों में लिपिकीय या मुद्रण सम्बन्धी त्रुटियों को ठीक करना;

(घ) निर्वाचक नामावलियों में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सम्मिलित करना ––

(एक) जिसका नाम कक्ष से सम्बद्ध क्षेत्र की विधान सभा निर्वाचक नामावली में सम्मिलित हो किन्तु उस कक्ष की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित न हो या जिसका नाम गलती से किसी अन्य कक्ष की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कर लिया गया हो; या

(दो) जिसका नाम इस प्रकार की विधान सभा निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं हो किन्तु जो कक्ष की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए अन्यथा अर्ह हो;

(ङ) {***}[3]

(ङङ) नाम सम्मिलित करने या निकालने के लिए आवेदन–पत्रों पर देय फीस;

(च) निर्वाचक नामावलियों की अभिरक्षा और उसका परिरक्षण; और

(छ) सामान्यतया ऐसे सभी विषय, जो निर्वाचक नामावली तैयार करने और प्रकाशित करने से सम्बद्ध हो।}[2]

13–– {***}[1]

निर्वाचन का संचालन

{13–क–– धारा 31–क में यथाउपबन्धित के सिवाय राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, किसी नगरपालिका के सामान्य निर्वाचन हेतु एक या उससे अधिक दिनांक नियत कर सकती है।}[4] सामान्य निर्वाचन

{13–ख–– {(1)}[7] नगरपालिकाओं के सभी निर्वाचनों का अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण इत्यादि

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 7 वर्ष 1953 द्वारा निरसित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 35 वर्ष 1978 के अध्याय–तीन की धारा 15 द्वारा धारा ग से ज तक बढ़ाया गया।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 91(ख) द्वारा निकाला गया।
4. उपर्युक्त की धारा 92 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उपर्युक्त की धारा 45 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उपर्युक्त की धारा 46 द्वारा पुनर्संख्यांकित।

{(2) उपधारा (1) के अधीन रहते हुए उपधारा 12–ख) की उपधारा (2–क) में निर्दिष्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नगर स्थनीय निकाय) नगरपालिकाओं के सामान्य निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण करेगा।}[4]

{{(3) राज्य निर्वाचन आयोग सभी निर्वाचनों में प्रत्येक प्रत्याशी से नामांकन पत्र के साथ उसकी पृष्ठभूमि के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचनाओं के साथ अन्य सूचनाएं, जैसा आवश्यक समझे, का शपथ पत्र के साथ घोषणा पत्र प्राप्त करेगा और मतदाताओं को उसकी जानकारी कराने के लिए खण्ड (ग) तथा (ङ) की सूचनाओं को छोड़कर सार्वजनिक करायेगा :–}[6]

(क) क्या यह अतीत में किसी अपराधिक मामले में दोषी पाया गया है? दोष मुक्त हुआ है? आरोप से उन्मोचित हुआ है? या दोषी पाये जाने की स्थिति में उसे दण्ड या अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है?

(ख) नामांकन भरने से छः माह पूर्व क्या अभ्यर्थी किसी ऐसे लम्बित मामले में अभियुक्त रहा है, जिसमें दो वर्ष या अधिक की सजा हो सकती है एवं मामले में आरोप निर्धारित हो चुके हों या न्यायालय ने संज्ञान में लिया हो, का विवरण;

(ग) वह और उसके पति या पत्नी तथा आश्रितों की चल, अचल सम्पत्तियों, बैंक बैलेंस आदि से सम्बन्धित पूर्ण सूचना;

(घ) इस पर देनदारियों विशेषकर उसके द्वारा किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या सरकार की अवशेष राशि का समय से भुगतान न करने की दशा में उसका पूर्ण विवरण;

(ङ) उसकी आय के साधन तथा वर्तमान मासिक/वार्षिक आय का पूर्ण विवरण;

(च) वह विवाहित अथवा अविवाहित;

(छ) उसके कुल बच्चों की संख्या और उनकी आयु व शिक्षा पर व्यय का विवरण;

(ज) उसकी आयकर तथा भूमि–भवनकर, प्रक्षेपकर/शुल्क के रूप में भुगतान की जाने वाली वार्षिक धनराशि का पूर्ण विवरण; और

(झ) उसकी शैक्षिक योग्यता का विवरण।}[5]

सदस्यता के लिए अर्हताएं

{13–ग–– कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में चुने जाने और बने रहने के लिए अर्ह नहीं होगा जब तक कि ––

(क) वह {नगरपालिका}[1] में किसी कक्ष के लिए निर्वाचक न हो;

(ख) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और स्त्रियों के लिए आरक्षित किसी स्थान की दशा में, वह यथास्थिति, उक्त श्रेणी का व्यक्ति न हो;

(ग) उसने एक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो;}[2]

(घ) {***}[7]

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 93 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 46 द्वारा बढ़ाया गया।
5. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 13 वर्ष 2002 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 11 वर्ष 2003 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।
7. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 03 वर्ष 2008 की धारा 4 द्वारा निकाला गया।

13–घ–– कोई भी व्यक्ति इस बात के होते हुए भी कि वह अन्यथा अर्ह है किसी {नगरपालिका}[3] का सदस्य निर्वाचित चुने जाने या सदस्य बने रहने के लिए अनर्ह होगा, यदि– सदस्यता के लिए अनर्हताएं

[1]{ {(क) वह किसी स्थानीय प्राधिकारी का कोई पदच्युत सेवक हो और उसके अधीन पुनः सेवायोजन के लिए विवर्जित किया गया हो; या

(कक) वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण किया हो और भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति अभक्ति के कारण पदच्युत कर दिया गया हो, जब तक कि उसकी पदच्युत से छः वर्ष की अवधि समाप्त न हो गई हो; या}[2]

(ख) वह किसी प्राधिकारी के आदेश द्वारा विधि–व्यवसायी के रूप में कार्य करने से विवर्जित किया गया हो; या

(ग) वह {नगरपालिका}[3] के दान स्वरूप या उसके नियंत्रण में कोई लाभ का पद धारण करता हो; या

(घ) वह धारा 27 या 41 के अधीन अनर्ह हो; या

{ {(ङ) उसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म इस धारा के प्रवृत्त होने की तिथि के 300 दिवस के पश्चात् हुआ है; या}[5]

(च) वह राज्य या केन्द्रीय सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की सेवा में हो, या जिला सरकारी काउन्सेल या अपर सहायक जिला सरकारी काउन्सेल या अवैधानिक मजिस्ट्रेट या अवैतनिक मुन्सिफ या कोई अवैतनिक सहायक कलेक्टर हो; या

(छ) उस पर एक वर्ष से अधिक की मांग के नगरपालिका कर या अन्य देयों का, जिन पर धारा 166 लागू होती है, भुगतान बकाया हो; या

{(ज) महिला के विरूद्ध किसी अपराध का दोष सिद्ध ठहराया गया है; या}[5]

(झ) (1) वह अनुमोचित दिवालिया हो; या

(2) वह भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 171–ङ के अधीन कारावास से दण्डनीय किसी अपराध अथवा धारा 171–च के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए सिद्ध–दोष ठहराया गया हो; या

(ञ) उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 या उत्तर प्रदेश आपूर्ति नियंत्रण (अस्थाई शक्ति) अधिनियम, 1947 (अधिनियम सं0 2, 1947) जैसा कि उत्तर प्रदेश आपूर्ति नियंत्रण (अस्थाई शक्ति) अधिनियम, 1953 (अधिनियम सं0 22, 1953) द्वारा पुनः अधिनियमित किया गया या खाद्य अपमिश्रण (निवारण) अधिनियम, 1954 (अधिनियम सं0 37, 1955) के अधीन दिए गए किसी आदेश का उल्लंघन करने के लिए या किसी ऐसे अपराध के लिए, जिसे राज्य सरकार ने यह घोषित किया हो कि उसमें ऐसी नैतिक अधमत्त अन्तर्वलित है, जिससे वह सदस्य होने के लिए अयोग्य कर दिया गया हो, कारावास का दण्डादेश दिया गया हो या उसे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 109 या 110 के अधीन की गई कार्यवाहियों के फलस्वरूप सदाचार के लिए बन्धन–पत्र निष्पादित करने का आदेश दिया गया हो और ऐसा दण्डादेश या आदेश बाद में परिवर्तित न कर दिया गया हो :

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 27 वर्ष 1964 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 15 वर्ष 1983 के अध्याय–तीन की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 13 वर्ष 2002 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।

परन्तु (क) और (ख) की दशा में उक्त अनर्हता राज्य सरकार के इस निमित्त दिए गए आदेश द्वारा दूर की जा सकती हैः

परन्तु यह और कि (छ) की दशा में बकाया भुगतान करने पर यथाशीघ्र अनर्हता समाप्त हो जायेगी :

परन्तु यह और भी कि (ञ) की दशा में :–

(1) यथास्थिति उसके कारावास से निर्मुक्त होने के दिनांक से पांच वर्ष की समाप्ति पर या उस अवधि, जिसके लिए उससे सदाचार बनाए रखने के लिए बन्ध–पत्र निश्पादित करने की अपेक्षा की गई हो, समाप्ति के दिनांक से अनर्हता नहीं रहे जायेगी; और

(2) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो अनर्हता के दिनांक को नगरपालिका का सदस्य हो, अनर्हता तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि ऐसी अनर्हता के दिनांक से तीन मास तक बीत गये हों या यदि उक्त तीन मास के भीतर सिद्ध–दोष ठहराने या आदेश के सम्बन्ध में पुनरीक्षण के लिए कोई अपील या याचिका प्रस्तुत की गई हो तो जब ऐसी अपील या विस्तारण न कर दिया गया हो।}[2]

{स्पष्टीकरण–– खण्ड (च) के अर्थ में, कोई सरकारी कोषाध्यक्ष राज्य या केन्द्रीय सरकार की सेवा में नहीं समझा जायेगा।}[1]

{(ट) वह राज्य के विधान मण्डल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार अनर्ह कर दिया जाता हैः

प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति, यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, इस आधार पर अनर्ह नहीं किया जायेगा कि वह पच्चीस वर्ष से कम आयु का है;}[3]

{(ठ) किसी ऐसे समाचार–पत्र में, जिसमें नगरपालि के कार्यकलापों से सम्बन्धित कोई विज्ञान दिया जा सकता है, अंश या हित रखत है; या

(ड) किसी ऐसी संस्था, जो नगरपालिका से किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है, का वैतनिक कर्मचारी है; या

(ढ) यदि वह या सके परिवार का सदस्य या उसका कानूनी नगरपालिका के स्वामित्व या प्रबन्धन की भूमि या भवन या सार्वजनिक सड़क या पटरी, नाली, नाला पर अनाधिकृत कब्जा करता है अथवा किसी ऐसे अनाधिकृत कब्जे से किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करता है; या

(ण) नगरपालिका के किसी भी कर्मचारी संवर्ग या वर्ग के संघ या यूनियन का प्रतिनिधि या पदाधिकारी है; या

(त) नगरपालिका के अधिनियम, नियम, उपविधियां, विनियम, शासनादेश का उल्लंघन करने, नगरपालिका के हितों की उपेक्षा करने का सिद्ध दोषी ठहराया गया हो;}[5]

{(थ) वह एक से अधिक वार्ड के लिए अभ्यर्थी हो।}[6]

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 7 वर्ष 1953 द्वारा जोड़ा गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 27 वर्ष 1964 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 94 (ख) द्वारा बढ़ाया गया।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 13 वर्ष 2002 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 03 वर्ष 2008 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया।

मत देने का अधिकार

{13–ङ–– (1) कोई व्यक्ति, जिसका नाम तत्यम किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट न हो उस कक्ष में मत देने का हकदार न होगा, जैसा कि इस अधिनियम में स्पष्टतः उपबन्धित है उसके सिवाय प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम तत्समय किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट हो, उस कक्ष में मत देने का हकदार होगा।

(2) कोई व्यक्ति किसी कक्ष में निर्वाचन में मद नहीं देगा, यदि वह धारा 12घ में निर्दिश्ट किसी अनर्हता के अधीन है।

(3) कोई व्यक्ति किसी साधा3रण निर्वाचन में एक से अधिक कक्षों में मत नहीं देगा और यदि कोई व्यक्ति ऐसे एक से अधिक कक्षों में मत देता है तो ऐसे सभी कक्षों में उसके दिए हुए मत शून्य हो जायेंगे।

(4) कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन में एक ही कक्ष में एक से अधिक बार मत नहीं देगा भले ही उस कक्ष की निर्वाचन नामावली में उसका नाम एक से अधिक बार रजिस्टीकृत किया गया हो और यदि वह इस प्रकार मत देता है तो उस कक्ष में उसके दिए गए सभी मत शून्य हो जायेंगे।

(5) कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन में मत नहीं देगा, यदि वह कारागार में, चाहे कारावास के या निर्वासन दण्डादेश के अधीन या अन्य प्रकार से परिरूद्ध हो या पुलिस की विधिपूर्ण अभिरक्षा में हो :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति पर लागू न होगी, जिसको तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन निवारक निरोध किया गया हो।}[1]

मतदान की रीति

{13–च–– किसी वार्ड के प्रत्येक निर्वाचन में, जहां मतदान लिया जाये, मत गूढ़ शलाका या वोटिंग मशीन द्वारा दिए जायेंगे तथा कोई मत प्रतिनिधिक मतदान द्वारा नहीं लिया जायेगा।}[4]

निर्वाचनों के संचालन के सम्बन्ध में आदेश

13– छ–– {जहां तक इस अधिनियम के द्वारा किसी विषय के सम्बन्ध में उपबन्ध न किया गया हो तो 'राज्य निर्वाचन आयोग'}[2] आदेश द्वारा, निर्वाचनों के संचालन से सम्बन्धित निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में उपबन्ध कर सकता है, अर्थात् ––

(क) सामान्य निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी करना;

(ख) रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिटर्निंग आफिसर, पीठासीन अधिकारी तथा मतदान अधिकारी तथा लिपिकों की नियुक्ति, उनकी शक्ति और कर्तव्य;

(ग) नाम निर्देशन, संवीक्षा नाम वापस लेने तथा मतदान के लिए दिनांक नियत करना;

(घ) नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की रीति और उसका प्रपत्र, विधि मान्य नाम निर्देश के लिए अपेक्षाएं, नाम निर्देशनों की संवीक्षा और उम्मीदवारी से नाम वापस लेना;

(ङ) निर्वाचन अभिकर्ताओं तथा मतदान अभिकर्ताओं तथा मत गणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति और उनके कर्तव्य;

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 7 वर्ष 1953 द्वारा जोड़ा गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 96 (क) द्वारा अन्तर्विष्ट।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 13 वर्ष 2002 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।

(च) सामान्य निर्वाचनों में प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत मतदान के पूर्व किसी उम्मीदवारी की मृत्यु भी है, सविरोध और निर्विरोध निर्वाचनों में प्रक्रिया; {***}[1]

(छ) मतदाताओं की पहचान;

(ज) मतदान का समय;

(झ) मतदान स्थगित किया जाना तथा फिर से मतदान कराना;

(ञ) निर्वाचनों में मतदान की रीति;

(ट) मतों की संवीक्षा तथा गणना, जिसके अन्तर्गत मतों की पुर्नगणना भी है और मत बराबर होने की दशा में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और परिणाम की घोषणा;

(ठ) नगरपालिका के विभिन्न कक्षों के लिए निर्वाचित सदस्यों के नाम विज्ञापित करना और नगरपालिका का सम्यक् गठन;

(ड) निक्षिप्त धन वापस करना या उसका समपहरण;

(ढ) ऐसे पीठासीन अधिकारी, मतदान अभिकर्ता या किसी ऐसे मतदान केन्द्र पर जहां वह मत देने के लिए हकदार न हो, कर्तव्यरूढ़ प्राधिकृत या नियुक्त हो;

(ण) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो स्वयं को किसी दूसरे व्यक्ति के ऐसे निर्वाचक के रूप में मत देने के पश्चात् ऐसा निर्वाचक बतलाता हो, मत देने के सम्बन्ध में अनुकरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(त) मतपेटियों, मत–पत्रों तथा निर्वाचक सम्बन्धी अन्य पत्रादि की सुरक्षित अभिरक्षा; ऐसी अवधि, जब तक के लिए ऐसे पत्रादि सुरक्षित रखे जायेंगे और ऐसे पत्रादि का निरीक्षण करना तथा उन्हें प्रस्तुत करना; और

(थ) सामान्यतया निर्वाचनों के संचालन से सम्बन्धित सभी विषय।

उपनिर्वाचन

13–ज–– (1) उपधारा (2) और धारा 13–झ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जब नगरपालिका के किसी निर्वाचन सदस्य का स्थान रिक्त हो जाय या रिक्त घोषित किया जाय या उसका निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाय तो {राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से,}[2] सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा सम्बन्धित कक्ष से इस प्रकार की हुई रिक्ति को ऐसे दिनांक के पूर्व जो उक्त विज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट किया जाय, भरने के प्रयाजनार्थ किसी व्यक्ति का निर्वाचन करने के लिए कहेगा और इस अधिनियत तथा इसके अधीन बनाए गए नियम और दिए गए आदेशों के उपबन्ध, यथासम्भव, ऐसी रिक्त के भरने के लिए किसी सदस्य के निर्वाचन के सम्बन्ध में लागू होंगे।

(2) यदि इस प्रकार हुई रिक्ति किसी ऐसे कक्ष में अनुसूचित जातियों {अनुसूचित जनजातियों, पिछडे वर्गों या स्त्रियों}[3] के लिए आरक्षित स्थान की रिक्ति हो तो उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी विज्ञप्ति में यह विनिर्दिष्ट किया जायेगा कि उक्त स्थान को स्थान को भरने वाला व्यक्ति अनुसूचित जातियों, या {अनुसूचित जनजातियों या पिछडे वर्गों का होगा या स्त्री}[3] होगी।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 96 (ख) द्वारा निकाला गया।
2. उपर्युक्त की धारा 97 (क) द्वारा अन्तर्विष्ट।
3. उपर्युक्त की धारा 97 (ख) द्वारा अन्तर्विष्ट।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

कतिपय आकस्मिक रिक्तियां जिनकी पूर्ति नहीं की जायेगी

13–झ–– जहां {नगरपालिका}[2] में किसी निर्वाचित सदस्य की मृत्यु उसके पद त्याग करने, हटाये जाने या उसके निर्वाचन के परिवर्जन के कारण कोई रिक्ति हो जाये और उस सदस्य का पदावधि साधारण रूप में ऐसी रिक्ति होने के एक वर्ष के भीतर समाप्त होती तो {ऐसी रिक्ति भरी न जायेगी}[3] ।

निर्वाचन सम्बन्धी अपराध

{13– ञ–– (1) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के भाग सात के अध्याय तीन की धारा 125, 126, 127, 127–क, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 134–क, {135–क}[7] और 136 के उपबन्ध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो ––

(क) किसी निर्वाचन के सम्बन्ध में आया हुआ निर्देश इस अधिनियम के अधीन किए गए निर्वाचन का निर्देश हो;

(ख) शब्द 'निर्वाचन–क्षेत्र' के स्थान पर शब्द 'कक्ष' रख दिया गया हो;

(खख) धारा 127–क की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (1) में, शब्द 'मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी' के स्थान पर शब्द {'मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नगर स्थानीय निकाय)'}[6] रख दिए गए हों;

(ग) {***}[8]

(घ) धारा 134 और 136 में, शब्द 'इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन' के स्थान पर शब्द 'उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 के द्वारा या के अधीन' रख दिए गये हो।

(2) यदि {मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नगर स्थानीय निकाय)}[6] को यह विश्वास करने का कारण हो कि {नगरपालिका}[2] के किसी निर्वाचन के निर्देश में उक्त अध्याय की धारा 129 या धारा 134 या धारा 134–क के अधीन या धारा 136 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया गया है तो {मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नगर स्थानीय निकाय) का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी जांच कराये और ऐसा अभियोग संस्थित कराए जो मामले की परिस्थितियों में उसे उचित प्रतीत हो।

(3) कोई न्यायालय धारा 129 या धारा 134 या धारा 134–क या धारा 136 को उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा जब तक कि यदि {मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नगर स्थानीय निकाय)}[6] के आदेश या प्राधिकार से परिवाद न किया गया हो।}[1]

सिविल न्यायालय की अधिकारिता

13–ट–– (1) किसी भी सिविल न्यायालय को निम्नलिखित के सम्बन्ध में अधिकारिता न होगी –

(क) किसी ऐसे प्रश्न को ग्रहण करना या उस पर न्याय निर्णय देना कि कोई व्यक्ति किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में अपना नाम रजिस्टीकृत कराने का हकदार है या नहीं; या

{(ख) निर्वाचक नामावलियों के प्रकाशन या तैयारी के सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन की गई किसी कार्यवाही की वैधता पर आपत्ति करना; या}[4]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 35 वर्ष 1978 के अध्याय–तीन की धारा 16 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 98 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 100 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उपर्युक्त की धारा 47(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उपर्युक्त की धारा 47(ख) द्वारा अन्तर्विष्ट।
8. उ0प्र0 अधिनियम सं0 3 वर्ष 1996 के अध्याय–तीन की धारा 4 द्वारा निकाला गया।

(ग) रिर्टनिंग आफिसर द्वारा या इस अधिनियम के अधीन निर्वाचन के सम्बन्ध्ध में नियुक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही या किए गए किसी विनिश्चय की वैधता पर आपत्ति करना।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रस्तुत की गई निर्वाचन याचिका द्वारा की गई आपत्ति के सिवाय किसी निर्वाचन पर अन्य प्रकार से आपत्ति न की जा सकेगी।}[1]

14—— {***}[2]

15—— {***}[2]

16—— {***}[2]

17—— {***}[2]

18—— {***}[2]

निर्वाचन याचिकाएं

याचिका द्वारा नगरपालिका निर्वाचन पर आपत्ति करने की शक्ति

19—— (1) किसी व्यक्ति के {नगरपालिका}[3] के सदस्य के रूप में निर्वाचन के सम्बन्ध में निर्वचन याचिका द्वारा इस आधार पर आपत्ति की जा सकती है कि ——

(क) ऐसे व्यक्ति ने निर्वाचन कार्यवाहियों के दौरान या उसके सम्बन्ध में धारा 28 में यथापरिभाषित कोई भ्रष्ट आचरण किया है;

(ख) ऐसा व्यक्ति एक से अधिक मतों के अनुचित रूप से अस्वीकार या स्वीकार किये जाने के कारण निर्वाचित घोषित किया गया है या किसी अन्य कारण से वैध मतों के बहुमत से सम्यक् रूप से निर्वाचित नहीं हुआ है;

(ग) ऐसा व्यक्ति निर्वाचन के लिए उम्मीदवार के रूप में नाम—निर्देशित किए जाने के लिए अर्ह नहीं था या यह कि याचिका दने वाले का नाम निर्देशन पत्र अनुचित रूप से अस्वीकृत किया गया था।

(2) {नगरपालिका}[3] के सदस्य के रूप में, किसी व्यक्ति के निर्वाचन के सम्बन्ध में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि ——

(क) किसी ऐसे व्यक्ति का नाम, जो मत देने के लिए अर्ह था, निर्वाचक नामावली या नामावलियों में से छोड़ दिया गया है, या किसी ऐसे व्यक्ति का नाम, जो मत देने के लिए अर्ह नहीं था, उसमें या उनमें रख दिया गया है;

(ख) इस अधिनियम या किसी नियम का अनुपालन किया गया है या एतद्द्वारा अपेक्षित प्रपत्रों में कोई भूल है, या किसी ऐसे अधिकारी या अधिकारियों ने, जिस पर या जिन पर इस अधिनियम या किन्हीं नियमों को कार्यान्वित करने का भार सौंपा गया हो, कोई त्रुटि अनियमितता या अनौपचारिकता की है, जब तक कि ऐसा अनुपालन भूल—त्रुटि, या अनौपचारिकता का निर्वाचन के परिणाम पर कोई सारवान प्रभाव न पड़ा हो।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 7 वर्ष 1953 द्वारा जोड़ा गया।
2. उपर्युक्त की धारा द्वारा निकाला गया।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय—तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

याचिका का प्रारूप और उसका प्रस्तुत किया जाना

{20—— (1) जिस दिन रिटर्निंग आफिसर द्वारा ऐसे निर्वाचन का परिणाम घोषित किया जाय, जिसके सम्बन्ध में आपत्ति ईप्सित हो, उसके पश्चात् 30 दिन के भीतर निर्वाचन याचिका प्रस्तुत की जायेगी और उसमें ऐसा आधार या ऐसे आधार विनिर्दिष्ट किये जायेंगे जिन पर प्रत्यर्थी के निर्वाचन पर आपत्ति की गई हो और उसमें ऐसे सारवान तथ्यों का संक्षिप्त विवरण होगा, जिन पर याचिका देने वाला निर्भर करता हो और ऐसे भ्रष्ट आचरण के, जो अर्जीदार ने आरोपित किए हों, पूरे ब्यौरे होंगे, जिसमें ऐसे पक्षों के नामों का जिन पर ऐसे भ्रष्ट आचारण करने का आरोप लगाया हो और ऐसा प्रत्येक आचारण करने का दिनांक तथा स्थान का यथासम्भव पूरा ब्यौरा होगा।

(2) याचिका पर याची द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा और उसे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में अभिवचन के सत्यापन के लिए अधिकथित रीति से सत्यापित किया जायेगा।

(3) याचिका किसी ऐसे उम्मीदवार द्वारा, जिसके पक्ष में मत अभिलिखित किये गये हों और जिसको याचिका में ऐसे व्यक्ति के स्थान पर, जिसके निर्वाचन के सम्बन्ध में आपत्ति की गई हो, निर्वाचित घोषित किये जाने का दावा किया हो या नगरपालिका के दस या उससे अधिक निर्वाचकों द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो यह दावा करे कि उसका नाम–निर्देशन पत्र अनुचित रूप से अस्वीकृत किया गया था, प्रस्तुत की जा सकती है।

(4) वह व्यक्ति, जिसके निर्वाचन के सम्बन्ध में आपत्ति की गई हो और जहां याची यह दावा करे कि ऐसे व्यक्ति के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति निर्वाचित घोषित किया जाये तो प्रत्येक असफल उम्मीदवार, जो याचिका में याची न हो, याचिका में प्रत्यर्थी बनाया जायेगा।}[1]

{(5) याचिका उस क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले जिला न्यायाधीश को प्रस्तुत की जायेगी, जिसमें वह नगरपालिका स्थिर है, जिससे निर्वाचन याचिका सम्बन्धित है :

परन्तु याचिका जिला न्यायाधीश द्वारा ग्रहण नहीं की जायेगी जब तक कि उसके साथ कोषागार चालान न हो, जिसमें यह दर्शित हो कि विहित प्रतिभूति जमा कर दी गई है।}[2]

प्रत्यारोपक कार्यवाहियां

21—— जहां किसी निर्वाचन याचिका में यह घोषणा की जाय कि निर्वाचित उम्मीदवार से भिन्न किसी अन्य उम्मीदवार ने सम्यक रूप से निर्वाचित होने का दावा किया है तो निर्वाचित उम्मीदवार या कोई अन्य पक्षकार यह साबित करने के लिए ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है कि ऐसे उम्मीदवार का निर्वाचन शून्य हो गया होता यदि वह निर्वाचित उम्मीदवार होता और ऐसी याचिका प्रस्तुत की गयी होती, जिनमें उसके निर्वाचन के सम्बन्ध में आपत्ति की गयी हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि निर्वाचित उम्मीदवार या ऐसा अन्य पक्षकार ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने का तब तक हकदार न होगा जब तक कि उस पर निर्वाचन याचिका की नोटिस के तामील होने के दिनांक से इक्कीस दिन के भीतर उसमें निर्वाचन न्यायाधिकरण को अपने ऐसा करने के आशय की नोटिस न दे दी हो और ऐसी प्रतिभूति भी जमा न कर दी हो जो किसी सदस्य के निर्वाचन के सम्बन्ध में आपत्ति करने की निर्वाचन याचिका के मामले में विहित की गई हो।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक नोटिस के साथ किसी निर्वाचन याचिका के मामले में धारा 20 द्वारा अपेक्षित आधार या आधारों और सारवान तथ्यों का विवरण और पूरा ब्यौरा दिया जायेगा और उसी रीति से उस पर हस्ताक्षर और उसका सत्यापन किया जायेगा।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 27 वर्ष 1964 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 17 वर्ष 1982 के अध्याय–तीन की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

{निर्वाचन याचिका की सुनवाई}[2]

22—— (1) कोई निर्वाचन याचिका, जो धारा 20 के उपबन्धों के अनुरूप न हो या जिस पर प्रस्तुत किये जाने के समय पर या चौदह दिन से अनधिक के ऐसे अग्रेत्तर समय के भीतर, जैसा कि {जिला न्यायाधीश}[3] ने स्वीकृत किया हो, अपेक्षित न्यायालय फीस संदत्त न की गई हो, ऐसे न्यायाधीश द्वारा अस्वीकृत कर दी जायेगी।

{(2) उपधारा (1) के अधीन जिस निर्वाचन याचिका को अस्वीकार न किया गया हो, उसकी सुनवाई जिला न्यायाधीश द्वारा की जायेगी।}[4]

प्रक्रिया

23—— जहां तक इस अधिनियम द्वारा या नियम द्वारा अन्यथा उपबन्धित किया जाये, उसके सिवाय सिविल प्रक्रिया संहिता के वादों के सम्बन्ध में उपबन्धिक प्रक्रिया का जहां तक वह इस अधिनियम या किसी नियम से असंगत न हो और जहां तक वह लागू हो, निर्वाचन याचिकाओं की सुनवाई में अनुसरण किया जायेगाः

परन्तु यह कि ——

(क) दो या उससे अधिक ऐसे व्यक्तियों को, जिनके निर्वाचन के सम्बन्ध में आपत्ति की गयी हो एक ही याचिका में प्रत्यर्थी बनाया जा सकता है और उनके मालों पर एक साथ विचारण किया जा सकता है और किन्हीं दो या उससे अधिक निर्वाचन याचिकाओं की सुनवाई एक साथ की जा सकती है, किन्तु ऐसी याचिका जहां तक कि वह संयुक्त विचारण या सुनवाई से संगत हो, प्रत्येक प्रत्यर्थी के सम्बन्ध में पृथक–पृथक याचिका समझी जायेगी;

(ख) {जिला न्यायाधीश}[5] से पूर्ण रूप से साक्ष्य अभिलिखित करने या कराने की अपेक्षा न की जायेगी किन्तु वह साक्ष्य का ऐसा ज्ञापन तैयार करेगा, जो उसकी राय में मामले में विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए पर्याप्त हो;

(ग) {जिला न्यायाधीश}[5] कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर याची से ऐसे समस्त व्यय का, जो प्रत्यर्थी द्वारा उपगत किया गया हो या उपगत किये जाने की संभावना हो, भुगतान करने के लिए अग्रेत्तर प्रतिभूति देने की अपेक्षा कर सकता है;

(घ) {जिला न्यायाधीश}[5] किसी वाद विषय का विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए केवल उतना ही, मौलिक या दस्तावेजी साक्ष्य जितना वह आवश्यक समझे, प्रस्तुत करने या प्राप्त करने की अपेक्षा करने के लिए आबद्ध होगा;

(ङ) किसी मामले की सुनवाई के दौरान {जिला न्यायाधीश}[5] कोई विधि का प्रश्न सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 46 के अधीन उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट कर सकता है किन्तु न तो किसी विधि के प्रश्न या तथ्य के सम्बन्ध में कोई अपील होगी और न {जिला न्यायाधीश}[5] के विनिश्चय के विरूद्ध या सम्बन्ध में कोई पुनरीक्षण के लिए आवेदन किया जायेगा;

(च) कोई व्यक्ति, जो स्वयं को विनिश्चय से क्षुब्ध समझता हो, विनिश्चिय के दिनांक से 30 दिन के भीतर {जिला न्यायाधीश}[5] को पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकता है और तदुपरि {जिला न्यायाधीश}[5] किसी भी प्रश्न के सम्बन्ध में विनिश्चय कर सकता हैः

{प्रतिबन्ध यह है कि परिसीमा की संगणना करने में परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 12 की उपधारा (2) का उपबन्ध लागू होना।}[1]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 35 वर्ष 1978 के अध्याय–तीन की धारा 17 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 17 वर्ष 1982 के अध्याय–तीन की धारा 11 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 11 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 11 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

23–क–– {***}[3]

वाद व्यय के लिए उपबन्ध

{24–– इस अधिनियम के अधीन किसी निर्वाचन याचिका में जिला न्यायाधीश द्वारा वाद व्यय के लिए या वाद व्यय के प्रतिभूति पत्र की वसूली के लिए दिया गया कोई आदेश उसके द्वारा उस जिले के कलेक्टर को निष्पादन के लिए भेजा जा सकता है, जिसमें सम्बद्ध नगरपालिका स्थित है और इस प्रकार भेजा गया आदेश कलेक्टर द्वारा उस रीति से निष्पादित किया जायेगा मानो वह भू–राजस्व की बकाया के सम्बन्ध में हो।}[4]

{जिला न्यायाधीश}[4] का निष्कर्ष

25–– {(1) यदि {जिला न्यायाधीश}[5] ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे, किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में, जिसके निर्वाचन पर याचिका द्वारा आपत्ति की गयी है, यह निष्कर्ष निकलता है कि उसका निर्वाचन विधिमान्य था तो वह ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध याचिका को खारिज कर देता और स्वविवेकानुसार खर्चा दिला सकता है और प्रतिभूति या उसके भाग को वापस करने या समपहृत करने का ऐसा आदेश दे सकता है, जैसा वह उचित समझे।}[2]

(2) यदि {जिला न्यायाधीश}[5] यह निष्कर्ष निकालता है कि किसी व्यक्ति का निर्वाचन अविधिमान्य था या याची को नाम निर्देशन पत्र अनुचित रूप में अस्वीकृत किया गया था तो वह मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में चाहे जो मार्ग अधिक उपयुक्त हो, या तो –

(क) यह घोषित करेगा कि एक आकस्मिक रिक्त हो गयी है; या

(ख) यह घोषित करेगा कि दूसरा कि उम्मीदवार यथाविधि निर्वाचित हो गया है और किसी एक मामले में वाद व्यय का अधिनिर्णय कर सकता है।

(3) {***}[1]

निर्वाचन कार्यवाहियों का परिवर्जन

26–– (1) पूर्ववर्ती धारा में किसी बात के होते हुए भी, यदि {जिला न्यायाधीश}[5] को, किसी निर्वाचन याचिका की सुनवाई के अनुक्रम में यह राय हो कि साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि प्रश्नगत निर्वाचन कार्यवाहियों से भ्रष्ट आचारण उस हद तक प्रचलित था, जिसके कारण सम्पूर्ण कार्यवाहियों को अपास्त करना उचित है तो वह इस आशय का सशर्त आदेश करेगा और निर्वाचित घोषित किए गए ऐसे प्रत्येक उम्मीदवार को जिसे मामले में पहले ही पक्षकार न बना लिया गया हो, तत्सम्बन्धी नोटिस देगा, जिसमें उससे यह कारण बताने की अपेक्षा की जायेगी कि क्यों ऐसे सशर्त आदेश को अन्तिम रूप दे दिया जाये।

(2) तदुपरान्त ऐसा प्रत्येक उम्मीदवार उपस्थित हो सकता है और कारण बता सकता है और उससे प्रश्न पूछने के प्रयोजन के लिए किसी ऐसे साक्षी को जो मामले में उपस्थित हुआ हो, फिर से बुलाया जा सकता है।

(3) तत्पश्चात् {जिला न्यायाधीश}[5] या तो उस सशर्त आदेश को रद्द कर देगा या उसे स्पष्ट कर देगा, ऐसी दशा में वह {नगरपालिका}[6] को नये सिरे से निर्वाचन कार्यवाहियां करने का निदेश देगा।

स्पष्टीकरण–– इस खण्ड में पद 'प्रश्नगत निर्वाचन कार्यवाहियों' और 'सम्पूर्ण कार्यवाहियों' का तात्पर्य ऐसी समस्त कार्यवाहियों (जिनके अन्तर्गत नाम–निर्देशन और निर्वाचन की घोषणा भी होगी) से होगा, जो किसी एक ही मतदान के सम्बन्ध में की गई हो, चाहे ऐसा मतदान किसी कक्ष का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों का चयन करने से या अन्यथा किया गया हो।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 7 वर्ष 1953 द्वारा निकाला गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 35 वर्ष 1978 के अध्याय–तीन की धारा 18 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 17 वर्ष 1982 के अध्याय–तीन की धारा 13 द्वारा निकाला गया।
4. उपर्युक्त की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 15 तथा 16 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

27–– {जिला न्यायाधीश}[2] किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके बारे में यह मालूम हो कि उसने कोई भ्रष्ट आचरण किया है, नगरपालिका का सदस्य निर्वाचित किये जाने या {नगरपालिका}[3] के दान स्वरूप या उसकी व्यवस्था में किसी पद या स्थान पर नियुक्त किए जाने या बने रहने के लिए पांच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए असमर्थ घोषित कर सकता है : (भ्रष्ट आचरण के लिए अनर्हता)

परन्तु यह कि यह घोषणा किसी ऐसे उम्मीदवार के सम्बन्ध में नहीं की जायेगी, जो निर्वाचन याचिका में कोई पक्षकार हो या जिसे धारा 26 के अधीन सुनवाई किये जाने का अवसर न दिया गया हो।

28–– ऐसा व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा – (भ्रष्ट आचरण)

(1) किसी मतदाता को किसी उम्मीदवार के पक्ष में मत देने या मत देने से विरत रहने के लिए कपट, साशय दुव्यपदेशन, प्रपीड़न, क्षति पहुंचाने की धमकी, द्वारा उत्प्रेरित करे या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करें;

(2) किसी उम्मीदवार के पक्ष में मत देने या मत देने से विरत रहने के लिए किसी मतदाता को उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को कोई धन या मूल्यवान प्रतिफल या कोई स्थान या नियोजन देने का प्रस्ताव करे या दे या किसी व्यक्ति को कोई व्यक्तिगत फायदा या लाभ का वचन दे;

(3) किसी ऐसे मतदाता के नाम से जो इस प्रकार मत देने वाला व्यक्ति नहीं है, कोई मत दे या मत उपाप्त करे;

(4) खण्ड (1) (2) और (3) में विनिर्दिष्ट किसी कार्य को करने में भारतीय दण्ड संहिता के अर्थान्तर्गत दुष्प्रेरित करे;

(5) किसी उम्मीदवार अथवा निर्वाचक को ऐसा विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करे या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करे कि वह या अन्य कोई व्यक्ति, जिसमें वह हित रखता है, दैवी अप्रसाद या आध्यात्मिक परिनिन्दा का पात्र हो जायेगा, बना दिया जायेगा;

(6) जाति, सम्प्रदाय, पंथ या धर्म के आधार पर संरचना करे;

(7) कोई ऐसा अन्य कार्य करे, जिसे राज्य सरकार नियम द्वारा भ्रष्ट आचरण विहित करे;

यह समझा जायेगा कि उसने भ्रष्ट आचरण किया है।

स्पष्टीकरण–– 'किसी व्यक्तिगत फायदा या लाभ का वचन' के अन्तर्गत स्वयं उस व्यक्ति के या किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसमें वह हित रखता हो, लाभ का वचन भी है, किन्तु इसके अन्तर्गत नगरपालिका की किसी विशेष कार्यवाही से पक्ष में या विरूद्ध मत देने का वचन नहीं है।

29–– {***}[1]

29–क–– {***}[1]

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 7 वर्ष 1953 द्वारा निकाला गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 17 वर्ष 1982 के अध्याय–तीन की धारा 17 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित

नगरपालिका का नियंत्रण

राज्य सरकार की नगरपालिका को विघटित करने की शक्ति

{30–– यदि किसी समय राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि कोई नगरपालिका इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के द्वारा या उसके अधीन उसस पर अधिरोपित कर्तव्यों के पालन में निरन्तर चूक करती है या अपनी शक्तियों का एक से अधिक बार अतिलंघन या दुरूपयोग करती है तो वह नगरपालिका को कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात् कि ऐसा आदेश क्यों न कर दिया जाय, आदेश द्वारा जिसके साथ तत्सम्बन्धी कारण होंगे, सरकारी गजट में प्रकाशित करके नगरपालिका को विघटित कर सकती है।}[2]

31–– {***}[3]

नगरपालिका के विघटन के परिणाम

{31–क–– (1) जहां धारा 30 के अधीन कोई नगरपालिका विघटित की जाये तो उसके निम्नलिखित परिणाम होंगे –

(क) अध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका के सभी सदस्य आदेश में विनिर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक को सदस्य या अध्यक्ष के रूप में अपना पद रिक्त कर देंगे किन्तु इससे पुनर्निर्वाचन या पुनः नाम–निर्देशन के लिए उनकी पात्रता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़गा;

(ख) नई नगरपालिका का गठन होने तक ––

(एक) नगरपालिका, उसके अध्यक्ष और समितियों को सभी शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों में, जैसा कि राज्य सरकार इस निमित्त नियत करे, निहित होंगे और उनके प्रयोग, सम्पादन और निर्वहन किया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को विधि में अवसर की अपेक्षानुसार नगरपालिका, अध्यक्ष या समिति समझा जायगा;

(दो) ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को वेतन और भत्ता, जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त निश्चित करे, नगरपालिका निधि से दिया जायगा;

(तीन) राज्य सरकार, समय–समय पर, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, ऐसे आनुषंगिक या प्रासंगिक उपबन्ध, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का अनुकूलन, परिवर्तन या परिष्कार करने के भी उपबन्ध हैं, किन्तु जो तत्व पर प्रभाव न डाले, जो उसे इस धारा के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक या इष्टकर हो, कर सकती है।}[4]

स्थानीय निकाय निदेशक

{31–ख–– (1) राज्य सरकार, किसी अधिकारी को स्थानीय निकाय निदेशक, उत्तर प्रदेश नियुक्त करेगी।

(2) इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अभिव्यक्तः समनुदेशित कृत्यों के अतिरिक्त, निदेशक नगरपालिका के कार्यकलापों के सम्बन्ध में राज्य सरकार की ऐसी शक्तियों का (जो धारा 30 के अधीन शक्तियां न हों) जिन्हें राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धों के अधीन (जिसके अन्तर्गत स्वयं उसके द्वारा पुनर्विलोकन की शर्त भी है) जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जायें, उसे प्रत्यायोजित करे, प्रयोग करेगा।}[1]

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 41 वर्ष 1976 के अध्याय–3 की धारा 26 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 102 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 103 द्वारा निकाला गया।
4. उपर्युक्त की धारा 104 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

विहित प्राधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण

32—— विहित प्राधिकारी —

(क) किसी ऐसी स्थावर सम्पत्ति का, जो {नगरपालिका}[3] या संयुक्त समिति के उपयोग या अधिभोग में हो या किसी ऐसे निर्माण कार्य का, जो {नगरपालिका}[3] या ऐसी समिति के निदेश के अधीन किया जा रहा हो, निरीक्षण कर सकता है या किसी ऐसे अधिकारी द्वारा, जो परगनाधिकारी के पद से कम न हो, निरीक्षण करवा सकता है;

(ख) लिखित आदेश द्वारा किसी ऐसी बही या दस्तावेज को, जो {नगरपालिका}[3] या ऐसी समिति के कब्जे में या नियंत्रण में हो, मांग सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है;

(ग) लिखित आदेश द्वारा, {नगरपालिका}[3] या ऐसी समिति की कार्यवाहियों या कर्तव्यों से उपबन्धित ऐसे विवरण, लेखे रिपोर्ट या दस्तावेजों की प्रतियां, जिन्हें वह मंगाना उचित समझे,, प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है; और

(घ) {नगरपालिका}[3] या ऐसी समिति के विचारार्थ नगरपालिका या समिति की कार्यवाहियों या कर्तव्यों के सम्बन्ध में ऐसे संप्रेक्षण लेखबद्ध कर सकता है, जिन्हें वह उचित समझे।

सरकारी अधिकारियों द्वारा {नगरपालिका}[3] के निर्माण कार्यों तथा संस्थाओं का निरीक्षण

33—— किसी ऐसे निर्माण कार्य या संस्था का, जिसका नियम या अनुरक्षण पूर्णतः या अंशतः {नगरपालिका}[3] के व्यय से किया गया हो या किया जाता हो और उससे सम्बन्धित सभी रजिस्टरों, बहियों, लेखे या अन्य दस्तावेजों का सभी समय पर ऐसे अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा, जिन्हें राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे।

राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट को {नगरपालिका}[3] के संकल्प या आदेश के निष्पादन का अग्रेत्तर निष्पादन को प्रतिबंध करने की शक्ति

34—— (1) विहित प्राधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, इस या किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन, {नगरपालिका}[3] या {नगरपालिका}[3] की समिति या संयुक्त समिति द्वारा पारित किसी संकल्प या नगरपालिका या संयुक्त समिति के किसी अधिकारी या सेवक द्वारा पारित दिए गए किसी संकल्प अथवा आदेश के निष्पादन या अग्रेत्तर निष्पादन को प्रतिषिद्ध कर सकता है, यदि उसकी राय में ऐसा संकल्प या आदेश इस प्रकार का है कि उससे जनता को या विधिपूर्वक नियोजित व्यक्तियों के किसी वर्ग या निकाय को कोई बाधा, क्षोभ या क्षति पहुंचे या पहुंचने की सम्भावना है और किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसे संकल्प या आदेश के अनुसरण में या उसके अधीन किसी कार्य के किए जाने या उसका किया जाना जारी रखने का प्रतिशेध कर सकता है।

{(1—क) जिला मजिस्टेट, अपने जिले की सीमाओं के भीतर, लिखित आदेश द्वारा, इस आशय या किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन {नगरपालिका}[3] या {नगरपालिका}[3] की समिति या संयुक्त समिति द्वारा पारित संकल्प या {नगरपालिका}[3] या संयुक्त समिति के किसी अधिकारी या सेवक द्वारा दिए गए आदेश के निष्पादन या अग्रेत्तर निष्पादन को प्रतिषिद्ध कर सकता है, यदि उसकी राय में ऐसा संकल्प या आदेश इस प्रकार का है कि उससे मान जीवन या स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए संकट उत्पन्न हो या उत्पन्न होने की सम्भावना हो या उससे बलवा या दंगा हो या होने की सम्भावना हो और किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे संकल्प या आदेश के अनुसरण में उसके अधीन किसी कार्य के किए जाने या उसका किया जाना जारी रखने का प्रतिषेध कर सकता है।

(1—ख) राज्य सरकार, स्वतः या रिपोर्ट या शिकायत प्राप्त होने पर आदेश द्वारा इस या किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन {नगरपालिका}[3] या {नगरपालिका}[3] की समिति या संयुक्त समिति द्वारा पारित संकल्प या {नगरपालिका}[3] या संयुक्त समिति के किसी अधिकारी या सेवक द्वारा दिए गए आदेश के निष्पादन या अग्रेत्तर निष्पादन को प्रतिषिद्ध कर सकती है, यदि उसकी राय में ऐसा संकल्प या आदेश लोक हित के प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है {या जिसे शक्तियों का दुरुपयोग करके अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों का स्पष्ट भंग करके पारित किया गया है}[2] और किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे संकल्प या आदेश के अनुसरण में या उसके अधीन किसी कार्य के किए जाने या उसका किया जाना जारी रखने का प्रतिषेध कर सकती है।}[1]

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 7 वर्ष 1953 द्वारा जोड़ा गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 27 वर्ष 1964 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय—तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) जहां {***}[2] उपधारा (1) या (1—क) के अधीन कोई आदेश दिया जाय तो उसकी एक प्रतिलिपि उसे दिए जाने के कारणों के विवरणों के साथ विहित प्राधिकारी द्वारा या यथास्थिति विहित प्राधिकारी के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तुरन्त राज्य सरकार को भेजी जायेगी, जो तदुपरान्त यदि वह उचित समझे, उस आदेश को विखण्डित या उपान्तरित कर सकती है।

(3) {***}[3]

(4) जहां किसी संकल्प या आदेश को निष्पादन या अग्रेत्तर निष्पादन उपधारा (1), (1—क) या (1—ख) के अधीन दिए गए आदेश द्वारा प्रतिषिद्ध किया गया हो और वह आदेश प्रवृत्त बना रहे तो नगरपालिका या यदि उक्त उपधारा के अधीन आदेश करने वाले प्राधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाय, यह कर्तव्य होगा कि वह कोई ऐसी कार्यवाही करे, जिसे वह करने का हकदार होता, यदि उक्त संकल्प या आदेश पारित ही न किया गया होता या दिया ही न गया होता और जो किसी व्यक्ति को उस संकल्प या आदेश के अधीन जिसका अग्रेत्तर निष्पादन प्रतिषिद्ध किया गया हो, कोई कार्य करने या करना जारी रखने से रोकने के लिए आवश्यक है।

नगरपालिका के चूक करने की दशा में {राज्य सरकार}[3] और विहित प्राधिकारी की शक्ति

35—— (1) यदि किसी भी समय अभ्यावेदन किये जाने पर या अन्यथा {राज्य सरकार}[4] को यह प्रतीत हो कि नगरपालिका इस या किसी अन्य अधिनियमित द्वारा या के अधीन अधिरोपित किसी कर्तव्य का पालन करने में चूक या इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियमित द्वारा प्राप्त किसी शक्ति का प्रयोग करके {राज्य सरकार}[4] द्वारा दिए गए किसी आदेश या जारी किये गये किसी निदेश का पालन करने में चूक की है तो {राज्य सरकार}[4] नगरपालिका से स्पष्टीकरण मांगने और इस धारा के अधीन कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में नगरपालिका द्वारा उक्त कर्तव्य का पालन करने या उक्त आदेश या निदेश के निष्पादन के लिए कोई अवधि निश्चित कर सकती है।

(2) यदि उक्त कर्तव्य का पालन या आदेश अथवा निदेश का निष्पादन इस प्रकार निश्चित की गई अवधि के भीतर न किया जाय तो यथास्थिति, राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट को या किसी ऐसे अन्य अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से निम्न पंक्ति का न हो, उसका पालन करने के लिए नियुक्त कर सकता है और यह निदेश दे सकती है कि उक्त कर्तव्य का पालन करने या आदेश या निदेश का निष्पादन करने में होने वाले व्यय का (यदि कोई हो) नगरपालिका द्वारा ऐसे समय के भीतर, जो नियत किया जाय, जिला मजिस्ट्रेट को भुगतान किया जायेगा।

(3) यदि उक्त व्यय का इस प्रकार भुगतान न किया जाये तो जिला मजिस्ट्रेट, यथास्थिति राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से आदेश द्वारा उस व्यक्ति को, जिसकी अभिरक्षा में नगरपालिका निधि हो, ऐसी निधि से उक्त व्यय का भुगतान करने का निदेश दे सकता है।

आपातकालीन स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट की असाधारण शक्तियां

36—— (1) आपातकालीन स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट विहित प्राधिकारी की अनुमति से, किसी भी ऐसे निर्माण कार्य के निष्पादन या ऐसे कार्य के सम्पन्न किये जाने की व्यवस्था कर सकता है, जिसके निष्पादन या सम्पन्न करने की नगरपालिका को शक्ति प्राप्त हो और उसकी राय में, जिसका तात्कालिन निष्पादन या सम्पन्न किया जाना {जनता की सुरक्षा, संरक्षण या सुविधा के लिए आवश्यक हो}[1] और यह निदेश दे सकता है कि निर्माण कार्य के निष्पादन का कार्य सम्पन्न किये जाने से सम्बन्धित व्यय का नगरपालिका द्वारा तुरन्त भुगतान किया जायेगा।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 27 वर्ष 1964 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 105 (क) द्वारा निकाला गया।
3. उपर्युक्त की धारा 105 (ख) द्वारा निकाला गया।
4. उपर्युक्त की धारा 106 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय—तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) यदि उक्त व्यय का इस प्रकार भुगतान न किया जाय तो जिला मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा उस व्यक्ति को, जिसकी अभिरक्षा में नगरपालिका निधि हो, ऐसी निधि से उक्त व्यय का भुगतान करने का निदेश दे सकता है।

(3) जिला मजिस्ट्रेट तुरन्त ऐसे प्रत्येक मामले की, जिसमें वह इस धारा द्वारा उसे प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करे, विहित प्राधिकारी को तुरन्त रिपोर्ट करेगा।

नगरपालिका के सदस्य

सदस्यों और अध्यक्ष को पारिश्रमिक देने का प्रतिषेध

37—— किसी नगरपालिका के सदस्य या अध्यक्ष को सिवाय राज्य सरकार की स्वीकृति के या इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार, किसी प्रकार का पारिश्रमिक या यात्रा भत्ता स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचित {या नाम—निर्दिष्ट}[2] सदस्यों की पदावधि

38—— किसी आकस्मिक रिक्ति को या ऐसी रिक्ति को भरने के लिए, जो सामान्य निर्वाचन के समय न भरी गयी हो, निर्वाचित {या नाम—निर्दिष्ट}[3] सदस्य की पदावधि इस अधिनियम के अधीन उसका निर्वाचन {या नाम—निर्दशन}[4] घोषित किये जाने पर प्रारम्भ होगी और नगरपालिका की शेष कार्यकाल तक के लिए होगी।

38—क —— {***}[1]

सदस्यों का त्याग—पत्र

39—— यदि अध्यक्ष से भिन्न नगरपालिका का कोई सदस्य लिखकर अपने हस्ताक्षर से राज्य सरकार को सम्बोधित करके अपना त्याग—पत्र देता है तो तदुपरान्त उसका स्थान रिक्त हो जायेगा। त्याग—पत्र उस जिले के, जिसमें नगरपालिका स्थित हो, जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में दिया जायेगा, जो इसकी सूचना तुरन्त अध्यक्ष को देगा और त्याग—पत्र को राज्य सरकार के पास भेज देगा।

सदस्यों का हटाया जाना

40—— (1) {राज्य सरकार}[5], निम्नलिखित किसी भी आधार पर नगरपालिका के सदस्य को हटा सकती है ——

(क) वह नगरपालिका की स्वीकृति प्राप्त किये बिना लगातार तीन मास से अधिक तक नगरपालिका के अधिवेशनों में या लगातार तीन अधिवेशनों में इनमें, जो भी अवधि अधिक हो, अनुपस्थित रहा है:

परन्तु जिस अवधि में सदस्य विचाराधीन बन्दी निरूद्धबन्दी या राजनीतिक बन्दी के रूप में कारावास में रहा हो, उसकी गणना नहीं की जायेगी;

(ख) उसने धारा 12—घ और 13—घ में वर्णित कोई अनर्हता उपगत कर ली हो;

(ग) उसने धारा 82 के अर्थ में, नगरपालिका द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या भागीदार के द्वारा जानबूझकर कोई अंश या हित, चाहे वह धन सम्बन्धी हो या किसी अन्य प्रकार का हो, अर्जित किया हो या उसे धृत रखा हो;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 17 वर्ष 1934 द्वारा निकाला गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 107 (क) द्वारा अन्तर्विष्ट।
3. उपर्युक्त की धारा 107 (ख) द्वारा अन्तर्विष्ट।
4. उपर्युक्त की धारा 107 (ग) द्वारा अन्तर्विष्ट।
5. उपर्युक्त की धारा 108 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय—तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

(घ) उसने धारा 82 में निर्दिष्ट विषय से भिन्न किसी ऐसे विषय में, जिसमें उसका या भागीदार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, कोई निजी हित रहा हो, चाहे वह धन सम्बन्धी हो या किस अन्य प्रकार का हो या जिनमें वह किसी मुवक्किल, मालिक या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से वृत्तिक रूप से हितबद्ध रहा हो, जानबूझकर सदस्य के रूप में कार्य किया हो;

(ङ) वह विधि व्यवसायी होने के कारण अपनी सदस्यता की अवधि में नगरपालिका के विरूद्ध या नगरपालिका के प्रबन्ध में सौपी गई किसी नजूल भूमि के सम्बन्ध में राज्य सरकार के विरूद्ध किसी व्यक्ति की ओर से, किसी वाद या कार्यवाही में कार्य करे या उपस्थित हो या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए उसकी ओर से, जिसके विरूद्ध नगरपालिका द्वारा या उसकी ओर से कोई आपराधिक कार्यवाही संस्थित की गयी हो, कोई कार्य करे या उपस्थित हो;

(च) उसने सम्बद्ध नगरपालिका क्षेत्र में अपने सामान्य निवास स्थान का परित्याग कर दिया है या स्वेच्छा से या अन्यथ वहां से अपना निवास स्थान स्थानान्तरित कर दिया है, जब तक कि सदस्य स्वयं अपने निवास स्थान का इस प्रकार परित्याग या स्थानान्तरण करने के तीन मास के भीतर अपने पद से त्याग–पत्र दे दे;

(छ) वह नगरपालिका के अधिवेशनों में बार–बार कदाचार या विच्छृंखलता को दोषी रहा और तदर्थक शिकायत अध्यक्ष या किसी सदस्य द्वारा राज्य सरकार को की गई हो;

{(ज) वह सदस्य के रूप में या उपाध्यक्ष के अध्यक्ष के रूप में या अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपाध्यक्ष के रूप में किसी अन्य दुराचारण का दोशी है, चाहे वह उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् किया गया हो।}[1]

(2) {***}[3]

{(3) राज्य सरकार नगरपालिका से किसी सदस्य को हटा सकेगी, जिसने उसकी राय में नगरपालिका के वर्तमान या अन्तिम पूर्ववर्ती कार्यकाल में सदस्य होते हुए, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या किस समिति के सभापति या किसी अन्य हैसियत से उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् कार्य करते हुए अपने पद का इतना घोर दुरुपयोग किया है या इस अधिनियम या किसी नियम, विनियम या उपविधि के उपबन्धों का जान–बूझकर इतना उल्लंघन किया है या नगरपालिका की निधि या सम्पत्ति की इतनी हानि या क्षति पहुंचाई है कि वह सदस्य बने रहने के लिए अयोग्य हो गया है।}[2]

(4) परन्तु {जब राज्य सरकार}[4] इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों के अधीन कार्यवाही करने का विचार करे तो सम्बद्ध सदस्य को स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जायेगा और जब ऐसी कार्यवाही हो जाय तो उसके कारणों को अभिलिखित किया जायेगा।

(5) {***}[5]

{(6) किन्हीं पूर्वगामी शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी आधार पर सदस्य को हटाने के बजाय उसे चेतावनी दे सकती है।}[6]

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 41 वर्ष 1976 के अध्याय–3 की धारा 27 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 27 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 108 (ख) द्वारा निकाला गया।
4. उपर्युक्त की धारा 108 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 108 (घ) द्वारा निकाला गया।
6. उपर्युक्त की धारा 108 (ङ) द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

41—— (1) पूर्ववर्ती धारा की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन हटाया गया कोई सदस्य, यदि अन्यथा अर्ह हो, फिर से निर्वाचित या नाम—निर्देशित किये जाने का पात्र होगा।

धारा 40 के अधीन हटाए गए सदस्यों की निर्योग्यताएं

(2) पूर्ववर्ती धारा की उपधारा (1) के खण्ड तक कि (ख) के अधीन हटाया गया कोई सदस्य तब तक इस प्रकार पात्र नही होगा जब तक कि उसकी निर्योग्यता समाप्त न हो जाय।

(3) पूर्ववर्ती धारा की उपधारा (3) के अधीन हटाया गया कोई सदस्य, अपने हटाए जाने के दिनां से पांच वर्ष की अवधि तक इस प्रकार पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह कि राज्य सरकार पर्याप्त कारणों से किसी व्यक्ति कोई इस निर्योग्यता से मुक्त कर सकती है।

(4) पूर्ववर्ती धारा के किसी उपबन्ध {***}[3] के अधीन हटाया गया कोई सदस्य तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि ऐसे कारणों से जो विनिर्दिष्ट किये जायेंगे, यह घोषित न कर दिया जाय कि अब अपात नहीं है और उसे राज्य सरकार के आदेश से इस प्रकार घोषित किया जा सकता है।

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

42 —— {***}[1]

{43—— (1) अध्यक्ष नगरपालिका क्षेत्र में निर्वाचक द्वारा मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किया जायेगा।

अध्यक्ष का निर्वाचन

(2) बहिर्गामी अध्यक्ष पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा।

(3) किसी सदस्य के निर्वाचन के सम्बन्ध में (जिसके अन्तर्गत निर्वाचन और निर्वाचन अपराध से सम्बन्धित विवाद भी है) इस अधिनियम के उपबन्ध और तद्धीन बनाए गए निगम अध्यक्ष के निर्वाचन के सम्बन्ध में आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(4) यदि किसी सामान्य निर्वाचन में कोई व्यक्ति नगरपालिका के सदस्य और अध्यक्ष दोनों की रूप में निर्वाचित हो जाये या नगरपालिका सदस्य होते हुए किसी उप—निर्वाचन में अध्यक्ष निर्वाचित हो जाये तो वह धारा 49 में यथा उपबन्धित के सिवाय, अध्यक्ष निर्वाचित होने के दिनांक से सदस्य न रह जायेगा।}[4]

{43—क—— कोई व्यक्ति नगरपालिका और किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी दोनों का एक ही समय में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष न होगा :

भिन्न—भिन्न स्थानीय प्राधिकारियों के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद एक साथ धारण करने के सम्बन्ध में रोक

परन्तु यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक स्थानीय प्राधिकारियों के किसी ऐसे या उसी तरह के किसी पद पर निर्वाचित हो जाय तो वह अपने विकल्प से एक स्थानीय प्राधिकारी में पद धारण करता रहेगा और अन्य प्राधिकारियों में विहित अवधि के भीतर, त्याग—पत्र दे देगा।

43—कक—— {(1) कोई व्यक्ति किसी {नगरपालिका}[5] का अध्यक्ष चुने जाने के लिए अर्ह न होगा जब तक कि वह ——

अध्यक्ष पद के लिए अर्हताएं

(क) सम्बन्धित {नगरपालिक}[5] किसी कक्ष का निर्वाचक न हो; और

(ख) अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित किये जाने के लिए उम्मीदवार के रूप में अपने नाम—निर्देशन के दिनांक को तीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो।}[2]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 7 वर्ष 1953 द्वारा निकाला गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 35 वर्ष 1978 के अध्याय—तीन की धारा 20 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 109 द्वारा निकाला गया।
4. उपर्युक्त की धारा 110 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 111 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय—तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी नगरपालिका का अध्यक्ष चुने जाने या होने के लिए अहर्न होगा, यदि वह ——

(क) धारा 13 घ के {(क) से (छ) तक और (छ) से (ट), {(ठ), (ड), (ढ), (ण) तथा (त)}[8] तक ये उल्लिखित}[3] किसी अनर्हता के कारण अनर्ह हो या हो गया हो और ऐसी अनर्हता उक्त धारा के अधीन न तो समाप्त हुई हो और हटाई गई हो ;

(ख) {***}[2]

(3) {***}[4] }[1]

{43–ख —— {***}[5]

याचिका का अन्तरण

43–खख —— (1) धारा 20 की उपधारा (5) {***}[6] के अधीन प्रस्तुत किसी निर्वाचन याचिका के किसी पक्षकार के आवेदन–पत्र और उसके अन्य पक्षकारों को नोटिस के पश्चात् और उनमें से ऐसे पक्षकारों की, जो चुने जाने की इच्छा प्रकट करें, सुनवाई करने के पश्चात् या स्वयंमेव, ऐसी नोटिस के बिना उच्च न्यायालय किसी प्रक्रम पर ——

(क) किसी जिला न्यायाधीश के समक्ष विचार के लिए लम्बित किसी निर्वाचन याचिका का अन्तरण किसी जिला न्यायाधीश को कर सकता है; या

(ख) उसे उस जिला न्यायाधीश को जिससे उसे वापस लिया गया था, विचारण के लिए पुनः अन्तरिम कर सकता है।

(2) जिला न्यायाधीश इस अधिनियम के अधीन अपने समक्ष लम्बित किसी निर्वाचन याचिका का किसी प्रक्रम पर अन्तरण किसी जिला न्यायाधीश को कर सकता है और किसी अपर जिला न्यायाधीश के समक्ष लम्बित किसी निर्वाचन याचिका को वापस कर सकत है और ——

(एक) उसका अन्तरण या निस्तारण कर सकता है; या

(दो) विचारण या निस्तारण के लिए अन्तरण किसी अन्य अपर जिला न्यायाधीश को कर सकता है;

(तीन) विचारण या निस्तारण के लिए उसका पुनः अन्तरण उस न्यायालय को कर सकता है, जिससे उसे वापस लिया गया था।

(3) जहां उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी निर्वाचन याचिका का अन्तरण या पुनः अन्तरण किया गया हो, वहां जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश, जो तत्पश्चात् ऐसी याचिका का विचारण करे, अन्तरण के आदेश में किसी प्रतिकूल निदेश के अधीन रहते हुए उस बिन्दु से कार्यवाही करेगा, जिस पर उसे अन्तरित किया गया था या पुनः अन्तरित किया गया था :

परन्तु यदि वह उचित समझे तो पहले ही परीक्षित किसी साक्षी को पुनः बुला सकता है और उसका पुनः परीक्षण कर सकता है।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 7 वर्ष 1949 द्वारा धारा 43–क एवं 43–कक बढ़ाया गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 7 वर्ष 1953 द्वारा निकाला गया।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 111(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 111 (ग) द्वारा निकाला गया।
5. उपर्युक्त की धारा 112 द्वारा निकाला गया।
6. उपर्युक्त की धारा 113 द्वारा निकाला गया।
7. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।
8. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 13 वर्ष 2002 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।

अध्यक्ष के निर्वाचन के सम्बन्ध में आदेश देने की शक्ति

{43–ग–– {जहां तक निम्नलिखित विषयों में से किसी संबंध में इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उपबन्ध न किया जाय, राज्य निर्वाचन आयोग}[6] आदेश द्वारा, अध्यक्ष के निर्वाचन के संचालन से {***}[3] सम्बन्धित निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में उपबन्ध कर सकती है, अर्थात् ––

(क) रिटर्निंग आफिसर की नियुक्ति, शक्ति और कर्तव्य;

(ख) नाम–निर्देशन, समीक्षा, नाम वापस लेने और मतदान के लिए दिनांक नियत करना;

(ग) नाम–निर्देशन, पत्र प्रस्तुत करने की रीति और उसका प्रपत्र, विधिमान्य नाम–निर्देशन के लिए अपेक्षाएं नाम–निर्देशन की संवीक्षा और उम्मीदवारी से नाम वापस लेना;

(घ) निर्वाचन की प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत मतदान के पूर्व किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाना भी है और सविरोध और निर्विरोध निर्वाचनों की प्रक्रिया;

(ङ) मतदान के घन्टे और मतदान का स्थगन;

(च) निर्वाचन में मतदान की रीति;

(छ) मतों की संवीक्षा और गणना, जिसके अन्तर्गत मतों की पुनर्गणना भी है और मत बराबर–बराबर होने की स्थिति में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ज) परिणाम की घोषणा और अधिसूचना;

(झ) नाम–निर्देशन के साथ प्रतिभूति जमा करना और उसकी वापसी और उसका समपहरण;

(ञ) से (द) {***}[4] }[2]

राज्य निष्ठा और पद की शपथ

{43–घ–– (1) नगरपालिका का अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य नगरपालिका के अधिवेश्न में अपना स्थान ग्रहण करने के पूर्व निम्नलिखित रूप में संविधान के प्रति अपनी राजनिष्ठा की शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा ––

''मैं, क ख, इस नगरपालिका का अध्यक्ष/सदस्य निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूं/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि विधि द्वारा स्थापित ''भारत का संविधान'' के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखण्डता को बनाए रखूंगा और मैं, सद्भावपूर्वक और निष्ठापूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, जिन्हें मैं करने वाला हूं।''

(2) अध्यक्ष या सदस्य, जो अपने पद की अवधि से आरम्भ होने के दिनांक से तीन मास के भीतर अथवा उक्त दिनांक के पश्चात् नगरपालिका के प्रथम तीन बैठकों में से किसी एक में, जो भी पश्चात्वर्ती हो, जब तक कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यह अवधि बढ़ा न दी जाये, उपधारा (1) में अधिकथित और उसकी अपेक्षानुसार शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने में चूक करेगा, अपने पद पर न रह जायेगा और उसका स्थान रिक्त हुआ समझा जायेगा।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1964 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 17 वर्ष 1982 के अध्याय–तीन की धारा 20 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 114 (ख) द्वारा निकाला गया।
4. उपर्युक्त की धारा 114 (ग) द्वारा निकाला गया।
5. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उपर्युक्त की धारा 48 द्वारा प्रतिस्थापित।

(3) कोई व्यक्ति, जिससे उपधारा (1) के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने की अपेक्षा की गई हो, नगरपालिका की बैठक में अपना स्थान ग्रहा नहीं करेगा आथवा नगरपालिका के सदस्य या अध्यक्ष के रूप में कोई कार्य नहीं करेगा, जब तक कि उसने उपधारा (1) में अभिकथित शपथ न ले ली हो या प्रतिज्ञान न कर लिया हो और हस्ताक्षर न कर लिया हो।}[3]

44—— {***}[2]

{44—क—— यदि मृत्यु या त्याग—पत्र दिए जाने या किसी अन्य कारण से अध्यक्ष के पद में आकस्मिक रिक्ति हो जाये तो तत्पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, किन्तु उक्त रिक्ति होने के दिनांक से तीन मास के भीतर, धारा 43 में उपबन्धित रीति से, अध्यक्ष निर्वाचित किया जायेगा।}[6] अध्यक्ष का उपनिर्वाचन

45—— {***}[5]

{46—— (1) इस अधिनियम में अन्यथा की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष की पदावधि, नगरपालिका के कार्यकाल के साथ समाप्त होगी। अध्यक्ष की पदावधि

(2) आकस्मिक रिक्ति में निर्वाचित अध्यक्ष की पदावधि उसके पूर्वाधिकारी की पदावधि से शेष भाग के लिए होगी।}[4]

46—क—— {***}[1]

47—— {(1) नगरपालिका का अध्यक्ष, जो पद त्याग करना चाहे, अपना लिखित त्याग—पत्र जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्य सरकार को भेज देगा।}[7] अध्यक्ष का त्याग—पत्र

(2) नगरपालिका द्वारा यह सूचना प्राप्त होने पर कि त्याग—पत्र, {राज्य सरकार}[8] द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है, ऐसे अध्यक्ष के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है।

{47—क—— {***}[10]

48—— (1) {***}[2] अध्यक्ष का हटाया जाना

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5 वर्ष 1932 द्वारा निकाला गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 7 वर्ष 1949 द्वारा निकाला गया।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 77 वर्ष 1964 द्वारा बढ़ाया गया।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 41 वर्ष 1976 के अध्याय—3 की धारा 30 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 35 वर्ष 1978 के अध्याय—तीन की धारा 21 द्वारा निकाला गया।
6. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 115 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उपर्युक्त की धारा 116 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
8. उपर्युक्त की धारा 116 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
9. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय—तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।
10. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 11 वर्ष 2005 की धारा 3 द्वारा निरसित।

(2) {जहां राज्य सरकार को, किसी भी समय यह विश्वास करने का कारण हो कि –

(क) अध्यक्ष ने अपना कर्तव्य पालन करने में चूक की है; या
(ख) अध्यक्ष ने ––

(एक) धारा 12–घ और 43–कक में उल्लिखित कोई अनर्हता प्राप्त कर ली है; या

(दो) धारा 82 के अर्थ में, नगरपालिका द्वारा या उसकी ओर से, किसी संविदा या सेवायोजन में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी भागीदार द्वारा, कोई अंश या हित, चाहे धन सम्बन्धी हो या किसी अन्य प्रकार का हो, जान–बूझकर अर्जित किया है या चालू रखता है; या

(तीन) धारा 82 की उपधारा (2) के खण्ड (क) से (छ) में निर्दिष्ट विषय से भिन्न किसी अन्य अंश या हित, चाहे धन सम्बन्धी हो या किसी अन्य प्रकृति का हो या जिसमें उसका हित किसी मुवक्किल मालिक या अन्य व्यक्ति की ओर से वृत्तिक रूप में था, जानबूझकर अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य किया है; या

(चार) विधि व्यवसायी होने के कारण, नगरपालिका के प्रबन्ध में सौपी गई किसी नजूल भूमि के सम्बन्ध में, किसी व्यक्ति की ओर से किसी वाद या अन्य कार्यवाही में नगरपालिका के विरूद्ध या राज्य सरकार के विरूद्ध कार्य किया है या उपस्थित नगरपालिका द्वारा उसी ओर से कोई आपराधिक कार्यवाही संस्थित की गई हो, कार्य किया है या उपस्थित हुआ है; या

(पांच) सम्बद्ध नगरपालिका क्षेत्र में अपने सामान्य निवास स्थान का परिणाम कर दिया है; या

(छः) अपने कर्तव्यों के निर्वाहन में गम्भरी अवचार का दोषी है; या}[2]

{(सात) नगरपालिका के वर्तमान या अन्तिम पूर्ववर्ती कार्यकाल में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में या किसी समिति के सभापति या सदस्य के रूप में या किसी अन्य हैसियत से, उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् कार्य करते हुए अपने पद का इतना घोर दुरुपयोग किया है या इस अधिनियम या किसी नियम, विनियम या उपविधि के उपबन्धों का जानबूझकर इतना उल्लंघन किया है या नगरपालिका की निधि या सम्पत्ति को ऐसी हानि या क्षति पहुंचायी है कि वह अध्यक्ष बने हरने के आयोग्य हो जाता है; या

(आठ) चाहे अध्यक्ष के रूप में या अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपाध्यक्ष के रूप में या उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में किसी अन्य दुराचरण का अपराध उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ या पश्चात् किया है;

तो राज्य सरकार उससे नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर यह कारण बताने की अपेक्षा कर सकेगी कि उसे क्यों न पद से हआ दिया जाये;}[3]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 7 वर्ष 1949 द्वारा निकाला गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 27 वर्ष 1964 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 41 वर्ष 1976 के अध्याय–3 की धारा 31 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

{(नौ) नगरपालिका की किसी सम्पत्ति को हानि या क्षति पंहुचायी हो; या

(दस) नगरपालिका की निधि का दुर्विनियोग या दुरुपयोग किया है; या

(ग्यारह) नगरपालिका के हित के प्रतिकूल कार्य किया है; या

(बारह) इस अधिनियम के उपबन्धों या उसके अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन किया है; या

(तेरह) नगरपालिका की बैठक में इस प्रकार से बाधा उत्पन्न की है कि किसी बैठक में नगरपालिका का कार्य संचालन असंभव हो जाता है या ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित किया है; या

(चौदह) इस अधिनियम के अधीन दिए गए राज्य सरकार के किसी आदेश या निर्देश का जानबूझकर उल्लंघन किया है; या

(पन्द्रह) नगरपालिका के अधिकारियों या कर्मचारियों के साथ बिना किसी न्यायोचित कारण के दुर्व्यवहार किया है; या

(सोलह) नगरपालिका की किसी सम्पत्ति का उसके बाजार मूल्य पर व्ययन किया है; या

(सत्रह) नगरपालिका की भूमि, भवन या किसी अन्य अचल सम्पत्ति पर अतिक्रमण किया है, किसी अन्य को अतिक्रमण करने में सहायता की है या प्रेरित किया है।}[6]

(3) {***}[3]

अध्यक्ष का सदस्य होना }[4]

{49—— नगरपालिका का अध्यक्ष नगरपालिका का पदेन सदस्य होता है।}[4]

{नगरपालिका}[2] के कृत्य, जिनका निर्वहन अध्यक्ष द्वारा अवश्य किया जायेगा

50—— {नगरपालिका}[2] के अध्यक्ष द्वारा नगरपालिका की निम्नलिखित शक्ति का प्रयोग किया जा सकेगा और {धारा 53 और 53—क के उपबन्धों के अधीन रहते हुए}[1] न कि अन्यथा, कर्तव्यों का पालन और कृत्यों का निर्वहन किया जायेगा; अर्थात्—

(क) धारा 70, 74 और धारा 75 और 76 के परन्तुकों द्वारा अध्यक्ष में निहित, {नगरपालिका}[2] के सेवकों को नियुक्त करने, दण्ड देने या पदच्युत करने की शक्ति;

(ख) इस निमित्त किसी विनियम के अनुसार नगरपालिका के सेवकों को सेवा, स्थानान्तरण, अवकाश, वेतन विशेषाधिकार और मतों के सम्बन्ध में उद्भूत प्रश्नों का अवधारण;

(खख) {नगरपालिका}[2] के समस्त अधिकारियों और निर्माण कार्य का सामान्य पर्यवेक्षण;

(ग) विहित प्राधिकारी की धारा 32 के अधीन विवरण—पत्र, लेखा, रिपोर्ट या दस्तावेज की प्रतिलिपि का और धारा 94 की उपधारा (4) और (5) और धारा 108 की उपधारा (1) के अधीन {नगरपालिका}[2] द्वारा या {नगरपालिका}[2] की किसी समिति द्वारा पारित संकल्प की प्रतिलिपि का प्रस्तुत किया जाना;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 27 वर्ष 1964 द्वारा निकाला गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 118 द्वारा निकाला गया।
4. उपर्युक्त की धारा 119 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय—तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 11 वर्ष 2005 की धारा 4 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।

(घ) अनुसूची 1 के स्तम्भ तीन में निर्दिष्ट शक्ति, कर्तव्य और कृत्य, जो धारा 112 के अधीन {नगरपालिका}[3] द्वारा अध्यक्ष को प्रतिनिहित किये गये हों; और

(ङ) {नगरपालिका}[3] निम्नलिखित को छोड़कर सभी अन्य कर्तव्य, शक्ति और कृत्य ——

(एक) जहां कार्यपालक अधिकारी हो, ऐसे कर्तव्य, शक्तियों और कृत्य, जो धारा 60 द्वारा कार्यपालक अधिकारों में निहित किये गये हों और जहां स्वास्थ्य अधिकारी हों, ऐसे कर्तव्य, शक्ति और कृत्य, जो धारा 60—क द्वारा स्वास्थ्य अधिकारों में निहित किये गये हों;

(दो) अनुसूची 1 के दूसरे स्तम्भ में विनिर्दिष्ट कर्तव्य, शक्ति और कृत्य; और

(तीन) धारा 112 के अधीन {नगरपालिका}[3] द्वारा प्रतिनिहित कर्तव्य, शक्ति और कृत्य।

अध्यक्ष के अतिरिक्त कर्तव्य

51—— अध्यक्ष का यह भी कर्तव्य और शक्ति होगी कि वह——

(क) जब तक इस अधिनियम द्वारा अन्यथा उपबन्धित न हो या युक्तिसंगत रुकावट न हो;

(एक) {नगरपालिका}[3] की समस्त बैठकों को बुलाए और उनकी अध्यक्षता करे;

(दो) {***}[1]

(तीन) इस निमित्त बनाए गए किसी विनियम के अनुसार {नगरपालिका}[3] की सभी बैठकों में कार्य संचालन का अन्यथा नियंत्रण करें;

(ख) {नगरपालिका}[3] के वित्तीय प्रशासन की देख—रेख और कार्यपालिका प्रशासन का अधीक्षण करे और उनमें किसी त्रुटि की और {नगरपालिका}[3] का ध्यान आकृष्ट करे; और

(ग) ऐसे अन्य कर्तव्य का पालन करे, जो इस या किस अन्य अधिनियम के द्वारा या अधीन उससे अपेक्षित हों या उस पर अधिरोपित किये गये हों।

सामान्य लोकहित के प्रश्न पर अध्यक्ष काा राज्य सरकार के पत्र व्यवहार करने का प्राधिकार}[2]

{51—क—— अध्यक्ष, राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग से सामान्य लोकहित के किसी प्रश्न पर विहित रीति से पत्र व्यवहार कर सकता है।

अध्यक्ष से रिपोर्ट आदि की अपेक्षा करने की {नगरपालिका}[3] की शक्ति

52—— (1) {नगरपालिका}[3], अध्यक्ष से निम्नलिखित को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है —

(क) नगरपालिका के प्रकाशन से सम्बन्धित किसी विषय के सम्बन्ध में कोई विवरणी कथन, प्राक्कलन, आकडें या अन्य सूचना;

(ख) किसी ऐसे मामले में कोई रिपोर्ट स्पष्टीकरण; और

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 वर्ष 1942 द्वारा निकाला गया।
2. उपर्युक्त की धारा द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय—तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ग) किसी ऐसे अभिलेख, पत्र व्यवहार या योजना या अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि, जो अध्यक्ष की हैसियत से उसके कब्ले या नियंत्रण में हो या जो उसके कार्यालय में या किसी नगरपालिका सेवक के कार्यालय में अभिलिखित या दाखिल की गई हो।

(2) अध्यक्ष, अयुक्ति संगत विलम्ब के बिना उपधारा (1) के अधीन की गई प्रत्येक अपेक्षा का अनुपालन करेगा।

(3) इस धारा की या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि वह नगरपालिका को ऐसे विनियम बनाने से रोकती है, जिससे सदस्यों को नगरपालिका की बैठकों में ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन, जो विनियम में विहित किये जायं, प्रश्न पूछने के लिए प्राधिकृत किया जाये।

अध्यक्ष द्वारा अपनी शक्ति और कर्तव्य का उपाध्यक्ष को प्रत्यायोजन

53—– (1) अध्यक्ष सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, धारा 51 के खण्ड (क) और (ख) में निर्दिष्ट शक्ति, कर्तव्य और कृत्य के सिवाय अपनी किसी एक या अधिक शक्तियों, कर्तव्यों या कृत्यों को अपने नियंत्रणाधीन किसी उपाध्यक्ष को प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकता है।

(2) उपाध्यक्ष द्वारा उपधारा (1) के अधीन दिए गए आदेश में किसी शक्ति के प्रयोग, किसी कर्तव्य के पालन या किसी कृत्य के निर्वहन के सम्बन्ध में कोई शर्त लगाई जा सकती है और कोई निर्बन्धन लगाया जा सकता है।

(3) विशेष रूप से ऐसे आदेश में यह शर्त लगाई जा सकती है कि उपाध्यक्ष ने उपधारा (1) द्वारा उसे प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में जो आदेश दिया है, उसका विखण्डन या पुनरीक्षण अध्यक्ष को विनिर्दिष्ट अवधि में प्रस्तुत अपील में अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

अध्यक्ष द्वारा धारा 50 के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रत्यायोजन

53—क—– (1) अध्यक्ष, धारा 50 के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट शक्तियों में से एक या अधिक शक्ति का प्रयोगन अपने नियंत्रण के अधीन करने के लिए, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा नगरपालिका के किसी सेवक को सशक्त कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन अध्यक्ष के आदेश में किसी शक्ति के प्रयोग के सम्बन्ध में कोई शर्त विहित की जा सकती है और कोई निर्बन्धन लगाया जा सकता है।

(3) नगरपालिका के सेवक द्वारा उपधारा (1) के अधीन उसे प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में दिया गया आदेश, अध्यक्ष द्वारा विखण्डित या पुनरीक्षित किया जा सकेगा।

उपाध्यक्ष का निर्वाचन, उसकी पदावधि और त्याग—पत्र

54—– (1) प्रत्येक नगरपालिका में एक उपाध्यक्ष होगा, जो नगरपालिका के अध्यक्ष, निर्वाचित सदस्यों, पदेन सदस्यों और नाम—निर्दिष्ट सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मण्डल द्वारा नगरपालिका के निर्वाचित सदस्यों में से निर्वाचित होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गूढ़—शलाका द्वारा होगा।

{(2) किसी भी उपाध्यक्ष के पद का कार्यकाल, उसके निर्वाचन के दिनाँक से एक वर्ष या नगरपालिका के सदस्य के रूप में उसके पद के कार्यकाल की शेष अवधि, इनमें जो भी कम हो, होगा।}[1]

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 120 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय—तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

(3) उपाध्यक्ष, जो परित्याग करना चाहे, अपने इस आशय की लिखित सूचना अध्यक्ष को भेज सकता है और नगरपालिका द्वारा उसका त्याग—पत्र स्वीकृत कर लिए जाने पर यह समझा जायेगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है।

{(4) उपधारा (1), (2) और (3) के अधीन उपाध्यक्ष का निर्वाचन, यथास्थित, नगरपालिका के सम्यक् गठन के दिनांक से, जैसा कि धारा 56 के अधीन अधिसूचित किया जाए या रिक्ति के दिनांक से तीन मास के भीतर पूरा किया जायेगा।}[2]

कतिपय आकस्मिकताओं में अध्यक्ष की शक्ति आदि का प्रयोग करने के लिए व्यवस्था और उपाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया

[1]{54—क—— {(1) जहां कोई व्यक्ति अध्यक्ष निर्वाचित किये जाने पर कार्य करने में असफल रहता है या उससे इन्कार करता है या कार्य करने में अन्यथा असमर्थ रहता है या धारा 44—क के अर्थान्तर्गत अध्यक्ष के पद में कोई आकस्मिक रिक्ति होती है और इस अधिनियम के अनुसार कोई उपाध्यक्ष निर्वाचित नहीं हुआ है या कोई उपाध्यक्ष अन्यथा कार्य करने के लिए नहीं है, वहां अध्यक्ष की शक्तियों और कृत्यों का, जब तक कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कृत्य करने के योग्य न हो जायें, प्रयोग और निर्वहन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्ति डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा किया जायेगा और ऐसा अधिकारी प्रशासक कहलायेगा {और उसमें अध्यक्ष की सभी शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य निहित होंगे और उसके द्वारा उनका प्रयोग, सम्पादन और निर्वहन किया जायेगा।}[4]

(2) धारा 54 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए बैठक नगरपालिका के कार्यकाल में और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियत दिनांक को और समय पर होगी। बैठक और उसके लिए नियत दिनांक और समय की नोटिस बैठक के लिए निश्चित दिनांक से पूरो सात दिन पूर्व नगरपालिका से प्रत्येक सदस्य को उनके निवास स्थान पर भेजी जायेगी। ऐसी नोटिस की एक प्रति ऐसी रीति से भी प्रकाशित की जायेगी, जिसका निदेश जिला मजिस्ट्रेट की ओर ऐसे प्रकाशन पर यह समझा जायेगा कि प्रत्येक सदस्य को नोटिस मिल गयी है।}[3]

(3) जिला मजिस्ट्रेट, इस धारा के अधीन बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता करने के लिए जिला न्यायाधीश से एक वैतनिक सिविल न्यायिक अधिकारी का प्रबन्ध करने के लिए कहेंगे और कोई अन्य व्यक्ति उसकी अध्यक्षता नहीं करेगा। यदि बैठक के लिए नियत समय से आधा घंटे के भीतर बैठक की अध्यक्षता करने के लिए न्यायिक अधीकारी उपस्थित न हो तो बैठक ऐसे दिनांक और समय के लिए, जो उपधारा (4) के अधीन उस अधिकारी द्वारा बाद में नियत और सदस्यों को अधिसूचित किया जाये, स्थगित हो जायेगी।

(4) यदि न्यायिक अधिकारी बैठक की अध्यक्षता करने में असमर्थ हो तो वह, अपने कारण अभिलिखित करने के पश्चात् उस बैठक को ऐसे अन्य दिनांक और समय के लिए स्थगित कर सकता है, जिसे वह नियत करे किन्तु वह उपधारा (2) के अधीन बैठक के लिए नियत दिनांक से सात दिन के बाद न होगा। वह बैठक के स्थान की लिखित संसूचना अविलम्ब जिला मजिस्ट्रेट को देगा। स्थगित बैठक के दिनांक और समय का नोटिस सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से भेजना आवश्यक न होगा किन्तु जिला मजिस्ट्रेट बैठक के दिनांक और समय का नोटिस उपधारा (2) में उपबन्धित रीति से प्रकाशित करके देगा।

(5) उपधारा (3) तथा (4) के अधीन किए गए उपबन्ध को छोड़कर, इस धारा के अधीन बुलाई गई बैठक किसी भी कारण से स्थगित नहीं की जायेगी।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 वर्ष 1955 द्वारा जोड़ा गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 41 वर्ष 1976 के अध्याय—3 की धारा 32 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 33 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 121 द्वारा अन्तर्विष्ट।
5. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय—तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

(6) इस धारा के अधीन बुलाई गई बैठक जैसे ही प्रारम्भ हो, नगरपालिका उपाध्यक्ष को निर्वाचित करने की कार्यवाही करेगी।

(7) न्यायिक अधिकारी निर्वाचन में मत देने का हकदार न होगा।

(8) मतों के बराबर होने की दशा में, न्यायिक अधिकारी लाटरी डालकर विनिश्चय करेगा कि उन उम्मीदवारों में से जिनके मत बराबर हैं, कौन उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किया जाये।

(9) न्यायिक अधिकारी बैठक में निर्वाचन का परिणाम घोषित करेगा और बैठक के कार्यवृत्त की प्रतिलिपि अध्यक्ष और जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा।

उपाध्यक्ष के कर्तव्य

55—— (1) उपाध्यक्ष ——

(क) नगरपालिका की बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में और जब तक युक्त संगत कारण से कोई रूकावट न हो, उस बैठक की अध्यक्षता करेगा, उसके कार्य संचालन का विनियमन करेगा और जब इस प्रकार अध्यक्षता करे तब वह धारा 91 में विनिर्दिष्ट शक्ति का प्रयोग करेगा;

(ख) अध्यक्ष के पद में कोई रिक्ति होने या अध्यक्ष की असमर्थता या अस्थायी अनुपस्थिति की अवधि में, अध्यक्ष का कोई अन्य कर्तव्य करेगा और जब अवसर उत्पन्न हो किसी अन्य शक्ति का प्रयोग करेगा;

(ग) किसी भी समय अध्यक्ष द्वारा धारा 53 के अधीन उसे प्रत्यायोजित किसी कर्तव्यों का पालन करेगा और जब अवसर उत्पन्न हो, आवश्यकतानुसार किसी भी शक्ति का प्रयोग करेगा।

(2) जहां दो उपाध्यक्ष हो, वहां उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट कर्तव्य का पालन और शक्ति का प्रयोग, ज्येष्ठ उपाध्यक्ष द्वारा तथा उसकी अनुपस्थिति में कनिष्ठ उपाध्यक्ष द्वारा और खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट कर्तव्य का पालन और शक्ति का प्रयोग, किसी भी ऐसे उपाध्यक्ष द्वारा, जो प्रत्यायोजन के आदेश में नामांकित हो, किया जायेगा या किया जा सकता है।

{(3) धारा 48 के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित इस धारा के अधीन किसी कर्तव्य का पालन और शक्ति का प्रयोग करने के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष पर लागू होंगे।}[1]

निर्वाचनों, नाम—निर्देशनों और रिक्तियों की अधिसूचना

56—— नगरपालिका, सदस्य या अध्यक्ष का प्रत्येक निर्वाचन और नाम—निर्देशन नगरपालिका का यथोचित गठन और सदस्य या अध्यक्ष के पद की प्रत्येक रिक्ति सरकारी गजट में अधिसूचित की जायेगी।

अधिशासी अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारी

अधिशासी और स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त और नियोजित करने की नगरपालिका की शक्ति

57—— (1) प्रत्येक नगरपालिका जब तक कि राज्य सरकार या तो स्वतः या नगरपालिका द्वारा किया गया अभ्यावेदन पर अन्यथा निदेश न दे, विशेष संकल्प द्वारा एक अधिशासी अधिकारी नियुक्त करेगा :

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 27 वर्ष 1964 की धारा 23 द्वारा निकाला गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय—तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

परन्तु प्रत्येक दशा में, जिसमें उक्त अधिनियम के पारित होने के समय ऐसे नगरपालिका में सचिव हो किन्तु अधिशासी अधिक जारी न हो, सचि को अधिशासी अधिकारी समझा जायेगा तब तक कि उसे सम्यक रूप से प्रतिस्थापित न कर दिया जाये।

(2) प्रत्येक नगरपालिका, जिसकी आय प्रतिवर्ष 50,000 रू0 या उससे अधिक हो, तब तक कि राज्य सरकार अन्यथा निदेश न दे, ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों पर जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाये, एक स्वास्थ्य अधिकारी की जो {उत्तर प्रदेश प्रादेशिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा}[2] का सदस्य हो और एक लेखाकार को जो राज्य—लेखा—सेवा का सदस्य हो, नियोजित करेगा :

परन्तु यदि राज्य सरकार {उत्तर प्रदेश प्रादेशिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा}[2] के किसी स्वास्थ्य अधिकारी की सेवाएं उपलब्ध कराने में अपनी असमर्थता प्रकट करे तो नगरपालिका एक विशेष संकल्प द्वारा अस्थायी स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है।

{(2—क) प्रत्येक नगरपालिका, यदि राज्य सरकार की ऐसी अपेक्षा करे, लेखाकार के अतिरिक्त या उसके स्थान पर राज्य सरकार द्वारा नाम—निर्देशित लेखा अधिकारी या तो पृथक रूप से या किसी एक या एक से अधिक नगरपालिकाओं या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी के साथ संयुक्त रूप से, ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर, जो राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर विहित की जाय, नियोजित करेगा।}[1]

(3) उपधारा (1) के अधीन कार्यपालक अधिकारी की और उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन स्वास्थ्य अधिकारी की नगरपालिका द्वारा की गई प्रत्येक नियुक्ति राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के अधीन और उनका वेतन और सेवा की शर्त वही होगी, जो विहित की जाय।

अधिशासी अधिकारी को दण्ड दिया जाना, पदच्युत किया जाना या उसका हटाया जाना और स्वास्थ्य अधिकारी का स्थानान्तरण

58—— नगरपालिका, अपने अधिशासी अधिकारी को किसी विशेष संकल्प द्वारा, जिसका नगरपालिका के दो तिहाई से अन्यून सदस्यों ने समर्थन किया हो, पदच्युत कर सकती है या हटा सकती है या अन्यथा दण्डित कर सकती है किन्तु उसे ऐसे समय के भीतर ऐसी रीति से, जो विहित की जाय, राज्य सरकार के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा :

परन्तु नगरपालिका, अधिशासी अधिकारी को पदच्युत करने, हटाने या अन्यथा दण्डित करने से ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी, जो इस निमित्त विहित की जाये।

(2) {***}[1]

(3) यदि कोई नगरपालिका {धारा 57 की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन नियुक्त स्वास्थ्य अधिकारी से भिन्न,}[1] अपने स्वास्थ्य अधिकारी या अपने लेखाकार के स्थानान्तरण की विशेष संकल्प द्वारा सिफारिश करता है तो राज्य सरकार, यथास्थिति, स्वास्थ्य अधिकारी या लेखाकार की नगरपालिका के नियोजन से स्थानान्तरित कर देगा, बशर्ते नगरपालिका द्वारा उसके लिए पर्याप्त कारण दिया जाये।

स्थानापन्न कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति

59—— {(1) किसी कार्यपालक अधिकारी के छुट्टी पर, अनुपस्थित रहने या उसके पद की अन्य अस्थायी रिक्ति में, यदि ऐसी छुट्टी या रिक्ति की अवधि दो मास से अधिक न हो, अध्यक्ष किसी व्यक्ति को कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है और यदि उक्त अवधि दो मास से अधिक की हो तो धारा 57 के उपबन्धों के अनुसार नगरपालिका द्वारा नियुक्त की जायेगी :

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 27 वर्ष 1964 द्वारा प्रतिस्थापित तथा निकाला गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 122 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय—तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

परन्तु जब रिक्त की अवधि, जो प्रारम्भ में दो मास से अधिक की हो, बाद में अनवेक्षित परिस्थितियों के कारण बढ़ा दी जाती है तो अध्यक्ष द्वारा की गई नियुक्ति राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए चालू रह सकती है।}[1]

(2) इस प्रकार नियुक्त किया गया प्रत्येक उस व्यक्ति को, जिसके स्थान पर वह कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है, इस या किसी अन्य अधिनियमित के द्वारा या अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग या अधिरोपित कर्तव्य का पालन करेगा।

{(3) ऐसी नियुक्तियों से सम्बद्ध वेतन और सेवा की शर्तें वही होगी, जो विहित की जाय और धारा 58 के उपबन्ध, ऐसे परिष्कार के साथ, जो विहित किये जायें, इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों पर लागू होंगे।}[1]

नगरपालिका के कृत्य, जिनका निर्वहन अधिशासी अधिकारी द्वारा अवश्य होना चाहिए

60–– (1) किसी नगरपालिका में, जहां कोई अधिशासी अधिकारी हो, नगरपालिका के निम्नलिखित अधिकारों का प्रयोग ऐसे अधिकारी द्वारा किया जायेगा और उनका प्रयोग धारा 62 में की गई व्यवस्था को छोड़कर अन्यथा नहीं किया जायेगा; अर्थात्–

(क) बाजार वधशाला या किराये की गाड़ी के लाइसेन्स से भिन्न किसी ऐसे लाइसेन्स की जो नगरपालिका द्वारा दिया जा सकता हो, अपने हस्ताक्षर से स्वीकृत और जारी करने या इन्कार करने की शक्ति;

(ख) किसी ऐसे लाइसेन्स को निलम्बित करने या वापस लेने की शक्ति;

(ग) नगरपालिका को देय या प्रस्तुत की गई कोई धनराशि प्राप्त करने, वसूल करने और नगरपालिका निधि में जमा करने की शक्ति;

(घ) अनुसूची 2 के प्रथम स्तम्भ में विनिर्दिष्ट धारा या उपधाराओं द्वारा प्रदत्त शक्ति या जहां ऐसी धारा या उपधाराओं के पश्चात् 'अंशतः' आया हो उसके ऐसे अंशों द्वारा प्रदत्त शक्ति, जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 में दिए गए विवरण में उपदर्शित है और इन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सभी आवश्यक कार्य करने की शक्ति;

(ङ) {नगरपालिका}[2] के सेवकों के सम्बन्ध में, धारा 75 और 76 द्वारा अधिशासी अधिकारी में निहित शक्ति और किसी ऐसे पद के जिस पद नियुक्ति करने की उसे शक्ति हो, पदधारी की अनुपस्थिति की छुट्‌टी स्वीकृत करने की शक्ति;

(च) कोई अन्य शक्ति {नगरपालिका}[2] द्वारा, जो अधिशासी अधिकारी की प्रतिनिहित की गयी हो।

(2) {***}[1] नगरपालिका के सभी कर्मचारी अधिशासी अधिकारी के अधीनस्थ होंगे।

कृत्य, जिनका निर्वहन स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया जायेगा

{60–क–– धारा 60 या धारा 60–क में दी गई किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकती है कि किसी नगरपालिका में स्वास्थ्य अधिकारी, अधिशासी अधिकारी के सामान्य नियंत्रण के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित शक्ति का प्रयोग करेगा :

परन्तु इन अधिकारियों के बीच असहमति होने की दशा में प्रश्न अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा ––

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 27 वर्ष 1964 द्वारा प्रतिस्थापित तथा निकाला गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

(क) बाजार या वधशाला के लिए अनुज्ञा–पत्र या लाइसेन्स से भिन्न ऐसे प्रत्येक अनुज्ञा–पत्र या लाइसेन्स को, जो धारा 298 की सूची–1 के भाग ख, घ, च, छ और सूची–2 के भाग के अधीन बनाई गई उपविधियों के सम्बन्ध में नगरपालिका द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है, अपने हस्ताक्षर से स्वीकृत और जारी करने की शक्ति;

(ख) ऐसे किसी अनुज्ञा–पत्र या लाइसेन्स को निलम्बित करने या वापस लेने की शक्ति;

(ग) धारा 191 (1) और (2), 192 (1), 196 (ग) और (घ), 201 (1), 202 (1), 225 (1) और (2), 227, 244 (1) और (2), 245 (1), 249, 250 (2), 267, 268, 269, 270, 271, 273 (1)(क), 276, 277, 278, 280, 283, 294 के सम्बन्ध में और 307 के सम्बन्ध में भी, जहां तक कि उसमें निर्दिष्ट नोटिस का सम्बन्ध इस खण्ड में विनिर्दिष्ट अन्य धाराओं से है, धारा 60 (1) (घ) के अधीन कार्यपालक अधिकारी को प्रदत्त शक्ति;

(घ) {नगरपालिका}[3] के ऐसे सेवकों के संबंध में, जो सफाई, लोक–स्वास्थ्य, टीका लगाने और जन्म–मरण रजिस्ट्रीकरण के लिए नियोजित किये गये हों, ऐसी शक्ति जो धारा 75(क) और 76(क) द्वारा कार्यपालक अधिकारी में निहित की गई हों और किसी ऐसे पद के, जिस पर नियुक्ति करने की उसे शक्ति हो, पदधारी की अनुपस्थिति की छुट्‌टी मंजूर करने की शक्ति।}[1]

विद्युत, सार्वजनिक निर्माण और जलकल विभाग के प्रधान अधिकारियों को शक्ति का प्रत्यायोजन

{60–ख–– राज्य सरकार, सरकारी गजट में, अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकती है कि किसी {नगरपालिका}[3] में विद्युत, सार्वजनिक निर्माण और जलकल विभाग और {नगरपालिका}[3] संग्रहालय के प्रधान अधिकारी, अपने–अपने विभाग या संग्रहालय के सम्बन्ध में, धारा 60 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करेंगे और इस धारा के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके की गई किसी बात के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि वह अधिशासी अधिकारी द्वारा की गई कोई बात या प्रयुक्त शक्ति है।}[2]

कार्यपालक अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील करने का अधिकार

61–– (1) अधिशासी अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा धारा 60 अथवा धारा 60–क द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके दिए गए किसी आदेश के विरूद्ध नगरपालिका को अपील न की जा सकेगी, जब तक कि ––

(क) वह आदेश ऐसा आदेश न हो, जिसके सम्बन्ध में अनुसूची 2 के तृतीय स्तम्भ में कोई प्रविष्ट दर्षित की गई हो और ऐसी प्रविष्टियां या धारा 297 की उपधारा (1) के खण्ड (ड) के अधीन बनाए गए विनियम द्वारा शून्य न हुई हो और प्रवृत्त हो; या

(ख) वह आदेश किसी लाइसेन्स के सम्बन्ध में दिया गया आदेश हो और किसी उपविधि द्वारा उसके विरूद्ध अपील करने का उपलब्ध किया गया हो।

(2) जहां अपील की जा सकती हो, वहां उक्त आदेश की संसूचना के या जिस दिनांक को इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उक्त आदेश संसूचित किया गया समझा जाय, उस दिनांक के दस दिन के भीतर वह दाखिल की जायेगी।

(3) जब ऐसी अवधि के भीतर अपील दाखिल की जाय, तो अपील के विनिश्चय होने तक उक्त आदेश निलम्बित रहेगा।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 वर्ष 1932 द्वारा जोड़ा गया।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 वर्ष 1949 द्वारा बढ़ाया गया।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

अधिशासी अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा शक्ति का प्रत्यायोजन

62—— {(1) अध्यक्ष की मंजूरी, कार्यपालक अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी सा विशेष आदेश पर, नगरपालिका के किसी सेवक को इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उसे प्रदत्त शक्ति का, जो धारा 60 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के अधीन उसे प्रत्यायोजित शक्ति से भिन्न हो, प्रयोग अपने नियंत्रण के अधीन करने के लिए सशक्त कर सकता है।}[1]

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिशासी अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश में किसी शक्ति के प्रयोग के सम्बन्ध में, कोई शर्त विहित की जा सकती है और कोई निर्बन्धन अधिरोपित किया जा सकता है।

(3) उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके नगरपालिका के सेवक द्वारा दिया गया कोई आदेश, यथास्थिति, अधिशासी अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी, यथास्थिति द्वारा विखण्डित या पुनरीक्षित किया जा सकेगा।

अध्यक्ष या नगरपालिका या समिति को, अधिशासी अधिकारी से रिपोर्ट आदि की अपेक्षा करने की शक्ति

63—— (1) अध्यक्ष या नगरपालिका या नगरपालिका की कोई समिति अधिशासी अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी से निम्नलिखित की अपेक्षा कर सकता है :—

(क) नगरपालिका प्रशासन की उस शाखा से जिससे वह सम्बद्ध हो, सम्बन्धित किसी विषय के बारे में कोई विवरणी, कथन, प्राक्कलन, आंकड़े या अन्य सूचना;

(ख) किसी ऐसे मामले में रिपोर्ट या स्पष्टीकरण; और

(ग) किसी ऐसे अभिलेख, पत्र व्यवहार या योजना या अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि, जो कार्यपालक अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी की हैसियत से उसके कब्जे में या नियंत्रण में हो या जो उसके कार्यालय में या उसके किसी अधीनस्थ सेवक के कार्यालय में अभिलिखित या दाखिल की गई हो।

(2) अधिशासी अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी उपधारा (1) के अधीन किए गए प्रत्येक अधियाचन को बिना अनुचित विलम्ब के पूरा करेगा।

अधिशासी अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी का बहस में भाग लेने का अधिकार

64—— अधिशासी अधिकारी, लेखा अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी, अध्यक्ष या अनुज्ञा से या नगरपालिका अथवा समिति की किसी बैठक में इस निमित्त पारित संकल्प के आधार पर, किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में जिस पर बहस चल रही हो, कोई स्पष्टीकरण दे सकता है किन्तु वह ऐसी बैठक में कोई मत न देगा या कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।

राज्य सरकार की अधिशासी अधिकारी को नियुक्ति करने की शक्ति

65—— यदि कोई नगरपालिका, जो धारा 37 या धारा 59—क के उपबन्धों के अधीन नियुक्ति करने के लिए बाध्य हो, ऐसे समय के भीतर जिसे राज्य सरकार उचित समझे, नियुक्त करने {***}[2] में असफल रहे तो राज्य सरकार स्वयं नियुक्ति कर सकती है और ऐसी नियुक्ति के सम्बन्ध में वेतन, भविष्य निधि या पेन्शन में अंशदान और अन्य शर्त निश्चित कर सकती है :

परन्तु यदि राज्य सरकार ने इस धारा द्वारा उसे प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके कोई नियुक्ति की हो तो नगरपालिका इस प्रकार नियुक्त किए गए व्यक्ति के वेतन छुट्टी के भत्ते और अंशदान के लिए तीन लाख या उससे अधिक आय वाली नगरपालिकाओं की दशा में 1,000 रुपये से या अन्य नगरपालिकाओं की दशा में 500 रुपये से अधिक मासिक औसत धनराशि देने के लिए बाध्य न होगा।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 वर्ष 1964 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उपर्युक्त अधिनियम द्वारा निकाला गया।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय—तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

सचिव की नियुक्ति

66–– {(1)} {प्रत्येक नगरपालिका, जिसमें कोई अधिशासी अधिकारी नहीं है, विशेष संकल्प द्वारा एक या एक से अधिक सचिव नियुक्त करेगी।}[3]

{(2) ऐसी प्रत्येक नियुक्ति विहित प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के अधीन होगी और इस प्रकार नियुक्त किए गए व्यक्ति के वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जायें।}[1]

स्थानापन्न सचिव की नियुक्ति

{66–क–– (1) धारा 66 के अधीन नियुक्त किए गए सचिव के पद पर छुट्टी की अनुपस्थिति में या अन्य अस्थायी रिक्त में, यदि ऐसी छुट्टी या रिक्ति की अवधि दो मास से अधिक न हो, अध्यक्ष किसी व्यक्ति को सचिव के पद पर कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है और यदि उक्त अवधि दो मास से अधिक हो तो नगरपालिका धारा 66 के उपबन्धों के अनुसार नियुक्ति करेगा।

(2) जब ऐसी रिक्ति की अवधि, जिसमें उपधारा (2) के प्रथम भाग के अधीन नियुक्ति की गयी हो, बाद में अनवेक्षित परिस्थितियों के कारण दो मास से अधिक बढ़ाई जाय तो अध्यक्ष द्वारा की गई नियुक्ति राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन बनी रहेगी।

(3) इस प्रकार नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति, उस व्यक्ति को जिसके स्थान पर वह कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है, इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियमित के द्वारा या अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग या अधिरोपित कर्तव्य का पालन करेगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किए गए व्यक्ति का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें वही होगी, जो विहित की जायें।}[2]

सचिव को दण्ड देना और पदच्युत करना

67–– (1) नगरपालिका, ऐसे विशेष संकल्प द्वारा, जिसे नगरपालिका को गठित करने वाले कम से कम दो तिहाई सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो, धारा 66 या धारा 66–क के अधीन नियुक्त किए गए किसी सचिव को पदच्युत कर सकती है, पद से हटा सकती है या अन्यथा दण्डित कर सकती है किन्तु उसे ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से जो विहित की जाय, अपील करने का अधिकार होगा :

परन्तु नगरपालिका, सचिव को पदच्युत करने, पद से हटाने या अन्यथा दण्डित करने में उस प्रक्रिया का अनुसरण करेगी, जो इस निमित्त विहित की जाय।

प्राविधिक विभागों के विशेष अधिकारियों की नियुक्ति

68–– (1) नगरपालिका विशेष सकंल्प द्वारा अपने प्राविधिक विभागों के मुख्य अधिकारी जैसे सिविल अभियंता, सहायक सिविल अभियंता, विद्युत अभियंता, सहायक विद्युत अभियंता, जल–कल अभियंता, सहायक जल–कल अभियंता, विद्युत एवं जलकल अभियंता, सहायक विद्युत एवं जल–कल अभियंता या ओवरसियर तथा जहां पहले से कोई अधिशासी अधिकारी हो, सचिव की नियुक्ति कर सकता है और राज्य सरकार द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाने पर करेगा।

(2) उपधारा (2) से उल्लिखित किसी अधिकारी के छुट्टी पर अनुपस्थिति रहने में या अन्य अस्थायी रिक्ति में, यदि ऐसी छुट्टी या रिक्ति की अवधि दो मास से अधिक न हो, अध्यक्ष ऐसे पद पर कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। यदि उक्त अवधि दो मास से अधिक की हो तो उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार नगरपालिका द्वारा नियुक्ति की जायेगी।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 वर्ष 1964 द्वारा पुनर्संख्यांकित तथा बढ़ाया गया।
2. उपर्युक्त धारा द्वारा बढ़ाया गया।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 123 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

(3) जब ऐसी रिक्ति की अवधि, जिसमें उपधारा (2) के प्रथम भाग के अधीन नियुक्ति की गई हो, बाद में अनवेक्षित परिस्थितियों के कारण दो मास से अधिक के लिए बढ़ायी जाये तो अध्यक्ष द्वारा की गई नियुक्ति राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन बनी रहेगी।

(4) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, जिसके स्थान पर वह कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है, इस या किसी अन्य अधिनियमित द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग या अधिरोपित कर्तव्य का पालन करेगा।

(5) उपधारा (1) या उपधारा (2) के द्वितीय खण्ड के अधीन की गई प्रत्येक नियुक्ति राज्य सरकार के पूर्व–अनुमोदन के अधीन होगी।

(6) इस धारा के अधीन नियुक्त किए गए व्यक्ति का वेतन और सेवा की अन्य शर्त वही होगी, जो विहित की जायें।

आपात स्थिति में सेवकों के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई अध्युपेक्षा का नगरपालिका द्वारा अनुपालन

{68–क–– युद्ध, दुर्भिक्ष, अकाल, मनुष्य या पशु की महामारी, बाढ़ या इसी प्रकार किसी अपातस्थिति के होन पर और हाट, मेले या अन्य अवसरों पर जहां पर विशाल जन–समूह एक होता है, नगरपालिका राज्य सरकार द्वारा या अध्यपेक्षा करने के लिए सामान्य या विशेष आदेश से प्राधिकृत सरकार के किसी अधिकारी द्वारा नगरपालिका के ऐसे अधिकारी या कर्मचारी की सेवाओं के लिए जो उसके चिकित्सा, जन–स्वास्थ्य, स्वच्छता, टीका पशु चिकित्सा, विद्युत, जल–कल या सार्वजनिकी निर्माण विभाग में कोई पद धारण करता हो, नगरपालिका द्वारा सेवायोजित किसी वैद्य या हकीम के सेवाओं के लिए की गई किसी अध्यपेक्षा का तुरन्त अनुपालन करेगा और अध्यपेक्षा करने से सम्बन्धित प्रभार को ऐसे अनुपात में पूरा करेगा, जैसा कि राज्य सरकार नगरपालिका पर उचित प्रभार विनिश्चित करे।}[1]

धारा 68 के अधीन नियुक्त अधिकारियों को दण्ड दिया जाना तथा उनका पदच्युत किया जाना

69–– {(1) नगरपालिका, अधिशासी अधिकारी को पदच्युत करने, हटाने या अन्य दण्ड देने के सम्बन्ध में धारा 58 में उपबन्धित शर्तों के अधीन रहते हुए विशेष संकल्प द्वारा, धारा 68 या धारा 57 की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी को पदच्युत कर सकती है, सेवा से हटा सकती है या अन्यथा दण्डित कर सकती है।}[2]

(2) {***}[3]

अध्यक्ष द्वारा अधिकारियों के विरूद्ध आरोप तैयार किया जाना या उनका निलम्बन

{69–क–– (1) यदि अध्यक्ष को यह विश्वास करने का कारण हो कि अधिशासी अधिकारी या सचिव या धारा 68 अथवा धारा 57 की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन नियुक्त नगरपालिका का कोई अन्य अधिकारी भ्रष्ट है या अपने कर्तव्यों का पालन करने में निरन्तर चूक करता है या अन्यथा अत्याचार का दोषी है तो वह उसके विरूद्ध आरोप विरचित कर सकता है और यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करना आवश्यक है तो ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, जांच की समाप्ति तक {और उपधारा (4) के अधीन, यथास्थिति विहित प्राधिकारी या नगरपालिका द्वारा अन्तिम आदेश दिए जाने तक}[2] उसे निलम्बित कर सकता है।

{(2) जब कभी अध्यक्ष उपधारा (2) के अधीन कार्यवाही करे तो एक सप्ताह के भीतर विहित प्राधिकारी को सूचित करेगा और उसे आरोपों की एक प्रतिलिपि भी भेजेगा और यदि निलम्बन का आदेश दे दिया गया हो तो अध्यक्ष आरोपों की आधार सामग्री भी विहित प्राधिकारी को भेजेगा।}[2]

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 वर्ष 1954 द्वारा जोड़ा गया।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 वर्ष 1964 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त धारा द्वारा निरसित।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

{(2–क) उपधारा (क) के अधीन निलम्बन का आदेश किसी भी समय विहित प्राधिकारी द्वारा संहृत या परिष्कृत किया जा सकेगा।}[2]

(3) उपधारा (1) के अधीन जांच ऐसी रीति से की जायेगी, जो नियमों द्वारा विहित की जाय।}[1]

{(4) जांच समाप्त होने के पश्चात् अध्यक्ष अभिलेख को अपनी संस्तुति के साथ विहित प्राधिकारी या नगरपालिका को जैसा कि वह उचित समझे, प्रस्तुत करेगा। तदुपरि, यथास्थिति, विहित प्राधिकारी या नगरपालिका धारा 56 की उपधारा (1) या धारा 67, धारा 69 में किसी अन्य बात के होते हुए भी, रिपोर्ट पर विचार करेगा और ऐसी अन्तरिम जांच के पश्चात्, जिसे वह आवश्यक समझे, यथास्थिति, अधिशासी अधिकारी या सचिव या अन्य अधिकारी को पदच्युत कर सकेगा, सेवा से हटा सकेगा या अन्यथा दण्ड दे सकेगा या दोषमुक्त कर सकेगा :

परन्तु इस उपधारा के अधीन नगरपालिका विशेष संकल्प द्वारा कार्य करेगी, जिसका समर्थन नगरपालिका के संघटक सदस्यों के दो तिहाई से कम द्वारा न किया गया हो।

(5) उपधारा (4) के अधीन विहित प्राधिकारी या नगरपालिका द्वारा पारित पदच्युत किए जाने, हटाए जाने या अन्य दण्ड के आदेश के विरूद्ध अपील ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से जो विहित की जाये, राज्य सरकार को की जायेगी।}[2]

नगरपालिका अधिकारियों तथा सेवकों की सेवाओं का केन्द्रीयकरण करना

69–ख–– {(1) धारा 57, 59, 65 से 68, 69, 69–क, 71, 74, 79 और 80 में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी भी समय ऐसे अधिकारियों और सेवकों की जिन्हें वह उपयुक्त समझे, एक या अधिक ऐसी सेवाएं सृजित करने के लिए नियमों द्वारा व्यवस्था कर सकती है, जो राज्य में सभी या कुछ {नगर पंचायतों या नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायतों, नगरपालिका परिषदों, नगर निगमों या जल सस्थानों}[5] के लिए सामान्य हो और किसी ऐसी सेवा में भर्ती करने की रीति और उसमें और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तें विहित कर सकती है।}[4]

{स्पष्टीकरण–– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य के कुमायूं और गढ़वाल मण्डलों के जिलों में नगर पंचायतों और नगरपालिका परिषदों या नगर पंचायतों, नगरपालिका परिषदों, नगर निगमों और जल संस्थानों के लिए सामान्य सेवाएं सृजित की जा सकती है।}[6]

(2) जब कोई ऐसी सेवा सृजित की जाये तो सेवा में सम्मिलित पदों पर काम करने वाले अधिकारियों और सेवकों को यदि वे उपयुक्त पाये जायें, विहित रीति से समाप्त हो जायेंगीः

{परन्तु सेवा में ऐसे आमेलन से सेवा के किसी सदस्य के विरूद्ध ऐसे आमेलन के दिनांक के पूर्व किये गये कार्य के सम्बन्ध में कोई अनुषासन की कार्यवाही करने या जारी रखने में कोई रुकावट न होगी।}[3]

(3) उपधारा (1) और (2) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में, उक्त उपधाराओं में अभिर्दिष्ट किन्हीं विषयों के सम्बन्ध में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करने की भी व्यवस्था की जा सकती है।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 वर्ष 1949 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 वर्ष 1964 द्वारा बढ़ाया गया।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 15 वर्ष 1983 के अध्याय–तीन की धारा 6(क) द्वारा बढ़ाया गया।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 5 वर्ष 1984 के अध्याय–तीन की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 124(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उपर्युक्त की धारा 124 (ख) द्वारा बढ़ाया गया।
7. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

{(4) पूर्ववर्ती उपधारा (1), (2) और (4) में या अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार विहित दिनांक के पूर्व की गई अस्थायी और तदर्थ नियुक्तियों को राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श किये बिना विनियमित करने के लिए भी नियमों द्वारा उपबन्ध कर सकती है।}[3]

आपातस्थिति के लिए अपेक्षित अस्थायी सेवक

70–– आपातस्थिति में अस्थायी सेवकों की नियुक्ति करने और उनके वेतन निश्चित करने की शक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए अध्यक्ष ऐसी शक्ति के प्रयोग में ––

{(क) अध्यक्ष ऐसी शक्ति के प्रयोग में ––

(एक) किसी ऐसे सामान्य या विशेष निदेश का, जिसे राज्य सरकार समय–समय पर जारी करे;

(दो) {नगरपालिका}[5] के ऐसे किसी आदेश का, जिसके द्वारा किसी विशिष्ट कार्य के लिए अस्थायी सेवकों को सेवायोजित करने का प्रतिषेध किया गया हो;

उल्लंघन करते हुए कार्य न करेगा; और}[4]

(ख) इस धारा के अधीन अध्यक्ष द्वारा की गई प्रत्येक नियुक्ति की रिपोर्ट ऐसी नियुक्ति के पश्चात् होने वाले नगरपालिका की अगली बैठक में दी जायेगी।

नगरपालिका की स्थायी कर्मचारी वर्ग अवधारित करने की शक्ति

71–– धारा 57, 66, 68 और 70 द्वारा किए गए उपबन्धों को छोड़कर तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए किसी सामान्य या विशेष निदेश के अधीन रहते हुए, {नगरपालिका}[5] {विशेष}[1] संकल्प द्वारा यह अवधारित कर सकता है कि नगरपालिका के कर्तव्यों के लिए कितने सेवक अपेक्षित होंगे {और उनकी अर्हताएं और सेवा की शर्तें क्या होंगी।}[1]

पदों का संशोधन

72–– इस अधिनियम या किसी नियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए यथास्थिति, नगरपालिका अध्यक्ष या अधिशासी अधिकारी किसी एक व्यक्ति की किन्हीं दो या दो से अधिक पदों के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए नियुक्ति कर सकता है।

शिक्षण अधिष्ठान में सेवकों की नियुक्ति आदि

73–– {(1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी {नगरपालिका}[5] के शिक्षण अधिष्ठान में व्यक्तियों की नियुक्ति ऐसे प्राधिकारी द्वारा की जायेगी, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे और अधिष्ठान के भिन्न–भिन्न वर्गों के पदों के लिए भिन्न–भिन्न प्राधिकारी विनिर्दिष्ट किये जा सकते हैं :

{परन्तु किसी संस्था के प्रधान या अध्यापक की नियुक्ति यथास्थिति, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 या इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के उपबन्धों द्वारा नियंत्रित होगी।}[2]

(2) राज्य सरकार {नगरपालिका}[5] के शैक्षणिक स्थापना में नियुक्त व्यक्ति हेतु नियुक्ति, दण्ड {***}[1] अपील एवं सेवा शर्तों के संबंध में नियम विनियमित कर सकती है।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 वर्ष 1964 द्वारा बढ़ाया तथा निकाला गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 10 वर्ष 1978 के अध्याय–तीन की धारा 8 द्वारा बढ़ाया गया।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 15 वर्ष 1983 के अध्याय–तीन की धारा 6(ख) द्वारा बढ़ाया गया।
4. उपर्युक्त की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

स्थायी वरिष्ठ कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति और पदच्युति

{74–– धारा 57 से 73 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अकेन्द्रीयित सेवाओं में जिन पदों का वेतनमान लिपिक कर्मचारी वर्ग को अनुमन्य निम्नतम वेतनमान के बराबर या उससे अधिक हो, उन पर अध्यक्ष द्वारा सेवकों की नियुक्ति किया जायेगा और उन्हें पदच्युत किया जा सकता है, हटाया जा सकता है या अन्यथा दण्डित किया जा सकता है या परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवा समाप्त की जा सकती है किन्तु किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवा समाप्ति के मामले के सिवाय अन्य मामलों में ऐसे प्राधिकारी के समक्ष, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाय, अपील करने का अधिकार होगा :

परन्तु कर अधीक्षक, सहायक कर अधीक्षक, निरीक्षक, प्रधान लिपिक, अनुभागीय प्रधान लिपिक, अनुभागीय लेखाकार, डाक्टर, वैध, हकीम और नगरपालिका के अग्निशमन केन्द्राधिकारी के पदों पर नियुक्तियां नगरपालिका के अनुमोदन के अधीन होंगी।}[1]

स्थायी अवर कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति

{75–– जैसा अन्यथा उपबन्धित है, उसके सिवाय अधिशासी अधिकारी धारा 74 में निर्दिष्ट निम्नतम वेतनमान से न्यून वेतनमान पाने वाले सेवकों को नियुक्त करेगा :

परन्तु अधिशासी अधिकारी न होने की स्थिति में उक्त नियुक्तियां अध्यक्ष द्वारा की जायेंगी।}[2]

स्थायी अवर वर्ग के कर्मचारी वर्ग को दण्ड दिया जाना और उनको पदच्युत किया जाना

76–– अन्यथा किए गए उपबन्ध के सिवाय अधिशासी अधिकारी और जहां कोई अधिशासी अधिकारी न हो तो अध्यक्ष {धारा 75 में निर्दिष्ट नगरपालिका के सेवकों}[3] को पदच्युत कर सकता है, सेवा से हटा सकता है, अन्यथा दण्डित कर सकता है या परिवीक्षाधीन सेवकों की सेवाएं समाप्त कर सकता है, किन्तु परिवीक्षाधीन सेवक की सेवा समाप्ति के मामले को छोड़कर अन्य मामले में उन्हें ऐसे प्राधिकारी को ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से अपील करने का अधिकार होगा, जो विहित की जाये।

धारा 71 से 76 तक के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का परिसीमन

77–– (1) धारा 71, 73, 74, 75 और 76 के उपबन्ध निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन होंगे –

(क) धारा 78; और

(ख) कोई नियम, विशेष रूप से ऐसा नियम जिसमें पदों पर या किसी ऐसे पद विशेष पर, जिसमें वृत्तिक कौशल अपेक्षित हों, व्यक्तियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में और इस प्रकार नियुक्त किए गए व्यक्तियों को निलम्बित करने या पदच्युत करने, सेवा से हटाने या अन्य दण्ड देने या सेवामुक्त करने या उसकी सेवा समाप्त करने की षर्तें अधिरोपित की गयी हों।

(2) धारा 74, 75 और 76 के उपबन्ध भी किसी ऐसे विनियम के उपबन्धों के अधीन होंगे, जिनसे कर्मचारी वर्ग के सम्बन्ध में नगरपालिका, अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी की सम्बन्धित शक्ति के प्रति निर्देश में उपधाराओं में निहित किसी अधिकतम या न्यूनतम मासिक वेतन में वृद्धि की जाये।

अनुशासनिक मामलों में अपील प्राधिकारी की शक्ति

{77–क –– पदच्युत करने, सेवा से हटाए जाने या अन्य दण्ड दिए जाने के विरूद्ध इस अधिनियम या नियमावली के अधीन जिस अपील प्राधिकारी को अपील की जाय, वह ––

(क) शास्ति को अपास्त, कम या पुष्ट कर सकता है; या

(ख) मामले को उस प्राधिकारी को, जिसने शक्ति अधिरोपित की हो, ऐसे निदेश के साथ जिसे वह उचित समझे, प्रेषित कर सकता है।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 15 वर्ष 1983 के अध्याय–तीन की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

निलम्बन की शक्ति

{77–ख–– (1) नगरपालिका के किसी अधिकारी या सेवकों को दण्डित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी उसे निलम्बित कर सकता है –

(क) जहां उसके विरूद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही अनुध्यात या लम्बित हो; या

(ख) जब उसके विरूद्ध नैतिक अधमता के सम्बन्ध में किसी आपराधिक मामले का अन्वेषण, जांच या विचारण किया जा रहा हो।

(2) जहां नगरपालिका के किसी अधिकारी या सेवक पर अधिरोपित पदच्युत या सेवा से हटाए जाने की शक्ति इस अधिनियम या नियमावली के अधीन किसी अपील में अपास्त कर दी जाये तो अधिकारी या सेवक को पदच्युत या सेवा से हटाए जाने के मूल आदेश के दिनांक से निलम्बित या निलम्बित चला आ रहा समझा जायेगा।

(3) जब नगरपालिका के किसी अधिकारी या सेवक पर अधिरोपित पदच्युति या सेवा से हटाए जाने की शक्ति किसी विधि न्यायालय के विनिश्चय के फलस्वरूप या उसके द्वारा अपास्त कर दी जाय या शून्य घोषित कर दी जाय या हो जाये और दण्ड देने वाला प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों पर विचार करने पर उसके विरूद्ध ऐसे अभिकथन को, जिन पर पदच्युति या सेवा से हटाए जाने की शास्ति मूल रूप से अधिरोपित की गई थी, अग्रेत्तर जांच करने का विनिष्चय करे तो अधिकारी या सेवक पदच्युत या सेवा से हटाए जाने के मूल आदेश के दिनांक से दण्ड देने वाले प्राधिकारी द्वारा निलम्बित या निम्बित चला आ रहा समझा जायेगा।

(4) इस धारा के अधीन दिया गया या दिया गया समझा गया निलम्बन का कोई आदेश उस प्राधिकारी द्वारा जिसके साथ उक्त आदेश दिया गया हो या जिसके द्वारा आदेश दिया गया समझा जाय अथवा अपील प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय प्रतिसंहृत किया जा सकता है।

(5) नगरपालिका किसी विशेष संकल्प द्वारा जिसका कम से कम दो–तिहाई ऐसे सदस्यों में जिनसे नगरपालिका गठित हुआ है, समर्थन किया हो, इस धारा के अधीन कार्य करेगी।

(6) कोई अधिकारी या सेवक, जिसे निलम्बित किया गया या रखा गया समझा जाय, ऐसे निलम्बन की अवधि में वेतन के बजाय ऐसा जीवन निर्वाह भत्ता पाने का हकदार होगा, जो विहित किया जाये।}[1]

कतिपय सेवकों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध

नगरपालिका द्वारा नियोजित सरकार के सेवकों या सरकार द्वारा नियोजित नगरपालिका के सेवकों का पेन्शन और उनकी पदच्युति

78–– (1) नगरपालिका किसी ऐसे सेवक की पेन्शन और छुट्टी के भत्ता में अंशदान करेगी ––

(क) जिसकी सेवाएं सरकार द्वारा नगरपालिका को उधार दी गई हो या स्थानान्तरित की गयी हो; या

(ख) जिसकी सेवाएं नगरपालिका द्वारा सरकार को उधार दी गई हो या स्थानान्तरित की गई हो; या

(ग) जो अंशतः सरकार द्वारा अंशतः नगरपालिका द्वारा नियोजित किया गया हो।

(2) ऐसा अंशदान उस परिणाम तक किया जायेगा, जो सम्बन्धित सरकार द्वारा बनाए गए किन्हीं सामान्य नियमों या विशेष आदेशों द्वारा विहित किया गया हो।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 वर्ष 1964 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

(3) {नगरपालिका}[1], सरकार की अनुमति के बिना, उपधारा (1) के खण्ड (क) या (ग) में वर्णित किसी सेवक की समाप्त नहीं करेगी या उपधारा (1) के खण्ड (ख) में वर्णित किसी सेवक को अपनी सेवा से अन्तिम रूप से पदच्युत नहीं करेगी, जब तक कि उसने सरकार को इस सम्बन्ध में कम से कम छः मास का नोटिस न दे दिया हो।

(4) इस धारा में 'सरकार' का तात्पर्य केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से होगा।

छुट्टी भत्ता, भविष्य निधि, वार्षिक और उपदान

79—— (1) प्रत्येक मामलें में, जिसमें {नगरपालिका}[1] किसी अधिकारी या सेवक को वेतन देने का हकदार हो, वह इस निमित्त बनाए गए विनियमों के अधीन रहते हुए ऐसे अधिकारी या सेवक को छुट्टी भत्ता देने की हकदार होगी।

(2) {नगरपालिका}[1] भविष्य निधि स्थापित कर सकती है और उसे बनाए रख सकती है और उसमें स्वयं अंशदान कर सकती है।

(3) {नगरपालिका}[1], अपने किसी ऐसे सेवक को, जिसे भविष्य निधि के लाभ उठाने से अपपर्जित किया गया हो, उसके सेवानिवृत्त होने पर उपदान दे सकती है।

(4) {नगरपालिका}[1], राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, निम्नलिखित के लिए वार्षिक स्वीकृति कर सकती है या उसके क्रय करने का प्रबन्ध कर सकती है —

(क) कोई सेवक, जो अपनी सेवानिवृत्तिक के दिनांक को, उपधारा (2) के अधीन स्थापित भविष्य निधि में अंशदान न कर रहा हो या, जिसने 10 वर्ष से कम की अवधि तक उसमें अंशदान किया हो; और

(ख) कोई अधिकारी या सेवक, जिसे अपने कर्तव्य के निष्पादन में, स्वयं अपने ही व्यतिक्रम से भिन्न किसी कारण से, क्षति हुई हो या जहां ऐसी क्षति के परिणाम–स्वरूप मृत्यु हो जाय तो ऐसे अधिकारी या सेवक को कुटुम्बी।

(5) {नगरपालिका}[1] इसी प्रकार स्वीकृति लेकर उपधारा (4) के खण्ड (ख) के अधन कार्यवाही करने के बजाय उसमें निर्दिष्ट अधिकारी या सेवक को या ऐसे अधिकारी या सेवक के कुटुम्बी को अनुकम्पा भत्ता स्वीकृत कर सकती है।

पूर्ववर्ती धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति की परिसीमा

80—— धारा 79 के उपबन्ध इस शर्त के अधीन होंगे कि {नगरपालिका}[1], राज्य सरकार की विशेष स्वीकृति के बिना किसी अधिकारी या सेवक या उसके कुटुम्बी को उस राशि से अधिक पेन्शन, वार्षिकी या उपदान स्वीकृत नहीं करेगी, जिसका कि वह केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन हकदार होता, यदि पेन्शन, वार्षिकी या उपदान के लिए अर्ह सेवा उस सरकार के अधीन, उतने ही समय के लिए, उसी वेतन पर और अन्य दृष्टिकोणों से उसी प्रकार की होती।

सदस्यों, अधिकारियों तथा सेवकों के दायित्व

अधिभार

{81—— (1) {नगरपालिका}[1] का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, अधिकारी और सेवक {नगरपालिका}[1] के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय तथा दुरुपयोजन के लिए अधिभार का देनदार होगा, यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी या सेवक के रूप में कार्य करते हुए उसकी अपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप हुआ हो :

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के होने के 10 वर्ष की समाप्ति के पश्चात् या उस दिनांक से जब ऐसा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी या सेवक अपने पद पर न रह जाये, पांच वर्ष की समाप्त के पष्चात्, जो भी पश्चात्वर्ती हो, ऐसा दायित्व समाप्त हो जायगा।

(2) इस प्रकार आरोपित अधिभार की राशि इस प्रकार वसूल की जायेगी मानो वह भू–राजस्व की बकाया हो और कलैक्टर, यह समाधान हो जाने पर कि उक्त राशि देय है, उसे बकाया की भांति वसूल करने की कार्यवाही करेगा।

(3) अधिभार की प्रकिया और हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन में सम्मिलित राशि की वसूली ऐसी होगी, जैसी विहित की जाये।

(4) जहां अधिभार की कार्यवाही न की जाये, वहां नगरपालिका विहित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से या उसके द्वारा निर्देश दिए जाने पर, ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध प्रतिकर के लिए वाद संस्थित कर सकती है।}[2]

संविदा आदि में हित अर्जित करने वाले सदस्य या अध्यक्ष पर शस्ति

82–– नगरपालिका के ऐसे सदस्य या अध्यक्ष के बारे में जो विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वयं या अपने भागीदार द्वारा, किसी संविदा या नियोजन में, नगरपालिका के साथ, नगरपालिका द्वारा या उसके निमित्त {कोई अंश या हित है, चाहे वह धन सम्बन्धी हो या किसी अन्य प्रकार का}[1] जान बूझकर अर्जित करता है या उसे बनाए रखता है, यह समझा जायेगा कि उसने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 168 के अधीन अपराध किया है :

परन्तु किसी व्यक्ति के बारे में उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए केवल निम्नलिखित कारणों से यह न समझा जायेगा कि उसने किसी संविदा या नियोजन में {कोई अंश या हित है, चाहे वह धन सम्बन्धी हो या किसी अन्य प्रकार का}[1] अर्जित किया है या उसे बनाए रखा है –

(क) उसका भूमि या भवन के किसी पट्टे, विक्रय या क्रय में या उसके लिए किसी करार में {कोई अंश या हित है, चाहे वह धन सम्बन्धी हो या किसी अन्य प्रकार का, परन्तु ऐसा आरोप या हित चाहे वह धन सम्बन्धी हो या किसी अन्य प्रकार का}[1] उसके सदस्य होने के पूर्व अर्जित किया गया हो; या

(ख) उसकी किसी ऐसी संयुक्त स्टाक कम्पनी में अंश है, जो नगरपालिका के साथ संविदा करेगी या नगरपालिका द्वारा या उसके निमित्त विनियोजित की जायेगी; या

(ग) उसका किसी ऐसे समाचार पत्र में अंश या हित है, चाहे वह धन सम्बन्धी हो या अन्य प्रकार का, जिसमें नगरपालिका के कार्य के सम्बन्ध में विज्ञापन दिया जाता है; या

(घ) उसके पास ऋणपत्र है या वह नगरपालिका द्वारा या उसके निमित्त लिए गए ऋण में अन्यथा हित रखता है; या

(ङ) नगरपालिका द्वारा उसे विधि व्यवसायी के रूप में रहने दिया गया है; या

(च) उसका किसी ऐसी वस्तु का, जिसमें वह नगरपालिका से नियमित रूप से ऐसे मूल्य तक व्यापार करता है, जो एक वर्ष में उस रकम से अधिक न हो, जिसे नगरपालिका राज्य सरकार की स्वीकृति से उस निमित्त निश्चित करें, यदाकदा बिक्री में अंश या हित है, चाहे वह धन सम्बन्धी हो या किसी अन्य प्रकार का; या

(छ) वह धारा 196 (ग) या धारा 229 के उपबन्धों के अधीन नगरपालिका के साथ की गई किसी करार का एक पक्षकार है।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 वर्ष 1964 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 41 वर्ष 1976 के अध्याय–3 की धारा 34 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

संविदा आदि में हित रखने वाले सेवकों के विरूद्ध उपबन्ध

83–– (1) ऐसा व्यक्ति, जिसका {नगरपालिका}[2] सेवक से भिन्न व्यक्ति के रूप में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, स्वयं या अपने भागीदार नगरपालिका के साथ, नगरपालिका द्वारा या उसके निमित्त किसी संविदा में या नगरपालिका के साथ, {नगरपालिका}[2] के अधीन {नगरपालिका}[2] द्वारा या उसके निमित्त किसी संविदा में या नगरपालिका के साथ, नगरपालिका के अधीन नगरपालिका द्वारा या उसके निमित्त किसी नियोजन में {कोई अंश या हित हो, चाहे वह धन सम्बन्धी हो या किसी अन्य प्रकार का}[1] जो {नगरपालिका}[2] का सेवक होने के लिए अनर्ह हो जायेगा।

(2) कोई नगरपालिका सेवक, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से या अपने भागीदार द्वारा किसी ऐसे संविदा या नियोजन में जिसका उपर उल्लेख किया गया है, {कोई अंश या हित, चाहे वह धन सम्बन्धी हो या किसी अन्य प्रकार का}[1] अर्जित करेगा या उसे बनाये रखेगा, नगरपालिका सेवक न रह जायेगा और उसका पद रिक्त हो जायेगा।

(3) किसी ऐसे नगरपालिका सेवक के बारे में, जो जिस नगरपालिका का वह सेवक हो या उस {नगरपालिका}[2] के साथ, नगरपालिका के अधीन नगरपालिका द्वारा या उनके निमित्त किसी संविदा में जहां तक नगरपालिका सेवक के रूप में नियोजन का सम्बन्ध है, उसके सिवाय किसी नियोजन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से {कोई अंश या हित, चाहे वह धन सम्बन्धी हो या अन्य प्रकार का}[1] जानबूझ कर अर्जित करता है या उसको बनाये रखता है, यह समझा जायेगा कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 168 के अधीन अपराध किया है।

(4) इस धारा की कोई भी बात किसी ऐसे अंश या हित पर चाहे वह धन सम्बन्धी हो या किसी अन्य प्रकार का, जो {नगरपालिका}[2] के साथ, नगरपालिका के अधीन नगरपालिका द्वारा या उसके निमित्त किसी संविदा या नियोजन में हो, जैसा कि धारा 82 की उपधारा (2) के खण्ड (ख), (घ) और (छ) में निर्दिष्ट किया गया है या {किसी ऐसे अंश या हित पर चाहे वह धन सम्बन्धी हो या किसी अन्य प्रकार का}[1] जो विहित प्राधिकारी की अनुज्ञा से भूमि या भवन के किसी पट्‌टे, बिक्री या क्रय में या उसके लिए की गई किसी करार में अर्जित किया गया हो या बनाये रखा हो, लागू न होगी।

नगरपालिका के सभी अधिकारी और सेवक लोकसेवक समझे जायेंगे

84–– {नगरपालिका}[2] का प्रत्येक अधिकारी या सेवक भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 के अधिनियम संख्या 45) के अर्थ में लोकसेवक समझा जायेगा और उक्त संहिता की धारा 161 में 'वैध पारिश्रमिक की परिभाषा में' शब्द 'सरकार' के अन्तर्गत इस धारा के प्रयोजनों के लिए नगरपालिका सम्मिलित समझा जायेगा।

विनिर्दिष्ट नगरपालिका सेवकों को अपने कर्तव्यों के पालन करने में चूंकि करने के लिए शास्ति

85–– (1) {नगरपालिका}[2] द्वारा नियोजित सफाई कर्मचारी जो ––

(क) सिवाय सेवा की लिखित शर्तों के अनुसार या {नगरपालिका}[2] की अनुज्ञा के, अपने नियोजन से त्याग पत्र देता है या उसका परित्याग करता है; या

(ख) बिना ऐसे यथोचित कारण के, जिसका सम्भव हो, {नगरपालिका}[2] को नोटिस दे दिया गया हो, अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित रहता है;

दोषसिद्ध ठहराए जाने पर, कारावास के दण्ड का भागी होगा, जो दो मास तक का हो सकता है।

(2) विहित प्राधिकारी निदेश दे सकता है कि किसी भावी विनिर्दिष्ट दिनांक से उपधारा (1) के उपबन्ध {नगरपालिका}[2] द्वारा नियोजित किसी ऐसे अन्य विनिर्दिष्ट वर्ग के सेवकों पर भी लागू होगी, जिनके कृत्यों का लोक स्वास्थ्य या सुरक्षा से घनिष्ठ सम्बन्ध हो :

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 वर्ष 1964 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 124 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

परन्तु विहित प्राधिकारी इस उपधारा के अधीन कोई आदेश देता है तो वह तत्काल उसकी एक प्रतिलिपि आदेश देने के अपने कारणों के विवरण सहित, राज्य सरकार को भेजेगा, जो तदुपरान्त उस आदेश को विखण्डित कर सकती है या यह निदेश दे सकती है कि वह उपान्तर सहित या उसके बिना स्थाई रूप से या ऐसी अवधि के लिए, जो वह उचित समझे, प्रवृत्त रहेगा।

अध्याय 3

नगरपालिका की बैठकें और उनकी कार्यवाहियां

नगरपालिका की बैठकें

86–– (1) {नगरपालिका}[2] की कम से कम एक बैठक प्रतिमास उस दिन होगी, जो विनियम द्वारा निश्चित की जाए या जिसके बारे में उस रीति से, जिसका विनियम द्वारा इस निमित्त उपबन्ध किया गया हो, नोटिस दिया जाए।

(2) अध्यक्ष जब उचित समझे, एक बैठक बुला सकता है और नगरपालिका के पते पर प्राप्ति स्वीकृत की अपेक्षा सहित रजिस्ट्री डाक द्वारा उसके कार्यालय भेजा गया, के पंचमाश से अन्यून सदस्यों के लिखित अधियाचन पर, जो अध्यक्ष पर तामील किया जाये या नगरपालिका हो, ऐसे अधियाचन को तामील या प्राप्ति के दिनांक से {15 दिन}[1] की अवधि के भीतर एक बैठक बुलाएगा :

{परन्तु अध्यक्ष ऐसा नोटिस देकर उसकी व्यवस्था इस निमित्त विनियम द्वारा की गयी हो, उपरोक्त रूप से सदस्यों के अधियाचन पर बुलाई गई बैठक से भिन्न किसी बैठक को, अभिलिखित किये गये कारणों से, स्थगित कर सकता है।}[1]

(3) बैठक अगले दिन या किसी पश्चात्वर्ती दिन के लिए स्थगित की जा सकती है और कोई स्थगित बैठक उसी रीति से अग्रेत्तर स्थगित की जा सकती है।

(4) प्रत्येक बैठक नगरपालिका के कार्यालय में {यदि कोई हो}[1] या ऐसे अन्य सुविधाजनक स्थान पर, जिनके बारे में सम्यक रूप से नोटिस दे दिया गया हो, की जायेगी।

{(5) अध्यक्ष उस सदस्य के नाम की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देगा, जो {नगरपालिका}[2] से स्वीकृति प्राप्त किये बिना {नगरपालिका}[2] की बैठकों से लगातार तीन मास तक अथवा लगातार तीन बैठकों में, जो भी अवधि दीर्घ हो, अनुपस्थित रहा हो।}[1]

बैठकों में कार्य सम्पादन

87–– विनियम द्वारा इस निमित्त बनाए गए किसी प्रतिकूल उपबन्ध के अधीन रहते हुए, किसी बैठक में कोई भी कार्य किया जा सकता है :

परन्तु कोई ऐसा कार्य, जो विशेष संकल्प द्वारा किया जाना अपेक्षित हो, तभी किया जायेगा जब तक कि ऐसा कार्य करने के अभिप्राय की नोटिस न दे दी गयी हो :

परन्तु यह भी कि इस धारा की कोई बात ऐसे प्रस्ताव पर लागू नहीं होगी कि {नगरपालिका}[2], अध्यक्ष के प्रति अविश्वास प्रकट करने का संकल्प अंगीकार करे या ऐसे प्रस्ताव पर कि {नगरपालिका}[2] अध्यक्ष से पद त्याग को मांग करने या संकल्प अंगीकार करे।

87–क–– {***}[4]

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 वर्ष 1964 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 11 वर्ष 2005 की धारा 5 द्वारा निकाला गया।

88–– (1) ऐसे कार्य, जिसे विशेष संकल्प द्वारा किया जाना अपेक्षित है, से भिन्न किसी कार्य को करने के लिए यह आवश्यक होगा कि तत्समय {नगरपालिका}[1] के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई सदस्य उपस्थित हो। गणपूर्ति

(2) किसी ऐसे कार्य को करने के लिए, जिसे विशेष संकल्प द्वारा किया जाना अपेक्षित है, यह आवश्यक होगा कि ऐसे सदस्यों के कम से कम आधे सदस्य उपस्थित हो :

परन्तु यह कि यदि किसी बैठक में विहित गणपूर्ति के अभाव के कारण कार्य स्थगित करना आवश्यक हो जाय तो अध्यक्ष ऐसा कार्य करने के पश्चात् जो किया जा सकता, बैठक को अन्य दिनांक के लिए स्थगित कर देगा और विहित गणपूर्ति के अभाव के कारण उक्त स्थगित कार्य ऐसे दिनांक को या बैठक को किसी पश्चातवर्ती दिनांक के लिए अग्रेत्तर स्थगित किये जाने की दशा में ऐसे पश्चात्वर्ती दिनांक के किया जायेगा, भले ही उसमें उपस्थित सदस्यों की संख्या में कोई कमी हो।

89–– यदि किसी बैठक में न तो अध्यक्ष उपस्थित हो और न ही उपाध्यक्ष तो उपस्थित सदस्य अपने में से किसी को बैठक का अध्यक्ष निर्वाचित करेंगे और ऐसा अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करते समय बोर्ड के अध्यक्ष के सभी कर्तव्यों का पालन करेगा और उसकी सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। बैठक का अध्यक्ष

90–– प्रत्येक बैठक जनसाधारण के लिए खुली रहेगी, जब तक कि उसके अध्यक्ष का यह विचार न हो कि सम्पूर्ण बैठक या उसके किसी भाग से जन साधारण को अपवर्जित किया जाना चाहिए। बैठक का प्रचार

91–– जहां {नगरपालिका}[1] की बैठक से कोई सदस्य या अन्य व्यक्ति अध्यक्ष के किसी ऐसे निदेश का पालन करने से इंकार करता है, जो उसने किसी कार्य, चर्चा या विषय को नियम विरूद्ध घोषित करने या अन्यथा सदस्यों के आचरण या कार्य संचालन को विनियमित करने के लिए दिया हो या जहां कोई सदस्य या व्यक्ति जानबूझकर बैठक में विघ्न डालता है तो अध्यक्ष उस सदस्य या व्यक्ति को बैठक से निकल जाने का आदेश दे सकता है और उसके ऐसा न करने पर उसके विरूद्ध ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है, जो उसे बैठक से हटाने या अपवर्जित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो या जिसके आवश्यक होने का उसे सद्भावपूर्वक विश्वास हो। व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैठक के अध्यक्ष की शक्ति

92–– (1) ऐसे समस्त प्रश्नों का, जो {नगरपालिका}[1] की किसी बैठक में उत्पन्न हो उसका विनिश्चिय, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा : मतदान द्वारा विनिश्चय

{प्रतिबन्ध यह है कि जहां {***}[2] अध्यक्ष की यह राय हो कि किसी प्रश्न पर (जिसके अन्तर्गत बजट के तखमीने और करावधान के प्रस्ताव भी है) {नगरपालिका}[1] की बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा उसका निर्णय {नगरपालिका}[1] के हित के विरूद्ध है तो वह अपनी टिप्पणियों सहित उसे निदेशक को भेज देगा, जो राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, उस पर ऐसा निर्णय ले सकता है (जो {नगरपालिका}[1] के निर्णय का अतिक्रमण या आंशिक परिष्कार करते हुए लिया जा सकता है) जिसे वह उचित समझे और उसका निर्णय ऐसे प्रभावी होगा मानो वह {नगरपालिका}[1] का निर्णय हो :

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 126 द्वारा निकाला गया।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

अग्रत्तर प्रतिबन्ध यह है कि निदेशक अपना अन्तिम निर्णय देने तक ऐसे अन्तरित निदेश दे सकता है, जिन्हें वह उचित समझे और ऐसे निदेश ऐसे प्रभावी होंगे मानों वे नगरपालिका के निर्णय हो।}[1]

(2) मतों के बराबर होने की दशा में बैठक के अध्यक्ष का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

(3) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्ध धारा 94 की उपधारा (6) के उपबन्धों के और इस निमित्त या किसी अन्य अधिनियम के या उसके अधीन किसी ऐसे अन्य उपबन्ध के, जिसमें किसी संकल्प का सदस्यों के किसी अनुपात या संख्या द्वारा समर्थन अपेक्षित हो, अधीन होंगे।

बैठक में कतिपय अधिकारियों को उपस्थित होने तथा बोलने का अधिकार

93–– {मुख्य अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम, निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश या सहायक निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी}[2] अधिशासी अभियंता, विद्यालय निरीक्षक और राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, नगरपालिका की बैठक में उपस्थित रहने और किसी ऐसे विषय पर जिसका उनसे सम्बन्धित विभागों पर प्रभाव पड़ता हो, नगरपालिका को सम्बोधित करने के हकदार होंगे।

कार्य–वृत्त पुस्तिका और संकल्प

94–– (1) नगरपालिका की बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम की गयी कार्यवाही और पारित संकल्प एक पुस्तिका में, जो कार्य–वृत्त पुस्तिका कहलायेगी, दर्ज किये जायेंगे।

{(1–क) नगरपालिका का अधिशासी अधिकारी या जहां अधिशासी अधिकारी न हो, वहां सचिव, सदस्यों की एक उपस्थिति पंजिका रखेगा, जिसमें नगरपालिका की किसी बैठक में भाग लेने के पूर्व प्रत्येक सदस्य हस्ताक्षर करेगा।}[1]

{(2) कार्य–वृत्त को उस बैठक में या उसके ठीक बाद की बैठक में पढ़ा जायेगा कि पारित हो गया, जब तक पढ़े जाने के समय उपस्थित सदस्य, जो उस कार्यवृत्त में अभिलिखित कार्यवाही में भी उपस्थित रहे हो, बहुमत द्वारा आपत्ति न करे।}[1]

(3) किसी बैठक में नगरपालिका द्वारा पारित प्रत्येक संकल्प उसके पश्चात् यथाशक्य शीघ्र {राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक नोटिस के प्रकाशन के प्रयोजनार्थ अनुमोदित, जिले में प्रकाशित होने वाले किसी समाचार पत्र में या यदि जिले में ऐसा कोई समाचार पत्र नहीं है तो उस मण्डल में, जहां सम्बन्धित नगरपालिका स्थित है, प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र में हिन्दी में प्रकाशित किया जायेगा और जहां ऐसा समाचार पत्र नहीं है, वहां नगरपालिका कार्यालय तथा कलेक्टरी कार्यालय के सूचना पट्ट पर लगातार तीन दिनों के लिए लगाया जायेगा।}[1]

(4) बैठक में नगरपालिका द्वारा पारित प्रत्येक संकल्प की प्रतिलिपि अधिवेशन के दिनांक से दस दिन के भीतर विहित प्राधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित की जायेगी।

(5) जब उपधारा (3) या (4) के अधीन किसी संकल्प के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाये तब उसके पश्चात् किन्तु कार्यवृत्त पर, जिसमें उक्त संकल्प अभिलिखित हो, उपधारा (2) की अपेक्षानुसार हस्ताक्षर किये जाने के पूर्व, उस कार्यवृत्त की शब्दावली में कोई परिवर्तन किया जाय तो ऐसा परिवर्तन, यथास्थिति प्रकाशित किया जायेगा या विहित प्राधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट को संसूचित किया जायेगा।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 वर्ष 1964 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 127 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

(6) नगरपालिका का संकल्प उसके पारित होने के बाद छः मास के भीतर तब तक उपांतरित या रद्द नहीं किया जायेगा :–

(क) जब तक कि पूर्व नोटिस, जिसमें उस संकल्प की, जिसे उपान्तरित या रद्द करने का प्रस्ताव हो और ऐसे संकल्प को उपान्तरित या रद्द करने का प्रस्ताव या प्रस्थापना का पूर्ण वर्णन हो, न दे दी गई हो; और

(ख) ऐसे संकल्प के सिवाय, जिसका समर्थन तत्समय नगरपालिका के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम आधे सदस्यों द्वारा किया गया हो।

पत्र व्यवहार, लेखा, बजट आदि का संचालन

पत्र–व्यवहार, लेखा, बजट आदि का संकल्प

95–– निम्नलिखित विषय राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली से विनियमित तथा नियंत्रित होंगे; अर्थात् –

(क) ऐसा या ऐसे मध्यवर्ती कार्यालय, यदि कोई हो, जिसके द्वारा या जिनके माध्यम से नगरपालिका और राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच पत्र–व्यवहार किया जायेगा और नगरपालिका द्वारा सरकार को सम्बोधित अभ्यावेदन भेजे जायेंगे;

(ख) निर्माण कार्य का रेखांकन और प्राक्कलन तैयार करना, जो अंशतः या पूर्णतः नगरपालिका के व्यय पर निर्मित्त किया जाना हो;

(ग) प्राधिकारी जिले द्वारा और शर्त, जिसके अधीन रहते हुए ऐसे रेखांकन और प्राक्कलन स्वीकृत किये जा सकते है;

(घ) अभिकरण, जिसके द्वारा ऐसे रेखांकन और प्राक्कलन तैयार किये जायेंगे और जिसके द्वारा निर्माण कार्य कार्यान्वित किये जायेंगे;

(ङ) लेखा, जो नगरपालिका द्वारा रखे जायेंगे, रीति, जिसके अनुसार लेखा की परीक्षा की जायेगी और वे प्रकाशित किये जायेंगे और अनुज्ञात करने तथा अधिभार के सम्बन्ध में लेखापरीक्षक की शक्ति;

(च) दिनांक, जिसके पूर्व बजट स्वीकृत करने के लिए बैठक होगी;

(छ) बजट तैयार करने में अंगीकृत की जाने वाली प्रणाली और उसका रूप;

(ज) शर्त, जिसके अधीन रहते हुए नगरपालिका को, जिसके सम्बन्ध में धारा 102 के अधीन आदेश जारी किया गया है, अपने बजट में फेरबदल या परिवर्तन करने का हक होगा;

(झ) नगरपालिका द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी, वक्तव्य और रिपोर्ट; और

(ञ) नगरपालिका के कार्यालय और निर्माण कार्य का नियमित आवधिक निरीक्षण।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

संविदा

96–– (1) ऐसे प्रत्येक संविदा की दशा में संकल्प द्वारा नगर महापालिका की अनुमति अपेक्षित है :– संविदा की स्वीकृति

(क) जिसके लिए बजट में व्यवस्था नहीं है; या

{(ख) जिसके किसी नगरपालिका परिषद् द्वारा किए गए संविदा की दशा में {पचास हजार रुपये}[5] और नगर पंचायत द्वारा किए गए संविदा की दशा में {पन्द्रह हजार रुपये}[6] से अधिक मूल्य या धनराशि अन्तर्ग्रस्त हो :}[2]

{प्रतिबन्ध यह है कि नगरपालिका परिषद् की दो बैठकों के मध्य की अवधि के दौरान, अध्यक्ष {एक लाख रुपये}[7] से अनधिक मूल्य या धनराशि को अन्तर्ग्रस्त करने वाली संविदाओं की स्वीकृत कर सकता है।}[3]

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिट दोनों में से किसी प्रकार की संविदा से भिन्न कोई संविदा को नगरपालिका के संकल्प द्वारा या नगरपालिका की समिति द्वारा (जो सलाहकार समिति न हो) जिसे इस निमित्त विनियम द्वारा सशक्त किया गया हो या नगरपालिका के इस प्रकार सशक्त किये गये किसी एक या एक से अधिक अधिकारी या सेवक द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है :

{परन्तु समिति, अधिकारी या सेवक द्वारा स्वीकृति संविदा को नगरपालिका की आगामी बैठक के समक्ष रखा जायेगा।}[1]

(3) जहां किसी परियोजना के रेखांकन और प्राक्कलन को इस निमित्त बनाए गए किसी नियम के अनुसार, नगरपालिका द्वारा स्वीकृत किया गया है और कार्य का निष्पादन नगरपालिका द्वारा अपनी सेवा या नियोजन में किसी अभियंता को सौंप दिया गया है, वहां नगरपालिका परियोजना के निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी संविदाओं को या किसी विशिष्ट प्रकार के किसी एक या अधिक संविदा को, जो धारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी भी प्रकार की संविदा से भिन्न हो, स्वीकृत करने की शक्ति विहित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से उस अभियंता को प्रदान कर सकती है। इस प्रकार प्रदत्त शक्ति के प्रयोग पर कोई शर्त या निर्बन्धन उसी रीति से अधिरोपित कर सकता है।

97–– (1) नगरपालिका द्वारा या उसकी ओर से की गई प्रत्येक संविदा, जिसका मूल्य या राशि 250 रुपया से अधिक हो, लिखित रूप में होगी : संविदा का निष्पादन

{परन्तु जब तक संविदा का लिखित रूप में निष्पादन सम्यक रूप से न किया गया हो, कोई भी कार्य जिसमें उक्त संविदा से सम्बन्धित सामग्री का संग्रह करना भी सम्मिलित है, न तो प्रारम्भ किया जायेगा और न हाथ में लिया जायेगा।}[1]

(2) इस प्रकार की प्रत्येक संविदा पर ––

(क) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा और अधिशासी अधिकारी या सचिव द्वारा; या

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 वर्ष 1964 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 128 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 128 (ख) द्वारा बढ़ाया गया।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 11 वर्ष 2005 की धारा 6 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उपर्युक्त की धारा 6 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उपर्युक्त की धारा 6 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) पूर्ववर्ती धारा की उपधारा (2) या (3) के अधीन संविदा स्वीकृत करने के लिए सशक्त किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा यदि {नगरपालिका}[1] द्वारा अग्रत्तर और इसी रीति से इस निमित्त सशक्त किये जाये।

(3) यदि कोई संविदा, जिस पर इस धारा के पूर्वगामी उपबन्ध लागू होते हैं, उनके अनुरूप नहीं निष्पादित की जाती है तो {नगरपालिका}[1] उससे आबद्ध नहीं होगी।

कतिपय परियोजनाओं के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध

{97–क–– इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, विश्व बैंक या किसी अन्य विदेशी संगठन से सहायता प्राप्त करने वाली या केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित किसी नगर विकास परियोजना के सम्बन्ध में प्रत्येक संविदा की तखमीने राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार तैयार या स्वीकृत की जायेगी ।

राज्य सरकार द्वारा परियोजना के अनुमोदन के दिनांक से एक मास के भीतर ऐसी नगर विकास परियोजना के लिए निधि की स्वीकृति के लिए नगरपालिका की बैठक आयोजित करके विनिश्चय किया जायेगा :

आग्रतर प्रतिबन्ध यह कि यदि नगरपालिका की बैठक प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में विनिर्दिष्ट समय के भीतर न बुलायी जाय या विनिश्चय न किया जाय तो यह समझा जायेगा कि नगरपालिका ने निधि स्वीकृति कर दी है और यदि स्वीकृति देने से इनकार कर दिया जाय या उपान्तरों सहित स्वीकृति दी जाय तो मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा ओर राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम और नगरपालिका पर बाध्यकारी होगा और यह समझा जायेग कि नगरपालिका ने तदनुसार निधि स्वीकृत कर दी है। अधिशासी अधिकारी तदुपरान्त परियोजना का निशपादन कर सकता है, निधि व्यय कर सकता है और नियत समय के भीतर परियोजना का पूरा होना सुनिश्चित कर सकेगाः

प्रतिबन्ध यह भी है कि नगरपालिका परियोजनाओं का नियमित अनुश्रवण करेगी और राज्य सरकार को अपनी आख्या भेजेगी।}[2]

लिखत का रजिस्ट्रीकरण

98–– जहां भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम में, यह अपेक्षित या अनुज्ञात है कि किसी दस्तावेज के सम्बन्ध में उसे निष्पादित करने वाले या उसके अधीन दावा पेश करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा कोई कार्य किया जाये और दस्तावेज को नगरपालिका की ओर से निष्पादित किया गया है या वह दस्तावेज जिसके अधीन {नगरपालिका}[1] दावा पेश कती है, वहां वह कार्य उपर्युक्त अधिनियमिति या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, {नगरपालिका}[1] के अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी या नगरपालिका के सचिव द्वारा या {नगरपालिका}[1] के किसी अधिकारी द्वारा, जिसे विनियम द्वारा इस निमित्त शक्ति प्रदान की जाय, किया जा सकता है।

बजट

बजट

99–– (1) प्रत्येक {नगरपालिका}[1] आगामी मार्च के 31वें दिनांक को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वास्तविक और प्रत्याशित प्राप्तियों और व्यय का पूर्ण लेखा तैयार करायेगी और उसके ठीक बाद आगामी अप्रैल के प्रथम दिनांक को प्रारम्भ होने वाले वर्ष के लिए {नगरपालिका}[1] की आय और व्यय के बजट प्राक्कलन के साथ उसे प्रतिवर्ष ऐसे दिनांक के पूर्व जो इस निमित्त नियमतः निश्चित किया जाय, होने वाली बैठक में अपने समक्ष रखवाएगी।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 129 द्वारा बढ़ाया गया।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) धारा 102 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए {नगरपालिका}[2] ऐसी बैठक में बजट प्राक्कलन में वर्णित विनियोग और अर्थोपाय के बारे में निर्णय करेगी और विशेष संकल्प द्वारा स्वीकृत करेगी, जिसे राज्य सरकार को या ऐसे अधिकारियों को, जिन्हें राज्य सरकार आदेश द्वारा इस निमित्त निर्दिष्ट करे, प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) उपर्युक्त के समान उपबन्धों के अधीन रहते हुए {नगरपालिका}[2] समय–समय पर जैसा परिस्थितियों के अनुसार वांछनीय हो सके, उपधारा (2) के अधीन स्वीकृत बजट में, विशेष संकल्प द्वारा, फेरबदल कर सकती है या उसमें परिवर्तन कर सकती है।

पुनरीक्षित बजट

100–– पहली अक्टूबर के पश्चात् यथाशक्य–शीघ्र उस वर्ष के लिए एक पुनरीक्षित बजट तैयार किया जायेगा और ऐसा पुनरीक्षित बजट यथाशक्य उन सभी उपबन्धों के अधीन होगा, जो धारा 99 के अधीन तैयार किए गए बजट पर लागू होते हैं।

बजट में दर्शित न्यूनतम अन्त अतिशेष

101–– बजट के तैयार करने में {नगरपालिका}[2] ऐसा न्यूनतम अन्त अतिशेष (यदि कोई हो) बनाए रखने की व्यवस्था करेगी, जिसे राज्य सरकार आदेश द्वारा विहित करे।

ऋणी नगरपालिका का बजट

102–– यदि {राज्य सरकार}[1] की राय में किसी {नगरपालिका}[2] की ऋणता की दशा ऐसी हो कि उसके कारण उसके बजट पर {राज्य सरकार}[1] का नियंत्रण वांछनीय हो तो राज्य सरकार आदेश द्वारा उस दशा की घोषणा करके यह निदेश दे सकती है कि ऐसे {नगरपालिका}[1] का बजट {राज्य सरकार}[1] या {विहित प्राधिकारी}[1] की स्वीकृति के अधीन होगा और यह कि धारा 99 की उपधारा (3) के अधीन बजट में फेरबदल या उसमें परिवर्तन करने की शक्ति नियम द्वारा विहित शर्तों के अधीन होगी।

बजट में अतिरिक्त व्यय करने का प्रतिषेध

103–– (1) जहां बजट स्वीकृत कर दिया गया हो, वहां {नगरपालिका}[2] बजट के किसी भी ऐसे शीर्षक के अधीन, जो उस शीर्षक से भिन्न हो, जिसमें के प्रतिदाय की व्यवस्था की गई हो, उस शीर्षक के अधीन स्वीकृत राशि से अधिक राशि का व्यय बजट में फेरबदल या परिवर्तन न करके ऐसी अधिक राशि की व्यवस्था किये बिना नहीं करेगा।

(2) जहां किसी ऐसे शीर्षक के अधीन, जिसमें करों के प्रतिदाय की व्यवस्था की गई हो, उस शीर्षक के अधीन स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किया जाये तो ऐसे व्यय के लिए बजट में फेरबदल करके अविलम्ब व्यवस्था की जायेगी।

समिति और संयुक्त समिति

समिति की नियुक्ति

104–– (1) {नगरपालिका}[2] निम्नलिखित कार्य कर सकती है और जहां {राज्य सरकार}[1] द्वारा अपेक्षा की जाये, ऐसा कार्य करेगा –

(क) विनियम द्वारा ऐसी समितियां स्थापित करना जिन्हें, वह उचित समझे या जिनके लिए राज्य सरकार ऐसी शक्तियों के प्रयोग का, ऐसे कर्तव्यों का पालन या ऐसे कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए, जो धारा 112 के अधीन किसी समिति को प्रत्यायोजित किये जायं, निदेश दे; और

1. एडेप्टेशन आफ लॉ आर्डर, 1950 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) इस प्रकार स्थापित किसी समिति के लिए, एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए अपने ऐसे सदस्यों को, जिन्हे वह उचित समझे, एकल संक्रमणीय मत द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सभापति द्वारा विधान परिषद् में अनुसरणीय कार्य संचालन और प्रकिया के लिए 15 मार्च, 1921 के स्थायी आदेश के आदेश 82 और 87 के अनुसरण में बनाए गए विनियम में विहित रीति के अनुसार निर्वाचन करना और उक्त विनियम में आए हुए शब्द अध्यक्ष' और 'काउंसिल' इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए क्रमशः 'नगरपालिका अध्यक्ष एवं नगरपालिका' पढ़े जायेंगे परन्तु यह कि राज्य सरकार समय—समय पर जैसा वह उचित समझे, इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए उक्त विनियम में संशोधन कर सकती है; और

(ग) खण्ड (ख) के अधीन नियंत्रित किसी सदस्य को संकल्प द्वारा हटाना।

{(1—क) केवल बालिकाओं की शिक्षा के लिए पूर्ववर्ती उपधारा के अधीन स्थापित किसी समिति में उसके कम से कम आधा सदस्य नगरपालिका की महिला सदस्य होगी और साथ ही ऐसी अन्य महिलाएं भी होंगी, जो नगरपालिका की निवासी हो, किन्तु नगरपालिका की सदस्य न हो, किन्तु बालिकाओं की शिक्षा में उनकी अभिरुचि होने के कारण धारा 105 के अधीन नियुक्ति की गयी हो।}[1]

(2) किसी ऐसी समिति का सभापति वह व्यक्ति होगा, जो ऐसी समिति की महिला सदस्यों में से निर्वाचित किया गया हो :

परन्तु यह कि नगरपालिका समय—समय पर संकल्प द्वारा किसी ऐसे विषय पर जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के द्वारा या अधीन नगरपालिका का विनिश्चय अपेक्षित हो, जांच करने और रिपोर्ट देने के प्रयोजन के लिए एक या एक से अधिक सलाहकार समितियां स्थापित कर सकती है और उसके सदस्य नियुक्त कर सकता है।

105—— इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, नगरपालिका के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे संकल्प द्वारा, जिसका समर्थन तत्समय सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम आधे सदस्यों ने किया हो, किसी भी व्यक्ति को चाहे वह स्त्री हो या पुरूष और जो नगरपालिका का सदस्य न हो किन्तु जो नगरपालिका की राय में ऐसी समिति में कार्य करने के लिए विशेष अर्हता रखता हो, समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त करे : *सदस्यों से भिन्न व्यक्तियों की नियुक्ति*

परन्तु समिति में इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की संख्या समिति की कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई से अधिक न होगी।

(2) इस अधिनियम के और किसी ऐसी नियमावली के सभी उपबन्ध, जो सदस्यों के कर्तव्य, शक्ति, दायित्व, अनर्हता और निर्योग्यता से सम्बन्धित हो, उन अनर्हताओं के सिवाय जो लिंग भेद के आधार पर हो, यथाशक्य उस व्यक्ति पर लागू होगा।

106—— किसी समिति में हुई रिक्ति की पूर्ति किसी भी समय नगरपालिका द्वारा धारा 104 या धारा 105 में विहित रीति के अनुसार दूसरे सदस्य या व्यक्ति को नियुक्त करके की जा सकती है। *समिति में रिक्तियां*

107—— (1) नगरपालिका संकल्प द्वारा किसी समिति का सभापति नियुक्त कर सकती है। *समिति का सभापति।*

(2) नगरपालिका द्वारा सभापति नियुक्त न करने की दशा में समिति अपने सदस्यों में से सभापति नियुक्त करेगी।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 7 वर्ष 1949 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय—तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

समितियों की प्रकृति

108—— (1) धारा 92 की उपधारा (1) और (2), धारा 93 और धारा 94 की उपधारा (1), (2), (4), (5) और (6) के उपबन्ध नगरपालिका की समितियों की कार्यवाहियों पर उसी प्रकार लागू होंगे मानों वह शब्द 'नगरपालिका' के स्थान पर, जहां कहीं भी वह उनमें आया हो, शब्द 'समिति' रख दिया गया हो।

(2) समितियां, जब वे उचित समझे, बैठक कर सकती है या उसे स्थगित कर सकती है, किन्तु समिति का सभापति, जब भी वह ठीक समझे, समिति की बैठक बुला सकता है और नगरपालिका के अध्यक्ष या समिति के कम से कम दो सदस्यों के लिखित अनुरोध पर बैठक बुलाएगा।

(3) उपधारा (4) में अन्तर्विष्ट उपबन्ध के अधीन रहते हुए किसी बैठक में तब तक कोई कार्य नहीं किया जायेगा जब तक कि उसमें समिति के एक चौथाई से अधिक सदस्य उपस्थित न हो।

(4) जहां किसी समिति की बैठक में विहित गणपूर्ति के अभाव में कोई कार्य स्थगित करना आवश्यक हो, वहां धारा 88 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा।

समिति का नगरपालिका के अधीनस्थ होना

109—— (1) नगरपालिका, किसी भी समय किसी समिति से किसी भी कार्यवाही के उद्धरण और किसी ऐसे विषय में, जिसके लिए समिति कार्यवाही करने के लिए प्राधिकृत या निदेशित की गयी हो, सम्बद्ध या संसक्त कोई विवरणी, विवरण—पत्र, लेखा की रिपोर्ट मांग सकती है।

(2) प्रत्येक समिति उपधारा (1) के अधीन नगरपालिका द्वारा किये गए किसी अधिवचन का विधि के अनुसार शीघ्र अनुपालन करेगी।

(3) नगरपालिका समिति के किसी विनिश्चय में कारणों को अभिलिखित करके, फेरबदल या उसको अधिभूत कर सकती है।

संयुक्त समिति

110—— (1) नगरपालिका, एक या एक से अधिक किसी अन्य अनुमति देने वाले स्थानीय प्राधिकारी को सम्मिलित करके, कोई ऐसा कार्य करने के प्रयोजनार्थ, जिसमें वे संयुक्त रूप से हितबद्ध हो, सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारियों के हस्ताक्षर युक्त लिखत के माध्यम से संयुक्त समिति नियुक्त कर सकती है और यदि राज्य सरकार द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाये तो नियुक्त करेगी।

(2) ऐसे लिखत में, उन सदस्यों की संख्या जिन्हें प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उक्त संयुक्त समिति में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना जायेगा, वह व्यक्ति, जो उसका सभापति होगा, शक्ति, जो एक या एक से अधिक सहमति देने वाले स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य होने के कारण संयुक्त समिति द्वारा प्रयोग की जा सकेगी और उसकी कार्यवाही और पत्र व्यवहार के संचालन की रीति विहित होगी।

(3) ऐसे लिखत में समय—समय पर किसी अग्रेत्तर लिखत द्वारा, जिसपर सभी सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकारियों ने हस्ताक्षर किए हों, फेरबदल किया जा सकता या उसको विखण्डित किया जा सकता है और इस उपधारा के अधीन किसी लिखत के विखण्डन की दशा में तद्धीन सभी कार्यवाहियां, उक्त अग्रेत्तर लिखत में विनिर्दिष्ट दिनांक से अप्रवर्तनशील समझी जायेगी।

(4) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान दो या अधिक स्थानीय प्राधिकारियों के बीच उत्पन्न किसी मतभेद का विनिश्चय धारा 325 के अधीन राज्य सरकार को निर्देश करके किया जाएगा।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय—तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

{110–क–– (1) उत्तर प्रदेश में नगरपालिकाएं संघ बनने के लिए सम्मिलित हो सकती है, जिसे राज्य नगरपालिका संघ कहा जायेगा : राज्य नगरपालिका संघ का बनाया जाना और उसके कृत्य

परन्तु ऐसा कोई संघ तब तक न बनाया जायेगा जब तक कि राज्य में आधे से अधिक नगरपालिकाएं, सदस्य बनने के लिए अपने आशय का संकल्प पृथक–पृथक पारित न कर दे।

(2) इस धारा की उपधारा (1) के अधीन बनाया गया संघ नगरपालिकाओं के सामान्य हित की समस्याओं की जांच करेगा। नगरपालिका प्रशासन में सुधार के लिए नगरपालिकाओं को सलाह देगा और ऐसे अन्य कृत्य करेगा, जिन्हें राज्य सरकार समय–समय पर विहित करे।

(3) निम्नलिखित विषय राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली द्वारा विनियमित और नियंत्रित होंगे; अर्थात् –

(क) संघ का गठन तथा उसके लक्ष्य और उद्‌देश्य;

(ख) नगरपालिका द्वारा संघ को किए जाने वाले अंशदान की धनराशि और उसकी रीति;

(ग) संघ के वित्त का प्रबन्धन और नियंत्रण;

(घ) {***}[2]

(ङ) सामान्यतया ऐसे अन्य विषय, जो इस धारा के लिए आवश्यक हो।}[1]

नगरपालिका द्वारा शक्ति का प्रयोग और प्रत्यायोजन

111–– (1) नगरपालिका अनुसूची 1 के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट शक्ति, कर्तव्य और कृत्य, सिवाय उनके जिनके सम्मुख उक्त अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में प्रविष्टि की गई है, का प्रयोग, पालन और निर्वहन कर सकती है और नगरपालिका द्वारा उनका प्रयोग, पालन और निर्वहन नगरपालिका की बैठक में पारित संकल्प द्वारा या अन्यथा नहीं किया जायेगा। शक्ति, जिनका प्रयोग नगरपालिका संकल्प द्वारा कर सकती है

(2) उपधारा (1) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह नगरपालिका के किसी संकल्प को इस अधिनियम के द्वारा या अधीन इस निमित्त यथाविधि प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा अथवा नगरपालिका के किसी ऐसे सेवक द्वारा जो अपने नियोजन की परिधि के भीतर कार्य कर रहा हो, निष्पादित किये जाने से निवारित करती है।

112–– (1) ऐसी शक्ति, कर्तव्य या कृत्य के अपवाद स्वरूप, जो – नगरपालिका द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन

(क) अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट हो और जिनके सामने तृतीय स्तम्भ में कोई प्रविष्टि नहीं की गई हो;

(ख) धारा 50 के खण्ड (क), (ख) और (ग) द्वारा या धारा 51 द्वारा अध्यक्ष के लिए आरक्षित हो या उसको समनुदेशित किये गये हों; और

(ग) जहां अधिशासी अभियंता या कोई स्वास्थ्य अधिकारी हो वहां धारा 60 द्वारा अधिशासी अधिकारी के लिए या धारा 60–क द्वारा स्वास्थ्य अधिकारी के लिए आरक्षित हो;

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 1 वर्ष 1955 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 130 द्वारा निरसित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

{नगरपालिका}[1] सभी या किसी शक्ति शक्ति, कर्तव्य या कृत्य, को, जो इस अधिनियम के अधीन {नगरपालिका}[1] को प्रदत्त या अधिरोपित या समनुदेशित किये गये हों, विनियम द्वारा प्रत्यायोजित कर सकती है।

(2) उपधारा (3) में किए गए उपबन्ध के सिवाय, {नगरपालिका}[1] ऐसी शक्ति, कर्तव्य या कृत्य का, जिसे उसने उपधारा (1) के अधीन प्रत्यायोजित किया है, प्रयोग पालन या निर्वहन स्वयं नहीं करेगा अथवा उसके प्रयोग, पालन या निर्वहन में हस्तक्षेप नहीं करेगी।

(3) नगरपालिका द्वारा उपधारा (1) के अधीन किसी शक्ति, कर्तव्य या कृत्य का प्रत्यायोजन इस शर्त के अधीन रहते हुए किया जा सकता है कि प्रत्यायोजन के अनुसरण में दिए गए समस्त या कोई आदेश इस शर्त के अधीन होगा कि विनिर्दिष्ट समय के भीतर उसके विरूद्ध नगरपालिका की अपील करने का अधिकार होना या {नगरपालिका}[1] द्वारा उसका पुनरीक्षण किया जा सकेगा।

(4) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि वह {नगरपालिका}[1] की किसी समिति के संकल्प को इस अधिनियम के द्वारा या अधीन इस निमित्त यथाविधि प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा निष्पादित किये जाने से निर्धारित करती है अथवा {नगरपालिका}[1] के किसी सेवक को अपने नियोजन की परिधि के भीतर कार्य करने से प्रवारित करनी है।

कार्य और कार्यवाही की विधिमान्यता

उपधारणा और आवृत्ति

113–– (1) {नगरपालिका}[1] में या नगरपालिका की समिति में किसी रिक्ति के कारण नगरपालिका या ऐसी समिति का कोई कार्य या कार्यवाही दूषित नहीं होगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन {नगरपालिका के सदस्य या सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नाम–निर्देशन या नियक्ति में या नियुक्त की गई किसी समिति के सदस्य}[2] में या नगरपालिका के या ऐसी समिति की किसी बैठक में अध्यक्ष या सभापति के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन या नाम–निर्देशन किये जाने में किसी निर्योग्यता या त्रुटि के कारण नगरपालिका या समिति के किसी कार्य या कार्यवाही को दूषित नहीं समझा जायेगा। यदि कार्य करते या कार्यवाही किये जाते समय अधिकांश उपस्थिति व्यक्ति अर्ह या नगरपालिका या समिति के सम्यक रूप से निर्वाचित या नाम–निर्दिष्ट सदस्य रहे हों।

(3) जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न हो जाय, किसी लेख्य या कार्यवृत्त को जिसका {नगरपालिका}[1] या समिति की कार्यवाही का अभिलेख होना तात्पर्यित हो, यदि वह ऐसी कार्यवाही का अभिलेख तैयार करने और उस पर हस्ताक्षर करने के लिए विहित रीति के अनुसार सारतः तैयार किया गया हो और उस पर हस्ताक्षर किये गये हों, ऐसे सम्यक् रूप से गठित {नगरपालिका}[1] या समिति द्वारा, जिसके सभी सदस्य सम्यक् रूप से अर्ह रहे हों, सम्यक् रूप से बुलाई गई बैठक की कार्यवाही का अभिलेख समझा जायेगा।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 131 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

अध्याय– 4

नगरपालिका निधि और सम्पत्ति

नगरपालिका निधि

114–– {(1) प्रत्येक नगरपालिका के लिए एक निधि स्थापित की जायेगी, जिसे नगरपालिका निधि कहा जायेगा और इसमे प्राप्त सभी राशियां, जिसमें राज्य की संचित निधि से प्राप्त अनुदान और नगरपालिका द्वारा या उसके निमित्त लिए गए सभी ऋण सम्मिलित है, जमा की जायेगी।}[3]

(2) इस धारा की किसी बात का नगरपालिका के किसी ऐसी बाध्यता पर प्रभाव न पड़ेगा, जो उस पर निधि द्वारा अधिरोपित या उसके द्वारा स्वीकृत किसी न्यास से उत्पन्न हो।

धन उधार लेने की नगरपालिका की शक्ति

{114–क–– नगरपालिका अपने कर्तव्यों और कृत्यों के सम्पादन के लिए, चाहे वे आज्ञापक या वैयक्तिक हों, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से और इस निमित्त विहित नियमों के अधीन रहते हुए, डिबेंचर जारी करके या किसी अन्य प्रतिभूति पर खुले बाजार में या किसी वित्तीय संस्था से ऋण ले सकती है।}[2]

नगरपालिका निधि की अभिरक्षा और उसका विनिधान

115–– {(1) नगरपालिका–निधि सरकारी कोषागार या उप कोषागार में या स्टेट बैंक आफ इण्डिया में या राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से उत्तर प्रदेश को–आपरेटिव बैंक या किसी अनुसूचित बैंक में रखी जायेगी।}[1]

(2) उन स्थानों में जहां कोई ऐसा कोषागार या उप कोषागार या बैंक न हो, नगरपालिका निधि बैंकर के रूप में कार्य कर रहे व्यक्ति के पास रखी जायेगी, जिसने इस प्रकार रखी गई निधि की सुरक्षित अभिरक्षा और मांग किए जाने पर प्रतिसंदाय की ऐसी प्रतिभूति दी हो, जिसे राज्य सरकार प्रत्येक मामले में पर्याप्त समझे :

परन्तु यह कि इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों से यह न समझा जायगा कि उनसे नगरपालिका, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, अपनी नगरपालिका निधि के किसी भाग को, जो तुरन्त व्यय के लिए अपेक्षित न हो, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 20 में वर्णित किसी प्रतिभूति में विनिहित कररने या प्रेसीडेन्सी बैंक में सावधि निक्षेप में रखने से प्रविरत होती है।

नगरपालिका में निहित सम्पत्ति

116–– राज्य सरकार द्वारा किए गए किसी विशेष आरक्षण के अधीन रहते हुए इस धारा में इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट और {नगरपालिका क्षेत्र}[4] में स्थित सभी प्रकार की सम्पत्ति {नगरपालिका क्षेत्र}[4] में निहित होगी और नगरपालिका की होगी और ऐसी समस्त अन्य सम्पत्ति के साथ, जो {नगरपालिका क्षेत्र}[4] में निहित हो जाय, {नगरपालिका क्षेत्र}[4] के निदेश, प्रबन्ध और नियंत्रण में रहेगी, अर्थात् :

(क) सभी सार्वजनिक नगर भित्तियां, फाटक, बाजार, वध–शालाएं, खाद और विष्ठा डिपो और प्रत्येक प्रकार के सार्वजनिक भवन, जो नगरपालिका निधि से निर्मित किए गए हों या अनुरक्षित किए जाते हों।

(ख) सभी सार्वजनिक स्रोत, झील, तालाब, कुएं और सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए जल का सम्भरण, संचय और वितरण करने के सभी निर्माण कार्य और उससे संसक्त या अनुलग्न सभी पुल, भवन, इंजन, सामग्री और वस्तुए और कोई पार्श्वस्थ भूमि भी, जो निजी सम्पत्ति न होते हुए किसी सार्वजनिक तालाब या कुएं से अनुलग्न हो;

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 27 वर्ष 1964 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 19 वर्ष 1990 के अध्याय–दो की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 132 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 133 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ग) सभी सार्वजनिक सीवर, नालियाँ, पुलियाँ और जल–प्रणालियां और उनसे अनुलग्न सभी निर्माण कार्य सामग्री और वस्तुएँ;

(घ) सभी धूल, गोबर, विष्ठा, राख, कूड़ा–करकट, किसी प्रकार का प्राणी–पदार्थ या गन्दगी या कचरा या मृत पशुओं के शव, जो {नगरपालिका क्षेत्र}[1] द्वारा सड़कों, गृहों, 273 के अधीन {नगरपालिका क्षेत्र}[1] द्वारा नियत स्थानों में जमा किए जाएं;

(ङ) सभी सार्वजनिक बत्तियां, बत्ती के खम्बे और उससे संसक्त या अनुलग्न यंत्र;

(च) सभी भूमि या अन्य सम्पत्ति जो स्थानीय सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए सरकार द्वारा या दान या क्रय द्वारा या अन्यथा {नगरपालिका क्षेत्र}[1] को अन्तरित की गई हो; और

(छ) सभी सार्वजनिक सड़कें और उसके खडंजे, पत्थर और अन्य सामग्री और ऐसी सड़कों पर विद्यमान या उससे अनुलग्न सभी वृक्ष निर्माण, सामग्री उपकरण और वस्तुएं।

भूमि का अनिवार्य अर्जन

117—— जहां नगरपालिका इस या किसी अन्य अधिनियम के अधीन किसी शक्ति के प्रयोग या किसी कर्तव्य के पालन के प्रयोजन के लिए जो उसे प्रदत्त किया गया था उस पर अधिरोपित किया गया हो, राज्य सरकार से भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 या किसी अन्य विद्यमान विधि के उपबन्धों के अधीन उसकी ओर से कोई भूमि या किसी भूमि के सम्बन्ध में कोई अधिकार स्थायी या अस्थायी रूप में अर्जित करने की अपेक्षा करे, वहां राज्य सरकार विहित रीति से नगरपालिका द्वारा किये गये निवेदन पर पूर्वोक्त उपबन्धों के अधीन, ऐसी भूमि या ऐसे अधिकार को अर्जित कर सकती है और नगरपालिका द्वारा राज्य सरकार को तदान्तर्गत अधिनिर्णीत प्रतिकर और उपर्युक्त कार्यवाही के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा किए गए परिव्यय को भुगतान किये जाने पर यथास्थिति उक्त भूमि या अधिकार नगरपालिका में निहित होंगे।

नगरपालिका का अपने प्रबन्ध में सौपी गई सम्पत्ति के प्रबन्ध और नियंत्रण की शक्ति

118—— नगरपालिका आगामी धारा के उपबन्धों और सम्पत्ति के स्वामी द्वारा अधिरोपित किसी शर्त के अधीन रहते हुए, अपने प्रबन्ध और नियंत्रण में सौंपी गई किसी सम्पत्ति का प्रबन्ध और नियंत्रण कर सकती है।

सार्वजनिक संस्था

119——(1) प्रत्येक सार्वजनिक संस्था का, जिसका अनुरक्षण अनन्य रूप से नगरपालिका विधि से किया जाता हो, प्रबन्ध, नियंत्रण और प्रशासन नगरपालिका में निहित होगा।

(2) नगरपालिका में कोई अन्य सार्वजनिक संस्था निहित की जा सकती है, उसका प्रबन्ध, नियंत्रण और प्रशासन उसके अधीन रखा जा सकता है, परन्तु उसके सम्बन्ध में नगरपालिका के स्वतंत्र प्राधिकार का विस्तार नियम द्वारा विहित किया जा सकता है।

(3) किसी सार्वजनिक संस्था की, जो नगरपालिका में निहित हो या उसके प्रबन्ध, नियंत्रण और प्रशासन के अधीन रखी गई हो, समस्त सम्पत्ति, विन्यास और निधि नगरपालिका द्वारा ऐसे प्रयोजन के लिए न्यास में रखी जायेगी, जिसके लिए ऐसी सम्पत्ति विन्यास और निधि उस समय वैध रूप में प्रयोजन होती जब कि उक्त संस्था इस प्रकार निहित थी या इस प्रकार रखी गई थी।

(4) परन्तु यह कि इस धारा से पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात से यह न समझा जायेगा कि वह किसी न्यास की सम्पत्ति का पूर्व विन्यास अधिनियम, 1890 के अधीन पूर्व विन्यास के कोषाध्यक्ष में निहित करने से निवारित करती है।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 133 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

{नगरपालिका क्षेत्र}[5] निधि और सम्पत्ति का उपयोजन

120–– (1) नगरपालिका में निहित {नगरपालिका क्षेत्र}[5] निधि और समस्त सम्पत्ति का उपयोजन उन अभिव्यक्त या विवक्षित प्रयोजनों के लिए किया जायेगा, जिनके लिए इस या किसी अन्य अधिनियम के अधीन, {नगरपालिका क्षेत्र}[5] को शक्ति प्रदत्त है या उस पर कर्तव्य या बाध्यता अधिरोपित किये गये हैं।

(2) परन्तु यह कि {नगरपालिका क्षेत्र}[5] की सीमा से बाहर भूमि अर्जन करने या उसे कर पर देने या ऐसी सीमा से बाहर कोई निर्माण कार्य करने के लिए सिवाय –

{(क) राज्य सरकार की स्वीकृति के; और

(ख) ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों पर जिन्हें राज्य सरकार अधिरोपित करे; कोई व्यय नहीं करेगा।

(3) परन्तु यह भी कि {नगरपालिका क्षेत्र}[5] के निम्नलिखित दायित्वों और बाध्यताओं को नीचे वर्णित क्रम में प्राथमिकता दी जायेगी –

{(क) सफाई मजदूरों के वेतन और भत्तों का भुगतान;

(कक) {नगरपालिका} पर वैध रूप से अधिरोपित या उसके द्वारा स्वीकृत न्यास से उत्पन्न दायित्व और बाध्यताएं;}[2]

(ख) स्थानीय प्राधिकरण उधार अधिनियम, 1914 के उपबन्धों के अधीन उपगत किसी ऋण का प्रतिसंदाय और उस पर ब्याज का भुगतान;

(ग) {खण्ड (क) के अधीन भुगतान को छोड़कर, स्थापना व्यय का भुगतान}[3] जिनके अन्तर्गत ऐसे अंशदान है, जो धारा 78 में निर्दिष्ट किए गये हैं और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिशासी अधिकारों का वेतन, भत्ते और पेन्शन;

(घ) कोई धनराशि, जिसका धारा 35 के उपधारा (3) धारा 36 की उपधारा (2), धारा 126, धारा 163 की उपधारा (3) या धारा 320 की उपधारा (3) के अधीन {नगरपालिका क्षेत्र}[5] निधि से भुगतान करने का आदेश दिया गया हो।

{स्पष्टीकरण–– इस उपधारा के प्रयोजनार्थ, ऐसे किसी व्यक्ति को सफाई मजदूर समझा जायेगा और वह {नगरपालिका क्षेत्र}[5] की सड़कों, गलियों, रास्तों, नालियों, सीवरों, शौचालयों और मूत्रालयों में झाडू लगाने और उनकी सफाई करने, मृत पशुओं और कूड़ा करकट ढोने के प्रयोजनों के लिए और इसी प्रकार के अन्य कार्यों के लिए {नगरपालिका क्षेत्र}[5] द्वारा सेवायोजित हो।}[4]

कतिपय मुकदमों पर नगरपालिका निधि से होने वाले व्यय पर निर्बन्धक

{120–क–– राज्य सरकार द्वारा धारा 30, धारा 34, धारा 40 या धारा 48 के अधीन जो आदेश दिया गया है या दिया हुआ तात्पर्यित है, उसके सम्बन्ध में नगरपालिका या उसके अध्यक्ष द्वारा या उसकी ओर से किसी न्यायालय से संस्थिति या प्रारम्भ की गई किसी कार्यवाही पर खर्च करने के प्रयोजनार्थ नगरपालिका निधि से कोई व्यय निदेशक की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जायेगा।}[1]

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 41 वर्ष 1976 की धारा 37 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 15 वर्ष 1983 के अध्याय–तीन की धारा 11 (एक) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 11(दो) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 11(तीन) द्वारा बढ़ाया गया।
5. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 133 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

{120–ख–– उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 के अध्याय 7 के उपबन्ध किसी ऐसे भू–गृहादि के सम्बन्ध में, जो {नगरपालिका}[3] के हो या उसमें निहित हो अथवा नगरपालिका द्वारा पट्टे पर लिए गए हों, इस ऐक्ट के प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार वे उक्त अधिनियम में यथापरिभाषित 'परिषद् के भू–गृहादि' के सम्बन्ध में लागू होते हों और उनमें परिषद् तथा उक्त अधिनियम के अधीन नियत विषय के लिए किए गए अभिदेश क्रमशः इस अधिनियम में यथा परिभाषित {नगरपालिका}[3] तथा इस अधिनियम में नियत विषय के लिए किए गए अभिदेश समझे जायेंगे।}[1]

नगरपालिका के भू–गृहादि के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 वर्ष 1966 के अध्याय 7 का लागू किया जाना

121–– (1) जब धारा 3 के अधीन अधिसूचना के कारण कोई स्थानीय क्षेत्र {यथास्थिति संक्रमणशील क्षेत्र या लघुतर नगरीय क्षेत्र}[2] न रह जाये और उसे तत्काल किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी के नियंत्रण के अधीन रख दिया जाये तब {नगरपालिका}[3] में निहित नगरपालिका निधि और सम्पत्ति ऐसे अन्य स्थानीय प्राधिकारी में निहित हो जायेगी और {नगरपालिका}[3] के दायित्व ऐसे अन्य स्थानीय प्राधिकारी को अंतरित हो जायेंगे।

जब क्षेत्र {यथास्थिति सक्रंमणशील क्षेत्र या लघुतर नगरीय क्षेत्र}[2] न रह जाये तब निधि का निस्तारण

(2) इसी प्रकार जब कोई स्थानीय क्षेत्र {यथास्थिति सक्रंमणशील क्षेत्र या लघुतर नगरीय क्षेत्र}[2] न रह जाये और उसे तत्काल अन्य स्थानीय प्राधिकारी के नियंत्रण के अधीन न रख दिया जाये, तब नगरपालिका में निहित नगरीय क्षेत्र निधि का अतिशेष और अन्य सम्पत्ति राज्य सरकार में निहित हो जायेगी और नगरपालिका के दायित्व राज्य सरकार को अन्तरित हो जायेंगे।

122–– (1) जब धारा 3 के अधीन अधिसूचना के कारण कोई स्थानीय क्षेत्र {यथास्थिति संक्रमणशील क्षेत्र या लघुतर नगरीय क्षेत्र}[2] में सम्मिलित न रह जाये और उसे तत्काल किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी के नियंत्रण के अधीन रख दिया जाये तब नगरपालिका में निहित {यथास्थिति संक्रमणशील क्षेत्र या लघुतर नगरीय क्षेत्र}[2] निधि का ऐसा भाग और अन्य सम्पत्ति उस अन्य स्थानीय प्राधिकारी में निहित हो जायेगी और {नगरपालिका}[3] के दायित्वों का ऐसा भाग, जिसे राज्य सरकार {नगरपालिका}[3] और उस अन्य स्थानीय प्राधिकारी से परामर्श करने के पश्चात् अधिसूचना द्वारा घोषित कर उस अन्य स्थानीय प्राधिकारी को अंतरित हो जायेगा।

जब क्षेत्र {यथास्थिति सक्रंमणशील क्षेत्र या लघुतर नगरीय क्षेत्र}[2] में सम्मिलित न रह जाये तब निधि का निस्तारण

(2) इसी प्रकार जब कोई स्थानीय क्षेत्र {यथास्थिति सक्रंमणशील क्षेत्र या लघुतर नगरीय क्षेत्र}[2] में सम्मिलित न रह जाये और उसे तत्काल किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी के नियंत्रण के अधीन न रख दिया जाय, तब {नगरपालिका}[3] में निहित {नगरपालिका}[3] निधि का ऐसा भाग और अन्य सम्पत्ति राज्य सरकार में निहित हो जायेगी और {नगरपालिका}[3] के दायित्वों का ऐसा भाग जिसे राज्य सरकार, {नगरपालिका}[3] से परामर्श करने और अपवर्जित क्षेत्र के निवासियों द्वारा किए गए किसी अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् अधिसूचना द्वारा घोषित कर राज्य सरकार को अन्तरित हो जायेगा :

(3) परन्तु यह कि यदि कोई अपवर्जित स्थानीय क्षेत्र किसी ऐसे स्थानीय प्राधिकारी नियंत्रण के अधीन रखा जाये जो अपवर्जन के पूर्व के दिनांक को विद्यमान न हो तो राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन घोषणा करने के पूर्व अपवर्जित क्षेत्र के निवासियों द्वारा किए गए किसी अभ्यावेदन पर विचार करेगी :

(4) परन्तु यह भी कि इस धारा के पूर्वगामी उपबन्ध ऐसे किसी मामले के सम्बन्ध में लागू न होंगे, जहां राज्य सरकार की राय में परिस्थिति ऐसी हो, जिससे {यथास्थिति संक्रमणशील क्षेत्र या लघुतर नगरीय क्षेत्र}[2] निधि या दायित्व के किसी भाग का अन्तर अवांछनीय हो जाय।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 22 वर्ष 1972 की धारा 19(5) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 134 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

निधि और सम्पत्ति का उपयोग, जो धारा 121 या 122 के अधीन सरकार को प्रोदभूत हो

123–– नगरपालिका निधि या नगरपालिका निधि के किसी भाग या नगरपालिका की अन्य सम्पत्ति का उपयोग, जो धारा 121 या 122 के उपबन्धों के अधीन {राज्य सरकार}[1] को प्रोदभूत हो, सर्वप्रथम ऐसे उपबन्धों के अधीन {राज्य सरकार}[1] को अन्तरित नगरपालिका के दायित्वों की पूर्ति करने के लिए और तत्पश्चात् स्थानीय क्षेत्र के निवासियों के लाभ के लिए किया जायेगा।

सम्पत्ति अन्तरण सम्बन्धी नगरपालिका की शक्ति

124–– (1) नगरपालिका, इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिरोपित किसी निर्बन्धन के अधीन रहते हुए, नगरपालिका में निहित किसी सम्पति को, जो किसी न्यास के सम्बन्ध में उसके द्वारा धृत सम्पत्ति न हो, जिसकी शर्ते इस प्रकार अन्तरण के अधिकार से असंगत हो, विक्रय, बन्धक, पट्टा, दान, विनियम द्वारा या अन्य प्रकार से अन्तरित कर सकता है।

(2) नगरपालिका, उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार की स्वीकृति से, नगरपालिका में निहित किसी सम्पत्ति का सरकार को अन्तरण कर सकती है, किन्तु इस प्रकार से नहीं कि उससे किसी न्यास या सार्वजनिक अधिकार पर जिसके अधीन वह सम्पत्ति हो, कोई प्रभाव पडे :

(3) परन्तु यह कि उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अन्तरण ऐसे पट्टे को छोड़कर, जिसकी अवधि एक वर्ष से अधिक न हो, ऐसी लिखत द्वारा किया जायेगा, जो नगरपालिका की सामान्य मुहर से मुद्रांकित होगी और अन्यथा वह ऐसी सभी शर्तों का अनुपालन करेगी, जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन संविदा के सम्बन्ध में अधिरोपित की गई हो।

नगरपालिका निधि से प्रतिकर का भुगतान

125–– नगरपालिका निधि में से किसी ऐसे व्यक्ति को प्रतिकर दे सकती है, जिसे इस या किसी अन्य अधिनियम के अधीन नगरपालिका उसके अधिकारी या या सेवकों में निहित अथवा धारा 34 के अधीन {राज्य सरकार}[1], विहित प्रतिकारी या जिला मजिस्ट्रेट में विहित किसी शक्ति का प्रयोग करने के कारण कोई क्षति पहुंची हो ओर ऐसा प्रतिकर उस दशा में देगा जब उस व्यक्ति ने जिससे क्षति पहुंची हो, स्वयं उस मामलें में कोई चूक न की हो, जिसके सम्बन्ध में उस शक्ति का प्रयोग किया गया था।

मेले आदि में पुलिस आदि में पुलिस के विशेष संरक्षण के लिए नगरपालिका द्वारा भुगतान

126–– (1) जब {राज्य सरकार}[1] की राय में नगरापालिका द्वारा आयोजित किसी मेले कृषि प्रदर्शनों या औद्योगिक प्रदर्शनों के अवसर पर पुलिस का विशेष संरक्षण अपेक्षित हो तब राज्य सरकार ऐसे संरक्षण की व्यवस्था कर सकती है और नगरपालिका उसके पूरे प्रभार का या उस प्रभार के ऐसे भाग का, जिसे {राज्य सरकार}[1] उसके द्वारा सामयिक रूप में दे समझे, भुगतान करेगा।

(2) यदि प्रभार की धनराशि का भुगतान न किया जाय तो जिला मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को, जिसके अभिरक्षा में नगरपलिका निधि हो, ऐसी निधि से उक्त व्यय का भुगतान करने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकता है।

नगरपालिका निधि सम्पत्ति से सम्बद्ध अन्य विषय

127–– निम्नलिखित मामले द्वारा 296 के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली द्वारा विनियमित और नियंत्रित होंगे; अर्थात् :–

(क) प्रतिकारी, जिसके सम्बन्ध में नगरपालिका निधि से भुगतान किया जा सकता है;

(ख) शर्त, जिनके आधार पर नगरपालिका द्वारा सम्पत्ति अर्जित की जा सकती है या जिनके आधार पर नगरपालिका में निहित सम्पत्ति का विक्रय, बन्धक, पट्टा, विनिमय द्वारा या अन्य प्रकार से अन्तरण किया जा सकता है; या

---

1. एडेप्टेशन आफ लॉ आर्डर, 1950 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ग) नगरपालिका निधि या नगरपालिका सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई ऐसा अनय मामला, जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम में कोई उपबन्ध न हो या अप्रर्याप्त उपबनध हो या और उपबन्ध करना आवश्यक हो।

[1]{अध्याय 4–क
जिला योजना समिति और वित्त आयोग

जिला योजना समिति

127–क–– (1) प्रत्येक जिले में एक जिला योजना समिति, जिले में पंचायतों और नगर निगमों, नगरपालिका, परिषद्‌ों और नगर पंचायतों, द्वारा तैयार की गई योजनाओं को सम्मिलित करने केलिए और सम्पूर्ण जिले के लिए एक विकास योजा प्ररूप तैयार करने के लिए, गठित की जायेगी।

(2) जिला योजना समिति में ऐसे व्यक्ति होंगे, जैसे नियमों द्वारा विहित किया जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे समिति के सदस्यों की कुल संख्या का कम से कम 4/5 भाग जिला पंचायत के और जिले में नगर निगम, नगरपालिका परिषद्‌ों और नगर पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से, जिले में ग्रामीण क्षेत्रों की और नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या के बीच अनुपात के अनुसार निर्वाचित किया जायेगा :

अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी समिति के अन्य सदस्य राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचित आदेशों द्वारा नाम–निर्दिष्ट किए जायेंगे :

प्रतिबन्ध यह भी है कि सदस्यों की कोई रिक्ति ऐसी समिति के गठन या पुर्नगठन में बाधक नहीं होंगे।

(3) जिला योजना समिति का अध्यक्ष ऐसी रीति से चुना जायेगा, जो नियमों द्वारा विहित की जाय।

(4) जिला योजना समिति, विकास योजना प्ररूप तैयार करने में :–

(क) निम्नलिखित का ध्यान रखेंगे –

(एक) पंचायतों और नगर निगमों, नगर पालिका परिषद्‌ों और नगर पचांयतों के बीच सामान्य वित्त के विषय, जिनके अन्तर्गत स्थानिक योजना, जल और अन्य भौतिक और प्राकृतिक साधनों में हिस्सा, अवसंरचना का एकत्रित विकास और पर्यावरण संरक्षण है;

(दो) उपलब्ध साधनों की सीमा और प्रकार चाहे यह वित्तीय हो या अन्य हो;

(ख) ऐसे स्थानों और संगठनों से परामर्श करेगी, जिन्हें राज्यपाल आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करेंगे।

(5) प्रत्येक जिला योजना समिति का अध्यक्ष ऐसी समिति द्वारा सिफारिश की गई विकास योजना राज्य सरकार को भेजेगा।

योजना का तैयार किया जाना

127–ख–– (1) प्रत्येक नगरपालिका का अधिशासी अधिकारी नियमों द्वारा विहित रीति में नगरपालिका क्षेत्र के लिए प्रत्येक वर्ष एक विकास योजना तैयार करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई योजना नगरपालिका की बैठक में उसके समक्ष रखी जायेगी और नगरपालिका उसे उपान्तरों सहित या बिना किसी उपान्तर के अनुमोदित कर सकती है।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 135 द्वारा नया अध्याय 4–क बढ़ाया गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

(3) अधिशासी अधिकारी योजनाओं के नगरपालिका द्वारा अनुमोदित कर दिए जाने के पश्चात् उसे ऐसे दिनांक के पूर्व, जो नियम द्वाराविहित किया जाय, जिला योजना समिति को भेजेगा।

वित्त आयोग

127–ग–– (1) वित्त आयोग नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्विलोकन करेगा और राज्यपाल को निम्नलिखित के सम्बन्ध में सिफारिश करेगा –

(क) उन सिद्धान्तों के बावत्, जो निम्नलिखित को शासित करेगा :–

(एक) राज्य द्वारा उद्ग्रहणीय ऐसे करों, शुल्कों, पक्षकारों और फीसों के शुद्ध आगमों की राज्य और नगरपालिकाओं के बीच वितरण और ऐसे आगमों का नगरपालिकाओं के अंश का आबंटन;

(दो) ऐसे करों, शुल्कों, पक्षकारों और फीसों का अवधारण, जो नगरपालिकाओं को समनुदिष्ट या उनके द्वारा विनियोजित किये जा सकेंगे;

(तीन) राज्य की संचित निधि में से नगरपालिकाओं के लिए सहायता अनुदान;

(ख) नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक उपाय;

(ग) कोई अन्य विषय, जो राज्यपाल द्वारा नगरपलिकाओं को ठीक वित्त व्यवस्था के हित में वित्त आयोग को निर्दिष्ट किया जाय।

(2) राज्यपाल उपधारा (1) के अधीन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्यवाही के स्पष्टीकारक ज्ञापन के साथ राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखे जायेंगे।}[3]

अध्याय 5
नगरपालिका कराधान, करों का अधिरोपण और परिवर्तन

कर, जो अधिरोपित किये जा सकते हैं

128–– (1) इस निमित्त राज्य सरकार के किसी सामान्य नियम या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए ऐसे कर, जिन्हें {नगरपालिका}[2] सम्पूर्ण नगरपालिका या उसके किसी भाग में अधिरोपित कर सकती है, निम्नलिखित है :–

(एक) भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर;

(दो) व्यापार और आजीविका सेवाओं से विशेष लाभ हो रहा हो या जिससे उस पर विशेष भार पड़ रहा हो;

(तीन) व्यापार, आजीविका और व्यवसाय पर कर, जिसमें ऐसे सभी सेवायोजन भी सम्मिलित है, जिनमें वेतन या फीस के रूप में पारिश्रमिक दिया जाता है;

{(तीन–क) नाट्यशाला कर, जिनका तात्पर्य विनोद या आमोद पर, कर से है;}[1]

(चार) नगरपालिका के भीतर किराये पर चलायी या रखी जाने वाली गाड़ी या अन्य सवारी पर या उसमें बांधी जाने वाली नावों पर कर;

(पांच) नगरपालिका के भीतर रखे गए कुत्तों पर कर;

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 27 वर्ष 1964 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 135 द्वारा नया अध्याय 4–क जोड़ा गया।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

(छः) ऐसे पशुओं पर कर, जिनका उपयोग, जब उन्हें नगरपालिका के भीतर रखा जाय, सवारी करने, चलाने, खींचने या बोझा ढोने के लिए किया जाता है;

(सात) {***}[3]

(आठ) {***}[3]

(नौ) निवासियों पर उनकी परिस्थिति और सम्पत्ति के अनुसार निर्धारित कर;

(दस) भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर जल–कर;

{(दस–क) भवन के वार्षिक मूल्य पर जल निकास कर, जो ऐसे भवन पर उद्ग्रहणीय हो, जो निकटतम सीवर लाइन से प्रत्येक नगरपालिका के लिए इस निमित्त नियम निर्धारित दूरी के भीतर स्थित हो;}[2]

(ग्यारह) समार्जन–कर;

(बारह) सण्डासों, मूत्रालयों और नलकूपों से मलादि और प्रदूषित पदार्थों का संग्रह करने, हटाने और निस्तारण करने के लिए सफाई कर;

(तेरह) {***}[3]

(तेरह–क) {***}[1]

{(तेरह–ख) {नगरपालिका}[5] की सीमा में स्थित स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण पर विलेख;}[1]

(चौदह) {***}[3]

(2) प्रतिबन्ध उपधारा (1) के खण्ड (तीन) और (नौ) के अधीन कर एक साथ उद्ग्रहणीय नही होंगे, {***}[4] {और न ही उपधारा (1) के खण्ड (दस–क) और (बारह) के अधीन कर एक साथ उद्ग्रहणीय होंगे :

अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) के खण्ड (तेरह–ख) के अधीन नगरपालिका के ऐसे क्षेत्र में जो यू0पी0 टाउन इम्प्रूवमेन्ट ऐक्ट, 1919 की धारा 3 के अधीन सृजित किसी इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट का स्थानीय क्षेत्र हो, स्थिति स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण विलेख पर कोई कर उद्ग्रहणीय न होगाः}[2]

प्रतिबन्ध यह भी है कि उपधारा (1) के खण्ड (चार) के अधीन कोई कर किसी मोटर गाड़ी के सम्बन्ध में उद्ग्रहणीय न होगा।

(3) इस धारा की कोई बात किसी ऐसे कर के अधिरोपण का प्राधिकार न देगी, जिसके लिए राज्य विधान मण्डल को संविधान के अधीन राज्य में अधिरोपित करने की शक्ति न हो :

प्रतिबन्ध यह है कि {नगरपालिका}[5] जो संविधान के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व, तत्समय प्रवृत्त इस धारा के अधीन कोई ऐसा कर विधिपूर्वक उद्ग्रहीत कर रही थी उस कर का उद्ग्रहण जारी रख सकती है जब तक कि संसद इसके प्रतिकूल कोई उपबन्ध न बनाये।

---

1. संशोधन आदेश 1937 द्वारा निरसित तथा बढ़ाया गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 27 वर्ष 1964 द्वारा बढ़ाया गया।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 वर्ष 1991 के अध्याय–दो की धारा 2 (क) द्वारा निरसित।
4. उपर्युक्त की धारा 2 (ख) द्वारा निरसित।
5. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

{128–क–– (1) यदि किसी {नगरपालिका}[3] ने धारा 128 की उपधारा (1) के खण्ड (तेरह–ख) में अभिदिष्ट कर अधिरोपित किया हो तो अचल सम्पत्ति के किसी हस्तान्तरण पर विलेख भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 द्वारा आरोपित शुल्क ऐसी नगरपालिका की सीमाओं के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति की दशा में, प्रतिफल की धनराशि या मूल्य पर, जिसके अभिदेश में उक्त अधिनियम के अधीन शुल्क की गणना की जाये, दो प्रतिशत बढ़ा दिया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से {नगरपालिका}[3] विशेष संकल्प द्वारा शुल्क में वृद्धि के उपर्युक्त प्रतिशत को पांच प्रतिशत तक बढ़ा सकती है।

(2) उक्त वृद्धि के परिणामस्वरूप समस्त संग्रहीत धनराशि आनुषंगिक व्यय की, यदि कोई हो, कटौती करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से, जिसे विहित किया जाय, सम्बद्ध {नगरपालिका}[3] को भुगतान की जायेगी।

(3) इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 27 इस प्रकार पढ़ी जायेगी और उसका अर्थ इस प्रकार लगाया जायेगा मानों विनिर्दिष्ट रूप से यह अपेक्षित है कि उसमें निर्दिष्ट विशिष्टयों का निम्नलिखित के सम्बन्ध में पृथक–पृथक उल्लेख किया जायेगा –

(क) सम्पत्ति, जो नगरपालिका की सीमा के भीतर स्थित है; और

(ख) सम्पत्ति, जो नगरपालिका की सीमा के बाहर स्थित है।

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 64 में सरकार को किए गए समस्त निर्देशों से यह समझा जायेगा कि उसमें नगरपालिका भी सम्मिलित है।}[1]

{जलकर के अधिरोपण पर निर्बन्धन}[4]

{129–– जलकर अधिरोपण निर्बन्धन धारा 128 की उपधारा (1) के खण्ड (दस) के अधीन कर, इस निर्बन्धन के अधीन रहते हुए लगाया जायेगा कि निम्नलिखित पर ऐसा कर न लगाया जाय –

(एक) किसी ऐसी भूमि पर जिसका उपयोग एकमात्र कृषि प्रयोजन के लिए किया जाता हो, जब तक कि {नगरपालिका}[3] द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए जल सम्भरित न किया जाये; या

(दो) किसी ऐसे भू–खण्ड या भवन पर जिसका वार्षिक मूल्य तीन सौ साठ रुपये से अधिक न हो और जिसे {नगरपालिका}[3] द्वारा जल सम्भारित न किया जाता हो; या

(तीन) किसी ऐसे भू–खण्ड या भवन पर जिसका कोई भाग निकटतम नल या जल–कल से, जहां पर जनता को {नगरपालिका}[3] द्वारा जल उपलब्ध कराया जाता हो उस नगरपालिका के लिए विहित अर्द्ध व्यास के भीतर न हो।

स्पष्टीकरण –– इस धारा के प्रयोजनों के लिए –

(क) 'भवन में उसका अहाता (यदि कोई हो)' और जहां एक ही सामान्य अहाते में अनेक भवन हो, वहां ऐसे समस्त भवन और सामान्य हाता भी सम्मिलित है;

(ख) 'भू–खण्ड' का तात्पर्य किसी ऐसे भू–खण्ड से है, जो किसी एकल अध्यासी द्वारा या अनेक अध्यासियों द्वारा सामान्य रूप से, धृत हो, जिसका कोई भी एक भाग किसी दूसरे भाग से किसी अन्य अध्यासी या अध्यासियों की भूमि या सार्वजनिक सम्पत्ति के द्वारा पूर्णतया पृथक–कृत न हो।}[2]

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 27 वर्ष 1964 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 10 वर्ष 1978 के अध्याय–तीन की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 136 द्वारा बढ़ाया गया।
5. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

130—— धारा 128 की उपधारा (1) के खण्ड (ग्यारह) या (बारह) के अधीन कर का अधिरोपण इस निर्बन्धन के अधीन होगा कि कर किसी गृह या भवन पर निर्धारित नहीं किया जायेगा अथवा किसी गृह या भवन के अध्यासी से उद्ग्रहणीय न होगा जब तक कि {नगरपालिका}[3] धारा 196 के खण्ड (क) के अधीन गृह समार्जन का या भवनों के संडासों, मूत्रालयों और नलकूपों से मलादि और प्रदूषित पदार्थ का संग्रह करने, उसे हटाने और उसके निस्तारण का दायित्व न ले।

अन्य करों के अधिरोपण पर निर्बन्धन

{130—क—— (1) राज्य सरकार, सरकारी गजट में सामान्य या विशेष आदेश प्रकाशित करके {नगरपालिका}[3] से धारा 128 में वर्णित कोई कर जो पहले से अधिरोपित न हो ऐसी दर से और ऐसी अवधि के भीतर, जिसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, अधिरोपित करने की अपेक्षा कर सकती है और तब {नगरपालिका}[3] तद्नुसार कार्यवाही करेगी।

नगरपालिका से कर अधिरोपित करने की अपेक्षा करने को राज्य सरकार की शक्ति

(2) राज्य सरकार पहले से अधिरोपित किसी कर कद दर को बढ़ाने, उपान्तरित या उसमें परिवर्तन करने की {नगरपालिका}[3] से अपेक्षा कर सकती है और तब {नगरपालिका}[3] कर को अपेक्षानुसार बढ़ायेगी, उपान्तरित या उसमें फेर—फार करेगी।

(3) यदि {नगरपालिका}[3] उपधारा (1) या (2) के अधीन दिए गए आदेश का पालन करने में असफल रहती है तो राज्य सरकार को अधिरोपित करने, बढ़ाने उपान्तरित करने या उसमें परिवर्तन करने के लिए उपयुक्त आदेश दे सकता है और तब राज्य सरकार का आदेश उसी प्रकार परिवर्तित होगा मानो वह {नगरपालिका}[3] द्वारा धारा 134 की उपधारा (2) के अधीन सम्यक् रूप से पारित किया गया कोई संकल्प हो।}[1]

{130—ख—— धारा 128 की उपधारा (1) के खण्ड (दस), (दस—क), (ग्यारह) और (बारह) में उल्लिखित, जल निकास, समार्जन और सफाई करों से समस्त धन तथा सन्डासों, मूत्रालयों और मलकूपों से एकत्रित मलादि और प्रदूषित पदार्थों के निस्तारण और जलकल और सलेज फार्मों से प्राप्त अन्य समस्त आय को एकत्रित किया जायेगा और इसका उपयोग जलकल और जल निकास कार्यों के निर्माण, अनुरक्षण, विस्तार और सुधार से सम्बद्ध प्रयोजनों तथा सन्डासों, मूत्रालयों और मलकूपों से, जिसमें सलेज फार्म भी सम्मिलित है, मलादि और प्रदूषित पदार्थों को एकत्र करने, हटाने और निस्तारण करने का प्रबन्ध करने के लिए तैयार किया जायेगा।}[2]

कतिपय प्रयोजनों के लिए प्राप्त करों का एकत्रीकरण

131—— जब {नगरपालिका}[3] कर अधिरोपित करना चाहे तो वह विशेष संकल्प द्वारा प्रस्ताव तैयार करेगी, जिसमें निम्नलिखित विनिर्दिष्ट किया जायेगा —

प्रारम्भिक प्रस्ताव तैयार करना

(क) धारा 128 की उपधारा (1) में वर्णित करों में से कोई कर, जिसे वह अधिरोपित करना चाहती है;

(ख) व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग, जिसे दायी बनाया जायेगा और सम्पत्ति या अन्य करादेय वस्तु या परिस्थितियों का वर्णन, जिसके सम्बन्ध में उन्हें दायी बनाया जायेगा, सिवाय इसके कि जहां और जहां तक कोई ऐसा वर्ग या वर्णन का खण्ड (क) के अधीन या इस अधिनियम के द्वारा पहले ही पर्याप्त रूप से परिभाषित किया जा चुका हो;

(ग) धनराशि या दर, जो प्रत्येक ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग से उद्धरणीय होगी ;

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 7 वर्ष 1949 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 27 वर्ष 1964 द्वारा बढ़ाया गया।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय—तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

(घ) धारा 153 में विनिर्दिष्ट कोई अन्य विषय, जिसे राज्य सरकार नियम द्वारा विनर्दिष्ट करने की अपेक्षा करे।

(2) {नगरपालिका}[1] नियमावली का एक प्ररूप भी तैयार करेगी, जिसे वह धारा 153 में निर्दिष्ट विषयों के बारे में राज्य सरकार द्वारा बनाए जो की वांछा करे।

(3) {नगरपालिका}[1] तब उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये प्रस्ताव और उपधारा (2) के अधीन बनाई गई नियमावली के प्रारूप को अनुसूची में दिए गए प्रपत्र में नोटिस के साथ धारा 94 में विहित रीति से प्रकाशित करेगी।

प्रस्ताव तैयार करने के बाद की प्रक्रिया

132—— (1) उक्त नोटिस के प्रकाशन के एक पक्ष के भीतर {नगरपालिका क्षेत्र}[2] का कोई निवासी पूर्ववर्ती धारा के अधीन तैयार किए गए सम्पूर्ण प्रस्ताव या उसके किसी भाग पर उपस्थित हो सकता है और {नगरपालिका}[1] इस प्रकार प्रस्तुत की गई आपत्ति पर विचार करेगी और विशेष संकल्पों द्वारा उस पर आदेश देगी।

(2) यदि {नगरपालिका}[1] अपने प्रस्ताव या उनमें से किसी भी प्रस्ताव को उपान्तरित करने का विनिश्चय करे, तो वह उपान्तरित प्रस्तावों और (यदि आवश्यक हो) पुनरीक्षित नियमावली के प्रारूप को, नोटिस के साथ प्रकाशित करेगी, जिसमें वह उपदर्शित होगा कि उक्त प्रस्ताव और नियमावली (यदि कोई हो) आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए पूर्व प्रकाशित प्रस्ताव और नियमावली का उपान्तर है :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसा प्रकाशन आवश्यक न होगा जहां ऐसा उपान्तरण मूलतः प्रस्तावित कर की धनराशि या दर में कमी करने तक ही सीमित हो।

(3) किसी आपत्ति पर, जो उपान्तरित प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्राप्त हो, उपधारा (1) में विहित रीति से कार्यवाही की जायेगी।

(4) जब {नगरपालिका}[1] ने अपने प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया हो तो वह उन्हें उनके सम्बन्ध में की गई आपत्तियों के साथ (यदि कोई हो) विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी।

प्रस्तावों को अस्वीकृत या उपान्तरित करने की राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी की शक्ति

133—— (1) {यदि}[2] प्रस्तावित कर धारा 128 की उपधारा (1) के खण्ड (एक) से (बारह) तक के अन्तर्गत हो तो विहित प्राधिकारी, धारा 132 की उपधारा (4) के अधीन प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात् या तो प्रस्ताव को स्वीकृत करने से इंकार कर सकता है या उन्हें {नगरपालिका}[1] को अग्रसर विचारार्थ लौटा सकता है अथवा उन्हें बिना उपान्तर के या ऐसे उपान्तर के साथ, जिसमें अधिरोपित की जाने वाली धनराशि में कोई वृद्धि न हो, जिसे वह उचित समझे, स्वीकृत कर सकता है।

(2) किसी अन्य दशा में, विहित प्राधिकारी प्रस्ताव और आपत्तियां राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा, जो उन पर उपधारा (1) में वांछित कोई भी आदेश दे सकती है।

कर का अधिरोपण निर्देशित करने का नगरपालिका का संकल्प

134—— (1) जब विहित प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत कर लिए हों तो राज्य सरकार {नगरपालिका}[1] द्वारा प्रस्तुत की गई नियमावली के प्रारूप पर विचार करने के पश्चात् कर के सम्बन्ध में धारा 296 के अधीन ऐसी नियमावली बनाने के लिए, जिन्हें वह तत्समय आवश्यक समझे, तुरन्त कार्यवाही करेगी।

(2) नगरपालिका बन जाने पर, स्वीकृति के आदेश और नियमावली की एक प्रति {नगरपालिका}[1] विशेष संकल्प द्वारा ऐसे दिनांक से, जो संकल्प द्वारा विनिर्दिष्ट किया जायेगा, कर के अधिरोपण का निदेश करेगी।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 18 वर्ष 1986 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय—तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

135–– (1) धारा 134 के अधीन पारित संकल्प की एक प्रति राज्य सरकार को, यदि राज्य सरकार ने स्वीकृति प्रदान किया हो, भेजी जायेगी और किसी अन्य दशा में विहित प्राधिकारी को भेजी जायेगी। — कर का अधिरोपण

(2) संकल्प की प्रति प्राप्त होने पर, यथास्थिति, राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी नियत दिनांक से करारोपण शासकीय गजट में प्रकाशित करेगा और सभी दशाओं में करारोपण इस शर्त के अधीन होगा कि उसे इस प्रकार अधिसूचित कर दिया गया है।

(3) उपधारा (2) के अधीन करारोपण की अधिसूचना इस बात का निश्चायक प्रमाण होगी कि कर इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अधिरोपित किया गया है।

136–– कर को समाप्त करने या धारा 131 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट विषयों के सम्बन्ध में कर में परिवर्तन करने की प्रक्रिया, यथासम्भव, वही होगी, जो धारा 131 से धारा 135 द्वारा किसी कर के अधिरोपण के लिए विहित है। — करों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया

137–– (1) जब कभी शिकायत किये जाने पर या अन्यथा राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि किसी कर का उद्ग्रहण लोकहित के प्रतिकूल है या यह कि किसी कर का भार अनुचित है तो राज्य सरकार सम्बद्ध {नगरपालिका}[1] के स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् आदेश द्वारा ऐसे {नगरपालिका}[1] से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट किया जायेगा, किसी ऐसे दोष को दूर करने का उपाय करे, जो उसके विचार से उस कर में अथवा उस पर के निर्धारण या वसूली की प्रणाली में विद्यमान हो। — कर का उपचार करने या समाप्त करने की राज्य सरकार की शक्ति

(2) राज्य सरकार के समाधानप्रद रूप में उपधारा (1) के अधीन दिए गए आदेश का पालन करने में {नगरपालिका}[1] के असफल या असमर्थ रहने पर, राज्य सरकार अधिसूचना प्रकाशित करके, उक्त कर या उसके किसी भाग के उद्ग्रहण को उस समय तक के लिए जब तक कि ऐसा दोष दूर न हो जाय निलम्बित कर सकती है या ऐसे कर को समाप्त या कम कर सकती है।

समेकित कर

138–– (1) धारा 128 की उपधारा (1) के खण्ड (एक), (दस) और (ग्यारह) में वर्णित करों के निर्धारण, उद्ग्रहण अथवा वसूली के प्रयोजन के लिए न कि उसके अधिरोपण या उसमें छूट देने के प्रयोजन के लिए {नगरपालिका}[1] किन्हीं ऐसे दो या अधिक करों को जो भवन या भूमि अथवा दोनों पर अधिरोपित किये जायें, समेकित कर सकेगी। — करों का समेकन

(2) प्रतिबन्ध यह है कि समेकित कर से सम्बन्धित और किसी व्यक्ति को तदन्तर्गत उसके दायित्व की सूचना देने अथवा धारा 129 या 130 के उपबन्धों का पालन सुनिश्चित करने के लिए समेकित कर के सम्बन्धित और उसके प्रयोजनार्थ प्रयुक्त किसी रजिस्टर और कर निर्धारण सूची में {नगरपालिका}[1] उसमें समाविष्ट विभिन्न करों में समेकित कर को प्रभाजित करेगी, जिससे प्रत्येक अलग–अलग कर के अधीन निर्धारित या वसूल की गई धनराशि लगभग में दिखाई जा सके।

139–– (1) समेकित कर का निर्धारण करते समय उसमें समाविष्ट किसी एकल कर में कोई आंशिक या पूर्णतः छूट प्रभावी होगी। — छूट के लिए अपेक्षित कटौतियां

(2) यह निम्नलिखित प्रकार से प्रभावी होगी –

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

(क) आंशिक छूट की दशा में, समेकित कर की, जो ऐसे भवन या भूमि या दोनों के सम्बन्ध में जिन्हें कर में ऐसी छूट दी गयी हो, अन्यथा उद्ग्रहणीय या निर्धारित होती, कुल धनराशि में से ऐसी धनराशि के, जो अन्यथा एकल कर के कारण निर्धारित की गयी होती, छूट के समनुरूप अनुपातिक भाग की कटौती करके; और

(ख) पूर्ण छूट की दशा में ऐसी कुल धनराशि में से एकल कर के कारण निर्धारित सम्पूर्ण धनराशि की कटौती करके।

भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर निर्धारण और उद्ग्रहण

वार्षिक मूल्य की परिभाषा

140–– (1) 'वार्षिक मूल्य' से तात्पर्य है –

(क) रेलवे स्टेशनों, होटलों, कॉलेजों, स्कूलों, चिकित्सालयों, कारखानों और अन्य ऐसे भवनों की दशा में भवन–निर्माण को वर्तमान अनुमानित लागत और उससे अनुलग्न भूमि के अनुमानित मूल्य को जोड़कर निकाली गई धनराशि का पांच प्रतिशत से अनधिक का अनुपात, जिसे इस निमित्त बनाए गए नियम द्वारा निश्चित किया जायेगा; और

(ख) किसी भवन या भूमि की दशा में, जो खण्ड (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत न आती हो, वह सकल वार्षिक किराया जिस पर ऐसा भवन, उसमें फर्नीचर या मशीनरी को छोड़कर या ऐसी भूमि वास्तव में पट्टे पर दी गई हो या जहां भवन या भूमि पट्टे पर न दी गई हो तो वह सकल वार्षिक किराया, जिस पर उसे युक्तियुक्त रूप से वर्ष प्रतिवर्ष पट्टे पर दिए जाने की प्रत्याशा की जा सकती है।

(2) प्रतिबन्ध यह है कि जहां {नगरपालिका}[2] की राय में किसी कारण से या असाधारण परिस्थिति में किसी भवन के वार्षिक मूल्य यदि उपर्युक्त रीति से गणना की गई हो, अत्यधिक हो, वहां {नगरपालिका}[2] किसी भी कम धनराशि पर जो उसे न्याय संगत प्रतीत हो, वार्षिक मूल्य पर नियत कर सकता है।

कर निर्धारण सूची का तैयार किया जाना

141–– जब भवन या भूमि या दोनों पर कर अधिरोपित किया जाय तो {नगरपालिका}[2] {समय–समय पर नगरपालिका क्षेत्र या उसके किसी भाग में सभी भवनों या भूमि दोनों की एक कर निर्धारण सूची तैयार कराएगा}[1], जिसमें निम्नलिखित विवरण होगा –

(क) मार्ग या मोहल्ले का नाम, जहां सम्पत्ति स्थित हो;

(ख) सम्पत्ति का अभिधान या तो नाम से या संख्या से, जो पहचान के लिए पर्याप्त हो;

(ग) स्वामी और अध्यासी का नाम, यदि ज्ञात हो;

(घ) पट्टे पर देने का वार्षिक मूल्य या अन्य विवरण, जो वार्षिक मूल्य अवधारित करे; और

(ङ) उस पर निर्धारित कर की धनराशि।

(2) ऐसी कर निर्धारण सूची बनाने के प्रयोजन के लिए नगरपालिका समय–समय पर पारिश्रमिक सहित या रहित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, चाहे वे सदस्य हो या न हो, नियुक्त कर सकती है और इस प्रकार नियुक्त किया गया या किये गये व्यक्ति ऐसे प्रयोजन के लिए किसी सम्बद्ध सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 3 वर्ष 1987 के अध्याय–पांच की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

सूची का प्रकाशन

142—— जब कर निर्धारण सूची तैयार हो जाय तो {नगरपालिका}[1] उस स्थान के सम्बन्ध में, जहां पर सूची या उसकी प्रति का निरीक्षण किया जा सकेगा, सार्वजनिक नोटिस देगी और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो सूची में सम्मिलित की गई सम्पत्ति का या तो स्वामी या अध्यासी होने का दावा करे और ऐसे व्यक्ति का कोई अभिकर्ता उक्त सूची का निरीक्षण कर सकेगा और उससे निःशुल्क उद्धरण ले सकेगा।

सूची में प्रविष्टियों पर आपत्ति

143—— {नगरपालिका}[1] उसी समय कम से कम एक मास की सार्वजनिक नोटिस देगी, जिनके पश्चात् जब वह सूची में प्रविष्ट मूल्यांकन और कर—निर्धारण पर विचार करने की कार्यवाही करेगी और ऐसे सभी मामलों में, जिनमें किसी सम्पत्ति पर प्रथम बार कर निर्धारण किया गया हो या कर निर्धारण में वृद्धि की गई हो तो {नगरपालिका}[1] सम्पत्ति के स्वामी या अध्यासी को यदि ज्ञात हो, उसको भी नोटिस देगी।

(2) मूल्यांकन और कर निर्धारण के सम्बन्ध में सभी आपत्तियाँ नोटिस में निश्चित दिनांक के पूर्व {नगरपालिका}[1] को लिखित आवेदन—पत्र द्वारा की जायेगी, जिसमें ऐसे कारण उल्लिखित किये जायेंगे, जिनके आधार पर मूल्यांकन तथा कर—निर्धारण पर आपत्ति की गयी है, और इस प्रकार दिए गये सभी आवेदन पत्र {नगरपालिका}[1] द्वारा इस प्रयोजन के लिए रखी गई पुस्तिका में रजिस्ट्रीकृत किये जायेंगे।

(3) {नगरपालिका}[1] या समिति, जिसे इस निमित्त प्रत्यायोजन द्वारा अधिकृत किया गया हो या सरकार अथवा {नगरपालिका}[1] का ऐसा अधिकारी, जिसे विहित प्राधिकारी की अनुमति से {नगरपालिका}[1] प्रत्यायोजित करे और संकल्प द्वारा इस निमित्त शक्ति का प्रत्यायोजित करने के लिए इस प्रकार एतदद्वारा अधिकृत किया जाय, आवेदक को स्वयं या उसके अभिकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् —

(क) आपत्तियों की जांच और निस्तारण करेगा;

(ख) उसके परिणाम को उपधारा (2) के अधीन रखी गई पुस्तिका में दर्ज कराएगा; और

(ग) ऐसे परिणाम के अनुसार कर निर्धारण सूची में आवश्यक संशोधन करायेगा।

सूची का अधिप्रमाणीकरण और उसकी अभिरक्षा

144—— (1) जब धारा 143 के अधीन की गई सभी आपत्तियों का निस्तारण हो गया हो और उक्त धारा उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित सभी संशोधन कर निर्धारण सूची में कर दिए गए हों तो उक्त सूची का अधिप्रमाणीकरण अध्यक्ष के हस्ताक्षर से या धारा 143 के अधीन किसी समिति की या {सरकार के}[3] अलावा {नगरपालिका}[1] के किसी अधिकारी को प्रत्यायोजन किए जाने की दशा में ऐसी समिति के कम से कम दो सदस्यों के हस्ताक्षर से या पूर्वोक्त अधिकारी के हस्ताक्षर से किया जायेगा और सूची को इस प्रकार अधिप्रमाणीकृत करने वाले या करने वाला व्यक्ति यह प्रमाणित करेगा कि सम्यक रूप से की गई सभी आपत्तियों पर विचार किया गया है और ऐसी आपत्तियों पर किये गये निर्णयों के अपेक्षानुसार सूची संशोधित कर दी गयी है।

(2) इस प्रकार अधिप्रमाणीकृत सूची {नगरपालिका}[1] कार्यालय में जमा कर दी जायेगी और तदुपरान्त वह सार्वजनिक नोटिस द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध घोषित की जायेगी।

सूची का पुनरीक्षण और उसकी अवधि

145—— (1) साधारणतया प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार नई कर निर्धारण सूची धारा 141 से 144 तक में विहित रीति से तैयार की जायेगी।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय—तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. एडेप्टेशन ऑफ लॉ आर्डर, 1950 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) धारा 147 के अधीन किए गए किसी परिवर्तन या संशोधन और धारा 160 के अधीन की गई किसी अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए मूल्यांकन सूची में प्रविष्ट प्रत्येक मूल्यांकन या कर निर्धारण {नगरपालिका क्षेत्र या उसके भाग में उक्त सूची के प्रभावी होने के दिनांक से और नई सूची के पूर्ण होने के ठीक पश्चात् आगामी मास के प्रथम दिन तक}[2] विधि मान्य रहेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1952 के अधीन अवधारित सम्पत्ति के मूल्य का अंगीकरण

{145–क–– इस अधिनियम में अन्यत्र किसी बात के होते हुए भी {नगरपालिका}[4] विशेष संकल्प द्वारा विनिश्चित कर सकेगी कि उत्तर प्रदेश (क्षेत्र) भूमि और भवन कर अधिनियम, 1962 की धारा 4 के खण्ड (2) के अधीन भवन या भूमि का अवधारित कराधेय मूल्य इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वार्षिक मूल्य होगा।}[1]

सूची में प्रविष्टियों का निश्चायक होना

146–– कर निर्धारण सूची में की गई कोई प्रविष्टि –

(क) उक्त सूची में निर्दिष्ट कर से सम्बद्ध किसी भी प्रयोजन के लिए सूची से सम्बन्धित अवधि के दौरान, किसी भवन या भूमि के सम्बन्ध में उद्ग्रहणीय धनराशि का; और

(ख) किसी अन्य नगरपालिका कर के निर्धारण के प्रयोजन के लिए उक्त अवधि के दौरान किसी भवन या भूमि के वार्षिक मूल्य का;

निश्चायक प्रमाण होगी।

सूची में संशोधन और परिवर्तन

147–– (1) नगरपालिका किसी भी समय कर निर्धारण सूची में निम्नलिखित रूप में परिवर्तन या संशोधन कर सकती है–

(क) उसमें किसी ऐसे व्यक्ति या ऐसी सम्पत्ति का नाम, जिसकी प्रविष्टि होनी आवश्यक थी या किसी ऐसी सम्पत्ति को, जो कर–निर्धारण सूची में अधिप्रमाणीकृत होने के पश्चात् कराधान के लिए दायी को गयी हो, प्रविष्टि करके; या

(ख) उसमें किसी सम्पत्ति के स्वामी या अध्यासी के नाम के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति का नाम, जिसने अन्तरण द्वारा या अन्य प्रकार से सम्पत्ति का स्वामित्व या अध्यासन का उत्तराधिकार प्राप्त किया हो, प्रतिस्थापित करके; या

(ग) किसी सम्पत्ति के, जिसका {मूल्यांकन या कर निर्धारण गलत हो गया है या जिसका मूल्यांकन या निर्धारण कपट, मिथ्या या त्रुटि के कारण गलत किया है}[3] मूल्यांकन या कर निर्धारण में वृद्धि करके; या

(घ) किसी सम्पत्ति का जिसका मूल्य भवन में किए गए परिवर्द्धन या परिवर्तन के कारण बढ़ गया हो, पुनः मूल्यांकन या पुनः कर निर्धारण करके; या

(ङ) जहां वार्षिक मूल्य का, जिस पर कोई कर उद्ग्रहीत किया जाना हो, प्रतिशत {नगरपालिका}[4] द्वारा धारा 136 के उपबन्धों के अधीन परिवर्तित कर दिया गया हो, वहां प्रत्येक मामले में देय कर की धनराशि में तद्नुरूप करके; या

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 27 वर्ष 1964 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 3 वर्ष 1987 के अध्याय–पांच की धारा 16 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 17 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

(च) स्वामी के आवेदन—पत्र देने पर या ऐसे संतोषप्रद साक्ष्य पर कि स्वामी का पता नहीं चल रहा है और कमी करने की आवश्यकता सिद्ध कर दी गई है, स्वप्रेरणा से किसी ऐसे भवन के, जो पूर्णतः या अंशतः तोड़ दिया गया है या नष्ट कर दिया गया है, मूल्यांकन में कमी करके; या

(छ) किसी {लिपिकीय गणना सम्बन्धी या अन्य प्रत्यक्ष}[1] भूल को ठीक करके;

(2) प्रतिबन्ध यह है कि {नगरपालिका}[1] किसी हितबद्ध व्यक्ति को ऐसे परिवर्तन की, जिसे {नगरपालिका}[2] उपधारा (1) के खण्ड (क), (ख), (ग) या (घ) के अधीन करने का प्रस्ताव करे और उस दिनांक के सम्बन्ध में जब उक्त परिवर्तन किया जायेगा, कम से कम एक मास की नोटिस देगी।

(3) धारा 143 की उपधारा (2) और (3) के उपबन्ध, जो तदन्तर्गत वर्णित आपत्तियों पर लागू होते हैं, यथासम्भव, उपधारा (2) के अधीन दी गई नोटिस के अनुसरण में की गई किसी आपत्ति पर और उपधारा (1) के खण्ड (च) के अधीन दिए गए किसी आवेदन—पत्र पर लागू होंगे।

(4) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक परिवर्तन धारा 144 द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों के हस्ताक्षरों से अधिप्रमाणीकृत किया जायेगा और धारा 160 के अधीन की गई अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए उस दिनांक से प्रभावी होगा जब अगली किस्त देय हो।

संशोधन के प्रयोजन के लिए सूचना देने की बाध्यता

148—— (1) जब किसी भवन का निर्माण, पुनर्निर्माण या विस्तार किया जाय तो स्वामी ऐसे भवन का निर्माण, पुनर्निर्माण या विस्तार पूरा हो जाने के दिनांक से अथवा ऐसे भवन के अध्यासन के दिनांक से, उसमें से जा भी दिनांक पहले हो, पन्द्रह दिन के भीतर {नगरपालिका}[2] को उसकी नोटिस देगा।

(2) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित नोटिस देने में असफल रहे, दोष—सिद्ध ठहराए जाने पर जुर्माने से दण्डित किया जायेगा, जो पचास रूपये तक अथवा ऐसे निर्माण या विस्तार पर तीन मास के लिए देय कर की दस गुनी धनराशि तक, इसमें जो भी अधिक हो, हो सकता है।

वार्षिक मूल्य पर कतिपय कर भुगतान करने का दायित्व

149—— (1) नियम द्वारा किए गए अन्यथा उपबन्ध के सिवाय, भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर प्रत्येक कर (समार्जन पर या शौचालय और संडास की सफाई के लिए कर से भिन्न) प्रथमतः ऐसी सम्पत्ति के, जिस पर उक्त कर निर्धारित किए गए हों, वास्तविक अध्यासी से वसूल किया जायेगा; यदि वह उक्त भवन या भूमि का स्वामी है या वह उन्हें सरकार या {नगरपालिका}[2] से भवन सम्बन्धी या अन्य पट्टे पर या किसी व्यक्ति से भवन सम्बन्धी पट्टे पर धारण करता हो।

(2) किसी अन्य दशा में कर प्रथमतः निम्नलिखित रूप से उद्ग्रहणीय होगा; अर्थात् —

(क) यदि सम्पत्ति पट्टे पर दी गई हो तो पट्टकर्ता से;

(ख) यदि सम्पत्ति शिकमी पट्टे पर दी गई हो तो वरिष्ठ पट्टाकर्ता से;

(ग) यदि सम्पत्ति पट्टे पर न दी गई हो तो उस व्यक्ति से, जिसमें उस पट्टे पर देने का अधिकार निहित हो।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 1 वर्ष 1955 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय—तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

(3) प्रथमतः देनदार व्यक्ति से ऐसे कर के रूप में देय कोई रकम वसूल न होने पर {नगरपालिका}[1] उक्त भवन या भूमि के, जिसके सम्बन्ध में वह देय हो, किसी भाग के अध्यासी से उस कर का ऐसा भाग वसूल कर सकता है, जिसका सम्पूर्ण देय कर की धनराशि से वही अनुपात हो, जो अनुपात ऐसे अध्यासी द्वारा संदेय वार्षिक किराए की धनराशि का उक्त सम्पूर्ण भवन या भूमि के सम्बन्ध में संदेय किराए की कुल धनराशि से या अधिप्रमाणीकृत निर्धारण—सूची में उनके पट्टे पर देने के मूल्य की कुल धनराशि से हो।

(4) कोई अध्यासी, जो ऐसा भुगतान करता है, जिसके लिए वह पूर्वगामी उपबन्धों के अधीन प्रथमतः देनदार नहीं है, किसी प्रतिकूल संविदा के न होने पर, प्रथमतः लेनदार व्यक्ति द्वारा प्रतिपूर्ति किये जाने का हकदार होगा।

ऐसे अन्य करों के भुगतान का दायित्व

150—— (1) भूमि या भवन या दोनों के वार्षिक मूल्य पर सम्मार्जन पर या शौचालय और संडास की सफाई के लिए कर, उस सम्पत्ति के, जिस पर उक्त कर—निर्धारित किए गए हों, वास्तविक अध्यासी से उद्ग्रहणीय होंगे :

(2) किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी सम्पत्ति एक से अधिक अध्यासियों को पट्टे पर दी गई हो तो {नगरपालिका}[1] अपने विकल्प से वास्तविक अध्यासियों के बजाय पट्टाकर्ता से कर उद्ग्रहीत कर सकती है।

(3) पट्टाकर्ता, जिससे उपधारा (2) के अधीन कर उदग्रहीत किया जाय, किसी प्रतिकूल संविदा के न होने पर उक्त कर किसी या सभी वास्तविक अध्यासियों से वसूल कर सकता है।

अनध्यासन के कारण छूट

151—— पूर्णतः या अंशतः किसी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित नगरपालिका क्षेत्र से भिन्न नगरपालिका क्षेत्र में, जब कोई भवन या भूमि किसी वर्ष में लगातार नब्बे या उससे अधिक दिनों तक रिक्त रही हो और उससे कोई किराया न मिला हो तो {नगरपालिका}[1] उस वर्ष के कर में उतनी छूट देगा या उतना वापस कर देगा, जो उतने दिनों की संख्या के अनुपात में होगा, जितने दिन उक्त भवन या भूमि रिक्त रही हो और उससे किराया न मिला हो।

(2) जब किसी ऐसी {नगरपालिका क्षेत्र}[2] के किसी भवन में अलग—अलग निवास गृह हो, जिनमें से एक या एक से अधिक निवासगृह पूर्वोक्त किसी अवधि में रिक्त रहे हो और किराया न मिला हो तो {नगरपालिका}[1] कर या किस्त के ऐसे भाग से (यदि कोई हो) छूट दे सकता है या उसे वापस कर सकता है, जैसा कि नियम द्वारा विहित किया जाय।

(3) किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कर में तब तक कोई छूट नहीं दी जायेगी जब तक कि {नगरपालिका}[1] को इस तथ्य की लिखित नोटिस न दे दी गई हो कि भवन या भूमि रिक्त है और उससे कोई किराया नहीं मिल रहा है और यह भी कि ऐसी नोटिस दिए जाने के दिनांक के पूर्व की किसी अवधि के लिए कर में कोई छूट नहीं दी जायेगी और न उसे वापस किया जायेगा।

(4) उन तथ्यों को प्रमाणित करने का भार उसी व्यक्ति का होगा, जो इस धारा के अधीन उपचार पाने के लिए हकदार हो।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए कोई भवन या भूमि रिक्त नहीं समझी जायेगी, यदि वह मनोरंजन स्थल अथवा नगर गृह या ग्राम्य गृह के रूप में अनुरक्षित की जाती हो अथवा न यह समझा जायेगा कि उससे किराया नहीं मिल रहा है यदि उसे ऐसे किरायेदार को पट्टे पर दिया गया है, जिसको उसके अध्यासन का निरन्तर अधिकार हो, चाहे वह उसके वास्तविक अध्यासन में हो या न हो।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 139 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय—तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

152—— (1) किसी ऐसे भवन या भूमि का स्वामी, जिसके लिए पूर्ववर्ती धारा के अधीन कर में छूट देने या उसकी वापसी के लिए आवेदन किया गया हो या ऐसी छूट दे दी गई हो या वापस कर दिया गया हो, उसका स्वामी ऐसे भवन या भूमि का पुनः अध्यासन करने के पन्द्रह दिन के भीतर पुनः अध्यासन की नोटिस देगा। पुनः अध्यासन की नोटिस देने की बाध्यता

(2) कोई स्वामी, जो उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित नोटिस देने से असफल रहे, दोषसिद्ध ठहराए जाने पर ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जायेगा, जो उस कर की धनराशि के जो ऐसे भवन या भूमि पर उस अवधि के लिए देय हो, जिसमें वह बिना नोटिस के पुनः अध्यासित की गई हो, दुगुने से कम न होगा और जो पचास रुपये तक या उस कर की धनराशि के दस गुने तक, इसमें जो भी अधिक हो, हो सकता है।

संग्रह, संधान, छूट और कराधान सम्बन्धी अन्य विषय

153—— निम्नलिखित विषय, सिवाय जहां तक कि उनके लिए इस अधिनियम में उपबन्ध किया जाये, नियमावली द्वारा अधिनियमित और नियंत्रित होंगे; अर्थात् — कर निर्धारण, संग्रह और अन्य विषयों के सम्बन्ध में नियमावली

(क) करों का निर्धारण, संग्रह या संधान {***}[1] ;

(ख) करों के अपवंचन का निवारण ;

(ग) ऐसी प्रणाली, जिसके अनुसार कर वापस किए जाने की अनुज्ञा दी जायेगी और उनका भुगतान किया जायेगा;

(घ) किसी कर के सम्बन्ध में भुगतान करने की मांग के नोटिस के लिए और करस्थम् अधिपत्र के निष्पादन के लिए फीस;

(ङ) करस्थम् किए गए पशुधन के अनुरक्षण के लिए प्रभार्य दरें ; और

(च) करों से सम्बद्ध कोई अन्य विषय, जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम में कोई उपबन्ध न हो या अपर्याप्त उपबन्ध किया गया हो और राज्य सरकार की राय में ऐसा उपबन्ध करना आवश्यक हो।

154—— {***}[2]

155—— {***}[2]

155—क— {***}[2]

156—— (1) किसी नियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नगरपालिका विहित प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए गए विशेष संकल्प द्वारा, यह व्यवस्था कर सकेगी कि सभी या किन्हीं व्यक्तियों को कर का प्रशमन करने की अनुज्ञा दी जा सकती है। प्रशमन

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी कर के प्रशमन के कारण देय प्रत्येक राशि अध्याय 6 में उपबन्धित रीति से वसूल की जा सकेगी।

157—— (1) नगरपालिका इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित कर या कर के किसी अंश का भुगतान किए जाने से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उसकी राय में निर्धनता के कारण उसका भुगतान करने में असमर्थ हो, एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए छूट दे सकेगी और ऐसी छूट जितनी बार वह आवश्यक समझे, पुनः दे सकेगी। छूट

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 वर्ष 1991 के अध्याय—दो की धारा 3 द्वारा निकाला गया।
2. उपर्युक्त की धारा 4 द्वारा निकाला गया।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय—तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) नगरपालिका विहित प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए गए विशेष संकल्प द्वारा; किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को अथवा किसी सम्पत्ति के प्रकार को, इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किसी कर या कर के किसी अंश के भुगतान किए जाने से छूट दे सकेगी।

(3) राज्य सरकार, आदेश द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को अथवा किसी सम्पत्ति या सम्पत्ति के प्रकार को इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किसी कर या कर के किसी अंश का भुगतान किए जाने से छूट दे सकेगी।

दायित्व प्रकट करने की बाध्यता

158—— (1) इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका या कई कर—निर्धारण प्राधिकारी, लिखित संसूचना द्वारा नगरपालिका के किसी निवासी से ऐसी सूचना देने या ऐसे अभिलेख, लेखा बही और दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है, जो निम्नलिखित को अभिनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो —

(क) क्या ऐसा निवासी इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किसी कर का देनदार है;

(ख) उस पर कितनी धनराशि का कर निर्धारण किया जाना चाहिए;

(ग) ऐसे भवन या भूमि का, जो उसके अध्यासन में हो, वार्षिक मूल्य और उसके स्वामी का नाम व पता।

{(2) यदि कोई निवासी, जिससे सूचना देने या अभिलेख, लेखा बही या दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई हो, उसे न दे या प्रस्तुत न कर सके या उसे दे या प्रस्तुत करे और नगरपालिका या कर निर्धारण प्राधिकारी को गलत या अपूर्ण प्रतीत हो तो यथास्थिति नगरपालिका या कर निर्धारण प्राधिकारी ऐसी जांच के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे, अपने सर्वोत्तम विवेकानुसार कर—निर्धारण कर सकेगा।}[1]

पता लगाने की शक्ति

159—— धारा 287 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी और यदि इस निमित्त संकल्प द्वारा प्राधिकृत किया गया हो तो नगरपालिका का कोई अन्य सदस्य, अधिकारी या सेवक मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए किसी भवन में प्रवेश कर सकता है, उसका निरीक्षण कर सकता है तथा उसे माप सकता है अथवा किसी घुड़साल या वाहनगृह या अन्य स्थान में, जिसके सम्बन्ध में यह विश्वास करने का कारण हो कि वहां वाहन या पशु हैं, जो इस अधिनियम के अधीन कराधान के योग्य है, में प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है।

अंको को पूर्णांकित करना

{159—क—— इस अधिनियम के अधीन किसी कर की धनराशि की संगणना करने में रुपये का भाग, जो पांच पैसे से कम हो या जो पांच पैसे का कोई गुणक न हो, यथास्थिति पांच पैसे या पांच पैसे के अगले उच्च गुणक में पूर्णांकित किया जायेगा।}[1]

कराधान से सम्बन्धित अपील

160—— (1) भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर निर्धारित किस कर की दशा में धारा 143 की उपधारा (3) या धारा 147 की उपधारा (3) के अधीन दिए गए आदेश के विरूद्ध अपील और किसी अन्य कर की दशा में, किसी कर निर्धारण या कर निर्धारण में किए गए किसी परिवर्तन के विरूद्ध अपील, जिला मजिस्ट्रेट को या ऐसे अन्य अधिकारी को, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किया जाये, की जा सकेगी।

(2) {***}[2]

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 27 वर्ष 1964 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 140 द्वारा निकाला गया।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय—तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

परिसीमा और दावाकृत कर का प्रारम्भिक निक्षेप

161—— ऐसी कोई अपील तब तक न सुनी जायेगी और न अवधारित की जायेगी, जब तक कि ——

(क) वह अपील भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर निर्धारित किए गए कर की दशा में आदेश के (उसकी प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय को छोड़कर) संसूचित किए जाने के दिनांक के ठीक आगामी तीस दिन के भीतर और किसी अन्य कर की दशा में कर निर्धारण की या कर निर्धारण के परिवर्तन की नोटिस के प्राप्त होने के दिनांक के ठीक आगामी तीस दिन के भीतर या यदि कोई नोटिस न दी गयी हो तो कर–निर्धारण या कर निर्धारण में परिवर्तन के अधीन प्रथम मांग के दिनांक के ठीक आगामी तीस दिन के भीतर न की गई हो; और

(ख) अपीलार्थी ने जिस धनराशि का दावा किया हो उसे उसने नगरपालिका कार्यालय में निक्षेप न कर दिया हो।

उच्च न्यायालय को निर्देश

162—— (1) यदि धारा 160 के अधीन किसी अपील सुनवाई के दौरान में, किसी कर के दायित्व या कर निर्धारण के सिद्धान्त के बारे में कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो जिस पर अपील सुनने वाले अधिकारी को यथोचित संदेय हो जाये तो वह या तो स्वप्रेरणा से या हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पत्र पर, मामले के तथ्यों और उस प्रश्न का जिस पर सन्देय किया गया हो, विवरण तैयार करेगा और उस विवरण को उस प्रश्न पर अपनी राय के साथ उच्च न्यायालय को विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन निर्देश किए जाने पर मामले को पश्चात्वर्ती कार्यवाहियां, यथाशक्य सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 46 में अन्तर्विष्ट उच्च न्यायालय के निर्देश से सम्बन्धित नियमावली या ऐसी अन्य नियमावली के अनुसार की जायेंगी, जो उच्च न्यायालय द्वारा उक्त संहिता की धारा 122 के अधीन बनायी जाये।

वाद व्यय

163—— (1) प्रत्येक अपील में वाद व्यय अपील का विनिश्चय करने वाले अधिकारी के स्वविवेकानुसार दिया जायेगा।

(2) {नगरपालिका}[1] को इस धारा के अधीन अधिनिर्णीत किया गया वाद व्यय {नगरपालिका}[1] द्वारा अध्याय–6 में उपबन्धित रीति से वसूल किया जा सकेगा।

(3) यदि {नगरपालिका}[1] अपीलार्थी को अधिनिर्णीत किए गए वाद व्यय का {नगरपालिका}[1] को उसके भुगतान का आदेश संसूचित किए जाने के दिनांक के पश्चात् दस दिन के भीतर, भुगतान करने में असफल रहे तो वाद व्यय को अधिनिर्णीत करने वाला अधिकारी उन व्यक्तियों को जिनकी अभिरक्षा में नगरपालिका–निधि का अवशेष हो, उक्त धनराशि का भुगतान करने का आदेश दे सकता है।

कराधान के विषय के सम्बन्ध में सिविल और दाण्डिक न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक

164—— (1) इस अधिनियम में किए गए उपबन्ध से भिन्न किसी अन्य रीति से या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किसी मूल्यांकन या कर निर्धारण पर न तो कोई विचार किया जायेगा और न कर निर्धारण किए जाने या कर लगाए जाने के लिए किसी व्यक्ति के दायित्व पर कोई प्रश्न उठाया जायेगा।

(2) किसी मूल्यांकन या कर निर्धारण अथवा कर–निर्धारण या कराधान के दायित्व के बारे में दिए गए आदेश को पुष्ट करने, निरन्त करने या उपान्तरित करने का अपील प्राधिकारी का आदेश अन्तिम होगा :

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

प्रतिबन्ध यह है कि अपील प्राधिकारी के लिए यह विधि पूर्ण होगा कि वह इस मूल आदेश के दिनांक से तीन मास के भीतर आवेदन—पत्र देने पर या स्वप्रेरणा से एक अग्रेत्तर आदेश द्वारा किसी अपील में दिए गए अपने आदेश का पुनर्विलोकन करे :

अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि अपील प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से किसी भी आदेश का पुनर्विलोकन आदेश के दिनांक से तीन मास के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

कर निर्धारण और मांग में औपचारिक त्रुटि

व्यावृत्ति

165—— कोई कर निर्धारण सूची या अन्य सूची नोटिस बिल या ऐसा अन्य दस्तावेज जिसमें किसी कर, प्रभार, किराया या शुल्क के निर्देश में कोई व्यक्ति सम्पत्ति, वस्तु या परिस्थिति विनिर्दिष्ट की गई हो या उसमें उनको विनिर्दिष्ट करना तात्पर्यित हो, केवल इस कारण से अविधिमान्य न होगा कि उसमें उक्त व्यक्ति के नाम, निवास—स्थान, कारबार या उपजीविका का स्थान अथवा सम्पत्ति, वस्तु या परिस्थिति के विवरण के सम्बन्ध में कोई त्रुटि है या उसमें केवल लिपिकीय भूल है अथवा उसके प्रपत्र में कोई त्रुटि है और अभिज्ञान के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति, सम्पत्ति, वस्तु या परिस्थिति का पर्याप्त वर्णन कर दिया जाना प्र्याप्त होगा और किसी ऐसी सम्पत्ति के जिसके सम्बन्ध में कर दिया जाना हो, स्वामी अथवा अध्यासी का नाम दिया जाना आवश्यक न होगा।

अध्याय 6
कतिपय नगरपालिका दावों की वसूली

बिल प्रस्तुत करना

166—— (1) जैसे ही कोई व्यक्ति :—

(क) किसी ऐसे कर के सम्बन्ध में {जो तुरन्त मांग कए जाने पर देय किसी कर}[1] से भिन्न हो, किसी धनराशि का; या

(ख) धारा 196 के खण्ड (ग) या धारा 229 या जल सम्भरण के सम्बन्ध में धारा 230 के अधीन देय या किसी अन्य नगरपालिका सेवा या उपक्रम के सम्बन्ध में देय किसी धनराशि का; या

(ग) इस अधिनियम द्वारा या नियमावली या उप विधि द्वारा इस अध्याय में व्यवस्थित रीति से वसूल की जा सकने वाली घोषित किसी अन्य धनराशि का भुगतान करने का देनदार हो जाये तो {नगरपालिका}[2] सभी सुविधानुसार शीघ्रता से इस प्रकार देनदार व्यक्तियों को बिल प्रस्तुत करवायेगी।

(2) जब तक कि नियम द्वारा अन्यथा उपबन्धित न हो, कोई व्यक्ति प्रत्येक कर और लाइसेन्स फीस का, ऐसी अवधि के प्रारम्भ होने पर, जिसके सम्बन्ध में ऐसा कर या फीस देय हो, भुगतान करने के लिए देनदार समझा जायेगा।

बिल की विषय वस्तु

167—— ऐसी प्रत्येक बिल में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट किया जाएगा —

(क) ऐसी अवधि, जिसके लिए और सम्पत्ति, उपजीविका, परिस्थितियां या कोई बात, जिसके सम्बन्ध में धनराशि का दावा किया गया हो; और

(ख) ऐसा दायित्व या शास्ति, जो भुगतान करने में चूक करने में प्रवर्तनीय हो; और

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 वर्ष 1991 के अध्याय—दो की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय—तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ग) ऐसा समय (यदि कोई हो), जिसके भीतर अपील निर्दिष्ट की जा सकती है, जैसा कि धारा 161 में उपबन्ध किया गया है।

मांग की नोटिस

168—— यदि ऐसी धनराशि का, जिसके लिए उपर्युक्त के अनुसार बिल प्रस्तुत किया गया हो, उसे प्रस्तुत किए जाने के पन्द्रह दिन के भीतर {नगरपालिका}[1] कार्यालय में या ऐसे व्यक्ति को जो ऐसा भुगतान प्राप्त करने के लिए विनियम द्वारा अधिकृत किया गया हो, भुगतान न किया जाये तो {नगरपालिका}[1] उक्त धनराशि के भुगतान के लिए देनदार व्यक्ति को अनुसूची 4 में निर्धारित या इसी आशय के प्रपत्र में मांग की नोटिस तामील करा सकेगी।

वारण्ट जारी करना

169—— (1) यदि उक्त धनराशि के भुगतान के लिए देनदार व्यक्ति ऐसी मांग की नोटिस तामील होने के 15 दिन के भीतर —

(क) नोटिस में मांगी गई धनराशि का भुगतान न करे; या

(ख) यथास्थिति, {नगरपालिका}[1] को या ऐसे अधिकारी को, जिसे {नगरपालिका}[1] विनियम द्वारा इस निमित्त नियुक्त करे या जहां कोई अधिशासी अधिकारी हो, वहां, यथास्थिति अधिशासी अधिकारी को समाधानप्रद रूप में यह कारण न बनाये कि उसे क्यों इसका भुगतान नहीं करना चाहिए,

तो ऐसी धनराशि, वसूली के समस्त व्यय सहित वारण्ट के अधीन, जो अनुसूची 5 के या इसी आशय के प्रपत्र में नगरपालिका द्वारा जारी कराया जायेगा, बाकीदार की जंगम सम्पत्ति के करस्थम् या बिक्री द्वारा वसूल की जा सकती है।

(2) इस धारा के अधीन जारी किए गए प्रत्येक वारण्ट पर नगरपालिका के अध्यक्ष के या ऐसे अधिकारी के, जिसे {नगरपालिका}[1] ले विनियम द्वारा अपनी शक्ति प्रत्यायोजित की हो या अधिशासी अधिकारी के, यदि कोई हो, हस्ताक्षर होंगे।

वारण्ट के निष्पादन के प्रयोजन के लिए बलपूर्वक प्रवेश

170—— (1) ऐसे नगरपालिका अधिकारी के लिए, जिसे धारा 169 के अधीन जारी किया गया वारण्ट संबोधित किया गया हो, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच, किसी भी समय किसी भवन के किसी बाहरी या भीतरी दरवाजे या खिड़की को तोड़कर उसमें प्रवेश करना विधिपूर्ण होगा, जिससे निम्नलिखित परिस्थितियों में और न कि अन्यथा, वारण्ट में निर्दिष्ट करस्थम् का निष्पादन किया जा सके—

(क) यदि वारण्ट में ऐसा कोई विशेष आदेश हो, जिसमें उसे इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो; और

(ख) यदि उसे यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण हो कि भवन में ऐसी सम्पत्ति है, जो वारण्ट के अधीन जब्त किये जाने योग्य है; और

(ग) यदि अपना प्राधिकार और प्रयोजन अधिसूचित करने और सम्यक् रूप से प्रवेश करने की मांग करने के पश्चात् यह अन्यथा प्रवेश न कर सके।

(2) प्रतिबन्ध यह है कि उक्त अधिकारी महिलाओं के रहने के लिए अलग किए गए किसी कक्ष से तब तक प्रवेश न करेगा अथवा उसके दरवाजे को न तोड़ेगा, जब तक कि उसने उन महिलाओं को, जो उसमें हो, वहां से हट जो का अवसर न दे दिया हो।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 172 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय—तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

वारण्ट निष्पादित करने की रीति

171—— (1) ऐसे अधिकारी के लिए उपधारा (2) तथा (3) के प्रयोजनों के अधीन रहते हुए, ऐसे व्यक्ति की, जिसका नाम, व्यतिक्रमी के रूप में दिया गया हो, जंगम सम्पत्ति का, जहां कहीं वह पायी जाये, करस्थम् करना विधिपूर्ण होगा।

(2) निम्नलिखित सम्पत्ति का करस्थम् नहीं किया जायेगा—

(क) व्यतिक्रमी, उसकी पत्नी तथा बच्चों के पहनने के आवश्यक वस्त्र और बिस्तर;

(ख) कारीगरों के औजार;

(ग) लेखा बही;

(घ) यदि व्यतिक्रमी कृषक हो तो उसके कृषि कर्म के उपकरण, अन्न बीज और ऐसे पशु, जो उसके जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक हो।

(3) करस्थम् अतिशयपूर्ण न होगा अर्थात् करस्थम् की गई सम्पत्ति का मूल्य, यथासम्भव, वारण्ट के अधीन वसूल की जा सकने वाली धनराशि के बराबर होगी और यदि ऐसी वस्तुओं का करस्थम् किया गया हो, जो उस व्यक्ति की राय में, जिसे धारा 169 की उपधारा (2) के द्वारा या अधीन वारण्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, इस प्रकार करस्थम नहीं की जानी चाहिए थी तो उन्हें तुरन्त वापस कर दिया जायेगा।

(4) उक्त अधिकारी सम्पत्ति का अधिग्रहण करने पर तुरन्त उसकी तालिका बनायेगा तथा उसे हटाने के पूर्व उस व्यक्ति को, जिसके कब्जे में वह सम्पत्ति अधिग्रहण के समय रही हो, अनुसूची 6 में दिए प्रपत्र में एक लिखित नोटिस देगा कि उक्त सम्पत्ति बेच दी जायेगी, जैसा कि उक्त नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जायेगा।

वारण्ट के अधीन वस्तु की बिक्री और आगम का उपयोग किया जाना

172—— जब अभिग्रहित सम्पत्ति शीघ्र और प्रकृत्या क्षयशील हो या जब उसे अभिरक्षा में रखने का व्यय वसूल की जाने वाली धनराशि सहित उसके मूल्य से अधिक हो जाने की सम्भावना हो तो अध्यक्ष या अन्य अधिकारी, जिसने वारण्ट पर हस्ताक्षर किये हों, तुरन्त उस व्यक्ति को, जिसके कब्जे से सम्पत्ति अधिग्रहीत की गई थी, इस आशय का एक नोटिस देगा कि उसे तुरन्त बेच दिया जायेगा और यदि वारण्ट में बताई गई धनराशि का तुरन्त भुगतान नहीं किया जाता है तो वह तद्नुसार उसे बेच देगा।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन सम्पत्ति तुरन्त न बेच दी जाये तो अभिग्रहीत सम्पत्ति या उसके पर्याप्त भाग को वारण्ट निष्पादित करवे वाले अधिकारी द्वारा तामील किए गए नोटिस में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर {नगरपालिका}[1] के आदेश के अधीन सार्वजनिक नीलाम द्वारा बेच दिया जायेगा, जब तक कि वारण्ट उस व्यक्ति द्वारा, जिसने उस पर हस्ताक्षर किए हों, निलम्बित न कर दिया जाये या व्यतिक्रमी से देय राशि का नोटिस; वारण्ट और करस्थम् और सम्पत्ति को निरूद्ध रखने से सम्बन्धित सभी आनुषंगिक व्यय सहित, भुगतान न कर दिया जाये।

(3) अधिशेष को यदि कोई हो, तुरन्त {नगरपालिका}[1] निधि में जमा कर दिया जायेगा, इसके साथ—साथ इस प्रकार जमा किए गए अधिशेष की नोटिस उस व्यक्ति को, जिसके कब्जे से सम्पत्ति ली गई थी, दिया जायेगा किन्तु यदि नोटिस के दिनांक से एक वर्ष के भीतर {नगरपालिका}[1] को लिखित आवेदन—पत्र देकर इसका दावा किया जाय तो उसे ऐसे व्यक्ति को वापस कर दिया जायेगा। कोई रकम, जिसके सम्बन्ध में नोटिस के दिनांक से एक वर्ष के भीतर कोई दावा न किया जाये, {नगरपालिका}[1] की सम्पत्ति हो जायेगी।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय—तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

173—— (1) यदि किसी व्यतिक्रमी की या उस परिसर में, जिसके सम्बन्ध में उस पर कर निर्धारित किया गया हो, {नगरपालिका क्षेत्र}[3] के भीतर पर्याप्त जंगम सम्पत्ति, न पाई जाए तो जिला मजिस्ट्रेट {नगरपालिका}[2] के आवेदन पत्र पर, अपने न्यायालय के किसी अधिकारी को—

{नगरपालिका क्षेत्र} के बाहर सम्पत्ति के प्रति निष्पादन के मामले में प्रक्रिया

(क) व्यतिक्रमी की किसी ऐसी जंगम—सम्पत्ति के, जो उक्त मजिस्ट्रेट की अधिकारिता के किसी अन्य भाग में हो, करस्थम् और विक्रय के लिए; या

(ख) व्यतिक्रमी की किसी ऐसी जंगम—सम्पत्ति के, जो उत्तर प्रदेश में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी अन्य मजिस्ट्रेट की अधिकारिता में हो करस्थम और विक्रय के लिए, अपना वारण्ट जारी कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन कार्यवाही की जाने की दशा में अन्य मजिस्ट्रेट इस प्रकार जारी किए गए वारण्ट को पृष्ठांकित करेगा और उसे निष्पादित करायेगा और वसूल की गई कोई धनराशि वारण्ट जारी करने वाले मजिस्ट्रेट को प्रेषित करायेगा, जो उसे {नगरपालिका}[2] को प्रेषित कर देगा।

{173—क—— (1) जहां {नगरपालिका}[2] को किसी व्यक्ति से कर {तुरन्त मांग किए जाने पर देय किसी कर}[1] से भिन्न के कारण कोई रकम देय हो तो {नगरपालिका}[2] वसूली के किसी अन्य ढंग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कलेक्टर से ऐसी रकम को, कार्यवाही के व्यय सहित, वसूल करने के लिए आवेदन कर सकती है, मानो वह भू—राजस्व की बकाया थी।

भू—राजस्व के बकाया के रूप में कर की वसूली

(2) कलैक्टर, यह समाधान हो जाने पर कि उक्त रकम देय है, भू—राजस्व की बकाया के रूप में उसे वसूल करने की कार्यवाही करेगा।

174—— (क) धारा 168 के अधीन जारी किए गए प्रत्येक नोटिस की फीस;

फीस और व्यय

(ख) धारा 171 के अधीन किए गए प्रत्येक करस्थम् की फीस; और

(ग) उक्त धारा के अधीन अभिग्रहीत किसी पशुधन के भरण—पोषण का व्यय;

राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली में इस निमित्त क्रमशः विनिर्दिष्ट दरों पर प्रभार्य होगा और वसूली के व्यय में सम्मिलित किया जायेगा, जो धारा 169 के अधीन उद्ग्रहीत किया जायेगा।

175—— इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई करस्थम् या विक्रय विधि विरूद्ध नहीं समझा जायेगा और न ऐसा कोई व्यक्ति, बिल, नोटिस, करस्थम् के वारण्ट, तालिका या उससे सम्बन्धित किसी अन्य कार्यवाही में कोई गलती, त्रुटि या प्रपत्र का अभाव होने के कारण अतिचारी समझा जायेगा।

व्यावृत्ति

176—— करस्थम् और विक्रय द्वारा कार्यवाही करने के बदले में या इससे सम्पूर्ण मांग या उसका कोई भागा वसूल न हो सकने की दशा में {नगरपालिका}[2], सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय में ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो उसका भुगतान करने के लिए देनदार हो, वाद ला सकती है।

वाद लाने की वैकल्पिक शक्ति

177—— भवन या भूमि या दोनों ही के वार्षिक मूल्य पर अधिरोपित कर के कारण देय समस्त धनराशि, जो उन पर सरकार को देय भू—राजस्व (यदि कोई हो) के पूर्व भुगतान के अधीन रहते हुए, ऐसे भवन या भूमि पर प्रथम प्रभार होगी।

करों में स्थावर सम्पत्ति का दायित्व

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 वर्ष 1991 के अध्याय—दो की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 141 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय—तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

अध्याय 7

भवनों, सार्वजनिक नालियों, मार्गों, अग्निशमन संमार्जन और जल सम्भरण के बारे में शक्ति और शास्ति

भवन सम्बन्धी विनियम

भवन निर्माण करने या कुआं बनाने के आशय की नोटिस

178—— (1) कोई भी व्यक्ति {नगरपालिका क्षेत्र}[1] की सीमा के भीतर —

(क) किसी नये भवन का या किसी भवन के नये भाग का निर्माण करने; या

(ख) किसी भवन का पुनिर्माण करने या उसमें तात्विक परिवर्तन करने; या

(ग) कोई कुआं बनाने या उसमें विस्तार करने;

का कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व {नगरपालिका}[2] को अपने इस आशय की नोटिस देगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस, जो किसी भवन के मामले में अपेक्षित हो, तभी आवश्यक होगी, जहां भवन किसी ऐसे सार्वजनिक मार्ग या स्थान या सम्पत्ति से, जो सरकार या {नगरपालिका} में निहित हो, संलग्न हो या उससे लगा हो, जब तक कि उस क्षेत्र में, जिसमें भवन स्थित हो, लागू किसी उपविधि द्वारा समस्त भवनों के लिए नोटिस देने की आवश्यकता न हो जाये।

(3) इस अध्याय और किसी उपविधि के प्रयोजनों के लिए किसी भवन में किए गए परिवर्तन को तात्विक माना जायेगा, यदि ——

(क) किसी भवन के स्थायित्व या उसकी सुरक्षा पर, भवन की दशा पर, उसको जल निस्तारण संवातन, सफाई या स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या पड़ने की सम्भावना हो; या

(ख) उससे भवन की ऊंचाई या उसके द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल या उसकी धन धारिता बढ़ जाती हो या घट जाती हो या उससे भवन में किसी कमरे की धन—धारिता किसी उपविधि में विहित न्यूनतम धन—धारिता से कम हो जाती हो; या

(ग) उसके कारण कोई ऐसा भवन या किसी भवन को ऐसा भाग, जो मूल रूप से अन्य प्रयोजनों के लिए निर्मित किया गया हो, मानवीय निवास स्थान के रूप में संपरिवर्तित हो जाता हो;

(घ) वह ऐसा परिवर्तन हो जो इस निमित्त बनाई गई किसी उपविधि द्वारा तात्विक परिवर्तन घोषित किया गया हो।

नोटिस को विधिमान्य बनाने के लिए अपेक्षित रेखांक और विनिर्देश

179—— (1) जहां कोई ऐसी उपविधि बनाई गई हो, जिसमें नोटिस के अतिरिक्त कोई सूचना और रेखांक विहित और अपेक्षित हो, वहां धारा 178 के अधीन दी गई कोई नोटिस तब तक विधिमान्य नहीं समझी जायेगी जब तक कि ऐसी उपविधि द्वारा अपेक्षित सूचना, यदि कोई हो, {नगरपालिका}[2] को समाधानप्रद रूप में प्रस्तुत न कर दी गयी हो।

(2) किसी अन्य मामले में {नगरपालिका}[2] धारा 178 के अधीन अपेक्षित नोटिस के प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर उस व्यक्ति से, जिसने नोटिस दिया हो, यह अपेक्षा कर सकती है कि वह वर्तमान या प्रस्तावित भवन या भवन के भाग या कुएं का रेखांक, विनिर्देश तथा भूमि के स्थल का रेखांक ऐसे अन्य यथोचित ब्यौरों के साथ, जिन्हें {नगरपालिका}[2] अपनी अध्यपेक्षा में विहित करे, प्रस्तुत करे और ऐसी स्थिति में उक्त नोटिस तब तक विधिमान्य नहीं समझी जायेगी जब तक कि ऐसा रेखांक और विनिर्देश नगरपालिका को समाधानप्रद रूप में प्रस्तुत न कर दिए गए हों।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 141 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय—तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

{नगरपालिका}[1] द्वारा निर्माण कार्य की स्वीकृति

180—— (1) किसी उपविधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, {नगरपालिका}[1] द्वारा किसी ऐसे निर्माण कार्य को, जिसको धारा 178 के अधीन नोटिस दिया गया हो, या तो स्वीकृत करने से इंकार कर सकेगी या उसे पूर्ण रूप से अथवा निम्नलिखित निर्देशों के अधीन स्वीकृत कर सकेगी :—

(क) कोई ऐसे लिखत निर्देश, जिन्हें {नगरपालिका}[1] धारा 298 के शीर्षक 'क' के उपशीर्षक (ज) में उल्लिखित समस्त या किन्हीं विषयों के बारे में जारी करना उचित समझे; या

(ख) कोई ऐसा लिखित निर्देश, जिसके अनुसार किसी भवन या भवन के भाग को धारा 222 के अधीन विहित मार्ग की नियमित पंक्ति में या, उक्त धारा के अधीन कोई नियमित पंक्ति विहित न होने की दशा में, किसी निकटवर्ती भवन या भवनों के अग्रभाग की पंक्ति में पीछे हटाना अपेक्षित हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन स्वीकृति देने से इंकार करने की दशा में, {नगरपालिका}[1] धारा 178 के अधीन नोटिस देने वाले व्यक्ति को लिखित रूप में अपनी स्वीकृति देने से इंकार करने के कारणों को संसूचित करेगी।

(3) यदि {नगरपालिका}[1], धारा 178 के अधीन कोई विधिमान्य नोटिस प्राप्त होने के पश्चात् एक मास तक उसके बारे में उपधारा (1) विनिर्दिष्ट प्रकार का आदेश जारी करने और उसे उस व्यक्ति को, जिसने उक्त नोटिस दिया हो, देने में उपेक्षा या चूक करें तो ऐसा व्यक्ति लिखित संसूचना द्वारा {नगरपालिका}[1] का ध्यान ऐसी अपेक्षा या चूक की ओर आकृष्ट कर सकता है और यदि उसे उपेक्षा या चूक पन्द्रह दिन की अग्रेत्तर अवधि पर्यन्त जारी रहे तो यह समझा जायेगा कि {नगरपालिका}[1] ने प्रस्तावित कार्य के लिए पूर्ण रूप से स्वीकृति दे दी है।

(4) प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (3) में दी गई किसी बात का अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के या किसी उपविधि के उल्लंघन में कार्य करने के लिए प्राधिकृत है।

(5) कोई भी व्यक्ति ऐसे निर्माण कार्य को, जिसके बारे में धारा 178 के अधीन नोटिस दिया गया हो तब तक प्रारम्भ नहीं करेगा, जब तक कि इस धारा के अधीन उसकी स्वीकृति न दे दी गई हो या यह न समझ लिया जाये कि उसके लिए स्वीकृति दे दी गई है।

(6) {नगरपालिका}[1] उपधारा (1) के अधीन अपने द्वारा की गई किसी स्वीकृति को छः मास के भीतर रद्द या उपान्तरित कर सकती है, यदि यह पाया जाये कि उक्त स्वीकृति कपट या दुर्व्यपदेशन से प्राप्त की गई थी और तदन्तर्गतकृत किसी निर्माण कार्य के लिए यह समझा जायेगा कि वह बिना ऐसी स्वीकृति के किया गया है :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी स्वीकृति को रद्द या उपान्तरित करने के पूर्व {नगरपालिका}[1] सम्बद्ध पक्ष को सुनवाई का यथोचित अवसर देगी।

कतिपय मामलों में आमोद स्थल के निर्माण की स्वीकृति देने के लिए {नगरपालिका}[1] की शक्ति पर निर्बन्धन

{180—क —— इस अधिनियम में या इसके अधीन बनायी गयी किसी उपविध में किसी बात के होते हुए भी, सार्वजनिक आमोद के किसी भवन के निर्माण या परिवर्द्धन के लिए स्वीकृति {नगरपालिका}[1] द्वारा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, नहीं दी जायेगी, यदि ऐसे भवन का स्थल या प्रस्तावित स्थल —

(क) निम्नलिखित से एक फलांग के अर्द्धव्यास के भीतर हो—

(एक) किसी आवासिक संस्था, जो किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था, जैसे कॉलेज, हाई स्कूल या कन्या विद्यालय से सम्बद्ध हो; या

(दो) कोई सार्वजनिक चिकित्सालय, जिसमें अन्तर्वासी रोगियों के लिये वृहत्त—कक्ष हो; या

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय—तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

(तीन) किसी अनाथालय, जिसमें एक सौ या अधिक निवासी रहते हो; या

(ख) किसी ऐसे घनी आबादी वाले आवासिक क्षेत्र में हो, जो या तो अनन्य रूप से आवासिक क्षेत्र हो, या सामान्यतया कारबार के प्रयोजनों से सुभिन्न आवासिक प्रयोजनों के लिए आरक्षित हो, प्रयुक्त किया जाता हो; या

(ग) ऐसे क्षेत्र में स्थित हो, जो किसी अधिनियमित के अधीन किसी गृह निर्माण या नियोजन सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत या अन्य प्रकार से आवासिक प्रयोजनों के लिए आरक्षित हो :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे भवन के, जिसे चलचित्र प्रदर्श के लिए प्रयुक्त करना आशयित हो, निर्माण करने की अनुज्ञा तब तक न दी जायेगी जब तक कि बोर्ड का यह समाधान न हो जाये कि लेखांकों और विनिर्देशन के लिए चलचित्र अधिनियम, 1918 के अधीन बनाई गई नियमावली के अनुसार स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है।}[1]

स्वीकृति की अवधि

181—— (1) {नगरपालिका}[3] द्वारा धारा 180 के अधीन दी गई या दी गई समझी जाने वाली स्वीकृति एक वर्ष के लिए या इसके कम ऐसी अवधि के लिए, जो उपविधि द्वारा विहित की जाय, उपलब्ध रहेगी, {जब तक कि उसे नगरपालिका}[2] द्वारा एक वर्ष तक की अग्रेत्तर अवधि के लिए न बढ़ाया जाये।

(2) उक्त अवधि के समाप्त होने के पश्चात् प्रस्तावित निर्माण कार्य का प्रारम्भ ऐसी नई स्वीकृति के अनुसरण के सिवाय, जिसके लिए आवेदन किया गया हो और उसी धारा के अधीन स्वीकृति दी गई हो, नहीं किया जा सकेगा।

ऐसे निर्माण कार्यों का निरीक्षण, जिनके लिए स्वीकृति अपेक्षित हो

182—— {नगरपालिका}[3] अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी और यदि संकल्प द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाय तो कोई अन्य सदस्य, अधिकारी या सेवक किसी निर्माण कार्य का, जिसके बारे में धारा 178 के अधीन नोटिस देना अपेक्षित हो, किसी भी समय पर बिना किसी चेतावनी के –

(क) जब कि वह निर्माणाधीन हो ; या

(ख) ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने के एक मास के भीतर कि निर्माण कार्य पूरा हो गया है या ऐसी रिपोर्ट प्राप्त न होने पर, उसके पूरे हो जाने के बाद किसी भी समय, निरीक्षण कर सकता है।

धारा 180 के अधीन दिए गए आदेश के कारण क्षति के लिए प्रतिकर

183—— धारा 125 में किसी बात के होते हुए भी, धारा 178 के अधीन नोटिस देने वाला व्यक्ति, {नगरपालिका}[3] द्वारा धारा 180 के अधीन दिए गए किसी आदेश के कारण हुई क्षति या हानि के लिए तब तक किसी प्रतिकर का हकदार न होगा, जब तक कि ——

(क) आदेश ऐसे आधार से भिन्न आधार पर न दिया गया हो कि प्रस्तावित निर्माण कार्य से किसी उपविधि का उल्लंघन होता या जनता या किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य या सुरक्षा पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; या

(ख) आदेश में धारा 180 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रकार का निर्देश अन्तर्विष्ट न हो; या

(ग) वह आदेश ऐसा आदेश न हो, जिसके द्वारा किसी भवन के पुनः निर्माण के लिए इस आधार पर स्वीकृति देने से इंकार किया गया हो कि वह परिक्षेत्र के रेखांक या परिकल्पना के अनुपयुक्त है या ऐसे प्रयोजन के लिए आशयित है जो उस परिक्षेत्र के लिए अनुपयुक्त है या उससे धारा 298 के शीर्षक (क) के उपशीर्षक (च) के अधीन किसी उपविधि का उल्लंघन होता है।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 7 वर्ष 1949 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 27 वर्ष 1964 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

धारा 180 के अधीन स्वीकृति का प्रभाव

184—— (1) धारा 180 के अधीन दी गई या दी गई समझी गई स्वीकृति से, ऐसे व्यक्ति को जिसको स्वीकृति दी गई हो या दी गई समझी गई हो, किसी दण्ड या ऐसे परिणाम से, जिसके लिए वह अन्यथा धारा 185, 186 या 222 के अधीन जिम्मेदार होता, छूट देने के अतिरिक्त कोई अधिकार या निर्योग्यता प्रदान न की जायेगी या समाप्त न की जायेगी और न वह विबन्ध या स्वीकृति के रूप में प्रवृत्त होगी या न उससे सम्पत्ति के किसी हक पर कोई प्रभाव पड़ेगा या उसका कोई विधिक प्रभाव चाहे जो हो, नहीं होगा।

(2) विशेषतः ऐसी स्वीकृति इस प्रकार प्रवर्तित नहीं होगी कि उससे कोई व्यक्ति ऐसी बाध्यता से मुक्त हो जाये, जो धारा 209 में निर्दिष्ट किसी संरचना के लिए पृथक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उक्त धारा के अधीन अधिरोपित की गई हो।

किसी भवन का अवैध निर्माण या परिवर्तन

185—— कोई भी व्यक्ति, जो धारा 178 द्वारा अपेक्षित नोटिस दिए बिना या धारा 180 की उपधारा (5) के उपबन्धों का या नगरपालिका के ऐसे आदेश का, जिसमें स्वीकृति देने से इंकार किया गया हो या धारा 180 के या किन्हीं उपविधियों के अधीन नगरपालिका द्वारा दिए गए किन्हीं लिखित निदेशों का उल्लंघन करके किसी भवन या भवन के भाग का निर्माण, पुनर्निमाण या उसमें कोई तात्विक परिवर्तन या किसी कुएं का निर्माण या विस्तार आरम्भ करे, जारी रखे या समाप्त करे, सिद्धदोष ठहराए जाने पर जुर्माने का भागी होगा, जो {एक हजार रुपये}[1] तक को सकता है, किन्तु जो न्यायालय के निर्माण में उल्लिखित विशेष और पर्याप्त प्रतिकूल कारणों के न होने पर, दो सौ पचास रुपये से कम न होगा।

निर्माण कार्य को रोकने तथा निर्मित भवन को गिरा देने की {नगरपालिका}[2] की शक्ति

186—— {नगरपालिका}[2] किसी भी समय किसी भूमि के स्वामी या अध्यासी को किसी भवन या भवन के भाग के निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्तन या उसमें किसी कुएं के निर्माण या विस्तार की किसी ऐसी दशा में जहां नगरपालिका का यह विचार हो कि इस प्रकार का निर्माण, पुनर्निर्माण, परिवर्तन, निर्माण या विस्तार धारा 185 के अधीन कोई अपराध है, लिखित नोटिस देकर रोकने का निर्देश दे सकता है और इसी प्रकार, यथास्थिति ऐसे भवन या भवन के भाग या कुंए में परिवर्तन करने या उसे गिरा देने का, जिसे वह आवश्यक समझे, निर्देश दे सकता है।

अग्निशमन दल की स्थापना और उसका अनुरक्षण

187—— {नगरपालिका}[2] अग्निशमन दल की स्थापना और उसका अनुरक्षण कर सकेगी और ऐसे उपकरण, मशीन या आसूचना देने के साधनों की व्यवस्था कर सकेगी, जिन्हें वह आग लगने की रोकथाम और उसे बुझाने के लिए आवश्यक समझे।

अग्निशमन के लिए अग्निशमन दल तथा अन्य व्यक्तियों की शक्ति

188—— (1) किसी {नगरपालिका क्षेत्र}[3] में आग लगने के अवर पर कोई मजिस्ट्रेट, {नगरपालिका क्षेत्र}[3] का कोई सदस्य, {नगरपालिका क्षेत्र}[3] का अधिशासी अधिकारी, अभियंता या सचिव या अग्निशमक दल का कोई भी सदस्य, जो उसके कार्य संचालन का निर्देश दे रहा हो और (यदि कोई मजिस्ट्रेट, {नगरपालिका}[2] के सदस्य, {नगरपालिका क्षेत्र}[3] के अधिशासी अधिकारी, अभियंता या सचिव द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाये) कान्स्टेबिल के रैंक के ऊपर का कोई पुलिस अधिकारी –

(क) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो वहां उपस्थित रह कर अग्निशमन या जीव या सम्पत्ति को बचाने के कार्य संचालन में हस्तक्षेप करता है या अड़चन डालता है, हटा सकता है या हटाने का आदेश दे सकता है;

(ख) किसी ऐसे मार्ग या रास्ते को, जिसमें या जिसके निकट आग लगी हो, बन्द कर सकता है;

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 27 वर्ष 1964 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 141 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ग) आग बुझाने के प्रयोजनों के लिए या हौ या अन्य उपकरणों को ले जाने के लिए किसी भू—गृहादि को तोड़कर उसमें प्रवेश कर सकता है या उसे खुलवा या गिरा सकता है या उसे तोड़ने या खोलने या गिराने या प्रयुक्त करने के लिए कह सकता है;

(घ) मुख्य नल और नल बन्द करवा सकता है, जिससे उस स्थान पर और उसके निकट जहां आग लगी हो, जल का दबाव अपेक्षाकृत बढ़ जाये;

(ङ) दमकल के प्रभारी व्यक्ति से अनुरोध कर सकता है वह यथासम्भव सहायता करे; और

(च) सामान्यतया ऐसे उपाय कर सकता है, जो जीवन या सम्पत्ति के परीक्षण के लिए आवश्यक प्रतीत हो।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी कार्य के लिए, जो उसने उपधारा (1) के अधीन सद्भाव से किया हो, क्षतिपूर्ति देने के लिए जिम्मेदार न होगा।

(3) ऐसी क्षति, जो इस धारा के अधीन अधिरोपित किसी कर्तव्य के पालन के लिए प्रदान शक्ति का प्रयोग करते समय हुई हो, अग्नि—बीमा की पॉलिसी के अर्थ में अग्नि से हुई क्षति समझी जायेगी।

सार्वजनिक नालियां

सार्वजनिक नालियों का निर्माण

189—— {नगरपालिका}[1], {नगरपालिका क्षेत्र}[2] के भीतर या धारा 120 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, बाहर ऐसी नालियां बनवा सकेगी, जिसे नगरपालिका क्षेत्र को समुचित रूप से स्वच्छ रखने और उसके जल निस्सारण के लिए आवश्यक समझे और ऐसी नालियों को किसी मार्ग या स्थान से होकर या उसके आर पार या उसके नीचे से ले जो सकेगी और किसी भवन या भूमि के स्वामी या अध्यासी को युक्तियुक्त लिखित नोटिस देने के पश्चात् ऐसे भवन या भूमि से या उससे होकर या उसे नीचे ले जा सकेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी छावनी की सीमाओं के भीतर निर्माण राज्य सरकार के अनुमोदन के बिना और अन्यथा उसके, जिसमें उक्त छावनी स्थित हो, जनरल आफिसर कमाँडिंग की सहमति के बिना या ऐसी सहमति के रोक दिये जाने की दशा में, केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, किसी नाली का निर्माण नहीं किया जायेगा।

सार्वजनिक नालियों में परिवर्तन

190—— (1) {नगरपालिका}[1] समय—समय पर किसी सार्वजनिक नाली को बढ़ा सकेगी, छोटा कर सकेगी, उसका मार्ग परिवर्तन कर सकेगी, उसे ढक सकेगी या उसमें किसी अन्य प्रकार से सुधार कर सकेगी और ऐसी किसी नाली का बनाया जाना रोक सकेगी, उसे बन्द कर सकेगी या अन्य प्रकार से सुधार कर सकेगी या हटा सकेगी।

(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग इस शर्त के अधीन किया जायेगा कि {नगरपालिका}[1] ऐसी किसी वर्तमान नाली के बदले, जिसका उपयोग करने से कोई व्यक्ति उक्त शक्ति का प्रयोग किए जाने से वंचित हो जाता हो, दूसरी ओर उतनी ही उपयुक्त नाली की व्यवस्था करेगी।

नीजि स्वामियों द्वारा सार्वजनिक नालियों का प्रयोग

191—— (1) {नगरपालिका क्षेत्र}[2] में स्थित किसी भवन या भूमि का स्वामी या अध्यासी अपनी नालियों को {नगरपालिका}[1] की नाली में गिराने का हकदार होगाः

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 141 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय—तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

प्रतिबन्ध यह है कि इसके लिए वह पहले {नगरपालिका}[1] की लिखित अनुज्ञा प्राप्त कर ले और वह उन शर्तों का अनुपालन करे, जो उस उपविधि से संगत हो, जिसे {नगरपालिका}[1] ऐसे ढंग और अधीक्षण के सम्बन्ध में विहित करे, जिसके अनुसार और अधीन ऐसी नालियों को, जो {नगरपालिका}[1] में निहित न हो और {नगरपालिका}[1] में निहित नालियों को मिलाया जा सके।

(2) कोई भी व्यक्ति, {नगरपालिका}[1] की लिखित अनुज्ञा के बिना या बनाई गई किसी उपविधि का या किसी ऐसे निदेश या शर्त का, जो उपधारा (1) के अधीन दी गई हो या अधिरोपित की गई हो, उल्लंघन करके अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की नाली को {नगरपालिका क्षेत्र}[2] में निहित नाली के साथ जोड़े या जुड़वाये या उसमें परिवर्तन कराए तो दोष—सिद्ध ठहराये जाने पर ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा होगा, जो पचास रुपये तक हो सकता है और {नगरपालिका}[1] लिखित नोटिस द्वारा ऐसे व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह इस प्रकार जोड़ी गई नाली को बन्द कर दे, परिवर्तित कर दे या फिर से बनवा दे या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य कार्यवाही करे, जिसे वह उचित समझे।

सार्वजनिक नालियों के साथ जल—निस्सारण का संयोजन कराने की नगरपालिका की शक्ति

192—— (1) जब किसी सार्वजनिक नाली के एक सौ फुट के भीतर स्थित किसी भवन या भूमि का जल—निस्सारण किसी भी समय ऐसी नाली से या ऐसी नाली से पर्याप्त जल—निस्सारण संयोजन से नगरपालिका के समाधानप्रद रूप में न हो तो नगरपालिका नोटिस द्वारा ऐसे भवन या भूमि के स्वामी या अध्यासी से वह अपेक्षा कर सकता है कि वह उक्त नाली से जल—निस्सारण का ऐसी रीति से संयोजन करे और उसका अनुरक्षण करे, जैसा कि नगरपालिका किसी उप—विधि के अधीन निदेश दे।

(2) धारा 306 से 312 (दोनों को सम्मिलित करते हुए) के उपबन्ध ऐसी किसी अध्यपेक्षा का अनुपालन करने में व्यतिक्रम किए जाने पर इस बात के होते हुए भी लागू होंगे कि भूमि का वह भाग, जिससे होकर उक्त निस्सारण संयोजन को ले जाना अपेक्षित हो, उस व्यक्ति का न हो, जिसने उक्त व्यतिक्रम किया हो, जब तक कि वह साबित न कर दे कि व्यतिक्रम उक्त अंतिम उल्लिखित भूमि के स्वामी या अध्यासी के कार्य के कारण हुआ था और उसने धारा 193 के अधीन नगरपालिका को आवेदन कर दिया है।

किसी अन्य व्यक्ति की भूमि से नाली ले जाने की किसी व्यक्ति की शक्ति

193—— (1) कोई अन्य व्यक्ति, जो यह चाहता हो कि उसकी भूमि पर वर्तमान या प्रस्तावित नाली किसी अन्य व्यक्ति के जो उससे संशक्त भवन या भूमि का स्वामी हो, भवन या भूमि से होकर या उसके नीचे से जाये या उसकी नाली से मिलाई जाय या नगरपालिका की नाली से मिलाई जाये, {नगरपालिका}[1] को आवेदन कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन—पत्र प्राप्त होने पर, नगरपालिका उक्त अन्य व्यक्ति से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर यह कारण बताने की अपेक्षा कर सकता है कि क्यों न आवेदक की नाली उसके भवन या भूमि से होकर या उसके नीचे से ले जायी जाय या उसकी नाली से जोड़ दी जाये।

(3) {नगरपालिका}[1], ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई किसी आपत्ति की, यदि विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत की जाये सुनवाई करेगा और तत्पश्चात् यदि उसका यह विचार हो कि नाली बनाई जानी चाहिए या जल—निस्सारण का संयोजन किया जाना चाहिए तो वह इस निमित्त आदेश अभिलिखित करेगा।

(4) उक्त आदेश में निम्नलिखित उपबन्धित किया जायेगा—

(क) वह अवधि, जिसमें पक्षकार नाली बनाने या जल—निस्सारण का संयोजन किए जाने के सम्बन्ध में कोई करार कर लेंगे;

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 141 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय—तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) वह अवधि, जिसमें नाली बनाई जायेगी या जल—निस्सारण का संयोजन किया जायेगा;

(ग) सम्बन्धित पक्षकारों का नाली बन जाये या जल—निस्सारण संयोजन कर दिए जाने या उसके अनुरक्षण, मरम्मत और सफाई के लिए अपना—अपना उत्तरदायित्व; और

(घ) आवेदन करने वाले व्यक्ति द्वारा, यथास्थिति, भूमि, भवन या नाली के स्वामी को या तो किराये के रूप में अन्य प्रकार से देय धनराशि (यदि कोई हो)।

(5) यदि उपधारा (4) खण्ड (घ) के अधीन अधिनिर्णीत धनराशि एकमुश्त भुगतान करने के रूप में हो तो नगरपालिका उसे अध्याय 6 में उपबन्धित रीति से वसूल कर सकेगी और वसूल की गई कोई धनराशि का भुगतान ऐसे व्यक्ति को कर सकेगी, जिसे वह देय हो। यदि किराया अधिनिर्णीत किया गया हो तो ऐसा व्यक्ति जिसे वह देय हो, उसे किसी अधिकारिता वाले सिविल न्यायालय में वाद लोकर वसूल कर सकेगी।

(6) यदि सम्बन्धित पक्षकार आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर करार करने में विफल रहते हैं या यदि नाली या जल निस्सारण के संयोजन का निर्माण उस अवधि के भीतर, जो उससे निर्माण के लिए विनिर्दिष्ट हो, नहीं किया जाता है तो {नगरपालिका}[1] स्वयं उसका निर्माण कर सकेगी और उसकी लागत को आवेदक से अध्याय द्वारा उपबन्धित रीति से वसूल कर सकेगी।

भूमि के स्वामी का अपनी भूमि पर नाली को मोड़ने का अधिकार

194—— किसी ऐसी भूमि का स्वामी, जिसकी भूमि में या जिससे होकर या जिसके नीचे से कोई नाली पूर्ववर्ती धारा के उपबन्धों के अधीन ले जाई गई हो, किसी भी समय {नगरपालिका}[1] की लिखित अनुज्ञा से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो {नगरपालिका}[1] अधिरोपित करे, स्वयं अपने व्यय से नाली को मोड़ सकेगा।

संमार्जन और सफाई

गृह संमार्जन की परिभाषा

195—— गृह संमार्जन का तात्पर्य, किसी गृह या भवन में रखे गए या उससे सम्बन्धित कूड़ेदान, संडास, मलकूप या ऐसे पदार्थों के लिए रखे गए अन्य, पात्र से गलीज, कूड़ा—करकट, दुर्गन्ध या अन्य घृणास्पद पदार्थ को हटाने से है।

{नगरपालिका}[1] द्वारा गृह संमार्जन आदि का कार्य अंगीकार करना और त्यागना

196—— रूढ़िवाद सफाईकारों और कृषकों के अधिकारों के सम्बन्ध में इसमें इसके पश्चात् दिए गए उपबन्धों के अधीन रहते हुए {नगरपालिका}[1] —

(क) सार्वजनिक नोटिस द्वारा ऐसे दिनांक से, जो नोटिस के जारी करने के पश्चात् दो मास से कम न हो {नगरपालिका क्षेत्र}[2] में स्थित गृहों या भवनों के संमार्जन या विष्ठापूर्ण और प्रदूषित पदार्थ को संडास, मूत्रालय और मलकूप से संग्रह करने, हटाने और उसके निस्तारण का जिम्मा ले सकेगी।

(ख) सम्बन्धित पक्षकारों को सार्वजनिक नोटिस द्वारा या अन्यथा कम से कम दो मास की नोटिस देकर खण्ड (क) के अधीन दिए गए कार्य की जिम्मेदारी त्याग सकेगी;

(ग) अध्यासी के आवेदन—पत्र या उसकी सहमति से, किसी भी समय इस निमित्त उपविधि द्वारा निर्धारित निबन्धनों पर किसी गृह या भवन के गृह संमार्जन या किसी भवन में या भूमि पर संडास, मूत्रालयों ओर मलकूप से विष्ठापूर्ण और प्रदूषित पदार्थ को संग्रह करने, हटाने और उसके निस्तारण या किसी भवन या भूमि से अन्य दुर्गन्धयुक्त पदार्थ, कूडा—करकट हटाने के कार्य का जिम्मा ले सकेगी; और

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 141 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय—तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

(घ) अध्यासी को कम से कम दो मास की नोटिस के पश्चात् खण्ड (ग) के अधीन ली गई जिम्मेदारी त्याग सकेगी।

अंगीकार करने पर आपत्ति

197–– (1) किसी गृह या भवन या अध्यासी, जो धारा 196 के खण्ड (क) के अधीन जारी किए किसी नोटिस द्वारा प्रभावित हो, नोटिस जारी होने के बाद किसी भी समय उक्त गृह या भवन को नोटिस से अपवर्जित करने के लिये {नगरपालिका}[1] को आवेदन कर सकेगा।

(2) {नगरपालिका}[1] ऐसे आवेदन–पत्र पर विचार करगी और उसकी प्राप्ति से छः सप्ताह के भीतर उस पर आदेश जारी करेगा और ऐसे आदेश द्वारा उस गृह या भवन को नोटिस से अपवर्जित कर सकेगी।

(3) {नगरपालिका}[1] यह विनिश्चित करने के लिए कि किसी गृह या भवन को नोटिस से अपवर्जित किया जाय या नहीं, अन्य बातों के साथ–साथ अध्यासी द्वारा गृह समार्जन के लिए प्रबन्ध की दक्षता पर भी विचार करेगी।

नगरपालिका द्वारा संमार्जन कार्य अंगीकार कर लिए जाने के बाद उसे जारी रखना

198–– जब {नगरपालिका}[1] धारा 196 के अधीन किसी गृह या भवन के कार्य का भार अपने ऊपर ले तो वह तत्समय ऐसे गृह या भवन के अध्यासी की सहमति से या उसके बिना भी ऐसे गृह या भवन के संमार्जन का कार्य जारी रख सकेगी।

गृह संमार्जन के लिए नगरपालिका सेवकों की शक्ति

199–– संमार्जन कार्य के लिए नियोजित नगरपालिका के सेवक, सभी समुचित समय पर, नगरपालिका द्वारा जिम्मे के लिए गए गृह–संमार्जन कार्य के उचित सम्पादन के लिए आवश्यक सभी कार्य कर सकेंगे।

रूढ़िगत सफाईकारों और कृषकों के पक्ष में व्यावृत्ति

200–– धारा 196 में किसी बात के होते हुए भी नगरपालिका धारा 201 और 202 के उपबन्धों के अनुसरण के सिवाय––

(क) किसी ऐसे गृह या भवन की, जिसके संमार्जन कार्य का किसी सफाईकार को रूढ़िगत अधिकार को, सफाईकार की सहमति के बिना ऐसे संमर्जान कार्य का जिम्मा न लेगी; या

(ख) किसी ऐसे कृषक द्वारा, जो {नगरपालिका क्षेत्र में}[2] स्थित भूमि या उसने आसन्न किसी गांव की भूमि पर स्वयं खेती करता हो, अध्यासित किसी गृह या भवन के गृह संमार्जन का जिम्मा अध्यासी की सहमति के बिना नहीं लेगी।

रूढ़िगत सफाईकारों की उपेक्षा के लिए दण्ड

201–– (1) यदि किसी गृह या भवन संमापर्जन को रूढ़िगत अधिकार प्राप्त कोई सफाईदार (जिसे एतद्पश्चात् रूढ़िगत सफाईकार कहा गया है) उचित ढंग से संमार्जन कार्य नहीं करता है तो उस गृह या भवन का अध्यासी अथवा नगरपालिका किसी मजिस्ट्रेट से इसकी शिकायत कर सकती है।

(2) मजिस्ट्रेट शिकायत मिलने पर उसकी जांच करेगा और यदि उसे प्रतीत हो कि रूढ़िगत सफाईकार ने सम्बन्धित गृह या भवन का संमार्जन उचित ढंग से या समुचित अन्तराल पर नहीं किया है तो वह ऐसे सफाईकार पर जुर्माना कर सकेगा, जो दस रुपये तक हो सकेगा और उसी गृह या भवन के सम्बन्ध में दूसरी बार या बाद में दोषसिद्ध ठहराए जाने पर, यह भी निदेश दे सकेगा कि उक्त गृह या भवन का संमार्जन का रूढ़िगत सफाईकार का अधिकार समपहृत कर दिया जाय और तदुपरान्त ऐसा अधिकार समपहृत कर लिया जायेगा :

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 142 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन किसी भी प्रक्रम पर मामले के लम्बित रहने में मजिस्ट्रेट {नगरपालिका}[1] को इस मामले में उसके द्वारा अन्तिम आदेश दिए जाने तक ऐसे गृह या भवन के संमार्जन का जिम्मा लेने का प्राधिकार दे सकेगा।

कृषकों द्वारा व्यतिक्रम किए जाने के मामले में प्रकिया

202—— (1) यदि कोई कृषक, जो {नगरपालिका क्षेत्र}[2] में या उससे आसन्न किसी गांव की भूमि पर स्वयं खेती करता है, अपने द्वारा अध्यासित किसी गृह या भवन के संमार्जन की उचित व्यवस्था नहीं करता है तो {नगरपालिका}[1] किसी मजिस्ट्रेट से इसकी शिकायत कर सकेगी।

(2) मजिस्ट्रेट शिकायत मिलने पर उसकी जांच करेगा और यदि उसे यह प्रतीत हो कि कृषक ने गृह या भवन के संमार्जन की उचित व्यवस्था नहीं की है तो वह {नगरपालिका}[1] को उसका जिम्मा लेने के लिये आदेश द्वारा सशक्त कर सकता है और तदुपरान्त {नगरपालिका}[1] उक्त गृह या भवन के संमार्जन का जिम्मा लेने का हकदार हो जायेगा।

ऐसे स्थल पर, जो किसी सार्वजनिक या असार्वजनिक मार्ग से संशक्त न हो, किसी भवन का निर्माण करने के पूर्व मार्ग का विन्यास करने और उसे बनाने की व्यवस्था

203—— सिवाय ऐसी दशा के जब कोई स्थल किसी सार्वजनिक या निजी मार्ग से संशक्त हो, यदि कोई व्यक्ति जो ऐसी भूमि का स्वामी हो या उस पर कब्जा रखता हो, जिसका उपयोग उस समय तक भवन निर्माण के प्रयोजनार्थ न किया गया हो, ऐसी भूमि या उसके किसी भाग को भवन निर्माण के स्थल के रूप में उपयोग करने, विक्रय करने, पट्टे पर देने या किसी अन्य रीति से हस्तान्तरित करने का विचार करे तो वह ऐसे स्थल का उपयोग करने, विक्रय करने, पट्टे पर देने या अन्य रीति से हस्तान्तरित करने के पूर्व ऐसे मार्ग का विन्यास करेगा और उसे बनायेगा, जो ऐसे स्थल को किसी वर्तमान सार्वजनिक या निजी मार्ग से मिला देगा।

मार्ग का विन्यास करने और उसे बनाने की अनुज्ञा

204—— (1) प्रत्येक व्यक्ति किसी ऐसे नये मार्ग का विन्यास करने या उसे बनाने के पूर्व {नगरपालिका}[1] को एक लिखित आवेदन—पत्र प्रस्तुत करेगा, जिसमें वह ऐसे मार्ग का विन्यास करने या उसे बनाने की अनुज्ञा मांगेगा और ऐसे आवेदन—पत्र के साथ रेखांक प्रस्तुत करेगा, जिसमें निम्नांकित विवरण दिया जायेगा ——

(क) मार्ग का प्रस्तावित तल, दिशा और चौड़ाई;

(ख) मार्ग संरेखण तथा भवन पंक्ति और साथ ही आवेदन—पत्र में यह भी उल्लेख किया जायेगा कि मार्ग को समतल करने, उसमें खडंजा लगाने, पक्का करने, उसमें चौरस पत्थर बिछाने, मोरियां बनाने, सीवर डालने, नालियां बनाने, संमार्जन तथा रोशनी के लिए क्या प्रबन्ध किया जायेगा।

(2) सार्वजनिक मार्ग का तल और उसकी चौड़ाई तथा उससे संशक्त भवन की ऊंचाई के सम्बन्ध में इस अधिनियम तथा तदन्तर्गत बनाई गई किसी नियमावली या उपविधि के उपबन्ध, उपधारा (1) में उल्लिखित मार्ग पर लागू होंगे और उक्त उपधारा में निर्दिष्ट समस्त अन्य विवरण नगरपालिका के अनुमोदन के अधीन होंगे।

(3) {नगरपालिका}[1] उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन—पत्र की प्राप्ति के दिनांक से सात दिन के भीतर या तो मार्ग का विन्यास करने या उसे बनाने के कार्य की स्वीकृति ऐसी शर्तों पर देगी जिन्हें वह अधिरोपित करना उचित समझे, या उसे अस्वीकृत कर देगी या उसके सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट युक्तियुक्त अवधि के भीतर अग्रेत्तर सूचना मांगेगी।

(4) ऐसी स्वीकृति देने से इंकार किया जा सकेगा —

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 142 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय—तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

(एक) यदि प्रस्तावित मार्ग किसी ऐसे प्रबन्ध के प्रतिकूल पड़ता हो, जो मार्ग के उन्नयन को किसी सामान्य योजना को कार्यान्वित करने के लिए किए गए हों या {नगरपालिका}[1] की राय में, जिनके किए जाने की सम्भावना हो; या

(दो) यदि प्रस्तावित मार्ग उपधारा (2) में निर्दिष्ट अधिनियम, नियमावली और उपविधियों के उपबन्धों के अनुरूप न हो; या

(तीन) यदि प्रस्तावित मार्ग की परिकल्पना इस प्रकार न की गई हो कि उसका कम से कम एक सिरा किसी सार्वजनिक मार्ग या ऐसे निजी मार्ग से मिलता हो जो पहले से सार्वजनिक मार्ग से सम्बद्ध हो।

(5) कोई भी व्यक्ति {नगरपालिका}[1] के आदेश के बिना या अन्यथा उक्त आदेश की अनुरुपता से भिन्न, किसी नए निजी मार्ग या सड़क का न तो विन्यास करेगा और न उसे बनायेगा। यदि उपधारा (3) के अधीन अग्रेत्तर सूचना मांगी जाय तो मार्ग का विन्यास या उसे बनाने का कार्य तब तक प्रारम्भ नहीं किया जायेगा जब तक किसी ऐसी सूचना प्राप्त हो जाने के बाद आवेदन–पत्र पर आदेश न दिए गए हो :

प्रतिबन्ध यह है कि {नगरपालिका}[1] ऐसी समस्त सूचना प्राप्त हो जाने के बाद, जिसे वह आवेदन–पत्र के अन्तिम निस्तारण के लिए आवश्यक समझे, उक्त आदेश दिए जाने में किसी भी दशा में तीस दिन से अधिक विलम्ब नहीं करेगी।

कतिपय मामलों में किसी मार्ग के विन्यास और निर्माण के लिए {नगर–पालिका}[1] की स्वीकृति की उपधारणा की जायेगी

205–– यदि {नगरपालिका}[1], धारा 204 की उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन–पत्र प्राप्त करने के बाद साठ दिन तक उपेक्षा या चूक करे या यदि अग्रेत्तर सूचना मांगने के लिए उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश दिया गया हो, ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उस व्यक्ति को, जिसने आवेदन–पत्र दिया है, {नगरपालिका}[1] द्वारा अपेक्षित सूचना का विवरण देने में असफल रहे तो ऐसा व्यक्ति लिखित संसूचना द्वारा {नगरपालिका}[1] का ध्यान ऐसी चूक, उपेक्षा या असफल होने की ओर आकृष्ट कर सकेगा और यदि ऐसी चूक, उपेक्षा या असफलता तीस दिन की अग्रेत्तर अवधि तक जारी रहे तो यह समझा जायेगा कि {नगरपालिका}[1] ने प्रस्तावित मार्ग विन्यास और निर्माण के लिए पूर्ण रूप से स्वीकृति दे दी है :

प्रतिबन्ध यह है कि यहां दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि इससे किसी व्यक्ति को इस अधिनियम का या किसी उपविधि का उल्लंघन करने का प्राधिकार है।

स्वीकृति की अवधि

206–– (1) धारा 204 और 205 के अधीन {नगरपालिका}[1] द्वारा दी गई या समझी गई स्वीकृति एक वर्ष तक रहेगी।

(2) उपर्युक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रस्तावित मार्ग का कार्य पूर्ववर्ती धाराओं के अधीन अग्रेत्तर स्वीकृति के लिए आवेदन करने और प्रदत्त स्वीकृति के अनुसरण के सिवाय प्रारम्भ नहीं किया जायेगा।

मार्ग का अवैध निर्माण

207–– जो कोई व्यक्ति, धारा 204 द्वारा अपेक्षित नोटिस दिए बिना या धारा 205 के अधीन नगरपालिका द्वारा दिए गए लिखित निदेश या किसी उपविधि या इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करके किसी मार्ग का विन्यास या निर्माण आरम्भ करता है, उसे जारी रखता है या पूरा करता है, उसे जारी रखते है या पूरा करता है, दोष–सिद्ध ठहराए जाने पर ऐसे जुर्माने का भागी होगा, जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

208—— (1) यदि कोई व्यक्ति धारा 204 में निर्दिष्ट किसी मार्ग का विन्यास या निर्माण {नगरपालिका}[1] का आदेश प्राप्त किए बिना या उसके आदेश की अनुरूपता से भिन्न रूप में करे तो नगरपालिका ऐसे किसी अभियोजन के होते हुए भी, जो इस अधिनियम के अधीन अपराधी के विरूद्ध चलाया गया हो, लिखित नोटिस द्वारा ——

बिना स्वीकृति के बने मार्ग में परिवर्तन करने और उसे तोड़ देने की {नगर–पालिका}[1] की शक्ति

(क) अपराधी से अपेक्षा कर सकेगी कि वह ऐसी नोटिस में विनिर्दिष्ट दिनांक को या उसके पूर्व अपने हस्ताक्षर से और {नगरपालिका}[1] को भेजे गए लिखित विवरण द्वारा इस बात का पर्याप्त कारण बनाए कि ऐसे मार्ग को {नगरपालिका}[1] के समाधानप्रद रूप में क्यों न परिवर्तित कर दिया जाय या यदि ऐसा परिवर्तन व्यवहार्य न हो तो ऐसे मार्ग को क्यों न तोड़ दिया जाये; या

(ख) अपराधी से अपेक्षा कर सकेगी कि वह या तो स्वयं या सम्यक रूप प्राधिकृत किसी अभिकर्ता द्वारा ऐसे दिनांक और ऐसे समय तथा स्थान पर, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाये {नगरपालिका}[1] के समक्ष उपस्थित हो और यथापूर्वोक्त कारण बताये।

(2) यदि कोई व्यक्ति जिसे नोटिस दिया गया हो, {नगरपालिका}[1] के समाधानप्रद रूप में पर्याप्त कारण बताने में असफल रहता है तो {नगरपालिका}[1] ऐसा आदेश दे सकेगी, जिसमें ऐसे मार्ग को परिवर्तित करने या होड़ देने का, जैसा कि वह उचित समझे निदेश दिया गया हो।

209—— (1) राज्य सरकार द्वारा बनाई गई किसी नियमावली के अधीन रहते हुए, जिसमें नगरपालिका द्वारा मार्गों या नालियों के ऊपर प्रक्षेप की स्वीकृति देने की शर्त दी गई हो, {नगरपालिका}[1] ——

मार्गों और नालियों के ऊपर प्रक्षेप के लिए {नगरपालिका}[1] की स्वीकृति

(क) मार्गों में या उन पर स्थिति भवन के स्वामियों या अध्यासियों को भवन की किसी ऊपरी मंजिल दीवाल से आगे उस सीमा तक जैसा कि ऐसी उपविधियों में विहित हो, खुले बरामदे, छज्जे या कमरों का निर्माण या पुनर्निर्माण करने की; और

(ख) किसी भवन या भूमि स्वामी या अध्यासी को किसी प्रक्षेप या संरचना का निर्माण या पुनर्निर्माण करने की, जिससे वह मार्ग में किसी नाली पर या उसके ऊपर उस सीमा तक और शर्तों के अनुसार जो उसी रीति से विहित हो, अवलम्बित हो या प्रक्षेपित हो या उसका अतिक्रमण करता हो, लिखित अनुज्ञा दे सकेगी, जहां ऐसी अनुज्ञा देने के लिए उपविधि में उपबन्ध किया गया हो।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन अनुज्ञा देने में {नगरपालिका}[1] वह सीमा जहां तक और वे शर्तें जिनके अधीन ऐसे मार्गों के ऊपर किन्हीं छतों, गर्त, ऋतु फलक, दुकान के पट्टे तथा तत्सदृश प्रक्षेप की अनुमति दी जा सकेगी, विहित कर सकेगी।

210—— धारा 209 में निर्दिष्ट किसी ऐसे प्रक्षेप या संरचना का तद्द्वारा अपेक्षित अनुज्ञा के बिना या तद्धीन दी गई किसी अनुज्ञा के उल्लंघन में निर्माण या पुनर्निर्माण करने वाला व्यक्ति दोषसिद्ध ठहराए जाने पर जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो एक हजार रुपये तक हो सकता है और किसी ऐसे प्रतिकूल विशेष और पर्याप्त कारण के न होने पर, जो न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित किया जायेगा, दो सौ पचास रुपये से कम न होगा।

मार्ग या नाली के ऊपर बिना अनुज्ञा के प्रक्षेपण के निर्माण के लिए शास्ति

211—— (1) नगरपालिका नोटिस द्वारा किसी भवन के स्वामी या अध्यासी के किसी मार्ग में या उसमें किसी नाली, सीवर या जल सेतु में या उस पर या उसके ऊपर अवलम्बित, प्रक्षेपित या अतिक्रमण करने वाले किसी प्रक्षेप या संरचना को हटाने या उसे परिवर्तित करने की अपेक्षा कर सकेगी :

सड़कों और नालियों पर अतिक्रमण और प्रक्षेपण हटाने की शक्ति

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

प्रतिबन्ध यह है कि 10 मार्च, 1900 को या उसके पूर्व वैधतः विद्यमान किसी ऐसे प्रक्षेप या संरचना की दशा में {नगरपालिका}[1] उसे हटाए जाने या परिवर्तित करने के कारण किसी नुकसान के लिए प्रतिकर देगा, जो उसके निर्माण और गिराए जाने की लागत का दस गुना से अधिक न होगा।

मार्ग को समतल करने या खड़ंजा लगाने आदि की अपेक्षा करने की शक्ति

212–– (1) यदि कोई नीजि मार्ग या उसका भाग {नगरपालिका}[1] के समाधानप्रद रूप में समतल न किया गया हो, उस पर खडंजा न बिछाया गया हो, उसे पक्का न किया गया हो, उस पर पत्थर की पटनी न बनायी गयी हो, उसकी नालियां न बनायी गयी हो, उस पर सीवर न डाला हो, उसका जल निस्तारण, समार्जन न होता हो या उस पर रोशनी न हो तो {नगरपालिका}[1] नोटिस द्वारा ऐसे भू–गृहादि या भूमि के, जो उक्त मार्ग या उसके भाग के सामने या उससे संशक्त हो, स्वामियों और अध्यासियों से अपेक्षा कर सकेगी कि वे ऐसा निर्माण–कार्य, जो {नगरपालिका}[1] की राय में आवश्यक हो और ऐसे समय के भीतर कार्यान्वित करे, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया गया हो।

(2) यदि ऐसा निर्माण कार्य नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कार्यान्वित न किया जाये तो {नगरपालिका}[1] यदि वह उचित समझे, उसे निष्पादित कर सकेगी और उपगत व्यय, अध्याय 6 के अधीन व्यतिक्रम करने वाले स्वामियों या अध्यासियों से उनसे सम्बन्धित भू–गृहादि या भूमि के अग्रभाग के अनुसार और ऐसे अनुपात में, जो नगरपालिका द्वारा तय किया जायेगा।

(3) यदि कोई मार्ग पूर्ववर्ती उपधाराओं के उपबन्धों के अधीन सततल किया गया हो, उस पर खडंजा बिछाया गया हो, उसे पक्का किया गया हो, उस पर पत्थर की पटरी बनाई गई हो, उसी नालियां बनाई गई हो उसमें सीवर डाला गया हो, उसका जल निस्सारण, सम्मार्जन होता हो और उसमें प्रकाश की व्यवस्था हो तो ऐसा मार्ग उसके कम से कम तीन–चौथाई स्वामियों द्वारा अधियाचन किये जाने पर सार्वजनिक मार्ग घोषित कर दिया जायेगा।

{नगरपालिका क्षेत्र}[2] के बाहर, भवन और नालियों के निर्माण को नियंत्रित तथा विनियमित करने की {नगरपालिका}[1] की शक्ति

{212–क–– इस अधिनियम में अन्यत्र किसी बात के होते हुए भी, {नगरपालिका}[1] ऐसी शर्तों और परिसीमा के अधीन, जो विहित किए जायं, {नगरपालिका क्षेत्र की सीमा}[3] के बाहर पांच मील की दूरी तक किसी भवन, मार्ग या नाली के निर्माण को इस अध्याय के अधीन नियंत्रित कर सकेगी।

भवन आदि के निर्माण में मार्गों के संरक्षण की अपेक्षा करने की शक्ति

213–– (1) कोई व्यक्ति {नगरपालिका}[1] की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना न तो किसी पेड़ को, न किसी पेड़ की शाखा को काटेगा, न किसी भवन या भवन के किसी भाग का निर्माण या पुनर्निर्माण करेगा या न उसे गिरायेगा, न किसी भवन में कोई परिवर्तन करेगा या उसके बाहरी भाग की मरम्मत करेगा, जहां इस प्रकार के कार्य के कारण मार्ग का उपयोग करने वाले किसी व्यक्ति को कोई बाधा, खतरा या क्षोभ हो या बाधा, खतरा या क्षोप होने का जोखिम हो।

(2) {नगरपालिका}[1] नोटिस द्वारा किसी भी समय किसी ऐसे व्यक्ति से, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई कार्य कर रहा हो या करने वाला हो, यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह उक्त कार्य आरम्भ करने या कार्य को जारी रखने से तब तक विरत रहे जब तक कि वह नोटिस से यथा–विनिर्दिष्ट सूचना पट्ट या परदे न लगायें, उनका अनुरक्षण न करे और सूर्यास्त से सूर्योदय तक पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था न करे और अग्रत्तर किसी भी समय पर नोटिस द्वारा नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, उपर्युक्त किसी कार्य की प्रत्याशा में लगाये गये किसी परदे या विज्ञापन–पट्ट को हटाने की अपेक्षा कर सकेगी।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 143(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 143 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

(3) जो कोई भी उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करे, वह दोषसिद्ध ठहराए जाने पर जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा और अग्रत्तर जुर्माने से जो पहली बार दोषसिद्ध ठहराए जाने के दिनांक के पश्चात् लगातार उल्लंघन करने के दिनांक तक प्रतिदिन दस रुपये तक हो सकेगा।}[1]

पेड़ और झाड़ियों को काटने और छांने की अपेक्षा करने की शक्ति

214—— {नगरपालिका}[2] नोटिस द्वारा किसी भूमि के स्वामी या अध्यासी से किसी भूमि पर और मार्ग के किनारे उगी झाड़ियों को ऐसी भूमि पर उगे पेड़ की किसी शाखा को, जो मार्ग पर लटकती हो और जिसे उसमें बाधा पड़ती हो या खतरा उत्पन्न होता हो, कांटने या छांटने की अपेक्षा कर सकेगी।

आकस्मिक बाधा को हटाने की शक्ति

215—— जब कोई नीजि गृह, दीवार या अन्य निर्माण या उसमें लगी हुई कोई वस्तु या कोई वस्तु या पेड़ गिर जाये और उससे किसी सार्वजनिक नाली पर बाधा पड़े या कोई मार्ग अवरूद्ध हो तो {नगरपालिका}[2] ऐसी दशा में बाधा या अवरोध को उक्त गृह के स्वामी के व्यय पर हटवायेगी और उक्त व्यय को कोई अध्याय 6 में व्यवस्थित रीति से वसूल करेगी या नोटिस द्वारा उक्त स्वामी से नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर हटाने की अपेक्षा कर सकेगी।

मार्ग को प्रभावित करने वाले नावों और जल निस्सारण के नलों का विनियमन

216—— {नगरपालिका}[2] नोटिस द्वारा किसी मार्ग से संशक्त किसी भवन या भूमि के स्वामी या अध्यासी से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह उक्त भवन या भूमि में जल ग्रहण करने और उसे बाहर ले जाने और उसका ऐसी रीति से निस्सारण करने के लिए जैसा कि {नगरपालिका}[2] ठीक समझे, समुचित नांद और नल लगवाये और उन्हें ठीक हालत में रखे, जिससे कि मार्ग पर चलने वालों को कोई असुविधा न हो।

मार्गों का नामकरण और भवनों का संख्यांकन

217—— (1) {नगरपालिका}[2] ——

(क) {विहित प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन से}[1] किसी मार्ग का कोई नाम या नया नाम रख सकेगी; और

(ख) किसी भवन पर उसका नाम या नया नाम ऐसी स्थिति में, जैसा कि वह ठीक समझे, लगवा सकेगी या चिन्हित करवा सकेगी; या

(ग) लिखित नोटिस द्वारा किसी भवन के स्वामी या अध्यासी से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह उक्त भवन पर {नगरपालिका}[2] द्वारा अनुमोदित नमूने की एक संख्या पट्टिका (नम्बर प्लेट) या नयी संख्या पट्टिका लगवाये या {नगरपालिका}[2] स्वयं किसी भवन पर कोई संख्या या नई संख्या लगवा सकेगी या चिन्हित कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी भवन पर लगाये या चिन्हित किये गये किसी नाम या संख्या पट्टिका को यदि कोई व्यक्ति नष्ट करेगा, गिराएगा विरूपित या परिवर्तित करेगा या किसी भवन पर {नगरपालिका}[2] के आदेश द्वारा या उसके अधीन लगाए या चिन्हित किए गए नाम या संख्या से भिन्न कोई नाम या संख्याय लगायेगा या चिन्हित करेगा तो वह दोषसिद्ध ठहराए जाने पर ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो {दो सौ पचास रुपये}[1] तक हो सकेगा।

भवन आदि में ब्रेकेट लगाने की शक्ति

218—— (1) {नगरपालिका}[2] किसी परिसर में या किसी भवन के बाहरी भाग में या किसी पेड़ पर ——

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 27 वर्ष 1964 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय—तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

(क) तेल, गैस, बिजली या अन्य बत्तियों के लिए खम्भे, ब्रेकेट या अन्य टेक लगा सकेगी;

(ख) टेलीग्राफ के तार, टेलीफोन के तार या रेल इंजन के प्रयोजनार्थ बिजली के तारों के लिए खम्भे, ब्रेकेट या अन्य टेक लगा सकेगी; या

(ग) ऐसे साफ्ट या नल लगा सकेगी, जो नालियों ओर जलकल के उचित संवातन के लिए आवश्यक समझे जायें :

(2) प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे टेक, साफ्ट और नल इस प्रकार न लगाये या जोड़े जायेंगे कि उनसे क्षति या असुविधा हो और उक्त कार्य, यथासम्भव, भारतीय तार अधिनियम, 1885 से किन्हीं ऐसे उपबन्धों के अधीन किया जायेगा, जो किसी तार की लाईन या खम्भे लगाने, हटाने या बदलने के सम्बन्ध में लागू होते हों।

सार्वजनिक मार्ग

सार्वजनिक मार्ग पर स्थल का निर्माण करने, सुधार करने और उसकी व्यवस्था करने की शक्ति

219–– {नगरपालिका}[1] –

(क) किसी नए मार्ग का विन्यास और निर्माण कर सकेगी और सुरंग और उससे समनुषंगी अन्य निर्माण कार्य कर सकेगी; और

(ख) किसी वर्तमान मार्ग को, यदि वह {नगरपालिका}[1] में निहित हो, चौड़ा कर सकेगी, बढ़ा सकेगी, उसका विस्तार, परिवर्तन कर सकेगी या अन्य प्रकार से उसमें सुधार कर सकेगी; और

(ग) इस प्रकार निहित किसी सार्वजनिक मार्ग को घुमा सकेगी, उसे समाप्त या बन्द कर सकेगी; और

(घ) उपर्युक्त खण्ड (क), (ख) और (ग) के अधीन {नगरपालिका}[1] द्वारा या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए, चौड़ा किए गए, बढ़ाए गए, विस्तार किए गए, परिवर्द्धित या सुधारे गए, किसी सार्वजनिक मार्ग से संसक्त या आसन्न ऐसे आयाम के, जिसे वह उचित समझे, भवन स्थलों की व्यवस्था, स्वविवेकानुसार कर सकेगी; और

(ङ) किसी ऐसे नियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जिसमें ऐसी शर्त विहित की गई हो, जिन पर {नगरपालिका}[1] द्वारा कोई सम्पत्ति अर्जित की जा सकेगी, किसी ऐसी भूमि को उस पर बने भवन सहित अर्जित कर सकेगी, जिसे वह पूर्ववर्ती खण्डों द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके आरम्भ की गई या बनाई गई किसी योजना या निर्माण कार्य के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझे; और

(च) किसी ऐसे नियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जिसमें ऐसी शर्तें विहित की गई हों, जिनके आधार पर {नगरपालिका}[1] में निहित सम्पत्ति अन्तरित की जा सके, खण्ड (ङ) के अधीन {नगरपालिका}[1] द्वारा अर्जित किसी को या {नगरपालिका}[1] द्वारा सार्वजनिक मार्ग के लिए सम्पत्ति प्रयुक्त किसी भूमि को और जो अब उसके लिए अपेक्षित न हो, पट्टे पर दे सकेगी, बेच सकेगी या अन्यथा निस्तारित कर सकेगी और ऐसा करने में वह उस भूमि पर किसी वर्तमान भवन को हटाने उस पर निर्माण किए जाने वाले किसी नए भवन का विवरण देने, ऐसी अवधि के, जिसके भीतर ऐसे नए भवन का निर्माण पूरा किया जायेगा और ऐसे अन्य विषय के सम्बन्ध में जिसे वह ठीक समझे, कोई शर्त अरोपित कर सकेगी।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

विक्रेताओं और अन्य व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक मार्ग का उपयोग

220–– किसी {नगरपालिका क्षेत्र}[2] में (पहले से) अर्जित, प्रोद्भूत या उपयुक्त, किसी ऐसे अधिकार या विशेषाधिकार के होते हुए भी, जिसके लिए धारा 298 के शीर्षक (ङ) के उपशीर्षक (ख) के अधीन कोई उपविधि बनायी गई और प्रवृत्त हो, कोई भी परिभ्रामी विक्रेता या कोई अन्य व्यक्ति ऐसी उपविधि के अनुसार दी गई {नगरपालिका}[1] की अनुज्ञा के बिना वस्तुओं के विक्रय के लिए या किसी आजीविका के लिए या कोई बूथ या स्टाल लगाने के लिए किसी सार्वजनिक मार्ग या स्थान का उपयोग या अध्यासन करने का हकदार न होगा।

किसी मार्ग को सार्वजनिक मार्ग के रूप में अंगीकार करना

221–– (1) {नगरपालिका}[1] किसी भी समय और जब धारा 212 की उपधारा (3) के अधीन अधियाचन द्वारा अपेक्षा की जाये, किसी मार्ग, जो सार्वजनिक मार्ग न हो या ऐसे मार्ग के किसी भाग पर सार्वजनिक नोटिस लगा कर उसे सार्वजनिक मार्ग घोषित करने के अपने आशय की सूचना दे सकेगी और देगी। ऐसी नोटिस लगाए जाने के पश्चात् आगामी दो मास के भीतर ऐसे मार्ग या मार्ग के किसी भाग या उसके अपेक्षाकृत बड़े भाग का स्वामी या स्वामीगण उक्त नोटिस के विरूद्ध {नगरपालिका}[1] कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। {नगरपालिका}[1] प्रस्तुत की गई आपत्ति पर विचार करेगी और यदि वह उन्हें अस्वीकृत कर दे तो ऐसा मार्ग या उसके ऐसे भाग पर अग्रत्तर सार्वजनिक नोटिस लगवाकर उसको एक सार्वजनिक मार्ग घोषित कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित कोई सार्वजनिक नोटिस मार्ग पर लगाये जाने के अतिरिक्त किसी स्थानीय समाचार–पत्र (यदि कोई हो) में या ऐसी अन्य रीति से, जैसा कि {नगरपालिका}[1] उचित समझे, प्रकाशित करायेगा।

सार्वजनिक मार्ग पर भवनों की पंक्ति विनियमित करने की शक्ति

222–– (1) जब कभी {नगरपालिका}[1] के विचार में किसी वर्तमान या प्रस्तावित मार्ग के प्रत्येक ओर या किसी और भवनों की सामान्य पंक्ति को परिनिश्चित करना समीचीन हो तो वह ऐसा करने के अपने आशय की सार्वजनिक नोटिस देगी।

(2) ऐसी प्रत्येक नोटिस में कोई अवधि विनिर्दिष्ट की जायेगी, जिसके भीतर आपत्तियां प्राप्त की जायेंगी।

(3) {नगरपालिका}[1] विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आपत्तियों पर विचार करेगी और तब उक्त पंक्ति को परिनिश्चित करते हुए संकल्प पारित करेगी और इस प्रकार परिनिश्चित पंक्ति 'मार्ग की नियमित पंक्ति' कहलायेगी।

(4) तत्पश्चात् किसी व्यक्ति के लिए किसी भवन या भवन के भाग का इस प्रकार निर्माण पुनर्निर्माण या परिवर्तन करना विधिपूर्ण न होगा कि उससे मार्ग की नियमित पंक्ति के आगे प्रक्षेप हो जाये, जब तक कि वह धारा 180 के अधीन दी गई स्वीकृत से या इस धारा के अधीन लिखित अनुज्ञा द्वारा (और {नगरपालिका}[1] एतद्द्वारा ऐसी अनुज्ञा स्वीकृत करने के लिए सशक्त है) ऐसा करने के लिए प्राधिकृत न किया गया हो।

(5) कोई भू–स्वामी, जिसे इस धारा के उपबन्धों के अधीन किसी भूमि पर कोई भवन निर्मित, पुनर्निर्मित या परिवर्तित करने से निवारित कर दिया जाये, {नगरपालिका}[1] से किसी ऐसी क्षति के लिए जो उसे इस प्रकार निवारित करने के कारण हुई हो, प्रतिकर की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसे मार्ग को नियमित पंक्ति के भीतर स्थित किसी भूमि के प्रतिकर का भुगतान किए जाने पर ऐसी भूमि {नगरपालिका}[1] में निहित हो जायेगी।

(6) {नगरपालिका}[1] नोटिस द्वारा उपधारा (4) का उल्लंघन करके निर्मित या परिवर्तित किसी भवन या भवन के भाग को परिवर्तित करने या गिराने की अपेक्षा कर सकेगी।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 142 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

सार्वजनिक मार्गों आदि का निर्माण करते समय {नगरपालिका}[1] का कर्तव्य

223—— (1) {नगरपालिका}[1] किसी सार्वजनिक मार्ग या किसी जलकल, नाली या परिसर के जल उसमें निहित हो, निर्माण या मरम्मत के दौरा या जब कभी उसमें निहित कोई सार्वजनिक मार्ग, जल—कल, नाली या परिसर की मरम्मत न होने के कारण या अन्यथा सार्वजनिक उपयोग के लिए असुरक्षित हो जाये, किसी दुर्घटना से बचने के लिए निम्नलिखित उपायों द्वारा सभी आवश्यक पूर्ण सावधानियां बरतेगी ——

(क) स्पष्टतः दर्शनीय बनाकर और आसन्न भवनों को सुरक्षित करके; और

(ख) ऐसे निर्माण या मरम्मत के दौरान यातायात को रोकने, दूसरे मार्ग से मोड़ने के प्रयोजनार्थ—मार्ग के आरपार या उसमें डण्डे, जंजीर या खम्भे लगाकर; और

(ग) किसी चालू निर्माण कार्य पर पहरा रखकर और सूर्यास्त से सूर्योदय तक उसमें पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करके।

(2) जो कोई {नगरपालिका}[1] के प्राधिकार या सम्मति के बिना उपधारा (1) के अधीन {नगरपालिका}[1] द्वारा किए गए किसी प्रबन्ध या निर्माण कार्य में दुर्घटना से बचाव के किसी कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करे, वह दोषसिद्ध ठहराए जाने पर ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो पचास रुपये तक हो सकेगा।

जल सम्भरण

जलकल का निर्माण और परिवर्तन करने की {नगरपालिका}[1] की शक्ति

224—— {नगरपालिका}[1] ——

(क) {नगरपालिका क्षेत्र}[2] के भीतर या धारा 120 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, {नगरपालिका क्षेत्र}[2] के बाहर, जलकल का निर्माण कर सकेगी और ऐसे निर्माण कार्य की किसी भी मार्ग या स्थान से होकर आर—पार, ऊपर या नीचे और स्वामी या अध्यासी को लिखित रूप में युक्तियुक्त नोटिस देने के बाद, किसी भवन या भूमि में उससे होकर, उसके ऊपर या नीचे निष्पादित कर सकेगी;

(ख) समय—समय पर किसी जल—कल का विस्तार कर सकेगी, उसे घटा सकेगी, उसका मार्ग बदल सकेगी और आगे का निर्माण कार्य रोक सकेगी या उसे बन्द कर सकेगी या उसे हटा सकेगी;

(ग) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से किसी व्यक्ति या कम्पनी को {नगरपालिका क्षेत्र}[2] के भीतर जल—सम्भरण के लिए लाइसेंस दे सकेगी और इस प्रयोजन के लिए मुख्य नल और अन्य नल, लगाने जल—कल का निर्माण करने और अन्य सभी आवश्यक कार्यवाही या कार्य करने की अनुज्ञा दे सकेगी; और

(घ) उक्त स्वीकृति से ही अपने वर्तमान जल—कल के सभी या किसी भाग का ऐसे लाइसेंसधारी के प्रबन्ध में अन्तरण कर सकेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी स्वीकृति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि राज्य सरकार का समाधान न हो जाय कि ऐसा करना सम्बद्ध जनता के सर्वाधिक हित में होगा।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 144 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय—तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

लाइसेंसधारी की शक्ति और दायित्व

{224–क–– (1) जब धारा 224 के खण्ड (ग) के अधीन कोई लाइसेंस स्वीकृत किया जाय तो वह दर जिस पर, वह रीति जिससे और वह व्यक्ति, जिसके द्वारा लाइसेंसधारी को उसके द्वारा सम्भरण किये गए जल के लिए, भुगतान किया जायेगा और ऐसे निबन्धन और शर्तें, जिन पर लाइसेंसधारी उपभोक्ताओं का जल संयोजन स्वीकृत कर सकेगा, {नगरपालिका}[3] तथा लाइसेंसधारी के बीच तय की जायेगी और लाइसेंस में प्रविष्ट की जायेगी और {नगरपालिका}[3] इस अधिनियम या नियमवाली द्वारा उसे प्रदत्त शक्ति को, जो जलकल और जल सम्भरण से सम्बन्धित हो, लाइसेंसधारी को प्रत्यायोजित कर सकेगीः

प्रतिबन्ध यह है कि जलकर के निर्धारण और सिविल वाद से भिन्न अन्य प्रकार से उसकी वसूली की शक्ति लाइसेसंधारी को प्रत्यायोजित नहीं की जायेगी।

(2) ऐसा लाइसेंसधारी, {नगरपालिका}[3] की पूर्व स्वीकृत से, इस अधिनियम की धारा 225 और 227 द्वारा {नगरपालिका}[3] को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर सकेगा।}[1]

वर्तमान लाइसेंस का प्रतिसंहरण

{224–ख–– धारा 224 के खण्ड (ग) के अधीन दिया गया प्रत्येक लाइसेंस, यदि पहले ही प्रतिसंहृत न कर दिया गया हो, 13 जून, 1975 प्रतिसंह्रत हो जायेगा।}[2]

{224–ग–– (1) यदि किसी लाइसेंसधारी का लाइसेंस 224 के अधीन, जैसी कि वह उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 1975 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व थी, प्रतिसंह्रत कर दिया जाय या उक्त अधिनियम द्वारा यथा प्रतिस्थापित नई धारा 224–ख के आधार पर प्रतिसंह्रत हो जाये तो लाइसेंस के प्रतिसंहरण के दिनांक (जिसे इस धारा में आगे 'उक्त दिनांक' कहा गया है), के ठीक पूर्व लाइसेंसधारी को या उसमें निहित जल–कल सम्बन्धी समस्त सम्पत्ति (अर्थात् समस्त वर्तमान जल सम्भरण सेवायें, जिनके अन्तर्गत सभी संयंत्र, मशीनरी, जल–कल, पम्पिंग सेट, फिल्टर, बेड तथा किसी सार्वजनिक मार्ग के किनारे, ऊपर या नीचे बिछाए गए पानी की मुख्य पाईप और अन्य नल भी है तथा उनसे संलग्न सभी भवन और अन्य निर्माण कार्य, सामग्री, भण्डार तथा वस्तुएं) उक्त दिनांक से उस सम्पत्ति से सम्बद्ध लाइसेंसधारी के किसी ऋण बन्धक या तत्समान आभार से मुक्त होकर {नगरपालिका}[3] में निहित और उसको अन्तरित हो जायेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा ऋण बन्धक या तत्समान आभार ऐसी सम्पत्ति के स्थान पर उपधारा (2) में निर्दिष्ट धनराशि से सम्बद्ध हो जायेगा।

(2) जहां किसी लाइसेंसधारी की कोई सम्पत्ति {नगरपालिका}[3] में उपधारा (1) के अधीन निहित हो जाती है और वह ऐसा जलकल नहीं है, जिसका प्रबन्ध मात्र {नगरपालिका}[3] ने धारा 224 के खण्ड (घ) के अधीन उस लाइसेंसधारी को अन्तरित किया था, वहां {नगरपालिका}[3] उस लाइसेंसधारी को इस धारा के आगे के उपबन्धों के अनुसार अवधारित धनराशि देगी :

प्रतिबन्ध यह है कि उक्त दिनांक से उक्त धनराशि के भुगतान के दिनांक तक की अवधि के लिए उक्त धनराशि पर उक्त दिनांक को प्रभावशाली रिजर्व बैंक की दर से एक प्रतिशत अधिक ब्याज लाइसेंसधारी को उक्त धनराशि के अतिरिक्त दिया जायेगा।

(3) राज्य सरकार इस धारा में उल्लिखित कटौतियां करने के पश्चात् लाइसेंधारी को इस धारा के अधीन देय किसी धनराशि का निधारण करने के लिए लेखा सम्बन्धी विषयों के पर्याप्त ज्ञान और अनुभव वाले व्यक्ति को लिखित आदेश द्वारा विशेष अधिकारी नियुक्त करेगी।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 6 वर्ष 1933 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 45 वर्ष 1975 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

(4) (क) विशेष अधिकारी, दिए जाने वाली शुद्ध धनराशि का निर्धारण करने के लिए राज्य सरकार के स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग के ऐसे अधिकारियों तथा कर्मचारियों या लाइसेंसधारी से सहायता की अपेक्षा कर सकता है, जिसे वह उचित समझे;

(ख) विशेष अधिकारी को निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में वैसी ही शक्तियां होंगी, जैसी किसी वाद पर विचार करते समय सिविल क्रिया संहिता, 1908 के अधीन न्यायालय में निहित होता है –

(एक) किसी व्यक्ति को हाजिर करना और शपथ पर उसका परीक्षण करना;

(दो) दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना;

(तीन) साक्षियों का परीक्षण करने के लिए कमीशन जारी करना।

विशेष अधिकारी को ऐसी और शक्तियां भी होंगी, जिन्हें राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(5) ऐसे लाइसेंसधारी को देय स्थूल धनराशि नीचे विनिर्दिष्ट धनराशि का कुल योग होगी ।

(एक) जल–कल से सम्बन्धित और {नगरपालिका}[1] द्वारा किए गए सभी निर्माण कार्य (उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किए गए निर्माण–कार्यों को छोड़कर) जो पूरे हो गये हैं और लाभप्रद उपयोग वाले हों, उनका पुस्तांकित मूल्य, जिसमें से इस धारा में संलग्न सारणी के अनुसार आंकलित अवक्षय को कम कर दिया जायेगा;

(दो) लिए गए निर्माणाधीन कार्य (उपभोक्ताओं या भावी उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किए गए निर्माण–कार्यों को छोड़कर) का पुस्तांकित मूल्य;

(तीन) लिए गए सभी भण्डार का जिसके अन्तर्गत अतिरिक्त पुर्जे भी हैं, पुस्तांकित मूल्य और उपयोग किए गए भण्डार तथा अतिरिक्त पुर्जों की दशा में, यदि लिए गए हों, ऐसी धनराशि जो विशेष अधिकारी द्वारा विनिश्चित की जाये;

(चार) ली गई तथा उक्त दिनांक को उपयोग में लाई जा रही अन्य सभी स्थिर अस्तियों का पुस्तांकित मूल्य, जिसमें से उक्त सारणी के अनुसार आंकलित अवक्षय को कर दिया जायेगा;

(पांच) जो संयंत्र और उपस्कर उक्त दिनांक को विद्यमान थे और अब घिसाई–पिटाई या अप्रचलन के कारण उपयोग में नही लाये जा रहे हैं, यदि वे ले लिये गये हों तो जिस सीमा तक उन सबका पुस्तांकित मूल्य, जिसमें से उक्त सारणी के अनुसार आंकलित अवक्षय को कम कर दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण–– किसी स्थित आस्ति के पुस्तांकित मूल्य का तात्पर्य उसकी मूल्य लागत से है और इसमें निम्नलिखित भी सम्मिलित होगा –

(1) लाइसेसधारी के द्वारा आस्ति के लिए दिए गए क्रम मूल्य, जिसके अंतर्गत परिदान का खर्च और आस्ति को अस्तित्व में लाने और लाभप्रद उपयोग के योग्य बनाने में उचित रूप से उपगत प्रभार (जैसा कि लाइसेंसधारी की बहियों में दिखाया गया है);

(2) पर्यवेक्षण की वास्तविक लागत, किन्तु जो पैरा (1) में निर्दिष्ट धनराशि के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक न हो:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधी धनराशि का विनिश्चय करने के पूर्व, विशेष अधिकारी द्वारा लाइसेंसधारी की सुनवाई का अवसर इस बात के लिए कम से कम 15 दिन की नोटिस देने के पश्चात् दिया जायेगा।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

(6) {नगरपालिका}[1] लाइसेंसधारी को उपधारा (5) के अधीन देय स्थूल धनराशि में से निम्नलिखित धनराशि काटने का हकदार होगी –

(क) लाइसेंसधारी द्वारा {नगरपालिका}[1] को देय समस्त धनराशि और उस पर बयाज का बकाया, यदि कोई हो;

(ख) राज्य सरकार या राज्य विद्युत परिषद् को देय समस्त धनराशि तथा उस पर ब्याज का बकाया, यदि कोई हो;

(ग) जल–कल के सम्बन्ध में (संयुक्त प्रान्त औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अर्थान्तर्गत) मजदूर के रूप में सेवायोजित व्यक्तियों को देय और उक्त दिनांक को भुगतान की गई मजदूरी, बोनस, अनुतोष, भविष्य निधि से या अन्य भुगतान की गई कोई धनराशि;

(घ) लाइसेंसधारी द्वारा जल–कल के सम्बन्ध में सेवायोजित व्यक्तियों के विषय में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन अपने अंशदान या अपने द्वारा वसूल किए गए कर्मचारी के अंशदान या लाइसेंसधारी से वसूली योग्य अन्य देयों के सम्बन्ध में भुगतान न की गई धनराशि।

(7) लाइसेंसधारी, यथास्थिति, राज्य सरकार या राज्य विद्युत परिषद् के प्रति या अपने कर्मचारियों के प्रति उपधारा (6) के अधीन की गई कटौतियों तक अपने दायित्व से उन्मोचित हो जायेगा। ऐसी कोई कटौती की जाने पर, {नगरपालिका}[1], यथास्थिति राज्य सरकार या राज्य विद्युत परिषद् या मजदूर को उस सीमा तक भुगतान करने का उत्तरदायी होगी।

(8) जहां लाइसेंसधारी को देय स्थूल धनराशि इस धारा के अधीन कटौती की जाने वाली धनराशि के बराबर या उससे कम हो तो {नगरपालिका}[1] द्वारा लाइसेंसधारी को कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

(9) {नगरपालिका}[1] द्वारा लाइसेंसधारी को देय धनराशि, यदि कोई हो, जो उपधारा (5), (6) तथा (8) के अधीन विशेष अधिकारी द्वारा अवधारित की जाये और धारा 324 की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह इस धारा के अधीन {नगरपालिका}[1] द्वारा देय धनराशि के अवधारण के सम्बन्ध में लागू होती है।

विभिन्न आस्तियों की प्रयोगावधि के आधार पर अवक्षय सारणी

लाइसेंसधारी के उपक्रम में लगी स्थिर आस्तियों के सम्बन्ध में प्रत्येक वर्ष के लिए उतनी धनराशि काटी जायेगी, जो यदि निम्नलिखित सारणी से निर्दिष्ट सम्पूर्ण अवधि पर्यन्त प्रति वर्ष अलग रखी जाये तथा उस पर चार प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज संचित होने दिया जाये तो उससे उक्त अवधि के अन्त में उतनी धनराशि प्राप्त हो, जो लाइसेंसधारी की बहियों में पहले से उल्लिखित तथा पृथक की गई धनराशियों को ध्यान में रखते हुए, उक्त आस्ति की मूल लागत के नब्बे प्रतिशत के बराबर हो –

	स्तम्भ – 1 आस्ति का ब्यौरा	स्तम्भ – 2 अवधि या वर्ष संख्या
(क)	भूमि, जो पूर्ण हक के अधीन स्वामित्व में हो	अपरिमित
(ख)	पट्टे के अन्तर्गत धृत भूमि	पट्टे की अवधि का पट्टे के अभ्यर्पण पर असमाप्त शेष अवधि

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

स्तम्भ – 1 आस्ति का ब्यौरा	स्तम्भ – 2 अवधि या वर्ष संख्या
(ग) नई क्रय की नई आस्तियां	––पचास
(क) स्थायी प्रकार के भवन तथा सिविल अभियांत्रिक निर्माण–कार्य, जिनका ऊपर उल्लेख न किया गया हो–	
(1) कार्यालय	
(2) अस्थायी संस्थापन जैसे काष्ठ संरचनाएं	– पांच
(3) कच्ची सड़कों से भिन्न	– एक सौ
(4) अन्य	– पचास
(ख) स्वचलित गाड़ियां	– सात
(ग) (1) कार्यालय फर्नीचर तथा फिटिंग्स	– बीस
(2) कार्यालय उपस्कर	– दस
(घ) खरीदी गई पुरानी आस्तियां तथा ऐसी आस्तियां, जो इस सारणी में अन्यथा न दी गई हो।	ऐसी युक्तियुक्त अवधि, जिसे विशेष अधिकारी द्वारा आस्तियों के अर्जन के समय उनका प्रकार, आयु तथा दशा को ध्यान में रखते हुए अवधारित किया जाये।}[1]

निजी जल मार्ग आदि की सफाई या उसे बन्द करने की अपेक्षा करने की शक्ति

225–– (1) {नगरपालिका}[2], नोटिस द्वारा किसी ऐसे स्वामी या व्यक्ति से जिसके नियंत्रण में कोई निजी जल मार्ग, सोता, टंकी, कुआं या अन्य स्थान हो, जिसका जल पीने के लिए उपयोग में लाया जाता हो, यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह उसे अच्छी दशा में रखे और ठीक से मरम्मत करके उसका अनुरक्षण करे और समय–समय पर उससे खाद, कूडा–करकट या सडी वनस्पतियों को निकालकर उसकी सफाई कर और उससे यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह उसे ऐसी रीति से प्रदूषण से बचाये, जैसा कि {नगरपालिका}[2] ठीक समझे।

(2) जब {नगरपालिका}[2] के समाधानप्रद रूप से ऐसे किसी जलमार्ग, सोते, टंकी, कुएं या अन्य स्थान का जल पीने के लिए अनुपयुक्त सिद्ध हो जाये, तो {नगरपालिका}[2] नोटिस द्वारा उसके स्वामी या उस पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगी कि वह उस जल का उपयोग करने से और दूसरों को उसका उपयोग करने की अनुमति देने से प्रतिविरत रहे और यदि ऐसे नोटिस के बाद, ऐसा जल किसी व्यक्ति द्वारा पीने के लिए उपयोग में लाया जाय तो {नगरपालिका}[2] नोटिस द्वारा उसके स्वामी या उस पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगी कि वह उस जल का उपयोग करने से और दूसरों को उसका उपयोग करने की अनुमति देने से प्रतिविरत रखे, और यदि एसे नोटिस के बाद, ऐसा जल किसी व्यक्ति द्वारा पीने के लिए उपयोग में लाया जाय, तो {नगरपालिका}[1] नोटिस द्वारा, उसके स्वामी या उस पर नियन्त्रण रखेने वाले व्यक्ति से अपेक्षा कर सकता है कि वह उस कुएं को या तो अस्थायी–रूप से बन्द कर दे या ऐसे जलमार्ग, सोते, टंकी कुआं या अन्य स्थान को ऐसी रीति से, जैसा कि {नगरपालिका}[2] निदेश दे, घर दें या उसके चारों ओर बाड़ा लगा दे, जिससे कि उसके जल का इस प्रकार उपयोग न किया जा सके।

महामारी फैलने पर आपातकालीन शक्ति

226–– किसी {नगरपालिका क्षेत्र}[3] या उससे किसी भाग में हैजा या कोई अन्य संक्रामक रोग, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किये गये हों, फैलने की दशा में, {नगरपालिका}[2] का अध्यक्ष या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति महामारी फैले होने के दौरान बिना सूचना के और किसी भी समय किसी कुएं, टंकी या अन्य स्थान का, जहां से जल पीने के प्रयोजन के लिए लिया जाता हो या लिए जाने की सम्भावना हो, निरीक्षण कर सकेगी और उसका विसंक्रमण कर सकेगी और वहां से जल लेने को रोकने के लिए ऐसी अग्रेत्तर कार्यवाही कर सकेगी, जिसे वह ठीक समझे।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 45 वर्ष 1975 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 144 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

227–– {नगरपालिका}[1] नोटिस द्वारा, किसी स्वामी या अध्यासी से, जिसकी भूमि पर कोई नाली, संडास, शौचालय, मूत्रालय, नलकूप या गलीज या कूड़ा–करकट रखने के अन्य पात्र को, जो किसी जल स्रोत, कुएं, टंकी, जलाशय या अन्य स्रोत के जिससे सार्वजनिक उपयोग के लिए जल लिया जाता हो या लिया जा सकता हो, पचास फुट के भीतर स्थित हो, ऐसे नोटिस की तामील से एक सप्ताह के भीतर उसे हटाने या उसे बन्द करने की अपेक्षा कर सकेगी।

जल सम्भरण के किसी स्रोत के निकट से शौचालय आदि का हटाया जाना

228–– (1) {प्रत्येक नगरपालिका}[2] जिसमें जल कर अधिरोपित किया जाता हो, निम्नलिखित के लिए बाध्य होगी –

जल कर लगाने वाली {नगरपालिका}[1] की बाध्यताएं

(क) सम्पूर्ण विहित क्षेत्र या विहित क्षेत्रों में ––

(एक) नलों के माध्यम से जल सम्भरण प्रणाली का अनुरक्षण करने;

(दो) विहित दबाव पर और विहित घंटों के दौरान जल पहुंचाने;

(तीन) सभी मुख्य मार्गों पर, जिनमें मुख्य नल डाले गये हों, खड़े नलों या पम्पों को, जो ऐसे अन्तरालों पर स्थिर हो, जो विहित किए जायें, जल सम्भरण करेगी; और

(ख) ऐसी नियमावली के अधीन रहते हुए, जो बनाई जाये, किसी भवन में या भूमि के, जिसका न्यूनतम विहित जल कर निर्धारण किया गया हो, स्वामी या अध्यासी को घरेलू प्रयोजनों के लिए जल प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ भवन या भूमि को विहित माप और प्रकार के संयोजक नल मुख्य नल से जोड़ने की अनुमति दे सकेगी; और

(ग) खण्ड (ख) के अधीन गृह संयोजन के हकदार प्रत्येक स्वामी या अध्यासी को, जिसकी भूमि या भवन में इसकी व्यवस्था हो, भूमि या भवन में या उस पर निर्मित ऐसे संचयन जलकुण्ड में, जिसकी धारित ऐसे परिणाम से कम न हो और विहित प्रतिरूप का हो ओर जो इसके लिए अधिकतम विहित ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर न हो, प्रत्येक चौबीस घंटे में उतने परिणाम में जल सम्भरण करेगा, जितना उसके द्वारा देय जल कर और घरेलू प्रयोजनों के लिए उसकी अनुमानित आवश्यकताओं के प्रति निर्देश में विहित हो।

(2) उपधारा (1) में शब्द 'विहित' का तात्पर्य धारा 235 के अधीन नियम द्वारा विहित से है।

229–– प्रत्येक {नगरपालिका}[1] करार द्वारा किसी भूमि के स्वामी या अध्यासी को, उसकी आवश्यकतानुसार किसी भी प्रयोजन के लिए, ऐसे पारिश्रमिक पर जो नियम द्वारा विहित किसी दर या दरों से संगत हो और इस अधिनियम और किसी नियम से संगत ऐसे निबन्धों और शर्तों पर, जिसका {नगरपालिका}[1] और ऐसे स्वामी या अध्यासी के बीच करार हुआ हो, जल सम्भरण कर सकेगी।

करार द्वारा जल सम्भरण

230–– (1) जब किसी भवन या भूमि को मुख्य नल से संयोजित किया जाये तो {नगरपालिका}[1], जहां तक धारा 229 के अधीन किये गये किसी करार से संगत हो, स्वामी, पट्टाकार या अध्यासी से, जो भी नियम द्वारा विहित किया जाय, समस्त उपयुक्त जल के लिए इस प्रकार विहित दर पर या दरों पर प्रभार लेगी।

जल सम्भरण के लिए प्रभार

(2) प्रतिबन्ध यह है कि नगरपालिका क्षेत्र किसी मास में सम्भारित जल के लिए, लिए गए प्रभार में से भवन या भूमि पर निर्धारित जल–कर का बारहवां भाग घटा सकेगी।

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 145 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

231–– धारा 228 द्वारा या धारा 229 के अधीन किए गए किसी करार द्वारा {नगरपालिका}[1] पर अधिरोपित किसी बाध्यता के होते हुए भी कोई {नगरपालिका}[1] जल–सम्भरण न कर सकने के कारण किसी समपहरण, शास्ति या नुकसान के लिए देनदार न होगी। यदि सम्भरण न करने का कारण कोई दुर्घटना या अप्रायिक अनावृष्टि या अन्य अपरिहार्य कारण रहा हो। — दुर्घटना आदि के कारण दायित्व से {नगरपालिका} को छूट

232–– धारा 229 के अधीन किसी करार द्वारा जल–सम्भरण के लिए अधिरोपित किसी बाध्यता के होते हुए भी {नगरपालिका}[1] किसी भी समय घरेलू प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए जल सम्भरण को समाप्त कर सकेगी, यदि उसकी यह राय हो कि ऐसे सम्भरण से घरेलू प्रयोजनों के लिए जल–सम्भरण में हस्तक्षेप होगा और ऐसी दशा में {नगरपालिका}[1] इस प्रकार सम्भरण को समाप्त करने के लिए किसी समपहरण, शास्ति या नुकसान के लिए तब तक देनदार न होगी– — अन्य प्रयोजनों के लिए जल सम्भरण की अपेक्षा घरेलू प्रयोजनों के लिए सम्भरण की वरीयता

(क) जब तक कि ऐसे जल सम्भरण में असफलता धारा 231 में विनिर्दिष्ट कारण से भिन्न किसी अन्य कारण से न हुई हो; और

(ख) जब तक कि {नगरपालिका}[1] ने धारा 229 के अधीन किए गए किसी करार द्वारा, जिसमें ऐसा जल सम्भरण न करने पर समपहरण, शास्ति या नुकसान के लिए स्पष्ट उपबन्ध हो, घरेलू प्रयोजनों से भिन्न अन्य प्रयोजन के लिए जल–सम्भरण का भार अपने ऊपर न लिया हो।

233–– धारा 228 या धारा 229 के अधीन किसी करार में दी गई किसी बात के होते हुए भी किसी भवन या भूमि को जल सम्भरण धारा 235 के अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबन्धों और विशिष्टतः सम्भरण को सीमित करने या रोकने और उसकी बरबादी तथा दुरुपयोग के निवारण के सम्बन्ध में किसी उपबन्ध के अधीन किया गया और स्वीकृत किया गया समझा जायेगा। — सम्भरण के अधिकार का निर्बन्धात्मक नियमों के अधीन होना

234–– किसी भवन या भूमि में जल सम्भरण से सम्बन्धित सभी मीटरों, योजक, नल और अन्य आनुषंगिक संकर्म की सम्पूर्ति, मरम्मत, विस्तार, परिवर्तन जैसी आवश्यकता हो, नियमों में किए गए अन्यथा उपबन्ध के सिवाय सम्भरण की अपेक्षा करने वाले व्यक्ति के व्यय पर किया जायेगा, किन्तु {नगरपालिका}[1] के नियंत्रण के अधीन किया जायेगा। — मीटर और संयोजक नल सम्बन्धी उपबन्ध

235–– (1) {नगरपालिका}[1] और सार्वजनिक जल कल से जल सम्भरण से सम्बद्ध निम्नलिखित विषय नियमावली द्वारा विनियमित और नियंत्रित किये जायेंगे; अर्थात् – — जल सम्भरण नियमावली

(क) {नगरपालिका}[1] कोई विषय, जिसके सम्बन्ध में यह घोषित किया जाये कि नियम द्वारा उसकी व्यवस्था हो जायेगी;

(ख) {नगरपालिका}[1] द्वारा जल सम्भरा के लिए बिछाए जाने वाली मुख्य नल और निर्मित किय जाने वाले जल–कल का आकार और प्रकार;

(ग) {नगरपालिका}[1] के जलकल और तत्सम्बन्धी नल और अन्वायुक्तियों का निर्माण, नियंत्रण और अनुरक्षण;

(घ) {नगरपालिका}[1] द्वारा लगाए जाने वाले खड़े नल और पम्प का आकार और प्रकार;

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ङ) मुख्य नल या नल, जिसमें फायर प्लग लगाए जाने हों और ऐसे स्थान जहां पर फायर प्लग की कुंजियां जमा की जायेगी;

(च) {नगरपालिका}[2] द्वारा सम्भरति जल का किसी अर्ह विशलेषक द्वारा कालिक विश्लेषण;

(छ) जल सम्भरण के स्रोत ओर साधन और जल वितरण के साधित्र का, चाहे वे {नगरपालिका क्षेत्र}[3] के भीतर हों या बाहर, संरक्षण और क्षति तथा दूषण से निवारण;

(ज) ऐसी रीति, जिससे जल कल से संयोजन का निर्माण या अनुरक्षण किया जा सके और वह अभिकरण, जिसे ऐसे निर्माण या अनुरक्षण के लिए नियोजित किया जायेगा या किया जा सकेगा;

(झ) जल के सम्भरण और उपयोग तथा उसे खोलने और बन्द करने तथा उसकी बरबादी के निवारण के सम्बन्ध में सभी विषयों और वादों का विनियमन;

(ञ) जल—कर और जल—सम्भरण के सम्बन्ध में प्रभार का संग्रह ओर उसके अपवंचन का निवारण; और

(ट) जल—सम्भरण सम्बन्धी कोई अन्य विषय, जिसके लिए इस अधिनियम में कोई उपबन्ध न हो या अपर्याप्त उपबन्ध हों और राज्य सरकार की राय में अग्रेत्तर उपबन्ध आवश्यक हो।

(2) प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) के अधीन ऐसा नियम, जिसका प्रभाव किसी छावनी या छावनी के भाग पर पड़ता हो, केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं बनाया जायेगा।

किसी व्यक्ति या कम्पनी द्वारा जल सम्भरण सम्बन्धी निबन्ध नियम

{235—क—— इस अधिनियम की धारा 224 के खण्ड (ग) के अधीन लाइसेंस स्वीकृति के सम्बन्ध में निम्नलिखित विषय, धारा 300 में विहित शर्तों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली द्वारा विनियिमत और नियंत्रित होंगे —

(1) लाइसेंसधारी का चयन,

(2) लाइसेंस के लिए आवेदन का आकार पत्र;

(3) लाइसेंस का आकार पत्र;

(4) लाइसेंसधारी द्वारा विहित प्रपत्र में विवरणों और लेखे तैयार और प्रस्तुत करना;

(5) लाइसेंसधारी के कर्तव्य;

(6) लाइसेंसधारी द्वारा उपभोक्ताओं का नियमित रूप से और स्वास्थ्य जल का सम्भरण सुनिश्चित् करना;

(7) यह सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम और जल—कल सम्बन्धी नियमावली के उपबन्धों का कार्यान्वयन उचित रूप से किया जा रहा है; और

(8) कोई अन्य विषय, जो लाइसेंस के उचित कार्यकरण के लिए आवश्यक हो।}[1]

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 वर्ष 1933 द्वारा जोड़ी गई।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 146 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय—तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

सार्वजनिक संकर्म में हस्तक्षेप करने वाली संरचना को हटाने की शक्ति

किसी नाली या जलकल के ऊपर अनधिकृत निर्माण करना या पेड़ लगाना

236–– (1) जहा 10 मार्च 1900 को या उसके पश्चात् {नगरपालिका}[1] की लिखित अनुज्ञा के बिना {नगरपालिका}[1] में निहित, किसी सार्वजनिक नाली या पुलिया या किसी जलकल के ऊपर कोई मार्ग बनाया गया हो या कोई भवन, दीवार या संरचना निर्मित की गयी हो या कोई पेड़ लगाया गया हो तो {नगरपालिका}[1] ––

(क) उस व्यक्ति से, जिसने मार्ग बनाया हो, संरचना का निर्माण किया हो या पेड़ लगाया हो या भूमि, जिस पर मार्ग बनाया गया हो, संरचना का निर्माण किया गया होया पेड़ लगाया गया हो, के स्वामी या अध्यासी से नोटिस द्वसरा यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह उक्त मार्ग, संरचना या पेड़ को हटा लें या अन्य प्रकार से ऐसी कार्यवाही करे, जिसे {नगरपालिका}[1] ठीक समझे; या

(ख) उक्त मार्ग, संरचना या पेड़ को स्वयं हटा सकेगी या उसके सम्बन्ध में अन्य प्रकार से कोई ऐसी कार्यवाही कर सकेगी, जिसे वह ठीक समझे।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन की गई किसी कार्यवाही पर {नगरपालिका}[1] द्वारा उपगत व्यय अध्याय 6 में विहित रीति से उस व्यक्ति से जिसने मार्ग बनाया हो, संरचना का निर्माण किया हो या पेड़ लगाया हो, वसूल किया जा सकेगा।

अध्याय – 8
अन्य शक्तियां और शास्ति

बाजार, वधशाला, भोजन की बिक्री आदि

बिक्री के लिए पशुओं के वध का स्थान

237–– (1) {नगरपालिका क्षेत्र}[2] जिला मजिस्ट्रेट के अनुमोदन से बिक्री के लिए पशुओं या किसी विनिर्दिष्ट प्रकार के वध के लिए या तो {नगरपालिका क्षेत्र की सीमा}[2] के भीतर या बाहर कोई परिसर निश्चित् कर सकेगी और इसी प्रकार के अनुमोदन से ऐसे परिसर का उपयोग करने के लिए लाइसेंस स्वीकृत कर सकेगी और उसे वापस ले सकेगी।

(2) जब {नगरपालिका क्षेत्र}[2] द्वारा {नगरपालिका क्षेत्र की सीमा}[2] के बाहर ऐसे परिसर निश्चित किए जाएं तो {नगरपालिका}[2] को उनका निरीक्षण करने और उनके उचित विनियमन के लिए उपविधियां बनाने की वही शक्ति होगी, मानो उक्त परिसर नगर निगम की सीमा के भीतर स्थित हो।

(3) जब ऐसा परिसर निश्चित कर दिया जाय तो कोई भी व्यक्ति {नगरपालिका क्षेत्र की सीमा}[2] भीतर किसी अन्य स्थान पर बिक्री के लिए किसी ऐसे पशु का वध नहीं करेगा।

(4) यदि कोई व्यक्ति {नगरपालिका क्षेत्र की सीमा}[2] के भीतर किसी अन्य स्थान पर बिक्री के लिए किसी ऐसे पशु का वध करता है तो दोष सिद्ध होने पर वह ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो इस प्रकार वध किए गए प्रत्येक पशु के लिए बीस रुपये तक हो सकेगा।

ऐसे पशुओं के लिए वध स्थान, जो बिक्री के लिए आशयित न हो या जिनका धार्मिक प्रयोजनों के लिए वध किया जाये

238–– {नगरपालिका क्षेत्र}[2] सार्वजनिक नोटिस द्वारा जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व स्वीकृत से, {नगरपालिका क्षेत्र की सीमा}[2] के भीतर ऐसे परिसर निश्चित कर सकेगी, जिनमें किसी विशेष प्रकार के पशुओं के वध की जो बिक्री के लिए न हो, अनुज्ञा दी जायेगी और {नगरपालिका की सीमा}[2] के भीतर अन्यत्र, सिवाय ऐसे मामलों के जो आवश्यक हो, ऐसा वध करना निषिद्ध कर सकेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के उपबन्ध धार्मिक प्रयोजनों के लिए वध किए जाने वाले पशुओं पर लागू न होंगे।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 147 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

239—— जब कभी जिला मजिस्ट्रेट को लोक शांति या व्यवस्था के परिरक्षण के लिए यह आवश्यक प्रतीत हो तो वह विहित प्राधिकारी के नियंत्रण अधीन रहते हुए, सार्वजनिक नोटिस द्वारा {नगरपालिका क्षेत्र की सीमा}[2] के भीतर बिक्री से भिन्न प्रयोजन के लिए पशु या किसी विनिर्दिष्ट प्रकार के पशुओं का वध करना निषिद्ध या विनियमित कर सकेगा और ऐसा ढंग और रास्ता, जिस प्रकार और जिसके द्वारा ऐसे पशुओं को वध स्थान तक लाया जायेगा और वहां से मांस ले जाया जायेगा, विहित कर सकेगा।

ऐसे पशुओं के संबंध में, जिनका वध बिक्री के लिए न किया जाये, जिला मजिस्ट्रेट की शक्ति

240—— यदि धारा 298 के शीर्षक 'च' के उपशीर्षक (ङ) के अधीन बनाई गई किसी उपविधि के उल्लंघन में {नगरपालिका क्षेत्र की सीमा}[2] के भीतर किसी ढोर, भेड़, बकरे या सुअर का गोश्त लाया जाये तो {नगरपालिका}[1] के उस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा उसका अभिग्रहण किया जायेगा और उसे नष्ट या अन्यथा निस्तारित किया जा सकेगा, जैसा कि {नगरपालिका}[1] सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे।

आयात को विनियमित करने की किसी उपविधि का उल्लंघन करके आयातित गोश्त का व्ययन

241—— (1) {नगरपालिका की सीमा}[2] के भीतर, मानव भोजन के लिए आशयित, पशु—मांस या मछली की बिक्री के लिए बाजार या दुकान के रूप में या फल और शाक—सब्जी की बिक्री के लिए बाजार के रूप में {नगरपालिका क्षेत्र}[2] बाजार से भिन्न किसी स्थान का उपयोग करने का किसी व्यक्ति का अधिकार धारा 298 के शीर्षक 'च' के अधीन बनाई गई उपविधि (यदि कोई हो) के अधीन होगा।

कतिपय वस्तुओं की बिक्री के लिए बाजारों और दूकानों को लाइसेंस देना

(2) प्रतिबन्ध यह है कि जहां कोई ऐसी उपविधि प्रवृत्त हो, जिसके अनुसार उपधारा (1) में वर्णित किसी वस्तु की बिक्री के लिए किसी बाजार या दुकान स्थापित करने या उसके अनुरक्षण के लिए कोई लाइसेंस अपेक्षित हो, वहां {नगरपालिका क्षेत्र}[2] ——

(क) ऐसी उपविधि के प्रवर्तन के दिनांक को विधिपूर्वक स्थापित किसी बाजार या दुकान के अनुरक्षण के लिए लाइसेंस देने से इंकार नहीं करेगी, यदि आवेदन—पत्र ऐसे दिनांक से छः मास के भीतर दिया जाये, सिवाय इस आधार पर कि उस स्थान से, जहां बाजार या दुकान स्थापित है, अधिनियम के द्वारा या अधीन विहित किन्हीं शर्तों का अनुपालन नहीं होता है; या

(ख) ऐसी उपविधि के अधीन स्वीकृत किए गए किसी लाइसेंस को, लाइसेंसी द्वारा लाइसेस की शर्तों या इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाए गए किसी उपबन्ध का अनुपालन न करने से भिन्न किसी अन्य कारण से रद्द, निलम्बित या उसका नवीकरण करने से इंकार नहीं करेगी।

242—— जो कोई किसी ऐसे पशु को, जो दुग्धशाला के प्रयोजन के लिए रखा गया हो या जिसका भोजन के लिए उपयोग किया जा सकता हो, मलिन या हानिकारक पदार्थ का चारा खिलाता है या खिलाने देता है, वह दोषसिद्ध होने पर जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो पचास रुपये तक हो सकेगा।

दुग्धशाला के प्रयोजन के लिए रखे गए भोजन के लिए उपयोग में आने वाले पशुओं को अनुचित चारा देना

243—— {नगरपालिका}[1] का अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी स्वास्थ्य अधिकारी और यदि इस निमित्त संकल्प द्वारा प्राधिकृत किया जाये तो {नगरपालिका क्षेत्र}[2] का कोई अन्य सदस्य, अधिकारी या सेवक, रात या दिन में किसी भी समय बिना नोटिस के किसी बाजार, दुकान या स्टाल या ऐसे स्थान में, जिसका उपयोग मानव भोजन या पेय पदार्थ की बिक्री के लिए या वधशाला के रूप में या औषधि की बिक्री के लिए किया जाता हो, प्रवेश कर सकेगा और उनका निरीक्षण कर सकेगा और वहां पर किसी भी भोजन या पेय पदार्थ या किसी भी पशु या औषधि का निरीक्षण और परीक्षण कर सकेगा।

भोजन, पेय और औषधि के बिक्री के स्थान का निरीक्षण

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 147 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय—तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

244—— (1) यदि पूर्ववर्ती धारा के अधीन किसी स्थान का निरीक्षण करते समय कोई भोजन की वस्तु या पेय पदार्थ या कोई पशु, जो मानव उपयोग के लिए आशयित और उसके लिए अनुपयुक्त प्रतीत हो तो {नगरपालिका}[1] उसका अभिग्रहण कर सकेगा और उसे हटा सकेगा और उसे नष्ट करा सकेगा या उसका निस्तारण इस प्रकार करा सकेगा कि वह बिक्री के लिए अभिदर्शित न किया जा सके या ऐसे उपभोग के लिए उपयोग में न लाया जा सके।

अस्वास्थ्यकर वस्तुओं का अभिग्रहण और हानिकरण और अप्रयुक्त औषधियों का हटाया जाना

(2) यदि युक्तियुक्त रूप से यह संदेह हो कि किसी औषधि में अनुचित मिलावट की गई है या पुरानी हो जाने या जलवायु के प्रभाव से अक्रिय या अस्वास्थ्यकर हो गई है या अन्यथा ऐसी रीति से उसका ह्रास हो गया है, जिससे कि उसकी प्रभावकारिता कम हो गई हो या उसकी प्रवृत्ति बदल गई हो या वह हानिकारक हो गई हो तो {नगरपालिका}[1] उसके लिए रसीद देकर उसे हटा सकेगी और किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे प्रस्तुत कर सकेगी।

(3) यदि किसी मजिस्ट्रेट को, जिसके समक्ष उपधारा (2) के अधीन कोई औषधि प्रस्तुत की गई हो, यह प्रतीत हो कि औषधि में अनुचित मिलावट की गई है या वह उपर्युक्त रूप में अक्रिय, अस्वास्थ्यकर या हानिकर हो गई है तो वह आदेश दे सकेगा कि उसे नष्ट कर दिया जाय या उसका निस्तारण इस प्रकार किया जाय जो वह ठीक समझे और यदि यह प्रतीत हो कि कोई अपराध किया गया है तो वह उसका संज्ञान करने की कार्यवाही करेगा।

कतिपय व्यापार और वृत्ति सम्बन्धी अपदूषण

245—— (1) यदि {नगरपालिका क्षेत्र}[2] के समाधानप्रद रूप में यह दिखाया जाय कि {नगरपालिका क्षेत्र}[2] के भीतर किसी ऐसे भवन का स्थान का, जिसे कोई व्यक्ति किसी वस्तु के विनिर्माण, भंडार, अभिक्रिया या निस्तारण के लिए किसी कारखाने या अन्य कारबार के स्थान के रूप में उपयोग करता है या उपयोग करना चाहता है, इस प्रकार उपयोग करने के कारण या ऐसे आशयित उपयोग के कारण कोई लोक अपदूषण होता है या होने की सम्भावना है तो {नगरपालिका क्षेत्र}[2] अपने विकल्प पर उक्त भवन या स्थान के स्वामी या अध्यासी से, नोटिस द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगी कि ——

आपत्तिजनक व्यापार का विनियमन

(क) वह उक्त भवन या स्थान का ऐसे प्रयोजन के लिए उपयोग करने या उपयोग करने देने से, यथास्थिति, प्रतिविरत या विरत रहे; या

(ख) उक्त भवन या स्थान का ऐसे प्रयोजन के लिए केवल ऐसा शर्तों के अधीन या ऐसे संरचनात्मक परिवर्तन के पश्चात्, जिन्हें {नगरपालिका क्षेत्र}[2] उस नोटिस में ऐसे भवन या स्थान का बिना किसी आपत्ति के ऐसे प्रयोजन के लिए उपयोग करने के उद्‌देश्य से अधिरोपित या विहित करे, उपयोग करेगा या उपभोग करने देगा।

(2) जो कोई व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन दी गई नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् उक्त नोटिस का उल्लंघन करके किसी भवन या स्थान का उपयोग करता है या करने देता है वह दोषसिद्ध ठहराए जाने पर जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक हो सकता है और अग्रत्तर जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो प्रथम दो–सिद्धि के दिनांक के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए ज बवह उक्त स्थान या भवन का इस प्रकार उपयोग करे या करने दे, चालीस रुपये तक हो सकेगा।

(3) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस धारा या 298 के शीर्षक 'छ' के अधीन बनाई गई किसी उपविधि के उपबन्धों को किसी भी ऐसे क्षेत्र में लागू कर सकेगी, जो नगरपालिका के बाहर {नगरपालिका क्षेत्र की सीमा}[3] से एक मील की दूरी के भीतर हो।

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 148 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 148 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

246—— जो कोई व्यक्ति, {नगरपालिका क्षेत्र}[2] की सीमा के भीतर की किसी सड़क या सार्वजनिक स्थान पर वेश्यावृत्ति के प्रयोजन से आवारागर्दी करता है या किसी व्यक्ति से व्यभिचार करने के लिए दुराग्रह करता है, दोषसिद्ध ठहराए जाने पर ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो पचास रुपये तक हो सकेगी : — अनैति प्रयोजन से आवारा घूमना और प्रलोभन देना

प्रतिबन्ध यह है कि कोई न्यायालय, सिवाय किसी दुराग्रहीत व्यक्ति की शिकायत के या इस निमित्त {नगरपालिका}[1] और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत क्रमशः किसी {नगरपालिका क्षेत्र}[2] अधिकारी या किसी पुलिस अधिकारी की शिकायत के, जो सब—इंसपेक्टर के पद से नीचे का न हो, इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान न करेगा।

247—— (1) जब प्रथम वर्ग के किसी मजिस्ट्रेट को यह सूचना प्राप्त हो कि —— — वेश्यागृह आदि

(क) किसी पूजा के स्थान या किसी शैक्षिक संस्था या छात्रों के उपयोग में या उनके द्वारा अध्यासित किसी छात्रावास या होस्टल, भोजनालय के सामान्य में किसी किसी गृह का उपयोग, वेश्यागृह के रूप में या नियमित रूप में वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए या किसी प्रकार के विचछृंखल व्यक्तियों द्वारा किया जाता है; या

(ख) किसी गृह का उपर्युक्त रूप में उपयोग सामीप्य के प्रतिष्ठित निवासियों के लिए क्षोभ का कारण है; या

(ग) छावनी के ठीक पड़ोस में स्थित किसी गृह का उपयोग वेश्यागृह के रूप में या नियमित रूप से वेश्यावृत्ति के लिए किया जाता है;

तो वह उक्त गृह के स्वामी, किरायेदार, प्रबन्धक या अध्यासी को या तो स्वयं या अभिकर्ता द्वारा अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए बुला सकेगा और यदि उसका समाधान हो जाय कि उक्त गृह का उपयोग खण्ड (क), खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में वर्णित रूप में किया जाता है तो वह ऐसे स्वामी, किरायेदार, प्रबन्धक या अध्यासी को निदेश दे सकेगा कि ऐसे आदेश में उल्लिखित अवधि के भीतर, जो उसके दिनांक से पांच दिन से कम न हो, ऐसा उपयोग करना बन्द कर दे:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन कार्यवाही केवल——

(एक) जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति से या उसके आदेश द्वारा; या

(दो) ऐसे गृह के, जिसके सम्बन्ध में शिकायत की गई हो, निकट सामीप्य से रहने वाले तीन या अधिक व्यक्तियों की शिकायत पर; या

(तीन) {नगरपालिका}[1] की शिकायत पर, की जायेगी।

(2) यदि कोई व्यक्ति, जिसके विरूद्ध किसी मजिस्ट्रेट द्वारा उपधारा (1) के अधीन आदेश दिया गया हो, उसमें उल्लिखित अवधि के भीतर ऐसे आदेश का अनुपालन करने में विफल रहता है तो मजिस्ट्रेट उस पर ऐसा जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा, जो उक्त अवधि से समाप्त हो जाने के पश्चात्, जिसके दौरान उक्त गृह का इस प्रकार उपयोग किया जाये, प्रत्येक दिन के लिए पच्चीस रुपये तक हो सकेगा।

248—— जो कोई व्यक्ति {नगरपालिका क्षेत्र}[2] के भीतर किसी सड़क या सार्वजनिक स्थान में, दुराग्रह पूर्वक भिक्षा मांगता है या दान भावना जागृत करने के उद्देश्य से किसी विकलांगता या रोग या किसी संतापकारी ब्रण या घाव को खुला रखता है या प्रदर्शित करता है वह दोषसिद्ध ठहराए जाने पर कारावास से, जो एक माह तक हो सकेगा या जुर्माने से जो पचास रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा। — भिक्षावृत्ति आदि

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 149 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय—तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

सार्वजनिक सुरक्षा

पागल कुत्तों आदि का निस्तारण

249–– {नगरपालिका}[1] किसी ऐसे कुत्ते या अन्य पशु की, जो जलांतक (रेबीज) से पीड़ित हो या जिसके युक्तियुक्त रूप से पीड़ित होने का सन्देह हो या जिसे उपर्युक्त रूप में पीड़ित या संदिग्ध किसी कुत्ते या अन्य पशु ने काटा हो, नष्ट करने या नष्ट कराने या उसे ऐसी अवधि के लिए, जिसके लिए {नगरपालिका}[1] निदेश दे, परिरुद्ध कराने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगी।

मुख पट्ट बांधने का आदेश

250–– (1) जब किसी {नगरपालिका}[1] में {नगरपालिका क्षेत्र}[2] की राय में जलांतक फैलने पर ऐसा करना आवश्यक हो तो {नगरपालिका क्षेत्र}[2] सार्वजनिक नोटिस द्वारा {नगरपालिका}[1] में या {नगरपालिका क्षेत्र}[2] के किसी भाग में ऐसी अवधि के लिए जो वह ठीक समझे या जब तक कि उक्त नोटिस रद्द न कर दी जाये, सभी कुत्तों के मुख पट्ट बांधने की अपेक्षा कर सकेगी।

(2) {नगरपालिका}[2] ऐसी अवधि के दौरान किसी ऐसे कुत्ते के सम्बन्ध में, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट दिनांक के पश्चात् मुखपट्ट बांधे बिना घूमता हुआ पाया जाये, धारा 249 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर सकेगी।

विधिपूर्वक नष्ट किए गए कुत्ते के लिए प्रतिकर का वर्णन

251–– धारा 249 या 250 या धारा 298 के शीर्षक 'ज' के उपशीर्षक (ज) या (ठ) के अधीन बनाई गई किसी उपविधि के अधीन नष्ट किए गए या अन्यथा निस्तारित किए गए किसी कुत्ते या अन्य पशुओं के सम्बन्ध में कोई क्षतिपूर्ति देय न होगी।

मार्ग के नियम की उपेक्षा करना

252–– जो कोई व्यक्ति, सिवाय वास्तविक आवश्यकता की स्थिति के, किसी सड़क पर गाड़ी चलाने, आगे ले जाने या ढकेलने में –

(क) बायीं ओर रहने में विफल रहता है; और

(ख) जब वह उसी दिशा में, जिसमें वह जा रहा हो, जाने वाली गाड़ी के आगे निकलने में उस गाडी के दाहिनी ओर रहने में विफल रहता है तो दोष सिद्ध ठहराए जाने पर ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो दस रुपये तक हो सकेगा।

अपवाद–– यह धारा ऐसी {नगरपालिका क्षेत्र}[2] की स्थिति में लागू न होगी, जो पूर्णतः या अंशतः किसी पर्वतीय प्रदेश में स्थित हो।

उचित प्रकाश के बिना गाड़ी चलाना

253–– जो कोई व्यक्ति रात्रि और प्रातः काल के मध्य किसी सड़क पर कोई गाड़ी चलाता है, आगे ले जाता है या ढकेलता है, यदि गाड़ी में प्रकाश की उचित व्यवस्था न हो, दोषसिद्ध होने पर जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो बीस रुपये तक हो सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि {नगरपालिका}[1] विशेष संकल्प द्वारा, जिसकी पुष्टि विहित प्राधिकारी द्वारा की गयी हो, निर्देश दे सकेगी कि यह धारा उन गाड़ियों पर लागू न होगी, जो पैदल चलने की गति से अधिक न चलायी जा रही हो।

हाथी आदि को सुरक्षित दूरी पर हटाने में विफल होना

254–– किसी हाथी, ऊंट या भालू का प्रभारी कोई व्यक्ति, यदि किसी घोड़े के निकट आने पर जिस पर कोई सवार हो या वह जुता हो या ले जाया जा रहा हो, अपने हाथी, ऊंट या भालू को यथासाध्य, किसी सुरक्षित दूरी पर हटाने के लिए अनुरोध किए जाने पर ऐसा करने में चूक करता है तो वह दोष–सिद्ध होने पर जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो बीस रुपये तक हो सकेगा।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 149 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

मवेशी आदि का सड़क पर बांधने का निषेध

255—— (1) कोई ऐसा स्वामी या रखवाला, जिसके मवेशी या अन्य पशु किसी सड़क या सार्वजनिक स्थान पर बंधे हुए या बिना रखवाले के इधर—उधर भटकते हुए पाए जायें, दोषसिद्ध ठहराए जाने पर जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो दो सौ पचास रुपये तक हो सकेगा।

(2) उपर्युक्त रूप में बंधे हुए किसी पशु को किसी नगरपालिका अधिकारी या सेवक द्वारा या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी कांजी हाउस में हटाया जा सकेगा मानो उक्त पशु भटकता हुआ पाया गया हो।

सार्वजनिक स्थलों पर गाड़ियों या पशुओं का पड़ाव

256—— जहां {नगरपालिका}[1] में निहित किसी भ में निहित किसी भूमि या किसी सार्वजनिक स्थान या {नगरपालिका}[1] की लिखित अनुज्ञा के बिना किसी गाड़ी या पशु के पड़ाव स्थल या डेरा डालने के स्थान के रूप में उपयोग किया जाय, वहां यथास्थिति, गाड़ी या पशु का स्वामी या रखवाला या डेरा डालने वाला व्यक्ति दोष—सिद्ध ठहराए जाने पर जुर्माने से जो एक सौ रुपये तक हो सकेगा और उल्लंघन जारी रहने की दशा में अग्रेत्तर जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो प्रथम दोष—सिद्धि के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराधी का बारम्बार अपराध किया जाना सिद्ध हो, दस रुपये तक हो सकेगा।

ज्वलनशील संरचना के सम्बन्ध में शक्ति

257—— (1) {नगरपालिका}[1] सार्वजनिक नोटिस द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि उसके द्वारा निश्चित की गई कतिपय सीमाओं के भीतर, {नगरपालिका}[1] की लिखित सहमति के बिना, झोपड़ियों या अन्य भवनों की छतें और बाहरी दीवालें, घास, चटाई, पत्तियों या अन्य अतिज्वलनशील सामग्री से बनाई या नवीकृत नहीं की जायेगी।

(2) {नगरपालिका}[1] किसी भी समय, लिखित नोटिस द्वारा ऐसे भवन के, किसी बाहरी छत या दीवाल यथापूर्वोक्त सामग्री की बनाई गई हो, स्वामी से अपेक्षा कर सकेगी कि वह ऐसी छत या दीवाल को ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जायेगा, हटा दे भले ही उपधारा (1) के अधीन कोई सार्वजनिक नोटिस जारी न किया गया हो या ऐसी छत या दीवाल {नगरपालिका}[1] की सहमति से अथवा ऐसे सार्वजनिक नोटिस के, यदि कोई हो, जारी होने के पहले बनाई गई होः

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसी छत या दीवाल की दशा में, जो ऐसी सार्वजनिक नोटिस जारी होने के पूर्व विद्यमान रही हो या {नगरपालिका}[1] की सहमति से बनाई गई हो, {नगरपालिका}[1] उसे हटाए जाने के कारण से हुए किसी नुकसान के लिए प्रतिकर देगी, जो उस छत या दीवाल के निर्माण के मूल व्यय से अधिक न होगा।

(3) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) द्वारा यथा—अपेक्षित सहमति के बिना यथापूर्वोक्त किसी छत या दीवाल का निर्माण या नवीकरण करता है या निर्माण या नवीकरण कराता है या उपधारा (2) के अधीन दिए गए किसी नोटिस की अवज्ञा करके उसे बनाए रखता है, दोषिसिद्ध ठहराए जाने पर जुर्माने से जो पच्चीस रुपये तक हो सकेगा और ऐसे अग्रत्तर जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो प्रथम दोषसिद्धि के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जब अपराध जारी रहे, दस रुपये तक हो सकेगी।

प्राधिकृत मात्रा से अधिक ज्वलशील सामग्री की तलाशी लेने की शक्ति

258—— (1) {नगरपालिका}[1] बिना नोटिस के और दिन या रात में, किसी भी समय किसी ऐसे गृह या भवन में प्रवेश कर सकेगी और उसका निरीक्षण कर सकेगी, जिसमें उसे यह सन्देह हो कि धारा 245 या किसी उपविधि के उपबन्ध के अधीन ऐसे गृह या भवन में रखे जाने के लिए अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा में पेट्रोलियम या अन्य ज्वलनशील सामग्री है।

(2) यदि ऐसी सामग्री ऐसी अधिक मात्रा में पाई जाये, तो उसके सम्बन्ध में किसी मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश के अधीन रहते हुए उसे अभिगृहीत किया जा सकेगा और रखा जा सकेगा।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय—तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

(3) यदि मजिस्ट्रेट यह विनिश्चय करे कि अभिगृहीत सामग्री का धारा 245 के अधीन दिए गए किसी निदेश या किसी उपविधि के उपबन्ध के प्रतिकूल, उक्त गृह या भवन में संग्रह किया गया है तो वह उसके अधिग्रहण का आदेश दे सकेगा।

(4) इस अधिनियम के या किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन बनाए गए किसी उपबन्ध के अधीन रहते हुए इस प्रकार अधिहरण की गई सामग्री को, मजिस्ट्रेट के आदेश द्वारा बेचा जा सकेगा और आगम को ऐसे विक्रय के व्यय की चुकता करने के बाद नगरपालिका निधि में जमा कर दिया जायेगा।

(5) इस धारा के अधीन अधिहरण का कोई आदेश किसी ऐसी अन्य दाण्डिक या सिविल कार्यवाही को, जो अत्यधिक मात्रा में सामग्री का संग्रह करने के लिए किसी व्यक्ति के विरूद्ध की जा सकती हो, प्रवर्तित होने से निवारित नहीं करेगा।

ज्वलनशील सामग्री का ढेर लगाना आदि

259—— {नगरपालिका}[1] जहां जीवन या सम्पत्ति के लिए संकट के निवारणार्थ आवश्यक प्रतीत हो, सार्वजनिक नोटिस द्वारा सभी व्यक्तियों को नोटिस में विनिर्दिष्ट स्थान पर या सीमा के भीतर लकड़ी, सूखी घास, भूसा या अन्य ज्वलनशीन सामग्री का ढेर लगाने का जमा करने या वहां पर चटाइयां बिछाने या छप्पर डालने या आग जलाने से प्रतिषेध कर सकेगी।

संकटपूर्ण खदान कार्य

260—— (1) यदि {नगरपालिका}[1] की राय में किसी स्थान पर खदान या भूमि से पत्थर, मिट्टी या अन्य सामग्री का हटाया जाना उसके पड़ोस में निवास करने वाले या उसके परिदर्शन के हकदार व्यक्तियों के लिए संकटपूर्ण है या उससे लोक अपदूषण होने या उसके हो जाने की सम्भावना है तो {नगरपालिका}[1] लिखित नोटिस द्वारा, उक्त खदान या स्थान के स्वामी को या ऐसे खदान कार्य करने या सामग्री हटाने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को ऐसे खदान कार्य को जारी रखने या उसकी अनुज्ञा देने या ऐसी सामग्री को हटाने का प्रतिषेध कर सकेगी या ऐसे खदान या स्थान के सम्बन्ध में ऐसा आदेश प्राप्त करने की अपेक्षा कर सकेगी, जैसा कि {नगरपालिका}[1] ऐसे संकट के निवारण के या ऐसे अप्रदूषण के उपशमन के प्रयोजनार्थ, जो उससे उत्पन्न हो या जिसके उत्पन्न होने की सम्भावना हो, निदेश देगी।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी मामले में किसी आसन्न खतरे के निवारणार्थ {नगरपालिका}[1] को आवश्यक प्रतीत हो तो वह यात्रियों की सुरक्षा के लिए खदान या स्थान के निकट समुचित विज्ञापन पट्ट या बाड़ा लगवायेगा और ऐसी कार्यवाही करने पर {नगरपालिका}[1] द्वारा उपगत व्यय का भुगतान उपर्युक्त स्वामी या अन्य व्यक्ति द्वारा किया जायेगा और उसे अध्याय 6 में उपबन्धित रीति से वसूल किया जा सकेगा।

खड़ंजा आदि को हटाना

261—— (1) जो कोई व्यक्ति {नगरपालिका}[1] या किसी अन्य विधिपूर्ण प्राधिकारी की लिखित सहमति के बिना, सार्वजनिक सड़क का कोई खड़ंजा, नाबदान, बिछाए गए चौकोर पत्थर या अन्य सामग्री को या उसकी बाड़, दीवाल या खम्भों को या किसी नगरपालिका की बत्ती, बत्ती के खम्भे ब्रेकेट, निर्देश खम्भा, स्टेण्ड पोस्ट, बम्बा या नगरपालिका की ऐसी अन्य सम्पत्ति को हटाता है, उठाता है या उसमें परिवर्तन करता है या अन्यथा हस्तक्षेप करता है और जो कोई व्यक्ति {नगरपालिका}[1] के किसी प्रकाश को बुझाता है, वह दोषसिद्ध होने पर जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा।

(2) उपधारा (1) में वर्णित कोई भी ऐसा कार्य करने के कारण किया गया व्यय अपराधी से अध्याय 6 में उपबन्धित रीति से वसूल किया जा सकेगा।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय—तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

262–– जो कोई व्यक्ति ऐसी रीति से आग्नेयायुध चलाता है या आतिशबाजी के गुब्बारे छोड़ता है या किसी ऐसे खेल में लगा रहता है, जिससे कि वहां से गुजरने वाले या पड़ोस में रहने वाले या काम करने वाले व्यक्तियों के लिए संकट या किसी सम्पत्ति के क्षतिग्रस्त होने की जोखिम उत्पन्न हो या होने की सम्भावना हो तो वह दोषसिद्ध होने पर जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो बीस रुपये तक हो सकेगा। आग्नेयायुध आदि चलाना

263–– (1) {नगरपालिका}[1] नोटिस द्वारा किसी भूमि या भवन के स्वामी या अध्यासी से अपेक्षा कर सकती है कि वह –– खण्डहर, भवनों, आरक्षित कुओं आदि से संकट के निवारण के लिए शक्ति

(क) ऐसे किसी भवन, दीवाल या किनारा अन्य संरचना या उससे सम्बद्ध किसी भी वस्तु को तोड़ दे या उसकी ऐसी रीति से मरम्मत कराये जैसा कि {नगरपालिका} आवश्यक समझे या ऐसे किसी वृक्ष को, जो उक्त स्वामी का हो या उक्त अध्यासी के कब्जे में हो हटा दे, जो {नगरपालिका}[1] को खण्डहर स्थिति में या सम्पत्ति के लिए संकटपूर्ण प्रतीत हो; या

(ख) उक्त स्वामी के या उक्त अध्यासी के कब्जे के किसी कुएं, तालाब, जलाशय, पोखर या खुदाई कार्य की, जो {नगरपालिका}[1] का उसकी स्थिति, मरम्मत न होने या ऐसी ही अन्य परिस्थितियों के कारण संकटपूर्ण प्रतीत हो, ऐसी रीति से मरम्मत कराये, संरक्षित रखे या घेर दे, जैसा कि {नगरपालिका}[1] आवश्यक समझे।

(2) जहां {नगरपालिका}[1] को यह प्रतीत हो कि किसी व्यक्ति या सम्पत्ति के आसन्न संकट के निवारण के प्रयोजनार्थ तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक है तो {नगरपालिका}[1] का यह कर्तव्य होगा कि वह तुरन्त ऐसी कार्यवाही करे ओर ऐसे मामले में, धारा 287 के उपबन्धों के होते हुए भी {नगरपालिका}[1] के लिए नोटिस देना आवश्यक नहीं होगा, यदि {नगरपालिका}[1] को यह प्रतीत हो कि नोटिस देने में होने वाले विलम्ब से इस प्रकार तुरन्त कार्यवाही करने का उद्देश्य विफल हो जायेगा।

264–– {नगरपालिका}[1] नोटिस द्वारा किसी ऐसे भवन या भूमि के, जो परित्याग करने या विवादग्रस्त स्वामित्व या अन्य कारणवश अनध्यासित है और गेकार उच्छृंखल व्यक्तियों का अभिगम स्थान बन गई है या अन्यथा लोक अपदूषण हो गई है या होने की सम्भावना है, स्वामी से अपेक्षा कर सकेगी कि वह उसे नोटिस में निश्चित किए गए युक्तियुक्त समय के भीतर उसे सुरक्षित कर दे और घेर दे। अनध्यासित भवनों या भूमि को अपदूषण बनने से निवारित करने की शक्ति

265–– (1) जो कोई व्यक्ति {नगरपालिका}[1] की लिखित अनुज्ञा के बिना–– सड़कों पर बाधा

(क) किसी गाड़ी को, जिसमें कोई पशु जुता हो या न हो, किसी सड़क पर माल चढ़ाने या उतारने के लिए या सवारियां लेने या उतारने के लिए आवश्यकता से अधिक समय तक रोकता है या खड़ा रखता है या इसकी अनुमति देता है, जिससे सड़क पर बाधा पहुचंती है; या

(ख) किसी गाड़ी या पशु को ऐसे छोड़ देता है या इस प्रकार बांधता है, जिससे कि सड़क पर बाधा पहुंचती है; या

(ग) किसी वस्तु हो, चाहे किसी स्टाल या बूथ पर या किसी अन्य रीति से बिक्री के लिए इस प्रकार प्रदर्शित करता है, जिससे सड़क पर बाधा पहुचंती है; या

(घ) किसी सड़क पर कोई भवन निर्माण सामग्री, सन्दूक, गांठ, बण्डल या व्यापारिक सामग्री जमा करने देता है; या

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ङ) किसी सड़क पर कोई बाड़ा, जंगला, खम्भा, स्टाल या कोई पाड़ या ऐसा कोई अन्य उपस्कर खड़ा करता या लगवाता है; या

(च) किसी रीति से किसी सड़क के निर्बाध आवागमन में जानबूझकर बाधा डालता या बाधा डलवाता है,

तो वह दोषसिद्ध ठहराए जाने पर जुर्माने से, पांच सौ रुपये तक हो सकता है और उल्लंघन जारी रहने की दशा में अग्रत्तर जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो प्रथम दोष–सिद्ध के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें अपराधी का बार–बार अपराध करना साबित हो, दस रुपये तक हो सकेगा।

(2) {नगरपालिका}[1] को उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी बाधा को हटाने की शक्ति होगी और इस प्रकार हटाने का व्यय अपराधी से अध्याय 6 में उपबन्धित रीति से वसूल किया जा सकेगा।

(3) सड़क से बाधा हटाने के लिए उपधारा (2) के अधीन {नगरपालिका}[1] द्वारा प्रयोक्तव्य शक्ति का {नगरपालिका}[1] द्वारा किसी ऐसी खुली जगह से, चाहे वह {नगरपालिका}[1] में निहित हो या न हो, जो निजी सम्पत्ति न हो, बाधा हटाने के लिए भी प्रयोग किया जा सकेगा।

(4) इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई बात किसी सड़की की ऐसी किसी बाधा पर लागू न होगी, जिसकी अनुज्ञा {नगरपालिका}[1] द्वारा इस अधिनियम की किसी धारा या तद्धीन बनाए गए किसी नियम या उपविधि या स्वीकृत किसी लाइसेंस के अधीन दी गई हो।

सार्वजनिक भूमि की खुदाई

266–– जो कोई व्यक्ति, {नगरपालिका}[1] की लिखित अनुज्ञा के बिना, किसी ऐसे खुले स्थान से, चाहे वह {नगरपालिका}[1] में निहित हो या न हो, जो निजी सम्पत्ति न हो, मिट्टी, बालू या अन्य सामग्री खोदता है या हटाता है, वह दोष–सिद्ध ठहराए जाने पर पांच सौ रुपये से अनधिक के जुर्माने से और यदि अपराध निरन्तर जारी रहता है तो ऐसे अग्रेत्तर जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो ऐसे अपराध के लिए प्रथम बार सिद्ध–दोष ठहराए जाने के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, दस रुपये तक हो सकेगा।

स्वच्छता और रोग का निवारण

असार्वजनिक नालियां, मलकूप, कूड़ादान, शौचालय आदि

267–– (1) {नगरपालिका}[1] नोटिस द्वारा, किसी भूमि या भवन के स्वामी या अध्यासी से अपेक्षा कर सकेगी कि वह ––

(क) ऐसी भूमि या भवन से सम्बद्ध किसी शैचालय, नाबदान, नाली, मलकूप, कूड़ादान या गन्दगी, मैला पानी, कूड़ा–करकट या कचरे के किसी अन्य पात्र को ढक दे, हटा दे, परिवर्तित कर दे, उसकी मरम्मत कराए, सफाई कराए, उसे रोगाणुमुक्त कराए या अच्छी हालत में रखे या ऐसे किसी शौचालय, मूत्रालय या नाबदान के किसी द्वार या छत द्वार को, जो किसी सड़क पर नाली की ओर खुलता हो, हटा दे या परिवर्तित कर दे; या

(ख) ऐसे शौचालयों, मूत्रालयों, नाबदानों, नालियों, मलकूपों, कूड़ादान या गन्दगी या मैला पानी, कूड़ा–करकट या कचरे के अन्य पात्रों की व्यवस्था करे, जिनकी उसकी राय में उक्त भवन या भूमि में व्यवस्था की जानी चाहिए, किसी वर्तमान व्यवस्था के अतिरिक्त हो या न हो; या

(ग) भवन या भूमि के लिए व्यवस्थित किसी शौचालय, मूत्रालय या नाबदान को पर्याप्त छत और दीवाल या बाड़ से इस प्रकार बन्द कर दे कि वहां से गुजरने वाले व्यक्तियों या पड़ोस के निवासियों को दिखायी न दे।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) जब उपधारा (1) की अपेक्षानुसार किसी बात की व्यवस्था की जानी हो, कोई परिवर्तन या कोई कार्य किया जाता हो तो {नगरपालिका}[1] नोटिस में जिस बात की व्यवस्था की जानी हो उसका विवरण, जिसके अनुरूप उस वस्तु का परिवर्तन किया जाना हो, उसका प्रतिरूप और जिसके अनुसार कार्य किया जाना हो, उसकी रीति विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

कारखानों, स्कूलों और सार्वजनिक अभिगम के स्थानों के लिए शौचालय

268–– {नगरपालिका}[1] किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके नियोजन में बीस से अधिक कर्मकार या श्रमिक हो या जिसके स्वामित्व प्रबन्ध या नियंत्रण में कोई बाजार, स्कूल या थियेटर या सार्वजनिक अभिगम का अन्य स्थान हो, नोटिस द्वारा ऐसे शैचालयों और मूत्रालयों की व्यवस्था करने जैसा वह ठीक समझे और उसे उचित स्थिति में रखने और उसका दैनिक सफाई करने की अपेक्षा कर सकेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की कोई बात इण्डियन फैक्ट्रीज ऐक्ट, 1911 द्वारा विनियमित किसी कारखाने पर लागू न होगी।

तालाब आदि से उत्पन्न अपदूषण हटाने की अपेक्षा करने की शक्ति

269–– (1) {नगरपालिका}[1] नोटिस द्वारा, किसी भूमि या भवन के स्वामी या अध्यासी से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह उससे निजी कुएं तालाब, जलाशय, पोखर, गर्त या गड्ढे की, जो {नगरपालिका}[1] को, पडोस के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या संतापकार प्रतीत हो, स्वच्छ कराए, मरम्मत कराए, ढक दे भर दे या उसके जल का निस्तारण कर दे :

(2) प्रतिबन्ध यह है कि कोई स्वामी या अध्यासी {नगरपालिका}[1] से अपेक्षा कर सकेगा कि वह उपधारा (1) के अधीन आदिष्ट जलोत्सारण करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक किसी भूमि या भूमि के अधिकार को अपने व्यय पर अर्जित करे या अन्यथा व्यवस्था करे।

नालियों, संडासों आदि का निरीक्षण

270–– (1) धारा 278 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए {नगरपालिका}[1] किसी नाली, संडास, नाबदान, शौचालय, मूत्रालय, मलकूप या गन्दगी के अन्य पात्र का निरीक्षण कर सकेगी और उस प्रयोजन के लिए, जहां वह ठीक समझे, भूमि को खुदवा सकेगी।

(2) ऐसे निरीक्षण और भूमि को भरने और पहले की तरह ठीक करने का व्यय {नगरपालिका}[1] द्वारा वहन किया जायेगा, जब तक कि उक्त नाली, संडास, नाबदान, शौचालय, मूत्रालय, मलकूप या गन्दगी के अन्य पात्र खराब दशा या स्थिति में न पाये जायें या उनका निर्माण, इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियमिति के, या अधीन बनाए गए किन्हीं उपबन्धों के उल्लंघन में न किया गया हो, जिस दशा में उक्त व्यय का भुगतान स्वामी या अध्यासी द्वारा किया जायेगा और अध्याय 6 में उपबन्धित रीति से वसूल किया जा सकेगा।

गन्दे भवन या भूमि को स्वच्छ रखना

271–– यदि कोई भवन या भूमि गन्दी या अस्वास्थ्य कर स्थिति में हो तो {नगरपालिका}[1] नोटिस द्वारा उसके स्वामी या अध्यासी से उक्त भवन या भूमि को स्वच्छ या अन्यथा उचित स्थिति में रखने और तत्पश्चात् उसको स्वच्छ और उचित स्थिति बनाए रखने की अपेक्षा कर सकेगी।

दुर्गन्धित पदार्थ को हटाने में विफलता

272–– जहां किसी भवन या भूमि पर––

(क) धूल, गोबर, हड्डी, राख, विष्ठा या गन्दगी या कोई हानिकार या संतापकारी पदार्थ चौबीस घंटे से अधिक समय से किसी उचित पात्र में न रखकर अन्यथा रखा जाता हो; या

(ख) ऐसी वस्तुओं का कोई पात्र गन्दी या हानिकारक स्थिति में हो या किसी उचित ढंग से उसे स्वच्छ या शुद्ध न किया जाता हो;

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

तो ऐसे भवन या भूमि का स्वामी या अध्यासी दोषसिद्ध ठहराए जाने पर ऐसे जुर्माने से जो पचास रुपये तक हो सकेगा और उल्लंघन जारी रहने की दशा में अग्रेत्तर जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो प्रथम दोषसिद्धि के दिनांक के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसमें अपराधी द्वारा साधारण अपराध किया जाना साबित हो, पांच रुपया तक हो सकेगा।

कूड़ा—करकट विष्ठा आदि के निस्तारण का विनियमन

273—— (1) {नगरपालिका}[1] ——

(क) संतापकारी पदार्थ कूडा—करकट को स्थायी रूप से जमा करने के लिए पात्र और स्थान की व्यवस्था कर सकेगी;

(ख) विष्ठा, लोथ और अन्य संतापकारी पदार्थ और कूड़ा—करकट के निस्तारण के लिए स्थान नियत कर सकेगी; और

(ग) सार्वजनिक नोटिस द्वारा ऐसा समय, ऐसी रीति और शर्तों के सम्बन्ध में निदेश जारी कर सकेगी जब, जिसके अनुसार और जिनके अधीन रहते हुए खण्ड (क) और (ख) में निर्दिष्ट कोई संतापकारी पदार्थ या कूडा—करकट किसी सड़क से हटाया जाये, जमा किया जाये या उसका अन्यथा निस्तारण किया जाये।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन स्थान नियत किए जाने के लिए यह नोटिस पर्याप्त होगी कि ऐसे नियत स्थान पर या उसके निकट ऐसे नियत स्थान को इंगित करते हुए एक नोटिस बोर्ड लगा दिया जाये।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन {नगरपालिका क्षेत्र की सीमा}[2] के बाहर कोई स्थान नियत करने के पूर्व {नगरपालिका}[1] जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करेगी।

कूड़ा—करकट, विष्ठा आदि के अनुचित निस्तारण के लिए शास्ति

274—— जिस भवन या भूमि से कोई संतापकारी पदार्थ, कूड़ा—करकट, विष्ठा या लोथ, खण्ड (ख) के अधीन नियत किसी स्थान या धारा 273 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन व्यवस्थित किसी पात्र से भिन्न अन्यथा किसी सार्वजनिक स्थान या सड़क के किसी भाग पर या किसी सार्वजनिक सीवर या नाली में या किसी सार्वजनिक सीवर या नाली से मिलने वाली किसी नाली में फेंका या जमा किया जाता है, ऐसे भवन या भूमि या अध्यासी और कोई ऐसा व्यक्ति, जो उपधारा के खण्ड (ग) के अधीन जारी किए गए {नगरपालिका}[1] के किसी निर्देश का उल्लंघन करता है, दोषसिद्ध ठहराए जाने पर दो सौ पचास रुपये से अनधिक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

पशुओं के शव का निस्तारण

275—— (1) जब कभी किसी व्यक्ति के भार साधक में किसी ऐसे पशु की या तो बिक्री के लिए या उपभोग के लिए या किसी अन्य धार्मिक प्रयोजन के लिए वध किए जाने से भिन्न प्रकार से मृत्यु हो जाये तो उसका भारसाधक व्यक्ति चौबीस घंटे के भीतर या तो —

(क) उस लोथ को धारा 273 के अधीन {नगरपालिका}[1] द्वारा पशुओं के शव के निस्तारण के लिए नियत किसी स्थान (यदि कोई हो) या {नगरपालिका क्षेत्र की सीमा}[2] के बाहर किसी स्थान पर, जो उक्त सीमा से एक मील के भीतर न हो, ले जायेगा;

(ख) {नगरपालिका}[1] को उसकी मृत्यु की सूचना देगा, जिस पर {नगरपालिका}[1] उक्त लोथ का निस्तारण करायेगा।

(2) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उपधारा (1) के अनुसार कार्य करने के लिए आबद्ध हो, यदि ऐसा कार्य करने में विफल रहता है, दोषसिद्ध ठहराए जाने पर जुर्माने से, जो दस रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 150 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय—तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन किसी पशु के शव के निस्तारण के लिए {नगरपालिका}[2] ऐसी फीस ले सकता है, जो {नगरपालिका}[2] ने विहित की हो और उक्त फीस को यदि उसका अग्रिम भुगतान न किया गया हो तो अध्याय 6 द्वारा उपबन्धित रीति से पशु के स्वामी या रखवाले से वसूल कर सकता है।

सार्वजनिक सड़क आदि पर गन्दे जल को बहाने के लिए शास्ति

276—— जब कभी किसी हौदी, सीवर या मलकूप का जल या किसी अन्य संतापकारी पदार्थ को, {नगरपालिका}[2] की लिखित अनुज्ञा के बिना या ऐसी अनुज्ञा में विहित किसी शर्त का उल्लंघन करके, किसी सार्वजनिक सड़क या स्थान पर, या किसी ऐसे सीवर या नाली में, जो उस प्रयोजन के लिए अलग से न हो, बहने दिया जाये या उसका निस्तारण करने दिया जाये या निकलने दिया जाये तो ऐसा स्वामी या अध्यासी, जिसकी भूमि या भवन से ऐसा जल या संतापकारी पदार्थ इस प्रकार बहता हो, उसका निस्तारण होता हो या निकाला जाता हो, दोष—सिद्ध ठहराए जाने पर जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो {दो सौ पचास रुपये}[1] तक हो सकेगा।

भवनों में प्रवेश करने और उन्हें रोगाणुमुक्त करने की शक्ति

277—— धारा 287 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, {नगरपालिका}[2] किसी भवन में प्रवेश कर सकेगी, उसका निरीक्षण कर सकेगी और नोटिस द्वारा निर्देश दे सकेगी कि उसे सम्पूर्णतया या उसके किसी भाग के भीतर या बाहर से स्वच्छता सम्बन्धी कारणों से चूने से पुताई कराई जाय, रोगाणुमुक्त कराया जाये या अन्यथा स्वच्छ कराया जाये :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की कोई बात इण्डियन फैक्ट्रीज ऐक्ट, 1911 द्वारा विनियमित किसी कारखाने पर लागू न होगी।

मानवीय निवास के लिए अनुपयुक्त भवन

278—— (1) यदि कोई भवन या भवन का कोई कमरा, {नगरपालिका}[2] की राय में, जल निस्तारण या संवातन या अन्य प्रकार से उचित साधनों के अभाव के कारण मानवीय निवास के लिए अनुपयुक्त हो तो {नगरपालिका}[2] नोटिस द्वारा, उसके स्वामी या अध्यासी को उक्त भवन या कमरे को मानवीय निवास के लिए उपयोग करने या इस प्रकार उपयोग किए जाने के लिए रहने देने से या तो पूर्णतया तब तक के लिए प्रतिषिद्ध कर सकेगी, जब तक कि वह नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उसमें ऐसे परिवर्तन न करवा दे, जैसा कि नोटिस में विहित किया जाये।

(2) ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे उपधारा (1) के अधीन नोटिस जारी किया गया हो, उसका अनुपालन न करने पर, {नगरपालिका}[2] के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह अग्रेत्तर नोटिस द्वारा उक्त भवन या कमरे को तोड़ देने की अपेक्षा करे।

हैजा, चेचक आदि की सूचना न देने के लिए शास्ति

279—— ऐसा व्यक्ति, जो ——

(क) चिकित्सा व्यवसायी हो और जिसे ऐसे व्यवसाय के दौरान यह संज्ञान हो जाये कि हैजा, प्लेग, चेचक या कोई ऐसा संक्रामक रोग, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अधिसूचित किया जाये, {नगरपालिका क्षेत्र}[3] के भीतर सार्वजनिक चिकित्सालय से भिन्न किसी निवास स्थान में फैला हुआ है; या

(ख) ऐसे निवास स्थान का स्वामी या अध्यासी हो और जिसे उसमें किसी संक्रामक रोग फैलने का संज्ञान हो जाये ऐसे चिकित्सा व्यवसायी द्वारा व्यतिक्रम करने पर; या

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 वर्ष 1964 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 150 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय—तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ग) ऐसे निवास–स्थान में किसी ऐसे संक्रामक रोग से ग्रस्त किसी व्यक्ति का भारसाधक हो या उसकी परिचर्या में लगा हो और जिसे उसमें ऐसा रोग फैलने का संज्ञान हो जाय, ऐसे स्वामी या अध्यासी द्वारा व्यतिक्रम करने पर संज्ञान हो जाने के चौबीस घंटे के भीतर उक्त रोग फैलाने के सम्बन्ध में ऐसे अधिकारी को, जिसे {नगरपालिका क्षेत्र}[3] इस निमित्त नियुक्त करे, सूचना देने में विफल रहता है या मिथ्या सूचना देता है, दोषसिद्ध ठहराए जाने पर जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो पचास रुपये तक हो सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके लिए प्रथमतः सूचना देना अपेक्षित न हो, किन्तु किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा व्यतिक्रम करने पर ही सूचना देना अपेक्षित हो, दण्डनीय नहीं होगा, यदि यह बताया जाये कि उसके पास यह मान लेने के लिए युक्तियुक्त कारण था कि सूचना दे दी गई है या सम्यक् रूप से दे दी जायेगी।

उन व्यक्तियों की परीक्षा की जाने की शक्ति, जिनके बारे में संक्रामक रोगों से ग्रस्त होने का संदेह हो

{279–क–– जब यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी भवन में धारा 279 के अधीन अधिसूच्य संक्रामक रोग घटना हुई है तो स्वास्थ्य अधिकारी या उसके द्वारा प्रतिनियुक्त अन्य सक्षम व्यक्ति, धारा 287 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उक्त भवन में प्रवेश करेगा और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों की परीक्षा करेगा, जिसके बारे में रोगग्रस्त होने का सन्देश हो और व्याधिकीय परीक्षा के लिए, यदि आवश्यक हो, सामग्री भी प्राप्त कर सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि आठ वर्ष से अधिक आयु की महिला की परीक्षा केवल महिला द्वारा ही की जायेगी।}[1]

रोगियों को चिकित्सालय ले जाना

280–– जब हैजा, प्लेग, चेचक से या अन्य संक्रामक रोग से, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचित करे, ग्रस्त या किसी सम्यक् रूप से अर्ह चिकित्सा व्यवसायी द्वारा ऐसे रोग से ग्रस्त प्रमाणित किया गया व्यक्ति ––

(क) बिना किसी उचित आवास या स्थान के हों; या

(ख) किसी सराय या अन्य सार्वजनिक आवास में रहता हो; या

(ग) किसी ऐसे कमरे या ऐसे गृह में रहता हो, जो न तो उसका हो और न वह उसके अध्यासन के लिए अन्यथा हकदार हो; या

(घ) किसी ऐसे कमरे या कोष्ठ बलि में रहता हो, जो एक से अधिक परिवार के अध्यासन में हो और उनमें से किसी अध्यासी को उसके वहां बने रहने पर आपत्ति हो तो {नगरपालिका}[2] ऐसे चिकित्सा अधिकारी की सलाह से, जो सहायक सर्जन के पद से नीचे का न हो, ऐसे रोगी को ऐसे चिकित्सालय में या किसी ऐसे स्थान पर हटा सकेगी, जहां उक्त रोग से ग्रस्त व्यक्तियों का चिकित्सीय उपचार किया जाता हो और कोई भी ऐसी कार्यवाही कर सकता है, जो इस प्रकार हटाए जाने के लिए आवश्यक हो।

कतिपय विकारों से ग्रस्त व्यक्तियों द्वारा कृत कार्यों के लिए शास्ति

281–– यदि किसी संक्राम, सांसर्गिक या घृणित विकार से ग्रस्त होने पर कोई भी व्यक्ति ––

(क) मानवीय उपभोग के लिए खाद्य पदार्थ या पेय या कोई औषधि या भेषज बिक्री के लिए बनाता है या प्रस्तुत करता है; या

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 वर्ष 1964 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 151 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) ऐसे पदार्थ औषधि या भेषज का अन्य व्यक्तियों द्वारा बिक्री के लिए रखे जाने पर जानबूझकर स्पर्श करता है; या

(ग) गन्दे कपड़ों को धोने या ले जाने के कारबार में कोई भाग लेता है तो दोषसिद्ध ठहराए जाने पर जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो पचास रुपये तक हो सकेगा।

स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खेती, खाद का उपयोग या सिंचाई करने का प्रतिषेध

282–– यदि स्वास्थ्य सेवा–निदेशक या सिविल सर्जन या स्वास्थ्य अधिकारी यह प्रमाणित करता है कि किसी प्रकार की फसलों की खेती या किसी किस्म की खाद का उपभोग या किसी विनिर्दिष्ट रीति से भूमि की सिचांई ––

(क) {नगरपालिका क्षेत्र}[2] की सीमा के भीतर किसी स्थान में करना हानिकर है या ऐसे कार्य करने में सहायक होता है, जो पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकर हो; या

(ख) {नगरपालिका क्षेत्र}[2] की सीमा के भीतर या बाहर किसी स्थान में करने से ऐसी {नगरपालिका क्षेत्र}[2] के जल सम्भरण के दूषित होने की संभावना हो या जल पीने के प्रयोजनों के लिए अन्यथा अनुपयुक्त होता हो,

तो {नगरपालिका क्षेत्र}[2] सार्वजनिक नोटिस द्वारा, ऐसी फसल की खेती करने, ऐसी खाद का उपयोग करने या सिंचाई की उस विधि का प्रयोग करने का, जिसे इस प्रकार हानिकर बताया गया हो, प्रतिषेध कर सकेगी या उनके सम्बन्ध में ऐसी शर्त अधिरोपित कर सकेगी, जिसमें ऐसी हानि या दूषण निवारण किया जा सके :

प्रतिबन्ध यह है कि जब किसी ऐसी भूमि में, जिसके सम्बन्ध में ऐसी नोटिस जारी किया जाय, प्रतिषेध किए जाने के दिनांक से ठीक पूर्ववर्ती लगातार पांच वर्ष तक कृषि के सामान्य क्रम में प्रतिसिद्ध कार्य किया गया हो तो उसमें हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों को ऐसी क्षति के लिए, जो उन्हें ऐसा प्रतिषेध करने से हुई हो, {नगरपालिका क्षेत्र}[2] निधि से प्रतिकर दिया जायेगा।

अनिष्टकारी वनस्पतियों को साफ करने के लिए स्वामियों से अपेक्षा करने की शक्ति

283–– {नगरपालिका}[1] नोटिस द्वारा, किसी भूमि के स्वामी या अध्यासी से किसी ऐसी वनस्पति या झाड़ झंखाड़ को, जो पड़ोस के स्वास्थ्य के लिए हानिकर या संतापकारी हो, साफ करने या हटाने की अपेक्षा कर सकेगी।

उत्खनन को भरने या उसके जल–निस्तारण की अपेक्षा करने की शक्ति

284–– (1) किसी नगरपालिका में, जिसके लिए धारा 298 के शीर्षक 'झ' के उपशीर्षक 'छ' के अधीन उपविधियां बनाई गई हो, {नगरपालिका क्षेत्र}[3] नोटिस द्वारा, जिस भूमि पर कोई उत्खनन, मलकूप, तालाब या गड्ढा उक्त उपविधियों का उल्लंघन करके या उन शर्तों के भंग करके, जिसके अधीन कोई ऐसी उत्खनन, मलकूप, तालाब या गड्ढ़ा बनाने की अनुज्ञा दी गई हो, बनाया गया हो, उस भूमि के स्वामी या अध्यासी से उक्त नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उस उत्खनन, मलकूप, तालाब या गड्ढ़े को भरने या उनका जल–निस्तारण करने की अपेक्षा कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस धारा के और इस धारा के प्रयोजनों के लिए बनाई गई उपविधियों के उपबन्धों को {नगरपालिका क्षेत्र}[2] के बाहर किसी ऐसे क्षेत्र में भी लागू कर सकेगी, जो {नगरपालिका क्षेत्र की सीमा}[4] से एक मील की दूरी के भीतर पड़ता हो।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 151 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 152 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 152 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

कब्रिस्तान और श्मशान भूमि के सम्बन्ध में शक्ति

285—— (1) {नगरपालिका}[1] सार्वजनिक नोटिस द्वारा, कब्रिस्तान या ऐसी शमशान भूमि के लिए, जिसके बारे में सिविल सर्जन या स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया जाये कि पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य संकटपूर्ण है या उसके संकटपूर्ण होने की सम्भावना है, नोटिस में विनिर्दिष्ट दिनांक से बन्द करने का आदेश दे सकेगी और ऐसी दशा में, यदि समुचित दूरी के भीतर कोई उपयुक्त कब्रिस्तान या श्मशान भूमि न हो तो इस प्रयोजनार्थ उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करेगी।

(2) ऐसे कब्रिस्तानों में निजी कब्रगाहों की ऐसी शर्त के अधीन रहते हुए, जिन्हें {नगरपालिका}[1] इस निमित्त अधिरोपित करे, उक्त नोटिस से अपवादित रखा जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी कब्रगाहों की सीमा पर्याप्त रूप से परिनिश्चित की गई हो और उनका उपयोग केवल उनके स्वामियों के परिवार के सदस्यों की अन्त्येष्टि के लिए ही किया जायेगा।

(3) कोई भी कब्रिस्तान या शमशान भूमि, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी {नगरपालिका}[1] की लिखित अनुज्ञा के बिना, बनाई या निर्मित नहीं की जायेगी।

(4) कोई भी व्यक्ति, {नगरपालिका}[1] की लिखित अनुज्ञा के सिवाय, किसी शव की मान्यता प्राप्त कब्रिस्तान या शमशान भूमि से भिन्न किसी अन्य स्थान पर अन्त्येष्टि या दाह—संस्कार नहीं करेगा और या अन्त्येष्टि या दाह संस्कार करायेगा।

(5) यदि कोई व्यक्ति, इस धारा के उपबन्धों के प्रतिकूल, किसी शव की अन्त्येष्टि या दाह—संस्कार करता है या अन्त्येष्टि या दाह—संस्कार कराता है या उसकी अनुमति देता है तो वह दोषसिद्ध ठहराए जो पर ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा।

स्नान और धुलाई करने के स्थान

286—— {नगरपालिका}[1] स्नान के प्रयोजन के लिए उपयुक्त स्थानों को पृथक कर सकता है और यह भी विनिर्दिष्ट कर सकेगी कि ऐसे स्थानों का उपयोग किस समय और महिलाओं या पुरूषों में से किसके द्वारा किया जायेगा और पशुओं या कपड़ों या अन्य वस्तुओं की धुलाई के लिए भी उपयुक्त स्थान पृथक कर सकेगी और सार्वजनिक नोटिस द्वारा किसी ऐसे सार्वजनिक स्थान में, जिसे इस प्रकार पृथक न किया गया हो या विनिर्दिष्ट किए गए समय या व्यक्तियों से भिन्न समय पर या भिन्न व्यक्तियों द्वारा स्नान करने या पशुओं या कपड़ों या अन्य वस्तुओं की धुलाई का प्रतिषेध कर सकेगी और इसी प्रकार किसी ऐसे कार्य का भी प्रतिषेध कर सकेगी, जिससे सार्वजनिक स्थान या नदियों या पानी गन्दा हो या उपयोग में न लाया जा सके या जिससे ऐसे स्थानों का विधिपूर्वक उपयोग करने वाले व्यक्तियों को असुविधा या क्लेश उत्पन्न हो या उत्पन्न होने की संभावना हो।

निरीक्षण, प्रवेश, तलाशी आदि

सामान्य निरीक्षण

287—— (1) अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी और यदि इस निमित्त संकल्प द्वारा प्राधिकृत किया गया हो तो {नगरपालिका}[1] का कोई अन्य सदस्य, अधिकारी या सेवक, किसी भवन या भूमि में सहायकों का कर्मकारों के साथ या उसके बिना, निरीक्षण या सर्वेक्षण करने या कोई ऐसा कार्य निष्पादित करने के उद्देश्य से प्रवेश कर सकेगा, जिसे करने या निष्पादित करने के लिए {नगरपालिका}[1] को इस अधिनियम या नियमों या उपविधियों द्वारा प्राधिकृत किया गया हो या जिसे करना या निष्पादित करना {नगरपालिका}[1] के लिए इस अधिनियम अथवा नियमों या उपविधियों के किन्हीं भी उपबन्धों के प्रयोजनार्थ या अनुसरण में आवश्यक हो।

(2) प्रतिबन्ध यह है कि —

(क) इस अधिनियम या नियमों या उपविधियों में अन्यथा स्पष्टतया किए गए उपबन्ध के सिवाय, सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच ऐसा प्रवेश नहीं किया जायेगा; और

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय—तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) इस अधिनियम या अधिनियमों या उपविधियों में अन्यथा स्पष्टतया किए गए उपबन्ध के सिवाय किसी ऐसे भवन में, जिसका उपयोग मानव निवास के रूप में किया जाता हो, उसके अध्यासी की सहमति के सिवाय, उक्त अध्यासी को इस प्रवेश करने के आशय का कम से कम चार घंटे पूर्व लिखित नोटिस दिए बिना प्रवेश नहीं किया जायेगा; और

(ग) ऐसे प्रत्येक अवसर पर भी जब किसी परिसर में नोटिस दिए बिना अन्यथा प्रवेश किया जाये, पर्याप्त नोटिस दिया जायेगा, जिससे कि महिलाओं के लिए अलग किए गए किसी कमरे की निवासी महिलाओं को परिसर के किसी ऐसे भाग में हटाया जा सके, जहां उसकी एकान्तता में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचे; और

(घ) उस परिसर के, जहां प्रवेश किया जाये, अध्यासियों की सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं का सम्यक ध्यान रखा जायेगा।

निवारक निरीक्षण

288—— जहां यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी भवन या किसी भूमि में किसी {नगरपालिका}[1] जल—कल, जल—निस्सारण सम्बन्धी निर्माण कार्य या अन्य नगरपालिका उपक्रम के सम्बन्ध में कोई निर्माण—कार्य इस अधिनियम के नियमों या उपविधियों के उपबन्धों का उल्लंघन करके निष्पादित किया गया है, वहां {अध्यक्ष}[3] का यदि {अध्यक्ष}[3] द्वारा इस प्रकार निदेश दिया जाये तो अधिशासी अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी, किसी भी समय और बिना नोटिस के उक्त भवन या भूमि का निरीक्षण कर सकेगा।

प्रवेश करने की शक्ति

289—— धारा 287 या 288 के उपबन्धों के अधीन निरीक्षण करने या तलाशी लेने के प्रयोजन से प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिए किसी दरवाजे, फाटक या अन्य अवरोध की खोलना या खुलवाना विधि पूर्ण होगा——

(क) यदि वह यह समझता हो कि ऐसे प्रवेश, निरीक्षण या तलाशी के प्रयोजन के लिए उसे खोलना आवश्यक है; और

(ख) यदि स्वामी या अध्यासी अनुपस्थित हो, तो या उपस्थित होते हुए भी, ऐसे दरवाजे फाटक या अवरोध को खोलने से इंकार करे।

कतिपय निर्माण कार्यों को अपने अभिकरण द्वारा निष्पादित कराने की उपेक्षा करने की {नगरपालिका}[1] की शक्ति

290—— (1) {नगरपालिका}[1] उपविधि द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगी कि किसी जलकल या धारा 192, 267 और 268 में निर्दिष्ट प्रकार के निर्माण कार्य का निष्पादन उसके आदेशों के अधीन {नगरपालिका}[1] या अन्य अभिकरण द्वारा किया जाये।

(2) इस प्रकार निष्पादित किसी निर्माण कार्य के व्यय का भुगतान उस व्यक्ति द्वारा किया जायेगा, जिसके द्वारा उक्त निर्माण कार्य अन्यथा निष्पादित किया जाता, तब तक कि {नगरपालिका}[1] किसी सामान्य या विशेष आदेश या संकल्प द्वारा नगरपालिका—निधि के प्रभार से ऐसे निर्माण कार्य का निष्पादन करने की स्वीकृति न दे देगी, जैसा कि उसे देने के लिए एतद्द्वारा सशक्त किया जाये।

(3) किसी जल—कल के लिए उसके या किसी निजी भवन या भूमि के जल निस्तारण के सम्बन्ध में किसी नल, फिटिंग, पात्र या अन्य साधित्र का यदि {नगरपालिका}[1] के खर्चे से सम्भरण, निर्माण या परिनिर्माण किया जाये तो वह नगरपालिका की सम्पत्ति समझी जायेगी, जब तक कि {नगरपालिका}[1] ने उसमें अपने हित का ऐसे भवन या भूमि के स्वामी को अन्तरण न कर दिया हो।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय—तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

किराया और प्रभार

भूमि के किराए की वसूली

291—— (1) जहां {नगरपालिका}[2] ने निहित या उसके प्रबन्ध में सौपी गई भूमि के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से किराए के मद्दे कोई रकम {नगरपालिका}[2] को देय हो, वहां {नगरपालिका}[2] कलेक्टर को ऐसे किराए की किसी बकाया को वसूल करने के लिए आवेदन कर सकेगी मानों वह भू—राजस्व की बकाया रही हो।

(2) कलैक्टर, यह समाधान हो जाने पर कि रकम देय है, उसे भू—राजस्व की बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करेगा।

अन्य स्थावर सम्पत्ति के किराए की वसूली

292—— {नगरपालिका}[2] में निहित या उसके प्रबन्ध में सौंपी गई भूमि से भिन्न अन्य स्थान सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से किराए के मद्दे {नगरपालिका}[2] को कोई बकाया अध्याय 6 में निहित रीति से वसूल की जायेगी।

{नगरपालिका}[2] सम्पत्ति का पट्टे के अधीन उपयोग किए जाने में अन्यथा उपयोग करने की फीस

293—— (1) {नगरपालिका}[2] में निहित या उसके प्रबन्ध में सौपी गई किसी स्थावर सम्पत्ति का, जिसमें सार्वजनिक सड़क या ऐसा स्थान सम्मिलित है, जिसका उपयोग या अध्यासन करने की उसने अनुमति दी हो, चाहे वह अनुमति उस पर किसी प्रक्षेपण की हो या अन्य प्रकार की, उपयोग या अध्यासन करने के लिए (किसी पट्टे के अधीन उपयोग या अध्यासन से अन्यथा) {नगरपालिका}[2] किसी उपविधि द्वारा या सार्वजनिक नीलाम द्वारा या किसी करार द्वारा निश्चित फीस ले सकेगी।

(2) ऐसी फीस या तो धारा 294 के अधीन स्वीकृति, लाइसेंस या अनुज्ञा के लिए भारित फीस के साथ उद्ग्रहीत की जायेगी या अध्याय 6 में उपबन्धित रीति से वसूल की जायेगी।

फीस अधिरोपित करने की शक्ति

{293—क—— {नगरपालिका}[2] राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, किसी ऐसे स्थान का, जहां जनता को प्रवेश करने की अनुमति हो और जहां पर {नगरपालिका}[2] जनता के लिए स्वच्छता और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था कर सकेगी, उपयोग करने के लिए फीस अधिरोपित और उद्ग्रहीत कर सकेगी।}[1]

लाइसेंस की फीस आदि

294—— {नगरपालिका}[2] किसी लाइसेंस, स्वीकृति या अनुज्ञा के लिए, जिसे वह इस अधिनियम के द्वारा या अधीन देने का हकदार हो या देने की अपेक्षा की जाती हो, कोई फीस ले सकेगी, जो उपविधि द्वारा निश्चित की जायेगी।

{नगरपालिका}[2] द्वारा नियोजित व्यक्तियों को बाधा पहुंचाना

{नगरपालिका}[2] द्वारा नियोजित व्यक्तियों को बाधा पहुंचाने के लिए शस्ति

295—— जो कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को, जो इस अधिनियम के अधीन {नगरपालिका}[2] द्वारा या उसके साथ किसी संविदा के अधीन नियोजित हो, उनके कर्तव्यों का पालन करने में या उसकी संविदा को पूरा करने में बाधा पहुंचाता है या उससे छेड—छाड़ करता है या इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत निर्माण कार्य के निष्पादन के लिए आवश्यक किसी सतह या दिशा को उपदर्शित करने के प्रयोजनार्थ लगाए गए किसी चिन्ह हो हटाता है, वह दोषसिद्ध ठहराए जाने पर जुर्माने से, जो {एक हजार रुपये तक हो सकेगा या कारावास से, जो छः मास की अवधि के लिए हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।}[1]

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 वर्ष 1964 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय—तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

अध्याय 9
नियम, विनियम और उपविधि

296—— (1) राज्य सरकार धारा 95, 127, 153 और 235 में वर्णित विषयों के सम्बन्ध में इस अधिनियम से सुसंगत नियम बना सकेगी। नियम बनाने को राज्य सरकार की शक्ति और बाध्यता

(2) राज्य सरकार निम्नलिखित के सम्बन्ध में इस अधिनियम से सुसंगत नियम बना सकेगी ——

(क) किसी ऐसे विषय की व्यवस्था करना, जिसके लिए राज्य सरकार को इस अधिनियम द्वारा या इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय पर प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा उपबन्ध बनाने की शक्ति स्पष्ट रूप से या विवक्षित रूप से प्रदत्त की गई हो;

(ख) नगरपालिका के सम्बन्ध में इस अधिनियम अथवा किसी अन्य अधिनियमिति के उपबन्धों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित किसी विषय में सामान्यतया {नगरपालिका}[1] या किसी सरकारी अधिकारी का मार्ग दर्शन करना;

(ग) {नगरपालिका क्षेत्र}[2] के लिए मास्टर प्लान तैयार करने और उसके निष्पादन के सम्बन्ध में {नगरपालिका क्षेत्र}[2] को परामर्श देने के लिए तदर्थ समिति नियुक्त करना; और

(घ) सार्वजनिक सड़कों, निवास क्षेत्रों, आवासिक और अनावसिक क्षेत्रों के अभिन्यास के लिए व्यवस्था करना।

297—— (1) {नगरपालिका}[1] विशेष संकल्प द्वारा निम्नलिखित सभी या किसी भी विषय के सम्बन्ध में इस अधिनियम या राज्य सरकार द्वारा धारा 296 के अधीन बनाए गए किसी नियम या उपधारा (2) के अधीन बनाए गए विनियम से सुसंगत विनियम बना सकेगी — प्रक्रिया आदि के लिए विनियम बनाने की शक्ति

(क) {नगरपालिका}[1] की बैठकों का समय और स्थान;

(ख) बैठक बुलाने और उसको नोटिस देने की रीति;

(ग) बैठक की कार्यवाही (जिसमें सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछा जाना भी सम्मिलित है) का संचालन और बैठक स्थगित करना;

(घ) किसी भी प्रयोजन के लिए ऐसी समितियां बनाना, जो केवल परामर्श समिति से भिन्न हो और ऐसी समितियों के गठन और प्रक्रिया से सम्बद्ध समस्त विषयों का अवधारण;

(ङ) अनुसूची दो के स्तम्भ तीन में प्रदर्शित किसी प्रविष्टि का परिवर्जन;

(च) धारा 77 की उपधारा (2) के निर्देश में कर्मचारी वर्ग के विषय में प्राप्त शक्ति के प्रति—निर्देश में धारा 74, 75 या 76 में विनिर्दिष्ट अधिकतम या न्यूनतम मासिक वेतन में वृद्धि करना;

(छ) निम्नलिखित को शक्तियों, कर्तव्यों या कृत्यों का प्रत्यायोजन—

(एक) {नगरपालिका}[1] के अध्यक्ष;

(दो) खण्ड (घ) के अधीन गठित समिति;

(तीन) ऐसी समिति के सभापति;

(चार) अधिशासी अधिकारी; या

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 153 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय—तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

(पांच) {नगरपालिका}[1] के किसी अन्य सेवक;

(छः) सरकार की सेवा में, कोई ऐसा व्यक्ति, जो सिविल सर्जन, चिकित्सालय या औषधालय का प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, विद्यालय उपनिरीक्षक या विद्यालय अवर उप निरीक्षक के रूप में नियोजित हो;

(ज) अनुपस्थित व्यक्ति या {नगरपालिका}[1] द्वारा नियोजित सेवकों को अन्य भत्ते;

(झ) {नगरपालिका}[1] के ऐसे सेवक द्वारा जिससे प्रतिभूति की अपेक्षा करना समीचीन समझा जाये, प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिभूति की धनराशि और उसका प्रभार;

(ञ) {नगरपालिका}[1] के सेवकों को छुट्टी स्वीकृत करना और ऐसे व्यक्तियों को, जो पाई गई हो, जो उनके छुट्टी पर रहने की अवधि में उनके निमित्त कार्य करने के लिए नियुक्त किए जायें, दिया जाने वाला पारिश्रमिक;

(ट) सेवा की शर्तें, जिसमें {नगरपालिका}[1] के समस्त सेवकों की सेवा की अवधि सम्मिलित है और ऐसी शर्तें जिनके अधीन ऐसे सेवक या उनमें से कोई सेवक के सेवानिवृत्त होने पर या अपने कर्तव्य पालन करते हुए निर्योग्य हो जाने पर उपदान या अनुकम्पा भत्ता प्राप्त करेगा और ऐसे उपदान और अनुकम्पा भत्ता की धनराशि और ऐसी शर्तें, जिनके अधीन कोई उपदान या अनुकम्पा भत्ता किसी सेवक के, जिसकी मृत्यु अपना कर्तव्य पालन करते हुए हुई हो, उत्तरजीवी सम्बन्धी को दिया जा सकेगा;

(ठ) उस सेवक द्वारा पेन्शन या भविष्य निधि, में जो {नगरपालिका}[1] द्वारा या {नगरपालिका}[1] के अनुमोदन से स्थापित की गई हो, ऐसी दरों और ऐसी शर्तों के अधीन, जो ऐसे विनियम में विहित की जाये, अभिदाय का भुगतान करना;

(ड) ऐसी शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए {नगरपालिका}[1] को देय किसी रकम को वसूल न हो सकने या बट्टे खाते में डाला जा सकता है और ऐसी शर्तें जिनके अधीन रहते हुए करस्थम के लिए प्रभार्य सम्पूर्ण फीस या उसके किसी भाग की छूट दी जा सकेगी;

(ढ) ऐसे सभी विषय, जो खण्ड (ङ) से खण्ड (ट) तक में दिए गए विषयों के समरूप हो और जिनके लिए इस उपधारा में अन्यथा उपबन्ध नहीं किया गया है; और

(ण) ऐसे सभी विषय, जो खण्ड (क) से खण्ड (घ) तक में दिए गए विषयों के समरूप हो और जिनके लिए इस उपधारा में अन्यथा उपबन्ध नहीं किया गया है।

(2) प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, यदि वह उचित समझे, उपधारा (1) के खण्ड (घ) और खण्ड (ज) से खण्ड (ढ) तक में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय के सम्बन्ध में इस अधिनियम से सुसंगत विनियम बना सकेगी और इस प्रकार बनाए गए कोई भी विनियम उक्त उपधारा के अधीन {नगरपालिका}[1] द्वारा उसी विषय के सम्बन्ध में या उससे असंगत बनाए गए किसी विनियम को विखंडित करने के लिए प्रभावी होगा।

नगरपालिका की उपविधि बनाने की शक्ति

298–– (1) {नगरपालिका}[1] विशेष संकल्प द्वारा और जहां राज्य सरकार द्वारा अपेक्षा की जाय, {नगरपालिका क्षेत्र}[2] के निवासियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुविधा की अभिवृद्धि या उनके अनुरक्षण के प्रयोजनार्थ और इस अधिनियम के अधीन {नगरपालिका क्षेत्र}[2] प्रशासन को अग्रसर करने के लिए इस अधिनियम और किसी नियम से सुसंगत ऐसी उपविधि बनायेगा, जो सम्पूर्ण {नगरपालिका क्षेत्र}[2] या उसके किसी भाग पर लागू होंगे।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 154 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) विशेषतः और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई {नगरपालिका}[2] जहां कहीं भी स्थित हो, उक्त शक्ति का प्रयोग करके नीचे सूची I में वर्णित कोई उपविधि बना सकेगी और कोई {नगरपालिका}[2] जो पूर्णतः या अंशतः किसी पर्वतीय भू–भाग में स्थित हो, उक्त शक्ति का प्रयोग करके नीचे सूची II में वर्णित कोई उपविधि भी बना सकेगी।

सूची – I

किसी {नगरपालिका}[3] के लिए उपविधियां

(क) भवन

(क) धारा 178 की उपधारा (2) के प्रति निर्देश में, समस्त भवनों को नोटिस की आवश्यकता का विस्तार करना;

(ख) धारा 178 की उपधारा (3) के खण्ड (घ) के प्रति निर्देश में, किसी विशिष्ट प्रकार के परिवर्तन को 'सारवान परिवर्तन' घोषित करना;

(ग) ऐसे सूचना और ऐसे रेखांक अवधारित करना, जो धारा 179 के अधीन {नगरपालिका}[3] को प्रस्तुत किए जायेंगे;

(घ) यह विहित करना कि रेखांक और विनिर्देश {नगरपालिका}[3] से या {नगरपालिका}[3] द्वारा विहित किसी अभिकरण से ऐसे मापमान के अनुसार, जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाय, फीस का भुगतान करने पर प्राप्त किए जायेंगे;

(ङ) धारा 181 के प्रति निर्देश में ऐसी अवधि निर्धारित करना जब तक के लिए स्वीकृति प्रवृत्त रहेगा;

(च) किसी विहित क्षेत्र या क्षेत्रों में जो भवन बनाए जायं या न बनाए जायं और किसी प्रयोजन के लिए बनाए जायं या न बनाए जायं, उन भवनों का प्रकार या वर्ण विहित करना;

(छ) ऐसी परिस्थितियों विहित करना, जिनमें कोई मस्जिद, गिरजाघर या अन्य पवित्र भव निर्मित, पुनर्निर्मित या परिवर्तित किया जा सकेगा या नहीं किया जा सकेगा;

(ज) भवनों या किसी वर्ग के भवनों के निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्तन के प्रति निर्देश में निम्नलिखित सभी या कोई भी विषय विहित करना :–

(एक) बाहरी तथा बीच की दीवालों, छतों और फर्श के लिए प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री और उनके निर्माण की रीति;

(दो) अंगीठियों, चिमनियों, नालियों, शौचालयों, संडासों, मूत्रालयों और मलकूप की स्थिति, उनके लिए सामग्री और उनके निर्माण की रीति;

(तीन) ऐसी सबसे ऊपर मंजिल के, जिसमें मनुष्य रहेंगे या भोजन बनाने का कार्य किया जाएगा, ऊपर की छत की ऊंचाई और उसकी ढलान;

(चार) संवातन और ऐसा स्थान, जो वायु के निर्बाध संचार को सुनिश्चित करने, संमार्जन कार्य को सुनकर बनाने और आग लगने की रोकथाम के लिए भवन के चारों ओर छोड़ा जायेगा;

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 49 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 49 (ख)(एक) द्वारा प्रतिस्थापित।

(पांच) नींव का तल और उसकी चौड़ाई, सबसे नीचे की मंजिल का तल और संचना की स्थिरता;

(छः) मंजिलों की, जो कि ऐसे भवन में हो सकती है, संख्या और ऊंचाई;

(सात) आग लगने पर भवन के बाहर निकलने के लिए किए जाने वाले साधन;

(आठ) कोई अन्य विषय, जिससे भवन के सयातन या स्वच्छता पर प्रभाव पड़ता हो; और

(नौ) ऐसी शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए किसी कुंए के निर्माण या परिवर्तन के लिए स्वीकृत दी जा सकती है या स्वीकृति देने से इस दृष्टि से इंकार किया जा सकता है कि जल प्रदूषण को और कुएं का उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति को खतरे से बचाया जा सके;

(झ) {नगरपालिका}[2] की सीमा के भीतर किसी स्थित किसी भूमि पर किसी घेरा, दीवाल, बाड़ा, तम्बू सायवान या अन्य संरचना के निर्माण का चाहे वह किसी भी किस्त या प्रकार का हो, ऐसी रीति से विनियमन करना, जिसका इस अधिनियम में विशिष्ट रूप से उपबन्ध न किया गया हो।

(ख) नालियां, संडास, मलकूप आदि

(क) नालियों, संघातन शाफ्ट और पाईप, नाबदान, संडास, शौचालय, मूत्रालय, मलकूप और अन्य जल–निस्तारण निर्माण कार्यों के निर्माण, परिवर्तन अनुरक्षण, परिरक्षण, उनकी सफाई और मरम्मत का विनियम ऐसी रीति से करना, जिसका इस अधिनियम में विशिष्ट रूप से प्रबन्ध किया गया हो;

(ख) गन्दी पानी, मलमूत्र, प्रदूषित जल तथा अन्य संतापकारी या बाधक पदार्थों को नालियों में गिरने या जमा करने का विनियमन या प्रतिषेध;

(ग) धारा 192, 267 और 268 के अधीन जिन निर्माण कार्यों का निर्माण करने की स्वामियों या अध्यासियों से अपेक्षा की जाये, उन निर्माण कार्यों के आकार और प्रकार को और ऐसे निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए, जिस अभिकरण को नियोजन किया जायेगा या किया जा सकेगा, उस अभिकरण को विहित करना।

(ग) अग्नि–शमन

(क) ऐसा अधिकारी, जिसको और ऐसा स्थान, जहां आग लगने की रिपोर्ट की जायेगी, विहित करना; और

(ख) आग लगने के अवसर पर जनता द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और पूर्वोपायों के लिए आग लगने से सम्बन्धित किसी ऐसे अन्य बात के लिए, जिसके सम्बन्ध में उपबन्ध करना आवश्यक हो, सामान्यतया उपबन्ध करना।

(घ) संमार्जन

(क) समय और ऐसा स्थान विहित करना, जहां गलीज, कूडा–करकट या अन्य संतापकारी पदार्थ के पात्र {नगरपालिका}[2] संमार्जन अभिकरण द्वारा उनकी अन्तर्वस्तुओं को हटाने के लिए तैयार रखे जायेंगे;

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 49 (ख)(एक) द्वारा प्रतिस्थापित।

(कक) रूढ़िगत सफाईकारों द्वारा गृह संमार्जन के कार्य को और उनके लाइसेंस देने की व्यवस्था और ऐसे किसी लाइसेंस को शर्तों को विनियमित करना; और

(ख) गृह संमार्जन से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के लिए उपबन्ध करना।

(ङ) सड़कें

(क) ऐसी सूचना और रेखांक अवधारित करना, जो धारा 203 के अधीन नगरपालिका को प्रस्तुत किए जायेंगे;

(ख) फेरी लगाने वाले विक्रेताओं या किसी भी व्यक्ति द्वारा वस्तुओं की बिक्री के लिए या कोई आजीविका करने के लिए या कोई (बूथ) या स्टाल लगाने के लिए किसी या सभी सार्वजनिक सड़कों या स्थानों के उपयोग या अध्यासन की अनुमति देना, उसका प्रतिषेध या विनियमन करना और ऐसे उपयोग या अध्यासन के लिए फीस के उद्ग्रहण की व्यवस्था करना;

(ग) ऐसी शर्तों को विनियमित करना, जिनके आधार पर धारा 209 के अधीन सड़कों और नालियों के ऊपर प्रक्षेपण के लिए और धारा 265 के अधीन सड़कों के अस्थाई अध्यासन के लिए अनुमति दी जा सकती है।

(च) बाजार, वधशाला, भोजन की बिक्री इत्यादि

(क) नगरपालिका द्वारा दिए गए लाइसेंस के व्यतिक्रम में या इस प्रकार दिए गए लाइसेंस की शर्तों से भिन्न प्रकार से किसी स्थान का वधशाला के रूप में या मानव भोजन के लिए आशयित पशु, अथवा मांस या मछली की बिक्री के लिए किसी बाजार या दुकान के रूप में या फल या सब्जियों की बिक्री के लिए किसी बाजार के रूप में उपयोग करने का धारा 241 के उपबन्ध के अधीन रहते हुए, प्रतिषेध करना;

(ख) ऐसी शर्तों को, जिनके अधीन और ऐसी परिस्थितियों को, जिनमें और ऐसे क्षेत्र या स्थलों को विहित करना, जिनके सम्बन्ध में ऐसे उपयोग के लिए लाइसेंस स्वीकृत, अस्वीकृत या निलम्बित किए जा सकते हैं या वापस लिए जा सकते हैं;

(ग) पूर्वोक्त रूप में उपयोग में लाए गए किसी स्थान का निरीक्षण करने और उसमें कारबार के संचालन के विनियमन की व्यवस्था करना, जिससे उसमें स्वच्छता सुनिश्चित हो सके या किसी ऐसे हानिकर, संतापकारी या खतरनाक प्रभाव को, जो उससे उत्पन्न हो या जिसके उत्पन्न होने की संभावना हो, कम से कम किया जा सके;

(घ) बाजारों और वधशालाओं अश्वशालाओं, पड़ाव, भूमि, सराय, आटे की चक्कियों नानबाई के तन्दूर, (बेकरी) खाद्य या पेय के विनिर्दिष्ट पदार्थों का निर्माण तैयार करने या बिक्री के या बिक्री या किराए के लिए पशुओं को या ऐसे पशुओं को, जिनका उत्पाद बेच दिया जाता है, रखने या प्रदर्शित करने के स्थानों को और सार्वजनिक मनोरंजन या समागम के स्थानों को स्थापित करने के लिए और सिवाय उस दशा के, जहां तक उपशीर्षक (ग) के अधीन उपविधि द्वारा उपबन्ध किया जाये, उनके विनियम और निरीक्षण के लिए और उनमें समुचित और स्वच्छता से कारबार का संचालन करने के लिए व्यवस्था करना;

{(घघ) ऐसी शर्तों को, जिनके अधीन रहते हुए और ऐसी परिस्थितियों को, जिनमें और ऐसे क्षेत्रों या स्थलों को विहित करना, जिनके सम्बन्ध में, उपशीर्षक (घ) के प्रयोजनों के लिए लाइसेंस स्वीकृत, अस्वीकृत, निलम्बित किए जा सकते हैं या वापस लिए जा सकते हैं और ऐसे लाइसेंसों के लिए देय फीस निर्धारित करना और नगरपालिका द्वारा दिए गए लाइसेंस के व्यतिक्रम में या इस प्रकार दिए गए लाइसेंस की शर्तों से भिन्न प्रकार से, उपशीर्षक (घ) में उल्लिखित कारबार के स्थानों को स्थगित करने का प्रतिषेध करना;}[1]

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 7 वर्ष 1949 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ङ) ऐसी {नगरपालिका क्षेत्र}[3] में, जहां {नगरपालिका}[3] द्वारा युक्तियुक्त संख्या में वधशालाओं की व्यवस्था की गई हो या उनके लिए लाइसेंस दिए गए हों, {नगरपालिका क्षेत्र की सीमा}[1] के भीतर उस वधशाला या स्थान में, जिसका इस अधिनियम के अधीन अनुरक्षण न किया जाता हो या जिसके लिए लाइसेंस न दिया गया हो, वध किए गए किसी पशु, भेड़, बकरे या सुअर का मांस (सुखाए गए परिरक्षित मांस को छोड़कर) बिक्री के लिए लाने को नियंत्रितक और विनियमित करना।

(छ) संतापकारी व्यापार

(क) सिवाय उस दशा के, जहां इण्डियन पैट्रोलियम ऐक्ट, 1899 अधिनियम संख्या 8 सन् 1899 में या तद्धीन बनाया गया नियमावली में कोई बात दी गई हो और जहां तक वह उसमें दी हुई किसी बात से असंगत हो, {नगरपालिका}[3] द्वारा स्वीकृत लाइसेंस के व्यतिक्रम में या इस प्रकार स्वीकृत लाइसेंस की शर्तों से भिन्न प्रकार से किसी स्थान का निम्नलिखित किसी फैक्ट्री या कारबार के अन्य स्थान के रूप में उपयोग करने का प्रतिषेध करना ––

(एक) छीछड़ों रक्त, हड्डियों, अंतड़ियों या चीथड़ों को उबालना या संग्रह करना;

(दो) खाल, सींग या चमड़े का संग्रह;

(तीन) चर्मशोधन;

(चार) चमड़े या चमड़े के सामान का निर्माण;

(पांच) रंगाई

(छः) चर्बी या गंधक गलाना;

(सात) ईट, खपरैल, मिट्टी के बर्तन या चूना गलाना या पकाना;

(आठ) साबुन बनाना;

(नौ) तेल उबालना;

(दस) सूखी घास, भूसा, छप्पर छाने की घास, लकड़ी, कोयला या अन्य खतरनाक ज्वलनशील सामग्री संग्रह करना;

(ग्यारह) पैट्रोलियम या कोई ज्वलनशील तेल या स्प्रिट संग्रह करना;

(बारह) रूई या रूई का कचरा संग्रह करना या दबाना;

(तेरह) कोई ऐसा अन्य प्रयोजन, यदि इस प्रकार उपयोग करने से लोक अपदूषण उत्पन्न होने की सम्भावना हो या आग लगने का जोखिम हो;

(ख) ऐसी परिस्थितियों को, जिनमें और ऐसे क्षेत्रों या स्थलों को, जिनके सम्बन्ध में लाइसेंस स्वीकृत, अस्वीकृत या निलम्बित किए जा सकते हैं या वापस लिए जा सकते हैं, विहित करना (किन्तु इस प्रकार नहीं कि उससे धारा 245 द्वारा {नगरपालिका}[2] को प्रदत्त किसी शक्ति का अल्पीकरण (ख) हो जाये) ; और

(ग) पूर्वोक्त रूप से उपयोग में लाए गए किसी स्थान में कारबार के संचालक के निरीक्षण और विनियमन की व्यवस्था करना, जिससे उसमें स्वच्छता प्रतीक हो सके या किसी ऐसे हानिकर संतापकारी या खतरनाक प्रभाव को, जो उससे उत्पन्न होने की सम्भावना हो, कम से कम किया जा सके।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 154(ग) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 49 (ख)(एक) द्वारा प्रतिस्थापित।

(ज) लोक सुरक्षा और सुविधा

(क) {नगरपालिका}[3] के भीतर उपयोग में लाए जाने वाले मानक बाट और माप विहित करना और उनके निरीक्षण की व्यवस्था करना;

(ख) सड़कों में किसी प्रकार के यातायात के विनियमन और प्रतिषेध की व्यवस्था करना, जहां ऐसा विनियमन या प्रतिषेध करना {नगरपालिका}[3] को आवश्यक प्रतीत हो;

(ग) {नगरपालिका}[3] की सीमा के भीत किराए के लिए रखी गई या किराए पर चलने वाली गाड़ियों (मोटरगाड़ियों से भिन्न) नावों या पशुओं के स्वामियों या चालकों पर या ऐसे व्यक्तियों पर, जो बोझा ढोने के प्रयोजनार्थ स्वयं मजदूरी करें, लाइसेंस लेने की बाध्यता अधिरोपित करना और ऐसे लाइसेंसों के लिए देय फीस और शर्तें निर्धारित करना, जिन पर ऐसे लाइसेंस स्वीकृत किए जायेंगे और प्रतिसंहृत किए जा सकेंगे;

(घ) ऐसी दरों का, जिनकी किसी वाहन, ठेला नाव या अन्य सवारी के किराए के लिए या बोझा ढोने के लिए किराए पर लिए गए पशुओं के लिए या बोझा ढोने के लिए रखे गए व्यक्तियों की सेवाओं के लिए मांग की जाये और ऐसे बोझ का परिसीमन करना, जो इन सवारियों पशुओं या व्यक्तियों द्वारा ढोया जाये, जब उन्हें {नगरपालिका}[3] की सीमा के भीतर चौबीस घंटे से अनधिक की अवधि के लिए या ऐसी सेवा के लिए, जिसका सम्पादन साधारणतया चौबीस घंटे के भीतर हो जाये, किराए पर रखा जाये;

(ङ) किसी विनिर्दिष्ट सड़क या क्षेत्र में लोक वेश्याओं के रहने और वेश्यागृह चलाने या किसी गृह या भवन को लोक वैश्याओं को या वैश्यागृह के लिए किराए पर देने या अन्य प्रकार से उसका निस्तारण करने का प्रतिषेध करना;

(च) बिल और विज्ञापन चिपकाए जाने का विनियमन;

(छ) ऐसे स्थान, जहां नावें बांधी जा सकेंगी, उन पर माल लादा या उनसे माल उतारा जा सकेगा, निश्चित करना और उनके उपयोग को विनियमित करना और ऐसे स्थानों के सिवाय, जो नगरपालिका द्वारा विहित किए जायें, अन्य स्थान पर नाव बांधने, उन पर माल लादने और उनसे माल उतारने का प्रतिषेध करना;

(ज) {नगरपालिका}[3] की सीमा के भीतर छुट्टा स्वामीहीन पशुओं के अधिग्रहण और अधिहरण की व्यवस्था करना;

(झ) {पशुओं के रजिस्ट्रीकरण की व्यवस्था करना;}[1]

(ञ) ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए वार्षिक फीस अधिरोपित करने की व्यवस्था करना;

(ट) ये अपेक्षा करना कि प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत {पशु}[1] पट्टा पहनेगा, जिनमें {नगरपालिका}[4] द्वारा दिया गया प्रतीक लगा रहेगा;

(ठ) यह व्यवस्था करना कि {कोई पशु}[1] जब तक कि वह रजिस्ट्रीकृत न हो और ऐसा प्रतीक न पहने हो, यदि किसी लोक स्थान में पाया जाये तो उसे नष्ट कर दिया जायेगा या उसका अन्यथा निस्तारण कर दिया जायेगा;

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 वर्ष 1964 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 49 (ख) (एक) द्वारा प्रतिस्थापित।

(ड) लोक सुरक्षा या सुविधा की अभिवृद्धि की दृष्टि से किसी ऐसे कार्य का प्रतिषेध या विनियमन करना, जिसमें लोक न्यूसेन्स उत्पन्न होने की सम्भावना हो और जिसके प्रतिषेध या विनियमन के लिए इस शीर्षक के अधीन कोई उपबन्ध न किया गया हो;

(ढ) पशुओं को परिरूद्ध करने, हटाने या नष्ट करने की व्यवस्था करना;

{(ण) मवेशियों को पालने और बांध कर रखने को विनियमित करना।}[1]

(झ) स्वच्छता और रोग निवारण

(क) सार्वजनिक स्वस्थ्य के लिए खतरे के निवारण के प्रयोजनार्थ घोड़ों, ऊंटों, मवेशियों, सुअरों, गधों, भेड़ों या बकरियों को थान में बांधने या उन्हे झुण्ड में रखने का विनियमन या प्रतिषेध करना;

(ख) ग्वालों या दूध–विक्रेताओं के रूप में व्यापार करने वाले व्यक्तियों के अध्यासन में स्थित दुग्धशालाओं और पशु–शालाओं के निर्माण, उनकी लम्बाई–चौड़ाई, उनमें संवातन, रोशनी, सफाई, जल–निस्सारण और जल–संभरण को विहित और विनियमित करना और दुधार पशुओं के निरीक्षण की व्यवस्था करना तथा दूध के भण्डारों, दूध की दुकानों और ग्वालों या मक्खन विक्रेताओं द्वारा दूध या मक्खन रखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले पात्रों की स्वच्छता को सुनिश्चित करना;

(ग) कब्रिस्तान या शमशान भूमि के उपयोग और प्रबन्ध को नियंत्रित और विनियमित करना और जहां ऐसी भूमि की व्यवस्था नगरपालिका द्वारा की गई हो तो यहां उसके लिए ली जाने वाली फीस निश्चित करना और शव को कब्रिस्तान या श्मशान भूमि पर ले जाने के लिए मार्ग विहित या प्रतिषिद्ध करना;

(घ) स्वच्छता और सफाई विनियमित करना;

(ङ) यह घोषित करना कि किसी स्थान का, जब तक कि उसके विशेष रूप से छूट न दी गई हो, आवास गृह के रूप में तब तक उपयोग नहीं किया जायेगा जब तक कि {नगरपालिका}[3] द्वारा उसे उस रूप में उपयोग करने का सम्यक् रूप से लाइसेंस न दिया गया हो और ऐसी शर्तें विहित करना, जिनके अधीन रहते हुए ऐसे लाइसेंस स्वीकृत, अस्वीकृत, निलम्बित किए जा सकेंगे या वापस लिए जा सकेंगे और ऐसे लाइसेंसों के लिए देय फीस निश्चित करना;

(च) पूर्ववर्ती उपशीर्षक के अधीन बनाई गई किसी उपविधि के व्यतिक्रम में आवास–गृहों का रजिस्ट्रीकरण तथा निरीक्षण करने, अत्यधिक भीड़–भाड़ के निवारण, उनमें सफाई और संवातन में सुधार लिए और उनमें किसी संक्रामक या सांसर्गिक रोग के फैलने की स्थिति में दिए जाने वाली नोटिस और बरती जाने वाली सावधानी को विहित करने और सामान्य आवास गृहों के उचित विनियमन के लिए व्यवस्था करना;

(छ) विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए, सिवाय {नगरपालिका}[3] की अनुज्ञा के उल्लंघन करने, मलकूप, टंकियां या गड्ढें बनाने का प्रतिषेध करना और ऐसी शर्तें विनिर्दिष्ट करना, जिनके अधीन रहते हुए ऐसी अनुज्ञा दी जाये;

(ज) स्वच्छता या रोग निवारण की दृष्टि से किसी ऐसे कार्य का प्रतिषेध या विनियमन करना, जिससे लोक न्यूसेंस उत्पन्न हो या उत्पन्न होने की सम्भावना हो और जिसके प्रतिषेध या विनियमन के लिए इस शीर्षक के अधीन कोई उपबन्ध न किया गया हो।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 वर्ष 1964 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 49 (ख)(एक) द्वारा प्रतिस्थापित।

(ञ) प्रकीर्ण

(क) किसी ऐसे कार्य का प्रतिषेध या विनियमन करना, जिससे लोक अपदूषण उत्पन्न हो या उत्पन्न होने की सम्भावना हो और जिसके प्रतिषेध या विनियमन के लिए इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन कोई उपबन्ध न किया गया हो;

(ख) {नगरपालिका}[3] के भीतर जन्म, मृत्यु तथा विवाह का रजिस्ट्रीकरण और जनगणना कराने और ऐसी सूचना, जो ऐसे रजिस्ट्रीकरण या जनगणना को प्रभावकारी बनाने के लिए आवश्यक हो, अनिवार्य रूप से देने की व्यवस्था करना;

(ग) {नगरपालिका}[3] के भीतर किसी ऐसी वस्तु को, जो सरकार की या {नगरपालिका}[3] की सम्पत्ति हो या {नगरपालिका}[3] के नियंत्रण में हो, क्षति पहुंचाने या उसमें हस्तक्षेप करने में संरक्षण के लिए;

(घ) इस अधिनियम की धारा 196 (ग) के अधीन गृह–सम्मार्जन या शौचालयों और संडासों की सफाई के लिए या किसी अन्य {नगरपालिका}[3] सेवा या उपक्रम के लिए दिए जाने वाले धारा 293 (1) या धारा 294 के अधीन दिए जाने वाले किसी प्रभार या फीस को या प्रभार या फीस के किसी मापमान को नियत करना और ऐसा समय विहित करना, जब ऐसा प्रभार या फीस देय होगी और उसके भुगतान को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों को पदाभिहित करना;

(ङ) {नगरपालिका}[3] के भीतर और {नगरपालिका}[3] के नियंत्रण में मेले और औद्योगिक प्रदर्शनियां आयोजित करने की व्यवस्था करना और उनमें उद्ग्रहणीय फीस नियत करना;

(च) {नगरपालिका}[3] में स्थित भवनों या भूमि के स्वामियों द्वारा ऐसे व्यक्तियों को, जो {नगरपालिका}[3] के भीतर या उससे निकट निवास करते हों इस अधिनियम के या किसी नियम या उपविधि के सभी या किसी भी प्रयोजन के लिए अपने अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करने की अपेक्षा करना और ऐसी नियुक्ति को विनियमित करना;

(छ) {नगरपालिका}[3] के या उसके कब्जे में ऐसे अभिलेख और दस्तावेज विनिर्दिष्ट करना, जिनका निरीक्षण किया जा सकेगा या जिनकी प्रतियां दी जा सकेगी और ऐसे प्रभार विनिर्दिष्ट करना, जो उक्त अभिलेखों और दस्तावेजों का निरीक्षण करने या उनकी प्रतियां दिए जाने के लिए उद्ग्रहणीय होंगे और निरीक्षण करने और प्रतियां दिए जाने को विनियमित करना;

(ज) औषधीय भैषजों की बिक्री और औषधि तैयार करने के लिए लाइसेंस देने की व्यवस्था करना;

(झ) ऐसी धात्रियों और दाइयों के, जो सार्वजनिक रूप से अपना व्यवसाय करती हो, रजिस्ट्रीकरण और उन पर नियंत्रण रखने की व्यवस्थाा करना;

(ञ) {***}[1]

(ट) प्रसूति केन्द्र तथा शिशु कल्याण क्लीनिक स्थापित करने और उसके अनुरक्षण की व्यवस्था करना;

(ठ) शारीरिक सम्वर्धन और दुग्ध संभरण संस्थाएं स्थापित करने उनके अनुरक्षण और उन्हें सहायक अनुदान देने की व्यवस्था करना;

(ड) रेडियो संग्राही स्टेशनों का अधिष्ठान और उनके अनुरक्षण की व्यवस्था करना;

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 वर्ष 1964 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 49 (ख) (एक) द्वारा प्रतिस्थापित।

(ढ) शिशु सदन और महिला उद्धार–गृह स्थापित करने और उनके अनुरक्षण की व्यवस्था करना;

(ण) अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की सामाजिक निर्योग्यताओं को दूर करने की व्यवस्था करना;

(त) भिक्षा–वृत्ति पर नियंत्रण रखने के लिए कार्य करना;

(थ) किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र से दूसरे विनिर्दिष्ट में वेश्याओं को हटाने के लिए कार्यवाही करना;

{(द) मिट्टी के बर्तन बनाने के व्यवसाय में परम्परागत रूप से जुड़े हुए व्यक्तियों की भूमि के आवंटन के लिए व्यवस्था और रीति।

स्पष्टीकरण–– किसी व्यक्ति को ऐसे व्यवसाय में परम्परागत रूप से जुड़ा हुआ समझा जायेगा, यदि वह व्यक्तियों के ऐसे वर्ग का हो, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित किया जाये।}[3]

सूची – II

पर्वतीय {नगरपालिका}[4] के लिए अग्रेत्तर उपविधियां

(ज) लोक सुरक्षा और सुविधा

(ढ) वृक्षों या झाड़ियों को काटने या नष्ट करने या उत्खनन करने या मिट्टी हटाने या खदान कार्य का विनियमन या प्रतिषेध करना और भवनों और अहातों में परिवर्तन, मरम्मत और उनके समुचित अनुररक्षण की, मार्गों और उपमार्गों को बन्द करने की और गिरि पार्श्व की सतही भूमि के सामान्य संरक्षण के अनुरक्षण, भूमि के परिरक्षण, भू–स्खलन या खड्डे निर्माण या प्रचण्ड धारा को रोकने, भूमि को कटाव से बचाने या उस पर रेत कंकड़ या पत्थरों के जमा होने से रोकने के लिए ऐसी उपविधि आवश्यक है;

(ण) किसी भवन की उसके अन्य भवनों से संलग्न होने से सबसे ऊपर की मंजिल में इस कारण आग जलाने का प्रतिषेध करना कि उसमें लगाने की दशा में उक्त अन्य भवनों के लिए खतरा हो सकता है और जिस मंजिल की दीवारों की ऊंचाई सात फुट से अधिक न हो या लैम्प या मोमबत्तियों के लिए स्टैण्ड इस प्रकार रखने का प्रतिषेध करना, जो {नगरपालिका}[2] की राय में लोक सुरक्षा के लिए खतरनाक हो;

(त) मार्ग के नियम को विनियमित करना;

(थ) {नगरपालिका}[2] के भीतर

(एक) माल ढोने के लिए कुलियों का कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए;

(दो) एक दिन या उसके किसी भाग के लिए किराए पर चलने वाले पशुओं, गाड़ियों और अन्य वाहनों के लिए; और

(तीन) ऐसे व्यक्तियो के लिए, जो ऐसी गाड़ियों या अन्य वाहनों को खींचते हो या चलाते हों, लाइसेंस लेना आवश्यक बनाना;

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 49 (ख) (एक) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 49 (ख) (दो) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 49 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित।

(द) ऐसी शर्तें विहित करना, जिनके अधीन रहते हुए ऐसे लाइसेंस स्वीकृत, अस्वीकृत, निलम्बित किए जा सकते हैं या वापस लिए जा सकते हैं;

(ध) उपर्युक्त कुलियों की सेवाओं के लिए और ऐसे पशुओं, गाड़ियों या अन्य वाहनों के किराये के लिए और ऐसी गाड़ियों या वाहनों को खींचने या चलाने वाले व्यक्तियों के पारिश्रमिक के लिए दिए जाने वाले प्रभार को विनियमित करना।

(झ) स्वच्छता और रोग—निवारण

(झ) बाजार में किसी परिवार की अश्वशाला या गौशाला के रूप में या भेड़, बकरी और कुक्कुट आदि के लिए स्थान के रूप में उपयोग करने के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक बनाना;

(ञ) मकानों और निवास स्थानों में अत्यधिक भीड़ का निवारण करना; और

(ञ) प्रकीर्ण

(झ) {नगरपालिका}[4] में प्रवेश करने वाले या वहां से जाने वाले व्यक्तियों के लिए सामान्यतया या विशिष्ट मास में रजिस्ट्रीकरण की व्यवस्था करना।

नियमों और उपविधियों का अतिलंघन

299—— (1) कोई नियम बनाने में राज्य सरकार और उपविधि बनाने में {नगरपालिका}[2] राज्य सरकार की स्वीकृति से निर्देश दे सकेगी कि उक्त नियम या उपविधि का भंग किया जाना, जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो {एक हजार रुपये}[1] तक हो सकेगा और जब ऐसा भंग निरन्तर किया जाये तो अग्रेत्तर जुर्माना किया जा सकेगा, जो प्रथम दोषसिद्धि के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो, {पच्चीस रुपये}[1] तक हो सकेगा।

(2) {नगरपालिका}[2] ऐसी ही स्वीकृति से किसी ऐसे नियम का, जो संयुक्त प्रान्त म्युनिसिपालिटीज अधिनियम, 1873 (1877 का अधिनियम संख्या 15) के अधीन विधिपूर्वक बनाया गया हो और अब भी प्रवृत्त हो, भंग करने के लिए इसी प्रकार शास्ति विहित कर सकेगी।

राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों आदि का पूर्व प्रकाशन

300—— (1) इस अध्याय के अधीन नियम या विनियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति ऐसे नियम तथा विनियम का पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाए जाने और सरकारी गजट में उनके प्रकाशित होने तक प्रभावित न होने की शर्त के अधीन होगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कोई नियम या विनियम सभी नगरपालिकाओं के लिए या ऐसी सभी नगरपालिकाओं के लिए, जिन्हें उनके प्रवर्तन से स्पष्टतः अलग न किया गया हो, सामान्य हो सकता है या किसी एक या एक से अधिक सम्पूर्ण नगरपालिका या उसके किसी भाग के लिए, जैसा राज्य सरकार निर्देश दे, विशेष हो सकता है।

विनियमों और उपविधियों का प्रकाशित किया जाना

{301—— (1) धारा 298 के अधीन उपविधियां बनाने की नगरपालिका की शक्ति ऐसी उपविधियों के पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाए जाने की शर्त के अधीन होगी।

(2) धारा 297 और संयुक्त प्रान्त प्रारम्भिक शिक्षा अधिनियम, 1919 के अधीन बनाए गए विनियम और धारा 298 के अधीन बनाई गई उपविधियां सरकारी गजट में प्रकाशित की जायेगी।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 वर्ष 1964 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय—तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 49 (ख)(एक) द्वारा प्रतिस्थापित।

301–क–– (1) यदि राज्य सरकार को किसी भी समय यह प्रतीत हो कि किसी उपविधि को पूर्णतः या अंशतः परिष्कृत या निरस्त किया जाना चाहिए तो वह अपने ऐसे मत के कारण नगरपालिका को सूचित करेगी और एक उपयुक्त अवधि विहित करेगी, जिसके भीतर उसके सम्बन्ध में नगरपालिका कोई ऐसा अभ्यावेदन कर सकेगी, जिसे वह उचित समझे। राज्य सरकार उपविधियों को परिष्कृत या निरस्त कर सकेगी

(2) ऐसे किसी अभ्यावेदन के प्राप्त होने और उस पर विचार करने के पश्चात् या यदि उस समय के भीतर कोई अभ्यावेदन प्राप्त न हुआ हो तो विहित अवधि के समाप्त होने के पश्चात् राज्य सरकार शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा उक्त उपविधि को पूर्णतः या अंशतः परिष्कृत या निरस्त कर सकेगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी उपविधि का परिष्कार या निरसन अधिसूचना के शासकीय गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगा।}[3]

अध्याय 10

प्रकिया

नगरपालिका नोटिस

302–– जहां इस अधिनियम की किसी धारा के अधीन किसी नियम या उपविधि के अधीन जारी किए गए किसी नोटिस में कोई ऐसा कार्य किए जाने की अपेक्षा की जाये, जिसके लिए ऐसी धारा या नियम या उपविधि में कोई समय निश्चित न किया गया हो, वहां नोटिस में ऐसा कार्य किए जाने के लिए समुचित समय विनिर्दिष्ट किया जायेगा और यह अवधारण करना न्यायालय पर निर्भर करेगा कि इस प्रकार विनिर्दिष्ट किया गया समय इस धारा के अर्थान्तर्गत समुचित समय है या नहीं। अनुपालन के लिए समुचित समय निश्चित करना

303–– (1) इस अधिनियम की किसी धारा के अधीन या किसी नियम या उपविधि के अधीन जारी या तैयार किया गया प्रत्येक नोटिस या बिल जब तक कि ऐसी धारा या नियम या उपविधि में स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबन्धित न हो, निम्नलिखित रूप में तामील या प्रस्तुत किया जायेगा – नोटिस की तामील

(क) ऐसी नोटिस या बिल का उस व्यक्ति, जिसे वह सम्बोधित हो, देकर या प्रस्तुत करके या उसे डाक द्वारा भेजकर; या

(ख) यदि ऐसे व्यक्ति का पता न चले तो उक्त नोटिस या बिल को उस व्यक्ति के अन्तिम ज्ञात वास–स्थान पर, यदि वह {नगरपालिका}[1] की सीमा के भीतर हो, छोड़कर या उक्त नोटिस या बिल उसके परिवार के किसी वयस्क पुरूष सदस्य या सेवक को देकर या प्रस्तुत करके या उक्त नोटिस या बिल या उस भवन या भूमि के (यदि कोई हो), जिससे उस नोटिस या बिल का सम्बन्ध हो, किसी सहजदृश्य भाग पर लगा कर।

(2) जब इस अधिनियम के अधीन या किसी नियम अथवा उपविधि के अधीन कोई नोटिस इस अधिनियम के द्वारा या अधीन किसी नियम या उपविधि के अधीन किसी भवन या भूमि के स्वामी या अध्यासी पर तामील करना अपेक्षित हो या तामील करने की अनुज्ञा दी गई हो तो उसके स्वामी या अध्यासी का नाम देना आवश्यक न होगा और उसकी तामील ऐसे मामलों में, जिसके लिए इस अधिनियम में विशेष रूप से अन्यथा उपबन्धित न हो, या तो ––

(क) स्वामी या अध्यासी को या यदि एक से अधिक स्वामी या अध्यासी हो तो उनमें से किसी एक को नोटिस देकर या प्रस्तुत करके या उसे डाक द्वारा भेजकर; या

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 50 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) यदि किसी ऐसे स्वामी या अध्यासी का पता न चले तो उसके परिवार के किसी वयस्क पुरूष सदस्य या सेवक को नोटिस देकर या प्रस्तुत करके या उस भवन या भूमि के, जिससे उसका सम्बन्ध हो, किसी सहजदृश्य भाग पर नोटिस लगाकर की जायेगी।

(3) जब ऐसा व्यक्ति, जिस पर नोटिस या बिल तामील किया जाता है, अवयस्क हो तो उसके संरक्षक या उसके परिवार के किसी वयस्क पुरूष सदस्य या सेवक पर उसकी तामील करना उक्त अवयस्क पर तामील करना समझा जायेगा।

सार्वजनिक नोटिस देने की रीति

304—— इस अधिनियम के या किसी नियम, विनियम या उपविधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसे प्रत्येक मामले में जहां नगरपालिका द्वारा सार्वजनिक नोटिस दिया जाना हो, ऐसा नोटिस दे दिया गया समझा जायेगा, यदि वह किसी स्थानीय अंग्रेजी या स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में (यदि कोई हो) प्रकाशित किया जाये या उसे ऐसे भवन के, जिसमें सामान्यतया {नगरपालिका}[2] की बैठकें होती हो, सूचना पट्ट पर सार्वजनिक सूचना के लिए प्रदर्शनार्थ चिपका दिया जाये।

त्रुटिपूर्ण आकार पत्र

305—— कोई नोटिस या बिल आकार पत्र की त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं होगा।

जन साधारण पर लागू किसी सार्वजनिक नोटिस या अधिनियम के उपबन्ध की अवज्ञा

306—— जहां इस अधिनियम या तद्धीन जारी किए गए किसी नोटिस द्वारा जनसाधारण से कोई कार्य करने या उससे विरत रहने की अपेक्षा की जाये, वहां ऐसा व्यक्ति जो ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करने में विफल रहता है, यदि इस प्रकार विफल रहना किसी अन्य धारा के अधीन दण्डनीय अपराध न हो, किसी मजिस्ट्रेट द्वारा दोषसिद्ध ठहराए जाने पर प्रत्येक बार इस प्रकार विफल रहने के लिए एक हजार रुपये से अनधिक जुर्माने के और निरन्तर भंग करने की दशा में अग्रेत्तर जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो प्रथम दोषसिद्ध के दिनांक के पश्चात् जिसमें अपराधी द्वारा निरन्तर भंग किया जाना साबित हो, प्रत्येक दिन के लिए {पच्चीस रुपये}[1] तक हो सकेगा।

किसी व्यक्ति को जारी किए गए नोटिस की अवज्ञा

307—— यदि किसी व्यक्ति को इस अधिनियम या किसी नियम या उपविधि के उपबन्धों के अधीन कोई नोटिस दिया गया हो, जिसमें उससे नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में चाहे वह जंगम या स्थावर, सार्वजनिक हो या निजी कोई कार्य निष्पादित करने या किसी कार्य की व्यवस्था करने या उसे करने से विरत रहने की अपेक्षा की गई हो और यदि ऐसा व्यक्ति उस नोटिस या अनुपालन करने में विफल रहता है तो ——

(क) {नगरपालिका}[2] ऐसे कार्य को निष्पादित करवा सकेगी या ऐसी बात की व्यवस्था कर सकेगी या उसे करवा सकेगी और इस सम्बन्ध में उसके द्वारा उपगत समस्त व्यय को उक्त व्यक्ति से अध्याय 6 में उपबन्धित रीति से वसूल कर सकेगी और अग्रेत्तर यह कि ——

(ख) उक्त व्यक्ति किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष सिद्ध ठहराए जाने पर जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक को सकेगा और निरन्तर भंग करने की दशा में अग्रेत्तर जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो प्रथम दोषसिद्ध के दिनांक के पश्चात्, जिसमें अपराधी द्वारा निरन्तर भंग किया जाना साबित हो, प्रत्येक दिन के लिए पच्चीस रुपये तक हो सकेगा।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 वर्ष 1964 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय—तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

स्वामी के चूक करने पर अध्यासी का भुगतान करने का दायित्व

308–– (1) यदि कोई व्यक्ति, जिसे धारा 307 में उल्लिखित नोटिस दिया गया हो, उस सम्पत्ति का, जिसके सम्बन्ध में वह दिया गया हो, स्वामी हो तो {नगरपालिका}[1] (चाहे ऐसे स्वामी के विरूद्ध कोई वाद लाया गया हो या अन्य कार्यवाही की गई हो या नहीं) ऐसे व्यक्ति से, यदि कोई हो, जिसके अध्यासन में उक्त स्वामी के अधीन ऐसी सम्पत्ति या उसका कोई भाग हो, यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह ऐसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में उसके द्वारा देय किराए का, जब वह देय हो जाये, धारा 307 के अधीन स्वामी से वसूल की जा सकने वाली धनराशि तक स्वामी को भुगताने करने के बजाय {नगरपालिका}[1] को भुगतान कर और अध्यासी द्वारा {नगरपालिका}[1] को दिया गया कोई भी भुगतान, उक्त सम्पत्ति के स्वामी और अध्यासी के बीच इसके प्रतिकूल कोई संविदा न होने पर, ऐसी सम्पत्ति के स्वामी को किया गया समझा जायेगा।

(2) यह विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए कि उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही की जानी चाहिए या नहीं, नगरपालिका सम्पत्ति के अध्यासी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी सम्पत्ति के लिए किराए के रूप में देय धनराशि के सम्बन्ध में और उस व्यक्ति के नाम और पते के सम्बन्ध में, जिसे वह देय हो, सूचना प्रस्तुत करे और यदि अध्यासी ऐसी सूचना प्रस्तुत करने से इंकार करे तो वह सम्पूर्ण व्यय के लिए देनदार होगा, मानो वह स्वामी हो।

(3) इस धारा के अधीन {नगरपालिका}[1] द्वारा वसूल किया जा सकने वाला सम्पूर्ण धन अध्याय 6 में उपबन्धित रीति से वसूल किया जा सकेगा।

स्वामी के चूक करने पर अध्यासी द्वारा निर्माण कार्य को निष्पादित करने का अधिकार

309–– जब कभी किसी भवन या भूमि के स्वामी द्वारा इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित किसी निर्माण कार्य के निष्पादन करने में चूक की जाये तो ऐसे भवन या भूमि का अध्यासी {नगरपालिका}[1] के अनुमोदन से ऐसे कार्य को निष्पादित करा सकेगा और उसके व्यय का भुगतान किसी प्रतिकूल संविदा के न होने पर स्वामी द्वारा उसे किया जा सकेगा या उस धनराशि की कटौती उसके द्वारा ऐसे स्वामी को समय–समय पर देय होने वाले किराए में से की जा सकेगी।

अध्यासी द्वारा निष्पादन का विरोध किए जाने पर प्रक्रिया

310–– (1) यदि इस अधिनियम के अधीन जारी की गई किसी नोटिस के अनुपालन में किसी भवन या भूमि के स्वामी से उसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने के आशय की सूचना प्राप्त हो जाने के पश्चात् अध्यासी उक्त स्वामी को ऐसी कार्यवाही करने की अनुमति देने से इंकार करे तो स्वामी मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकेगा।

(2) मजिस्ट्रेट ऐसे इंकार किए जाने का सबूत मिलने पर लिखित रूप में आदेश दे सकेगा, जिसमें अध्यासी से स्वामी को उक्त भवन या भूमि के सम्बन्ध में ऐसे सभी निर्माण कार्य, जो उक्त नोटिस के अनुपालन के लिए आवश्यक हो, निष्पादित करने की अनुमति देने की अपेक्षा की गई हो और यदि वह उचित समझे, अध्यासी को यह भी आदेश दे सकेगा कि वह स्वामी को ऐसे आवेदन–पत्र या आदेश से सम्बन्धित व्यय का भुगतान करे।

(3) यदि मजिस्ट्रेट के आदेश के दिनांक से आठ दिन समात होने के पश्चात्, अध्यासी स्वामी को ऐसा निर्माण कार्य निष्पादित करने की अनुमति देने से इंकार करता रहे तो अध्यासी दोषसिद्ध ठहराए जाने पर, जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें वह इस प्रकार अनुमति देने से इंकार करता रहा है, पच्चीस रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(4) प्रत्येक स्वामी इस प्रकार इंकार किए जाने के दौरान किन्हीं ऐसी शास्ति से उन्मुक्त रहेगा, जिनके लिए वह ऐस निर्माण कार्य के निष्पादन में उसके द्वारा चूक करने के कारण अन्यथा दण्डनीय होता।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

अध्यासी द्वारा कार्य के परिव्यय की वसूली

311–– जब किसी भवन या भूमि के अध्यासी ने, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जारी किए गए नोटिस के अनुपालन में कोई ऐसा निर्माण कार्य निष्पादित किया हो, जिसके लिए ऐसे भवन या भूमि का स्वामी या तो किराएदारी के संविदा के अनुसरण में या विधि द्वारा उत्तरदायी हो तो वह किसी प्रतिकूल संविदा के न होने पर, ऐसे निर्माण कार्य के समुचित व्यय को उसके द्वारा देय किराए से कटौती करके या अन्यथा स्वामी से वसूल करने का हकदार होगा।

धारा 211, 263, 264, 265 और 273 के अधीन {नगरपालिका} द्वारा हटाए जाने के कार्य के व्यय की वसूली

312–– (1) {नगरपालिका}[1] द्वारा धारा 263 या 265 के अधीन हटाने का कोई कार्य करने में या धारा 211, 263, 264 या 278 के अधीन जारी की गई लिखित नोटिस का धारा 307 के अधीन अनुपालन न किए जाने की दशा में, किया गया व्यय, हटाई गई सामग्री की बिक्री से वसूल किया जा सकेगा और यदि ऐसा विक्रय आगम पर्याप्त न हो तो शेष धनराशि उक्त सामग्री के स्वामी से अध्याय 6 में उपबन्धित रीति से वसूल किया जा सकेगा।

(2) यदि किसी मामले में हटाने के कार्य का व्यय का सामग्री की बिक्री किए जाने या अन्यथा निस्तारण किए जाने के पूर्व किसी भी समय उसके द्वारा उसके लिए दावा किए जाने पर या ऐसे अन्य समस्त व्यय का, यदि कोई हो, जो {नगरपालिका}[1] द्वारा उसके सम्बन्ध में या उसकी आशयित बिक्री या उसके निस्तारण के सम्बन्ध में किया गया हो, उसके द्वारा भुगतान किए जाने पर वापस कर देगा।

(3) यदि सामग्री का उसके स्वामी द्वारा कोई दावा न किया जाये तो उसे यथाशीघ्र सुविधानुसार उसे हटाने के दिनांक से एक मास के पश्चात् चाहे इस बीच हटाए जाने के व्यय का भुगतान कर दिया गया हो या नहीं, नीलाम द्वारा बेच दिया जायेगा या उसका अन्यथा निस्तारण कर दिया जायेगा, जैसा {नगरपालिका}[1] ठीक समझे और बिक्री या अन्य निस्तारण के आगम को उसमें से बिक्री या अन्य निस्तारण के व्यय और यदि आवश्यक हो तो हटाए जाने का व्यय चुकता करने के पश्चात् नगरपालिका निधि में जमा कर दिया जायेगा और वह {नगरपालिका}[1] की सम्पत्ति हो जायेगी।

अभिकर्ता और न्यासों को अनुतोष

313–– (1) जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति या सोसाईटी का न्यासी या अभिकर्ता के रूप में स्थावर सम्पत्ति का किराया प्राप्त करने या प्राप्त करने का हकदार होने के कारण, इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित की गई हो और उसके निर्वहन के लिए धन अपेक्षित हो तब वह उक्त बाध्यता का निर्वहन करने के लिए तब तक आबद्ध नहीं होगा, जब तक कि उसके पास स्वामी की ऐसी निधि न हो जो इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त हो या जो स्वयं उसके कोई अनुचित कार्य या व्यतिक्रम न करने के कारण रही होती।

(2) जब कोई अभिकर्ता या न्यासी इस धारा के अधीन अनुतोष के लिए अपने अधिकार का दावा करे और उसे सिद्ध करे तब {नगरपालिका}[1] उसे नोटिस दे सकता है कि वह उपर्युक्त बाध्यता के निर्वहन के लिए ऐसे धन का प्रयोग करे, जो स्वामी की ओर से या स्वामी के लिए सर्वप्रथम उसे प्राप्त हो और यदि वह ऐसी नोटिस का अनुपालन करने में विफल रहता है तो उसे स्वयं उपर्युक्त बाध्यता के निर्वहन के लिए उत्तरदायी समझा जायेगा।

अभियोजन

अभियोजन का प्राधिकार

314–– जब तक कि स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबन्धित न हो, कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी भी अपराध का (जिनकी सूची अनुसूची आठ में केवल सुगम निर्देश के प्रयोजन से दी गई है) या किसी निगम या उपविधि के अधीन दण्डनीय किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा, सिवाय इसके कि {नगरपालिका}[1] या {नगरपालिका}[1] द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश से प्राधिकृत किसी व्यक्ति ने शिकायत की हो या इनसे कोई सूचना प्राप्त हुई हो।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

315—— (1) किसी {नगरपालिका}[1] का अधिशासी अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी या ऐसी नगरपालिका में जहां कोई अधिशासी अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी न हो, नगरपालिका का अध्यक्ष या तो कार्यवाही किए जाने के पूर्व या पश्चात् धारा 237(4), 242, 246, 281, 285 (5) या 295 में वर्णित किसी अपराध के सिवाय इस अधिनियम या नियम या उपविधि के विरूद्ध किसी अपराध का शमन कर सकेगा : अपराध का शमन करने की शक्ति

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे किसी अपराध का शमन नहीं किया जा सकेगा, जो {नगरपालिका}[1] द्वारा या उसकी ओर से जारी किए गए किसी लिखित नोटिस के अनुपालन, जहां तक कि इसका अनुपालन किया जाना सम्भव हो, न कर दिया जाये।

(2) जब किसी अपराध का शमन कर दिया गया हो तो अपराधी को, यदि अभिरक्षा में हो, मुक्त कर दिया जायेगा और उसके विरूद्ध इस प्रकार शमन किए गए अपराध के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(3) इस धारा के अधीन श्मन के रूप में दी गई धनराशि नगरपालिका निधि में जमा की जायेगी।

316—— यदि किसी कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम से, जिसके कारण कोई व्यक्ति इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिरोपित कोई शक्ति उपगत करेगा, {नगरपालिका}[1] की किसी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाई जायेगी तो ऐसी शास्ति उपगत करने वाला व्यक्ति ऐसी क्षति को पूरा करने और साथ ही ऐसी शास्ति का भुगतान करने का जिम्मेदार होगा और क्षति की धनराशि, विवाद की स्थिति में, ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा अवधारित की जायेगी, जिसने उक्त शास्ति उपगत करने वाले व्यक्ति को दोषसिद्ध ठहराया हो और ऐसी धनराशि की मांग किए जाने पर भुगतान न करने पर उसे करस्थम द्वारा उद्ग्रहीत किया जायेगा और उक्त मजिस्ट्रेट तद्नुसार उसका वारण्ट जारी करेगा। नगरपालिका सम्पत्ति की क्षति के लिए प्रतिकर

317—— प्रत्येक पुलिस अधिकारी {नगरपालिका}[1] को उसकी जानकारी में आने वाले ऐसे अपराध को तुरन्त सूचना देगा, जो इस अधिनियम के विरूद्ध या धारा 114 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी अधिनियम के विरूद्ध या उपर्युक्त किसी भी अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम के विरूद्ध किया गया हो और वह {नगरपालिका}[1] के समस्त सदस्यों, अधिकारियों और सेवकों को उनके विधिपूर्ण प्राधिकार का प्रयोग करने में सहायता देने के लिए आबद्ध होगा। अपराधों और नगरपालिका प्राधिकारियों की सहायता देने के सम्बन्ध में पुलिस के कर्तव्य और शक्ति

{नगरपालिका}[1] के आदेश के विरूद्ध अपील और नगरपालिका के विरूद्ध वाद

318—— (1) नगरपालिका द्वारा, धारा 180 (1), 186, 204, 205(1), 208, 211, 212, 222(6), 241(2), 245, 278 और 285 द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन या धारा 298 के शीर्षक (छ) के अधीन बनाई गई किसी उपविधि के अधीन दिए गए आदेश या निदेश से क्षुब्ध कोई भी व्यक्ति ऐसे निदेश या आदेश से तीस दिन के भीतर, उनकी प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय को छोड़कर, ऐसे अधिकारी को, जिसे राज्य सरकार ऐसी अपीलें या उनमें से किसी अपील को सुनवाई करने के प्रयोजन के लिए नियुक्त करे या ऐसी नियुक्ति करे या ऐसी नियुक्ति न की जाने पर जिला मजिस्ट्रेट को अपील कर सकेगा। नगरपालिका के आदेश के विरूद्ध अपील

{***}[2]

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 156 द्वारा निकाला गया।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय—तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) अपील प्राधिकारी, यदि उचित समझे, अपील के लिए उपधारा (1) अनुज्ञात अवधि काह्य बढ़ा सकता है।

(3) कोई भी अपील तब तक अंशतः या पूर्णतः खारिज या स्वीकृत न की जायेगी जब तक कि पक्षकारों को कारण बताने या सुनवाई किए जाने का समुचित अवसर न दे दिया गया हो।

उच्च न्यायालय को निर्देश

319–– (1) यदि धारा 318 के अधीन किसी अपील की सुनवाई करने पर प्रतिषेध, नोटिस या वैधता के सम्बन्ध में कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है जिस पर अपील की सुनवाई करने वाले अधिकारी को यथोचित सन्देह हो तो वह या तो स्वप्रेरणा से या हितबद्ध किसी व्यक्ति के आवेदन पर उस मामले के तथ्यों का और उस प्रश्न का, जिस पर सन्देह किया गया हो, एक विवरण तैयार करेगा और उस विवरण का निर्देश उक्त प्रश्न पर अपनी राय के साथ उच्च न्यायालय के निर्णय के लिए करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन निर्देश दिए जाने पर, इस मामले में पश्चात्वर्ती कार्यवाहियों यथा यथाशक्य सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 46 में दिए गए उच्च न्यायालय को निर्देश करने से सम्बन्धित नियमों या ऐसे अन्य नियमों के अनुरूप की जायेगी, जो उक्त संहिता की धारा 122 के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा बनाई जाये।

वाद व्यय

320–– (1) ऐसे न्यायालय का, जो अपील का निर्णय करे, स्वविवेक से व्यय दिलवाने की शक्ति होगी।

(2) इस धारा के अधीन {नगरपालिका}[1] को दिलवाया गया व्यय {नगरपालिका}[1] द्वारा उसी प्रकार वसूल किया जा सकेगा मानो वह अपीलार्थी से देय किसी कर का बकाया रहा हो।

(3) यदि {नगरपालिका}[1] इस धारा के अधीन किसी अपीलार्थी को दिलवाये गए किसी व्यय का उसके भुगतान करने के आदेश की संसूचना के दिनांक के पश्चात् दस दिन के भीतर भुगतान करने में विफल रहे तो उक्त व्यय दिलवाने वाला न्यायालय उस व्यक्ति को, जिसकी अभिरक्षा में नगरपालिका निधि का अवशेष हो, उक्त धनराशि का भुगतान करने का आदेश दे सकेगा।

अपील प्राधिकारी के आदेश का अन्तिम होना

321–– (1) धारा 318 में निर्दिष्ट किसी आदेश या निदेश पर उसमें उपबन्धित से भिन्न किसी अन्य रीति से या प्राधिकारी द्वारा, आपत्ति न की जा सकेगी।

(2) अपील प्राधिकारी का कोई आदेश जिसके द्वारा ऐसा कोई आदेश या निदेश पुष्ट, निरस्त या उपान्तरित किया गया हो, अन्तिम होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि अपील प्राधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह आवेदन करने पर दूसरे पक्षकार को नोटिस देने के पश्चात् अपील में अपने द्वारा दिए गए किसी आदेश का अपने मूल आदेश के दिनांक से तीन मास के भीतर दिए गए किसी अग्रेत्तर आदेश से पुनर्विलोकन करे।

अपील या सिविल वाद की विषय वस्तु के सम्बन्ध में अपील या सिविल वाद का निर्णय होने तक धारा 318 के अधीन आदेश पारित करने का निलम्बन

322–– जहां धारा 318 में निर्दिष्ट किसी आदेश या निदेश के विरूद्ध अपील की जा सकती हो, उसके विरूद्ध अपील संस्थित की गई हो या उसके सम्बन्ध में सिविल वाद संस्थित किया गया हो, वहां ऐसे आदेश के प्रवर्तित करने की समस्त कार्यवाहियों और उसे भंग करने के लिए समस्त, अभियोजनों को, यथास्थिति अपील प्राधिकारी या सिविल न्यायालय के आदेश द्वारा अपील या सिविल वाद का निर्णय होने तक निलम्बित किया जा सकेगा और यदि आदेश में या सिविल न्यायालय के विनिश्चय द्वारा अपास्त कर दिया जाय तो उसकी अवज्ञा को अपराध नहीं समझा जायेगा।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

323—— धारा 201 के अधीन समपहरण का प्रत्येक आदेश और धारा 302 या धारा 258 के अधीन प्रत्येक आदेश के विरूद्ध अपील जिस न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया हो, उससे ठीक वरिष्ठ न्यायालय को की जा सकेगी किन्तु अपील या पुनरीक्षण अन्यथा नहीं किया जा सकेगा।

न्यायालय के कतिपय आदेशों के विरूद्ध अपील

324—— (1) यदि ऐसे प्रतिकर की धनराशि के सम्बन्ध में, जिसका भुगतान करना इस अधिनियम द्वारा {नगरपालिका}[1] के लिए अपेक्षित हो, कोई विवाद उत्पन्न हो तो उसे ऐसी रीति से जिसके लिए पक्षकार करार करे या किसी करार के अभाव में, कलेक्टर द्वारा {नगरपालिका}[1] या प्रतिकर का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा उन्हें आवेदन—पत्र दिए जाने पर, तय किया जायेगा।

{नगरपालिका}[1] द्वारा देय प्रतिकर के सम्बन्ध में विवाद

(2) प्रतिकर का अधिनिर्णय करने में कलेक्टर का कोई विनिश्चय प्रतिकर के लिये आवेदक के ऐसे अधिकार के अधीन होगा, जिससे यह भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 18 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार जिला न्यायाधीश को निर्देश किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा।

(3) ऐसे मामलों में, जिनमें भूमि के सम्बन्ध में प्रतिकर का दावा किया जाये, कलैक्टर और जिला न्यायाधीश, यथाशक्य उस प्रक्रिया का अनुपालन करेंगे, जो उक्त अधिनियम में सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अर्जित किए जाने वाली भूमि के अर्जन के लिए प्रतिकर सम्बन्धी कार्यवाहियों के लिए विहित की गई है।

325—— (1) यदि {नगरपालिका}[1] और किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी के बीच किसी ऐसे मामले में, जिसमें वे संयुक्त रूप से हितबद्ध हो, कोई विवाद उत्पन्न हो तो ऐसा विवाद राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

स्थानीय प्राधिकारियों के बीच विवाद का विनिश्चय

(2) राज्य सरकार धारा 296 के अधीन बनाए गए नियम द्वारा ऐसे सम्बन्ध का विनियमन कर सकती है, जिसका {नगरपालिका}[1] और अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के बीच किसी ऐसे मामलों में जिनमें वे संयुक्त रूप से हितबद्ध हो, अनुपालन किया जायेगा।

326—— (1) {नगरपालिका}[1] के विरूद्ध या नगरपालिका के किसी सदस्य, अधिकारी या सेवक के विरूद्ध किसी ऐसे कार्य के सम्बन्ध में, जो उसके द्वारा अपनी पदीय हैसियत से किया गया हो या किया जाना तात्पर्यित हो, तब तक कोई वाद संस्थित नहीं किया जायेगा जब तक कि लिखित नोटिस के पश्चात्, जो {नगरपालिका}[1] की दशा में उसके कार्यालय में प्रेषित कर दिया गया हो और सदस्य अधिकारी या सेवक की दशा में, उसे दे दिया गया हो या उसके कार्यालय या निवास—स्थान पर प्रेषित कर दिया गया हो, आगामी दो मास की अवधि समाप्त न हो जाये, जिसमें वाद का कारण, ईप्सित अनुतोष का प्रकार, दावाकृत प्रतिकर की धनराशि और आशयित वादी का नाम और निवास स्थान स्पष्ट रूप से दिया गया हो और वाद—पत्र में ऐसा विवरण दिया होगा कि उक्त नोटिस इस प्रकार दे दी गई है या छोड़ी गई है।

{नगरपालिका}[1] या उसके अधिकारियों के विरूद्ध

(2) यदि {नगरपालिका}[1] सदस्य, अधिकारी या सेवक ने कार्यवाही प्रारम्भ किए जाने के पूर्व वादी की पर्याप्त अभितुष्टि निविदत्त कर दी तो तो वादी इस प्रकार निविदत्त धनराशि से अधिक कोई राशि वसूल नहीं करेगा और इस प्रकार निविदत्त करने के पश्चात् प्रतिवादी द्वारा उपगत समस्त वाद—व्यय का भुगतान करेगा।

(3) ऐसी कोई कार्यवाही, जैसा कि उपधारा (1) में वर्णित है, जब तक कि वह स्थावर सम्पत्ति की वसूली के लिए या उसके हक की घोषणा के लिए कार्यवाही न हो, अन्यथा प्रारम्भ न करके वाद—कारण के प्रोदभूत होने के पश्चात् आगामी छः मास के भीतर प्रारम्भ की जायेगी :

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय—तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

(4) प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह किसी ऐसे वाद पर लागू होती है, जिसमें केवल दावाकृत अनुतोष कोई ऐसा व्यादेश हो, जिसका उद्देश्य नोटिस देने का वाद या कार्यवाही के प्रारम्भ किए जाने को स्थगित करने से विफल हो जायेगा।

सिविल न्यायालय कतिपय मामलों में अस्थायी व्यादेश नहीं देगा

{326–क–– कोई सिविल न्यायालय किसी वाद के दौरान निम्नलिखित के सम्बन्ध में अस्थायी व्यादेश या अंतरिम आदेश नहीं देगा –

(क) किसी व्यक्ति को {नगरपालिका}[2] के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या {नगरपालिका}[2] की समिति या उपसमिति के सभापति या {नगरपालिका}[2] की समिति या उपसमिति के सदस्य, अधिकारी या सेवक की शक्तियों का प्रयोग करने या कृत्यों का निर्वहन या कर्तव्यों का पालन करने से इस आधार पर अवरूद्ध करना कि ऐसा व्यक्ति इस प्रकार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, अधिकारी या सेवक या सेवक के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित नाम–निर्दिष्ट या नियुक्त नहीं किया गया है; या

(ख) किसी व्यक्ति या किसी {नगरपालिका}[2] की समिति या उप–समिति को कोई निर्वाचन करने से या किसी विशिष्ट रीति से कोई निर्वाचन करने से अवरूद्ध करना।}[1]

अध्याय 11

अनुपूरक

राज्य सरकार द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन

327–– राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा प्राधिकारी को उसकी या अपनी अधिकारिता के भीतर, किसी विनिर्दिष्ट {नगरपालिका}[1] या {नगरपालिकाओं}[1] के सम्बन्ध में इस अधिनियम द्वारा उसमें निहित किसी एक शक्ति या अधिक शक्तियों को, सिवाय उन शक्तियों के, जिनका ब्यौरा अनुसूची सात में दिया गया है, प्रत्यायोजित कर सकेगी।

कार्यवृत्त पुस्तक और कर निर्धारण सूचियों के निरीक्षण की सुविधा

328–– {नगरपालिका}[2] का कार्यवृत्त पुस्तक और कर–निर्धारण सूची का किसी करदाता या निर्वाचक द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन, जो इस निमित्त उप–विधि द्वारा विहित की जायेगी, निःशुल्क निरीक्षण किया जा सकेगा।

नियमावली, विनियमों तथा उपविधियों के प्रचार के लिए उपबन्ध

329–– ऐसी पुस्तक, जिनमें प्रत्येक नियम, विनियम और उपविधि अन्तर्विष्ट हो, {नगरपालिका}[2] कार्यालय में रखी जायेगी और किसी भी व्यक्ति द्वारा कार्य के सामान्य घंटों में उनका निःशुल्क निरीक्षण किया जा सकेगा और जनता के लिए ऐसे कार्यालय से उचित मूल्य पर, जो इस निमित्त उपविधि द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, बिक्री के लिए रहेंगी।

नगरपालिका अभिलेखों के सबूत की रीति

330–– {नगरपालिका}[2] के कब्जे में किसी रसीद, आवेदन–पत्र, रेखांक, नोटिस, आदेश, रजिस्टर की प्रविष्टि या अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि को, यदि उसे उसके विधिक संरक्षक ने या इस निमित्त उपविधि द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति में सम्यक् रूप से प्रमाणित किया हो, ऐसी प्रविष्टि या दस्तावेज होने के प्रथम–दृष्टया साक्ष्य के रूप में प्राप्त किया जायेगा और उसे प्रत्येक मामले में उसमें अभिलिखित विषयों तथा संव्यवहारों के साक्ष्य के रूप में, जहां और जिस सीमा तक मूल प्रविष्टि या दस्तावेज, यदि प्रस्तुत किया जाता, ऐसे विषयों को साबित करने के लिए ग्राह्य होता, स्वीकार किया जायेगा।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 वर्ष 1964 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

331—— किसी भी नगरपालिका अधिकारी या सेवक से किसी ऐसी विधिक कार्यवाही में जिसमें {नगरपालिका}[1] एक पक्षकार न हो, किसी ऐसे रजिस्टर या दस्तावेज को, जिसकी अन्तर्वस्तु को पूर्ववर्ती धारा के अधीन किसी प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा साबित किया जा सके, प्रस्तुत करने की या उसमें अभिलिखित विषयों या संव्यवहारों को साबित करने के लिए साक्षी के रूप में उपस्थित होने की तब तक अपेक्षा न की जायेगी, जब तक कि न्यायालय विशेष कारण से ऐसा करने का आदेश न दे।

नगरपालिका सेवकों को दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन करने पर निबन्धन

332—— अध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति से {नगरपालिका}[1] का कोई सदस्य ऐसे निर्माण कार्य का संस्था, जिसका पूर्णतः या अंशतः {नगरपालिका}[1] के व्यय से निर्माण किया गया हो या अनुरक्षण किया जाता हो और किसी रजिस्टर, पुस्तक, लेखे या अन्य दस्तावेज का, जो {नगरपालिका}[1] का हो या {नगरपालिका}[1] के कब्जे में हो, निरीक्षण कर सकता है।

सदस्यों द्वारा नगरपालिका के निर्माण कार्य और रजिस्टरों का निरीक्षण

333—— जब इस अधिनियम के अधीन किसी {नगरपालिका}[1] का सृजन किया जाये तब जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा निमित्त नियुक्त अन्य अधिकारी जब तक {नगरपालिका}[1] स्थापित न हो जाये, {नगरपालिका}[1] की शक्ति का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन और कृत्यों का निर्वहन कर सकता है और उसे उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए {नगरपालिका}[1] समझा जाएगा :

{नगरपालिका}[1] की स्थापना होने तक {नगरपालिका}[1] की शक्ति का जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोग

प्रतिबन्ध सदैव यह है कि जिला मजिस्ट्रेट या ऐसा अधिकारी या समिति या प्राधिकारी यथाशक्य शीघ्र प्रथम निर्वाचन कराने के लिए और सामान्यतया {नगरपालिका}[1] द्वारा, उसके गठित हो जाने पर, शीघ्रता से अपना कर्तव्य—भार ग्रहण करने के लिए प्रारम्भिक व्यवस्था करेगा।

{***}[2]

{333—क—— जहां किसी सक्रंमणशील क्षेत्र के स्थान पर कोई लघुतर नगरीय क्षेत्र घोषित किया जाय, वहां लघुतर नगरीय क्षेत्र की घोषणा के दिनांक से निम्नलिखित परिणाम होंगे—

किसी संक्रमणशील क्षेत्र के स्थान पर कोई लघुतर नगरीय क्षेत्र की घोषणा के परिणाम

(एक) ऐसे समस्त कर, शुल्क, लाइसेंस, जुर्माने या शास्ति को, जो उक्त दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को नगर पंचायत द्वारा अधिरोपित, विहित या उद्ग्रहीत किए गए हों, इस अधिनियम के अधीन या इसके उपबन्धों के अनुसार नगरपालिका परिषद् द्वारा अधिरोपित विहित किया उद्ग्रहीत किए गए समझे जायेंगे और जब तक कि उन्हें उपान्तरित या परिवर्तित न किया जाये, पूर्ववत् वसूल किया जायेगा;

(दो) नगर पंचायत द्वारा उक्त दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को या उसके पूर्व अपनी निधि से उपगत किया गया कोई भी व्यय नगरपालिका परिषद् द्वारा उसकी प्रकार उपगत किया जाता रहेगा मानो वह इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्राधिकृत कोई व्यय रहा हो;

(तीन) उक्त दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को नगर पंचायत में निहित समस्त सम्पत्ति, जिसके अन्तर्गत किसी विलेख, संविदा, बन्ध, प्रतिभूति या वाद—प्राप्य वस्तु के अधीन कोई अधिकार या लाभ भी है, नगरपालिका परिषद् को अन्तरित और उसमें निहित हो जायेगी और उसके लाभ के लिए प्रवृत्त हो जायेगी;

(चार) ऐसे समस्त दायित्व, चाहे वे संविदा के कारण या अन्यथा उत्पन्न हुए हों, जो नगर पंचायत के प्रति प्रोदभूत हुए हों और उक्त दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को बकाया हो, तत्पश्चात् नगरपालिका परिषद् के दायित्व हो जायेंगे;

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 157 द्वारा निकाला गया।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय—तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

(पांच) नगर पंचायत की नगरपालिका निधि और इसके द्वारा उद्ग्रहीत या वसूल किए गए कर, पथकर फीस या जुर्माना का व्यय न किया गया समस्त आगम नगरपालिका परिषद् की नगरपालिका निधि को अन्तरित हो जायेगा और उसकी निधि का भाग बन जायेगा;

(छः) समस्त विधिक कार्यवाहियां, जो नगर पंचायत द्वारा या उसके विरूद्ध आरम्भ की गई हो और उक्त दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को विचाराधीन हो, नगरपालिका परिषद् द्वारा या उसके विरूद्ध चलती रहेगी;

(सात) कोई ऐसा अधिकारी या सेवक, जो उक्त दिनांक के पूर्ववर्ती दिनांक को नगर पंचायत द्वारा पूर्णकालिक नियोजन में नियोजित हो, नगरपालिका परिषद् को स्थानान्तरित हो जायेगा और उसका अधिकारी या सेवक हो जायेग मानो वह उसके द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नियुक्त किया गया हो; और

(आठ) नगर पंचायत द्वारा किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, जिसमे की गई कोई नियुक्ति या प्रत्यायोजन, जारी की गई कोई अधिसूचना, जारी किया गया कोई आदेश या निदेश, बनाया गया कोई नियम, विनियम, आकार–पत्र, उपविधि या योजना स्थापित किया गया कोई अनुज्ञा–पत्र या लाइसेंस या किया गया कोई रजिस्ट्रीकरण भी है, नगरपालिका परिषद् द्वारा किया गया या की गई समझी जायेगी और तद्नुसार तब तक बनी रहेगी जब तक कि वह इसके द्वारा किए गए किसी कार्य या की गई किसी कार्यवाही द्वारा अधिष्ठित न हो जाये।}[1]

किसी वर्तमान नगरपालिका क्षेत्र से किसी क्षेत्र को निकाल कर नगरपाालिका के गठन का परिणाम

{333–ख–– नगरपालिका क्षेत्र के लिए कोई नगरपालिका ऐसे वर्तमान नगरपालिका से (जिसे आगे इस धारा में अविभाजित नगरपालिका क्षेत्र कहा गया है) निकाल कर गठित किए जायें, वहां नगरपालिका के गठन के दिनांक से (जिसे आगे इस धारा में उक्त दिनांक कहा गया है) निम्नलिखित परिणाम होंगे –

(क) अविभाजित नगरपालिका क्षेत्र की नगरपालिका द्वारा उक्त दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को अधिरोपित, विहित या उद्गृहीत समस्त कर फीस, लाइसेंस, जुर्माने या शास्ति को इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नवगठित नगरपालिका द्वारा अधिरोपित, विहित या उद्गृहीत समझा जायेगा;

(ख) नव–गठित नगरपालिका में सम्मिलित क्षेत्र के सम्बन्ध में अविभाजित नगरपालिका क्षेत्र की नगरपालिका द्वारा उक्त दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को या उसके पूर्व अपनी निधि से उपगत किया गया कोई भी व्यय, नव–गठित नगरपालिका द्वारा उसी प्रकार उपगत किया जाता रहेगा मानो वह इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्राधिकृत कोई व्यय रहा हो ;

(ग) नव–गठित नगरपालिका के क्षेत्र के भीतर ऐसी समस्त सम्पत्ति, जिसके अन्तर्गत किसी विलेख, संविदा, बन्ध, प्रतिभूति या वाद प्राप्य वस्तु के अधीन कोई अधिकार या फायदा भी है, जो उक्त दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को विभाजित नगरपालिका क्षेत्र की नगरपालिका में निहित थी, नव–गठित नगरपालिका को अन्तरित और उसमें निहित हो जायेगी और उसके फायदे के लिए प्रवृत्त हो जाएगा;

(घ) नव–गठित नगरपालिका में सम्मिलित क्षेत्र के सम्बन्ध में ऐसे समस्त दायित्व, चाहे वे संविदा के कारण या अन्य प्रकार से उत्पन्न हुए हों, जो अविभाजित नगरपालिका क्षेत्र की नगरपालिका के प्रति प्रोद्भूत हुए हों और उक्त दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को बकाया हो, तत्पश्चात् नव–गठित नगरपालिका के दायित्व हो जायेंगे;

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 158 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ङ) अविभाजित नगरपालिका क्षेत्र की नगरपालिका की निधि का ऐसा भाग और अविभाजित नगरपालिका क्षेत्र की नगरपालिका द्वारा उद्‌गृहीत या वसूल किए गए कर, पथकर, फीस या जुर्माना का व्यय न किए गए आगम का ऐसा भाग, जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जायेगा, नव–गठित नगरपालिका की नगरपालिका निधि को अन्तरित हो जायेगा और उसका भाग बन जायेगा;

(च) अविभाजित नगरपालिका क्षेत्र की नगरपालिका के ऐसे सेवक, जिनका स्थानान्तरण विहित प्राधिकारी के परामर्श से नव–गठित नगरपालिका में किया जाये, नव–गठित नगरपालिका के सेवक हो जायेंगे, मानों उन्हें इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन और अध्यधीन रहते हुए, नव–गठित नगरपालिका द्वारा नियुक्त किया गया है;

(छ) नव–गठित नगरपालिका में सम्मिलित क्षेत्र के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, जिसके अन्तर्गत की गई कोई नियुक्ति या प्रत्यायोजन, जारी की गई कोई अधिसूचना, जारी किया गया कोई आदेश या निदेश बनाया गया कोई नियम, विनियम, आकार पत्र उपविधि या योजना, स्वीकृत किया गया अनुज्ञा–पत्र या लाइसेंस या किया गया कोई रजिस्ट्रीकरण भी है, नव–गठित नगरपालिका द्वारा किया गया या की गई समझी जायेगी।}[2]

निरसन तथा व्यावृत्तियां

334–– (1) अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिसमितियां निरसित की जाती है।

(2) प्रतिबन्ध यह है कि इस नियमों का प्रभाव निम्नलिखित पर नहीं पड़ेगा :–

(क) किसी नियुक्ति की विधिमान्यता पर, या धनराशि या सम्पत्ति के अनुदान या विनियोग पर या किसी कर या चुंगी; जो एतद्द्वारा निरस्त की गई किसी अधिनियमित के अधीन की गई या अधिरोपित की गई हो; या

(ख) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व नियुक्त किसी अधिकारी के पारिश्रमिक के निबन्धन या पेन्शन सम्बन्धी अधिकार।

भारतीय रेल अधिनियम, 1890 के सम्बन्ध में व्यावृत्ति

335–– इस अधिनियम की किसी बात का भारतीय रेल अधिनियम, 1890 के या उस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम के किसी उपबन्ध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व किए गए कार्यों की विधि मान्यता

336–– इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व कि गए समस्त कार्य, जो यदि यह अधिनियम प्रवृत्त रहता, विधिपूर्ण किए गए होते, विधिपूर्ण किए गए समझे जायेंगे।

336–क–– {***}[1]

अध्याय 12
नोटीफाइड एरिया

337–– {***}[3]

338–– {***}[3]

339–– {***}[3]

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 वर्ष 1964 द्वारा निकाला गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 159 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 160 द्वारा निकाला गया।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

[1]{340—— (1) यदि इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति में किसी बात के होने के कारण इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, जैसा अवसर विशेष पर अपेक्षित हो, अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध बना सकती है, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश द्वारा बनाए गए उपबन्ध प्रभावी होंगे मानों इस अधिनियम में अधिनियमित किए गए हैं और ऐसा कोई आदेश किसी भूतलक्षी दिनांक से किन्तु, जो उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के पूर्व का दिनांक नहीं होगा, दिया जा सकता है।

(4) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

सन्दर्भों का अर्थ

341—— उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक की ओर से, किन्हीं नियमों, विनियमों, उपविधियों, परिनियत लिखतों में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी लेख्य या कार्यवाही में नगरपालिका या संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914 के अधीन टाउन एरिया कमेटी {या धारा 338 के अधीन गठित नोटीफाइड एरिया कमेटी}[3] के उल्लेख का अर्थ यह किया जायेगा कि वह {नगरपालिका बोर्ड के लिए नगरपालिका परिषद् और टाउन एरिया कमेटी या नोटीफाइड एरिया कमेटी के लिए नगर पंचायत}[4] का उल्लेख है।

नगरपालिकाओं के गठन तक के लिए व्यवस्था

342—— {(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक नगरपालिका बोर्ड, उसके अध्यक्ष और समितियों, नोटीफाइड एरिया कमेटी और उसके अध्यक्ष या टाउन एरिया कमेटी और अध्यक्ष, जैसे कि वे उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व थे, की सभी शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य, ऐसे प्रारम्भ कर, जिला मजिस्ट्रेट में निहित हो जायेंगे और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उनका प्रयोग पालन और निर्वहन किया जायेगा, जो नगरपालिका बोर्ड, उसके अध्यक्ष और समितियों के संबंध में नगरपालिका परिषद्, उसका अध्यक्ष और समितियों समझा जायेगा और नोटीफाइड एरिया कमेटी और उसके अध्यक्ष या टाउन एरिया कमेटी और उसका अध्यक्ष के संबंध में नगर पंचायत और उसका अध्यक्ष समझा जायेगा। जैसा कि अवसर के अनुसार अपेक्षित हो और यथास्थिति, उसे नगरपालिका, उसका अध्यक्ष या समिति या नोटीफाइड एरिया कमेटी या उसका अध्यक्ष या टाउन एरिया कमेटी या उसका अध्यक्ष समझा जायेगा।}[5]

(2) जिला मजिस्ट्रेट उक्त समय या किसी शक्ति, कृत्य और कर्तव्य को किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी को प्रतिनिहित कर सकता है।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 161 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 51 (क) द्वारा अन्तर्विष्ट।
4. उपर्युक्त की धारा 51 (ख) द्वारा अन्तर्विष्ट।
5. उपर्युक्त की धारा 52 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।

(3) जिला मजिस्ट्रेट, जिसमें किसी नगरपालिका और उसके अध्यक्ष या नोटीफाइड एरिया कमेटी और उसके अध्यक्ष या टाउन एरिया कमेटी और उसके अध्यक्ष की शक्ति, कृत्य और कर्तव्य उत्तर प्रदेश नगरपालिकाओं, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1994 के अधीन निहित है, जिसमें ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी भी सम्मिलित है, जिसे जिला मजिस्ट्रेट ने अपनी शक्ति प्रतिनिहित कर दी है, में इस धारा के उपबन्धों के अधीन ऐसी शक्ति, कृत्य और कर्तव्य निहित समझे जायेंगे।

{(4) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, नगरपालिका परिषद्ों और नगरर पंचायतों के गठन के लिए निर्वाचन उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक से डेढ वर्ष के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कराए जायेंगे और यथास्थिति नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत के गठित हो जाने पर उपधारा (1), (2) और (3) के उपबन्ध प्रभावी नहीं रह जायेंगे।}[5] }[3]

अनुसूची 1
{नगरपालिका}[2] की शक्तियां और कृत्य

{धारा 50 (ङ) (दो), 111(1), 112 (1)(क)}

धारा	शक्ति और कर्तव्य	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)
2*	{***}[1]	
3*	{***}[1]	
*	{***}[1]	
*	{***}[1]	
44—क	आकस्मिक रिक्ति होने पर अध्यक्ष का निर्वाचन करना।	
47—क	अध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करना।	
52	अध्यक्ष से रिपोर्ट आदि को प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना।	
54	उपाध्यक्ष निर्वाचित करना या उसका त्याग—पत्र स्वीकार करना।	
57	अधिशासी अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त और नियोजित करना	
58	अधिशासी अधिकारी को पदच्युत करना, हटाना या अन्यथा दण्ड देना और स्वास्थ्य अधिकारी के स्थानान्तरण की सिफारिश करना।	
59	ऐसे मामले में, जिसमें रिक्ति दो मास से अधिक हो, किसी व्यक्ति को स्थानापन्न अधिशासी अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करना।	
61	अधिशासी अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारी के आदेशों के विरूद्ध अधीन ग्रहण करना।	प्रत्यायोजित किया जा सकेगा
63	अधिशासी अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारी से विवरणी आदि को प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना।	
66	सचिव नियुक्त करना, सचिव को पदच्युत करना, हटाना या अन्यथा दण्ड देना।	

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 वर्ष 1953 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 161 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय—तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 52 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

(1)	(2)	(3)
68	सिविल अभियंता, सहायक सिविल अभियंता, विद्युत अभियंता, जलकल अभियंता, सहायक जलकल अभियंता, विद्युत एवं जलकल अभियंता, अर्हता प्राप्त ओवरसियर या सब–ओवरसिवर, सचिव, शिक्षा अधीक्षक या महिला शिक्षा अधीक्षक नियुक्त करना।	.
69	धारा 68 के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी को पदच्युत करना, हटाना या अन्यथा दण्ड देना।	
70(क)	किसी विशेष कार्य के लिए अस्थायी सेवक नियोजित करे का प्रतिषेध करना।	
71	{नगरपालिका}[1] के स्थायी कर्मचारी वर्ग की संख्या और वेतन अवधारित करना।	
72	किसी एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक अधिकारियों के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त करना।	
72(2)	भविष्य निधि स्थापित करना।	
79(3),(4) और (5)	उपदान या अनुकम्पा भत्ता स्वीकृत करना या वार्षिकी स्वीकृत करना या उसे क्रय करना।	
81	किसी सदस्य के विरूद्ध वाद संस्थित करना।	
82(2)(च)	ऐसी धनराशि निश्चित करना, जिस धनराशि तक कोई सदस्य नगरपालिका को यदा कदा होने वाली बिक्री में हित रखता हो।	
94(6)	किसी संकल्प को उपान्तरित या रद्द करना।	
96(1)	{ऐसी संविदा स्वीकृत करना, जिसके लिए बजट में कोई व्यवस्था न हो या जिसमें ऐसा मूल्य या धनराशि अन्तर्ग्रस्त हो, जो किसी नगरपालिका परिषद् द्वारा की गई संविदा की दशा में दस हजा रुपये और नगर पंचायत द्वारा की गई संविदा की दशा में तीन हजार रुपये से अधिक न हो।}[2]	
96(2)	{नगरपालिका}[1] की किसी समिति या अधिकारी या सेवा की अन्य संविदा स्वीकृत करने के लिए सशक्त करना।	
96(3)	अभियंता को संविदा स्वीकृत करने के लिए सशक्त करना।	
97(2)(ख)	{***}[3]	
99	बजट स्वीकृत करना या बजट में फेरफार या परिवर्तन करना।	
104(1)	समितियों के सदस्यों को नियुक्त करना और हटाना।	
104(2)	सलाहकार समितियां स्थापित करना और उनके सदस्यों की नियुक्ति करना ।	
105	{नगरपालिका}[1] के सदस्यों से भिन्न व्यक्तियों को समितियों में नियुक्त करना।	
106	समितियों में रिक्तियों की पूर्ति करना।	
107(1)	किसी समिति का सभापति नियुक्त करना।	
109	समिति से विवरणी इत्यादि मांगना।	
110	संयुक्त समितियां नियुक्त करना और किसी ऐसे लिखत में फेरफार करना या उसको विखण्डित करना, जिसके आधार पर कोई संयुक्त समिति नियुक्त की गई है।	

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 162(क)(एक) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 162 (क)(दो) द्वारा निरसित।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

(1)	(2)	(3)
112	{नगरपालिका}[2] को प्रदत्त या अधिरोपित शक्तियों और कर्तव्यों को प्रत्यायोजित करना।	
115	नगरपालिका निधि के किसी भाग का विनिधान करना।	
117	भूमि अर्जन के लिए राज्य सरकार से निवेदन करना।	
118	{नगरपालिका}[2] को सौंपी गई सम्पत्ति का प्रबन्ध या नियंत्रण करना।	
119	सार्वजनिक संस्थाओं की निधि का प्रबन्ध, नियंत्रण और प्रशासन करना और उसे न्यासतः धारित करना।	
124	{नगरपालिका}[2] में निहित किसी सम्पत्ति का अन्तरण करना	यदि, अन्तरण जंगम सम्पत्ति से सम्बन्धित है तो इसे प्रत्यायोजित किया जा सकेगा
125	नगरपालिका निधि से प्रतिकर देना।	
128–137	कर के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करना।	
141	कर निर्धारण सूची को तैयार कराना और कर निर्धारण सूची बनाने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करना।	प्रत्यायोजित की जा सकेगी।
143(3)	आपत्तियां सुनाना और उनको विनिश्चित करना या तदैव आपत्तियों को सुनने और उनको विनिश्चित करने के लिए शक्ति का प्रत्यायोजन करना।	
147(1)	कर निर्धारण सूची का संशोधन करना।	
156	कर का प्रकाशन करने के लिए अनुज्ञा देना।	प्रत्यायोजित की जा सकेगी।
157(1) और (2)	कराधान से छूट देना	
186	{***}[1]	
187	अग्निशामक दल की स्थापना और उनका अनुरक्षण करना।	
189	{***}[1]	
190	{***}[1]	
196(क) और (ख)	सार्वजनिक नोटिस द्वारा गृह संमार्जन या शौचालयों या सण्डासों की सफाई का जिम्मा लेना और इस जिम्मेदारी का त्याग करना।	
197(2)	किसी मकान को धारा 196 (क) के अधीन नोटिस से अपवर्जित करने के लिए आवेदन–पत्र पर आदेश देना।	प्रत्यायोजित की जा सकेगी
211	{***}[1]	
212–क	{नगरपालिका क्षेत्र}[4] के बाहर दो मील की दूरी तक किसी भवन या मार्ग और नाली के निर्माण को नियंत्रित और विनियमित करना।	
217(1) (क)	किसी मार्ग का नाम रखना।	

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 वर्ष 1964 द्वारा निरसित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 53 (क) (दो) द्वारा प्रतिस्थापित।

(1)	(2)	(3)
219	किसी सार्वजनिक मार्ग का निर्माण करना, उसे परिवर्तित करना, मोड़ना या बन्द करना, उस पर भवन स्थलों की व्यवस्था करना, ऐसे प्रयोजनों के लिए भूमि अर्जन करने की कार्यवाही करना और इस प्रकार अर्जित भूमि को बेचना या उसका निस्तारण करना।	
221	किसी मार्ग को सार्वजनिक मार्ग घोषित करना।	
222(1) और (3)	मार्ग को नियमित पंक्ति परिभाषित करना।	
224	जलकल का निर्माण करना और उसमें परिवर्तन करना।	
237(1)	बिक्री के लिए पशुओं के वध के लिए परिसर निश्चित करना।	
238	ऐसे पशुओं के लिए वध स्थान निश्चित करना, जो बिक्री के लिए आशयित न हो या जिसका धार्मिक प्रयोजन के लिए वध किया जाये और अन्य स्थान पर ऐसे वध का प्रतिषेध करना।	
245(1)	{***}[1]	
250(1)	कुत्तों के मुख पट्टे बांधने की अपेक्षा करना।	
253 प्रति–बन्धात्मक खण्ड	निदेश देना कि यह धारा उन गाड़ियों पर लागू न होगी जो पैदल चलने की गति से अधिक न चलाई जा रही हो।	
257(1)	निदेश देना कि {नगरपालिका}[2] की सहमति के बिना छतें और बाहरी दीवालें ज्वलनशील सामग्री से नहीं बनाई जायेंगी।	
259	ज्वलनशील सामग्री आदि का ढेर लगाने या जमा करने का प्रतिषेध करना।	
269	तालाब और ऐसे ही अन्य स्थानों के अपदूषण को हटाने की अपेक्षा करना जब ऐसा करने में नगरपालिका द्वारा भूमि का अर्जन करना या उसकी व्यवस्था करना, अन्तर्दिष्ट हो।	
273(1)(ख)	सन्तापकारी पदार्थ और कूड़ा–करकट के निस्तारण के लिए स्थान नियत करना और उसके हटाने के लिए समय, रीति और शर्तों के सम्बन्ध में निदेश जारी करना।	
275(3)	पशुओं के शव के निस्तारण के लिए फीस करना।	
278	{***}[1]	
282	स्वास्थ्य के लिए हानिकर खेती; खाद का उपयोग या सिंचाई करने का प्रतिषेध करना।	
285	कब्रिस्तान और श्मशान भूमि की व्यवस्था करना या उन्हें बन्द करना या उन्हें बनाए जाने की अनुमति देना, सार्वजनिक नोटिस से निजी कब्रगाहों को अपवादित करना और किसी गैर मान्यता प्राप्त कब्रिस्तान या शमशान भूमि का उपयोग करने की अनुमति देना।	
286	स्नान और धुलाई करने के स्थान को पृथक करना, ऐसे स्थानों के प्रयोग के लिए शर्तें विहित करना और अन्य स्थानों पर स्नान और धुलाई करने का प्रतिषेध करना।	

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 वर्ष 1964 द्वारा निरसित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

(1)	(2)	(3)
290(2)	नगरपालिका निधि से जलकल या धारा 192, 267 और 268 के अधीन किसी कार्य के निष्पादन की स्वीकृति देना।	
290(3)	किसी जलकल या जल निस्तारण से अनुलग्नक साधित्र में {नगरपालिका}[1] के हित को किसी भवन या भूमि के स्वामी को अन्तरित करना।	
297	विनियम बनाना।	
298	उपविधियां बनाना।	
299	यह निदेश देना कि उपविधियों का भंग किया जाना जुर्माने से दण्डनीय होगा।	
सामान्य	कोई शक्ति, कर्तव्य या कृत्य, जिसके बारे मे नियम द्वारा यह अपेक्षित हो कि उसका प्रयोग, पालन या निर्वहन स्वयं {नगरपालिका}[1] द्वारा संकल्प के माध्यम से किया जायेगा।	

अनुसूची II
अधिशासी अधिकारी की अनुसूचित शक्तियां

{धारा 60 (1) (घ) और 61 (1) (क)}

धारा	शक्ति और कर्तव्यों का प्रकार	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)
75	स्थायी अवर कर्मचारी वर्ग की निमुक्ति करना।	
76	{स्थायी अवर कर्मचारी वर्ग को पदच्युत करना, हटाना या अन्यथा दण्ड देना।}	
79 (1)	अधिकारी या सेवक को छुट्टी भत्ता देना।	
142	उस स्थान की सार्वजनिक नोटिस देना, जहां कर निर्धारण सूची का निरीक्षण किया जा सकेगा।	
143(1)	मूल्यांकन और कर निर्धारण पर विचार करने के लिए निश्चित समय की सार्वजनिक नोटिस देना और सम्पत्ति के स्वामी या अध्यासी को नोटिस देना।	
143(2)	मूल्यांकन और कर निर्धारण के सम्बन्ध में आपत्तियां प्राप्त करना।	
147(2)	कर निर्धारण सूची के प्रस्तावित परिवर्तन में हितबद्ध व्यक्तियों को उस दिनांक की, जिस दिनांक को परिवर्तन किया जायेगा, नोटिस देना।	
148(1)	किसी भवन के नव–निर्माण, पुनर्निर्माण या विस्तार की नोटिस प्राप्त करना।	
150(2)	पट्टाकर्ता से कर उद्ग्रहण करने के विकल्प का प्रयोग करना।	
151(1) और (2)	ऐसे किसी भवन, वासगृह या भूमि को, जो खाली हो और जिससे किराया न मिलता हो, कर से छूट देना या उसे वापस करना।	

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

(1)	(2)	(3)
152(1)	किसी भवन या भूमि के पुनः अध्यासन की नोटिस प्राप्त करना।	
158	ऐसी सूचना मांगना, जिसका प्रभाव कराधन के दायित्व पर पड़ता हो।	
166	करों और अन्य देयों के बिल प्रस्तुत करना।	
168	मांग की नोटिस तामील करना।	
169	करस्थम वारण्ट जारी करना।	
172(2)	करस्थम माल को बेचना।	
172(3)	वापसी के लिए आवेदन–पत्र प्राप्त करना और उसे वापस करना।	
173	वारन्ट जारी करने के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन–पत्र देना।	
176	मांग के लिए वाद लाना।	
178(1)	भवन इत्यादि का निर्माण, पुनर्निर्माण करने या उसमें तात्विक परिवर्तन करने के आशय की नोटिस प्राप्त करना।	
179(1)	यह अवधारित करना कि ऐसी नोटिस के सम्बन्ध में सूचना समाधानप्रद है।	
179(2)	रेखांक विनिर्देश और अग्रेत्तर सूचना मांगना।	
{186	नोटिस द्वारा यह निदेश देना कि किसी भवन इत्यादि का निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्तन रोक दिया जाय या किसी भवन इत्यादि में परिवर्तन किया जाये या उसे गिरा दिया जाये।}[1]	
{189	नालियों का निर्माण करना।}[1]	
{190	नगरपालिका की नालियों से परिवर्तन करना और उन्हें बन्द करना।}[1]	
191(1)	निजी नालियों को नगरपालिका की नालियों से जोड़ने की अनुज्ञा देना और उसके लिए शर्तें विहित करना।	
191(2)	किसी उपविधि का या अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन करके या बिना अनुज्ञा प्राप्त किए बनाई गई नाली को बन्द करने आदि की अपेक्षा करना।	
192(1)	सार्वजनिक नाली के साथ जल निस्तारण का संयोजन करना।	
193	नालियों का निर्माण करने के लिए आवेदन–पत्र प्राप्त करना, आपत्तियां बनाना, उन पर आदेश देना और निर्माण की लागत और प्रतिकर वसूल करना।	उपधारा (3) के अधीन अभि–लिखित आदेश के विरूद्ध अपील की जा सकेगी
194	नाली को मोड़ने के लिए अनुज्ञा देना और इस प्रकार नाली मोड़ने के लिए शर्तें विहित करना।	
196(ग) और (घ)	अध्यासी की सहमति से गृह संमार्जन करने या विष्टा या अन्य दुर्गन्धयुक्त पदार्थ या कूड़ा–करकट हटाने का जिम्मा लेना और इस जिम्मेदारी का त्याग करना।	
201(1)	रूढ़िगत सफाईकारों द्वारा उपेक्षा किए जाने पर मजिस्ट्रेट से शिकायत करना।	

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 वर्ष 1964 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

(1)	(2)	(3)
202(2)	किसी कृषक द्वारा गृह संमार्जन की उचित व्यवस्था न किए जाने पर मजिस्ट्रेट से शिकायत करना।	
204	मार्ग का विन्यास करने और उसे बनाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन–पत्र प्राप्त करना।	
209	प्रक्षेप के लिए अनुज्ञा देना।	अनुज्ञा देने से इंकार करने के विरूद्ध अपील की जा सकेगी
211	प्रक्षेप को हटाने या उसे परिवर्तित करने के लिए नोटिस जारी करना।	
213	भवन आदि के निर्माण और मरम्मत के लिए अनुज्ञा देना और सूचना–पट्ट आदि के सम्बन्ध में आदेश जारी करना।	
214	झाड़ियों और पेड़ों को काटने और छांटने की अपेक्षा करना।	
215	गिरे हुए मकान इत्यादि के कारण हुई बाधा को हटाना और उसे हटाने में होने वाले व्यय को वसूल करना या उसे हटाए जाने की अपेक्षा करने के लिए नोटिस जारी करना।	
216	बरसाती पानी के लिए नांदों और नलों की व्यवस्था करने की अपेक्षा करना।	
217(1)(ख) और (ग)	किसी मार्ग का नाम रखना या भवन पर संख्या डलवाना या स्वामी या अध्यासी से संख्या पट्टिका लगाने की अपेक्षा करना और ऐसे नामों और संख्याओं में परिवर्तन कराने या करने की अपेक्षा करना।	
218	भवनों पर बत्तियों टेलीग्राफ या टेलफोन के तारों इत्यादि के लिए खम्भे और ब्रेकेट लगवाना।	
220	किसी सार्वजनिक मार्ग या स्थान को उपयोग या अध्यासन करने के लिए अनुज्ञा देना।	
223	सार्वजनिक मार्गों इत्यादि की मरम्मत के समय बाड़ा लगाने और रोशनी की व्यवस्था करना।	
225(1)	निजी कुओं की सफाई किए जाने की अपेक्षा करना।	
225(2)	किसी व्यक्ति से निजी कुंए इत्यादि का प्रयोग न करने पर उसे बन्द कर देने या बाड़ा लगा देने की अपेक्षा करना।	अपीलीय
227	जल सम्भरण के किसी स्रोत के निकट नालियों, शौचालयों इत्यादि को हटाने या बन्द करने की अपेक्षा करना।	अपीलीय
229	करार द्वारा जल सम्भरण करना।	
230	जल सम्भरण के लिए प्रभार लेना।	
236	नालियों इत्यादि के ऊपर अनधिकृत भवनों को हटाना या उसके सम्बन्ध में अन्य प्रकार की कार्यवाही करना या ऐसे भवन इत्यादि को हटाने के लिए नोटिस जारी करना।	अपीलीय
240	किसी उपविधि का उल्लंघन करके नगरपालिका की सीमा के भीतर लाए गए गोश्त का अभिग्रहण करने के लिए किसी अधिकारी को प्राधिकार देना और ऐसे गोश्त के निस्तारण के लिए आदेश जारी करना।	

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

(1)	(2)	(3)
244(1)	बिक्री के लिए प्रदर्शित ऐसी वस्तुओं को, जो मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त प्रतीत हो और ऐसी औषधियों को, जिनमें मिलावट होने की या जिनके निष्प्रभावी हो जाने की षंका हो, अभिगृहीत करना और ऐसी औषधियों को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना।	
245(1)	आपत्तिजनक व्यापार के सम्बन्ध में नोटिस जारी करना।	अपीलीय
249	ऐसे कुत्तों को, जिनके जलान्तक (रेबीज) रोग आदि से पीड़ित होने का सन्देह हो, नष्ट या परिरूद्ध करने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करना।	
250(2)	बिना मुख–पट्टे बंधे हुए कुत्तों को नष्ट या परिरूद्ध करने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करना।	
256	किसी सार्वजनिक भूमि को पशुओं या गाड़ियों के पड़ाव के लिए उपयोग में लाने की अनुज्ञा देना।	
257(2)	किसी छत और दीवाल को, यदि वे ज्वलनशील हो, हटाने की अपेक्षा करेगा।	अपीलीय
258	ज्वलनशील सामग्री की तलाशी लेना और अनुज्ञात मात्रा से अधिक किसी मात्रा में रखी गई सामग्री अभिगृहीत करना।	
260	संकटपूर्ण खदान कार्य के सम्बन्ध में नोटिस जारी करना और आसन्न खतरे के निवारणार्थ विज्ञापन पट या बाड़ा लगाना।	
261	खड़ंजा आदि को हटाने की अनुज्ञा देना और इस प्रकार हटाने जाने के कारण नगरपालिका द्वारा किए गए व्यय को वसूल करना।	
263	नोटिस द्वारा ऐसे भवन इत्यादि को, जो खतरनाक हालत में या खंडहर के रूप में हो, तोड़ देने या उसकी मरम्मत करा देने या कुएं, तालाब आदि की मरम्मत कराने और उनको घेरने की अपेक्षा करना और आसन्न संकट होने की स्थिति में तुरन्त कार्यवाही करना।	किसी तालाब की मरम्मत करवाने या उसे घेरने के आदेश के विरूद्ध अपील की जा सकती है
264	अनध्यासित भवन या भूमि को, जिससे लोक अपदूषण होता हो, सुरक्षित करने या घेरे देने की अपेक्षा करना।	
265	किसी सड़क पर अस्थायी बाधा पहुंचाने की लिखित अनुज्ञा देना और किसी सड़क से कोई बाधा हटाना और हटाए जाने का व्यय वसूल करना।	
266	खुले स्थानों से मिट्टी इत्यादि को हटाने के लिए अनुज्ञा देना।	
267	असार्वजनिक नालियों, नलकूपों, कूड़ेदान, शौचालयों इत्यादि की व्यवस्था करने, उनमें परिवर्तन करने, हटाने, बंद करने सफाई करने और दिखाई न देने की अपेक्षा करना।	शौचालय, मूत्रालय, नाबदान, नाली, नलकूप, कूड़ादान या गंदगी, मैला पानी, कूड़ा–करकट या कचरे के किसी अन्य पात्र को उपधारा (1) के खण्ड (क) के–

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

(1)	(2)	(3)
		अधीन स्वामी या अध्यासी से, बंद करने या हटाने की अपेक्षा करने या उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन उनकी व्यवस्था करने के आदेश के विरूद्ध अपील की जा सकती है
268	कारखानों आदि के लिए शौचालयों, मूत्रालयों की व्यवस्था करने और उनकी सफाई करने की अपेक्षा करना।	
269 (अंशत)	कुओं, तालाबों इत्यादि की सफाई, मरम्मत, ढकने, भरने या जल का निस्सारण करने की अपेक्षा करना।	अपीलीय
270	नालियों, संडासों इत्यादि का निरीक्षण करना और भूमि खुदवाना।	
271	गन्दे भवन या भूमि को स्वच्छ रखने की अपेक्षा करना।	
273(1)(क)	संतापकारी पदार्थ को अस्थायी रूप से जमा करने के लिए पात्र और स्थान की स्थापना करना।	
275(1)	पशुओं के शव के निस्तारण का प्रबन्ध करना।	
275(3) अंशतः	ऐसे निस्तारण के लिए फीस देना और वसूल करना।	
276	सीवेज आदि बहाने के लिए अनुज्ञा देना और उससे सम्बन्धित शर्तें विहित करना।	
277	किसी भवन में प्रवेश करना और उसका निरीक्षण करना और उसे रोगाणुमुक्त आदि करने का निदेश देना।	
{278	मानवीय निवास के लिए अनुपयुक्त भवन के सम्बन्ध में आदेश जारी करना}[1]	अपीलीय
280	हैजा या चेचक के रोगी इत्यादि को चिकित्सालय भेजना।	
283	किसी स्वामी या अध्यासी के अनिष्टकारी वनस्पतियों को साफ करने की अपेक्षा करना।	
284(1)	उपविधियों या अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन करके किए गए उत्खनन आदि को भरने या उसके जल निस्तारण की अपेक्षा करना।	
291	भूमि के किराए की वसूली के लिए कलैक्टर को आवेदन करना।	
293	नगरपालिका में निहित या उसके प्रबन्ध में सौपी गई स्थावर सम्पत्ति के प्रयोग या अध्यसन के लिए फीस लेना और ऐसा प्रभार उद्ग्रहीत या वसूल करना।	
294	लाइसेंस स्वीकृति और अनुज्ञा के लिए फीस लेना।	
307	किसी कार्य को निष्पादित करवाना और उसके व्यय को वसूल करना।	

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 वर्ष 1964 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

(1)	(2)	(3)
308	चूक करने वाले स्वामी के बजाय अध्यासी से नगरपालिका को किराए का भुगतान करने की अपेक्षा करना और किसी अध्यासी से अपेक्षा करना कि वह अपने द्वारा देय किराए इत्यादि के बारे में सूचना प्रस्तुत करे।	
309	अध्यासी द्वारा निष्पादित कार्य को अनुमोदित करना।	
312	हटाई गई सामग्री की बिक्री से हटाए जाने का व्यय वसूल करना, कतिपय शर्तों के अधीन सामग्री स्वामी को लौटा देना या स्वामी द्वारा दावा न किए जाने पर उन्हें बेच देना।	
313(2)	किसी न्यासी या अभिकर्ता को नोटिस देना कि वह स्वामी की ओर से प्राप्त धन को स्वामी की बाध्यता के निर्वहन के लिए प्रयोग में लाये।	
314	शिकायत करके वह सूचना देकर अभियोजन संस्थित करना और ऐसी षिकायत करने और ऐसी सूचना देने के लिए अन्य व्यक्तियों को प्राधिकृत करना।	
317	किसी पुलिस अधिकारी से सूचना प्राप्त करना।	

अनुसूची III
कर अधिरोपित करने के प्रस्ताव का नोटिस

{धारा 131 की उपधारा (3)}

.... {नगरपालिका क्षेत्र}[1] के निवासियों को एतद्द्वारा नोटिस दी जाती है कि {नगरपालिका क्षेत्र}[1] (...................................... के नाम से ज्ञात करके स्थान पर) संलग्न प्रस्ताव में वर्णित कर, स्थानीय कर, {***}[3] या उपकर अधिरोपित करना चाहता है।

{नगरपालिका क्षेत्र}[1] का कोई निवासी, जिसे यहां संलग्न प्रस्ताव या नियमावली पर कोई आपत्ति हो, इस नोटिस के दिनांक के एक पक्ष के भीतर अपनी आपत्तियां लिखित रूप में नगरपालिकाओं को भेज सकेगा।

प्रस्ताव

धारा 131 की उपधारा (1) के अधीन {नगरपालिका क्षेत्र}[1] द्वारा तैयार किया गया प्रस्ताव संलग्न किया जायेगा;

नियमावली

धारा 131 की उपधारा (3) के अधीन बनाई गई नियमावली यहां संलग्न की जायेगी, उसी स्थिति में रखा जायेगा जब कि कर किसी वर्तमान कर के लिए प्रतिस्थापित किया गया हो।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 162 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 53 (ख) द्वारा निरसित।

अनुसूची IV

मांग को नोटिस का आकार–पत्र
{धारा 168}

सेवा में,

क, ख .... निवासी .... नोटिस दी जाती है कि .... {नगरपालिका} श्री .... से .... की धनराशि की मांग करता है, जो कि श्री .... से .... के अधीन, दिनांक .... मास .... 19............. से आरम्भ होने वाली और दिनांक .... मास .... 19 .... को समाप्त होने वाली अवधि के लिए .... के मद्दे (यहां सम्पत्ति, उपजीविका, परिस्थिति या उस बात को जिसके सम्बन्ध में उक्त धनराशि उद्ग्रहणीय है, विवरण दिया जाये) देय है और इस नोटिस के तामील किए जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर उक्त धनराशि का भुगतान .... स्थित {नगरपालिका}[1] कार्यालय में नहीं किया जाता है या {नगरपालिका}[1] के समाधानप्रद रूप में भुगतान न किए जाने के सम्बन्ध में पर्याप्त कारण नहीं बताया जाा है तो व्यय सहित उक्त धनराशि की वसूली के लिए करस्थम का वारण्ट (वारण्ट आफ डिस्ट्रेस) जारी किया जायेगा।

हस्ताक्षर

दिनांक .... मास .... 19 ......

.... {नगरपालिका} के आदेश से।

अनुसूची V

वारण्ट का आकार–पत्र
{धारा 169 की उपधारा (1)}

(यहां पर उस अधिकारी का नाम लिखिए, जिसे वारण्ट के निष्पादन का भार सौंपा गया हो)

चूंकि .... के निवासी क, ख ने पार्श्व में उल्लिखित दायित्व के निमित्त देय .... की धनराशि का, जो .... के अधीन उद्ग्रहणीय है, दिनांक .... 19 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए, भुगतान नहीं किया है और न भुगतान किए जाने का सन्तोषजनक कारण ही बताया है;

और चूंकि उस पर तत्सम्बन्धी मांग का नोटिस तामील किए जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन व्यतीत हो चुके हैं;

अतएव, इसके द्वारा आपको समादेश किया जाता है कि आप संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 171 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उक्त क, ख का .... की धनराशि के, जो उसके द्वारा देय धनराशि है, मूल्य का माल और जंगम वस्तु का अभिग्रहण कर लें, जो उससे निम्नांकित रूप में प्राप्य है –

	रुपया	पैसा
उक्त दायित्व के मद्दे		
नोटिस तामील करने के लिए		

और इस वारण्ट के साथ ऐसे समस्त माल के विवरण की सूचना तत्काल मेरे पास भेजे, जो आपने इसके अन्तर्गत अभिगृहीत किया हो।

आज दिनांक .... मास 19

(हस्ताक्षर किया)
चैयरमैन या अन्य
अधिकारी

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

{धारा 162 (2) देखिए}

टिप्पणी –– यदि माल के हटाए जाने के पूर्व व्यतिक्रमी आपको सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान कर देता है तो वारण्ट को निष्पादित करना आवश्यक न होगा।

अनुसूची VI
करस्थम किए गए सामान की तालिका और विक्रय के नोटिस का प्रभाव
{धारा 171 की उपधारा (4)}

सेवा में,

क, ख .... निवासी .... को सूचित हो कि मैने आज नीचे दी हुई तालिका में विनिर्दिष्ट समान और जंगम वस्तु को दिनांक .... 19 से प्रारम्भ होने वाली और दिनांक .... 19 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए पार्श्व में उल्लिखित दायित्व के लिए रुपये के लिए अभिगृहीत कर लिया है और यदि आप इस नोटिस की तामील के दिनांक से पांच दिन के भीतर {नगरपालिका}[1] कार्यालय में उक्त धनराशि का और उसकी वसूली के व्यय का भुगतान कर देंगे तो उक्त माल और जंगम वस्तु बेच दिया जायेगा।

आज दिनांक 19

(वारण्ट का निष्पादन करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर)

तालिका

(यहां अभिगृहीत माल और जंगम वस्तु का विवरण दीजिए)

अनुसूची VII
राज्य सरकार की शक्तियां, जो प्रत्यायोजित नहीं की जा सकती हैं
{धारा 327}

धारा	शक्ति या कर्तव्य
(1)	(2)
{3	(1) किसी क्षेत्र को सीमाओं के साथ, यथास्थिति, संक्रमणशील क्षेत्र या लघुत्तर नगरीय क्षेत्र विनिर्दिष्ट करना।
	(2) यथास्थिति, किसी संक्रमणशील क्षेत्र या किसी लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में किसी क्षेत्र को सम्मिलित करना या उससे निकालना।}[4]
8(1)(ढ)	{किसी निमित्त किए गए व्यय को नगरपालिका निधि पर समुचित प्रभार घोषित करना}[2]
9–(क)	अधिसूचना द्वारा {नगरपालिका}[1] के सदस्यों की संख्या, जो निर्वाचित किये जा सकते हों, विहित करना।
{9–(घ)	सदस्यों को यथास्थिति नगर पंचायत या नगर परिषद् के नाम–निर्दिष्ट करना। }[5]
10	{***}[6]

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय–तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 162 (तीन) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 53 (ग)(एक) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 53 (ग)(तीन) द्वारा बढ़ाया गया।
6. उपर्युक्त की धारा 53 (ग)(चार) द्वारा निरसित।

(1)	(2)
{13—क	किसी नगरपालिका के सामान्य निर्वाचन के लिए दिनांक नियत करना।}[13]
13—च	इस धारा के (क) और (ख) के अधीन किसी अनर्हता को हटाना।
13—झ	{***}[2]
30	किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किसी {नगरपालिका}[1] का विघटन {***}[3] करना।
31	{***}[4]
34(2)	किसी नगर के सम्बन्ध में विहित प्राधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन दिए गए किसी आदेश को विखण्डित या उपांतरित करना।
35 (अंशतः)	{***}[5] किसी कर्तव्य के पालन के लिए अवधि निश्चित करना और यदि इस प्रकार निश्चित अवधि के कर्तव्य का पालन न किया तो उसका करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को नियुक्त करना और यह निदेश देना कि उक्त कर्तव्य के पालन में होने वाले व्यय का भुगतान {नगरपालिका}[1] द्वारा किया जायेगा।
40(1)	{किसी नगर के बोर्ड के किसी सदस्य को हटाना।}[6]
40(2)	{***}[7]
40(3)	कतिपय विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में किसी सदस्य हो हटाना।
40(5)	{***}[7]
40(6)	किसी सदस्य को दण्ड के रूप में चेतावनी देना {***}[8]
40(4)	राज्य सरकार द्वारा हटाए गए, किसी सदस्य को पुनः निर्वाचन या नाम—निर्दिशन के लिए अपात न रह गया घोषित करना।
47—क	{***}[9]
48	किसी अध्यक्ष को हटाना {***}[10]
55 (3)	किसी उपाध्यक्ष को हटाना {***}[11]
57	अधिशासी अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति का अनुमोदन।
57(2—क)	लेखा अधिकारी को नाम—निर्दिष्ट करना और उनकी सेवा की शर्तों और निबन्धनों को निर्धारित करना
58	किसी अधिशासी अधाकरी द्वारा अपने पदच्युत किए जाने, हटाए जाने या अन्यथा दण्डित किए जाने के विरूद्ध की गई अपील ग्रहण करना और उस पर आदेश पारित करना, किसी स्वास्थ्य अधिकारी का स्थानान्तरण एक {नगरपालिका}[1] से दूसरे {नगरपालिका}[1] में करना।

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 162 (ग)(पांच) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 162 (ग)(छः) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 162 (ग)(सात) द्वारा बढ़ाया गया।
5. उपर्युक्त की धारा 162 (ग)(आठ) द्वारा निरसित।
6. उपर्युक्त की धारा 162 (ग)(नौ) द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उपर्युक्त की धारा 162 (ग)(दस) द्वारा प्रतिस्थापित।
8. उपर्युक्त की धारा 162 (ग)(ग्यारह) द्वारा बढ़ाया गया।
9. उपर्युक्त की धारा 162 (ग)(बारह) द्वारा निरसित।
10. उपर्युक्त की धारा 162 (ग)(तेरह) द्वारा प्रतिस्थापित।
11. उपर्युक्त की धारा 162 (ग)(चौदह) द्वारा प्रतिस्थापित।
12. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय—तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।
13. उपर्युक्त की धारा 53 (ग)(पांच) द्वारा प्रतिस्थापित।

(1)	(2)
59(3)	किसी स्थानापन्न अधिशासी अधिकारी नियुक्ति को अनुमोदित करना, यदि नियुक्ति की अवधि दो मास से अधिक हो।
60—क	यह निदेश देना कि किसी {नगरपालिका}[2] में अधिशासी अधिकारी को प्रदत्त कतिपय शक्तियों का प्रयोग स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया जायेगा कि अधिशासी अधिकारी द्वारा।
60—ख	यह निदेश देना कि किसी {नगरपालिका}[2] में विद्युत, सार्वजनिक निर्माण और जलकल विभागों और नगरपालिका संग्रहालय के मुख्य अधिकारी अपने विभाग के सम्बन्ध में धारा 60 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करेंगे।
65	{नगरपालिका}[2] द्वारा अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति करने में असफल रहने पर, किसी व्यक्ति को अधिशासी अधिकारी या अधिशासी अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए, नियुक्त करना और ऐसी नियुक्ति के सम्बन्ध में वेतन, भविष्य निधि के लिए अंशदान या पेन्शन और शर्तें निश्चित करना।
73 और 74	{***}[1]
79 (4) और (5)	{नगरपालिका}[2] द्वारा अनुकम्पा भत्ता या वार्षिकी दिए जाने या उसके क्रय किए जाने की स्वीकृति देना।
99(2)	विनिर्दिष्ट अधिकारियों को बजट प्रस्तुत करने का निदेश देना।
102	यह निदेश देना कि विनिर्दिष्ट नगरपालिका का बजट स्वीकृत के अधीन होगा।
104 (1)	{नगरपालिका}[2] से समितियां नियुक्त करने की अपेक्षा करना।
110	संयुक्त समितियां नियुक्त करने की अपेक्षा करना।
114—क	{नगरपालिका}[2] को ऋण लेने की अनुमति देना।
115 (2)	बैंकर की प्रतिभूति की धनराशि निर्धारित करना।
116	{नगरपालिका}[2] में साधारणतया निहित सम्पत्ति के सम्बन्ध में आरक्षण करना।
117	भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन {नगरपालिका}[2] के लिए भूमि अर्जित करना।
122 (1)	जब किसी {नगरपालिका}[2] का कोई भाग किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी के नियंत्रण के अधीन रखा जाये तो अधिसूचना द्वारा यह घोषित करना कि नगरपालिका की घोषणा की सम्पत्ति और दायित्व का कितना भाग ऐसे अन्य स्थानीय प्राधिकारी को अन्तरित किया जायेगा।
122 (2)	जब कोई स्थानीय क्षेत्र {यथास्थिति, संक्रमणशील क्षेत्र या लघुतर नगरीय क्षेत्र से अपवर्जित किया जाये}[4] और उसे तत्काल किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी के नियंत्रण के अधीन न रखा जाये तो यह घोषित करना कि किसी {नगरपालिका}[2] की सम्पत्ति और दायित्व का कितना भाग राज्य सरकार को अन्तरित किया जायेगा।
122 (4)	उपधारा (1) या (2) के अधीन आने वाले किसी मामले में यह विनिश्चय करना कि क्या नगरपालिका निधि या दायित्व के किसी भाग का अन्तरण वांछनीय है।

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 वर्ष 1964 द्वारा निरसित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय—तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 53 (ग)(छः) द्वारा प्रतिस्थापित।

(1)	(2)
124 (2)	{नगरपालिका}[2] में निहित किसी सम्पत्ति को सरकार को अन्तरित करने की मंजूरी देना।
126	मेला इत्यादि में पुलिस संरक्षण की व्यवस्था करना और किसी {नगरपालिका}[1] द्वारा प्रभार के भाग को अवधारित करना।
130—क	{नगरपालिका}[1] से कर अधिरोपित करने या उसकी दरों में परिवर्तन करने की अपेक्षा करना।
133 (2)	किसी नगर द्वारा धारा 128 की उपधारा (1) के खण्ड (एक) से (बारह) के अधीन प्रस्तुत कर के प्रस्तावों या धारा 128 की उपधारा (1) के खण्ड (तेरह) के अधीन किसी {नगरपालिका}[1] से प्राप्त कर प्रस्तावों को स्वीकार करना, स्वीकार करने से इंकार करना या अग्रेत्तर विचारार्थ लौटा देना।
135 (2)	राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत करके अधिरोपण के लिए अधिसूचना जारी करना।
137 (2)	{नगरपालिका}[1] से किसी कर या उससे सम्बन्धित दोष दूर करने की अपेक्षा करना।
137 (2)	किसी कर को निलम्बित, समाप्त या कम करना
157 (3)	कर से छूट देना।
160 (1)	कराधान के विरूद्ध अपील सुनने के लिए किसी अधिकारी को सशक्त करना।
180—क	सार्वजनिक आमोद स्थलों के निर्माण को अनुमोदित करना।
279 और 280	संक्रामक रोगों को अधिसूचित करना।
296 (अंशतः)	नगरों से भिन्न {नगरपालिकाओं}[1] पर लागू धारा 153 के खण्ड (क), (ख) और (ग) के अधीन नियमों को छोड़कर नियम बनाना।
318	{नगरपालिका}[1] के कतिपय आदेशों के विरूद्ध अपील सुनने के लिए किसी अधिकारी को नियुक्त करना।
327	शक्ति प्रत्यायोजित करना।
336—क	यह निदेश देना कि संक्रमणकालीन अवधि के दौरान अधिनियम के कुछ अनुकूलनों परिवर्तनों और उपान्तरों के अधीन प्रभावी होगा।
337	{***}[2]
338 (1)(ग)	{***}[2]
338 (2)	{***}[2]
339	{***}[2]

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय—तीन की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 162 (ग)(पन्द्रह) द्वारा निरसित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय—तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

अनुसूची VIII
अपराधों की सूची
{धारा 314}

धारा	अपराध का वर्णन	जुर्माना या अन्य दण्ड, जो अधिरोपित किया जाये
1	2	3
148 (2)	सम्पत्ति कर निर्धारण सूची में नए या परिवर्तित भवन की प्रविष्टि के लिए रिपोर्ट करने में असफल रहना।	50 रुपया या तीन मास के लिए कर का दस गुना।
152 (2)	खाली भवन के पुनः अध्यासन की रिपोर्ट करने में असफल रहना।	50 रुपया या अध्यासन के दिनांक से देयकर का दस गुना।
155	{***}[2]	{***}[2]
185	किसी भवन का अवैध निर्माण या परिवर्तन।	न्यूनतम 250 रुपये के अधीन रहते हुए 1,000 रुपये
191 (2)	किसी नाली का अवैध निर्माण या परिवर्तन।	50 रुपया
201 (2)	रूढ़िगत सफाईकारों द्वारा उपेक्षा।	10 रुपया
207	मार्ग का अवैध निर्माण।	500 रुपया
210	मार्ग या नाली के ऊपर प्राधिकृत प्रक्षेपण का निर्माण।	न्यूनतम 250 रुपये के अधीन रहते हुए 1,000 रुपये
213 (3)	खतरनाक पेड़ काटने और भवन बनाने की अनुमति प्राप्त करने और उसके पूर्वोपाय में असफल रहना।	500 रुपया और दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें अपराध जारी रखा जाये 10 रुपया।
217 (2)	मार्गों के नाम और भवनों की संख्या में अनुसूचित हस्तक्षेप।	250 रुपया
223 (2)	मार्गों की मरम्मत इत्यादि के दौरान किए गए प्रबन्ध में हस्तक्षेप।	50 रुपया
237 (4)	बिना लाइसेंस प्राप्त परिसर में बिक्री के लिए पशुओं का वध करना।	20 रुपया प्राप्त पशु
242	दुग्धशाला के प्रयोजन के लिए रखे गए या भोजन के लिए उपयोग में आने वाले पशुओं को अनुचित चारा देना।	50 रुपया
245	आपत्तिजनक व्यापार के लिए परिसर के प्रयोग को प्रतिषिद्धि या विनियमित करने के लिए दी गई नोटिस का पालन करने में असफल रहना।	200 रुपया और दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें अपराध दोहराया जाये 40 रुपया।
240	अनैतिक प्रयोजनों से आवारा घूमना और प्रलोभन देना।	50 रुपया
247 (2)	किसी गृह को वेश्यागृह के रूप में प्रयोग करने का प्रतिषेध करने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश का अनुपालन।	25 रुपया प्रतिदिन

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 162 (घ) द्वारा निरसित।

1	2	3
248	दुराग्रहपूर्वक भिक्षा मांगना।	50 रुपया
252	मार्ग के नियमों की उपेक्षा	10 रुपया
253	उचित प्रकाश के बिना गाड़ी चलाना।	20 रुपया
254	हाथी आदि को सुरक्षित दूरी पर हटाने में विफल होना।	20 रुपया
255 (1)	पशुओं को सड़क पर भटकने देना या बांधना	250 रुपया
56	नगरपालिका भूमि का पड़ा स्थल के रूप में अप्राधिकृत प्रयोग।	100 रुपया और दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें अपराध जारी रखा जाये 10 रुपया।
257 (3)	अप्राधिकृत ज्वलनशील निर्माण या उसे रहने देना।	25 रुपया और दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें अपराध जारी रखा जाये।
261 (1)	खड़ंजों और नगरपालिका की अन्य सम्पत्ति में अनधिकृत हस्तक्षेप।	1000 रुपया
262	खतरनाक तरीके से आग्रेयायुध चलाना या आतिशबाजी छोड़ना या खतरनाक खेल खेलना।	20 रुपया
265	सड़कों पर बाधा पैदा करना।	500 रुपया और दोषसिद्धि के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसमें अपराध जारी रखा जाये 10 रुपया।
266	सार्वजनिक भूमि की अनधिकृत खुदाई।	500 रुपया और दोषसिद्धि के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसमें अपराध जारी रखा जाये 10 रुपया।
272	स्वामी या अध्यासी दुर्गन्धित पदार्थ को हटाने में विफलता।	50 रुपया और दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें अपराध जारी रखा जाये 5 रुपया।
274	स्वामी या अध्यासी द्वारा कूड़ा–करकट, विष्ठा आदि का अनुचित निस्तारण।	250 रुपया
275 (2)	पशु लोथ के निस्तारण में विफलता।	10 रुपया
276	किसी सड़क या नाली में गन्दे पानी का अनुचित रूप से बहाना।	250 रुपया
279	हैजा, चेचक आदि की सूचना देने में विफलता।	50 रुपया
281	संक्रामक विकार से ग्रस्त होते हुए कतिपय कार्य करना।	50 रुपया

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

1	2	3
285 (5)	ऐसे स्थान पर, जिसे कब्रिस्तान या श्मशान भूमि की मान्यता न प्राप्त हो, शव की अन्त्येष्टि या दाह संस्कार करना।	500 रुपया
295	नगरपालिका कर्मचारियों को बाधा पहुंचाना।	1000 रुपया या छः माह का कारावास या दोनों।
299	ऐसे नियमों या उपविधियों का उल्लंघन करना, जिनके उल्लंघन के लिए शास्ति लगाई जाती है।	1000 रुपया से अनधिक कोई धनराशि, जो विहित की जाये और दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें अपराध जारी रखा जाये 25 रुपया तक।
306	जनसाधारण पर लागू किसी सार्वजनिक नोटिस या अधिनियम के उपबन्ध की अवज्ञा।	1000 रुपया और दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें अपराध जारी रखा जाये 25 रुपया तक।
307	किसी व्यक्ति को जारी की गई नोटिस की अवज्ञा।	1000 रुपया और दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें अपराध जारी रखा जाये 25 रुपया तक।
310	नोटिस के अनुसार स्वामी द्वारा कार्यवाही करने के लिए अनुमति देने से अध्यासी द्वारा इन्कार करना।	इन्कार करने के प्रत्येक दिन के लिए 25 रुपया।

अनुसूची IX

निरसित अधिनियमितियाँ

{धारा 334 (1)}

वर्ष	संख्या	संक्षिप्त नाम या विषय
1	2	3
		राज्य सरकार के अधिनियम
1900	1	दि यूनाइटेड प्राविन्सेज म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट
1901	5	दि यूनाइटेड प्राविन्सेज म्यूनिसिपैलिटीज (अमेन्डमेंट) ऐक्ट
1907	1	दि यूनाइटेड प्राविन्सेज म्यूनिसिपैलिटीज (अमेन्डमेंट) ऐक्ट
1891	1	दि यूनाइटेड प्राविन्सेज वाटर वर्क्स ऐक्ट
1895	2	दि यूनाइटेड प्राविन्सेज म्यूनिसिपैलिटीज (अमेन्डमेंट) ऐक्ट
1901	1	दि यूनाइटेड प्राविन्सेज म्यूनिसिपैलिटीज (अमेन्डमेंट) ऐक्ट
1908	1	दि यूनाइटेड प्राविन्सेज म्यूनिसिपैलिटीज (अमेन्डमेंट) ऐक्ट
1892	1	दि यूनाइटेड प्राविन्सेज लाजिंग हाऊस ऐक्ट
1894	3	दि यूनाइटेड प्राविन्सेज सीवरेज एंड ड्रेनेज ऐक्ट।

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 वर्ष 1995 के अध्याय–तीन की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।

THE [UTTAR PRADESH][5] MUNICIPALITIES ACT, 1916[1]

[[Uttar Pradesh][5] Act No. II of 1916]

An

Act

to consolidate and amend the law relating to Municipalities in the [Uttar Pradesh] Whereas, it is expedient to consolidate and amend the law relating to municipalities in the [Uttar Pradesh];

It is hereby enacted as follows:

CHAPTER l

PRELIMINARY

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the [Uttar Pradesh][5] Municipalities Act, 1916.

(2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force of the first day of July, 1916.

Definitions

2. In this Act unless there is something repugnant in the subject or context –

[(1) "Backward Classes" means the backward classes of citizens specified in Schedule 1 of the Uttar Pradesh Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act, 1994;][3]

(2) "Buildings" means a house, out-house, stable, shed, hut or other enclosure or structure whether of masonary bricks, wood, mud, mental or any other material whatsoever, whether used as a human dwelling or otherwise and includes any verandah, platform, plinth, staircase, door steps, wall including compound wall other than a boundary wall of a garden or agricultural land not appurtenant to a house but does not include a tent or other such portable temporary shelter;

(3) "Bye-law" means a bye-law made in exercise of a power conferred by this Act;

(4) [***][4]

(5) "Compound" means land, whether enclosed or not which is the appurtenance of a building or less the common appurtenance of several buildings;

[(5-A) "Director" means the Director of Local Bodies, Uttar Pradesh appointed under section 31-B;][2]

---

1. For statement of objects and reasons see U. P. Gazette 1975, Part 70, Page 503 of 1915.
2. Added by section 19 of Chapter-III of U.P. Act no. 41 of 1976.
3. Subs. by section 73(a) of Chapter-III of U.P. Act No. 12of 1994.
4. Omitted by section 73 (b) ibid.
5. Subs. by section 32 of U.P. Act No. 26 of 1995.

[(5-AA) "District Planning Committee" means the District Planning Committee constituted under Article 243-ZD of the Constitution;][1]

(6) "Drain" includes a sewer, pipe, ditch, channel or any other device for carrying of sullage, sewage and polluted water, or rain water or sub-soil water, together with pail depots, traps, sinks, cisterns, flush, tanks and other fitting appertaining thereto;

[(6-A) "Finance Commission" means the Finance Commission [constituted under][5] Article243-I of the Constitution;][2]

(7) "Inhabitant" used with reference to a local area means any person ordinarily residing or carrying on business or owing or occupying immovable property therein ;

(8) "Lodging house" includes a collection of buildings, or a building or part of a building used for the accommodation of pilgrims and travellers;

[(8-A) "Master plan" means a comprehensive plan showing therein the existing and proposed local and general layout of :—

(a) arterial streets and transportation lines;

(b) residential sections;

(c) business areas;

(d) industrial areas;

(e) educational institutions;

(f) public parks, play-grounds and other recreational centres;

(g) public and semi-public buildings; and

(h) any other places put to any specified use;][9]

[(9) "Municipality" means an institution of self-Government [referred to in clause (e) of Article 243-P of the Constitution][6] ;

(9-A) "Municipal area" means the territorial area of a municipality [***][7];

[8][(9-B) "Municipal Council" means the Municipal Council constituted under sub-clause (b) of clause (1) of Article 243-Q of the Constitution;

(9-C) "Nagar Panchayat" means the Nagar Panchayat constituted under sub-clause (a) of clause (1) of Article 243-Q of the Constitution;][3]

---

1. Ins. by section 73(c) of Chapter-III of U.P. Act No. 12of 1994.
2. Added by section 73 (d) ibid.
3. Ins. by section 73 (e) ibid.
4. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.
5. Ins. by section 33 (a) ibid.
6. Ins. by section 33 (b) ibid.
7. Omitted by section 33 (c) ibid.
8. Subs. by section 33 (d) ibid.
9. Ins. by U.P. Act No. 26 of 1964.

(10) "Notification" means a notification published in the Official Gazette;

(11) "Occupier" includes an owner in actual occupation of his own land or building;

(12) "Officer of the [Municipality][1]" means a person holding for the time being an office created or continued by or under this Act, but shall not include a member of the [Municipality][1] or of a committee as such;

(13) "Owner" includes a person for the time being receiving or entitled to receive the rent, or a part of the rent, of any land or building, whether on his own account or as trustee, or as agent for a person or for a religious or charitable purpose, or as receiver appointed by or under the order of a court ; or who would so receive the same if the land or building were let to a tenant ;

[(13-A) "Panchayat" means a panchayat referred to in clause (f) of Article 243-P of the Constitution;][2]

(14) "Part of a building" includes any wall, underground room or passage, verandah, fixed platform, plinth, staircase or door-step attached to , or within the compound of an existing building, or constructed on ground which is to be the site or compound of a projected building ;

(15) "Petroleum" means petroleum as defined in the Indian Petroleum Act, 1899 ;

[(16) "Population" means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published ;][3]

(17) (i) "Prescribed" means prescribed by or under this Act or rules made thereunder or by or under any other enactment ;

(ii) "Prescribed authority" means an officer or a body corporate appointed by the State Government in this behalf by notification in the Official Gazette and if no such officer or body corporate is appointed, the Commissioner ;

(18) "Public Place" means a space, not being private property which is open to the use or enjoyment of the public whether such space is vested in the [Municipality][1] or not;

(19) "Public street" means a street—

(a) which is declared a public street by the [Municipality][1] under the provisions of section 22; or

---

1. Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12of 1994.
2. Added by section 73 (f) ibid.
3. Substituted by section 73 (g) ibid.
4. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

(b) which with the consent, express or implied, of the owner of the land comprising the street has been leveled, paved, metalled, channeled severed or repaired out of the municipal or other public funds;

(20) "Regulation" means a regulation made in exercise of a power conferred by this Act;

(21) "Rule" means a rule made in exercise of a power conferred by this Act;

[(21-A) the expression "Scheduled Bank" shall have the meaning assigned to it in the Reserve Bank of India Act, 1934;][8]

(22) "Servant of the [Municipality][9] means any person in the pay and service of the [Municipality][9];

[(22-A) "Smaller urban area" means an area notified as such under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution;][4]

[(22-B) "State Election Commission" means the State Election Commission [constituted under][5] Article 243-K of the Constitution;][1]

(23) "Street" means any road, bridge, footway, lane, square, court, alley or passage which the public or any portion of the public has right to pass along and includes, on either side, the drain or gutters and the land up to the defined boundary of any abutting property, notwithstanding the projection over such land of any verandah or other superstructure;

[(23-A) "Transitional area" means an area in transition from a rural area to an urban area notified as such under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution;][6]

(24) "Vehicle" means a wheeled conveyance capable of being used on a street, and includes a bicycle, tricycle or motor vehicle as defined in the United Provinces Motor Vehicles Taxation Act, 1935 (U.P. Act No. 5 of 1935);

[(24-A) "Wards Committee" means the Wards Committee [referred to in Article 243-S][7] of the Constitution;][2]

---

1. Added by Section 73 (h) of Chapter-III of U.P. Act no 12 of 1994.
2. Added by Section 73 (i) of Chapter-III of U.P. Act no 12 of 1994.
3. Subs by Section 32 of Chapter-III of U.P. Act no 32 of 1995.
4. Subs. by section 33 (e) ibid.
5. Subs. by section 33 (f) ibid
6. Subs. by section 33 (g) ibid
7. Subs. by section 33 (h) ibid
8. Added by U.P Act no 26 of 1964.
9. Subs. by Section 72 of Chapter III of U.P. Act no. 12 0f 1994 .

(25) "Water for domestic purposes" shall not include water for cattle, or for horses, for washing carriages, where the cattle, horses or carriages are kept for sale or hire or for any other commercial purpose or by a common carrier, or water for any trade, manufacture, or business or for building purpose or for watering gardens not appurtenant to any dwelling house or for fountains or for any ornamental purpose;

(26) "Water works" includes all lakes, streams, cisterns, springs, pump, wells reservoirs, aqueducts, cuts, sluices, mains, pipes, culverts, engines, hydrants, stand-pipes, conduits and all machinery, lands, buildings, bridges and tings for supplying of used for supplying water;

(27) where a power is expressed as being conferred on any authority to require a person to do one thing or to do another thing, the authority may, in its discretion require the person to do either thing, or if the nature of the case permits, both of the things, or may give the person the option of doing whichever of the things he chooses.

CHAPTER II

CONSTITUTION AND GOVERNANCE OF MUNICIPALITES

[Declaration etc. of transitional area and smaller urban area.

3. [(1) any area specified by the Governor in the notification under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution with such limits as are specified therein to be a transitional area of urban area, as the case may be.

(2) the Governor may, be subsequent notification under clause (2) of Article 243-Q of the constitution, include or exclude any area in or from a transitional area or a smaller urban area referred in a sub-sections (1), as the case may be.][3]

(3) [The notification in the sub-sections (1) and (2)][4] shall be subject to the condition of the notification being issued after the previous publication required by Section 4 and notwithstanding anything in this section, no area which is, or is part of, a cantonment shall be declared to be a transitional area or a smaller urban area or be included therein under this section.][1]

[Municipality for every transitional area and smaller urban area

3-A [(1) A municipality constituted under clause (1) of Article 243-Q of the Constitution in accordance with Part IX-A thereof shall,-

(a) For every transitional area, be known as the Nagar Panchayat;

(b) For every smaller urban area be known as the Municipal Council.][5]

---

1. Subs. by section 74 of Chapter-III of U.P. Act No. 12of 1994.
2. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.
3. Subs. by section 34 (a) ibid.
4. Subs. by section 34 (b) ibid.
5. Added by section 35 (a) ibid.

(2) Every Nagar Panchayat or Municipal Council constituted under sub-section (1) shall be body corporate.

(3) Notwithstanding anything in sub-section (1),-

(a) every municipal board existing immediately before the commencement of the Uttar Pradesh Urban local Self Government and until the first constitution of the Municipal council under this Act as amended by the said Act][3] be deemed to be a Municipal Council under the Act;

(b) every notified area committee constituted under section 338 or town Area committee constituted under the Uttar Pradesh Town Area Act, 1914, as it stood immediately before the commencement and until the first constitution of the Nagar Panchayat under this Act, as amended by the Act referred to in clause (a)][4] be deemed to be a Nagar Panchayat under this Act.][1]

[1][Constitution and composition of Wards Committees

3-B (1) Each Wards Committee constituted under clause (1) of Article 243-S of the constitution within the territorial area of a Municipal Council, having a population of three lakhs or more, shall consist of five wards.

(2) The territorial area of a Wards Committee shall consist of the territorial area of the wards comprised in such Committee.

(3) Each Wards Committee shall consist of,-

(a) All the member of the municipal council representing the wards within the territorial area of the wards committee;

(b) Such other members, not exceeding three as may be nominated by the State Government form amongst persons registered as electors within the territorial area of the concerned Wards Committee who have special knowledge of experience in municipal administration.

(4) The Wards Committee shall, at its first meeting after its constitution and at its first meeting in the same month in each succeeding year, elect one of the members, mentioned in clause (a) of sub-section (3), as the Chairperson of that Committee.

(5) The duration of the office of the Chairperson shall be one year but he shall hold office until his successor is elected and shall be eligible for re-election.

(6) The Chairperson shall vacate office as soon as he ceases to be a member of the Municipal Council.

(7) In the event of the office of the Chairperson falling vacant, due to resignation or otherwise, before the expiry of his term the Wards Committee shall, in accordance with sub-section (4).

1. Added by section 74 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
2. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.
3. Subs. by section 35 (b) ibid.
4. Subs. by section 35 (c) ibid.

Provided that a Chairperson so elected shall hold office only for the remainder of the period for which the person in whose place he is elected would have held it if such vacancy had not occurred.

(8) The duration of the Wards Committee shall be co-terminus with the team of the municipal council.

(9) Subject to the provisions of this Act, the Wards Committee shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed by rules.][5]

Procedure preliminary to issue notification

4. (1) Before the issue of a notification [referred or in Section 3][6], the [Governor][1] shall publish in the Official Gazette and in a paper approved by it for purposes of publication of public notices, published in the district or, if there is no such paper in the district, in the division, which the local area covered by the notification is situate and cause to be affixed at the office of the District Magistrate and at one or more conspicuous places within or adjacent to the local area concerned a draft in Hindi of the proposed notification along with a notice sating that the draft will be taken into consideration on the expiry of the period as may be stated in the notice.

(2) The [Governor][1] shall, before issuing the notification consider any objection or suggestion in writing which it receives from any person, in respect of the draft within the period stated.

Effect of including area in [transitional area or smaller urban area][2]

5. [Where by a notification referred to in sub-section (2) of Section 3 the Governor includes any area][7] in a [transitional area or smaller urban area][2], such area shall thereby become subject to al notifications, rules, regulations, bye-laws, orders, directions, issued or made under this or any other enactment and in force throughout the [transitional area or smaller urban area][2], at the time immediately preceding the inclusion of the area.

6. [***][3]

Duties of [Municipality][1]

7. (1) it shall be the duty of every Municipality to make reasonable provision [within the municipal area for][8],-

(a) lighting public street and places;

(b) watering public streets and places;

[(bb) making a survey and erection of boundary marks of the Municipality;][9]

---

1. Subs. by section 75 of Chapter-III of U.P. Act No. 12of 1994.
2. Subs. by section 76 ibid.
3. Omitted by section 77 ibid.
4. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.
5. Added by section 36 ibid.
6. Subs. by section 37 ibid.
7. Subs. by section 38 ibid.
8. Subs. by section 39 ibid.
9. Ins. by U.P. Act No. 26 of 1964.

(c) cleaning public streets, places and drains, removing noxious vegetation, and abating all public nuisances;

(d) regulating offensive, dangerous or obnoxious trades, calling or practices;

[(dd) confinement, removal or destruction of stray dogs and dangerous animals;][1]

(e) removing, on the ground of public safety, health or convenience, undesirable obstructions and projection in streets or public places;

(f) securing or removing dangerous building or places;

(g) acquiring, maintaining, changing, and regulating places for the disposal of the dead and making arrangements for disposal of unclaimed dead bodies after ascertaining from the police in writing that there is on objection to do so;

(h) constructing, altering and maintaining public streets, culverts, markets, slaughter-houses, latrines, privies, urinals, drains, drainage words and sewerage works;

[(hh) providing water supply for domestic, industrial and commercial purposes;][2]

(i) planting and maintaining trees in road sides and other public places;

(j) providing a sufficient supply of pure and wholesome water where the health of the inhabitants is endangered by the insufficiency of unwholesomeness of the existing supply, guarding from pollution water use for human consumption and preventing polluted water from being so used;

[(jj) maintaining in addition to any other source of water supply, public wells, if any in working condition , guarding from pollution their water and keeping it fit for human consumption;][1]

(k) registering births and deaths;

(l) establishing, maintaining a system of public vaccination;

(m) establishing maintaining or supporting public hospitals and dispensaries, and providing public medical relief;

[(mm) establishing, maintaining and assisting maternity centers and child welfare and birth control clinics and promoting population control family welfare and small family norms;][3]

---

1. Ins. by section U.P. Act No. 26 of 1964.
2. Subs. by section 78 (a) of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
3. Added by section 78 (b) ibid.
4. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

(n) maintaining or contributing to the maintenance of veterinary hospitals;

[(nn) establishing and maintaining or granting aid to institutions of physical culture;][1]

(o) establishing and maintaining primary schools;

(p) rendering assistance in extinguishing fires and protecting life and property when fires occur;

(q) protecting, maintaining and developing the property vested in, or entrusted or the management of the [Municipality][2];

[(qq) maintaining the finances of the [Municipality][2];][1]

(r) [prompt attention to official letters and preparation of] such returns , statements and reports as the State Government requires the [Municipality][2] to submit; and

(s) fulfilling any obligation imposed by law upon it;

[(t) regulating tanneries;

(u) construction and maintenance of parking lots, bus stops and public conveniences;

(v) promoting urban forestry and ecological aspects and protection of the environment;

(w) safeguarding the interests of weaker sections of society including the handicapped and mentally retarded;

(x) promoting cultural, educational and aesthetic aspects;

(y) constructing and maintaining cattle pounds and preventing cruelty to animals;

(z) slum improvement and up gradation ;

(za) urban poverty alleviation;

(zb) providing urban amenities and facilities such as gardens, publics parks and play grounds.][3]

(2) [***]

Discretionary functions of [Municipalities][2].

8. (1) A [municipality][2] may make provision, within the limits of the municipality and with the sanction of the Prescribed Authority outside such limits for-

1. Ins. by section U.P. Act No. 26 of 1964.
2. Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
3. Added by section 78 (c) ibid.
4. Subs. by section 32 of U.P. Chapter-III of Act No. 26 of 1995.

(a) laying out, in areas whether previously built upon or not , new public streets and acquiring land for that purpose and for the construction of buildings, and their compounds , to abut on such streets;

[(aa) preparing and executing Master Plan;][1]

(b) constructing, establishing, maintaining or contributing to the maintenance of [***][3] libraries, museums, [reading rooms, radio receiving station, lepers' homes, orphanages, baby-folds and rescue homes for women], lunatic asylums, halls , offices, dharamshalas, rest-houses, encamping grounds, poor-houses, dairies, baths, bathing ghats, washing places, drinking fountains, tanks, wells, dams and other works of public utility;

(c) [***][1]

(d) furthering educational objects by measures other than the establishment and maintenance of primary schools;

(e) taking a census and granting rewards for information which may tend to secure the correct registration of vital statistics;

[(ee) granting rewards for information leading to the detection or evasion of tax imposed under this Act, or the detection of the causing of injury to or encroachment on property vested in or entrusted to the management and control of the Municipality;][2]

(f) [***][1]

(g) giving relief, on the occurrence of local calamities, by the establishment and maintenance of relief works or otherwise;

(h) [***][1]

(i) securing or assisting to secure suitable places for the carrying on of any trade or manufacture mentioned under sub-head (a) of heading G of Section 298;

(j) establishing and maintaining a farm or factory for the disposal of sewages;

[(jj) making arrangements for preparation of compost manure from night soil and rubbish;][2]

(k) constructing, subsidizing or guaranteeing tramways, rail-roads or other means of locomotion and electric or gas lighting or electric or gas power works;

[(kk) promoting tourist traffic;

(l) holding fairs and exhibitions;

(ll) preparing and executing House and Town Planning Schemes;

---

1. Omitted by U.P. Act No. 26 of 1964.
2. Ins. by section ibid.
3. Omitted by section 79(a) of Chapter-III of U.P. Act No. 12of 1994.
4. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

(lll) taking measures to promote trade and industry;

(llll) supply of milk;

(lllll) establishing Labour Welfare Centers for its employees and subsidizing the activities of any association, union or club of such employees by grant or loan, for its general advancement;

(llllll) organizing or contributing to Municipality Unions;][1]

(m) adopting any measure, other than a measure specified in Section 7 or in the foregoing provisions of this section likely to promote the public safety, health, or convenience; and

[(mm) removing social disabilities of Scheduled Castes and Backward Classes in such manner as may be prescribed;][3]

[(mmm) taking measures for the control of beggary;][1]

[(n) the doing of anything whereon expenditure is declared by the State Government or by the [Municipality with the sanction][4] of the Prescribed Authority to be an appropriate charge on the Municipal fund;

Provided that the State Government may in respect of any Municipality or all Municipalities, by notification in the Official Gazette, declare any of the functions mentioned in this section to be a duty of Municipality or Municipalities concerned and thereupon the provisions of this act shall apply thereto as if it had been a duty imposed by Section 7.

(2) A Municipality may make provision for the extension beyond the limits of the municipality of the benefits of any municipal undertaking :

Provided that no provision shall be made for the extension of the benefit of a municipal undertaking for the supply of water to any local area which comprises or contains the whole or a portion of a cantonment without the previous sanction of the Central Government.

(3) [***][2]

8-A [***][5]

[6][Composition of Municipality

9. A Municipality shall consist of a President , who shall be its Chairperson, and ,-

[(a) The elected members, whose number shall be not less than 4 and not more then 45, as may be prescribed by the State Government and notified in the Official Gazette.][8]

---

1. Subs. by U.P. Act No. 07 of 1949.
2. Omitted and subs. by U.P. Act No. 26 of 1964.
3. Subs. by section ibid.
4. Subs. by section 79(b) of Chapter-III of U.P. Act No. 12of 1994.
5. Omitted by section 80 ibid.
6. Subs. by section 81 ibid.
7. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.
8. Subs. by section 2 of Uttarakhand Act No. 13 of 2002.

(b) The *ex-officio* members, comprising all members of the House of People and State Legislative Assembly representing constituencies which comprise wholly or partly municipal area;

(c) The *ex-officio* members, comprising all members of the Council of States and t State Legislative Council who are registered as electors within the municipal area;

[(d) Nominated members, who shall be nominated by the State Government, notification in the Official Gazette, from amongst persons having special knowledge experience in municipal administration and whose numbers shall in the case of-

(i) Nagar Panchayat, be not less than two and not more than seven;

(ii) Municipal Council, be not less than three and not more than nine;

Provided that the representation of following clases shall provide necessarily in t nominated members by State Government:-

(1)Scheduled Castes/Scheduled Tribes;

(2)Woman;

(3) Other Backward Classes;

(4)Minority Communities.]

(e) The Chairperson of the committees, if any, established under Section 104, if th are not members under any of the foregoing clauses :

Provided that the persons referred to in clause (d) shall hold office during the pleasu of the State Government and they shall have the right to vote in the meetings of t Municipalities.

Provided further that any vacancy in any category of members referred to in claus (a) to (e) shall be no bar to the constitution or reconstitution of a municipality.][1]

[Reservation of seats — 9-A (1) In every municipality seats shall be reserved for the [Scheduled Castes, t Scheduled Tribes and the Backward Classes][3] and the number of seats so reserved shall be as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats to be filled by dir election in that municipality as the population of the Scheduled Castes in the Municipal a or of the Scheduled Tribes in the Municipal area [or of the Backward Classes in the Munici area][4] bears to the total population of such area and such seats may be allotted by rotation different wards in a municipality in such order as may be allotted by rotation to differe wards in a municipality in such order as may be prescribed by rules :

[Provided that the reservation for the Backward Classes shall not exceed [fourtee percent of the total number of seats in the municipality :

Provided further that that if the figures of population of the Backward Classes are n available, their population may be determined by carrying out a survey in the mann prescribed by rules.][5]

(2) [***][6]

1. Subs. by section 81 of Chapter-III of U.P. Act No. 12of 1994.
2. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.
3. Substituted by section 40 (a) (i) ibid.
4. Subs. by section 40 (a) (ii) ibid.
5. Subs. by section 40 (a) (iii) ibid.
6. Omitted by section 40 (b) ibid.
7. Subs. by section 3 of Uttarakhand Act No. 13 of 2002.
8. subs. by section2 of Uttarakhand Act No.09 of 2014

(3) Not less than one-third of the total number of seats reserved under [sub-section (1)][5] shall be reserved for the women belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or the Backward Classes, as the case may be.

(4) Not less than one-third of the total number of seats in a municipality including the number of seats reserved under sub-section (3) shall be reserved for women and such seats may be allotted by rotation to different wards in a municipality in such order as may be prescribed by rules.

(5) The offices of President [and Vice-president][6] of the Municipalities in the State shall be reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or the Backward Classes, as the case may be as prescribed by rules :

[Provided that if the office of the President of a Municipality is reserved, the office of Vice-President in that Municipality shall not be reserved.][7]

(6) The reservation of seats and offices of the Presidents for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes under this section shall cease to have effect on the expiration of the period specified in article 334 of the Constitution.

Explanation— It is clarified that nothing in this section shall prevent the persons belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, the Backward Classes and the women from contesting election to unreserved seats and offices.][1]

10. [***][2]

[Term of municipality

10-A (1) Every municipality shall, under sooner dissolved under section 39, continue for five years from the date appointed for its first meeting and no longer.

(2) An election to constitute a municipality shall be completed,-

(a) before the expiry of its term specified in sub-section (1); or

(b) before the expiration of a period of six months from the date or its dissolution :

Provided that where the remainder of the period for which the dissolved Municipality would have continued is less than six months, it shall not be necessary to hold any election under this sub-section for constituting the municipality for such period.

(3) A municipality constituted upon the dissolution of a municipality before the expiration of its duration shall continue only for the remainder of the period for which the dissolved municipality would have continued under sub-section (1), had it not been so dissolved.][3]

---

1. Subs. by section 81 of Chapter-III of U.P. Act No. 12of 1994.
2. Omitted by section 82 ibid.
3. Subs. by section 83 ibid.
4. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.
5. Subs. by section 40 (c) ibid.
6. Ins. by section 3 (a) of Chapter-III of U.P. Act No. 3 of 1996.

7. Ins. by section 3 (b) ibid.

[(4) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provisions of this Act, where due to unavoidable circumstances or in the public interest, it is not practicable to hold an election to constitute a Municipal Council/Nagar Panchayat before the expiration of its duration, then until the due constitution of such Municipal Council/Nagar Panchayat, all powers, functions and duties of Municipal Council/Nagar Panchayat, shall be exercised, performed and discharged by the District Magistrate, or by such Gazetted Officer not below the rank of Sub Divisional Magistrate, to be appointed in this behalf by the District Magistrate and such District Magistrate or such Officer shall be called the 'Administrator' and such Administrator shall be deemed in law to be the Chairman/President or Committee, as the occasion may require :

Provided that the term of the Administrator, appointed under this section, shall not exceed six months or till the new constitution of new Board.][8]

10-AA. [***][9]

11. [***][1]

[Delimitation of wards

11-A (1) For the purpose of election of members of a municipality, every municipal area shall be divided into territorial constituencies to be known as wards in such manner that the population in each ward shall, so far as practicable, be the same throughout the municipal area.

(2) Each ward shall be represented by one member in the municipality.][2]

Delimitation Order

11-B (1) The State Government shall by order, determine,-

[(a) the number of wards into which each municipal area shall be divided for purposes of election;][3]

(b) the extent of each ward;

(c) [***][4]

[(d) the number of seats to be reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Backward Classes and the women.][5]

(2) The draft of the Order under sub-section (1) shall be [published in the manner prescribed for a period of not less than seven days.][7]

---

1. Subs. by section 84 of Chapter-III of U.P. Act No. 12of 1994.
2. Substituted by section 85 ibid.
3. Omitted by section 86 (a) ibid.
4. Omitted by section 86 (b) ibid.
5. Subs. by section 86 (c) ibid.
6. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.
7. Subs. by section 41 (a) ibid.
8. Added by section 2 of Uttarakhand Act No. 03 of 2008.
9. Omitted by section 3 ibid.

(3) The State Government shall consider any objections [***][5] filed under sub-section (2) and the draft Order shall, if necessary, be amended, altered of modified accordingly and thereupon it shall become final.

Amendment of Delimitation Order

11-C [(1)][6] the State Government may, after consulting the [Municipality][3] concerned, by a subsequent order, alter or amend the final order under sub-section (3) of Section 11-B.

[(2) For the alteration or amendment of any order under sub-section (3) of Section 11-B shall *mutatis mutandis* apply.][6]

12. [***][1]

Electoral rolls

[Election of members

12-A The members of a [municipality][3] shall be elected on the basis of adult suffrage in accordance with the provisions of this Act.

[Electoral roll for every ward

12-B (1) There shall be an electoral roll for every ward which shall be prepared in accordance with the provisions of this Act under the superintendence, direction and control of the State Election Commission.

[(2) Subject to sub-section (1), the electoral roll for every ward shall be prepared and published by the Electoral Registration Officer in the manner prescribed by rules under the supervision of the Chief Election Officer (Urban Local Bodies).

(2-A) The Chief Election Officer (Urban Local Bodies) and the Electoral Registration Officer referred to in sub-section (2) shall be such officers of the State Government as the State Election Commission may in consultation with the State Government, nominate or designate in this behalf.

(2-B) Upon the publication of the electoral roll, it shall, subject to any alteration, addition or modification made by or under this Act be the electoral roll for the ward prepared in accordance with this Act.][7]

---

1. Omitted by U.P. Act No. 7 of 1953.
2. Chapter-II by section 3 of U.P. Act No. 25 of 1983.
3. Subs. by section 87 of Chapter-III of U.P. Act No. 72 of 1994.
4. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.
5. Omitted by section 41 (b) ibid.
6. Re-numbered and added by section 42 ibid.
7. Subs. by section 43 (a) ibid.

(3) Notwithstanding anything contained in this Act, the [Electoral Registration Officer may for the purpose of preparation of electoral roll for a ward, adopt, in accordance with the direction of the State Election Commission][5] the electoral roll of the Assembly constituency prepared under the Representation of the People Act, 1950 for the time being in force so far as it relates to the area of that ward :

Provided that the electoral roll for such ward shall not include any amendment, alteration or correction made after the last date for making nomination for the election of such ward and before the completion of such election.][2]

[1][Qualification for electors

12-C Subject to the provisions of Section 12-D and 12-E every person who has attained the age of 18 years on the first day of January of the year in which the electoral roll is prepared of revised, and who is ordinarily resident in the area of the ward shall be entitled to be registered in the electoral roll for the ward.

Explanation.-

(i) A person shall not be deemed to be ordinarily resident in the area of a ward on the ground only that he owns, or is in possession of a dwelling-house therein.

(ii) A person absenting himself temporarily from his place of ordinary residence shall not by reason thereof cease to be ordinarily resident therein.

(iii) A Member of Parliament or of the Legislature of the State shall not, during the term of his office, cease to by ordinarily resident in the area of a ward merely by reason of his absence from that area in connection with the duties as such member.

(iv) Any other factor that may be prescribed shall be taken into consideration for deciding as to what persons may or may not be deemed to be ordinarily residents of a particular area at any relevant time.

(v) If in any case a question arises as to where a person is ordinarily resident at ant relevant time, the question shall be determined with reference to all the facts of the case.

Disqualifications for registration in an electoral roll

12-D (1) A person shall be disqualified for registration in an electoral roll, if he,-

(i) is not a citizen of India; or

(ii) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(iii) is for the time being disqualified from voting under the provisions of any law relating to corrupt practices and other offences on connection with elections.

---

1. Added by section15 of U.P. Act No. 25 of 1983 of 12-C to 12-H.
2. Subs. by section 87 of Chapter-III of U.P. Act No. 12of 1994.
3. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.
4. Subs. y section 43 (b) (i) ibid.

5. Added by section 43(b) (ii) ibid.

(2) The name of any person who becomes disqualified under sub-section (1) after registration shall forthwith be struck off the electoral roll in which it is included :

Provided that the name of any person struck off the electoral roll by reason of any such disqualification shall forthwith be reinstated in that roll, if such disqualification is during the period such roll is in force, removed under any law authorizing such removal.

Registration to be in one ward only

12-E (1) No person shall be entitled to be registered in the electoral roll for more than one ward or more than once in the electoral roll for the same ward.

(2) No person shall be entitled to be registered in the electoral roll for any ward, if his name is entered in ay electoral roll pertaining to any city, other [Municipal area, Cantonment or area of Gram Panchayat][1] unless he shows that his name has been struck off from such electoral roll.

[Correction of electoral roll

12-F (1) Where the Electoral Registration Officer is satisfied, after making such enquiry as he thinks fit, whether on an application made to him or on his own motion, that any entry in the electoral roll should be corrected or deleted or that the name of any person entitled to be registered should be added in the electoral roll, he shall subject to the provisions of this Act and the rules and orders made thereunder, delete ,correct or add the entry, as the case may be :

Provided that no such deletion , correction or addition shall be made after the last date for making nomination for an election in the ward and before the completion of such election :

Provided further that no deletion or correction affecting the interest of any person adversely shall be made without giving him reasonable opportunity of being heard in respect of the action proposed to be taken in relation to him.

(2) An appeal shall lie within such time and manner and to such officer or authority as may be prescribed by rules against any order of the Electoral Registration Officer in regard to the inclusion, deletion or correction of a name in the electoral roll.][5]

Revision of electoral rolls

12-G [The State Election Commission][2] may, if it thinks it necessary to do for the purpose of a general or bye-election , direct a [***][3] revision of the electoral roll for any ward in such manner as it may things fit:

Provided that subject to the other provision of this Act, the electoral roll for the ward, as in force at the time of issue of any such direction shall continue to be in force until the completion of the [***][3] revision, so directed.

---

1. Subs. by section 88 of Chapter-III of U.P. Act No. 12of 1994.
2. Subs. by section 90 (a) ibid.
3. Omitted by section 90 (b) ibid.
4. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

Order regarding electoral rolls

12-H [In so far as provision with respect to any of the following maters is not made by this Act or the rules made thereunder, the State Election Commission may][6], by order make provision in respect of the following matters concerning the electoral rolls, namely,-

(a) the date on which the electoral rolls first prepared and subsequently prepared under this Act shall come into force and their period of operation;

(b) the correction of any existing entry in the electoral rolls on the application of the elector concerned;

(c) the correction of clerical or printing errors in the electoral rolls ;

(d) the inclusion in the electoral rolls of the name of any person-

(i) whose name is included in the Assembly rolls for the area relatable to the ward but is not included in the electoral roll of the ward or whose name has been wrongly included in the electoral roll of some other ward; or

(ii) whose name is not so included in the Assembly rolls and who is otherwise qualified to be registered in the electoral roll of the ward;

(e) [***][3]

(ee) fees payable on applications for inclusion or exclusion of names;

(f) custody and preservation of the electoral rolls; and

(g) generally for all matters relating to the preparation and publication of the electoral rolls.][2]

13. [***][1]

Conduct of elections

[General election

13-A Except as provided in Section 31-A, the State Government shall, in consultation with the State Election Commission, by the Official Gazette, appoint date or dates for general election to a municipality.][4]

Superintendence etc. of the conduct of the elections

13-B [(1)][7] The superintendence, direction and control of the conduct of all elections to the municipalities shall be vested in the State Election Commission.]

1. Omitted by U.P. Act No. 7 of 1953.
2. Section 12-C to 12-H added by section 15 of Chapter-III of U.P. Act No. 35 of 1978.
3. Chapter-omitted by section 91 (b) of U.P. Act No. 12 of 1994.
4. Subs. by section 92 ibid.
5. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.
6. Ins. by section 45 ibid.

7. Renumbered by section 46 ibid.

[(2) Subject to sub-section (1), the Chief Election Officer (Urban Local Bodies), referred to in sub-section (2-A) of Section 12-B shall supervise the conduct of all elections to the municipalities.][4]

[[(3) State Election Commission shall obtain from all candidates a declaration in the form of an affidavit containing the following information and any other information it deems necessary and shall, except information contained in clause (c) and (e), make public the same for the information of the electorate:-][6]

(a) whether the candidate has been convicted/ acquitted/ discharged of any criminal offence in the past and, if convicted, whether he was punished with imprisonment or fine?

(b) prior to six months of filing of nomination, whether the candidate is accused in any pending case, of any offence punishable with imprisonment for two years or more, and in which charge is framed or cognizance is taken by the court of law, if so, the details thereof ;

(c) the assets (immovable, movable, bank balances etc.) of a candidate and of his/her spouse and, that of dependants;

(d) liabilities, if any, particularly whether there are any over dues of any public Financial Institutions or Government dues;

(e) his/her source of income and full details of present Monthly/ Annual income;

(f) whether he/she is married/ unmarried;

(g) number of Children, their ages, and their educational expenses;

(h) details of his/her income tax; projections tax/fees payable annually;

(i) the educational qualifications of candidate.][5]

[Qualifications for election of member

13-C A person shall not be qualified for being chosen as and for being a member unless,-

(a) he is an elector for any ward in the [municipality][1];

(b) in the case a seat reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Backward Classes or the women, he is a person belonging to the said category, as the case may be ;

(c) He has attained the age of twenty one years.][2]

(d) [***][7]

---

1. Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12of 1994.
2. Omitted by section 93 ibid.
3. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.
4. Ins. by section 46 ibid.
5. Subs. by section 4 of Uttarakhand Act No. 13 of 2002.

6. Added by section 2 of Uttarakhand Act No. 11 of 2003.
7. Omitted by section 4 of Uttarakhand Act No. 03 of 2008.

[Disqualification for membership

13-D A persons, notwithstanding that he is otherwise qualified shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of a [Municipality][3] if he,-

[1][[(a) is a dismissed servant of a local authority and is debarred from re-employment thereunder; or

(aa) having held any office under the Government of India or the Government of any State has been dismissed for corruption or disloyalty to the State unless a period of six years has elapsed since his dismissal; or][2]

(b) is debarred from practising as a legal practitioner by order of any competent authority; or

(c) holds any place of profit in the gift or disposal of the [municipality][3]; or

(d) is disqualified under Section 27 or 41; or

[[(e) he has more than two living children of whom one is born after expiry of 300 days from the date of notification of this part; or,][5]

(f) is in the service of the State or the Central Government or any local authority, or is a District Government Counsel or an Additional or Assistant District Government Counsel or and Honorary Magistrate or an Honorary Munsif or Honorary Assistant Collector; or

(g) is in arrears in the payment of Municipal Tax or other dues in excess of one year's demand to which Section 166 applies; or

[(h) has been convicted of any offence against a woman or,][5]

(i) is an undischarged insolvent; or

(ii) has been convicted of any offence punishable with imprisonment under Section 171-E or an offence punishable under Section 171-F of the Indian Penal Code, 1860 (Act No. 45 of 1860); or

(j) has been sentenced to imprisonment for contravention of any order under the Essential Commodities Act, 1955, or the Uttar Pradesh Control of Supplies (Temporary Powers) Act, 1947 (U.P. Act II of 1947), as re-enacted by the Uttar Pradesh Control of Supplies (Temporary Powers) Act, 1953 (U.P. Act XXXVII of 1953) or for an offence which is declared by the State Government to involve such moral turpitude as to render him unfit to be a member, or has been ordered to execute a bond for good behavior in consequence of proceedings under Section 109 or 110 of the Code of Criminal Procedure, 1973, such sentence or order not having been subsequently reversed:

---

1. Subs. by U.P. Act No. 27 of 1964.
2. Substituted by section 5 of Chapter-III of U.P. Act No. 15 of 1983.
3. Substituted by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.

4. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.
5. Subs. by section 6 of Uttarakhand Act No. 13 of 2002.

Provided that in cases of (a) and (b) the disqualification may be removed by an order of the State Government in this behalf :

Provided further that in the case of (g), the disqualification shall cease as soon as the arrears are paid :

Provided also that in case of (j),-

(i) the disqualification shall cease on the expiry of the five years from the date of his release or from the date of the expiry of the period for which he is required to execute a bond for good behavior, as the case may be; and

(ii) the disqualification shall not in the case of a person who is, on the date of the disqualification, a member of the Municipality take effect until three months have elapsed from the date of such disqualification or if within these three months an appeal or petition for revision is brought in respect of conviction or order until that appeal or petition is disposed of.][2]

[Explanation.-- A Government treasurer shall not be deemed to be in the service of the State or of the Central Government within the meaning of clause (f).][1]

[(k) is so disqualified by or under any law for the time being in force for the purposes of elections to the legislature of the State :

Provided that no person shall be disqualified on the ground that he is less than twenty five years of age, if he has attained the age of twenty one year.][3]

[(l) has an interest or share, in a publication where in advertisement regarding activities of the municipalities can be published or,

(m) is a paid employee of any institution, receiving financial aid from the municipalities or,

(n) the person or any member of his/her family or his/her legal heir is in unauthorized occupation of any land or building owned or managed by the municipality/Government or a public road or pavement, canal, drain, or is a beneficiary of such unauthorized occupation; or,

(o) is a representative or office bearer of any federation or union of any cadre or class of employees of the municipality; or

(p) has been convicted of any offence involving violation of any Act, Rules, Sub rules, regulation and Govt. orders relating to Municipality and has been found guilty or working against the interest of the municipality.][5]

[(q) is a candidate from more than one ward][6]

---

1. Added by U.P. Act No. 7 of 1953.
2. Subs. by U.P. Act No. 27 of 1964.
3. Added by section 94 (b) of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
4. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

5. Subs. by section 6 of Uttarakhand Act No. 13 of 2002.
6. Added by section 5 of Uttarakhand Act No. 03 of 2008.

[Right to vote 13-E (1) No person who is not, and except as expressly provided by this Act, every person who is for the time being entered in the electoral roll of any ward shall be entitled to vote in that ward.

(2) No person shall vote at an election in any ward if he is subject to any of the disqualifications referred to in Section 12-D

(3) No person shall vote at a general election in more than one ward and if a person votes in more than one such ward, his votes in all such wards shall be void.

(4) No person shall at any election vote in the same ward more than once, notwithstanding that his name may have been registered in the electoral roll for that ward more than once, and if he does so vote, all his votes in that ward shall be void.

(5) No person shall vote at any election if he is confined in a prison whether under a sentence of imprisonment or transportation or otherwise, or is in the lawful custody of the Police :

Provided that nothing in this sub-section shall apply to a person subject to preventive detention under any law for the time being in force.][1]

[Procedure of voting 13-F. Wherever an election takes place in any ward, voting shall be either through secret ballot or voting machine and there shall be no proxy voting.][4]

[Order regarding conduct of elections 13-G In so for as provision with respect to any matter as not made by this Act, the State Election Commission][2] may, by order, make provision with respect to the following matters concerning conduct of elections, that is to say,-

(a) issue of notifications for general elections;

(b) the appointment, powers and duties of Returning Officers, Assistant Returning Officers, Presiding Officers and Polling Officers and clerks;

(c) appointment of dates for nomination, scrutiny, withdrawal and polling;

(d) the manner of presentation and the form of nomination paper, the requirements for a valid nomination, scrutiny of nominations and withdrawal of candidature;

(e) appointment and duties of election agents, polling agents and counting agents;

---

1. Added by U.P. Act No. 7 of 1953.
2. Insertion by section 96 (a) of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.

3. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.
4. Subs. by section 7 of Uttarakhand Act No. 13 of 2002.

(f) procedure at general elections including death of candidate before poll, procedure in contested and uncontested elections, [***][1];

(g) identification of voters;

(h) hours of polling;

(i) adjournment of poll and fresh poll;

(j) manner of voting at elections;

(k) scrutiny and counting of votes including recount of votes and procedure to be followed in case of equality of votes and declaration of results;

(l) the notification of the names of the members elected for the various wards of the municipality and the due constitution of the Municipality;

(m) return of forfeiture of deposits;

(n) manner in which votes are to be given by the presiding officers, polling agents or any other person who being an elector for a ward is authorized or appointed for duty at a polling station at which he is not entitled to vote;

(o) the procedure to be followed in respect of the tender of vote by person representing himself to be an elector after another person has voted as such elector;

(p) the safe custody of ballot boxes, ballot papers and other election papers, the period for which such papers shall be preserved and the inspection and production of such papers, and

(q) generally on all matters relating to conduct of elections.

Bye- elections 13-H (1) Subject to the provisions of sub-section (2) of Section 13-I, when the seat of a member, elected to a Municipality becomes vacant or is declared vacant or his election is declared void, [the State Election Commission shall in consultation with the State Government][2] by a notification in the Official Gazette, call upon the ward concerned to elect a person for the purpose of filling the vacancy caused before such date as may be specified in the notification and the provisions of this Act and of the Rules and Orders made thereunder, shall apply, as far as may be, in relation to the election of member to fill such vacancy.

(2) If the vacancy so caused be a vacancy in a seat reserved in any such ward for the Scheduled Castes, [the Scheduled Tribes, the Backward Classes or the women][3] the notification issued under sub-section (1) shall specify that the person to fill that seat shall belong to the Scheduled Castes [the Scheduled Tribes, the Backward Classes or the women, as the case may be][3].

---

1. Omitted by section 96 (b) of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
2. Ins. by section 97 (a) ibid.

3. Subs. by section 97 (b) ibid.
4. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

Certain casual vacancies not to be filled

13-I Where a vacancy occurs on a [Municipality][2] by reason of death, resignation, removal or avoidance of an election of the elected member and the term of office of that member would, in the ordinary course of events, have determined within one year of the occurrence of the vacancy, [such vacancy may be left unfilled][3].

[Electoral offences

13-J (1) The provisions of Sections 125, 126, 127, 127-A,128,129,130, 131 132, 134, 134-A, 135, [135-A][7] and 136 of Chapter III of Part VII of the Representation of the People Act, 1951, shall have effect as if,-

(a) the references therein to an election were a reference to an election held under this Act;

(b) for the word "constituency" the word "ward" had been substituted;

(bb) In Section 127-A in sub-section (2) in clause (b) in sub- section (i), for the words "the Chief Electoral Officer" the words [Chief Election Officer (Urban Local Bodies)][6] had been substituted;

(c) [***][8]

(d) In Sections 134 and 136 for the words "by or under this Act" the words "by or under the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916" had been substituted.

(2) If [Chief Election Officer (Urban Local Bodies)][6], has reason to believe that any offence punishable under Section 129 or Section 134 or Section134 –A or under clause (a) of sub-section (2) of Section 136 of the said chapter has been committed in reference to any election to a [Municipality][2], it shall be the duty of the [Chief Election Officer (Urban local Bodies)][6] to cause such inquiries to be made and such prosecutions to be instituted as the circumstances of the case may appear to him to require.

(3) No Court shall take cognizance of any offence punishable under Section 129 or under Section 134 or under Section 134-A or under clause (a) of sub-section (2) of Section 136 unless there is a complaint made by order or under authority from the [Chief Election Officer (Urban Local Bodies)][6].][1]

[Jurisdiction of Civil Courts

13-K (1) No Civil Court shall have jurisdiction,-

(a) to entertain or adjudicate upon any question whether any person is or is not entitled to be registered in an electoral roll of a ward; or

[(b) to question the legality of any action taken by or under the authority of the State Election Commission in respect of preparation or publication of electoral roll; or][4]

---

1. Substituted by section 16 of Chapter-III of U.P. Act No. 35 of 1978.
2. Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
3. Subs. by section 98 ibid.
4. Subs. by section 100 ibid.
5. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.
6. Subs. by section 47 (a) ibid.

7. Ins. by section 47 (b) ibid.
8. Omitted by section 4 of Chapter-III of U.P. Act No. 3 of 1996.

(c) to question the legality of any action taken or any decision given this Act in connection with an election.

(2) No election shall be called in question except by an election petition presented in accordance with the provisions of this Act.][1]

14. [***][2]

15. [***][2]

16. [***][2]

17. [***][2]

18. [***][2]

Election petitions

Power to question municipal election by petition

19. (1) The election of any person as a member of a [Municipality][3] may be questioned by an election petition on the ground-

(a) that such person committed during or in respect of the election proceedings a corrupt practice as defined in Section 28;

(b) that such person was declared to be elected by reason of the improper rejection or admission of one or more votes, or any other reason was not duly elected by a majority of lawful votes;

(c) that such person was not qualified to be nominated as a candidate for election or that the nomination paper of the petitioner was improperly rejected.

(2) The election of any person as a member of a [Municipality][3] shall not be questioned,-

(a) on the ground that the name of any person qualified to vote has been omitted from, or the name of any person not qualified to vote has been inserted in the electoral roll or rolls;

(b) on the ground of any non-compliance with this Act or any rule, or of any mistake in the forms required thereby, or of any error, irregularity or informality in the part of the officer or officers charged with carrying out this Act or any rules, unless such non-compliance, mistake, error, irregularity or informality has materially affected the result of the election.

---

1. Added by U.P. Act No. 7 of 1953.
2. Omitted by above section.

[Form and presentation of election petitions

20. (1) An election petition shall be presented within 30 days after the day on which the result of the election sought to be questioned is announced by the Returning Officer, and shall specify the ground or grounds on which the election of the respondent is questioned and shall contain a concise statement of the material facts on which the petitioner relies and set forth the full particulars of any corrupt practices that the petitioner alleges, including as full a statement as possible of the names of the parties alleged to have committed such corrupt practices and the dates and place of the commission of each such practice.

(2) The petition shall be signed by the petitioner and verified in the manner laid down in the Code of Civil Procedure, 1908 (V of 1908), for the verification of pleadings.

(3) The petition may be presented by any candidate in whose favour votes have been recorded and who claims in the petition to be declared elected in the room of the person whose election is questioned or by ten or more electors of the municipality or by a person who claims that his nomination paper was improperly rejected.

(4) The person whose election is questioned and , where the petitioner claims that any other candidate should be declared elected in the room of such person, every unsuccessful candidate who is not a petitioner in the petition shall be made a respondent to the petition.][1]

[(5) The petition shall be presented to the District Judge exercising jurisdiction in the area in which the municipality, to which the election petition relates, is situate:

Provided that the petition shall not be entertained by the District Judge, unless it is accompanied by a treasury challan showing that the prescribed security has been deposited.][2]

[Recriminatory proceedings

21. (1) Where in an election petition a declaration that any candidate other than the returned candidate has been duly elected is claimed, the returned candidate or any other party may give evidence to prove that the election of such other candidate would have been void if he had been the retuned candidate and a petition had been presented calling in question his election :

Provided that the returned candidate or such other party shall not be entitled to give such evidence unless he has within twenty-one days from the date of the service upon him of the notice of the election petition, given notice to the election tribunal of his intention to do so and has also deposited the security prescribed in the case of an election petition questioning the election of a member.

(2) Every notice referred to in sub-section (1) shall be accompanied by a statement of ground or grounds and of material facts and full particulars required by Section 20 in the case of an election petition and shall be signed and verified in like manner].

---

1. Substituted by U.P. Act No. 27 of 1964.

2. Subs. by section 10 of Chapter-III of U.P. Act No. 17 of 1982.
3. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

[Hearing of election petition][2]

22. (1) An election petition not complying with the provisions of Section 20 or upon which the requisite court-fee has not been paid at the time of presentation or with in such further time not exceeding fourteen days as the [District Judge][3], as the case may be, may have granted, shall be rejected by such Judge.

[(2) An election petition not rejected under sub-section (1) shall be heard by the District Judge.][4]

Procedure

23. Except so far as may be otherwise provided by this Act or by rule, the procedure provided in the Civil Procedure Code (Act V of 1908) in regard to suits, shall , so far as it is not inconsistent with this Act or any rule and so far as it can be made applicable, be followed in the hearing of election petitions :

Provided that,-

(a) two or more persons whose election is called in question may be made respondents to the same petition, and their cases may be tried at the same time , and any two or more election petitions may be heard together; but, so far as is consistent with such joint trial or hearing, the petition shall be deemed to be separate petition against each respondent;

(b) the [District Judge][5] shall not be required to record or have recorded the evidence in full, but shall make a memorandum of the evidence sufficient in its option for the purpose of deciding the case;

(c) the [District Judge][5] may, at any stage of the proceeding, require the petitioner to give further security for the payment of all costs incurred or likely to be incurred by any respondent;

(d) the [District Judge][5] for the purpose of deciding any issue, shall only be bound to require the production of, or to receive so much evidence, oral or documentary, as it considers necessary;

(e) during the hearing of the case the [District Judge][5] may refer a question of law to the High Court under Order XLVI of the First Schedule of the Code of Civil Procedure, 1908(Act V of 1908) but there shall be no appeal either in a question of law or fact, and no application in revision against or in respect of the decision of the [District Judge][5];

(f) any person considering himself aggrieved by the decision may apply for review to the [District Judge][5] within thirty days from the date of the decision and the [District Judge][5] may thereupon review the decision on any point;

[Provided that in computing the period of limitation the provision of sub-section (2) of Section 12 of the Limitation Act, 1963 shall apply.][1]

---

1. Added by section 17 of Chapter-III of U.P. Act No. 35 of 1978.
2. Subs. by section 11(a) of Chapter-III of U.P. Act No. 17 of 1982.
3. Substituted by section 11 (b) ibid.
4. Subs. by section 11 (c) ibid.

5. Substituted by section 12 ibid.
6. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

23-A [***][3]

[Provisions as to costs

24. An order for costs or an order for the realization of a security bond for costs passed by the District Judge in an election petition under this Act may be sent by him for execution to the Collector of the district in which the municipality concerned is situated and order so sent shall be executed by the Collector in the same manner as if it were in respect of arrears of land revenue.][4]

Finding of [the District Judge][4]

25. [(1) If the [District Judge][5], after making such enquiry as it deems necessary, finds in respect of any person whose election is called in question by a petition, that his election was valid, it shall dismiss the petition as against such order for return or forfeiture of the security or part thereof as he may deem fit.][2]

(2) If the [District Judge][5] finds that the election of any person was invalid, or that nomination paper of the petitioner was improperly rejected, it shall either,-

(a) declare a casual vacancy to have been created; or

(b) declare another candidate to have been duly elected, whichever course appears, in the particular circumstances of the case, the more appropriate, and in either case may award costs at its discretion.

(3) [***][1]

Avoidance of election proceedings

26. (1) Notwithstanding anything contained in the preceding section if the [District judge][5] in the course of hearing an election petition is of the opinion that the evidence discloses that corrupt practices at the election proceedings in question have prevailed to such an extent as to render it avisable to set aside the whole proceedings, it shall pass a conditional order to this effect and give notice thereof to every candidate declared elected who has not already been made a party in the case calling upon him to show cause why such conditional order should not be made final.

(2) Thereupon every such candidate may appear and show cause, and may have recalled, for the purpose of putting question to him, any witness who has appeared in the case.

(3) The [District judge][5] shall thereafter either cancel the conditional order or make it absolute, in which case it shall direct the [Municipality][6] to take measures for holding fresh election proceedings.

Explanation.- In this clause the expressions "the election proceedings in questions" and the "whole proceedings" shall mean all proceedings (inclusive of nomination and declaration of election) taken in respect of a single poll, whether the poll be for the purpose of selecting one or more persons to represent a ward or otherwise.

---

1. Omitted by U.P. Act No. 7 of 1953.
2. Subs. by section 18 of Chapter-III of U.P. Act No. 35 of 1978.
3. Omitted by section 13 of Chapter-III of U.P. Act No. 17 of 1982.
4. Substituted by section 14 ibid.
5. Subs. by section 15 and 16 ibid.

6. Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
7. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

Disqualification of corrupt practice

27. (1) The [District Judge][2] may declare any candidate found to have committed any corrupt practice to be incapable, for any period not exceeding five years, of being elected as a member of the [Municipality][3] or of being appointed or retained in any office or place in the guilt or disposal of the [Municipality][3] :

Provided that no such declaration shall be made about any candidate who was not a party to the election petition or who was not given an opportunity of being heard under section 26.

Corrupt practices

28. A person shall be deemed to have committed a corrupt practice who, directly or indirectly, by himself or by any other person-

(i) induces or attempts to induce, by fraud, intentional mis-representation, coercion or threat of injury, any voter to give or to refrain from giving a vote in favour of any candidate;

(ii) with a view to inducing any voter to give or to refrain from giving a vote in favor of any candidate, offers or gives any money, or valuable consideration, or any place, or employment, or holds out any profit or individual advantage or profit to any person;

(iii) gives or procures the giving of a vote in the mane of a voter who is not the person giving such vote;

(iv) abets [within the meaning of the Indian Penal Code the doing of any of the acts specified in Clauses (i),(ii) and (iii);

[(v) induces or attempts to induce a candidate or elector to believe that he, or any person in whom he is interested, will become or will be rendered an object to divine displeasure or spiritual censure;

(vi) canvasses on grounds of caste, community, sect or religion;

(vii) commits such other practice as the [State Government], may by rule prescribe to be corrupt practice.]

Explanation.-A “promise of individual advantage of profit to a person” includes a promise for the benefit of the person himself, or of any one in whom he is interested, but does not include a promise to vote for or against any particular municipal measure.

29. [***][1]

29-A [***]

---

1. Omitted by U.P. Act No. 7 of 1953.
2. Subs. by section 17 of Chapter-III of U.P. Act No. 17 of 1982.

3. Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
4. Subs. by section 32 of U.P. Act No. 26 of 1995.

Control of Municipality

[Power of State Government to dissolve the municipality

30. If at any time the State Government is satisfied that a municipality persistently makes or any other law for the time being in force or exceeds or abuses more than once its powers, it may, after having given the municipality a reasonable opportunity to show cause why such order should not be made, by order, published with the reasons there for in the Official Gazette, dissolve the municipality.][2]

31. [***][3]

[Consequences of dissolution of municipality

31-A Where a municipality is dissolved under Section 30, the following consequences shall follow :

(a) All members of the municipality including the President shall, but without prejudice to the order, vacate their offices as such but without prejudice to their eligibility for re-election or re-nomination;

(b) Until the constitution of the new municipality-

(i) All powers, functions and duties of the municipality, its President and Committees shall be vested in and be exercised, performed and discharged by such person or persons as the State Government may appoint in that behalf and such person or persons, shall be deemed in law to be the municipality, the President or the Committee, as the occasion may require;

(ii) Such salary and allowances of such person or persons as the State Government may by general or special order in that behalf fix, shall be paid out of Municipal fund;

(iii) The State Government may, from time to time, by notification in the Official Gazette, make such incidental or consequential provisions, including provisions for adapting, altering or modifying any provisions of this Act, without affecting the substance, as may appear to it to be necessary or expedient for carrying out the purposes of this section.][4]

Director of Local Bodies

31-B (1) The State Government shall appoint an officer to be the Director of Local Bodies, Uttar Pradesh.

(2) In addition to the function expressly assigned to him by or under this Act, the Director shall exercise such powers of the State Government in relation to the affairs of a [Municipality] (not being powers under Section 30) as the State Government may, by notification in the Gazette, and subject to such conditions and restrictions (including the conditions of review by itself) as may be specified in such notification, delegate to him.][1]

---

1. Added by section 26 of Chapter-III of U.P. Act No. 41 of 1976.
2. Subs. by section 102 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
3. Omitted by section 103 ibid.

4. Subs. by section 104 ibid.
5. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

Supervision by Prescribed Authority

32. The [Prescribed Authority] may,-

(a) inspect, or cause to be inspected, by an officer not below the rank of a Sub-Divisional Officer, any immovable property used or occupied by a [Municipality][3] or Joint Committee or any work in progress under the direction of a [Municipality][3] or of such committee;

(b) by order in writing call for and inspect a book of document in the possession or under the control of a [Municipality][3] or of such committee;

(c) by order in writing require a [Municipality][3] or such committee to furnish such statements, accounts, reports or copies of documents, relating to the proceedings or duties of the [Municipality][3] or committee, as it thinks fit to call for; and

(d) record in writing for the consideration of a [Municipality][3] or of such committee, any observation as it thinks proper in regard to the proceedings or duties of the [Municipality][3] or committee.

Inspection of municipal works and institution by Government officers

33. A work, or institution, constructed or maintained, in whole or part at the expense of a [Municipality][3], and all registers, books, accounts or other documents relating thereto, shall at all times be open to inspection by such officers as the State Government appoints in this behalf.

Power of the State Government or the Prescribed Authority or the District Magistrate to prohibit execution or further execution of resolution or order of [Municipality][3]

34. (1) The Prescribed Authority may, by order in writing, prohibit the execution or further execution of a resolution or order passed or made under this or any other enactment by a [Municipality][3] or a committee of a Joint Committee if in its opinion such resolution or order is of a nature to cause or tend to cause obstruction, annoyance or injury to the public or to any class or body or persons lawfully employed and may prohibit the doing or continuance by any person of any act in pursuance for or under cover of such resolution or order.

[(1-A) The District Magistrate may, within the limits of his district, by order in writing, prohibit the execution or further execution of a resolution or order passed or made under this or any other enactment by a [Municipality][3] or a committee of a [Municipality][3] or a Joint Committee or any officer or servant of a [Municipality][3] or of a Joint Committee if in his opinion such resolution or order is of a nature to cause or tend to cause danger to human life, health or safety, or a riot or affray, and may prohibit the doing or continuance by any person of any act, in pursuance of or under cover of such resolution or order.

(1-B) The State Government may, of its own motion or on report or complaint received by order prohibit the execution or further execution of a resolution or order passed or made under this or any other enactment by a [Municipality][3] or a committee of a [Municipality][3] or a Joint Committee or any officer or servant of a [Municipality][3] or a committee, if in its opinion such resolution or order is prejudicial to the public interest, [or has been passed or made in abuse of powers or in flagrant breach of any provision of any law for the time being in force,][2] and may prohibit the doing or continuance by any person of any act in pursuance of or under cover of such resolution or order.][1]

---

1. Added by U.P. Act No. 7 of 1953.
2. Ins. by U.P. Act No. 27 of 1964.

3. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

[(2) Where an order is made under sub-section (1) or (1-A) [***][2], a copy thereof with a statement of the reasons for making it, shall forthwith be forwarded by the Prescribed Authority or the District Magistrate through the Prescribed Authority, as the case may be, to the State Government which bay thereupon, if it thinks fit, rescind or modify the order.

(3) [***][3]

(4) Where the execution or further execution of a resolution or order is prohibited by an order made under sub-section (1),(1-A) or (1-B) and continuing in force, it shall be the duty of the [Municipality], if so required by the authority making the order under the said sub-sections to take any action which it would have been entitled to take, if the resolution or order had never been made or passed, and which is necessary for preventing any person from doing or continuing to do anything under cover of the resolution or order of which the further execution is prohibited.

Power of the State Government and Prescribed Authority in case of default of Municipality

35. (1) If at any time, upon representation made or otherwise, it appears to the [State Government][4] that [a Municipality][4] has made default in performing a duty imposed on it by or under this or any other enactment, or in carrying out any order made or direction issued by the State Government in exercise of any power conferred by this Act or any other enactment the State Government [***][4] may (after calling for an explanation from the Municipality and considering any objection by the [Municipality to action being taken under this section), by order in writing fix a period for the performance of that duty or the carrying out of that order or direction.

(2) If that duty is not performed or the order or direction is not carried out] within the period so fixed, the State Government [***][4] may appoint the District Magistrate [or any officer not below the rank of a Deputy Collector to perform it and may direct that the expense (if any) of performing the duty or executing the order or direction shall be paid, within such time as may be fixed, to the District Magistrate by the Municipality.

(3) If the expense is not so paid the District Magistrate, with the previous sanction of the State Government [***][4] may make an order directing the person having the custody of the Municipal fund to pay the expense from such fund.

Extraordinary powers of District Magistrate in case of emergency

36. (1) In case of emergency the District Magistrate may with the permission of the Prescribed Authority provide for the execution of any work or the doing of any act which the Municipality is empowered to execute or do and of which the immediate execution or doing, is in his opinion, necessary [for the safety, protection or convenience of the public][1] and may direct that the expense of executing the work of doing the act shall be forthwith paid by the Municipality.

---

1. Ins. by U.P. Act No. 27 of 1964.
2. Omitted by section 105(a) of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
3. Omitted by section 105 (b) ibid.

4. Omitted and subs. by section 106 (a) ibid.
5. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

(2) If the expense is not so paid, the District Magistrate may make an order directing the person having the custody of the Municipal fund to pay the expense from such fund.

(3) The District Magistrate shall forthwith report to the Prescribed Authority every case in which he uses the powers conferred on him by this section.

Municipal members

Prohibition of remuneration to members and President

37. No member or President of a Municipality shall be granted any remuneration or travelling allowance by the Municipality except with the sanction of State Government or in accordance with rules made in this behalf.

Term of office of members elected [or nominated][2] to fill casual vacancies

38. (1) The term of office of a member elected [or nominated][3] to fill a casual vacancy or a vacancy remaining unfilled at the general election shall begin upon the declaration of his election [or nomination][4] under the Act and shall be the remainder of the term of the Municipality.

(1-a) - (5) [***][1]

38-A [***][1]

[Resignation of members

39. If a member of a Municipality other than the President resigns by writing under his hand addressed to the State Government, his seat shall thereupon become vacant. The resignation shall be delivered at the office of the District Magistrate of the district, in which the municipality is situated who shall forthwith inform the President and shall forward the resignation to State Government.

Removal of members

40. (1) The State Government [***][5] may remove a member of the Municipality on any of the following grounds,-

(a) that he has absented himself from the meetings of the Municipality for more than three consecutive months or three consecutive meetings whichever is the longer period, without obtaining sanction from the Municipality :

Provided that the period during which the member was in jail as an under trial, detenue or as a political prisoner, shall not be taken into account;

(b) that he has incurred any of the disqualifications mentioned in Sections 12-D and 13-D;

(c) that he has within the meaning of Section 82, knowingly acquired or continued to hold, directly or indirectly, or by a partner, and share or interest, whether pecuniary or of any other nature in any contract by or on behalf of the Municipality;

---

1. Omitted by U.P. Act No. 17 of 1934.
2. Ins. by section 107 (a) of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
3. Ins. by section 107 (b) ibid.
4. Ins. by section 107 (c) ibid.

5. Omitted by section 108 (a) ibid.
6. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

(d) that he has knowingly acted as a member in a matter other than a matter referred to in Section 82 in which he or a partner had, directly or indirectly a personal interest, whether pecuniary or of any other nature or in which he was professionally interested on behalf of a client principal or other person;

(e) That he being a legal practitioner has during the term of his membership acted or appeared in any suit or other proceeding on behalf of any person against the Municipality or against the State Government in respect of nazul and entrusted to the management of the Municipality of acted or appeared for or on behalf of any person against whom a criminal proceeding has been instituted by or on behalf of the Municipality;

(f) That he has abandoned his ordinary place of residence in or has voluntarily or otherwise transferred his residence from the municipal area concerned, unless the member himself resigns his seat within three months of such abandonment or transfer;

(g) that he has been guilty of persistent misbehaviour or disorderly at meetings of the Municipality and a complaint to that effect is made to the State Government by the President or any other member ; or

[(h) That he has been guilty of any other misconduct whether as member or as Vice-President or President or as Vice-president exercising the powers of President whether committed before or after the commencement of the Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Amendment) Act, 1976.][1]

(2) [***][3]

[(3) The State Government may remove from the Municipality a member who, in its opinion, while being a member during the current or the last preceding terms of the Municipality, acting as President or a Vice-President, or a Vice-President, or Chairman of a Committee or member, or in any other capacity whatsoever, has, whether, before, or after the commencement of the Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Amendment) Act, 1976, so flagrantly abused his position, or so willfully contravened any of the provisions of this Act or any rule, regulation or bye-law, or caused such loss or damage to the fund or property of the Municipality, as to render him unfit to continue as a member.][2]

(4) Provided that [when the State Government][4] proposes to take action under the foregoing provisions of this section, an opportunity of explanation shall be given to the member concerned, and when such action is taken the reasons therefor shall be placed on record.

(5) [***][5]

[(6) Without prejudice to any of the foregoing powers, the State Government may on any of the grounds referred to in sub-section (1), instead of removing the member give him a warning.][6]

---

1. Subs. by section 27 (a) of Chapter-III of U.P. Act No. 41 of 1976.
2. Subs. by section 27 (b) ibid.
3. Subs. by section 108 (b) of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
4. Subs. by section 108 (c) ibid.
5. Omitted by section 108 (d) ibid
6. Subs. by section 108 (e) ibid
7. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

[

Disabilities of members removed under Section 40

41. (1) A member removed under clause (a) of sub-section (1) of the preceding section shall, if otherwise qualified, be eligible for further election or nomination.

(2) A member removed under clause (b) of sub-section (1) of the preceding section shall not be so eligible [unless his disqualification no longer exists.

(3) A member removed under sub-section (3) of the preceding section shall not be so eligible for a period of five years from the date of his removal:

Provided that the State Government may for sufficient reason exempt any person from his disability.

(4) A member removed under any other provision of the preceding section shall not be so eligible until he is declared for reasons to be specified to be no longer ineligible, and he may be so declared, by an order of the State Government [***][3]

42. [***][1]

__President and Vice-President__

Election of President

43. (1) The President of the municipality shall be elected on the basis of adult suffrage by the electors in the municipal area,

(2) An outgoing President shall be eligible for re-election.

(3) The provision of this Act and the rules framed thereunder in relation to election (including disputes relating to election and electoral offences) of a member shall, *mutatis mutandis,* apply in relation to election of the President,

(4) If in a general election a person is elected both as member and President of the municipality or being a member of the municipality is elected President thereof in any bye-election, he shall, except as provided in Section 49, cease to be a member from the date of his election as President.][4]

[Bar on simultaneously holding the post of President or Vice-President in different local authorities

43-A No person shall be at the same time the President or Vice-President both of a [Municipality] and any other local authority :

Provided that if a person is elected to any such or similar office of more than one local authority, he shall, at his option, continue to hold the office in one local authority and resign from other within a prescribed period.

Qualification for President-ship

43-AA [(1) A person shall not be qualified to be chosen as President of a Municipality unless he,-

(a) is an elector for any ward [in the municipal area][5];

(b) has attained the age of thirty years on the date of his nomination as a candidate for election to the office of President.][2]

---

1. Omitted by U.P. Act No. 7 of 1953.
2. Subs. by section 20 of Chapter-III of U.P. Act No. 35 of 1978.
3. Omitted by section 109 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
4. Subs. by section 110 ibid.

5. Subs. by section 111 ibid.
6. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

(2) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, President of a [Municipality] if he-

(a) is or has become subject to any of the disqualifications [mentioned in clauses (a) to (g) and (i) to (k)][3] of Section 13-D and the disqualification has not ceased or been removed under the said section; or

(b) [***][2]

(3) [***][1]

43-B [***][5]

Transfer of petition

43-BB (1) On the application of any party to an election petition presented under sub-section (5) of Section 20 [***][6], and after notice to the other parties thereto, and after hearing such of them as desire to be heard, or of its own motion, without such notice, the High Court may at any stage,-

(a) transfer an election petition pending before a District Judge for trial to any other District Judge; or

(b) re-transfer the same for trial to the District Judge from whom it was withdrawn.

(2) The District Judge may at any stage transfer an election petition pending before him under this Act to an Additional District Judge and may withdraw any election petition pending before an Additional District Judge and,-

(i) transfer or dispose of the same; or

(ii) transfer the same for trial or disposal to any other Additional District Judge; or

(iii) re-transfer the same for trial or disposal to the Court from which it was withdrawn.

(3) Where any election petition has been transferred or re-transferred under sub-section (1) or sub-section (2), the District Judge or the Additional District Judge, who thereafter tries such petition, may, subject to any direction in the order of transfer to the contrary, proceed from the point at which it was transferred or re-transferred :

Provided that he may, if he thinks fit, recall and re-examine any of the witnesses already examined.]

---

1. Added by section 43-A to 43-AA of U.P. Act No. 7 of 1949.
2. Omitted by U.P. Act No. 7 of 1953.
3. Subs. by section 111 (b) of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
4. Subs. by section 111 (c) ibid.
5. Omitted by section 112 ibid.
6. Omitted by section 113 ibid.
7. Subs. by section 32 of U.P. Act No. 26 of 1995.
8. Subs. by section 8 of Uttarakhand Act No. 13 of 2002.

Power of [the State Election Commission] to make order regarding election of President

43-C [In so far as provision with respect to any of the following matters is not made by this Act or the rules made thereunder, the State Election Commission may] by order, make provision with respect to the following matters concerning the conduct of [***][3] election of President, that is to say,-

(a) the appointment, powers and duties of Returning Officers;

(b) appointment of dates for nomination, scrutiny, withdrawal and polling;

(c) the manner of presentation and the form of nomination paper, the requirements for a valid nomination, scrutiny of nominations and withdrawal of candidature;

(d) procedure at election, including death of candidate before poll and procedure of contested and uncontested elections;

(e) hours of polling and adjournment of poll;

(f) manner of voting at elections;

(g) scrutiny and counting of votes including re-counting of votes and procedure to be followed in case of equality of votes;

(h) declaration and notification of results;

(i) deposit of security with nomination and return and forfeiture thereof;

(j) to (r) [***][4]][2]

[Oath of allegiance and office

43-D (1) The President and every member of a [Municipality] shall, before taking his seat, make and subscribe at a meeting of the [Municipality] an oath or affirmation of his allegiance to the Constitution in the following form :-

"I . A, B., having been elected a member/President of this Municipality do swear in the name of God/solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully and consciously discharge the duties upon which I an about to enter."

(2) The President or the member who fails to make, within three months of the date on which his term of office commences or at any one of the first three meetings of the [Municipality], held after the said date, whichever is later, unless this period is extended by the District Magistrate, the oath or affirmation laid down in and required to be taken by sub-section (1) shall cease to hold his office and his seat shall be deemed to have become vacant.

---

1. Added by U.P. Act No. 26 of 1964.
2. Subs. by section 20 of Chapter-III of U.P. Act No. 17 of 1982.
3. Omitted by section 114 (b) of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
4. Omitted by section 114 (c) ibid.

5. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.
6. Subs. by section 48 ibid.

(3) Any person required under sub-section (1) to make an oath or affirmation shall not take his seat at a meeting of the Municipality or do any act as member or President of the Municipality unless he has made and subscribed an oath or affirmation as laid down under sub-section (1).][3]

44. [***][2]

Bye-election of President

44-A If a casual vacancy occurs in the office of the President owning to death or resignation or any other cause, the President shall be elected as soon as may be thereafter, but not later than three months from the date of occurrence of the said vacancy, in the manner provided in Section 43.][6]

45. [***][5]

[Term of office of a President

46. (1) Except as otherwise provided in this Act, the term of office of a President shall be co-terminus with the term of the Municipality.

(2) The term of office of a President elected in a casual vacancy shall be the remainder of the term of office of his predecessor.][4]

46-A [***][1]

Resignation of President

47. [(1) A President of a municipality wishing to resign may forward his written resignation through the District Magistrate to the State Government.][7]

(2) On receipt by the Municipality of information that the resignation has been accepted by the [State Government][8] such President shall be deemed to have vacated his office.

47-A [***][10]

Removal of President

48. (1) [***][2]

---

1. Omitted by U.P. Act No. 5 of 1932.
2. Omitted by U.P. Act No. 7 of 1949.
3. Omitted by U.P. Act No. 77 of 1964.
4. Subs. by section 30 of Chapter-III of U.P. Act No. 41 of 1976.
5. Omitted by section 21 of Chapter-III of U.P. Act No. 35 of 1978.
6. Subs. by section 115 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
7. Subs. by section 116 (a) ibid.
8. Subs. by section 116 (b) ibid.
9. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

10. Omitted by section 3 of Uttarakhand Act No. 11 of 2005.

(2) Where the State Government has, at any time, reason to believe that,-

(a) There has been a failure in the part of the President in performing his duties; or

(b) the President has-

(i) incurred any of the disqualifications mentioned in Sections 12-D and 43-AA; or

(ii) within the meaning of Section 82 knowingly acquired or continued to have, directly or indirectly or by a partner, any share or interest, whether pecuniary or any other nature in any contract or employment with by or on behalf of the Municipality; or

(iii) knowingly acted as a President or as a member in a matter other than a matter referred to in clauses (a) to (g) of sub-section (2) of Section 82, in which he has, directly or indirectly, or by a partner, any share or interest whether pecuniary or of any other nature, or in which he was professionally interested on behalf of a client, principal or other person; or

(iv) being a legal practitioner acted or appeared in any suit or other proceeding on behalf of any person against the Municipality or against the State Government in respect of *nazul* land entrusted to the management of the Municipality or against the State Government in respect of nazul land entrusted to the management of the Municipality, or acted or appeared for or on behalf of any person against whom a criminal proceeding has been instituted by or on behalf of the Municipality; or

(v) abandoned his ordinary place of residence in the municipal area concerned; or

(vi) been guilty of misconduct in the discharge of his duties; or

[(vii) during the current or the last preceding term of the Municipality, acting as President or Vice-President, or as Chairman of a Committee, or as member or in any other capacity whatsoever, whether before or after the commencement of the Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Amendment) Act, 1976, so flagrantly abused his position, or so willfully contravened any of the provisions of this Act or any rule, regulation or bye-law, or caused such loss of damage to fund or property of the Municipality as to render him unfit to continue to be President; or

(viii) been guilty of any other misconduct whether committed before or after the commencement of the Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Amendment) Act 1976,whether as President or as Vice-President, exercising the powers of president, or as Vice-President, or as Vice-president, or as member;][3]

1. Omitted by U.P. Act No. 7 of 1949.

2. Subs. by U.P. Act No. 27 of 1964.
3. Subs. by section 31 of Chapter-III of U.P. Act No. 41 of 1976.
4. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

[(ix) caused loss or damage to any property of the municipality; or

(x) misappropriated or misused of Municipal fund; or

(xi) acted against the interest of the municipality; or

(xii) contravened the provisions of this Act or the rules made thereunder; or

(xiii) created an obstacle in a meeting of the municipality in such manner that it becomes impossible for the municipality to conduct its business in the meeting or instigated some one to do so; or

(xiv) willfully contravened any order or direction of the State Government given under this Act; or

(xv) misbehaved without any lawful justification with the officers or employees of the municipality; or

(xvi) disposed off any property belonging to the municipality for a price less than its market value; or

(xvii) encroached, or assisted or instigated any other person to encroach upon the land, building or any other immovable property of the municipality.][6]

(3) [***][3]

[President to be member

49. The President of a municipality shall be ex *officio* member of the municipality.][4]

Functions of a [Municipality][2] that must be discharged by the President

50. The following powers, duties and functions of a [Municipality][2] may be exercised, and shall be performed or discharged, by the President of the [Municipality][2] and [subject to the provisions of Sections 53 and 53-A][1] and not otherwise, namely,-

(a) the powers vested in the President by Section 70, 74 and the provisions to Sections 75 and 76 to appoint , punish or dismiss servants of the [Municipality][2];

(b) the determination, in accordance with any regulation in this behalf, of questions arising in respect of the service, transfer, leave, pay, privileges and allowances of servants of the [Municipality][2];

(bb) general supervision over all officers and works of the [Municipality][2];

(c) the submission to the Prescribed Authority under Section 32 of statements, accounts, reports, or copies of documents, and under sub-section (4) and (5) of Section 94 and sub-section (1) of Section 108 of copies of resolutions, passed by the [Municipality][2] or by a committee of the [Municipality][2];

---

1. Omitted by U.P. Act No. 27 of 1964.
2. Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
3. Omitted by section 118 ibid.
4. Subs. by section 119 ibid.

5. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.
6. Subs. by section 4 (a) of Uttarakhand Act No. 11 of 2005.

(d) such of the powers, duties and functions referred to in the third column of Schedule I as are delegated by the [Municipality][3] under Section 112 to the President; and

(e) all other duties, powers and functions of a [Municipality][3] with the exception of,-

(i) where there is an executive officer, those vested in an executive officer by Section 60 and where there is a medical officer of health, those vested in the medical officer of health by Section 60A;

(ii) those specified in the second column of Schedule I; and

(iii) those delegated by the [Municipality][3] under Section 112.

Additional duties of the President

51. It shall also be the duty and power of the President -

(a) unless provided otherwise by this Act or prevented by reasonable cause-

(i) to convene and preside at all meetings of the [Municipality][3];

(ii) [***][1]

(iii) otherwise to control in accordance with any regulation made in this behalf the transaction of business at all meetings of the [Municipality][3];

(b) to watch over the financial and superintendent the executive administration of the [Municipality][3] and bring to the notice of the [Municipality][3] any defect therein; and

(c) to perform such other duties as are required of, or imposed on him by or under this or any other Act.

[Authority to President to address State Government on question of general public interest

51-A A President may address the State Government or any Department of the State Government on any question of general public interest in the manner prescribed.][2]

Power of [Municipality][3] to require reports, etc, from President

52. (1) The [Municipality][3] may require the President to furnish it with-

(a) any return, statement, estimate, statistics or other information regarding any matter appertaining to the administration of the municipality;

(b) a report or explanation on any such matter; and

1. Omitted by U.P. Act No. 13 of 1942.

2. Subs. by above section ibid.
3. Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
4. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

(c) a copy of any record, correspondence or plan or other document which is in his possession or control as President or which is recorded or filed in his office or in the office of any municipal servant.

(2) The President shall comply with every requisition made under sub-section (1) without unreasonable delay.

(3) Nothing in this section or in any other provision of this Act shall be deemed to prevent the Municipality from making regulations authorizing and restrictions as may be prescribed in the regulations.

Delegation by President of his powers and duties to the Vice-President

53. (1) A President may empower, by general or special order, any Vice-President to exercise under his control any one or more of his powers, duties or functions except those specified in clauses (a) and (b) of Section 51.

(2) An order by the President under sub-section (1) may prescribe any condition, and impose any restrictions, n respect of the exercise of any powers, the performance of any duty or the discharge of any function.

(3) In particular, such order may prescribe the condition that any order by [the Vice-President in the exercise of a power conferred on him by sub-section (1) shall be liable to rescission or revision by the President upon appeal to the President within a specified time.

Delegation by President of powers under clause (a) of Section 50

53-A (1) A President may empower by general or special order any servant of the Municipality to exercise under his control any one or more of the powers specified in clause (a) of Section 50.

(2) An order of the President under sub-section (1) may prescribe any condition, and impose any restriction in respect of the exercise of any power.

(3) Any order passed by a servant of the Municipality in the exercise of a power conferred on him under sub-section (1) shall be liable to rescission or revision by the President.

Election, term of office and resignation of Vice-President

54. (1) Every municipality shall have a Vice-President elected, as occasion arises, from amongst its elected members by the electorates consisting of President, elected members, *ex officio* members and nominated members of the municipality and the voting at such election shall be by secret ballot.

[(2) The term of office of a Vice-President of any description shall be one year from the date of his election or the residue of his term of office as a member of the municipality, whichever is less.][1]

(3) Any Vice-President wishing to resign may intimate in writing his intention t so to the President and on his resignation being accepted by the Municipality, he sha deemed to have vacated his office.

[(4) The election of a Vice-President under sub-section (1), (2) and (3) sha completed within there months from the date of the due constitution of the Municipa as notified under Section 56 or from the date of occurrence of the vacancy, as the case be.][2]

[1][Provision for exercise of powers etc., of President in certain contingencies and procedure for election of Vice-President

54-A [(1) Where a person on being elected President fails or refuses to function otherwise not able to function, or a casual vacancy occurs in the office of the Presi within the meaning of Section 44-A, and no Vice-President has been elected in accord with this Act, or there is no Vice-President otherwise able to function, the powers functions of the President shall, until a President or Vice-President is able to functio exercised and performed by he Deputy Collector appointed by the District Magistra this behalf, and such officer shall be called the Administrator, [and all powers, funct and duties of the President shall be vested in and be exercised, performed and discha by him.][4]

(2) Subject to the provisions of sub-section (4) of section 54, the meeting fo election of the Vice-President shall be held at the office of the Board and on the date time appointed by the District Magistrate. The notice of the meeting and the date o Board at his place of residence seven clear days before the date fixed for the meetin copy of such notice shall also be published in such manner as the District Magistrate direct and upon such publication, every member shall be deemed to have receive notice.][3]

(3) The District Magistrate shall arrange with the District Judge for a stipendiary Civil Judicial Officer to preside at the meeting convened under this section, and no othe person shall preside over it . If within half an hourof the time appointed for the meeting, the Judicial Officier is not present to preside at the meeting, the meeting shall adjourned the date and the time to be appointed and notified later to the members by that officer un sub-section (4).

(4) If the Judicial Officer is unable to preside at the meeting, he may after recordi his reasons adjourn the meeting to such other date and time as he may appoint but not la than seven days from the date appointed for the meeting under sub-section (2). He shall without delay communicate in writing to the District Magistrate the adjournment of the meeting . It shall not be necessary to send notice of the date and the time of the adjourne meeting to members individually but the District Magistrate shall give notice of the date and the time of the adjourned meeting by publication in the manner provided in sub-sec (2).

(5) Save as provided under sub-sections (3) and (4) the meeting convened under this section shall not be adjourned for any reason.

---

1. Added by U.P. Act No. 1 of 1955.
2. Subs. by section 32 (ii) of Chapter-III of U.P. Act No. 41 of 1976.
3. Subs. by section 33 ibid.
4. Ins. by section 121 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.

5. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

(6) As soon as the meeting convened under this section has commenced the Municipality shall proceed to elect the Vice-President .

(7) The Judicial Officer shall not be entitled to vote at the election .

(8) In case of equality of votes, the Judicial Officer shall decide by lot which of the candidates having equal votes is to be declared elected.

(9) The Judicial Officer shall declare the result of the election at the meeting and shall forward a copy of the minutes of the meeting to the President and and the District Magistrate.

Duties of Vice-President

55. (1) [The Vice-President],-

(a) shall in the absence of the President from a meeting of the Municipality and unless prevented by reasonable cause, preside, regulate the conduct of business, and maintain and enforce order, at the meeting, and when so presiding any exercise the powers specified in Section 91;

(b) shall, during a vacancy in the office of President or the incapacity or temporary absence of the President perform any other duty and, when occasion arises, exercise any other power of the President;

(c) Shall at any time perform any duty and exercise when occasion arises, any power delegated to him by the President under Section 53.

(2) Where there are two Vice-Presidents the duties and power specified in clauses (a) and (b) of sub-section (1) shall be performed or may be exercised by the senior Vice-President and in his absence by the junior Vice-President and the duties and powers specified in clause (c) by whichever Vice-President is named in the order of delegation.

[(3) The provisions of Section 48 shall apply *mutatis mutandis* to the Vice-President in respect of the performance of any duty or exercise of any powers under this section.][1]

Notification of elections, nominations and vacancies

56. Every election and nomination of a member or President of a Municipality, the due constitution of the Municipality, and every vacancy in the office of members or President shall be notified in the Official Gazette.

The Executive Officer and Medical Officer of Health

Power of [Municipality] to appoint and employ Executive officer and Medical Officer of Health

57. [(1) Every Municipality shall, unless the State Government either on its own motion or on representation made by the Municipality, otherwise directs, appoint an Executive Officer by a special resolution :

1. Omitted by section 23 of U.P. Act No. 27 of 1964.
2. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

Provided that in every case in which such Municipality has at the time of the passing of the Act a Secretary but no Executive Officer, the Secretary shall be deemed to be the Executive Officer, until or unless he is duly replaced.

(2) Every Municipality with an income if Rs. 50,000 per annum or over, shall, unless the State Government otherwise directs, employ a Medical Officer of Health who belongs to the [Uttar Pradesh Provincial Medical and Health Service,][2] and an Accountant who belongs to the State Accounts Service, on such terms and conditions as may be prescribed by the State Government:

Provided that if the State Government expresses its inability to make available the services of a Medical Officer of Health belonging to the [Uttar Pradesh Provincial Medical and Health Service][2], the Municipality may appoint a temporary Medical Officer of Health by a special resolution.

[(2-A) Every Municipality shall, if so required by the State Government, employ in addition to or in place of the Accountant, an Accounts Officer nominated by the State Government either severally or jointly with one or more than one Municipality or any other local authority on the terms and conditions as may be prescribed by the State Government, from time to time.][1]

(3) Every appointment of an Executive Officer under sub-section (1) and of a Medical Officer of Health under the proviso to sun-section (2) made by a Municipality shall be subject to the prior approval of the State Government and their salaries and conditions of service shall be such as may be prescribed.

Punishment, dismissal or removal of Executive officer and transfer of Medical Officer of Health

58. (1) A Municipality may dismiss, remove or otherwise punish its Executive Officer by a special resolution supported by not less than two third of the members constituting the Municipality subject to his right of appeal to the State Government, within such time and in such manner as may be prescribed :

Provided that the Municipality shall, in dismissing, removing or otherwise, punishing the Executive Officer, follow the procedure that may be prescribed in this behalf.

(2) [***][1]

(3) If a Municipality by special resolution recommend the transfer of its Medical Officer of Health [other than one appointed under the proviso to sub-section (2) of Section 57][1] or its Accountant, the State Government shall transfer the Medical Officer of Health or the Accountant as the case may be from the Municipality's employment provided the Municipality gives sufficient reasons therefor.

Appointment of officiating Executive Officer

59. [(1) During the absence on leave, or other temporary vacancy in the office of an Executive Officer, if the period of such leave or vacancy does not exceed two months, the President may appoint a person to act as Executive Officer; and if the period exceeds two months an appointment shall be made by the Municipality in accordance with the provisions of Section 57:

1. Subs. and omitted by U.P. Act No. 27 of 1964.

Provided that when the period of vacancy which initially did not exceed two months, is subsequently extended due to unforeseen circumstances, the appointment made by the President may continue subject to the approval of the State Government.][1]

(2) Every person so appointed may exercise the powers and shall perform the duties conferred or imposed by or under this or any other enactments on the person for whom he is appointed to act.

[(3) The salaries and conditions of service appertaining to such appointments shall be such as may be prescribed, and the provisions of Section 58, with such modifications as may be prescribed, shall apply to persons so appointed.][1]

Functions of a Municipality that must be discharged by the Executive Officer

60. (1) In any municipality where there is an Executive Officer appointed under Sections 57, 59 or 65 the following powers of the Municipality shall be exercised by such officer, and subject to the provisions of Section 62 not otherwise, namely,-

(a) the power to grant and issue under his signature, or to refuse, any license which can be granted by a Municipality, other then a licence for a market, slaughter- house or hackney carriage;

(b) the power to suspend or withdraw any such licence;

(c) the power to receive, recover, and credit to the municipal fund any sum due or tendered to the Municipality;

(d) the powers conferred by the section or sub-sections specified in the first column of Schedule II [or where such sections or sub-sections are followed by the words 'in part' by such parts thereof as are indicated by the description in Column 2 of the said Schedule and the power to do all things necessary for the exercise of these powers;

(e) in respect of servants of the [Municipality][2], the powers vested in the Executive Officer by Sections 75 and 76, and the power to grant leave of absence to the holder of any post to which he has power to appoint;

(f) any other power that has been delegated by the [Municipality][2] to the Executive Officer.

(2) [***][1] All servants of the Municipality shall be subordinate to Executive Officer.

[Functions to be discharged by Medical Officer of Health

60-A Notwithstanding anything contained in Section 60, the State Government may, by notification in the Official Gazette direct that in any municipality, the Medical Officer of Heath subject to the general control of the Executive Officer shall exercise the following powers :

Provided that in case of disagreement between these officers the question shall be referred to the President, whose decision shall be final,-

1. Subs. and omitted by U.P. Act No. 27 of 1964.

2. Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
3. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

(a) the power to grant and issue under his signature every permit or licence, other than a permit or licence for a market or slaughter-house, which can be granted by a Municipality in respect of bye-laws framed under Parts B,D,F,G and I of List I and Part I List II of Section 298;

(b) the power to suspend or withdraw any such permit or licence;

(c) the powers conferred on the Executive Officer under Section 60 (1)(d) in respect of Sections 191 (1) and (2), 192 (1), 196 (c) and (d), 201 (1), 202(1), 225(1) and (2), 227, 244 (1) and (2), 245 (1) 249, 250(2), 267, 268, 269, 270, 271, 273(1)(a), 276, 277, 278, 280, 283, 294 and also in respect of Section 307 so far as the notice referred to therein relates to the other sections specified in this clause;

(d) in respect of servants of the [Municipalities][3] employed for conservancy, public health, vaccination, and the registration or births and deaths the powers vested in the Executive Officer by Sections 75(a) and 76(a) the power to grant leave of absence to the holder of any post to which he has power to appoint.][1]

[Delegation of powers to principal officers of the Electrical, Public Works and Water Works Department

60-B The State Government may, by notification in the Official Gazette, direct that in any [municipality][3] the principal officers of the Electrical, Public Works, and Water Works Departments and of Municipal Museum shall exercise, with reference to their departments or Museum, powers under clause (e) of sub-section (1) of Section 60, and anything done in exercise of the powers conferred under the provisions of this section shall be deemed to be thing done and power exercised by the Executive officer.][2]

Right to appeal from orders of Executive Officer

61. (1) No appeal shall lie to the [Municipality][3] from any order passed by an Executive Officer or Medical Officer of Health in the exercise of the powers conferred upon him by Section 60 or Section 60-A unless-

(a) the order is an order against which an entry is shown in the third column of Schedule II, such entry not being avoided by regulation made under clause (e) of sub-section (1) of Section 297 and in force; or

(b) the order is as order passed in respect of a licence and provision is made for appeal therefrom by any bye-law .

(2) Where an appeal lies it shall be filed within ten days of the communication of the order or of date on which the order is, under the provisions of this Act, deemed to have been communicated.

(3) Where an appeal is filed within such period, the order shall remain suspended until the appeal is decided.

---

1. Added by U.P. Act No. 5 of 1932.
2. Added by U.P. Act No. 7 of 1949.

3. Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
4. Subs. by section 32 of U.P. Chapter-III of Act No. 26 of 1995.

Delegation of powers by Executive Officer or Medical Officer of Health

62. [(1) With the sanction of the President an Executive Officer, or a Medical Officer of Health may empower, by general or special order, any servant or [Municipality] to exercise, under his control, any power, other than a power delegated to him under clause (f) of sub-section (1) of Section 60 conferred on him by or under this Act.][1]

(2) An order by the Executive Officer or Medical Officer of Health under sub-section (1) may prescribe any condition and impose any restriction in respect of the exercise of any power.

(3) Any order passed by a servant of the [Municipality][3] in the exercise of a power conferred on him under sub-section (1) shall be liable to rescission or revision by the Executive Officer or Medical Officer of Health, as the case may be.

Power of president or [Municipality][3] or Committee to require report etc., from Executive Officer or Medical Officer of Health

63. (1) The President or the Municipality, or any Committee of the Municipality, may require from the Executive Officer [or Medical Officer of Health],-

(a) any return, statement, estimate, statistics or other information regarding any matter appertaining to that branch of the administration of the municipality with which he is concerned];

(b) a report or explanation on any such matter; and

(c) a copy of any record, correspondence or plan or other document which is in his possession or under his control as Executive Officer or Medical Officer of Health or which is recorded or filed in his office or in the office of any servant subordinate to him

(2) The Executive officer or Medical Officer of Health shall comply with every requisition made under sub-section (1) without unreasonable delay.

Right of Executive Officer or Medical Officer of Health to take part in discussions

64. The Executive officer, Accounts Officer or Medical Officer of Health may, within the permission of the President, or in virtue of a resolution passed in this behalf at a meeting of the Municipality or of a committee, make an explanation in regard to a subject under discussion, but shall not vote upon or make an explanation in regard to a subject under discussion, but shall not vote upon or make a proposition at such meeting.

Power of State Government to appoint Executive Officer

65. If a Municipality being bound to make an appointment under the provisions of Section 57 or Section 59, fails to make an appointment [***][2] within such time as the State Government considers reasonable, the State Government may itself make the appointment and may fix the salary, contributions to provident fund or pension and other conditions appertaining to such appointment :

Provided that if the State Government has made an appointment in exercise of the powers conferred by this section, the [Municipality] shall not be bound to pay a sum exceeding a monthly average of Rs. 1,000 in the case of Municipalities with an income of three lakhs or over or of Rs. 500 in the case of other municipalities on account of the salary, leave, allowances and contributions of the person so appointed.

1. Added by U.P. Act No. 27 of 1964.
2. Omitted by above section.
3. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

Appointment of Secretaries

66. [(1)][1] [Every municipality where there is no Executive Officer shall, by special resolution appoint one or more Secretaries.][3]

[(2) Each such appointment shall be subject to prior approval of the Prescribed Authority and the salaries and other conditions of service of the person so appointed shall be such as may be prescribed.][1]

[Appointment of officiating Secretary

66-A (1) During the absence on leave, or other temporary vacancy in the office of a Secretary appointed under Section 66, if the period of such leave or vacancy does not exceed two months, the President may appoint a person to act as Secretary, and if the period exceeds two months an appointment shall be made by the Municipality in accordance with the provisions of Section 66.

(2) When the period of vacancy in which appointment has been made under the first part of sub-section (2) is subsequently extended beyond two months due to unforeseen circumstances the appointment made by the President may continue subject to the approval of the State Government.

(3) Every person so appointed may exercise the powers and shall perform the duties conferred or appointed may exercise the power and shall perform the duties conferred or imposed by or under this or any other enactment on the person for whom he is appointed to act.

(4) The salary and other conditions of service of a person appointed under sub-section (1) shall be such as may be prescribed.][2]

Punishment or dismissal of Secretaries

67. A Municipality may dismiss, remove or otherwise punish any Secretary appointed under Section 66 or Section 66-A, by special resolution supported by not less than two third of the members constituting the Municipality, subject to his right of appeal to such authority, within such time and in such manner , as may be prescribed :

Provided that the Municipality shall in dismissing, removing or otherwise punishing the Secretary, follow the procedure that may be prescribed in this behalf.

Appointment of Special Officers of technical department

68. (1) A [Municipality][4] may, and if so required by the State Government, shall by special resolution, appoint the principal officers of its technical departments such as Civil Engineer, Assistant Civil Engineer, Electrical Engineer, Assistant Electrical Engineer, Water Works Engineer, Assistant Water Works Engineer, Electrical and Water Works Engineer, Assistance Electrical and Water Works Engineer or Overseer and also Secretary where there is already an Executive Officer and Superintendent or Lady-Superintendent of Education.

(2) During the absence on leave, or other temporary vacancy in the office of any of the officers mentioned in sub-section (1), if the period of such leave or vacancy does not exceed two months, the President may appoint a person to act in such office; if the period exceeds two months an appointment shall be made by the [Municipality][4] in accordance with the provisions of sub-section (1).

1- Added by U.P. Act No. 5 of 1932.

2- Added by U.P. Act No. 7 of 1949.
3- Subs. by section 123 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
4- Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

(3) When the period of vacancy in which appointment has been made under the first part of sub-section (2) is subsequently extended beyond two months due to unforeseen circumstances, the appointment made by the President may continue subject to the approval of the State Government.

(4) Every person appointed under sub-section (2) may exercise the powers and shall perform the duties conferred or imposed by or under this or any other enactment on the person for which he is appointed to act.

(5) Each appointment made under sub-section (1) or the second part of sub-section (2) shall be subject to the prior approval of the State Government.

(6) The salary and other conditions of service of a person appointed under this section shall be such as may be prescribed.

[Compliance by Municipality of requisition by State Government for servants in times of emergency

68-A On the occurrence of war, famine, scarcity, epidemic disease of men, or beasts, flood, or any similar emergency, and to provide for fairs, melas or other occasions involving large gathering of people, the Municipality shall immediately comply with any requisition made by the State Government or by an officer of the Government authorized by general or special order to make the requisition, for the services of any of the Municipality's officers or officials holding posts in its medical, public healt sanitary, veterinary electrical,waterworks or Public Works Departments or vaccination for the services of any *Vaid* or *Hakim* employed by the Municipality, and shall meet such proportion of the charge connected with the requisitioning as the State Government may decide to be a proper charge on the Municipality.][1]

Punishment and dismissal of officers appointed under Section 68

69. [(1) A Municipality may, by special resolution, dismiss, remove or otherwise punish any officer appointed under Section 68 or the proviso to sub-section (2) of Section 57, subject to the conditions provided in Section 58 in respect of the dismissal, removal or other punishment of an Executive Officer.][2]

(2) [***][3]

[Framing of charges against or suspension of officers by President

69-A (1) If the President has reason to believe that the Executive Officer or the Secretary or any of the other officers of the Municipality appointed under Section 68 or the proviso to sub-section (2) of Section 57 is corrupt or has persistently failed in the discharge of the duties or is otherwise guilty of misconduct, he may frame charges against him and where he is satisfied that it is so necessary, he may, for reasons to be recorded, suspend him pending the completion of the enquiry [and the passing of the final order by the Prescribed Authority or the Municipality, as the case may be, under sub-section (4)][2].

[(2) Whenever the President takes action under sub-section (1), he shall within a week inform the Prescribed Authority and also forward to it a copy of the charges, and in case an order of suspension has been passed, the President shall also forward to the Prescribed Authority the material forming the basis of

the charges.][2]

1- Added by U.P. Act No. 7 of 1954.
2- Subs. by U.P. Act No. 27 of 1964.
3- Omitted by section ibid.
4- Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

[(2-A) The order of the suspension under sub-section (1) may at any time be revoked or modified by the Prescribed Authority.][2]

(3) The enquiry under sub-section (1) shall be carried on in such manner as may be prescribed by rules.][1]

[(4) After the enquiry is completed, the President shall submit the record with his recommendations to the prescribed Authority or to the Municipality, as he may consider fit. The Prescribed Authority or the Municipality, as the case may be, shall thereupon, notwithstanding anything contained in sub-section (1) of Section 58 or Section 67 or Section 69, proceed to consider the report and may, after such further enquiry as it may deem necessary, dismiss, remove or otherwise punish or exonerate the Executive Officer or Secretary or other officer, as the case may be :

Provided that the Municipality shall act under this sub-section through a special resolution supported by not less than two thirds of the members constituting the Municipality.

(5) An appeal against an order of dismissal, removal or other punishment passed under sub-section (4) by the Prescribed Authority or the Municipality shall lie to the State Government within such time and in such manner as may be prescribed.][2]

Centralization of services of Municipal Officers and Servants

69-B [(1) Notwithstanding anything contained in Sections 57, 59, 65 to 68, 69, 69-A, 71, 74, 79 and 80, the State Government may at any time, by rules provided for the creation of one or more services of such officers and servants as the State Government may deem fit, common to all or some [Nagar Panchayats or Municipal Councils or to the Nagar Panchayats, Municipal Councils, Municipal Corporation and Jal Sansthans in the State][5] and prescribes the methods of recruitment and conditions of service of persons appointed to any such service.][4]

[Explanation.- For the purposes of this sub-section it is clarified that services common to the Nagar Panchayats and Municipal Councils or Nagar Panchayats, Municipal Councils, Municipal Corporation and Jal Sansthans in the districts of Garhwal and Kumaun Divisions of the State may be created.][6]

(2) When any such service is created, officers and servants serving on the posts included in the service may, if found suitable, be absorbed in the service, provisionally and finally, and the services of others shall stand determined, in the prescribed manner :

[Provided that such absorption in the service shall not operate as a bar against holding or continuing to hold any disciplinary proceedings against a member of the service in respect of act committed before the date of such absorption; and].[3]

(3) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-sections (1) and (2), such rules may also provide for consultation with the State Public Service Commission in respect of any of the matters referred to in the said sub-section.

1- Added by U.P. Act No. 7 of 1949.
2- Added by U.P. Act No. 27 of 1964.
3- Added by section 6 (a) of Chapter-III U.P. Act No. 15 of 1983.
4- Subs. by section 9 of Chapter-III of U.P. Act No. 5 of 1984.
5- Subs. by section 124(a) of Chapter-III U.P. Act No. 12 of 1994.
6- Added by section 124 (b) ibid.
7- Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

[(4) Notwithstanding anything contained in the preceding sub-sections (1), (2) and (3) or any other provision of the Act, the State Government may by rules also provide for regularization of temporary and *ad hoc* appointments made before the prescribed data, without consultation with the State Public Service Commission.][3]

Temporary Servants required for emergency

70. The power to appoint and fix the salaries of temporary servants in cases of emergence shall vest in the President subject to the following conditions, namely,-

[(a) The President, in exercise of such powers, shall not act in contravention of-

(i) any general or special directions as the State Government may, from time to time;

(ii) an order of the [Municipality][5] prohibiting the employment of temporary servants for any particular work; and][4]

(b) each appointment under this section by the President shall be reported at the next meeting of the Municipality following the appointment.

[Power of Municipality to determine permanent staff

71. Except as provided by Sections 57, 66, 68 and 70, and subject to any general or special directions as the State Government may, from time to time, issue a [Municipality][5] may, by [special][1], resolution, determine what servants are required for the discharge of the duties of the Municipality and [their qualifications and conditions of service.][1]

Combination of offices

72. Subject to the provisions of this Act or of any rule a [Municipality][4], President or Executive Officer, as the case may be, may appointed one person to discharge the duties of any two or more offices.

Appointment, etc., of servants on the educational establishment

73. [(1) Subject to the provisions of sub-section (2), the appointment of persons on the educational establishment of a [Municipality][5] shall be made by such authority as may be specified in this behalf by the State Government, and different authorities may be specified for different classes of posts on the establishment:

[Provided that the appointment of a teacher or Head of an institution shall be governed by the provisions of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 or the Intermediate Education Act, 1921, as the case may be.][2]

(2) The State Government may make rules regulating the recruitment, punishment, [***][1] appeal and other conditions of service of persons appointed to the educational establishment of a [Municipality][5].

1- Added and omitted by U.P. Act No. 27 of 1964.
2- Added by section 8 of Chapter-III of U.P. Act No. 10 of 1978.
3- Subs. by section 6(b) of Chapter-III of U.P. Act No. 15 of 1983.
4- Subs. by section 7
5- Added by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
6- Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

[Appointment and dismissal of permanent superior staff

74. Subject to the provisions of Sections 57 to 73, servants on posts in the non-centralized service, carrying scale of pay equal to or higher than the lowest scale of pay admissible to the clerical staff, shall be appointed and may be dismissed, removed or otherwise punished, or the services of a probationer may be terminated, by the President, subject to the right of appeal, except in the case of the termination of the service of a probationer, to such authority within such time and in such manner as may be prescribed :

Provided that appointment on the posts of Tax Superintendent, Assistant Tax Superintendents, Inspectors, Head Clerks, Sectional Head Clerks, Sectional Accountants, Doctors, *Vaids, Hakims* and Municipal Fire Station Officers, shall be subject to the appointments on the posts of Tax Superintendent, Assistant Tax Superintendents, Inspectors, Head Clerks, Sectional Head Clerks, Sectional Accountants, Doctors, *Vaids, Hakim* and Municipal Fire Station Officers, shall be subject to the approval of the Municipality.][1]

[Appointment of permanent inferior staff

75. Except as otherwise provided, the Executive Officer shall appoint servants carrying scales of pay lower than the lowest scale of pay referred to in Section 74 :

Provided that in the case there is no Executive Officer, the said appointment shall be made by the President.][2]

Punishment and dismissal of permanent inferior staff

76. Except as otherwise provided, the Executive Officer, and where there is no Executive Officer, the President may dismiss, remove or otherwise punish servants of the Municipality, or terminate the services of probationers, [referred to in Section 75][3], subject to their right of appeal, except in the case of the termination of the service of a probationer, to such authority within such time and in such manner as may be prescribed.

Limitation of powers conferred by Section 71 to 76

77. (1) The provisions of Sections 71,73,74, 75 and 76,shall be subject to the provisions of,-

(a) section 78, and

(b) any rule, in particular of any rule imposing any conditions on the appointment of persons to offices, or any particular office, requiring professional skill, and on the suspension or dismissal removal or other punishment or discharge or termination of service of persons so appointed.

(2) The provisions of Sections of Sections 74, 75 and 76 shall also be subject to the provisions of any regulation raising any maximum or minimum monthly salary prescribed in those sections with reference to the respective powers of the Municipality, the President and the Executive Officer over the staff.

Powers of Appellate Authority in disciplinary

77-A The Appellate Authority to which an appeal against an order of dismissal, removal or other punishment is preferred under this Act or the rules may-

(a) set aside, reduce or confirm the penalty; or

matters

(b) remit the case to the authority which imposed the penalty with such directions as it may deem fit.

1- Subs. by section 8 of Chapter-III of U.P. Act No. 15 of 1983.
2- Subs. by section 9 ibid.
3- Subs. by section 10 ibid.
4- Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

Power of suspension

77-B (1) The authority competent to punish an officer or servant of the Municipality may place him under suspension,-

(a) where a disciplinary proceeding against him is contemplated or pending; or

(b) where a criminal case against him in respect of an offence involving moral turpitude is under investigation, enquiry or trial.

(2) Where a penalty of dismissal or removal imposed upon an officer or servant of Municipality is set aside in appeal under this Act or the rules and the case is remitted for further inquiry or action or with any other directions, the officer or servant shall be deemed to have been placed or continued under suspension on and from the date of the original order of dismissal or removal.

(3) Where a penalty of dismissal or removal imposed upon an officer or servant of the Municipality is set aside or declared or rendered void in consequence of or by a decision of a Court of law, and the punishing authority, on a consideration of the circumstances of the case decides to hold a further enquiry against him on the allegations on which the penalty of dismissal or removal was originally imposed, the officer or servant shall be deemed to have been placed or continued under suspension by the punishing authority on and from the date of the original order of dismissal or removal.

(4) An order of suspension made or deemed to have been made under this section bay at any time to be revoked by the authority which made or is deemed to have made the order or by the Appellate Authority.

(5) A Municipality shall act under this section, by a special resolution supported by not less than two-thirds of the members constituting the Municipality.

(6) An officer or servant who is placed or is deemed to have been placed under suspension shall, during the period of such suspension, be entitled to receive, instead of salary, such subsistence allowance as may be prescribed.][1]

Special provisions as to certain servants

Pension and dismissal in case of servants of the Government employed by Municipality or vice versa

78. (1) A Municipality shall contribute to the pension and leave allowance of any servant,-

(a) whose services are lent or transferred by Government to the Municipality; or

(b) whose services are lent or transferred by the Municipality to Government; or

(c) who is employed partly by Government and partly by the

Municipality.

(2) Such contribution shall be to the extent prescribed by any general rules or special orders made by the Government concerned.

1- Added by U.P. Act No. 27 of 1964.
2- Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

(3) A [Municipality][1] shall not, without the sent of Government, dispense with the service of any servant described in clause (a) or (c) of sub-section (1), or finally dismiss from its service any servant described in clause (b) of sub- section (1), unless it has given Government at least six months' notice.

(4) In this section "Government" shall mean the Central Government or any State Government.

Leave allowances, provident fund, annuities and gratuities

79. (1) In every case where a [Municipality][1], is entitled to pay a salary to any officer or servant, it shall subject to any regulations in this behalf, be entitled to pay leave allowances to such officer or servant.

(2) A [Municipality][1] may establish and maintain a provident fund and may itself contribute thereto.

(3) A [Municipality][1] may grant a gratuity, upon his retirement, to any servant of the [Municipality] who is excluded from participation in the benefits of the provident fund.

(4) The [Municipality][1] may, with the previous sanction of the State Government, grant or arrange for the purchase of an annuity to-

(a) any servant who, at the date of his retirement, has not been contributing to a provident fund established under sub-section (2) or has contributed thereto of a period of less than 10 years; and

(b) any officer or servant injured, otherwise than by reason of his own default, in the execution of his duty, or where such injury results in death, the family or such officer or servant.

(5) A [Municipality][1] may, with the like sanction, instead of taking action under clause (b) of sub-section (4), grant a compassionate allowance to an officer or servant referred to therein, or to the family of such officer or servant.

Limitations of powers conferred by the previous section

80. The provisions of Section 79 shall be subject to the condition that the [Municipality][1] shall not, without the special sanction of the State Government, grant to any officer or servant or to his family a pension, annuity or gratuity greater in amount than that to which he or it would have been entitled, under any general or special orders of the Central Government or State Government, if the service qualifying for the pension, annuity or gratuity had been service under that Government for the same time, in the same pay, and in other respects of the same character.

Liability of members, officers and servants

[Surcharge

81. (1) The President, the Vice-President, and every member, officer and servant

of the [Municipality][1] shall be liable to surcharge for the loss, waste and misapplication of any money or property of the [Municipality][1], if such loss, waste or misapplication is a direct consequence of has neglect or misconduct while acting as such President, Vice-President, member, officer or servant:

1- Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
2- Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

Provided that such liability shall cease to exist after the expiry of ten years from the occurrence of such loss, waste or misapplication or after the expiry of five years from the date on which such President, Vice-president, member, officer or servant ceases to hold his office, whichever is later.

(2) The amount of surcharge so imposed shall be recoverable as if it were an arrear of land revenue and the Collector on being satisfied that the sum is due shall proceed to recover it as such an arrear.

(3) The procedure of surcharge and the manner of the recovery of the amount involved in loss, waste or misapplication shall be such as may be prescribed.

(4) Where no surcharge proceedings are taken the Municipality, with the previous sanction of, or on being directed by the Prescribed Authority, may institute a suit for compensation against such person.][2]

Penalty on member or President acquiring interest in contract, etc.

82. A member or President of Municipality who, otherwise than with the permission in writing of the Prescribed Authority knowingly acquires, or continues to have directly or indirectly, by himself or his partner, any [Share or interest, whether pecuniary or of any other nature][1] in any contract or employment, with, by, or in behalf of the Municipality, shall be deemed to have committed an offence under Section 168 of the Indian Penal Code :

Provided that a person shall not be deemed for the purposes of sub-section (1) to acquire, or continue to have, any [share or interest, whether pecuniary or of any other nature][1] in a contract or employment by reason only of his,-

(a) having a share or interest, whether pecuniary or of any other nature in any lease, sale or purchase of land or buildings, or in any agreement for the same, provided that such share or interest, whether pecuniary or of any other nature was acquired before he became a member, or

(b) having a share in a joint stock company which shall contract with, or be employed by, or on behalf of, the Municipality, or

(c) having a share or interest, whether pecuniary or of any other nature in a newspaper in which an advertisement relating to the affairs of the Municipality is inserted, or

(d) holding a debenture or otherwise being interested in a loan raised by, or on behalf of, the Municipality, or

(e) being retained by the Municipality as a legal practitioner, or

(f) having a share or interest, whether pecuniary or of any other nature in the occasional sale of an article in which he regularly trades to Municipality to a value not exceeding, in any one year, such amount as the Municipality to a value not exceeding, in any one year, such amount as the Municipality, with

the sanction of the State Government fixes in this behalf, or

(g) being a party to an agreement made with the Municipality under the provisions of Section 196 (c) or of Section 229.

1- Added by U.P. Act No. 27 of 1964.
2- Subs. by section 34 of Chapter-III of U.P. Act No. 41 of 1976.
3- Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

Provision against servants being interested in contract etc.-

83. (1) A person who has directly or indirectly or indirectly, by himself or his partner, a [share or interest, whether pecuniary or of any other nature][1] in a contract with, by or on behalf of a [Municipality][2] or in any employment with, under, by or on behalf of, a [Municipality][2], other than as a municipal servant, shall be disqualified for being a servant of such [Municipality][2].

(2) A municipal servant who shall acquire on continue to have directly or indirectly, himself or his partner a [share or interest, whether pecuniary or of any other nature][1] in any such contract or employment as aforesaid shall cease to be a municipal servant, and his office shall become vacant.

(3) A municipal servant who knowingly acquires or continues to have, directly or indirectly, a [share or interest, whether pecuniary or of any other nature][1] in a contract or, except in so far as concerns his employment as a municipal servant, in any employment with under, by, or on behalf of, a [Municipality][2] of which he is a servant, shall be deemed to have committed an offence under Section 168 of the Indian Penal Code (Act No. XLV of 1860).

(4) Nothing in this section shall apply to any such [share or interest, whether pecuniary or of any other nature][1] in a contract or employment with under, by, or on behalf of , the [Municipality][2] as is referred to in clauses (b), (d) and (g) of sub-section (2) of Section 82 or to any [share or interest, whether pecuniary or of any other nature][1] acquired or retained, with the permission of the Prescribed Authority, in any lease, sale or purchase of land or buildings, or in any agreement for the same.

All officers and servants of a [Municipality][2] to be deemed public servants

84. Every officer or servant of [Municipality][2] shall be deemed to be a public servant within the meaning of the Indian Penal Code (Act No. XLV of 1860 and in the definition of “legal remuneration” in Section 161 of that Code, the word “Government” shall, for the purposes of this section, be deemed to include a [Municipality][2].

Penalty on specified municipal servants for failure to discharge their duties

85. (1) A sweeper employed by the [Municipality][2], who,-

(a) except in accordance with the terms of a written contract of service, or with the permission of the [Municipality][2], resigns or abandons his employment, or

(b) without a reasonable cause of which notice has, when possible, been given to the [Municipality][2], absents himself from his duties.

shall be liable upon conviction to imprisonment which may extend to two months.

(2) The Prescribed Authority may direct that on and from a specified future date the provisions of sub-section (1) shall apply also to any other specified class

of servants employed by a [Municipality][2] whose functions intimately concern the public health or safety :

1- Added by U.P. Act No. 27 of 1964.
2- Subs. by section 124(a) of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
3- Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

Provided that when a Prescribed Authority makes an order under this sub-section, he shall forthwith forward a copy thereof, with a statement of his reasons for making it, to the State Government which may thereupon rescind the order or direct that it continue in force, with or without modification, permanently or for such period, as it thinks fit.

CHAPTER III
CONDUCT OF BUSINESS
Municipal meetings and proceedings

Meeting of a [Municipality][2]

86. (1) There shall be at least one meeting of the [Municipality][2] in every month to be held on a day fixed by regulation or of which notice has been given in a manner provided by regulation in this behalf :

[(2) The President may convene a meting whenever he thinks fit and shall upon a requisition made in writing by not less than one fifth of the members of the [Municipality][2] and served in the President or sent by registered post acknowledgment due addressed to the [Municipality][2] at their office, convene a meeting within a period of [fifteen days][1] the date of the service or receipt of such requisition :

[Provided that the President may, for reasons to be recorded, postpone a meeting, other than a meeting convened on the requisition of members as above, by giving such notice as may be provided by regulation in this behalf.][1]

(3) A meeting may be adjourned until the next or any subsequent day, and an adjourned meeting may be further adjourned in the like manner.

(4) Every meeting shall be held at the municipal office [if any][1] or other convenient place of which notice has been duly given.

[(5) The President shall report to the District Magistrate the name of any member who has, without obtaining sanction from the [Municipality][2], absented himself from the meetings of the [Municipality][2] for more than three consecutive months or three consecutive meetings, whichever is the longer period.][1]

Transaction of business at meetings

87. Subject to any provision to the contrary made by regulation in this behalf, any business may be transacted at any meeting :

Provided that no business which is required to be transacted by a special resolution shall be transacted unless previous notice of the intention to transact such business has been given :

Provided also that nothing in this section shall apply to a motion that the [Municipality][2] shall adopt a resolution expressing non-confidence in the President of to a motion that the [Municipality][2] shall adopt a resolution calling upon the President

to resign.

87-A [***][4]

~~1- Added by U.P. Act No. 27 of 1964.~~
2- Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
3 Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995
4 Repealed by Section 5 Uttarakhand Act no.11 of 2005

Quorum

88. (1) It shall be necessary for the transaction of any business other than business which is required to be transacted by a special resolution that not less than one-third of the total number of the members of the [Municipality][1] for the time being shall be present.

(2) It shall be necessary for the transaction of business which is required to be transacted by a special resolution that not less than one-half of such members shall be present :

Provided that, when it is necessary to postpone any business at a meeting for want of the prescribed quorum, the President after the transaction of such business as can be transacted shall adjourn the meeting to another date, and the business postponed for want of the prescribed quorum shall be transacted on such date, or in the event of a further adjournment of the meeting to a subsequent date, on such subsequent date, notwithstanding any deficiency in the number of members present.

President of meeting

89. If at a meeting neither President nor a Vice-President is present, the members present shall elect one of their members to be the President of the meeting, and such President shall perform all the duties, and may exercise all the powers of the President of a [Municipality][1] when presiding a meeting.

Publicity of meeting

90. Every meeting shall be open to the public unless the President thereof considers that the public should be excluded during the whole or any part of the meeting.

Power of President of meeting to maintain order

91. Where at a meeting of the [Municipality][1], any member or other person refuses to comply with any direction of the President ruling any business, discussion or matter out of order, or otherwise regulating the conduct or members or of business or where any member or person willfully disturbs the meeting, the President may require that member or person to withdraw from the meeting and, in the event of his omitting to do so, may employ against him such force as is necessary or as in good faith he believes to be necessary, for the purpose of removing and excluding him from the meeting.

Decision by vote

92. (1) All questions which may come before a meeting of a [Municipality][1] shall be decided by a majority of the votes of the members present and voting :

Provided that where the President [***][2] is of opinion that the decision on any question (including the budget estimates and proposals of taxation) by the [Municipality][1] by a majority of votes of the members present and voting is

against the interest of the [Municipality][1], he may refer the same with his comments to the Director, who may, with the previous approval of the State Government, take such decision thereon (which may be in supersession or partial modification of the decision of the [Municipality][1] as he thinks fit, and his decision shall have effect as if it were a decision of the [Municipality][1] :

---

1. Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
2. Omitted by section 126 ibid.
3. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

Provided further that the Director may, pending his final decision, give such interim decisions as he thinks fit and such direction shall have effect as if they were decisions of the Municipality.][1]

(2) In case of an equality of votes, the President of the meeting shall have a second or casting vote.

(3) The foregoing provisions of this section shall be subject to the provisions of sub-section (6) of Section 94 and of any other provision of, or under this or any other enactment requiring a resolution to be supported by any proportion or number of the members.

Right of certain officers to attend and speak at meetings

93. The [Chief Engineer, Uttar Pradesh Jal Nigam, the Director of Medical Health and Family Welfare, Uttar Pradesh, the Medical Officer, or the Assistant Director, Medical,Health and Family Welfare, Uttar Pradesh, the Chief Medical Officer][2] of the district, the Executive Engineer, the Inspector of Schools, and any other officer specially authorized by the State Government in this behalf shall be entitled to attend a meeting of the Municipality and to address the Municipality on any matter affecting their respective departments.

The minute book and resolutions

94. (1) The names of the members present, and the proceedings held and resolutions passed, at a meeting of a Municipality shall be entered in a book to be called the minute book.

[(1-A) The Executive Officer or where there is no Executive Officer, the Secretary of the Municipality shall sign it before taking his seat at any meeting of the Municipality.][1]

[(2) The minutes shall be read out at the meeting or the next ensuing meeting and, unless objected to by a majority of such of the members, if any, present at the reading as were also present at the proceedings recorded in such minutes, shall be certified as passed by the signature of the President of the meeting at which they are read.][1]

(3) Every resolution passed by a Municipality at a meeting, shall, as soon thereafter as may be, [be published in Hindi in any paper approved by [the State Government for purpose of publication of public notices, published in the district, or if there is no such paper, in the district, in the division, in which the municipality concerned is situate and where there is no such paper, be posted upon the notice boards of the municipal office and Collectorate Office for three consecutive days.][1]

(4) Copies of every resolution passed by a [Municipality] at a meeting shall, within ten days from the date of the meeting ,shall within ten days from the date of the meeting, be forwarded to the [Prescribed Authority] and the District Magistrate.

(5) When, subsequent to action being taken in respect of any resolution under

sub-section (3) or (4), but before the minutes recording the resolution are singed as required by sub-section (2), any alteration is made in the wording of such minutes the alteration shall be notified by publication or communicated to the Prescribed Authority and the District Magistrate, as the case may be.

---

1. Added by U.P. Act no.27 of 1964
2. Omitted by section 127 U.P.Act No.12 of 1994.
3. Subs. by section 32 of U.P. Act No. 26 of 1995.

(6) A resolution of a [Municipality][1] shall not be modified or cancelled within six months after the passing thereof,-

(a) Unless previous notice has been given setting forth fully the resolution which it is proposed to modify or cancel and the motion or proposition for the modification or cancellation of such resolution; and

(b) Except by a resolution supported by not less than, one half of the total number of members to the [Municipality][1] for the time being.

Conduct of correspondence, accounts, budgets, etc.

Conduct of correspondence, accounts, budgets, etc.

95. The following matters shall be regulated and governed by rules made by the State Government, namely,-

(a) the intermediate office or offices, if any, through which correspondence between [Municipalities][1] and the State Government or officers of the State Government and representations by the [Municipality][1] addressed to the State Government shall pass;

(b) the preparations of plans and estimates for works which are to be partly or wholly constructed at the expense of the [Municipality][1];

(c) the authority by whom and the conditions subject to which such plans and estimates may be sanctioned;

(d) the agency by which such plans and estimates shall be prepared any by which works shall be carried out;

(e) the accounts to be kept by [Municipalities][1], the manner in which accounts shall be audited and published and the power of auditors in respect of disallowance and surcharge;

(f) the date before which a meeting shall be held for the sanction of the budget;

(g) the method and forms to be adopted in the preparation of budgets;

(h) the conditions subject to which a [Municipality][1] in respect of which an order has been issued under Section 102 shall be entitled to vary or alter its budgets;

(i) the returns, statements and reports to be submitted by [Municipalities][1]; and

(j) regular periodical inspection of office and works of the [Municipality][1].

---

1. Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
2. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

Contracts

Sanctioning of contracts.

96. (1) The sanction of the Municipality by resolution is required in the case of every contract-

(a) for which budget provision does not exist; or

[(b) involving a value or amount, exceeding [Fifty thousand rupees][5] in the case of contract by the Municipal Council and [Fifteen thousand rupees][6] in the case of a contract by the Nagar Panchayet :][2]

[Provided that during the period intervening two meeting of the Municipal Council, the President may sanction contracts involving a value or amount not exceeding [One lakh rupees][7].][3]

(2) Any contract, other than a contract of either description specified in sub-section (1), may be the Municipality (not being an advisory committee) empowered in this behalf by regulation, or by any one or more than one officer or servant of the Municipality so empowered :

[Provided that the contracts sanctioned by a committee, officer or servant shall be placed before the Municipality for information at the next ensuing meeting.][1]

(3) Where the plans and estimates of a project have, in accordance with any rule made in this behalf, been sanctioned by the Municipality, and the execution of the work has been entrusted by the Municipality to an engineer in its service or employment, the Municipality may, with the previous sanction of the prescribed Authority empower by resolution such engineer to sanction all contracts or any one or more contracts of any particular description other than a contract of either description specified in sub-section (1) required for the execution of the project, and may in like manner impose any condition or restriction on the exercise of the power so conferred.

Execution of contracts.

97. (1) Every contract made by or in behalf of a Municipality whereof the value or the amount exceeding Rs. 250 shall be in writing.

[Provided that unless the contract has been duly executed in writing, no work including collection of materials in connection with the said contract shall be commenced or undertaken.][1]

(2) Every such contract shall be signed-

(a) by the President or a Vice-President and by the executive officer

or a Secretary; or

1- Added by U.P. Act No. 27 of 1964.
2- Subs. by section 128 (a) of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
3- Added by section 128 (b) ibid.
4- Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.
5- Subs. by section 6 (a) of Uttarakhand Act No. 11 of 2005.
6- Subs. by section 6 (b) ibid.
7- Subs. by section 6 (c) ibid.

(b) by any person or persons empowered under sub-section (2) or (3) of the previous section to sanction the contract if further and in like manner empowered in this behalf by the [Municipality][1].

(3) If a contract to which the foregoing provisions of this section apply is executed otherwise than in conformity therewith it shall not be binding on the [Municipality][1].

[Special provision regarding certain projects.

97-A Notwithstanding anything contained in this Act, every contract or estimate in respect of an urban development project sponsored by the Central Government or receiving aid from the World Bank or any other foreign organization, be made or sanctioned in accordance with the scheme approved by the State Government :

Provided that the meeting of the Municipality for sanction of funds for the urban development project shall be convened and decision be taken within one month from the date of approval of the project by the State Government :

Provided further that if the meeting of the municipality is not convened or decision is not taken within the time specified in the first proviso, the municipality shall be deemed to have sanctioned the funds and if the sanction is refused or is accorded with modifications, the matter shall be referred to the State Government and the decision of the State Government shall be final and binding on the municipality and the municipality shall be deemed to have sanctioned the funds accordingly. The Executive Officer may thereupon execute the project, spend funds and ensure completion of the project within the stipulated time :

Project also that the municipality shall undertake regular monitoring of the projects and shall send its report to the State Government.][2]

Registration of instruments.

98. When the Indian Registration Act, 1908, or any rule made thereunder, requires or permits any act to be done with reference to a document by a person executing or claiming under the same, and the document has been executed on behalf of a [Municipality][1] or is a document under which a [Municipality][1] claims, the Act may, notwithstanding any thing to the contrary contained in the aforesaid enactment, or in any rule thereunder, by done by the President, the Executive Officer or a Secretary of the [Municipality][1] or by any other officer of the [Municipality][1] empowered by regulation in this behalf.

The Budget

The Budget.

99. (1) Every [Municipality][1] shall have prepared, and laid before it , at a meeting to be held in every year before such date as is fixed by rule in this behalf, a

complete account of the actual and expected receipts expenditure for the year ending on the thirty-first day March next following such date together with a budget estimate of the income and expenditure of the [Municipality][1] for the year commencing on the first day of April next following.

1. Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
2. Subs. by section 129 ibid.
3. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

(2) Subject to the provisions of Section 102 the [Municipality][2] shall at such meeting decide upon the appropriation and the ways and means contained in the budget estimate and by special resolution, sanction a budget, which shall be submitted to the State Government or to such officers as the State Government by order directs in this behalf.

(3) Subject to the like provisions of the [Municipality][2] may vary or alter, from time to time, as circumstances may render desirable, by special resolution, the budget sanctioned under sub-section (2).

The revised budget.

100. As soon as may be after the first day of October a revised budget of the year shall be framed and such revised budget, shall, so far as may be, be subject to all the provisions applicable to a budget made under Section 99.

Minimum closing balance shown in budget

101. In framing a budget a [Municipality][2] shall provide for the maintenance of such minimum closing balance (if any) as the State Government may by order prescribe.

Budget of indebted [Municipality][1]

102. Where in the opinion of the [State Government][1] the condition of indebtedness of any [Municipality][2] is such as to make the control of the State Government over its budget desirable, the [State Government][1] may, by order declaring that such is the case, direct that budget of such [Municipality][2] shall be subject to the sanction of the [State Government][1] or the [Prescribed Authority][1] and that the power to vary or alter the budget under sub-section (3) of Section 99 shall be subject to conditions to be prescribed by rule.

Prohibition of expenditure in excess of budget

103. (1) Where a budget has been passed the [Municipality][2] shall not incur any expenditure under any of the heads of the budget, other than a head providing for the refund of taxes in excess of the amount passed under that head, without making provision for such excess by the variation or alteration of the budget.

(2) Where any expenditure under any head providing for the refund of taxes is incurred in excess of the amount passed under that head, provision shall be made without delay for such expenditure by the variation or the alteration of the budget.

Committees and Joint committees

Appointment of Committees

104. (1) [Municipality][2] may and where so required by the [State Government][1] shall -

(a) by regulation establish such committees as it thinks fit, or as the State Government direct for the purpose of exercising such powers, performing such duties or discharging such functions as may be delegated to a committee under section 112, and

---

1. Subs. by A.O. 1950.
2. Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
3. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

(b) by single transferable vote elect such of its members as it thinks fit for a period but exceeding one year to any committee so established, in accordance with the method prescribed in the Regulations made by the Chairman of the Legislative Council of Uttar Pradesh in pursuance of orders 82 and 87 of the Standing Orders, for the conduct of business and procedure to be followed in the Legislative Council and dated the 15th March, 1921, the words "the President" and "the Council" occurring in the said Regulations being for purposes of this clause read as "President of the Municipality" and "Municipality" respectively, provided that the State Government may, from time to time, as it thinks fit amend the said Regulations for the purposes of this clause; and

(c) by resolution remove any member elected under clause (b).

[(1-A) In any committee exclusively for the education of girls established under the preceding sub-section not less than one-half of its members shall be women members of the Municipality together with such other women who, being residents of the municipality but not members of the Municipality, are, by reason of their interest in the education of girls, appointed under Section 105.][1]

(2) The chairman of any such committee shall be a person elected form amongst the women members of such committee:

Provided that Municipality may, from time to time, by resolution establish, and appoint the members of one, or more than one, advisory committee for the purpose of enquiring into, and reporting in any matter in respect of which a decision of the Municipality is required by or under this Act.

Appointment of persons other than members

105. (1) Notwithstanding anything contained in this Act, it shall be lawful for a Municipality by a resolution supported by not less than one–half of the whole number of members for the time being to appoint as members of a committee any persons of either sex who are not member of the Municipality,but who, in the opinion of the Municipality possess special qualifications for serving on such committee :

Provided that the number of persons so appointed on a committee shall not exceed one-third of the total number of the members of committee.

(2) All the provisions of this Act, and of any rules relating to the duties, powers, liabilities, disqualifications and disabilities of members shall, save as regards disqualification on the grounds of sex, be applicable, so far as may be, to such persons.

Vacancies in Committees	106.	A vacancy occurring in any committee may at any time be filled up by the appointment by the Municipality, in the manner prescribed by Section 104, or Section 105 of another member or person.
President of a Committee	107.	(1) The Municipality may by resolution appoint a President for any committee. (2) In default of a President being appointed by the Municipality, a committee shall appoint its own President from among its members.

1. Added by U.P. Act No. 7 of 1949.
2. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

Procedure of committees	108.	(1) The provisions of sub-section (1) and (2) of Section 92, of Section 93, and of sub-section (1),(2),(4),(5) and (6) of Section 94 shall apply to the proceedings of committees of a Municipality, as if the words "a committee" were substituted for the words "a Municipality" or "the Municipality" whenever they occur therein. (2) Committees may meet and adjourn as they think proper, but the President of the committee may, whenever he thinks fit, and shall, upon the written request of the President of the Municipality or of not less than two members of the committee, call a meeting of the committee. (3) Subject to the provision contained in sub-section (4), no business shall be transacted at any meeting unless more than one-fourth of the members of the committee are present thereat. (4) Where it is necessary to postpone any business at a meeting committee for want of the prescribed quorum, the procedure specified in sub-section (3) of Section 88 shall be followed.
Subordination of Committees to Municipality	109.	(1) The Municipality may at any time call for any extract from any proceedings of any committee and for any return, statement, account or report concerning or commented with any matter with which the committee has been authorized, or directed to deal. (2) Every committee shall, with all convenient speed, comply with any requisition of the Municipality made under sub-section (1). (3) The Municipality may, for reasons to be recorded, vary or override any decision of the committee.
Joint Committee	110.	(1) Municipality may, and if so required by the State Government shall, combine with one, or more than one, other assenting local authority to appoint by means of a written instrument subscribed by the local authority to appoint by means of a written instrument subscribed by the local authorities concerned, a joint committee for the purpose of transacting any business in which they are jointly interested. (2) Such instrument shall prescribe the number of members who shall be chosen by each local authority to represent it upon the joint committee, the person who shall be president thereof, the powers being powers exercisable by one or more of the concurring local authorities which may be exercised by the joint committee, and the method of conducting the proceedings and correspondence thereof.

(3) Such instrument may, from time to time, be varied or rescinded by a further instrument subscribed by all the local authorities concerned, and in the event of the rescission of any instrument under this sub-section, all proceeding thereunder shall be deemed inoperative with effect from a date to the specified in such further instrument.

(4) Any difference of opinion arising in the course of any proceeding under the foregoing provisions of this section, between two or more local authorities shall be decided by reference to the State Government under Section 325.

1. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

[Formation of State Municipalities Union and its functions.

110-A (1) The Municipalities in Uttar Pradesh may combine to form an association to be called the State Municipalities Union, provided that no such association shall be formed unless more than half the number of Municipalities in the State severally pass a resolution signifying their intention to become members.

(2) The function of the union formed under sub-section (1) of this section shall be to examine problems of common interest to the Municipalities, advise the Municipalities in the improvement of municipal administration and to perform such other function as the State Government may, from time to time, prescribe.

(3) The following matters shall be regulated and governed by rules made by the State Government, viz.,-

(a) the constitution and aims and objects of the union;

(b) the amount and the method of contribution of Municipalities;

(c) The management and control of finances of the union;

(d) [***][2]

(e) generally such other matter as may be necessary for the purpose of this section.][1]

+

Exercise and delegation of powers by Municipality

Powers of which the exercise is reserved to a Municipality acting by resolution--

111. (1) The powers, duties and functions specified in the second column of Schedule I, with the exception of those against which an entry is shown in the third column of that schedule, may be exercised and shall be performed or discharged by a Municipality or by resolution passed at a meeting of the Municipality and not otherwise.

(2) Nothing in sub-section (1) shall be construed to prevent a resolution of a Municipality being carried into execution by any agency duly authorized in this behalf by or under this Act or by a servant of the Municipality Acting within the scope of his employment.

Delegation of powers by [Municipality]

112. (1) With the exception of a power, duty or function –

(a) specified in the second column and against which no entry is shown

n the third column of Schedule I;

(b) reserved or assigned to a President by clauses (a), (b) and (c) of section 50 or by section 51; and

[(c) where there is an Executive Officer or a Medical Officer of Health, reserved to the Executive Officer by section 60 or to the Medical Officer of Health by section 60-A.

---

1. Added by U.P. Act No. 1 of 1955.
2. Omitted by section 130 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
3. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

[Municipality][1] may delegate by regulation all or any of the powers, duties or functions conferred or imposed on, or assigned to a [Municipality][1] under this Act.

(2) Except as provided in sub-section (3), a [Municipality][1] shall not itself exercise, perform or discharge or interfere in the exercise, performance or discharge of any power, duty or function which it has delegated under sub-section (1).

(3) The delegation by the [Municipality][1] under sub-section (1) of any power, duty or function may be made subject to the condition that all or any orders made in pursuance of such delegation shall be subject to the right of appeal to, or revision by the [Municipality][1] within a specified period.

(4) Nothing in the foregoing provision of this section shall be deemed to prevent a resolution of a committee of a [Municipality][1] being carried into execution by any agency duly authorized in this behalf by o under this Act, or to preclude any servant of the [Municipality][1] from acting within the scope or to preclude any servant of the [Municipality][1] from acting within the scope of employment.

Validity of acts and proceedings

Presumptions and savings

113. (1) No vacancy in a [Municipality][1] or in a committee of a [Municipality][1] shall vitiate any act or proceeding of a [Municipality][1] or of such committee.

(2) No disqualification, or defect in the election or nomination of a person acting a [member of a municipality or in the election, nomination or appointment of a person acting as a member][2] or of a committee appointed under this Act or as the President or the Chairman, as the case may be of a meeting of a [Municipality][1] or of such committee, shall be deemed to vitiate any act or proceeding of the [Municipality][1] or of the committee, if the majority of the persons present at the time of the act being done, or proceeding being taken, were qualified and duly elected or nominated members of the [Municipality][1] or committee.

(3) Until the contrary is proved, any document or minutes which purport to be the record of the proceedings of a [Municipality][1] or committee shall, if

substantially made and signed in the manner prescribed for the making and signing of the record of such proceedings, be deemed to be a correct record of the proceedings, of a duly convened meeting held by a duly constituted [Municipality][1] or committee whereof all the members were duly qualified.

1. Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
2. Subs. by section 131(b) ibid.
3. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

CHAPTER IV
MUNICIPAL FUND AND PROPERTY

Municipal fund

114. [(1) There shall be established, for each municipality a fund called municipal fund and to the credit whereof shall be placed all sums received including the grants-in-aid from the Consolidated Fund of the State, and all loans raised, by or on behalf of the municipality.][3]

(2) Nothing in this section shall affect any obligations of a Municipality arising from a trust legally imposed upon or accepted by it.

[Powers of the Municipality to borrow money

114-A For performance of its duties and functions, whether mandatory or discretionary, a Municipality may with the previous sanction of the State Government and subject to the rules prescribed in this behalf, raise loans in the open market or from any financial institution by issue of debentures or against any other security.][2]

Custody and investment of municipal fund

115. [(1) The municipal fund shall be kept in the Government treasury or sub-treasury or in the State Bank of India or with the previous sanction of the State Government, in the Uttar Pradesh Co-operative Bank or in a Scheduled Bank.][1]

(2) In places where there is no such treasury or sub-treasury or bank, the municipal fund may be kept with a banker, or person acting as a banker who has given such security for the safe custody and re-payment on demand of the fund so kept as the State Government may in each case think sufficient :

Provided that nothing in the foregoing provisions of this section shall be deemed to preclude a Municipality from, with the previous sanction of the State Government, investing in any of the securities described in section 20 of the Indian Trust Act, 1882 or placing on fixed deposit with a Presidency Bank and portion of its municipal fund which is not required for immediate expenditure.

Property vested in Municipality

116. Subject to any special reservation made by the State Government all property of the nature hereinafter in this section specified and situated within the [municipal area][4] shall vest in and belong to the [Municipal area][4] and shall with all other property which may become vested in the [Municipal area][4] be under its direction, management and control, that is to say—

(a) all public townwalls, gates, markets, slaughter-houses, manure and night soil depots and public buildings of every description which have been constructed or are maintained out of the municipal fund;

(b) all public streams, lakes, springs, tanks, wells and works for the supply, storage and distribution of water for public purposes and all bridges, buildings, engines, materials and things connected therewith or appertaining thereto and also any adjacent land not being private property appertaining to any pubic tank or well;

1- Subs. by U.P. Act No. 27 of 1964.
2- Subs. by section 5 of Chapter-III of U.P. Act No. 19 of 1990.
3- Subs. by section 132 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
4- Subs. by section 133 ibid.
5- Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

(c) all public sewers, drains, culverts and water-courses, and all works, materials and things appertaining thereto;

(d) all dust, dung, nightsoil, ashes, refuse, animal matter or filth or rubbish of any kind, or dead bodies of animals collected by the [Municipal area][1] from the streets, houses, privies, sewers, cesspools or elsewhere or deposited in places appointed by the [Municipal area][1] under section 273;

(e) all public lamps, lamp posts and apparatus connected therewith or appertaining thereto;

(f) all land or other property transferred to the Municipality by the Government or by gift, purchase or otherwise for local public purposes; and

(g) all public streets and the pavements, stones and other materials thereof and also all trees, erections, materials, implements and things existing on or appertaining to such streets.

Compulsory acquisition of land

117. Where a Municipality, for the purpose of exercising any power or performing any duty conferred or imposed upon it by or under this or any other enactment, desires the State Government to acquire on its behalf, permanently or temporarily any land or any right in respect of land under the provisions of the Land Acquisition Act, 1894, or of other existing law, the State Government may, at the request of Municipality in the manner prescribed acquire such land or such right under the aforesaid provisions; and on payment by the Municipality to the State Government of the compensation awarded thereunder and of the charges incurred by the State Government in connection with the proceedings, the land or right, as the case may be, shall vest in the Municipality.

Power of Municipality to manage and control property entrusted to its management

118. Subject to the provisions of the next sections and to any condition imposed by the owner of the property a Municipality may manage and control any property entrusted to its management and control.

Public institutions

119. (1) The management, control and administration of every public institution maintained exclusively out of the municipal fund shall vest in the Municipality.

(2) Any other public institution may be vested in, placed under the management, control and administration of the Municipality;

Provided that the extent of the independent authority of the Municipality in respect thereof may be prescribed by rule.

(3) All property, endowments and funds belonging to any public institution vesting in or placed under the management, control and administration of a Municipality shall be held by the Municipality in trust for the purpose, to which such property, endowments and funds were lawfully applicable at the time when the institution become so vested or was so placed.

(4) Provided that nothing in the foregoing provisions of this section shall be held to prevent the vesting of any trust property in the Treasurer of Charitable Endowments under the Charitable Endowments Act, 1890.

1- Subs. by section 133 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
2- Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

Application of municipal fund and property

120. (1) The municipal fund and all property vested in a [Municipal area][5] shall be applied for the purposes, express or implied, for which by or under this or any other enactment, powers are conferred or duties or obligations are imposed upon the [Municipal area][5].

(2) Provided that the [Municipal area][5] shall not incur any expenditure for acquiring or renting land beyond the limits of the [municipal area][5] or for constructing any work beyond such limit except—

[(a) the payment of salaries and allowances of Safai Mazdoors;

(a-a) the liabilities and obligations arising from a trust legally imposed upon or accepted by the [Municipal area][5] ;][2]

(b) on such terms and conditions as the State Government imposes.

(3) Provided also that priority shall be given in the order set forth below to the following liabilities and obligations of a [Municipal area][5] –

(a) liabilities and obligations arising from a trust legally imposed upon or accepted by the [Municipal area][5] ;][2]

(b) the re-payment of and the payment of interest on, any loan incurred under the provisions of the Local Authorities Loan Acts, 1914;

(c) [except the payments under clause (a), the payment of establishment charges][3], including such contributions as are referred to in Section 78 and the salary, allowances and pension of an executive officer appointed by the State Government;

(d) any sum ordered to be paid from the municipal fund under sub-section (3) of section 35, sub-section (2) of section 36, section 126, sub-section (3) of section 163 or sub-section (3) of section 320.

[Explanation— For the purposes of this sub-section, a person shall be deemed to be a Safai Mazdoor if he is employed by the [Municipal area][5] for the purposes of sweeping and cleaning of municipal roads, lanes, pathways, drains, sewers, latrines and urinals, carrying of dead animals and refuge and for other jobs of the like nature.][4]

[Restriction on expenditure

120-A No expenditure from the municipal fund shall be incurred without the prior sanction in writing of the director for the purposes of defraying the costs of any

from municipal fund over certain litigation	proceedings instituted or commenced in any Court of law by or on behalf of a Municipality or its President in respect of any order made or purporting to have been made by the State Government under section 30, section 34, section 40 or section 48.][1]

1- Subs. by section 37 of U.P. Act No. 41 of 1976.
2- Subs. by section 11 (i) of Chapter-III of U.P. Act No. 15 of 1983.
3- Subs. by section 11 (ii) ibid.
4- Added by section 11 (iii) ibid.
5- Subs. by section 133 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
6- Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

Application of chapter VII of Act I of 1966 to Muncipality Permises	120(B)	[The provisions of chapter VII of Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam 1965 shall apply in relation to any premises belonging to or vesting in the muncipality taken on lease by the Muncipality for the purposes of this Act as they apply in relation to Board premises as defined in the Act and references therein to the Board and matters prescribed under that Act shalll repsectively by construed as references to the Corporation and matters prescribed under this Act.][1]
Disposal of municipal fund when area cease to be a [transitional area or a smaller urban area, as the case may be][2]	121.	(1) When, by reason of a notification under section 3, any local area ceases to be [transitional area or a smaller urban area, as the case may be][2] and is immediately placed under the control of some other local authority, the municipal fund and property vesting in the [Municipality][3] shall vest in such other local authority, and the liabilities the[Municipality][3] shall be transferred to such other local authority. (2) When, in like manner, any local area ceases to be [transitional area or a smaller urban area, as the case may be][2] and is not immediately placed under the control of another local authority and balance of the municipal fund and other property vesting in the [Municipality][3] shall vest in the State Government and the liabilities of the [Municipality][3] shall be transferred to the State Government.
Disposal of municipal fund when area ceases to be included in a [transitional area or a smaller urban area, as the case may be][2]	122.	(1) When, by reason of a notification under section 3, any local area ceases to be included in a [Transitional area or a smaller urban area, as the case may be][2] and is immediately placed under the control of some other local authority such portion of the municipal fund and other property vesting in the [Municipality][3] shall vest in that other local authority and such portion of the liabilities of that [Municipality][3] shall be transferred to that other local authority, as the [State Government] after consulting the [Municipality][3] and that other local authority, declares by notification. (2) When, in like manner, any local area ceases to be included in a [transitional area or a smaller urban area, as the case may be][2] and is not immediately placed under the control of some other local authority, such portion of the municipal fund and other property vesting in the [Municipality][3] shall vest in the State Government and such portion of the liabilities of the [Municipality][3] shall be transferred to the State Government, as the State Government after consulting the [Municipality][3] and considering any representation made by the inhabitants of the excluded area, declares by notification. (3) Provided that where an excluded area is placed under the control of local a local authority not existing at a date previous to the exclusion, the State Government, before making a declaration under sub-section (1), shall take into consideration any

		representation made by inhabitants of the excluded area. (4) Provided also that the foregoing provisions of this section shall not apply in any case where the circumstances, in the opinion of the State Government render undesirable, the transfer of any portion of the municipal fund or liabilities.

1- Subs. by section 19 (v) of U.P. Act No. 22 of 1972.
2- Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
3- Subs. by section 134 ibid.
4- Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

Application of funds and property accruing to Government under section 121 or 122

123. Any municipal fund or portion of a municipal fund or other property of a municipal fund or other property of a Municipality accruing under the provisions of section 121 or 122 to the [State Government][1], shall be applied in the first place to satisfy any liability of the Municipality transferred under such provisions to the [State Government][1] and secondly for the benefit of the inhabitants of the local area.

Power of [Municipality] to transfer property

124. (1) Subject to any restriction imposed by or under this Act, a Municipality may transfer by sale, mortgage, gift, exchange or other wise any property vested in the Municipality not being property held by it on any trust the terms of which are inconsistent with the right to so transfer.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the Municipality may with the sanction of the [State Government][1] transfer to Government, any property vested in the Municipality but not so as to affect any trust or public rights to which the property is subject.

(3) Provided that every transfer under sub-section (1), other than a lease for a term not exceeding one year, shall be made by instrument in writing sealed with the common seal of the municipality and otherwise complying with all conditions in respect of contracts imposed by or under this Act.

Payment of compensation from municipal fund

125. The Municipality may make compensation out of the municipal fund to any person sustaining any damage by reason of the exercise of any of the powers vested in the Municipality, its officers or servants under this or any other enactment or vested in the [State Government][1], the Prescribed Authority or the District Magistrate under section 34 and shall make such compensation where the person sustaining the damages was not himself in default in the manner in respect of which the power was exercised.

Payment by Municipality for special police protection at fairs, etc.

126. (1) When special police protection is in the opinion of the State Government, requisite on the occasion of a fair, agricultural show or industrial exhibition managed by a Municipality, the [State Government][1] may provide such protection and the Municipality shall pay the whole charges thereof or such portion of such charge as the [State Government][1] considers equitably payable by it.

(2) If the sum charged is not paid, the District Magistrate may make an order directing the person having the custody of the municipal fund to pay the expenses from such fund.

Other matters relating to municipal fund and property

127. The following matter shall be regulated and governed by rules made by the [State Government][1] under section 296; namely :-

(a) the authority on which money may be paid from the municipal fund;

(b) the conditions on which property be acquired by the Municipality or on which property vested in the Municipality may be transferred by sale, mortgage, lease, exchange or otherwise; and

---

1. Subs. by ALO. 1950.
2. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

(c) any other matter relating to the municipal fund or municipal property in respect of which the Act makes no provision or insufficient provisions and provision is necessary.

[1][CHAPTER IV-A

DISTRICT PLANNING COMMITTEE AND THE FINANCE COMMISSION

[District Planning Committee

127-A (1) There shall be constituted in every district a District Planning Committee to consolidate the plans prepared by the Panchayats and the Municipal Corporations, Municipal Councils and Nagar Panchayats in the district and to prepare a draft development plan for the district as a whole.

(2) The District Planning Committee shall consist of such persons as may be prescribed by rules :

Provided that not less than four-fifths of the total number of members of such committee shall be elected by and from amongst, the elected members of the Zila Panchayat and of the Municipal Corporation, Municipal Councils and Nagar Panchayats in the district in proportion to the ratio between the population of the rural areas and of the urban areas in the district :

Provided further that the other members of such committee shall be nominated by the State Government by order notified in the Official Gazette :

Provided also that any vacancy of members shall be no bar to the constitution or reconstitution of such committee.

(3) The Chairperson of the District Planning Committee shall be chosen in such manner as may be prescribed by rules.

(4) The District Planning Committee, shall in preparing the draft development plan—

(a) have regard to –

(i) matters of common interest between the Panchayats and the Municipal Corporations, Municipal Councils, and Nagar Panchayats including spatial planning, sharing of water and other physical and natural resources, the integrated development of infrastructure and environmental conservation;

(ii) the extent and type of available resources whether financial or otherwise;

(b) consult such institutions and organizations as the Governor may,

by order specify.

(5) The Chairperson of a District Planning Committee shall forward the development plan, as recommended by such committee, to the State Government.

Preparation of plan 127-B (1) The Executive officer of a municipality shall prepare every year a development plan for the municipal area in the manner prescribed by rules.

(2) The plan prepared under sub-section (1) shall be placed before the municipality in its meeting and the municipality may approve it with or without modification.

---

1. New Chapter-IV-A added by section 135 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
2. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

(3) The Executive Officer shall, after the plan is approved by the municipality send it to the District Planning Committee before such date as may be prescribed by rules.

Finance Commission 127-C (1) The Finance Commission shall also review the financial position of the municipalities and make recommendations to the Governor as to—

(a) the principles which should govern—

(i) the distribution between the State and the municipalities of the net proceeds of the taxes, duties, tolls and fees leviable by the State which may be divided between them and the allocation of shares of such proceeds to the municipalities;

(ii) the determination of the taxes, duties, tolls and fees which may be assigned to or appropriated by the municipalities;

(iii) the grants-in-aid to the municipalities from the Consolidated Fund of the State;

(b) the measures needed to improve the financial position of the municipalities;

(c) any other matter referred to the finance commission by the Governor in the interests of sound finance of the municipalities.

(2) Every recommendation of the finance commission made under sub-section (1) shall, together with an explanatory memorandum as to the action taken thereon, be laid before both the houses of the State Legislature.][3]

CHPATER V
MUNICIPAL TAXATION
Imposition and alteration of taxes

Taxes which may be imposed 128. (1) Subject to any general rules or special orders of the State Government in this behalf, the taxes which a [Municipality][2] may impose in the whole or part of a municipality are—

(i) a tax on the annual value of building or lands or of both;

(ii) a tax on trades and callings carried on within the municipal limits and deriving special advantages from or composing special burdens on municipal

services;

(iii) a tax on trades, callings and vocations including all employments remunerated by salary or fees;

[(iii-a) a theatre tax which means a tax on amusements or entertainments;][1]

(iv) a tax on vehicles and other conveyances plying for hire or kept within the municipality or on boats moored therein;

(v) a tax on dogs kept within the municipality;

---

1. Subs. by U.P. Act No. 27 of 1964.
2. Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
3. New Chapter-IV-A subs. by section 135 ibid.
4. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

(vi) a tax on animals used for riding, driving, draught or burden, when kept within the municipality;

(vii) [***][3]

(viii) [***][3]

(ix) a tax on inhabitants assessed according to their circumstances and property;

(x) a water-tax on the annual value of buildings or lands or of both;

[(x-a) a drainage tax on the annual value of buildings leviable on such buildings as are situated within a distance, to be fixed by rule in this behalf for each municipality from the nearest sewer line;][2]

(xi) a scavenging tax;

[(xii) a conservancy tax for the collection, removal and disposal of ex-cerementitious and polluted matter from privies, urinals, cesspools;][1]

(xiii) [***][3]

(xiii-A) [***][1]

[(xiii-B) a tax on deeds of transfer of immovable property situated within the limits of the [5][municipality];][1]

(xiv) [***][3]

(2) Provided that taxes under clauses (iii) and (ix) of sub-section (1) shall not be levied at the same time [***][4] [nor shall the taxes under clauses (x-a) and (xii) of sub-section (1) be levied at the same time :

Provided further that no tax under clause (xiii-B) of sub-section (1) shall be levied on deeds of transfer of immovable property situated within such area of the municipality as forms part of the local area of any Improvements Trust created under section 3 of the U.P. Towns Improvement Act, 1919 (U.P. Act No. VIII of 1919) :][2]

Provided also that no tax under clause (iv) of sub-section (1) shall be levied in respect of the motor vehicle.

(3) Nothing in this section shall authorize the imposition of any tax which

the [State Legislature][1] has no power to impose in the [State][1] under [the Constitution][1] :

Provided that a [Municipality][5] which immediately before the commencement of [the Constitution][1] was lawfully levying any such tax under this section as then in force, may continue to levy that tax until provision to the contrary is made by Parliament.

---

1. Omitted and added by A.O. 1937.
2. Added by U.P. Act No. 27 of 1964.
3. Omitted by section 2 (a) of Chapter-II of U.P. Act No. 9 of 1991.
4. Omitted by section 2 (b) ibid.
5. Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
6. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

[Tax on deeds of transfer of immovable property

128-A (1) Where a [Municipality][3] has imposed a tax referred to in clause (xiii-B) of sub-section (1) of Section 128, the duty imposed by the Indian Stamp Act, 1899 on any deed of transfer of immovable property shall, in the case of immovable property situated within the limits of such municipality, be increased by two percent, on the amount or value of the consideration with reference to which the duty is calculated under the said Act :

Provided that the [Municipality][3] may, by a special resolution, with the prior approval of the State Government, raise the aforementioned percentage of the increase in stamp duty up to five.

(2) All collections resulting from the said increase shall, after the deduction of incidental expenses, if any, be paid to the [Municipality][3] concerned by the State Government in such manner as may be prescribed.

(3) For the purposes of this sub-section, Section 27 of the Indian Stamp Act, 1899 shall be so read and construed as if it specifically requires the particulars referred to therein to be separately set forth in respect of—

(a) property situate within the limits of a municipality; and

(b) property situate outside the limits of a municipality.

(4) For the purposes of this section all references in section 64 of the Indian Stamp Act, 1899 to the Government shall be deemed to include the [Municipality][3] as well.][1]

[Restriction on the imposition of water-tax][4]

129. [The imposition of a tax under clause (x) of sub-section (1) of Section 128 shall be subject to the restriction that the tax shall not be imposed –

(i) on land exclusively used for agricultural purposes unless water is supplied by the [Municipality][3] for such purpose; or

(ii) on a plot of land or building the annual value whereof, does not exceed rupees three hundred and sixty and to which no water is supplied by the [Municipality][3] ;or

(iii) on any plot or building no part of which is within the radius prescribed for the municipality from the nearest stand-pipe or other water works whereat water is made available to the public by the [Municipality.][3]

Explanation— For the purposes of this section –

(a) "building' shall include the compound, if any thereof and where there are several buildings in a common compound, all such buildings and the common compound;

(b) "a plot of land" means any piece of land held by a single occupier or held in common by several co-occupiers whereof no one portion is entirely separated from other portion by the land of another occupier or of other co-occupier or by public property.][2]

---

1. Added by U.P. Act No. 27 of 1964.
2. Subs. by section 9 of Chapter-III of U.P. Act No. 10 of 1978.
3. Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
4. Added by section 136 ibid.
5. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

Restrictions on the imposition of other taxes

130. [The imposition of a tax under clause (xi) of (xii) of sub-section (1) of section 128 shall be subject to the restriction that the tax shall not be assessed on any house or building or leviable from the occupier of any house or building unless the [Municipality][3] under clause (a) of section 196 undertakes the house scavenging or the collection, removal and disposal of excrementitious and polluted matter from privies, urinals and cesspools of such house of building.

[Power of State Government to require [Municipality][3] to impose taxes

130-A (1) The State Government may, by general or special order, published in the Official Gazettte, require a [Municipality][3] to impose any tax mentioned in section 128, not already imposed, at such rate and within such period as may be specified in the notification and the [Municipality][3] shall thereupon act accordingly.

(2) The State Government may require a [Municipality][3] to [increase, modify or vary] the rate of any tax already imposed and thereupon the [Municipality][3] shall increase, modify or vary the tax as required.

(3) If the [Municipality][3] fails to carry out the order passed under sub-section (1) or (2), the State Government may pass suitable order imposing, increasing, modifying or varying the tax and thereupon the order of the State Government shall operate as if it had been a resolution duly passed by the [Municipality][3] [under sub-section (2) of section 134.][1]

[Pooling of receipts of taxes for certain purposes

130-B All moneys derived from water, drainage, scavenging and conservancy taxes mentioned in clauses (x), (x-a), (xi) and (xii) of sub-section (1) of section 128 and all other incomes derived from water-works and sullage farms and disposal of excrementitious and polluted matters collected from privies, urinals and cesspools shall be pooled together and shall be used for purposes connected with the construction, maintenance, extension or improvement of the water-works and drainage works and arrangements for scavenging and collection, removal and disposal of excrementitious and polluted matters from privies, urinals and cesspools including maintenance of the sullage farms.][2]

Framing of preliminary proposals

131. (1) When a [Municipality] desires to impose a tax, it shall, by special resolution, fram proposal specifying--

(a) the tax, being one of the taxes described in sub-section (1) of section 128, which it desires to impose;

(b) the persons or class of person to be made liable and the description of property or other taxable things or circumstances in respect of which they are to be made liable, except where and in so far as any such class or description is already sufficiently defined under clause (a) or by this Act; regional

(c) the amount or rate leviable from each such person or class of persons;

---

1. Added by U.P. Act No. 7 of 1949.
2. Added by U.P. Act No. 27 of 1964.
3. Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
4. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

(d) any other matter referred to in section 153 which the State Government requires by rules to be specified.

(2) The [Municipality][1] shall also prepare a draft of the rules which it desires the State Government to make in respect of the matters, referred to in section 153.

(3) The [Municipality][1] shall, thereupon publish in the manner prescribed in section 94 the proposals framed under sub-section (1) and the draft rules framed under sub-section (2) along with a notice in the form set forth in Schedule III.

Procedure subsequent to framing proposals

132. (1) Any inhabitant of the [Municipal area][2] may, within a fortnight from the publication of the said notice, submit to the [Municipality][1] an objection in writing to all or any of the proposals framed under the preceding section, and the [Municipality][1] shall take any objection so submitted into consideration and pass orders thereon by special resolution.

(2) If the [Municipality][1] decides to modify its proposals or any of them, it shall publish notified proposals and (if necessary) revised draft rules along with a notice indicating that the proposals and rules (if any) are in modification of proposals and rules previously published for objection :

Provided that no such publication shall be necessary where the modification is confined to reduction in the amount or rate of the tax originally proposed.

(3) Any objections which may be received to the modified proposals shall be dealt with in the manner prescribed in sub-section (1).

(4) When the [Municipality][1] has finally settled its proposals it shall submit them along with the objections (if any) made in connection therewith to the Prescribed Authority.

Power of State Government or Prescribed Authority to reject, sanction or modify proposals

133. (1) [If][2] the proposed tax falls under clauses (i) to (xii) of sub-section (1) of section 128, the Prescribed Authority after considering the objection received under sub-section (4) of section 132, may either refuse to sanction the proposals or return them to the [Municipality][1] for further consideration, or sanction them without modification or with such modification not involving an increase of the amount to be imposed, as it deems fit.

(2) In any other case, the Prescribed Authority shall submit the proposals

and objections to the State Government, who may pass any of the orders described in sub-section (1).

Resolution of [Municipality][1] directing imposition of tax

134. (1) When the proposals have been sanctioned by the Prescribed Authority or the State Government, the State Government after taking into consideration the draft rules submitted by the [Municipality][1], shall proceed forthwith to make under section 296 such rules in respect of tax as for the time being it considers necessary.

(2) When the rules have been made, the order of sanction and a copy of the rules shall be sent to the [Municipality][1] and thereupon the [Municipality][1] shall be special resolution direct the imposition of the tax with effect form a date to be specified in the resolution.

---

1. Subs. by section 72 of Chapter-III U.P. Act No. 12 of 1994.
2. Subs. by section 2 of U.P. Act No. 18 of 1986.
3. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

Imposition of tax

135. (1) A copy of the resolution passed under section 134 shall be submitted to the State Government if the tax has been sanctioned by the [State Government][3] and to the Prescribed Authority in any other case.

(2) Upon receipt of the copy of the resolutions the State Government or Prescribed Authority as the case may be, shall notify in the Official Gazette, the imposition of the tax from the appointed date and the imposition of a tax shall in all cases be subject to the condition that it has been so notified.

(3) A notification of the imposition of a tax under sub-section (2) shall be conclusive proof that the tax has been imposed in accordance with the provisions of this Act.

Procedure for altering taxes

136. The procedure for abolishing a tax or for altering a tax in respect of the matters specified in clauses (b) and (c) of sub-section (1) of section 131, shall so far as may be, the procedure prescribed by sections 131 to 135 for the imposition of a tax.

Power of State Government to remedy or abolish tax

137. (1) Whenever it appears, on compliant made or otherwise, to the State Government, that the levy of any tax is contrary to the public interest or that any tax is unfair in its incidence the State Government may, after considering the explanation of [the municipality][1] concerned, by order require such [Municipality][1] to take measures, within a time to be specified in the order, for the removal of any defect which it considers to exist in the tax or in the method of assessing of collecting tax.

(2) Upon the failure or inability of the [Municipality][1] to comply, to the satisfaction of the State Government, with an order made under sub-section (1), the State Government may by notification suspend the levy of the tax or of any portion thereof until the defect is removed, or may abolish or reduce the tax.

Consolidated Taxes

Consolidation of taxes

138. (1) For the purpose of assessing, levying or collecting, but not for the purpose of imposing or granting exemption from, the taxes described in clauses (i), (x) and (xi) of sub-section (1) of section 128, a [Municipality][1] may consolidate any two or more of such taxes which are imposed upon buildings or

lands or both.

(2) Provided that in any register or assessment list relating to a consolidated tax and used for the purpose of informing any person of his liability thereunder or for the purpose of securing compliance with the provision of section 129 or 130, the [Municipality][1] shall apportion the consolidated tax amongst the several taxes comprised therein, so as to show approximately the amount assessed or collected on account of each separate tax.

Deduction required by exemptions

139. (1) In assessing a consolidated tax, effect shall be given to any partial or total exemption from any single tax comprised therein.

(2) Such effect shall be given –

1. Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
2. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

(a) in the case of partial exemption, by means of the deduction from the total amount of the consolidated tax which would otherwise be leviable or assessable in respect of any buildings or lands or both to which the exemption applies, of a proportionate part, corresponding to the exemption, of the amount which might otherwise have been assessed on account of the single tax; and

(b) in the case of a total exemption, by means of the deduction from such total amount of the whole amount assessed, on account of the single tax.

Assessment and levy of taxes on the annual value of buildings or lands or both

Definition of annual value

140. (1) "Annual value" means—

(a) in the case of railway stations, hotels, colleges, schools, hospitals, factories and other such buildings, a proportion not exceeding five per centum to be fixed by rule made in this behalf of the sum obtained by adding the estimated present cost of erecting the building to the estimated value of the land appurtenant thereto; and

(b) in the case of a building or land not falling within the provisions of clause (a), the gross annual rent for which such building, exclusive of furniture or machinery therein, or such land is actually let or where the building or land is not let or in the opinion of the [Municipality][2] is let for a sum less than its fair letting value, might reasonably be expected to let from year to year.

(2) Provided that where the annual value of any building would by reason of exceptional circumstances in the opinion of the [Municipality][2] be excessive if calculated in the aforesaid manner, the [Municipality][2] may fix the annual value of any less amount which appears to it equitable.

Preparation of assessment list

141. (1) Where a tax on buildings or lands or both is imposed, the [Municipality][2] shall cause an assessment list of all buildings or lands or both [in the municipal area or any part thereof to be prepared from time to time][1] containing –

(a) the name of the street or mohalla in which the property is situated;

(b) the designation of the property, either by name or by number sufficient for identification;

(c) the names of the owner and occupier, if known;

(d) the annual letting value or other particulars determining the annual value; and

(e) the amount of the tax assessed thereon.

(2) For the purpose of making such assessment list, the [Municipality][2] may, from time to time appoint, with or without remuneration, any person or persons, whether members or not and the persons or persons so appointed may, for such purpose make an inspection of any property concerned.

---

1. Subs. by section 15 of Chapter-IV of U.P. Act No. 3 of 1987.
2. Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
3. Subs. by section 32 of chapter III of U.P. Act No. 26 of 1995.

Publication of list

142. When the assessment list has been prepared the [Municipality][1] shall give public notice of the place where the list or a copy thereof may be inspected and every person claiming to be either owner or occupier or property included in the list and an agent of such person, shall be at liberty to inspect the list and to make extract therefrom without charge.

Objections to entries in list

143. (1) The [Municipality][1] shall at the same time give public notice of a date not less than one month thereafter, when it will proceed to consider the valuations and assessments entered therein; and in all cases in which any property is for the first time assessed or the assessment is increased, it shall also give notice thereof to the owner or occupier of the property, if known.

(2) All objections to valuations and assessments shall be made to the [Municipality][1], before the date fixed in the notice, by application in writing stating the grounds on which the valuation and assessment are disputed and all applications so made shall be registered in a book to be kept by the [Municipality][1] for the purpose.

(3) The [Municipality][1] or a committee empowered by delegation in this behalf or an officer [of Government][3] or the [Municipality][1] to whom, with the permission of the Prescribed Authority the [Municipality][1] delegates, and it is hereby empowered so to delegate by resolution, powers in this behalf, shall, after allowing the applicant an opportunity of being heard in person or by agent –

(a) investigate and dispose of the objections;

(b) cause the result thereof to be noted in the book kept under sub-section (2); and

(c) cause any amendment necessary in accordance with such result to be made in the assessment list.

Authentication and custody of list

144. (1) When all objections made under section 143 have been disposed of, and all amendments required by sub-section (3) of that section have been made

in the assessment list, the said list shall be authenticated by the signature of the President or in the case of delegation under section 143 to a committee or to an officer [of Government][3] or of the [Municipality][1], by the signatures of not less than two members of such committee or by the signature of the officer aforesaid, and the person or persons so authenticating the list shall certify the consideration of all objections duly made and the amendment of the list so far as required by the decision on such objections.

(2) The list so authenticated shall be deposited in the municipal office, and shall thereupon be declared by public notice to be open for inspection.

Revision and duration of list

145. (1) A new assessment list shall ordinarily be prepared in the manner prescribed by sections 141 to 144, once in every five years.

1. Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
2. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.
3. Subs. by ALO 1950.

(2) Subject to any alteration or amendment made under section 147 and to the result of any appeal under section 160, every valuation and assessment entered in a valuation list shall be valid from the date on which the list takes effect [in the municipal area or part thereof and until the first day of the month next following the completion of the new list.][2]

[Adoption of value of property determined under U.P. Act No. XII of 1962

145-A Notwithstanding anything contained elsewhere in this Act the [Municipality][4] may by special resolution decide that the taxable value of buildings and lands determined under clause (ii) of section 4 of the Uttar Pradesh (Nagar Kshettra) Bhumi Aur Bhawan Kar Adhiniyam, 1962 shall be the annual value for the purpose of this Act.][1]

Conclusiveness of entries in list

146. An entry in an assessment list shall be conclusive proof –

(a) for any purpose connected with a tax to which the list refers, of the amount leviable in respect of any building or land during the period to which the list relates, and

(b) for the purpose of assessing any other municipal tax of the annual value of any building or land during the said period.

Amendment and alteration of list

147. (1) The [Municipality][4] may at any time alter or amend the assessment list--

(a) by entering therein the name of any person or any property which ought to have been entered or any property which has become liable to taxation after the authentication of the assessment list; or

(b) by substituting therein for the name of owner or occupier of any property the name of any other person who has succeeded by transfer or otherwise to the ownership or occupation of the property; or

(c) by enhancing the valuation of or assessment on any property which [has become incorrectly valued or assessed or which, by reason of fraud, misrepresentation or mistake, has been incorrectly valued or

assessed][3]; or

(d) by re-valuing or re-assessing any property the value of which has been increased by additions or alterations to buildings; or

(e) where the percentage on the annual value at which tax is to be levied has been altered by the [Municipality][4] under the provisions of section 136, by making a corresponding alteration in the amount of the tax payable in each case; or

---

1. Added by U.P. Act No. 27 of 1964.
2. Subs. by section 16 of Chapter-V of U.P. Act No. 3 of 1987.
3. Subs. by section 17 ibid.
4. Subs. by section 72 of U.P. Act No. 12 of 1994.
5. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

(f) by reducing, upon the application of the owner or on satisfactory evidence that the owner is untraceable and the need for reduction established upon its own initiative, the valuation of any building which has been wholly or partly demolished or destroyed; or

(g) by correcting any [Clerical, arithmetical or other apparent error :][1]

(2) Provided that [Municipality][2] shall give at least one month's notice to any person interested of any alteration which the [Municipality][2] proposes to make under clauses (a), (b), (c) or (d) of sub-section (1) and of the date on which the alteration will be made,

(3) The provisions on sub-sections (2) and (3) of section 143 applicable to the obligations thereunder mentioned shall, so far as may be, apply to any objection made in pursuance of a notice issued under sub-section (2) and to any application made under clause (f) of sub-section (1).

(4) Every alteration made under sub-section (1) shall be authenticated by the signature or signatures of the person or persons authorized by section 144 and subject to the result of an appeal under section 160, shall take effect from the date on which the next instalment falls due.

Obligation to supply information for purposes of amendment

148. (1) When a building is built, rebuilt or enlarged, the owner shall give notice thereof to the [Municipality][2] within fifteen days from the date of completion of such building, rebuilding or enlargement or from the date of the occupation of such building, whichever date happens first.

(2) Any person failing to give the notice required by sub-section (1) shall be punished upon conviction with a fine which may extend to fifty rupees or ten times the amount of the tax payable on the said building or enlargement for a period of three months, whichever is greater.

Liability for payment of

149. (1) Except when otherwise provided by rule, every tax other than a scavenging tax or tax for the cleansing of latrines and privies on the annual value

certain taxes on annual value

of buildings or lands or of both shall be leviable primarily from the actual occupier of the property upon which the said taxes are assessed, if he is the owner of the buildings or lands or holds them on a building or other lease from the Government or from the [Municipality][2] or on a building or lease from any person.

(2) In any other case the tax shall be primarily leviable as follows; namely :-

(a) if the property is let, from the lessor;

(b) if the property is sublet, form the superior lessor;

(c) if the property is unlet, from the persons in whom the right to let the same vests.

---

1. Subs. by U.P. Act No. 1 of 1955.
2. Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
3. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

(3) On failure to recover any sum due on account of such tax from the person primarily liable, the [Municipality][1] may recover from the occupier of any part of the buildings or lands in respect of which it is due, that portion thereof which bears to the whole amount due the same ratio as the rent annually payable by such occupier bears to the aggregate amount of rent payable in respect of the whole of the said buildings or lands, or to the aggregate amount of the letting value thereof in the authenticated assessment list.

(4) An occupier who makes any payments for which he is not primarily liable under the foregoing provisions, shall in the absence of any contract to the contrary, be entitled to be reimbursed by the person primarily liable.

Liability for payment of other such taxes

150. (1) A scavenging tax, or a tax for the cleansing of latrines and privies, on the annual value of buildings or lands or of both, shall be levied from the actual occupier of the property upon which the taxes are assessed.

(2) Provided that, where such property is let to more occupiers than one, the [Municipality][1] may at its option levy the tax from the lessor instead of from the actual occupiers.

(3) A lessor from whom a tax is levied under sub-section (2) may, in the absence of a contract to the contrary, recover the tax from any or all of the actual occupiers.

Remission by reason of non-occupation

151. (1) In a [municipal area][2] other than one situated wholly or partly in a hilly tract, when a building or land has remained vacant and unproductive of rent for ninety or more consecutive days during any year the [Municipality][1] shall remit or refund so much of the tax of that year as may be proportionate to the number of days that the said building or land has remained vacant and unproductive of rent.

(2) When in any such [municipal area][2] a building consists of separate tenements one, or more than one of which has remained vacant and unproductive of rent for any such period as aforesaid, the [Municipality][1] may remit or refund such portion (if any) of the tax or instalment as is prescribed by rule.

(3) Provided that no remission shall be granted unless notice in writing of the fact of the building or land being vacant and unproductive of rent has been given to the [Municipality][1] and that no remission or refund shall take effect for any period previous to the day of the delivery of such notice.

(4) The burden of proving the facts entitling a person to relief under this section shall be upon him.

(5) For the purposes of this section a building or land shall not be deemed vacant, if maintained as a pleasure resort or town or country house, or be deemed unproductive of rent, if let to a tenant who has a continuing right of occupation thereof, where he is in actual occupation or not.

---

1. Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
2. Subs. by section 139 ibid.
3. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

Obligation to give notice of re-occupation

152. (1) The owner of a building or land for which a remission or refund of the tax has been applied for or given under the last preceding section, shall give notice of the re-occupation of such building or land within fifteen days of such re-occupation.

(2) Any owner failing to give the notice required by sub-section (1) shall be punished upon conviction with a fine which shall not be less than twice the amount of tax payable on such building or land for the period during which it has been re-occupied without notice, and which may extend to fifty rupees or to ten times the amount of the said tax, whichever sum is the greater.

Collection, composition, exemption and other matters relating to taxation

Rules as to assessment, collection and other matters

153. The following matters shall be regulated and Governed by rules except in so far as provision therefor is made by this Act; namely :-

(a) the assessment, collection or composition of taxes [***][1];

(b) the prevention of evasion of taxes;

(c) the system on which refunds shall be allowed and paid;

(d) the fees for notices demanding payments on account of a tax and for the execution of warrants of distress;

(e) the rates to be charged for maintaining live-stock distrained; and

(f) any other matter relating to taxes in respect of which this Act makes no provision or insufficient provision and provision is, in the opinion of the State Government, necessary.

[154. [***][2]

155. [***][2]

155-A [***][2]

Composition 156. (1) Subject to the provisions of any rule, a Municipality may by a special resolution confirmed by the Prescribed Authority provide that all or any persons may be allowed to compound for a tax.

(2) Every sum due by reason of the composition of a tax under sub-section (1) shall be recoverable in the manner provided by Chapter VI.

Exemption 157. (1) A Municipality may exempt, for a period not exceeding one year, from the payment of a tax or any portion of a tax, imposed under this Act any person, who is in its opinion, by reason of poverty, unable to pay the same and may renew such exemption as often as it deems necessary.

---

1. Omitted by section 3 of Chapter-II of U.P. Act No. 09 of 1991.
2. Omitted by section 4 ibid.
3. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

(2) A Municipality may, by a special resolution confirmed by the Prescribed Authority exempt from the payment of tax, or any portion of a tax, imposed under this Act any person or class of persons or any property or description of property.

(3) The State Government may, by order exempt from payment of tax, or any portion of a tax, imposed under this Act nay person or class of persons or any property or description of property.

Obligation to disclose liability 158. (1) The Municipality or any Assessing Authority under this Act may by written communication call upon an inhabitant of the municipal area to furnish such information or produce such records, books of account and documents as may be necessary in order to ascertain –

(a) whether such inhabitant is liable to pay a tax imposed under this Act;

(b) at what amount he should be assessed;

(c) the annual value of the building or land which he occupies and the name and address of the owner.

[(2) If an inhabitant so called upon to furnish information or to produce records, books of account or documents, omits to furnish or produce the same or if furnished or produced the same appears to the Municipality or the Assessing Authority to be incorrect or incomplete, the Municipality or the Assessing Authority, as the case may be shall after making such enquiry as it considers necessary make the assessment to the best of its judgment.][1]

Power of discovery 159. Subject to the conditions and restrictions specified in sub-section (2) of section 287, the President, the executive officer and if authorized in this behalf by resolution, any other member, officer or servant of the [Municipality][2] may enter, inspect and measure a building for the purposes of valuation or enter and inspect a stable, coach house or other place wherein there is reason to believe that there is a vehicle or animal liable to taxation under this Act.

[Rounding off of figures

159-A In computing the amount of any tax under this Act a fraction of a rupee less than five paise or which is not a multiple of five paise shall be rounded off to five paise or to the next higher multiple of five paise as the case may be.][1]

Appeal against taxation

Appeals relating to taxation

160. (1) In the case of a tax assessed upon the annual value of buildings or lands or both an appeal against an order passed under sub-section (3) of section 143 or under sub-section (3) of section 147 and in the case of any other tax, an appeal against an assessment, or any alteration of an assessment, may be made the District Magistrate or to such other officer as may be empowered by the State Government in this behalf.

(2) [***][2]

1. Subs. by U.P. Act No. 27 of 1964.
2. Omitted by section 140 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
3. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

Limitation and preliminary deposit of tax claimed

161. No such appeal shall be heard and determined unless –

(a) the appeal is, in the case of a tax assessed on the annual value of buildings or lands or both, brought within thirty days next after the date of communication of the order (exclusive of the time requisite of obtaining a copy thereof) and in the case of any other tax, within thirty days next after the date of the receipt of the notice of assessment or of alteration of assessment or if no notice has been given, within thirty days next after the date of the first demand under the assessment or alteration of assessment; and

(b) the amount claimed from the appellant has been deposited by him in the municipal office.

Reference to High Court

162. (1) If, during the hearing of an appeal under section 160, a question as to the liability to or the principal of assessment of, a tax arises on which the officer hearing the appeal entertains reasonable doubt, he may, either of his own motion or on the application of a person interested, draw up a statement of the facts of the case and the point on which doubt is entertained and refer the statement with his own opinion on the point for the decision of the High Court.

(2) On reference being made under sub-section (1), the subsequent proceedings in the case shall be, as nearly as may be, in conformity with the rules relating to references to the High Court contained in Order XLVI of the First Schedule of the Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) or such other rules as are made by the High Court under section 122 of that Code.

Costs

163. (1) In every appeal the costs shall be in the discretion of the officer deciding the appeal.

(2) Costs awarded under this section to the [Municipality][1] shall be recoverable by the [Municipality][1] in the manner provided by Chapter VI.

(3) If the [Municipality][1] fails to pay costs awarded to an appellant within ten days after the date of the communication to the [Municipality][1] of the order for payment thereof, the officer awarding the costs may order the persons having the custody of the balance of the municipal fund to pay the amount.

Bar to jurisdiction of Civil and Criminal courts in matters of taxation

164. (1) No objection shall be taken to a valuation or assessment, nor shall the liability of a person to be assessed or taxed by questioned in any other manner or by any other authority than is provided in this Act.

(2) The order of the Appellate Authority confirming, setting aside or modifying an order in respect of valuation or assessment or liability to assessment or taxation shall be final:

1. Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
2. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

Provided that it shall be lawful for the Appellate Authority, upon application made within three months from the date of its original order or on its own motion, to review an order passed by it in appeal by a further order :

Provided further that no order shall be reviewed by the Appellate Authority on its own motion beyond three months from its date.

Formal defects in assessment and demands

Savings

165. No assessment list or other list, notice, bill or other such document specifying or purporting to specify, with reference to any tax, charge, rent or fee, any person, property, thing or circumstance shall be invalid by reason only of a mistake in the name, residence, place of business or occupation of the person, or in the description of the property, thing or circumstance, or by reason of any mere clerical error or defect of form and it shall be sufficient that the person, property, thing or circumstance is described sufficiently for the purpose of identification and it shall not be necessary to name the owner or occupier of any property liable in respect of a tax.

CHAPTER VI

RECOVERY OF CERTAIN MUNICIPAL CLAIMS

Presumption of bill

166. (1) As soon as a person becomes liable for the payment of –

(a) any sum on account of tax, other than [any tax][1] payable upon immediate demand; or

(b) any sum payable under clause (c) of section 196 or section 229 or section 230 in respect of the supply of water or payable in respect of any other municipal service or undertaking; or

(c) any other sum declared by this Act or by rule [or bye-law] to be recoverable in the manner provided by this chapter, the [Municipality][2]

shall, with all convenient speed cause a bill to be prescribed to the person so liable.

(2) Unless otherwise provided by rule, a person shall be deemed to become liable for the payment of every tax and licence fee upon the commencement of the period in respect of which such tax or fee is payable.

Contents of bill 167. Every such bill shall specify –

(a) the period for which, and the property, occupation, circumstance of thing in respect of which the sum is claimed, and

(b) the liability or penalty enforceable in default of payment, and

---

1. Subs. by sec. 5 of Chapter II of Act No.9 of 1991.
2. Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
3. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

(c) the time (if any) within which an appeal may be referred as provided in section 161.

Notice of demand 168. If the sum for which a bill has been presented as aforesaid is not paid into the municipal office or to a person empowered by a regulation to receive such payments, within fifteen days from the presentation thereof, the [Municipality][1] may cause to be served upon the person liable for the payment of the said sum a notice of demand in the form set forth in Schedule IV, or to the like effect.

Issue of warrant 169. (1) If the person liable for the payment of the said sum does not, within fifteen days from the service of such notice of demand either—

(a) pay the sum demanded in the notice; or

(b) show cause to the satisfaction of the [Municipality][1] or of such officer as the [Municipality][1] by regulation may appoint in this behalf or where there is an executive officer, of the executive officer as the case may be, why he should not pay the same;

such sum with all costs of the recovery may be recovered under a warrant caused to be issued by the [Municipality][1] in the form of Schedule V, or to the like effect by distress and sale of the movable property of the defaulter.

(2) Every warrant issued under this section shall be signed by the President of the [Municipality][1] or by an officer to whom the [Municipality][1] has delegated its power by regulation or by the executive officer, if any.

Forcible entry for purpose of executing warrant 170. (1) It shall be lawful for a municipal officer to whom a warrant issued under section 169 is addressed, to break open, at any time between sunrise and sunset any outer or inner door or window of a building in order to make the distress

directed in the warrant in the following circumstances and not otherwise :--

(a) if the warrant contains a special order authorizing him in this behalf; and

(b) if he has reasonable grounds for believing that the building contains property which is liable to seizure under the warrant; and

(c) if after notifying his authority and purpose and duly demanding admittance, he cannot otherwise obtain admittance.

(2) Provided that such officer shall not enter or break open the door of an apartment appropriated for women, until he has given any women therein an opportunity to withdraw.

---

1. Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
2. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

Manner of executing warrant

171. (1) It shall also be lawful for such officer to distrain, wherever it may be found, any movable property of the person therein named as defaulter, subject to the provisions of sub-sections (2) and (3).

(2) The following property shall not be distrained –

(a) the necessary wearing apparel and bedding of the defaulter, his wife and children;

(b) the tools of artisans;

(c) books of account;

(d) when the defaulter is an agriculturist, his implements of husbandry, seed,grain and such cattle as may be necessary to enable him to earn his livelihood.

(3) The distress shall not be excessive, that is to say, the property distrained shall be as nearly as possible equal in value to the amount recoverable under the warrant and if any articles have been distrained which in the opinion of a person authorized by or under sub-section (2) of section 169 to sign a warrant, should not have been so distrained, they shall forthwith be returned.

(4) The officer shall on seizing the property forthwith make an inventory thereof and shall before removing the same give to the person in possession thereof at the time of seizure a written notice in the form of Schedule VI that the said property will be sold as shall be specified in such notice.

Sale of goods under warrant and application of proceeds

172. (1) When the property seized is subject to speedy and natural decay or when the expense of keeping it in custody together with the amount to be recovered is likely to exceed its value, the President or other officer by whom the warrant was signed, shall at once give notice to the person in whose possession the property was seized to the effect that it will be sold at once and shall sell it accordingly

unless the amount named in the warrant be forthwith paid.

(2) If not sold at once under sub-section (1), the property seized or a sufficient portion thereof may on the expiration of the time specified in the notice served by the officer executing the warrant, be sold by public auction under the orders of the [Municipality][1] unless the warrant is suspended by the person who signed it or the sum due from the defaulter is paid together with all costs incidental to the notice, warrant and distress and detention of the property.

(3) The surplus, if any, shall be forthwith credited to the municipal fund, notice of such credit being given at the same time to the person from whose possession the property was taken but if the same be claimed by written application to the [Municipality][1] within one year from the date of the notice, a refund thereof shall be made to such person. Any sum not claimed within one year from the date of such notice shall be the property of the [Municipality][1].

1- Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
2- Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

Procedure in case of execution against property outside [municipal area][3]

173. (1) If no sufficient movable property belonging to a defaulter or being upon the premises, in respect of which he is assessed, can be found within the [municipal area][3], the District Magistrate may, on the application of the [Municipality][2] issue his warrant to an officer of his Court—

(a) for the distress and sale of any movable property or effects belonging to the defaulter within any other part of the jurisdiction of the Magistrate; or

(b) for the distress and sale of any movable property belonging to the defaulter within the jurisdiction of the other Magistrate exercising jurisdiction within Uttar Pradesh.

(2) In the case of action being taken under clause (b) of sub-section (1), the other Magistrate shall endorse the warrant so issued and cause it to be executed and any amount recovered to be remitted to the Magistrate issuing the warrant, who shall remit the same to the [Municipality][2].

[Recovery of taxes as arrears of land revenue

173-A (1) Where any sum is due on account of a tax, other than [any tax][1] payable upon immediate demand, from a person to a [Municipality][2], the [Municipality][2] may without prejudice to any other mode of recovery apply to the Collector to recover such sum together with costs of the proceedings as if it were an arrear of land revenue.

(2) The Collector on being satisfied that the sum is due shall proceed to recover it as an arrear of land revenue.][3]

Fees and costs

174. Fees for---

(a)every notice issued under section 168;

(b)every distress made under section 171; and

(c)the costs of maintaining any live-stock seized under the said section;

shall be chargeable at the rates respectively specified in such behalf in rules made by the State Government and shall be included in the costs of recovery to be levied under section 169.

Savings 175. No distress or sale made under this Act shall be deemed unlawful, nor shall any person making the same be deemed a trespasser, on account of an error, defect or want of form in the bill, notice, warrant of distress, inventory or other proceeding relating thereto.

Alternative power of bringing suit 176. Instead of proceeding by distress and sale or in case of failure to realize thereby the whole or any part of the demand, the [Municipality][2] may sue the person liable to pay the same in any Court of competent jurisdiction.

Liability of immovable property for taxes on lands or buildings 177. All sums due on account of a tax imposed on the annual value of buildings or lands or of both shall, subject to the prior payment of the land revenue (if any) due to the Government thereupon, be a first charge upon such buildings or lands.

---

1. Subs. by section 6 of Chapter-II of U.P. Act No. 9 of 1991.
2. Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
3. Subs. by section 141 ibid.
4. Subs. by section 32 of Chapter-IIIof U.P. Act No. 26 of 1995.

CHAPTER VII

POWERS AND PENALTIES IN RESPECT OF BUILDINGS, PUBLIC DRAINS, STREETS, EXTINCTION OF FIRES, SCAVENGING AND WATER SUPPLY

Building regulations

Notice of intention to erect building or make well 178. (1) Before beginning, within the limits of [municipal area][1] –

(a) to erect a new building or new part of a building; or

(b) to re-erect, or make a material alteration in a building; or

(c) to make or enlarge a well;

a person shall give notice of his intention to the [Municipality][2].

(2) The notice referred to in subsection (1) as required in the case of a building shall only be necessary where the building, abuts on or is adjacent to a public street or property vested in Government, or in the [Municipality][2], unless by a bye-law applicable to the area in which the building is situated, the necessity of giving notice is extended to all buildings.

(3) An alteration in a building shall, for the purposes of this chapter and of any bye-law, be deemed to be material, if—

(a) it affects or is likely to affect prejudicially the stability or safety of the building or the condition of the building in respect of the drainage, ventilation, sanitation or hygiene; or

(b) it increases or diminishes the height of area covered by or cubical capacity of the building or reduces the cubical capacity of any room in the building below the minimum prescribed in any bye-law; or

(c) it converts into a place for human habitation a building or part of a building originally constructed for the other purposes; or

(d) it is an alteration declared by a bye-law made in this behalf to be a

material alteration.

Plans and specifications required to validate notice

179. (1) Where a bye-law has been made prescribing and requiring any information and plan in addition to a notice, no notice under section 178 shall be considered to be valid until the information, if any, required by such bye-law has been furnished to the satisfaction of the [Municipality][2].

(2) In any other case, the [Municipality][2] may, within one week of the receipt of the notice required by section 178, require a person who has given such notice to furnish a plan and specification of any existing or proposed building or part of a building or well together with a site plan of land, with such reasonable details as the [Municipality][2] may prescribe in its requisition; and in such case, the notice shall not be considered to be valid until such plans and specification have been furnished to the satisfaction of the [Municipality][2].

---

1. Subs. by section 141 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994
2. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

Sanction of work by [Municipality][1]

180. (1) Subject to the provisions of any bye-law the [Municipality][1] may either refuse to sanction any work of which notice has been given under section 178 or may sanction it absolutely or subject to—

(a) any written directions that the [Municipality][1] deems fit to issue in respect of all or any of the matters mentioned in sub-head (h) of heading A of section 298; or

(b) a written direction requiring the set-back of the building or part of a building to the regular line of the street prescribed under section 222 or in default of any regular line prescribed under that section, to the line of frontage of any neighboring buildings.

(2) In the case of a refusal to sanction under sub-section (1), the [Municipality] shall communicate in writing the reasons for such refusal to the person giving notice under section 178.

(3) Should the [Municipality][1] neglect or omit for one month after the receipt of a valid notice under section 178 to make and deliver to the person who has given such notice and order of the nature specified in sub-section (1) in respect thereof such person may by a written communication call the attention of the [Municipality][1] to the omission or neglect and if such omission or neglect continues for a further period of fifteen days, the [Municipality][1] shall be deemed to have sanctioned the proposed work absolutely.

(4) Provided that nothing in sub-section (3) shall be construed to authorize any person to act in contravention of this Act or of any bye-law.

(5) No person shall commence any work of which notice has been given under section 178 until sanction has been given or deemed to have been given under this section.

(6) The [Municipality][1] may within six months cancel or modify a sanction granted by it under sub-section (1) if it is found that the sanction was secured through fraud or misrepresentation and any work done thereunder shall be

deemed to have been done without such sanction :

Provided that before canceling or modifying any sanction, the [Municipality][1] shall give a reasonable opportunity to the party concerned of being heard.

[Restriction on the power of a [Municipality][1] to sanction construction of a place of entertainment in certain cases

180-A Notwithstanding anything contained in this Act or any bye-law made thereunder, the construction of, or any addition to any building of public entertainment or any addition thereto shall not except with the previous approval of the State Government, be sanctioned by a [Municipality][1], if the site of, or proposed for such building is—

(a) within a radius of one furlong from—

(i) any residential institution attached to a recognized educational institution such a college, a high school or girls school; or

(ii) a public hospital with a large indoor patient ward; or

1. Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
2. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

(iii) an orphanage containing one hundred or more in mates; or

(b) in any thickly populated residential area which is either exclusively residential or reserved or used generally for residential as distinguished from business purposes; or

(c) in any area reserved for residential purposes by any housing or planning scheme or otherwise under any enactment :

Provided that no permission to construct any building intended to be used for cinematograph exhibition shall be given unless the [Municipality][3] is satisfied that sanction to the plans and specifications have been obtained in accordance with the rules famed under the Cinematograph Act, 1918.][1]

Duration of sanction

181. (1) A sanction given or deemed to have been given by a [Municipality][3] under section 180 shall be available for one year or for such lesser period as may be prescribed by bye-law [unless it is extended by the [Municipality][3] for a further period up to one year.][2]

(2) After the expiry of the said period the proposed work may not be commenced except in pursuance of a fresh sanction applied for and granted under the same section.

Inspection of works requiring sanction

182. The [President][2], the executive officer and if authorized in this behalf by resolution any other member, officer or servant of the [Municipality][3] may, at any time and without warning inspect any work in respect of which notice is required under section 178 :--

(a) while under construction; or

(b) within one month of the receipt of a report that it has been completed or in default of such report, any time after completion.

Compensation for damage sustained through order passed under section 180

183. Notwithstanding anything contained in section 125 , a person giving notice under section 178, shall not be entitled to any compensation for damage or loss sustained by reason of any order passed by a [Municipality][3] under section 180, unless-

(a) the order is passed on some ground other than the proposed work would contravene a bye-law or be prejudicial to the health or safety of the public or any person; or

(b) the order contained a direction of the nature specified in clause (b) of sub-section (1) of section 180; or

(c) the order is an order of refusal to sanction the re-erection of a building on the ground that it is unsuitable in plan or design to the locality or is intended for a purpose unsuitable to the locality, or contravenes a bye-law under sub-head (f) of heading A of section 298.

1- Added by U.P. Act No. 7 of 1949.
2- Subs. by U.P. Act No. 27 of 1964.
3- Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
4- Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

Effect of sanction under section 180

184. (1) A sanction given or deemed to have been given under section 180 shall not beyond exempting the person to whom the sanction is given or deemed to have been given from any penalty or consequence to which he would otherwise be liable under sections 185, 186 or 222, confer or extinguish any right or disability, or operate as an estoppel or admission or affect any title to property or have any other legal effect whatsoever.

(2) In particular such sanction shall not operate to relieve any person from the obligation imposed by section 209 to obtain separate sanction for any structure referred to therein.

Illegal erection or alteration of a building

185. Whoever begins, continues or completes the erection or erection of, or any material alteration in a building or part of a building or the construction or enlargement of a well, without giving the notice required by section 178 ,or in contravention of the provisions of section 180, sub–section (5) or , of an order of the [municipality][2] refusing sanction or any written directions made by the [municipality][2] under section 180 or any bye-law, shall be liable upon conviction to a fine which may extend to [one thousand rupees][1] but which, in the absence of special and adequate reasons to the contrary to be mentioned in the judgment of the court shall not be less than two hundred and fifty rupees.

Power of [municipality][2] to stop erection and to demolish building erected

186. The [municipality][2] may at any time by written notice direct the owner or occupier of any land to stop the erection, re-erection or alteration of a building or part of or part of a building or the construction or enlargement of a well thereon in any case where the [municipality][2] considers that such erection, re- erection, alteration, construction or enlargement is an offence under section 185 and may, in like manner, direct the alteration or demolition as it deems necessary of the building, part of a building, or the well, as the case may be.

Extinction of fire

Establishment

187. The [Municipality][2] may establish and maintain a fire- brigade and may

and maintenance of fire–brigade

provide any implements, machinery, or means of communicating intelligence which it thinks necessary for the prevention and extinction of fire.

Power of fire-brigade and other persons for suppression of fires

188. (1) On the occasion of a fire in a [municipal area][3] any magistrate ,any member of the [Municipality area][3], the executive officer, the engineer or a secretary of the [Municipality area][3], or any member of the fire–brigade directing its operations and (if required so to do by a magistrate, a member of the [Municipality area][3], the executive officer, the engineer or a secretary of the [Municipality area][3], any police officer above the rank of constable, may,-

(a) remove, or order the removal of any person who by his presence interferes with or impedes the operations for extinguishing the fire or for saving life or property,

(b) close any street or passage in or near which a fire is burning,

---

1. Subs. by U.P. Act No. 27 of 1964.
2. Chapter-III subs. by section 72 of U.P. Act No. 12 of 1994.
3. Subs. by section 141 ibid.
4. Chapter-III subs. by section 32 of U.P. Act No. 26 of 1995.

(c) for the purpose of extinguishing the fire, break into or through or pull down or cause to be broken into or through or pulled down or used for the passage of houses or other appliances, any premises;

(d) cause mains and pipes to be shut off as to give greater pressure of water in on near the place where the fire has occurred,

(e) call on the person in-charge of a fire–engine to render such assistance as may be possible, and

(f) generally take such measures as may appear necessary for the preservation of life or property .

(2) No person shall be liable to pay damages for an act done by him under sub- section (1) in good faith.

(3) Any damage done in the exercise of a power conferred for a duty imposed by this section shall be deemed to be damaged by fire within the meaning of a policy of insurance against fire.

Public drains

Construction of public drains

189. (1) The [Municipality][1] may construct, within, or subject to the provisions of sub- section (2) of section 120, outside the [Municipal area][2] such drains as it thinks necessary for keeping the [municipal area][2] properly cleansed and may carry such drains through, across or under any street or place, and after reasonable notice in writing to the owner or occupier, into, through or under any buildings or land.

(2) Provided that no drain shall be constructed within the limits of a cantonment without the approval of the State Government and otherwise than with the concurrence of the General Officer Commanding of the division in which such cantonment is situate or, in the event of such concurrence being

withheld, the previous sanction of the [Central Government].

Alteration of public drains

190. (1) The [Municipality][1] may, from time to time ,enlarge ,lessen , alter the course or cover in or otherwise improve a public drain and may discontinue, close up or remove any such drain.

(2) The exercise of the power conferred by sub-section (1) shall be subject to the condition that the [Municipality][1] shall provide another and equally effective drain in place of any existing drain of the use of which any person is deprived by the exercise of the said power.

Use of public drains by private owners

191. (1) The owner or occupier of a building or land within the [municipal area][2] shall be entitled to cause his drains to empty into the drains of the [Municipality][1] :

---

1. Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
2. Subs. by section 141 ibid.
3. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

Provided that he first obtains the written permission of the [Municipality][1] and that he complies with such conditions consistent with any bye-law as the [Municipality][1] prescribes as to the mode in which, and the superintendence under which the communications are to be made between drains not vested in the [Municipality][1] and drains which are so vested.

(2) Whoever, without the written permission of the [Municipality][1] or in contravention of any bye –law or of any direction or condition made or imposed under sub-section (1) make or causes to be made or alters or causes to be altered, a connection of a drain belonging to himself or to some other person with a drain vested in the [Municipality area][2] , shall be liable upon conviction to a fine which may extend to fifty rupees, and the [Municipality][1] may by written notice require such person to close, demolish, alter, remake or otherwise deal with such connection as it deems fit.

Power of [Municipality][1] to enforce drainage connection with public drains

192. (1) When a building or land situated within one hundred feet of a public drain is at any time not drained to the satisfaction of the [Municipality][1] by any or a sufficient drainage connection with such drain, the [Municipality][1] may, by notice require the owner or occupier of such building or land to make and maintain a drainage connection with the drain in such manner as the [Municipality , subject to the provisions of any bye-law directs.

(2) The provisions of sections of sections 306to 312 (inclusive) shall apply to default in compliance with any such requisition, notwithstanding that part of the land through which the said drainage connection is required to pass may not belong to the person so making default unless he shall prove that the default was caused by the act of the owner or occupier of such last mentioned land, and he has made application to the [Municipality][1] under section 193.

Power of private person to carry a

193. (1) Any person desiring that an existing or proposed drain on his land shall be carried through or under the building or land , or connected with the drain ,of

drain through the land of another person

another person owning a building or land abutting on, or a drain connected with a municipal drain my apply to the [Municipality][1].

(2) The [Municipality][1] on receiving an application under sub section (1) may call upon the other person to show cause ,within specified period, why the applicant's drain should not be carried through or under his building or land or connected with his drain.

(3)The [Municipality][1] shall hear any objection made by such person if submitted within the specified period, and thereafter, if it considers that the drain or drainage connection shall be made shall record and order to this effect.

(4) The order shall set out in writing,-

(a) the period within which the parties shall come to an agreement as to the construction of the drain or drainage connection ;

---

1. Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
2. Subs. by section 141 ibid.
3. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

(b) the period within which the drain or drainage connection shall be made;

(c) the respective r responsibilities of the parties concerned for the maintenance, repair and cleansing of the drain or drainage connection when made; and

(d) the sum (if any) payable ,whether in the form of rent or otherwise, by the person making the application to the owner of the land, building or drain, as the case may be.

(5) If the sum awarded under clause (d) of sub-section (4) takes the form of a lump payment ,the [Municipality][1] may recover it in the manner provided by chapter VI and pay any sum recovered to the person to whom it is due. If a rent has been awarded, the person to whom it is due may recover it by suit in any civil court having jurisdiction.

(6) If the parties concerned fail to agree within the period specified in the order, or if the drain or drainage connection is not constructed within the period specified for its construction the [Municipality][1] may itself construct it and may recover the cost from the applicant in the manner provided by chapter VI.

Right of owner to divert drain on his land

194. The owner of any land into, through or under which a drain has been carried under the provisions of the preceding section may, at any time ,with the written permission of the [Municipality][1] and subject to such conditions as the [Municipality][1] impose ,divert the drain at his own expense.

Scavenging and cleansing

Definition of house-scavenging

195. House–scavenging means the removal of filth, rubbish, odour or other offensive matter from the dust-bin, privy, cesspool or other receptacle for such matter in or pertaining to a house or a building.

Adoption and relinquishment by [Municipality][1] of house–scavenging, etc.

196. Subject to the provisions hereinafter contained with respect to the rights of customary sweepers and of agriculturists ,the [Municipality][1] may.-

(a) by public notice, undertake the house –scavenging of any houses or buildings or the collection, removal and disposal of excrementitious and polluted matter from privies, urinals and cesspools in the [Municipal area][2] from date not less than two months after issue of the notice;

(b) after giving by public notice or otherwise not less than two months notice to the parties concerned, relinquish an undertaking under clause (a);

(c) on the application or with the consent of the occupier at any time undertake the house –scavenging of a house or building or the collection, removal and disposal of excrementitious and polluted matter from privies, urinals and cesspools in any building or on any land or the removal of other offensive matter or rubbish from a building or land , on terms to be fixed by bye-law in this behalf; and

---

1. Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
2. Subs. by section 141 ibid.
3. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

(d) after giving not less than two months' notice to the occupier relinquish an undertaking under clause (c).

Objections to adoption

197. (1) The occupier of a house or building affected by a notice issued under clause (a) of section 196 may, at any time after the issue thereof, apply to the [Municipality] to exclude that house or building from the notice.

(2) The [Municipality][1] shall consider and pass orders upon such application within six weeks of the receipt thereof, and may by such order exclude such house or building from the notice.

(3) In deciding whether to exclude a house or building from the notice, the [Municipality][1] shall consider, among other matters, the efficiency of the arrangements for house-scavenging made by the occupier.

Continuance of house-scavenging once adopted by [Municipality]

198. When the [Municipality][1] has undertaken the house –scavenging of a house or building under section 196, it may continue to perform such house-scavenging with or without the consent of the occupier for the time being of such house or building.

Powers of municipal servants for house scavenging

199. The servants of the [Municipality][1] employed in house-scavenging may, at all reasonable times, do all things necessary for the proper performance of any house-scavenging undertaken by the [Municipality][1].

Savings in favour of customary sweepers and of agriculturists

200. Notwithstanding any thing in section 196, the [Municipality][1] shall not, except in accordance with the provisions of sections 201 and 202-

(a) undertake the house-scavenging of a house or building in respect whereof a sweeper has a customary right to do such house-scavenging

without the consent of the sweeper, or

(b) undertake the house-scavenging of a house or building occupied by an agriculturist who himself cultivates land within [Municipal area][2] or in a village coterminous therewith without the consent of the occupier.

Punishment of customary sweepers for negligence

201. (1) Should a sweeper, who has a customary right to do the house-scavenging of a house or building (hereinafter called the customary sweeper) fail to perform such house-scavenging in a proper way the occupier of the house or building or the [Municipality][1] may complain to a magistrate.

(2) The magistrate receiving such complaint shall hold an inquiry, and, should it appear to him that the customary sweeper has failed to perform the house-scavenging of the house or building in a proper way or at reasonable intervals, he may impose upon such sweeper a fine which may extend to ten rupees, and upon a second or any later conviction in regard to the same house scavenging of the house or building to be forfeited, and thereupon such right shall be forfeited :

1. Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
2. Subs. by section 142 ibid.
3. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

Provided that the magistrate may at any stage during the pendency of the case under this sub-section authorize the [Municipality][1] to undertake the house-scavenging of such house or building till final orders in the case are passed by him.

Procedure in case of default by agriculturists

202. (1) Should an agriculturist who himself cultivates land within [municipal area][2] or in a village coterminous therewith fail to provide for the proper house-scavenging of a house or building occupied by him the [Municipality][1] may complain to a magistrate.

(2) The magistrate receiving the complaint shall hold an inquiry and should it appear to him that the agriculturist has not provided for the proper house-scavenging of the house or building, he may pass an order empowering the [Municipality][1] to undertake the same, and thereupon the [Municipality][1] shall be entitled to undertake such house –scavenging.

Street regulations

Provisions of laying out and making a street before the construction of a building on a site which does not abut a public or private street

203. Except where a site abuts a public or private street, if any person owning or possessing any land not hitherto used for building purposes intends to utilize, sell, lease or otherwise transfer such land or any portion thereof as site for the construction of a building, he shall, before utilizing, selling ,letting or otherwise transferring such site, lay out and make a street which shall connect such site with an existing public or private street.

Permission to lay out and

204. (1) Every person before beginning to lay out or make a new private street shall submit an application in writing to the [Municipality][1] seeking permission

make a street

to lay out or make such street and shall, along with such application ,submit plans showing the following particulars,-

(a) the proposed level, direction and width of the street,

(b) the street alignment and the building line and shall also state in the application the arrangements to be made for the leveling, paving, metalling, flagging, channeling, swearing, draining, conserving and lighting of the street.

(2) The provisions of this act and of any rules or bye–laws made thereunder as to the level and width of a public street and the height of a building abutting thereon shall apply to the case of a street referred to in sub-section (1) and all other particulars referred to in that sub-section shall be subject to the approval of the [Municipality].

(3) Within 60 days after the receipt of an application under sub-section (1) the [Municipality][1] shall either sanction the laying out or the making of the street on such conditions as it may think fit to impose or disallow it, or ask for further information with respect to it within a specified reasonable period.

(4) Such sanction may be refused-

1. Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
2. Subs. by section 142 ibid.
3. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

(i) if the proposed street would conflict with any arrangements which have been made or which are in the opinion of the [Municipality][1], likely to be made for carrying out any general scheme of street improvement, or

(ii) if the proposed street does not conform to the provisions of the Act, rules and bye-laws referred to in sub-section (2), or

(iii) if the proposed street is not designed so as to connect at least at one end with a public or a private street which is already connected with a public street.

(5) No person shall lay out or make any new private street or road without or otherwise than in conformity with the orders of the [Municipality][1], if further information is asked for under sub-section (3) the laying out or making of the street shall not be commenced until orders have been passed on the application after receipt of such information:

Provided that the passing of such orders shall not in any case be delayed by more than 30 days after the [Municipality][1] has received all the information which it considers necessary for the final disposal of the application.

[Sanction of the [Municipality][1] to be presumed for laying out and making of a street in certain cases.

205. Should the [Municipality][1] neglect or omit for 60 days after the receipt of an application under sub-section (1) of section 204 or if an order has been issued under sub-section (3) asking for further information, fail within a period specified in such order to deliver to the person who has submitted the application, particulars of the information required by the [municipality][1], such person may by a written communication, call the attention of the [Municipality][1] to the omission, neglect or failure, and if such omission, neglect or failure continues for a further period of 30 days, the [Municipality][1] shall be deemed to

have sanctioned the laying out and making of the proposed street absolutely :

Provided that nothing contained herein shall be construed to authorize any person to act in contravention of any provisions of the Act or any bye-laws.

Duration of sanction

206. (1) A sanction given or deemed to have been given by a [Municipality][1] under Section 204 and 205 shall be available for one year.

(2) After the expiry of the said period the proposed street may not be commenced except in pursuance of a further sanction applied for and granted under the foregoing section.

Illegal making of a street

207. Whoever begins, continues or completes the laying out or making of a street without giving the notice required by section 204 or in contravention of any written directions made by the [Municipality][1] under section 205 or any bye-law or any provision of this Act shall be liable upon conviction to a fine which may extend to five hundred rupees.

---

1. Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
2. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

Power of [Municipality][1] to alter unsanctioned street and demolish the same

208. (1) If any person lays out or makes any street referred to in section 204, without or otherwise than in conformity with the orders of the [Municipality][1], the [Municipality][1] may, notwithstanding any prosecution which may have been started against the offender under this Act, by notice in writing,-

(a) require the offender to show sufficient cause by a written statement signed by him and sent to the [Municipality][1] on or before such date as may be specified in the notice, why such street should not be altered to the satisfaction of the [Municipality][1], or if such alteration be impracticable, why such street should not be demolished, or

(b) require the offender to appear before the [Municipality][1] either personally or by a duly authorized agent, on such day and at such time and place as may be specified in the notice, and show cause as aforesaid.

(2) If any person on whom such notice is served fails to show sufficient cause to the satisfaction of the [Municipality][1], the [Municipality][1] may pass such order directing the alteration or demolition of the street as it thinks fit.

Sanction of [Municipality][1] to projections over street and drains

209. (1) Subject to any rules made by the State Government prescribing the conditions for the sanction by a [Municipality][1] of projections over streets or drains, a [Municipality][1] may give written permission, where provision is made by a bye –law for the giving of such permission,-

(a) to the owners or occupiers of buildings in or on streets to erect or re-erect open verandahs, balconies, or rooms, to project over the street from any upper storey thereof, at such height from the surface of the street, and to such an extent beyond the line of the plinth or basement wall as are prescribed in such bye-laws; and

(b) to the owner or occupier of any building or land to erect or re-

erect any projection or structure so as to overhang, project into, or encroach on or over a drain in a street to such an extend, and in accordance with such conditions, as are in like manner prescribed.

(2) In giving permission, under clause (a) of sub-section (1), a [Municipality][1] may prescribe the extent to which, and the conditions under which, any roofs, caves, weather-boards, shop-boards and the like may be allowed to project over such streets.

Penalty for construction of projections over streets or drains without permission

210. Any person erecting or re-erecting any such projection or structure as is referred to in section 209 without the permission thereby required or in contravention of any permission given thereunder shall be liable for conviction to a fine which may extend to one thousand rupees and in the absence of special and adequate reasons to the contrary to be mentioned in the judgment of the court shall not be less than two hundred and fifty rupees.

Power to remove encroachments and projections over streets and drains

211. The [Municipality][1] may by notice, require the owner or occupier of a building to remove, or to alter a projection or structure overhanging, projecting into or encroaching on a street, or into on or over any drain, sewer or aqueduct therein :

1. Subs. by section 72 of Chapter-III f U.P. Act No. 12 of 1994.
2. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

Provided that in the case of any such projection or structure lawfully in existence on or before the tenth day of march 1900, the [Municipality][1] shall make compensation for any damage caused by the removal or alteration, which shall not exceed ten times the cost of erection and demolition.

Power to require leveling, paving, etc. of a street

212. [(1) If any private street or part thereof is not leveled, paved, metalled, flagged, channelled, sewered, drained, conserved, or lighted to the satisfaction of the [Municipality][1], the [Municipality][1] may by notice require the owners or occupiers of premise [or lands], fronting, or abutting such street or part thereof to carry out any work which in its opinion may be necessary, and within such time as may be specified in such notice.

(2) If such work is not carried out within the time specified in the notice, the [Municipality][1] may, if it thinks fit, execute it and the expenses incurred shall be recovered from the owner or occupiers in default under chapter VI according to the frontage of their respective premises or lands and in such proportion as may be settled by the [Municipality][1].

(3) If any street has been leveled, paved, metalled, flagged, channelled, sewered, drained, conserved and lighted under the provisions of the preceding sub-section, such street shall, on the requisition of not less than three-fourths of the owners thereof, be declared a public street].

Power of the [Municipality][1] to control and regulate the construction of any building or

212-A [Notwithstanding anything contained elsewhere in this Act, a [Municipality][1] may subject to such conditions and limitations as may be prescribed, control and regulate under this chapter the construction of any building, street or drain beyond the [limits of municipal area][3] up to a distance of five miles.

street and drains beyond [Municipal area][2]

Power to require the protection of streets during erection of buildings, etc.

213. (1) No person shall cut down any tree or cut off a branch of any tree, or erect or re-erect or demolish any building or part of a building, or alter or repair the outside of any building where such action is of a nature to cause obstruction, danger or annoyance or risk of obstruction, danger or annoyance, to any person using a street, without the previous permission in writing of the [Municipality][1].

(2) The [Municipality][1] may at any time by notice require that any person doing or proposing to do any of the act referred to in sub-section (1) shall refrain from beginning or continuing the act unless he puts up, maintains, and provides from sunset to sunrise with sufficient lighting such hoardings or screens as are specified or described in the notice, and may further at any time by notice required the removal, within a time to be specified in the notice, of any screen or hoarding erecting in anticipation or in pursuance of the said acts.

---

1. Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
2. Subs. by section 143 (a) ibid.
3. Subs. by section 143 (b) ibid.
4. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

(3) Whoever contravenes the provisions of sub-section (1) shall be liable on conviction to a fine which may extend to [five hundred] rupees and to a further fine which may extend to [ten] rupees for every day on which contravention continues after the date of the first conviction.][1]

Power to require trimming of hedges and trees

214. The [municipality][2] may, by notice, require the owner or occupier of any land to cut or trim the hedges growing thereon and bordering on a street, or any branches of trees growing thereon which overhang a street and obstruct the same or cause danger.

Power to remove accidental obstruction.

215. When a private house, wall or other erection or anything fixed thereto or a tree shall fall sown and obstruct a public drain or encumber a street, the [Municipality][2] may remove such obstruct or encumbrance at the expense of the owner of the same and may recover such expense in the manner provided by chapter VI, or may, by notice require the owner to remove the same within a time to be specified in the notice.

Regulation of troughs and drain water pipes affecting a street

216. The [Municipality][2] may, by notice, require the owner or occupier of any building or land abutting on a street to put up and keep in good condition proper troughs and pipes for receiving and carrying off the water from the building or land, and for discharging the same in such manner as the [Municipality] may think fit, so as not to inconvenience persons passing along the street.

Naming of streets and numbering of

217. (1) The [Municipality][2] may,-

(a) [with the prior approval of the Prescribed Authority][1] cause a

buildings

name or a new name to be given to a street, and

(b) cause the name or a new name to be affixed to or marked on any building in such position as it thinks fit, or

(c) require by a written notice the owner or occupier of any building to affix thereto a number plate or new number plate to a pattern approved by the [Municipality][2] or itself cause a number or a new number to be affixed to or marked on any building.

(2) Any person destroying, pulling down, defacing or altering any name or number or number plate affixed to or marked on a building under sub-section (1) or affixing to marking on a building a different name or number from that affixed or marked by or under the order of the [Municipality][2] shall be liable on conviction to a fine which may extend to [two hundred and fifty rupees][1].

Power to attach brackets to buildings, etc.

218. (1) The [Municipality][2] may erect upon any premises or attach to the outside of any building or to any tree-

1. Subs. by U.P. Act No. 27 of 1964.
2. Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
3. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

(a) posts, brackets or other supports for oil, gas, electric or other lamps,

(b) posts, brackets or other supports for telegraph wires, telephone wires or wires conducting electricity for locomotive purposes, or

(c) shafts or pipes deemed necessary for the proper ventilation of drains and water-works.

(2) Provided that the erection or attachment of such supports, shafts and pipes shall not be effected in a manner to occasion injury or inconvenience and shall be subject, so far as may be, to any provisions of the Indian Telegraph Act, 1885, applying to the attachment, removal or alteration of a telegraph line or posts.

Public streets

Power to construct improve and provide sites on public streets

219. A [Municipality][1] may,-

(a) lay out and make a new public street and construct tunnels and other works subsidiary to the same, and

(b) widen, lengthen, extend, enlarge or otherwise improve any existing public street if vested in the [Municipality][1]; and

(c) turn, divert, discontinue or close any public street so vested, and

(d) provide within its discretion building sites of such dimensions

as it thinks fit to abut on or adjoin any public street made, widened, lengthened extended, enlarged or improved by the[Municipality][1] under clauses (a), (b) and (c) or by the State Government, and

(e) subject to the provisions of any rule prescribing the conditions on which property may be acquired by the [Municipality][1] acquire any land along with the buildings thereon, which it considers necessary for the purpose of any scheme or work undertaken or projected in exercise of the powers conferred by the preceding clauses, and

(f) subject to the provisions of any rule prescribing the conditions on which property vested in the [Municipality][1] may be transferred, lease, sell or otherwise dispose of any property acquired by the [Municipality][1] under clause (e) or any land used by the [Municipality][1] for a public street and no longer required therefore, and in doing so impose any condition as to the removal of any building existing thereon, as to the description of any new building to be erected thereon, as to the period within which such new building shall be completed, and as to any other matter that it deems fit.

---

1. Subs. by section of Chapter-III 72 of U.P. Act No. 12 of 1994.
2. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

Use of public streets by vendors and other persons

220. Notwithstanding any right or privilege (previously) acquired, accrued. or enjoyed in a [Municipal area][2] for which bye-laws under sub-head (b) of heading E of section 298 have been made and are in force, no itinerant vendor, or any other person shall be entitled to use or occupy any public street or place for the sale of articles or for the exercise of any calling or for the setting up of any booth or stall without the permission of the [Municipality][1] given in accordance with such bye-laws.

Adoption of a street as a public street

221. (1) A [Municipality][1] may at any time and shall, when required by a requisition under sub-section (3) of section 212 by public notice posted up in street that is not a public street or in part of such street, give intimation of its intention to declare the same a public street. Within two months next after such notice has been posted up the owner or owners of such street or such part of a street, or of a greater portion thereof, may lodge objection at the municipal office against the notice. The [Municipality][1] shall consider the objections lodged, and if it rejects them, may by further public notice posted up in such street or such part declare the same to be a public street.

(2) Any public notice required under sub-section (1) shall, in addition to being posted up in the street, be published in a local paper (if any) or in such other manner as the [Municipality][1] thinks fit.

Power to regulate line of buildings on public streets

222. (1) Whenever the [Municipality][1] considers it expedient to define the general line of buildings on each or either side of any existing or proposed public street, it shall give public notice of its intention to do so.

(2) Every such notice shall specify a period within which objections will be

received.

(3) The [Municipality][1] shall consider all objection received within the specified period and may then pass a resolution defining the said line, and the line so defined shall be called "the regular line of the street."

(4) Thereafter it shall not be lawful for any person to erect, re-erect or alter a building or part of a building so as to project beyond the regular line of the street, unless he is authorized to do so by a sanction granted under section 180 or by a permission in writing (and the [Municipality][1] is hereby empowered to grant such permission under this section.

(5) Any owner of land who is prevented by the provisions of this section from erecting, re-erecting or altering any building on any land may require the [Municipality][1] to make compensation for any damage which he may sustain by reason of such prevention and upon the payment of compensation in respect of any land situated within the regular line of the street such land shall vest in the [Municipality][1].

(6) The [municipality][1] may, by notice, require the alteration or demolition of any building or part of a building erected, re-erected of altered in contravention of any building or part of a building erected, re-erected or altered in contravention of sub-section (4).

---

1. Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
2. Subs. by section 142 ibid.
3. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

Duties of [Municipality][1] when constructing public streets, etc.

223. (1) The [Municipality][1] shall, during the construction or repair of a public street or of any water-works, drains or premises vested in it, or whenever any public street, water-works, drains or premises vested in it have, for want of repair or otherwise become unsafe for use by the public, take all necessary precautions against accident by,-

(a) shoring up and protecting adjacent buildings, and

(b) fixing bars, chains or posts across or in any street for the purpose of preventing or diverting traffic during such construction or repair, and

(c) guarding and providing with sufficient lighting from sunset to sunrise any work in progress.

(2) Whoever, without the authority or consent of the [Municipality][1] in any way interferes with any arrangement or construction made by the [Municipality][1] under sub-section (1) or guarding against accident shall be liable on conviction to a fine which may extend to fifty rupees.

Water supply

Power of [Municipality][1] to construct and alter water-works

224. The [municipality][1] may,-

(a) construct water- works within or, subject to the provision of sub-section (2) of section 120, outside the [Municipal area][2], and may carry such works through, across, over or under any street or place, and after reasonable notice in writing to the owner or occupier, into through, over or

under any buildings or land.

(b) from time to time enlarge, lessen, alter the course of, cover in or otherwise improve any water –works and discontinue, close up or remove the same,

(c) with the previous sanction of the state Government, grant to any person or company a license to supply water within [Municipal area][2] and for this purpose to lay down mains and pipes, construct water-works and do all other necessary acts or things and

(d) with the same sanction, transfer all or any part of it existing water-works to the management of such licensee :

Provided that such sanction shall not be given unless the State Government is satisfied that it will be in the best interest of the public concerned.

---

1. Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
2. Subs. by section 144 ibid.
3. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

[Powers and liabilities of licensee

224.A (1) When a licence is granted under clause (c) of section 224, the rate at which, the manner in which, and the person by whom, payments shall be made to the licensee for water supplied by him and the terms and conditions on which the licensee may grant water connections to the consumers shall be settled between the [Municipality][1] and the licensee and entered in the licence, and the [Municipality] may delegate to the licensee any of the powers conferred on it by this Act or rules relating to water-works and water-supply :

Provided that the power of assessment of water-tax and of its recovery otherwise than by a civil suit shall not be delegated to the licensee.

(2) Such licensee with the previous sanction of the [Municipality][3] may exercise the powers conferred on the [Municipality][3] by section 225 and 227 of this Act.][1]

[Revocation of existing licenses

224.B Every licence granted under clause (c) of section 224 shall, if not already revoked stand revoked with effect from June 13, 1975.][2]

[Provisions where licence of a licensee is revoked

224.C (1) Where the licence of a licensee is revoked under section 224-B as it stood immediately before the commencement of the U.P. Municipalities (Amendment) Act, 1975 or where such licence stands revoked by virtue of the new section 224-B as substituted by the said Act, all the property pertaining to the water-works (namely, all existing water supply services including all plants, machinery, water-works, pumping sets, filter beds, water mains and pipes laid sown along, over or under any public street, and all buildings and other works, materials, stores and things appurtenant thereto)belonging to or vested in the

licensee immediately before the date of revocation of the licence (hereinafter in this section referred to as the said date) shall as from the said date vest in and stand transferred to the [Municipality][3] free from any debt, mortgage or similar obligation of the licensee attached to such property:

Provided that any such debt, mortgage or similar obligation shall attach to the amount referred to in sub-section (2) in substitution for such property:

(2) Where any property belonging to the licensee vests in the [Municipality][3] under sub-section (1) not being water-works of which only the management was transferred to him by the [Municipality][3] under clause (d) of section 224 the [Municipality] shall pay to such licensee an amount determined as hereinafter provided in this section:

Provided that the licensee shall in addition to the said amount, be paid interest thereon on the Reserve Bank rate ruling on the said date plus one per centum for the period from the said date to the date of payment of the said amount.

(3) The State Government shall appoint, by order in writing, a person having adequate knowledge and experience in matters relating to accounts, to be special Officer to assess any amount payable under this section to the licensee after making the deductions mentioned in this section.

---

1. Subs. by U.P. Act No. 6 of 1933.
2. Added by section 2 of U.P. Act No. 45 of 1975.
3. Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
4. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

(4) (a) The Special Officer may call for the assistance of such officers and staff of the State Government in the Local Self-Government Engineering Department or of the licensee as he deems fit for assessing the rent amount payable.

(b) The special Officer shall have the same powers as are vested in a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908, when trying a suit, in respect of the following matters:-

(i) enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(ii) compelling the production of documents; and

(iii) issuing commission for the examination of witnesses.

The Special Officer shall also have such further powers as may be specified by the State Government by notification in the Gazette.

(5) The gross amount payable to such licensee shall be the aggregate value of the amounts specified below-

(i) the book value of all completed works in beneficial use pertaining to the water-works and taken over by the [Municipality][1] (excluding works paid for by the consumers), less depreciation calculated in accordance with the Table appended to this section;

(ii) the book value of works in progress taken over, excluding works paid for by the consumers or prospective consumers;

(iii) the book value of all stores, including spare parts taken over, and in the case of used stores and spare parts, if taken over, such sum as may be decided upon by the Special Officer;

(iv) the book value of all other fixed assets in use on the said date and taken over, less depreciation calculated in accordance with the said Table.;

(v) the book value of all plants and equipments existing on the said date if taken over, but no longer in use owing to wear and tear or to obsolescence, to the extent such value has not been written off in accordance with the said Table.

Explanation-- The book value of any fixed asset means its original cost, and shall comprise-

(i) the purchase price paid by the licensee for the asset, including the cost of delivery and all charges properly incurred in erecting and bringing the asset into beneficial use, as shown in the books of the licensee,

(ii) the cost of supervision actually incurred, but not exceeding fifteen per cent of the amount referred to in paragraph (i) :

Provided that before deciding the amount under this sub-section the licensee shall be given an opportunity by the special Officer of being heard, after giving him a notice of at least 15 days therefor.

---

1. Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
2. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

(6) The [Municipality][1] shall be entitled to deduct the following sums from the gross amount payable under sub-section (5) to the licensee-

(a) all amounts and arrears of interest if any, thereon due from the licensee to the [Municipality][1] ;

(b) all amounts and arrears of interest, if any, thereon, due to the State Government or the State Electricity Board ;

(c) any amount of wages, bonus, gratuity, provident fund or other payments due to remaining unpaid on the said date to persons employed as workmen (within the meaning of the U.P. Industrial Disputes Act, 1947, in connection with the water-works ;

(d) any amount which licensee may have failed to pay in respect of either his contribution or the employees' contribution realized by him or any other dues recoverable from licensee under the Employees' provident fund Act, 1952 or the Employees State Insurance Act, 1948 in respect of persons employed in connection with the water- works .

(7) The liability of the licensee towards the state Government or the state Electricity Board or towards his employees, as the case may be to the extent of deducations made under sub-section (7) shall stand discharged. Upon any such deduction being made the [Municipality][1] shall to that extent be liable to make payment to the State Government, the State Electricity Board or the workmen as the case may be.

(8) Where the gross amount payable to the licensee is equal to or less than the amount to be deducted under this section no payment shall be made to the

licensee by the [Municipality][1].

(9) The amount, if any, payable by the [Municipality][1] to the licensee shall be as determined by the Special Officer under sub-section (5), (6) , (8) and nothing in section 324 shall be construed to apply in relation to the determination of the amount payable by the [Municipality][1] under this section.

Table of depreciation based on the period of life expectancy of various assets

There shall be declared for each year in respect of fixed assets employed in the licensee's undertaking such an amount as would, if set aside annually throughout the period specified in the following table and accumulated at compound interest at four per cent per annum, produce at the end of the said period an amount equal to ninety per cent of the original cost of the asset after taking into account the sums already written off or set aside in the books of the licensee :-

Column 1 Description of asset	Column 2 Number of years or period
A. Land owned under full title	indefinite
B. Land held under lease.	The period of the lease or the period remaining unexpired on the assignment of the lease.
C. Assets purchased now,-	
(a) Building and Civil Engineering works of a permanent character not mentioned above-	
(i) Offices	fifty
(ii) Temporary erections such as wooden structures.	Five
(iii) Roads other than Kuchcha Roads.	One hundred
(iv) Others	Fifty
(b) Self-propelled vehicles	Seven
(c) (i) Office furniture and fittings.	Twenty
(ii) Office equipment	Ten
D. Assets purchased second-hand and assets not otherwise provided for in this Table.	Such reasonable period as the special Officer determines in each case having regard to the nature, age and conditions of the asset at the time its acquisition by it.][1]

1. Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
2. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

Power to require private

225. (1) The [Municipality][2] may, by notice require the owner of, or the person having control over a private water-course, spring, tank, well or other place, the

water-course, etc. to be cleansed or closed

water of which is used for drinking, to keep and maintain the same in good repair and to clean the same, from time to time, of silt, refuse or decaying vegetation and may also require him to protect the same from pollution in such manner as the [Municipality][2] may think fit.

(2) When the water of any such water-course, spring, tank, well or other place is proved to the satisfaction of the [Municipality][2] to be unfit for drinking, the [Municipality][2] may, by notice, require the owner, or person having control thereof to desist from so using such water or permitting others to so use it and if after such notice such water is used by any person for drinking, the [Municipality][2] may by notice require the owner or person having control thereof to close such well either temporarily or permanently, or to enclose or fence such water-course, spring, tank, well or other place in such manner as it may direct, so that the water thereof may not be so used.

Emergent powers on outbreak of epidemic.

226. In the event of a [Municipal area][3] or any part thereof, being visited with an outbreak of cholera or other infectious disease notified in this behalf by the State Government, the President of the [Municipality][2] or any person authorized by him in this behalf, may, during the continuance of the epidemic, without notice and at any time, inspect and disinfect any well, tank or other place from which water is or is likely to be, taken for the purpose of drinking, and may further, take such steps as he deems fit to prevent the removal of water there from.

---

1. Added by section 3 of U.P. Act No. 45 of 1975.
2. Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
3. Subs. by section 144 ibid.
4. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

Removal of latrines, etc. near any source water supply

227. The [Municipality][1] may, by notice require an owner or occupier on whose land a drain, privy, latrine, urinal, cesspool or other receptacle for filth or refuse exists within fifty feet of a spring, well tank, reservoir or other source from which water is, or may be, derived for public use, to remove or close the same within one week from the service of such notice.

Obligations of [Municipality][1] imposing water-tax

228. (1) [Every Municipality][2] in which a water–tax is imposed, shall be bound,-

(a) throughout a prescribed area or prescribed areas-

(i) to maintain a system of water-supply through pipes, and

(ii) to lay on water at a prescribed pressure and during prescribed hours, and

(iii) to supply in all the chief streets in which mains have been laid, water to stand-pipes or pumps situated at such intervals as are prescribed, and

(b) subject to the rules as may be framed to allow the owner or occupier of any building or land assessed to a prescribed minimum water-tax to connect for the purpose of obtaining water for domestic purposes, the building or land with a main by means of a communication pipe of the prescribed size and description, and

(c) to supply, within every twenty-four hour, to every owner or occupier entitled to a house connection under clause (b) whose land or building is

provided therewith such amount of water as is prescribed with reference to the water-tax payable by him and his estimated requirements for domestic purposes, into a storage cistern erected in or on the building or land, of a capacity not less than such amount and of a prescribed pattern and at an altitude not exceeding the maximum prescribed for the same .

(2) The word "prescribed" in sub–section (1) means prescribed by rule under section 235.

Supply of water by agreement

229. Every [Municipality][1] may by agreement supply any owner or occupier of land with any water that he may require for any purpose for such remuneration, consistent with any rate or rates prescribed by rule, and on such terms and conditions with this Act and with any rule as are agreed on between the [Municipality][1] and such owner or occupier.

Charges for water supply

230. (1) When any building or land is connected with a main the [Municipality][1] may, so far as is consistent with any agreement made under section 229, charge the owner, lessor, or occupier, whichever is prescribed by rule, for all water consumed at the rate or rates so prescribed.

(2) Provided that the [Municipality][1] shall deduct from the charge on account of water supplied in any month one-twelfth of the water-tax assessed on the building or land.

---

1. Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
2. Subs. by section 145 ibid.
3. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

Exemption of [Municipality][1] from liability owing to accident etc.

231. Notwithstanding any obligation on a [Municipality][1] by section 228 or by any agreement made under section 229, a [Municipality][1] shall not be liable to any forfeiture, penalty or damages for failure to supply water, if the failure to supply arises from accident or from unusual drought or other unavoidable causes.

Subordination to supply for domestic purposes of supply for other purposes

232. Notwithstanding any obligation to supply water imposed by an agreement under section 229, the [Municipality][1] may at any time cease to supply water for other than domestic purposes, if it is of the opinion that such supply would interfere with the supply of water for domestic purposes in such case the [Municipality][1] shall not be liable to any forfeiture, penalty or damages for so ceasing :-

(a) unless the failure to supply such water arises from a cause other than one specified in section 231, and

(b) unless the [Municipality][1] has undertaken to supply water for other than domestic purposes by an agreement made under section 229 making express provision for forfeiture, penalty or damages upon failure to supply such water.

Subordination of rights of supply to

233. Notwithstanding anything contained in Section 228, or in any agreement under section 229, the supply of water to any building or land shall be, and shall be deemed to have been granted, subject to the provisions of any rule made

restrictive rules under section 235, and in particular to any provision as to the limit or stoppage of the supply and as to the prevention of waste and misuse.

Provision as to meters and connection pipes

234. All meters, connection pipes and other works incidental to the supply of water to any building or land shall except as otherwise provided by rule, be supplied, repaired, extended and altered as may be necessary, at the expense of the person requiring the supply, but shall be under the control of the [Municipality][1].

Water-supply rules

235. (1) The following matters relating to supply of water from municipal or public water works shall be regulated and governed by rules, namely,-

(a) any matter in respect of which this Act declares that provision shall be made by rule ;

(b) the size and nature of the mains and pipes to be laid and the water works to be constructed by a [Municipality][1] for the supply of water ;

(c) the construction, control and maintenance of municipal water works and of pipes and fitting in connection therewith ;

(d) the size and nature of the stand-pipes or pumps to be erected by a [Municipality][1] ;

---

1. Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
2. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

(e) the mains or pipes in which fire-plugs are to be fixed and the places at which keys of the fire-plugs are to be deposited.

(f) the periodical analysis by a qualified analyst of the water supply by a [Municipality] [2];

(g) the conservation and prevention of injury or contamination to sources and means of water supply and appliances for the distribution of water, whether within or without the limits of [the municipal area][3] ;

(h) the manner in which connections with water works may be constructed or maintained and the agency which shall or may be employed for such construction or maintenance ;

(i) the regulation of all matters and things connected with the supply and use of water and the turning on and turning of and preventing waste of water ;

(j) the collection of water-tax and of charges relating to the supply of water and the prevention of evasion of the same ; and

(k) any other matter relating to the supply of water in respect of which this Act makes no provision or insufficient provision and further provision is, in the opinion of the State Government, necessary.

(2) Provided that no rule shall be made under sub-section (1) affecting a cantonment or part of a cantonment without the previous sanction of the Central Government.

[Rules relating to the supply of water by a person or company

235.A The following matters relating to the grant of a licence under clause (c) of section 224, of the Act shall be regulated and governed by rules to be made by the state Government subject to the conditions prescribed in section 300 :

(1) the selection of a licensee,

(2) the form of application for a licence,

(3) the form of licence,

(4) the preparation and submission of returns and accounts by the licensee in a prescribed form,

(5) duties of a licensee,

(6) the securing of a regular and wholesome supply of water by the licensee to consumers,

(7) the appointment of an officer of a specified rank and class to ensure that the provisions of the Act and the rules relating to water-works are being properly carried out, and

(8) any other matter which is necessary for the proper working of the licence.][1]

---

1. Added by U.P. Act No. 6 of 1933.
2. subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
3. Subs. by section 146 ibid.
4. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

Power for Removal of Structures interfering with Public Works

Unauthorized construction of street over drain or water –work

236. (1) Where, on or after the 10th day of march, 1900, any street has been made or any building, wall or other structure has been erected or any tree has been planted without the permission in writing of the [Municipality][1] over a public drain or culvert or a water-work vested in the [Municipality][1], the [Municipality][1] may,-

(a) by notice require the person who has made the street, erected the structure or planted the tree, or the owner or occupier of the land on which the street has been made, structure erected or tree planted, to remove or deal in any other way the [Municipality][1] thinks fit with the street, structure or tree ; or

(b) it self remove or deal in any other way it, thinks fit with the street, structure or tree.

(2) Any expense incurred by a [Municipality][1] by action taken under clause (b) of sub-section (1) shall be recoverable in the manner prescribed by chapter VI from the person by whom the street was made, structure erected or tree planted.

CHAPTER VIII

OTHER POWERS AND PENALTIES

Markets, slaughter-houses, sale of food. etc.

Places for slaughter of animals for sale

237. (1) The [Municipality][1] may with the approval of the District Magistrate, fix premises, either within or without the limits of the [municipal area][2] for the slaughter or animals, or animals of any specified description for sale, and may with the like approval grant and withdraw licenses for the use of such premises.

(2) When such premises have been fixed by the [Municipal][1] beyond [the limits of [municipal area][2] it shall have the same power to make bye-laws for the inspection and proper regulation of the same as if they were within those limits.

(3) When such premises have been fixed, no person shall slaughter any such animal for sale at any other place within the [municipality area][2].

(4) Should any one slaughter for sale any such animals at any other place within the [municipal area][2] he shall be liable on conviction to a fine which may extend to twenty rupees for every animal so slaughtered.

Places for slaughter of animals not intended for sale or slaughter for religious purpose

238. The [Municipality][2] may, by public notice and with the previous sanction of the District Magistrate, fix premises within the [municipal area][2] in which the slaughter of animals of any particular kind not for sale shall be permitted and prohibit, except in case of necessity, such slaughter elsewhere within the [municipal area][2]:

Provided that the provisions of this section shall not apply to animals slaughtered for any religious purpose.

---

1. Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
2. Subs. by section 147 ibid.
3. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

Power of District Magistrate in respect of animals not slaughtered for sale

239. Whenever it appears to District Magistrate to be necessary for the preservation of the public peace or order, he may subject to the control of the Prescribed Authority prohibit or regulate, by public notice the slaughter within the limits of a [municipal area][2] of animal or animals of any specified description for purposes other than sale and prescribe the mode and route in and by which such animals shall be brought to, and meat shall be conveyed from, the place of slaughter.

Disposal of flesh imported in contravention of a bye-law regarding importation

240. Should the flesh of any cattle, sheep, goat or swine be brought within [the limits of municipal area][2] in contravention of a bye-law made under sub-head (e) of Heading F of section 298, it may be seized by an officer of [Municipality] authorized in that behalf, and may be destroyed or otherwise disposed of as the [Municipality][1] may, by general or special order direct.

Licensing of markets and shops for sale of certain articles

241. (1) The right of any person to use any place, within the limits of a [municipal area], other than a municipal market, as a market or shop for the sale of animals, meat or fish intended for human food, or as a market for the sale of fruit or vegetables, shall be subject to bye-laws (if any) made under Heading F of section 298.

(2) Provided that, where any bye-law is in force requiring a licence for the establishment or maintenance of a market or shop for the sale of any article

mentioned in sub-section (1) the [Municipality][1] shall not,-

(a) refuse a licence for the maintenance of a market or shop lawfully established at the date of such bye-law coming into force, if application be made within six months from such date, except on the ground that the place where any conditions prescribed by or under this Act, or

(b) cancel suspend or refuse to review any license granted under such bye-law for any cause other than the failure of the licensee to comply with the conditions of the license or with any prescribed of or made under this Act.

Improper feeding of animals kept for dairy purposes or used for food

242. Whoever feeds, or allows to be fed an animal which is kept for dairy purposes, or may be used for food, on filthy or deleterious substances shall be liable on conviction to a fine which may extend to fifty rupees.

Inspection of places for sale of food, drink and drugs.

243. The President, the Executive Officer, the Medical Officer of Health and, if authorized in this behalf by resolution any other member, officer or servant of the [Municipality][1] may, without notice at any period of the day or night enter into and inspect a market, shop, stall or place used for the sale of food or drink for man, or as a slaughter-house, or for the sale or drugs, and inspect and examine any article of food or drink or any animal or drug which may be therein.

---

1. Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
2. Subs. by section 147 ibid.
3. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

Seizure of unwholesome articles and removal of deleterious and unspent drugs.

244. (1) If in the course of the inspection of a place under the preceding section, an article of food or drink or animal appears to be intended for the consumption of man and to be unfit therefore, the [Municipality][1] may seize and remove the same, or may cause it to be destroyed, or to be so disposed of as to prevent its being exposed for sale or use for such consumption.

(2) If it is reasonably suspected that a drug has been improperly adulterated, or by reason of age or the effect of climate has become inert or unwholesome, or has otherwise become deteriorated in such a manner as to lessen its efficacy, or to change its operation, or to render it noxious the [Municipality][1] may remove the same giving a receipt therefore and may produce it before a magistrate.

(3) If it appears to a Magistrate before whom a drug has been produced under sub-section (2) that the drug has been improperly adulterated or has become inert, unwholesome or deteriorated as aforesaid he may order the same to be destroyed, or to be so disposed, of as to him may deem fit, and if any offence appears to have been committed, he may proceed to take cognizance thereof.

Nuisances for certain trades and professions

Regulation of offensive trades

245. (1) If it is shown to the satisfaction of a [Municipality][1] that any building or place within the limits of the [municipal area][2] which any person uses or intends

to use as a factory or other place of business for the manufacture storage treatment or disposal of any article by reason of such use or by reason of such use or by reason of such intended use occasions or is likely to occasion a public nuisance the [Municipality] may at its option require by notice the owner or occupier of the building or place-

(a) to desist or refrain, as the case may be, from using, or allowing to be used, the building or place for such purpose, or

(b) only to use, or allow to be used the building or place for such purpose under such conditions or alter such structural alterations as the [Municipality][1] impose or prescribes in the notice with the object or rendering the use of the building or place for such purpose free from objection.

(2) Whoever, after receiving a notice given under sub-section (1) uses or allows to be used any building or place in contravention the notice shall be liable on conviction to a fine which may extend to two hundred rupees and to a further fine which may extend to forty rupees for every day on which he so uses or allows to be used the place of building after the date of the first conviction.

(3) The state Government may, by notification, make the provisions of this section or of any bye-law made under Heading G of Section 298, applicable to any area beyond the [municipal area][2] lying within a distance of a mile from the [boundary of the municipal area][3].

---

1. Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
2. Subs. by section 148(a) ibid.
3. Subs. by section 148(b) ibid.
4. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

Loitering and soliciting for immoral purpose

246. Whoever in a street or public place within the limits of the [municipal area][2], loiters for the purpose of prostitution or importunes a person to the commission of sexual immorality, shall be liable on conviction to a fine which may extend to fifty rupees :

Provided that no Court shall take cognizance of an offence under this section except on the complaint of the persons importuned, or on the complaint of a municipal officer or a police officer not below the rank of a sub-inspector respectively authorized in this behalf in writing by the [Municipality][1] and the District Magistrate.

Brothels, etc.

247. (1) When a Magistrate of the first class receives information, -

(a) that a house in the vicinity of the place of worship or an educational institution or a boarding house, or hostel or mess used or occupied by students is used as a brothel or for the purpose of habitual prostitution or by disorderly persons of any description, or

(b) that any house is used as aforesaid to the annoyance of respectable inhabitants in the vicinity: or

(c) that house in the immediate neighborhood of a cantonment is used as a brothel or of the purpose of habitual prostitution,

he may summon the owner, tenant, manager or occupier of the house

to appear before him either in person or by agent, and if satisfied that the house is used as described in clause (a), (b), or clause (c), may by a written order, direct such owner, tenant, manager or occupier within a period to be stated in such order, not less than five days from the date thereof, to discontinue such use:

Provided that action under this sub-section shall be taken only,-

(i) with the sanction or by order of the District Magistrate, or

(ii) on the complaint of three or more persons residing in the immediate vicinity of the house to which the complaint refers, or

(iii) [***] on the complaint of the [Municipality][2].

(2) If a person against whom an order has been passed by a Magistrate under sub-section (1) fails to comply with such order within the period stated therein, the Magistrate may impose on him a fine which may extend to twenty-five rupees for every day after the expiration of that period during which the house is so used.

Begging etc. 248. Whoever, in a street or public place within the [municipal area][2] begs importunately for alms, or exposes or exhibits, with the object of exciting charity a deformity or disease or an offensive sore or wound, shall be liable on conviction to imprisonment which may extend to one month or to a fine which may extend to fifty rupees or to both.

---

1. Subs. by section 72 of Chapter-III 2 of U.P. Act No. 12 of 1994.
2. Subs. by section 149 ibid.
3. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

Public safety

Disposal of mad dog, etc. 249. The [Municipality][1] may authorize any person to destroy or to cause to be destroyed, or to confine or to cause to be confined, for such period as the [Municipality][1] may direct, any dog or other animal suffering, or reasonably suspected to be suffering from rabies, or bitten by a dog or other animal suffering or suspected as aforesaid.

Muzzling order. 250. (1) Where in any [municipality area][2] the prevalence of rabies in the opinion of the [Municipality] renders it necessary, the [Municipality][1] may by public notice require the muzzling, for such period as it thinks fit or until such notice is cancelled, of all dogs within the [municipal area][2] or within any part of the [municipal area][2].

(2) During such period of time the [Municipality][1] may exercise the power conferred by section 249,in respect of any dog which is found at large without a muzzle after a date to be specified in the notice.

Bar to compensation for dogs lawfully destroyed 251. No damages shall be payable in respect of a dog or other animal destroyed or otherwise disposed of under the provisions of section 249 or 250, or of any bye-law made under sub-head (h) or (i) of Heading H of Section 298.

Neglect of the rule of the road

252. Whoever, in driving, leading or propelling a vehicle along a street, fails, except in the case of actual necessity,-

(a) to keep to the left, and

(b) when he is passing a vehicle going in the same direction, to keep to the right of that vehicle,

shall be liable on conviction to a fine which may extend to ten rupees.

Exception-- This section shall not apply in the case of a [municipal area][2] wholly or in part situated in a hilly tract.

Driving vehicles without proper lights.

253. Whoever drives, leads or propels a vehicle between nightfall and dawn in a street, unless the vehicle is properly supplied with lights, shall be liable on conviction to a fine which may extend to twenty rupees :

Provided that a [Municipality][1] may by a special resolution confirmed by the Prescribed Authority direct that this section shall not apply in the case of vehicles proceeding at not more than walking pace.

Failure to remove elephant etc. to safe distance

254. Whoever, being in charge of an elephant, camel or bear, omits on being requested to remove so far as may be practicable his elephant, camel or bear to a safe distance on the approach of a horse, whether ridden, driven or led, shall be liable on conviction to a fine which may extend to twenty rupees.

---

1. Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
2. Subs. by section 149 ibid.
3. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

Prohibition of tethering of cattle etc. on street.

255. (1) The owner or keeper of any of any cattle or other animals, found tethered, or straying about without a keeper in a street or public place shall be liable on conviction to a fine which may extend to two hundred and fifty rupees.

(2) An animal found tethered as aforesaid may be removed by a municipal officer or servant or by a police officer to a pound as if the animal had been found straying.

Halting vehicles or animals on public grounds.

256. Where any land vested in the [Municipality][1], or any public place is without the permission in writing of the [Municipality][1], used as a halting place for any vehicle or animal or as a place of encampment, the owner or a keeper of the vehicle or animal or the person encamping, as the case may be, shall be liable on conviction to a fine which may extend to one hundred rupees and in the case of a continuing breach, to a further fine which may extend to ten rupees for every day after the date of the first conviction during which the offender is proved to have persisted in the commission of the offence.

Power as to inflammable structures.

257. (1) The [Municipality][1] may by public notice, direct that within certain limits to be fixed by it the roofs and external walls of huts or other building shall not be made or renewed with grass, mats, leaves or other highly inflammable materials without the consent of the [Municipality][1] in writing.

(2) The [Municipality][1] may at any time by written notice require the

owner of a building which has an external roof or wall made of any such material as aforesaid, to remove such roof or wall within such reasonable time as shall be specified in the notice, notwithstanding that a public notice under sub-section (1) has not been issued or that such roof or wall was made with the consent of the [Municipality][1] or before the issue of such public notice, if any

Provided that in the case of any such roof or wall in existence before the issue of such public notice or made with the consent of the [Municipality][1] the [Municipality][1] shall make compensation for any damage caused by the removal which shall not exceed the original cost of constructing the roof or wall.

(3) Whoever, without such consent as is required by sub-section (1) makes or renews, or causes to be made or renewed or in disobedience to a notice given under sub-section (2) suffers to remain, a roof or wall or such material as aforesaid, shall be liable on conviction to a fine which may extend to twenty-five rupees and to a further fine which may extend to ten rupees for every day on which the offence is continued, after the date of the first conviction.

Power to search for inflammable materials in excess of authorized quantity.

258. (1) The [Municipality][1] may, without notice and at any period of the day or night enter into and inspect a house or building which is suspected to contain petroleum, or other inflammable material, in excess of the quantity permitted to be kept in such house or building under the provision of section 245 or of any bye-law.

(2) Should any such excess quantity of such material be discovered it may be seized and held subject to such order as a Magistrate may pass with respect to it.

---

1. Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
2. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

(3) If the Magistrate decides that the material seized was stored in the house or building contrary to any direction made under section 245or the provision of any bye-law, he may pass an order confiscating the same.

(4) Subject to any provision of, or made under, this or any other enactment, the material so confiscated may be sold by order of the Magistrate, and the proceeds, after defraying the expenses of such sale, shall be credited to the municipal fund.

(5) No order of confiscation under this section shall operate to prevent any other criminal or civil proceedings to which the person storing the material in excessive quantity may be liable.

Stacking etc. of inflammable materials.

259. The [Municipality][1] may where it appears to be necessary for the prevention of danger to life or property, by public notice prohibit all persons from stacking or collecting wood, dry grass, straw or other inflammable materials or from placing mats or thatched huts or lighting fires in a place or within limits specified in the notice.

Dangerous quarrying.

260. (1) If, in the opinion of the [Municipality][1], the working of a quarry, or the removal of stone, earth or other material from the soil in any place is dangerous to persons residing in, or entitled to visit, the neighborhood thereof, or creates or

is likely to create, a public nuisance the [Municipality][1] may by written notice prohibit the owner of the said quarry or place, or the person responsible for such working or removal from continuing or permitting the working if such quarry, or the removal of such materials, or may require him to take such order with such quarry or place as the [Municipality][1] shall direct for the purpose of preventing danger or abating the nuisance arising or likely to arise therefrom.

(2) If, in any case referred to in sub-section (1) it appears to the [Municipality][1] to be necessary in order to prevent imminent danger, it may cause a proper hoarding or fence to be put up for the protection of passengers near a quarry or place, and any expense incurred by the [Municipality][1] in taking such action shall be paid by the owner or other person as aforesaid and shall be recoverable in the manner provided by chapter VI.

Displacing pavements, etc.

261. (1) Whoever displaces, takes up or makes an alteration or otherwise interferes with, the pavement, gutter, flags, or other materials of a public street or the fences, walls or posts thereof or a municipal lamp, lamp-post bracket, direction-post, stand post, hydrant or other such municipal property therein, without the written consent of the [Municipality][1] or other lawful authority and whoever extinguishes municipal light shall be liable on conviction to a fine which may extend to one thousand rupees.

(2) Any expense incurred by the [Municipality][1] by reason of the doing of any such thing as is mentioned in sub-section (1) may be recovered from the offender in the manner provided by Chapter VI.

---

1. Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
2. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

Discharging firearms, etc.

262. Whoever discharges firearms or lets off fireworks or fire-balloons, or engages in such a manner as to cause or to be likely to cause, danger to persons passing by or dwelling or working in the neighborhood or risk of injury to property, shall be liable on conviction to a fine which may extend to twenty rupees.

Powers for the prevention of danger from ruinous buildings, un-protected wells etc.

263. (1) A [Municipality][1] may require by notice the owner or occupier of any land or building,-

(a) to demolish or to repair in such manner as it deems necessary any building wall, bank or other structure, or anything, affixed thereto, or to remove any tree, belonging to such owner or in the possession of such occupier which appears to the [Municipality][1] to be in a ruinous condition or dangerous to persons or property, or

(b) to repair, protect or enclose, in such manner as it deems necessary, any well, tank reservoir, pool or excavation belonging to such owner or in the possession of such occupier, which appears to the [Municipality][1] to be dangerous by reason of its situation, want of repair or other such circumstances.

(2) Where it appears to the [Municipality][1] that immediate action is necessary for the purpose of preventing imminent danger to any person or property, it shall be the duty of the [Municipality][1] itself to take such immediate

action, and in such case notwithstanding the provisions of section 287, it shall not be necessary for the [Municipality][1] to give notice, if it appears to the [Municipality][1] that the object of taking such immediate action would be defeated by the delay incurred in giving notice.

Power to prevent unoccupied buildings or land becoming a nuisance

264. The [Municipality][1] may, by notice, require the owner of a building or land which by reason of abandonment or disputed ownership or other cause, is unoccupied and has become a resort of idle and disorderly persons or otherwise occasions, or is likely to occasion, a public nuisance, to secure and enclose the same within a reasonable time fixed in the notice.

Obstruction of street

265. (1) Whoever without the written permission of the [Municipality][1], -

(a) causes or allows any vehicle, with or without an animal harnessed thereto, remain or stand so as to cause obstruction in any street longer than may be necessary for loading or unloading or for taking up or setting down passengers; or

(b) leaves or fastens any vehicle or animal so as to cause obstruction in any street; or

(c) exposes any article for sale, whether upon a stall or booth or in any other manner, so as to cause obstruction in any street; or

(d) deposits or suffers to be deposited, any building materials, box, bale, package, or merchandise in any street; and

---

1. Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
2. Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

(e) erects or sets up any fence, rail, post, stall or any scaffolding or any other such fixture in any street; or

(f) in any manner willfully obstructs or causes obstruction of the free passage of any street ;

shall be liable upon conviction to a fine which may extend to [five hundred rupees and in the case of a continuing breach to a further fine which may extend to ten rupees for every days after the day of first conviction during which the offender is proved to have persisted in the commission of the offence

(2) The [Municipality] shall have power to remove any obstruction referred to in sub-section (1), and the expense of such removal shall be recoverable from the offender in the manner provided by chapter VI.

(3) The power exercisable by a [Municipality][1] under sub-section (2) to remove obstruction from streets shall also be exercisable for the removal by the [Municipality][1] of obstructions from any open space, whether vested in the [Municipality][1] or not which is not private property.

(4) Nothing contained in this section shall apply to any obstruction of a street permitted by the [Municipality] under any section of this Act or any rule or bye- law made or licence granted there under.

Digging up of public land.

266. Whoever, without the written permission of the [Municipality][1] digs up or removes earth, sand or other material from any open space, whether vested in the [Municipality][1] or not, which is not private property, shall be liable upon conviction to a fine not exceeding five hundred rupees, and, if the offence is a continuing offence, to a further fine not exceeding ten rupees for every day during which the offence continues after the date of the first conviction for such offence.

Sanitation and prevention of disease

Private drains, cesspools, dustbins, latrines, etc.

267. (1) A [Municipality][1] may require by notice the owner or occupier of any land or building,-

(a) to close, remove, alter, repair, cleanse, disinfect or put in good order any latrine, urinal, water-closet, drain, cesspool, dustbin or other receptacle for filth, sullage-water, rubbish or refuse pertaining to such land or building, or to remove or alter any door or trap-door of any such latrine, urinal or water-closet which opens on to a street or drain; or

(b) to provide such latrines, urinals, water-closets, drains, cesspools, dustbins or other receptacles for filth, sullage-water, rubbish or refuse as should in its opinion be provided for the building or land whether in addition or not to any existing ones; or

(c) to cause any latrine, urinal or water-closet provided, for the building or land to be shut-off by a sufficient roof and wall or fence from the view of persons passing by or dwelling in the neighborhood.

---

1. Subs. by section 72 of chapter III of U.P. Act No. 12 of 1994.
2. Subs. by section 32 of chapter III of U.P. Act No. 26 of 1995.

(2) When requiring under sub-section (1) anything to be provided, altered or done, the [Municipality][1] may specify in the notice the description of the thing to be provided, the pattern so as to conform with which the thing is to be altered, and the manner in which thing is to be done.

Latrines for factories, schools and places of public resort.

268. The [Municipality][1] may require by notice any person employing more than twenty workmen or labourers or owning, managing or having control of a market, school or theatre or other place of public resort to provide such latrines and urinals as it may deem fit, and to cause the same to be kept in proper order and to be daily cleansed :

Provided that nothing in this section shall apply to a factory regulated by the Indian Factories Act, 1911.

Power to require removal of nuisance arising from tanks, etc.

269. (1) The [Municipality][1] may by notice, require the owner or occupier of any land or building cleanse, repair, cover, fill up or drain off a private well, tank reservoir, pool, depression or excavation therein which may appear to the [Municipality][1] to be injurious to health or offensive to the neighborhood.

(2) Provided that the owner or occupier may require the [Municipality][1] to acquire at its expense, or otherwise, provide any land or right in land necessary

for the purpose of effecting drainage ordered under sub-section (1).

Inspection of drains, privies, etc.

270. (1) Subject to the provisions of section 278, the [Municipality][1] may inspect a drain, privy, water-closet, latrine, urinal, cesspool or other receptacle for filth, and for that purpose may cause the ground to be opened where it thinks fit.

(2) The expense of such inspection and of causing the ground to be closed and made good as before shall be borne by the [Municipality][1], unless the drain, privy, water –closet, latrine, urinal, cesspool or other receptacle for filth is found to be in bad order or condition, or was constructed in contravention of the any provisions of, or made under, this or any other enactment, in which case such expenses shall be paid by the owner or occupier and shall be recoverable in the manner, provided by Chapter VI.

Cleansing of filthy buildings or land.

271. Should any building or land be in a filthy or unwholesome state, the [Municipality][1] may, by notice, require the owner or occupier thereof to cleanse, or otherwise, put in a proper state the building or land, and thereafter to keep the same in a clean and proper state .

Failure to remove offensive matter

272. Whenever on any building or land.-

(a) any dirt, dung, bones ashes, night-soil or filth or any noxious or offensive matter is kept for more than twenty-four hours, or otherwise than in some proper receptacle. or

(b) any receptacle for such things is suffered to be in a filthy or noxious state or is not subjected to any proper method of cleaning or purifying.

---

1. Subs. by section 72 of chapter III of U.P. Act No. 12 of 1994.
2. Subs. by section 32 of chapter III of U.P. Act No. 26 of 1995.

the owner or occupier of the building of land shall be liable on conviction to a fine which may extend to fifty rupees, and in the case of a continuing breach, to a further fine which may extend to five rupees for every day after the date of the first conviction during which the offender has been proved to have persisted in the commission of the offence.

Regulation of the disposal of rubbish, night-soil, etc.

273. (1) The [Municipality][1] may,-

(a) provide receptacles and places for the temporary deposit of offensive matter and rubbish;

(b) appoint places for the disposal of night-soil, carcasses and other offensive matters and rubbish; and

(c) by public notice issue directions as to the time, manner and conditions at, in and subject to which any offensive matter or rubbish referred to in clauses (a) and (b) may be removed along a street, deposited or otherwise disposed of.

(2) It shall be sufficient notice of the appointment of a place under clause (b) of sub-section (1) that a notice board indicating such appointment is displayed on or near the place appointed.

(3) Before appointing a place outside [the limits of the municipal area][2]

under clause (b) of sub-section (1) the [Municipality][1] shall obtain the previous sanction of the District Magistrate.

Penalty for improper disposal of rubbish, night-soil, etc.

274. The occupier of any building or land from which any offensive matter, rubbish, night soil or carcass is thrown or deposited on any part of a public place or street, or into any public sewer or drain or into any part of a public place or street, or into any public sewer or drain or into any drain communicating with a public sewer or drain, otherwise than in a place appointed under clause (b) or in a receptacle provided under clause (a) of sub-section (1) of section 273, and any person contravening any direction of a [Municipality][1] issued under clause (c) of the said sub-section shall be liable upon conviction, to a fine not exceeding two hundred and fifty rupees.

Disposal of dead bodies of animals

275. (1) Whenever an animal in the charge of a person dies, otherwise than by being slaughtered either for sale or consumption or for some religious purposes, the person-in charge thereof shall, within twenty-four hours, either,-

(a) convey the carcass to a place (if any) fixed by the [Municipality][1] under section 273 for the disposal of the dead bodies of animals or to a place beyond [the limits of the municipal area][2] not being within one mile of those limits. or

(b) give notice of the death to the [Municipality][1] whereupon the [Municipality][1] shall cause the carcass to be disposed of

(2) Every person bound to act in accordance with sub-section (1) shall if he fails so to act, be liable upon conviction to a fine which may extend to ten rupees.

1- Subs. by section 72 of chapter III of U.P. Act No. 12 of 1994.
2- Subs. by section 150 ibid.
3- Subs. by section 32 of chapter III of U.P. Act No. 26 of 1995.

(3) For the disposal of the dead body of an animal under clause (b) of sub-section (1) the [Municipality][2] may charge such fee as the [Municipality][2] has prescribed, and may recover the same, if not paid in advance, from the owner or keeper of the animal in the manner provided by Chapter VI.

Penalty for discharging sewage on public street, etc.

276. Whenever the water of a sink, sewer or cesspool or any other offensive matter is allowed to flow drain or be put upon a public street or place, or into a sewer to drain not set apart for the purpose,without the permission in writing of the [Municipality][2] or in contravention of any condition prescribed in such permission the owner or occupier of the land or building from which such water or offensive matter so flows, drains or is put shall be liable upon conviction to a fine which may extend to [two hundred and fifty][1] rupees.

Power to enter and disinfect buildings.

277. Subject to the provisions of Section 287, the [Municipality][2] may enter and inspect a building, and may by notice direct all or any part thereof to be internally or externally lime washed, disinfect or otherwise cleansed for sanitary reasons :

Provided that nothing in this section shall apply to a factory regulated by the Indian Factories Act, 1911.

Building unfit for human habitation.

278. (1) Should a building, or a room in an building, be in the opinion of the [Municipality][2], unfit for human habitation in consequence of the want of proper means of drainage or ventilation or otherwise, the [Municipality][2] may by notice prohibit the owner or occupier thereof from using the building or room for human habitation or suffering it to be so used either absolutely or unless within a time to be specified in the notice, he effects such alteration therein as is prescribed in the notice.

(2) Upon failure of a person to whom notice is issued under sub-section (1) to comply therewith, it shall be lawful for the [Municipality][2] to require by further notice the demolition of the building or room.

Penalty for failure to give information of cholera, small-pox etc.

279. Whoever –

(a) being a medical practitioner and in the course of such practice becoming cognizant of the existence of cholera, plague, small-pox or other infectious disease that may be notified in this behalf by the State Government in any dwelling other than a public hospital in the [municipality area][3], or

(b) in default of such medical practitioner, being the owner or occupier of such dwelling, and being cognizant of the existence of any such infectious disease therein, or

1- Subs. by U.P. Act No. 12 of 1964.
2- Subs. by section 72 of chapter III of U.P. Act No. 12 of 1994.
3- Subs. by section 150 ibid.
4- Subs. by section 32 of chapter III of U.P. Act No. 26 of 1995.

(c) in default of such owner or occupier being the person-in-charge of, or in attendance on, a person suffering from any such infectious disease in such dwelling, and being cognizant of the existence of the disease therein,

fails to give [within twenty-four hours of becoming so-cognizant][1] or gives false information to such officer as the [Municipality][2] may appoint in this behalf respecting the existence of such disease shall liable upon conviction to a fine which may extend to fifty rupees :

Provided that a person not required to give information in the first instance, but only in default of some other person, shall not be punishable if it is shown that he had reasonable cause to suppose that the information had been, or would be, duly given.

Power to examine persons suspected to be suffering from infectious diseases.-

279.A When there is any reason to believe that a case of infectious disease modifiable under section 279, has occurred in a building the Medical Officer of Health or other competent person deputed by him shall, subject to the provisions of Section 287, enter the said building and make an examination of the person or persons suspected to be suffering from the disease and may also obtain material

for pathological examination, if necessary :

Provided that all females above the age of eight years shall be inspected by persons of their own sex only.][1]

Removal to hospital of patients

280. When a person suffering or certified by a duly qualified medical practitioner to be suffering from cholera, plague, small-pox or any other infectious disease that may be notified in this behalf by the State Government is,-

(a) without proper lodging or accommodation, or

(b) living in sarai or other public hostel, or

(c) living in a room or house which he neither owns nor is otherwise entitled to occupy, or

(d) lodged in a room or set of apartments occupied by more than one family and any of the occupiers object to his continuing to lodge therein,

The [Municipality][2] may, on the advice of a medical officer of a rank not inferior to that of an assistant surgeon, remove the patient to a hospital or place at which person suffering from such disease are received for medical treatment and may do anything necessary for such removal.

Penalty for acts done by persons suffering from certain disorders

281. Whoever while suffering from an infectious, contagious, or loathsome disorder-

(a) makes or offers for sale an article of food or drink, for human consumption or a medicine or drug, or

---

1- Subs. by U.P. Act No. 12 of 1964.
2- Subs. by section 72 of chapter III of U.P. Act No. 12 of 1994.
3- Subs. by section 151 ibid.
4- Subs. by section 32 of chapter III of U.P. Act No. 26 of 1995.

(b) willfully touches any such article, medicine or drug when exposed for sale by others, or

(c) takes any part in the business of washing or carrying soiled clothes,

shall be liable upon conviction to a fine which may extend to [fifty] rupees.

Prohibition of cultivation, use of manure or irrigation injurious to health

282. (1) If the Director of Medical and Health Services or the Civil Surgeon or Health Officer certifies that the cultivation of any description of crops or the use of any kind of manure or the irrigation of land in any specified manner,-

(a) in a place within the limits of a [municipal area][2] is injurious or facilitates practices which are injurious to the health of persons dwelling in the neighborhood, or

(b) in a place within or beyond the limits of [municipal area][2] is likely to contaminate the water supply of such [municipal area][2] or otherwise render it unfit for drinking purposes,

the [Municipal area][2] may by public notice prohibit the

cultivation of such crop, the use of such manure or the use of the method or irrigation so reported to be injurious or impose such conditions with respect there to as may prevent injury or contamination.

(2) Provided that when, on any land in respect of which such notice is issued, the act prohibited has been practiced in the ordinary course of husbandry for five successive years next preceding the date of prohibition compensation shall be paid from the municipal fund to all persons interested therein for damage caused to them by such prohibition.

Power to require owners to clear away noxious vegetation

283. The [Municipality][3] may, by notice require the owner or occupier of any land to clear away and remove any vegetation or undergrowth which may be injurious to health or offensive to the neighborhood.

Power to require excavations to be filled up or drained

284. (1) In a [municipal area][3] for which bye-laws have been made under sub-head (g) of Heading 1 of Section 298, the [Municipality][1] may, by notice require the owner or occupier of any land upon which an excavation, cesspool, tank or pit has been made in contravention of such bye-laws, or in breach of the conditions under which permission to dig any such excavation, cesspool, tank or pit has been granted to fill up or drain the excavation, cesspool, tank or pit within a period to be specified in such notice.

(2) The State Government may by notification extend the provision of this section and bye-laws made for the purposes of this section to an area beyond the [municipal area][2] lying within a distance of a mile from the [boundary of the municipal area.][4]

1- Subs. by section 72 of chapter III of U.P. Act No. 12 of 1994.
2- Subs. by section 151 ibid.
3- Subs. by section 152 (a) ibid.
4- Subs. by section 152 (b) ibid.
5- Subs. by section 32 of chapter III of U.P. Act No. 26 of 1995.

Power in respect of burial and burning ground.

285. (1) The [Municipality][1] may, by public notice, order a burial or burning ground which is certified by the Civil Surgeon or the Health Officer to be dangerous, or likely to be dangerous, to the health of person living in the neighborhood, to be closed from a date to be specified in the notice, and shall, in such case, if no suitable place for burial place exist within a reasonable distance, provide a fitting place for the purposes.

(2) Private burial places in such burial grounds may be excepted from the notice, subject to such conditions as the [Municipality][1] may impose in this behalf:

Provided that the limits of such burial places are sufficiently defined and that they shall only be used for the burial or members of the family of the owners there of.

(3) No burial or burning ground whether public or private, shall be made or formed without the permission in writing of the [Municipality][1].

(4) No person shall, except with the permission of the [Municipality][1] in writing, burn, or cause to be buried or burnt, a corpse in a place other than a

recognized burial or burning ground.

(5) Should a person bury or burn or cause or permit to be buried or burnt a corpse, contrary to the provisions of this section, he shall be liable upon conviction to a fine which may extend to five hundred rupees.

Bathing and washing places

286. The [Municipality][1] may set apart suitable places for the purpose of bathing, and may specify the times at which and the sex of the persons by whom such places may be used and may also set apart suitable places for washing animals or clothes or other things, and may by public notice prohibit bathing or the washing of animals of clothes or other things in a public place not so set apart, or at times or by persons other than those specified, and may in like manner prohibit an act by which water in public places or rivers may be rendered foul or unfit for use or which causes or is likely to cause inconvenience or annoyance to persons lawfully using such places.

Inspection, entry, search etc.

Ordinary inspection

287. (1) The President, the Executive officer and, if authorized in this behalf by resolution, any other member, officer or servant of the [Municipality][1], may enter into or upon a building or land, with or without assistants or workmen, in order to make an inspection or survey or to execute a work which a [Municipality][1] is authorized by this Act, or by rules or bye-laws, to make or execute or which it is necessary for a [Municipality][1], for any of the purposes or in pursuance of any of the provisions of this Act or of rules or bye-laws, to make or execute :

(2) Provided that-

(a) except when it is in this Act or in rules or bye-laws otherwise expressly provided, no entry shall be made between sunset and sunrise; and

---

1- Subs. by section 72 of chapter III of U.P. Act No. 12 of 1994.
2- Subs. by section 32 of chapter III of U.P. Act No. 26 of 1995.

(b) except when it is in this Act or in rules or bye-laws or otherwise expressly provided, no building which is used as a human dwelling shall be so entered, except with the consent of the occupier thereof, without giving the said occupier not less than four hours previous written notice of the intention to make such entry; and

(c) sufficient notice shall in every instance be given even when any premises may otherwise be entered without notice to enable the inmates of an apartment appropriated for females to remove to some part of the premises where their privacy need not be disturbed; and

(d) due regard shall always be had to the social and religious usages of the occupants of the premises entered.

Preventive inspection

288. Where there is reason to believe that in any building or on any land, a work has been executed in connection with any municipal water-works, drainage works or other municipal undertaking in contravention of the provisions of this Act or of rules or bye-laws [the President][1] or, if so directed by [the President][1], the executive officer or the Medical Officer of Health may at any time and

without notice inspect such building or land.

Power for effecting entry

289. It shall be lawful for a person authorized under the provisions of Section 287 or 288 to make an entry for the purpose of inspection or of search, to open to cause to be opened a door, gate or other barrier,-

(a) If he considers the opening thereof necessary for the purpose of such entry, inspection or search, and

(b) if the owner or occupier is absent, or being present refuses to open such door, gate or barrier.

Power of [Municipality][2] to require certain works to be executed by its own agency

290. (1) The [Municipality][2] may by bye-law require any water–works, or work of the nature to which Section 192, 267 and 268, refer, to be executed by municipal or other agency under its own orders.

(2) The expenses of any work so executed shall be paid by the person by whom the work would otherwise have been executed unless the [Municipality][2] shall, by a general or special order or resolution sanction as it is hereby empowered to sanction, the execution of such work at the charge of the municipal fund.

(3) Any pipes, fittings, receptacles or other, appliances for or connected with any water- works or with the drainage of private building or lands shall if supplied, constructed or erected at the expense of the [Municipality][2], be deemed to be municipal property, unless the [Municipality][2] shall have transferred its interest therein to the owner of such building or land.

1- Subs. by U.P. Act No. 7 of 1949.
2- Subs. by section 72 of chapter III of U.P. Act No. 12 of 1994.
3- Subs. by section 32 of chapter III of U.P. Act No. 26 of 1995.

Rent and Charges

Recovery of rent on land.

291. (1) Where any sum is due on account of rent from a person to a [Municipality][2], in respect of land vested in, or entrusted to the management of the [Municipality][2], the [Municipality][2] may apply to the Collector to recover any arrear of such rent as if were an arrear of land revenue.

(2) The Collector on being satisfied that the sum is due shall proceed to recover it as an arrear of land revenue.

Recovery of rent of other immovable property.

292. Any arrear due on account of rent from a person to the [Municipality][2] in respect of immovable property other than land vested in or entrusted to the management of the [Municipality][2],shall be recovered in the manner prescribed by Chapter VI.

Fees for use, otherwise than under a lease of municipal

293. (1) The [Municipality][2] may charge fees to be fixed by bye-laws or by public auction or by agreement, for the use or occupation (otherwise than under a lease) of any immovable property vested in or entrusted to the management of the [Municipality][2] including any public street or place of which it allows the use

property. or occupation whether by allowing a projection thereon or otherwise.

(2) Such fees may either be levied along with the fee charged under Section 294, for the sanction, license or projection or may be recovered in the manner provided by Chapter VI.

[Power to impose fees. **293-A** A [Municipality][2] may with the pervious sanction of the State Government impose and levy fee for use of any place to which the public is allowed access and at which the [Municipality][2] may provide sanitary and other facilities to the public.][1]

Licence fees etc. **294.** The [Municipality][2] may charge a fee to be fixed by bye-law for any licence, sanctioned or permission which it is entitled to required to grant by or under this Act.

Obstruction to persons employed by [Municipality][2]

Penalty for obstructing person employed by [Municipality][2] **295.** Whoever obstructs or molests a person employed by or under contract with the [Municipality][2] under this Act in the performance of his duty or in the fulfillment of his contract or removes a mark set up for the purpose of indicating any levels or direction necessary to the execution of works authorized by this Act, shall be liable on conviction to a fine which may extend to [one thousand rupees or to imprisonment for a period which may extend to six months or to both.][1]

1- Subs. by U.P. Act No. 27 of 1964.
2- Subs. by section 72 of chapter III of U.P. Act No. 12 of 1994.
3- Subs. by section 32 of chapter III of U.P. Act No. 26 of 1995.

CHAPTER- IX

RULES, REGULATONS AND BYE-LAWS

Obligation and power of State Government to make rules. **296.** (1) The State Government may make rules consistent with this Act in respect to the matters described in Section 95, 127, 153, and 235.

(2) The State Government may make rules consistent with this Act,-

(a) providing for any matter for which power to make provision is conferred, expressly or by implication on the State Government by this or any other enactment in force at the commencement of this Act.

(b) generally for the guidance of a [Municipality][1] or any Government officer in any matter connected with the carrying out of the provisions of this or any other enactment relating to municipalities

(c) for the appointment of an *ad hoc* committee to advice the [Municipal area][2] the preparation of master plan for the [municipal area][2] and its execution, and

(d) providing for the layout of public streets, residential and non

residential areas.

Power to make regulations as to procedure, etc.

297. (1) A [Municipality] may by special resolution make regulations consistent with this Act, or with any rule under Section 296,or regulation under sub-section (2) made by the [State Government], as to all or and of the following matters, -

(a) the time and place of the meeting of a [Municipality][1];

(b) the manner of convening meetings, and of giving notice thereof;

(c) the conduct of proceedings [including the asking of questions by the members] at meeting, and the adjournment of mettings ;

(d) the establishment of committees, other than merely advisory committees for any purpose and the determination of all matters relating to the constitution and procedure of such committees ;

(e) the avoidance of any entry shown in the third column of schedule II;

(f) with reference to sub-section (2) of Section 77, the augmentation of any maximum or minimum monthly salary specified in Section 74, 75 or 76 with reference to powers over the staff ;

(g) the delegation of powers, duties or functions to-

(i) the [President] of the [Municipality],

(ii) a committee constituted under clause (d)

(iii) a Chairman of such committee,

(iv) the executive officer, or

1- Subs. by section 72 of chapter III of U.P. Act No. 12 of 1994.
2- Subs. by section 153 ibid.
3- Subs. by section 32 of chapter III of U.P. Act No. 26 of 1995.

(v) any other servant of a [Municipality][1]:

(vi) any person in the service of the Government, who is employed as civil surgeon, medical officer of health, deputy inspector of schools or sub-deputy inspector of schools;

(h) the absentee or other allowances of the servants employed by [municipality][1];

(i) the amount and nature of the security to be furnished by a servant of a [Municipality][1] from whom it is deemed expedient to require security;

(j) the grant of leave to servants of a [Municipality][1] and the remuneration to be paid to the persons, if any, appointed to act for them whilst on leave;

(k) the condition of service including period of service of all servants of a [Municipality][1] and the conditions under which such servants, or any of then, shall, receive gratuities or compassionate allowances on retirement or on their becoming disabled through the execution of their duty, and the amount of such gratuities or compassionate allowances; and the conditions

under which any gratuities or compassionate allowances may be paid to the surviving relatives of any such servants whose death has been caused through the execution of their duty;

(l) the payment of contributions, at such rates and subject to such conditions as may be prescribed in such regulations, to a pension or provident fund established by the [Municipality][1] or with approval of the [Municipality][1] by the said servants;

(m) the conditions subject to which sums due to a [Municipality][1] maybe written off as irrecoverable, and the conditions subject to which the whole or any part of fee chargeable for distress may be remitted;

(n) all matters similar to those set forth in clauses (e) to (m) and not otherwise provided for in this sub-section; and

(o) all matters similar to those set forth in clauses (a) to (d) and not otherwise provided for in this sub-section.

(2) Provided that the State Government may if it thinks fit, make regulations consistent with this Act in respect of any of the matters specified in clauses (d) and (h) to (n) of sub-section (1), and any regulations so made shall have the effect of rescinding any regulation made by the [Municipality][1] under the said sub-section in respect of the same matter or inconsistent therewith.

Power of [Municipality][1] to make bye laws

298. (1) A [Municipality][1] by a special resolution may, and where required by the State Government shall make, bye-laws applicable to the whole or any part of the [municipal area][2] consistent with this Act and with any rule, for the purpose of promoting or maintaining the health, safety and convenience of the inhabitants of the [municipal area][2] and for the furtherance of municipal administration under this Act.

1- Subs. by section 72 of chapter III of U.P. Act No. 12 of 1994.
2- Subs. by section 154 (a) ibid.
3- Subs. by section 32 of chapter III of U.P. Act No. 26 of 1995.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the power conferred by sub-section (1) the [Municipality][2] wherever situated may in the exercise of the said power, make any bye-law described in List I below and the [Municipality][2], wholly or in part, situated in a hilly tract may further make, in the exercise of the said power, any bye-law described in List II below :

LIST I

BYE-LAWS FOR ANY [MUNICIPALITY][3]

A- *Building*

(a) Extending, with reference to sub-section (2) of Section 178. the necessity of giving notice to all buildings;

(b) declaring with reference to clause (d) of sub-section (3) of section 178, an alteration of any specific description to be a material alteration,

(c) determining the information and plans to be furnished to the

[Municipality][3] under section 179;

(d) prescribing that, on payment of fees in accordance with such scale as specified in this behalf plans and specifications shall be obtainable from the [Municipality][3] or from an agency prescribed by the [Municipality];[3]

(e) fixing, with reference to Section 181, the period for which a sanction shall remain in force;

(f) prescribing the type or description of buildings which may or may not and the purposes foe which a building may or may not be erected in any prescribed area or areas;

(g) prescribing the circumstances in which a mosque, temple, church or other sacred building may or may not be erected, re-erected or altered;

(h) prescribing with reference to the erection, re- erection or alteration of buildings or of any class of buildings or any of the following matters :

(i) the materials and method of construction to be used for external and party walls, roofs and floors;

(ii) the position and the materials and method of construction of fire-place, chimneys, drains, latrines, privies, urinals and cesspools;

(iii) the height and slope of the roof above the upper most floor upon which human beings are to live or cooking operations are to be carried on;

(iv) the ventilation and the space to be left about the building to secure free circulation of air and to facilitate scavenging and for prevention of fire;

1- Subs. by section 32 of chapter III of U.P. Act No. 26 of 1995.
2- Subs. by section 49 (a) ibid.
3- Subs. by section 49 (b)(i) ibid.

(v) the level and width of foundation, level of lowest floor and stability of structure;

(vi) the number and height of the storeys of which the building may consist ;

(vii) the means to be provided for egress from the building in case of fire;

(viii) any other matter affecting the ventilation or sanitation of the building;

(ix) the conditions subject to which sanction for the construction or alteration of a well may be refused or granted, with a view to prevent pollution of the water or danger to any person using the well ;

(i) regulating, in any manner not specifically provided for in this Act, the erection of any enclosure, wall, fence, tent, awning or other structure, of whatsoever kind or nature, on any land within the limits of the

[municipality][2]

B- *Drains, privies, cesspools, etc.*

(a) regulating in any manner not specifically provided for in this Act the construction, alteration, maintenance, preservation, cleansing and repair of drains, ventilation shafts and pipes, water–closets, privies, latrines, cesspools and other drainage works;

(b) regulating or prohibiting the discharge into drains or deposit therein of sewage, sullage, polluted water and other offensive or obstructive matter ;

(c) prescribing the size and nature of the works which owners or occupiers may be required to construct under Sections 192, 267, and 268, and the agency which shall or may be employed for executing such works.

C- *Extinction of fire*

(a) prescribing the officer to whom and the place at which the outbreak of a fire shall be reported; and

(b) generally making provision for the procedure and precautions to be adopted by the public on the occasion of a fire and for any other thing relating to fires in respect of which provision is necessary.

D- *Scavenging*

(a) prescribing the times and places at which receptacles of filth, rubbish or other offensive matter shall be in readiness for the removal of the contents by the municipal scavenging agency.

1- Subs. by section 32 of chapter III of U.P. Act No. 26 of 1995.
2- Subs. by section 49 (b)(i) ibid.

[(aa) regulating the work of house-scavenging by customary sweepers and providing for grant of licences to them and the conditions of any such licence and

(b) making provision for any other matter relating to house scavenging.

E- *Streets*

(a) determining the information and plans to be furnished to the Municipality under Section 203 ;

(b) permitting, prohibiting or regulating the use or occupation of any or all public streets or places by itinerant vendors, or by any person for the sale of articles, or for the exercise of any calling or for the setting up of any booth or stall, and providing for the levy of fees for such use or occupation ;

(c) regulating the conditions on which permission may be given under Section 209 for projections over streets and drains and under Section 265 for the temporary occupation of streets.

F- *Markets, slaughter- houses, sale of food etc.*

(a) prohibiting, subject to the provision of Section 241, the use of any place as a slaughter- house, or as a market or shop for the sale of animals intended for human food or meat or fish or as a market for the sale of fruit or vegetables, in default of a license granted by the Municipality or otherwise than in accordance with the conditions of a licence so granted ;

(b) prescribing the conditions subject to which and the circumstances in which, and the areas or localities in respect of which, licences for such use may be granted refused, suspended or withdrawn;

(c) providing for the inspection of, and regulation of conduct of business in a place used as aforesaid so as to secure cleanliness therein or minimize any injuries, offensive or dangerous effect arising or likely to arise therefrom ;

(d) providing for the establishment, and except so far as provision may be made by bye-laws under sub-head (c) for the regulation and inspection of markets and slaughter–houses, of livery stables, of encamping grounds, of *sarais*, of flour-mills, of bakeries, of places for the manufacture, preparation or sale of specified articles of food or drink or for keeping or exhibiting animals for sale or hire or animals of which the produce is sold, and of places of public entertainment, or resort, and for the proper and cleanly conduct of business therein ;

[(dd) prescribing the conditions subject to which, and the circumstances in which and the areas or locality in respect of which licences for the purposes of sub-head (d) may be granted, refused suspended or withdrawn and fixing the fees payable foe such licenses and prohibiting the establishment of business places mentioned in sub-head (d) in default of licence granted by the Municipality or otherwise than in accordance with the conditions of a licence so granted,][1]

1- Subs. by U.P. Act No. 7 of 1949.
2- Subs. by section 32 of chapter III of U.P. Act No. 26 of 1995.

(e) in a [municipal area][3] where a reasonable number of slaughter houses has been provided or licensed by the [Municipality][3] controlling and regulating the admission within [limits of the municipal area][1] for purposes of sale of the flesh (other than cured or preserved meat) and any cattle, sheep, goats or swine slaughtered at a slaughter- house or place not maintained or licensed under this Act.

G- *Offensive Trades*

(a) except where and so far as is inconsistent with anything contained in the Indian petroleum Act, 1899 (Act No VIII of 1899) or in rules made thereunder, prohibiting the use of any place in default of a licence granted by the [Municipality][3] or otherwise than in accordance with the conditions of a licence so granted, as a factory or other places, of business-

(i) for boiling or storing offal, blood, bones, guts or rags,

(ii) for storing hides horns or skins,

(iii) for tanning,

(iv) for the manufacture of leather or leather goods,

(v) for dyeing,

(vi) for melting tallow or sulphur,

(vii) for burning or baking bricks, tiles, pottery or lime,

(viii) for soap making,

(ix) for oil boiling,

(x) for storing hay, straw, thatching grass, wood, coal or other dangerously inflammable material,

(xi) for storing petroleum or any inflammable oil or spirit,

(xii) for storing and pressing cotton and cotton refuse,

(xiii) for any other purpose if such use is likely to cause a public nuisance or involve risk of fire;

(b) prescribing (but not so to derogate from any power conferred on a [Municipality][2] by section 245) the circumstances in which and the areas or localities in respect or which licences may be granted, refused, suspended or withdrawn; and

(c) providing for the inspection and regulation of the conduct of business in a place used aforesaid, so as to secure cleanliness therein or to minimize any injuries, offensive or dangerous effect arising or likely to arise therefrom.

1- Subs. by section 154 (c) of chapter III of U.P. Act No. 12 of 1994.
2- Subs. by section 32 of chapter III of U.P. Act No. 26 of 1995.
3- Subs. by section 49 (b) (i) ibid.

H- *Public safety and convenience*

(a) prescribing for the standard weights and measures to be used within the [municipality][3], and providing for the inspection of the same,

(b) providing for the regulation or prohibition of any description of traffic in the streets where such regulation or prohibition appears to the [Municipality][3] to be necessary;

(c) imposing the obligation of taking out licences on the proprietors or drivers of vehicles (other than motor vehicles) boats or animals kept or plying for hire, or on person hiring themselves out for the purpose of carrying loads within the limits of the [municipality][3], and fixing the fees payable for such licenses and the conditions on which they are to be granted and may be revoked;

(d) limiting the rates which may be demanded for the hire of a

carriage, cart, boat or other conveyance, or of animals hired to carry loads, or for the services of persons hired to carry loads, and the loads to be carried by such conveyances, animals or persons when hired within the [municipality][3] for a period not exceeding twenty-four hours or for a service which would ordinarily be performed within twenty-four hours;

(e) prohibiting, in any specified street or area, the residing of public prostitutes and the keeping of a brothel or the letting or other disposal of a horse or building to public prostitutes or for a brothel ;

(f) for the regulation of the posting of bills and advertisements;

(g) fixing and regulating the use of place at which boats may be moored, loaded and unloaded, and prohibiting the mooring, loading and unloading of boats except at such places as may be prescribed by the [Municipality][3];

(h) providing for the seizure and confiscation of ownerless animals straying within the limits of the [municipality][3];

(i) providing for the registration of [animas][1];

(j) providing for the imposition of an annul fee for such registration;

(k) requiring that every registered [animals][1] shall wear a collar to which shall be attached a token to be issued by the [Municipality][3];

(l) providing that [an animal][1], unless registered and wearing such token, may if found in any public place, be destroyed or otherwise disposed of ;

1- Subs. by U.P. Act No. 27 of 1964.
2- Subs. by section 32 of chapter III of U.P. Act No. 26 of 1995.
3- Subs. by section 49 (b) (i) ibid.

(m) prohibiting or regulating, with a view to promoting the public safety or convenience, any act which occasions or is likely to occasion a public nuisance and for the prohibition or regulation of which no provision is made under this heading.

(n) providing for the confinement, removal or destruction of animals,

[(o) regulating the keeping and the tethering of cattle.][1]

I- *Sanitation and Prevention of Disease*

(a) regulating or prohibiting for the purpose of preventing danger to the public health the stalling or herding of horses, camels, cattle, swine, donkeys, sheep or goats;

(b) prescribing and regulating the construction, dimensions, ventilation, lighting, cleansing, drainage, and water supply of dairies and cattle-sheds in the occupation of persons following the trade of dairymen

or milk-sellers and providing for the inspection of milk-cattle and securing the cleanliness of milk stores, milk shops and vessels used by milk-sellers or butter men for milk or butter;

(c) controlling and regulating the use and management of burial and burning grounds and fixing the fees to be charged where such grounds have been provided by the [Municipality][3] and prescribing or prohibiting routes for the removal of corpses or burial or burning-grounds;

(d) regulating sanitation and conservancy;

(e) declaring that no place, unless specially exempted, shall be used as a lodging–house, unless it has been duly licensed as such by the [Municipality][3] and prescribing the conditions subject to which such licenses may be granted refused suspended or withdrawn and fixing the fees payable for such licenses ;

(f) providing in default of a bye-law made under the preceding sub-head, for the registration and inspection of lodging houses, the prevention of overcrowding, the promotion of cleanliness and ventilation, and prescribing the notices to be given and the precautions to be taken in the case of any infectious or contagious disease breaking out therein, and generally for the proper regulation of lodging houses;

(g) prohibiting the digging of excavations, cesspools, tanks or pits within specified areas except with the permission of the [Municipality][3] and specifying the conditions subject to which such permission may be given;

(h) prohibiting or regulating with a view to sanitation or the prevention of disease, any act which occasions, or which is likely to occasion a public nuisance and for the prohibition or regulation of which no provision is made under this heading

---

1- Subs. by U.P. Act No. 27 of 1964.
2- Subs. by section 32 of chapter III of U.P. Act No. 26 of 1995.
3- Subs. by section 49 (b) (i) ibid.

J- *Miscellaneous*

(a) prohibiting or regulating any act which occasions or is likely to occasion, a public nuisance for the prohibition or regulation of which no provision is made under this Act;

(b) providing for the registration of births deaths and marriages and the taking of a census within the [municipality][3] and for compulsory supply of such information as may be necessary to make such registration or census effective;

(c) for the protection from injury or interference of anything within the [municipality][3] being the property of Government or of the [Municipality][3] or being under the control of the [Municipality][3];

(d) fixing any charges or fees or any scale of charges or fees to be paid for house scavenging or the cleansing of latrines and privies under

Section 196 (c) or for any other municipal service or under taking or to be paid under Section 293 (1) or Section 294 of the Act and prescribing the times at which such charges or fees shall be payable and designating the person authorized to receive payment thereof;

(e) providing for the holding of fairs and industrial exhibitions within the [municipality][3] and under the control of the [Municipality][3], and fixing the fees to be levied thereat;

(f) requiring and regulating the appointment by owners of buildings and lands in the [municipality][3] or persons residing within or near the [municipality][3] to act as their agents for all or any of the purposes of this Act or of any rule or bye-law;

(g) specifying the records and documents belonging to or in the possession of, the [Municipality][3] of which inspection may be made or copies of given and the charges to be levied for inspection or copies of such records and documents, and regulating inspection and the giving of copies;

(h) providing for the granting of licences for the sale and for the dispensing of medicinal drugs;

(i) providing for the registration and control of midwives and *dais* publicly practicing their profession;

(j) [***][1]

(k) providing for the establishment and maintenance of maternity centers and child-welfare clinics;

(l) providing for the establishment, maintenance and grants- in-aid to institutions of physical culture and supply of milk;

(m) providing for the installation and maintenance of radio receiving stations;

1- Omitted by U.P. Act No. 27 of 1964.
2- Subs. by section 32 of chapter III of U.P. Act No. 26 of 1995.
3- Subs. by section 49 (b) (i) ibid.

(n) providing for the establishment and maintenance of baby-folds and rescue homes for women;

(o) providing for the removal of social disabilities of scheduled casts and backward classes;

(p) taking measures for the control of beggary;

(q) taking measures for the removal of prostitutes from a specified area to another specified area;

[(r) providing the manner of allotment of land to the persons engaged traditionally in the vocation of making earthen pottery.

Explanation-- A person shall be deemed to be engaged traditionally in such vocation if he belongs to such class of persons as may be notified by the State Government.][3]

LIST II

FURTHER BYE –LAWS FOR A HILL[MUNICIPALITY][4]

H- *Public Safety and convenience*

(n) regulating or prohibiting the cutting or destroying of trees or shrubs, or the making of excavations or removal of soil or quarrying; and providing for the alteration, repair and proper maintenance of building and compounds, for the closing of roads and bye-paths for the general protection of the surface land on the hillside where such bye-laws appears to the Municipality to be necessary for the maintenance of a water-supply, the preservation of the soil, the prevention of land slides or of the formation of ravines or torrents the protection of land against erosion, or the deposit thereon of sand, gravel or stones.

(o) prohibiting the lighting of fires in the top storey of a building which by reason of its contiguity to other buildings, might be a source of danger to the latter in the event of a fire breaking out within it, and the walls of which storey do not exceed seven feet in height, or the placing of stands for lamps and candles in any position which the [Municipality][2] may deem to be dangerous to the public safety;

(p) regulating the rule of the road;

(q) rendering licences necessary within the [municipality][2] -

(i) for persons working as job porters for the conveyance of goods;

(ii) for animals, vehicles and other conveyances let out on hire for a day or part thereof; and

(iii) for persons impelling or carrying such vehicles and other conveyances;

1- Subs. by section 32 of chapter III of U.P. Act No. 26 of 1995.
2- Subs. by section 49 (b) (i) ibid.
3- Subs. by section 49 (b) (ii) ibid.
4- Subs. by section 49 (c) ibid.

(r) prescribing the conditions subject to which such licences may be granted, refused, suspended or withdrawn;

(s) regulating the charges to be made for the services of such job porters as aforesaid, and for the hire of such animals, vehicles and other conveyances and for the remuneration of persons who impel or carry such vehicles or conveyances.

I- *Sanitation and Prevention of Disease*

(i) rendering licences necessary for using premises within bazaars as stables or cow-houses or as accommodation for sheep goats and fowls,

(j) preventing overcrowding in houses and inhabited sites, and

J- *Miscellaneous*

(i) providing for the registration, generally or within particular

months, of persons entering or leaving the [municipality][4].

Infringement of rules and bye-laws.

299. (1) In making a rule the State Government, and in making a bye-law the [Municipality][2] with the sanction of the State Government, may direct that a breach of it shall be punishable with fine which may extend to [one thousand][1] rupees and when the breach is a continuing breath, with a further fine which may extend to [twenty five rupees][1] for every day after the date of the first conviction during which the offender is proved to have persisted in the offence.

(2) The [Municipality][2] may with like sanction prescribe a similar penalty for the breach of a rule lawfully made under the United Provinces Municipalities Act, 1873 (Act XV of 1873) and still remaining in force.

Previous publication of rules, etc. made by the State Government

300. (1) The power of the State Government to make rules or regulations under this chapter is subject to the condition of the rules or regulations being made after previous publication and of their not taking effect until they have been published in the Official Gazette.

(2) Any rule or regulation made by the State Government may be general for all municipalities or for all municipalities not expressly excepted from its operation or may be special for the whole or any part of any one or more than one municipality as the State Government directs.

[Regulation and bye-laws to be published.

301. (1) The power of the municipality to make bye-laws under Section 298 shall be subject to the condition of the bye-laws being made after previous publication.

(2) The regulations made under Section 297 and U.P. primary Education Act, 1919 and the bye-laws made under Section 298 shall be published in the *Official Gazette*.

1- Subs. by U.P. Act No. 27 of 1964.
2- Subs. by section 72 of chapter III of U.P. Act No. 12 of 1994.
3- Subs. by section 32 of chapter III of U.P. Act No. 26 of 1995.
4- Subs. by section 49 (b) (i) ibid.

State Government may modify or repeal bye-laws.

301-A (1) If, at any time, it appears to the State Government that any bye-law should be modified or repealed either wholly or in part, it shall cause its reasons for such opinion to be communicated to the municipality and prescribe reasonable period within which the municipality may make any representation with regard thereto which it shall think fit.

(2) After receipt and consideration of any such representation or, if in the meantime no such representation is received, after the expiry of the prescribed period, the State Government may at any time, by notification in the *Official Gazette*, modify, or repeal such bye-law either wholly or in part.

(3) The modification or repeal of a bye–law under sub-section (2) shall take effect from the date of the publication of the notification in the *Official Gazette.]*[3]

CHAPTER X

PROCEDURE

Municipal Notices

Fixation of reasonable time for compliance

302. Where any notice issued under any section of this Act or under any rule or bye-law requires an act to the done for which no time is fixed by such section or rule or bye-law, the notice shall specify a reasonable time for doing the same, and it shall rest with the Court to determine whether the time so specified was a reasonable time within the meaning of this section.

Service of notice

303. (1) Every notice or bill issued or prepared under any section of this Act or under any rule or bye-law shall, unless it is in such section or rule or bye-law otherwise expressly provided, be served or presented-

(a) by giving or tendering the notice or sending it by post to the person to whom it is addressed, or

(b) if such person is not found, then by leaving the notice or bill at his last known place of abode, if within [municipality][1] limits, or by giving or tendering the notice or bill to some adult male member or servant of his family, or by causing the building or land (if any) to which the notice or bill relates.

(2) When a notice under this Act or under a rule or a bye-law is required or permitted by or under this Act, or under a rule or a bye-law to be served upon an owner or occupier of a building or land it shall not be necessary to name the owner or occupier therein and the service thereof, in cases not otherwise specially provided for in this Act, shall be effected either-

(a) by giving or tendering the notice, or sending it by post, to the owners or occupiers or if there be more owners or occupiers than one, any one of them, or

---

1- Subs. by section 72 of chapter III of U.P. Act No. 12 of 1994.
2- Subs. by section 32 of chapter III of U.P. Act No. 26 of 1995.
3- Subs. by section 50 ibid.

(b) if no such owner or occupier is found, then by giving or tendering the notice to an adult male member or servant or his family, or by causing the notice to be fixed on some conspicuous part or the building or land to which the same relates.

(3) Whenever the person on whom a notice or bill is to be served is a minor, service upon his guardian or upon an adult male member or servant of his family shall be deemed to be service upon the minor.

Method of giving public notice

304. Subject to the provisions of this Act or any rule, regulation or bye-law, in every case where public notice is to be given by a [Municipality][2], such notice shall be deemed to have been given if it is published in some local English or vernacular paper (if any) and posted upon the notice board to be exhibited for public information at the building in which the meetings of the [Municipality][2]

are ordinarily held.

Defective form 305. No notice or bill shall be invalid for defect of form.

Disobedience to public notice of provision of Act applicable to the public 306. Where, by this Act or a notice issued there under, the public is required to do or to refrain from doing anything, a person who fails to comply with such requisition shall if such failure is not an offence punishable under any other section, be liable on conviction by a Magistrate to a fine not exceeding [one thousand][1] rupees for every such failure and in the case of continuing breach, to a further fine which may extend to [twenty-five][1] rupees for every day after the date of the first conviction during which the offender is proved to have persisted in the breach.

Disobedience to notice issued to individual 307. If a notice has been given under the provisions of this Act or under a rule or bye-law to a person requiring him to execute a work in respect of any property, movable or immovable public or private, or to provide or do, or refrain from doing anything within a time specified in the notice, and if such person fails to comply with such a notice, then-

(a) the [Municipality][2] may cause such work to be executed or such thing to be provided or done, and may recover all expenses incurred by it on such account from the said person in the manner provided by Chapter VI; and further;

(b) the said person shall be liable on conviction before a Magistrate, to a fine which may extend to [one thousand][1] rupees, and in case of continuing breach, to a further fine which may extend to [twenty-five rupees][1] for every day after the date of the first conviction during which the offender is proved to have persisted in the offence.

1- Subs. by U.P. Act No. 27 of 1964.
2- Subs. by section 72 of chapter III of U.P. Act No. 12 of 1994.
3- Subs. by section 32 of chapter III of U.P. Act No. 26 of 1995.

Liability of occupier to pay in default of owner. 308. (1) If the person to whom the notice mentioned in Section 307 has given, is the owner of the property in respect of which it is given, the [Municipality][1] may (whether any action or other proceeding has been brought or taken against such owner or not) require the person, if any who occupies such property or a part thereof under such owner to pay to the [Municipality][1] instead of to the owner, the rent payable by him in respect of such property, as it fails due, up to the amount recoverable from the owner under Section 307 and any such payment made by the occupier to the [Municipality][1] shall, in the absence of any contract between the owner and the occupier to the contrary, be deemed to have been made to the owner of the property.

(2) For the purpose of deciding whether action should be taken under sub-section (1), the [Municipality][1] may require an occupier of property to furnish information as to the sum payable by him as rent on account of such property and as to the name and address of the person to whom it is payable and if the

occupier refuses to furnish such information he shall be liable for the whole of the expenses as if he were the owner.

(3) All money recoverable by the [Municipality][1] under this section shall be recoverable in the manner provided by Chapter VI.

Right of occupier to execute works in default of owner

309. Whenever default is made by the owner of a building or land in the execution of a work required by or under this Act to be executed by him, the occupier of such building or land may, with the approval of the [Municipality][1], cause such work to be executed, and the expenses thereof shall, in the absence of any contract to the contrary, be the contrary, be paid to him by the owner, or the amount may be deducted out of the rent, from time to time, becoming due from him to such owner

Procedure upon opposition to execution by occupier

310. (1) If, after receiving information of the intention of the owner of any building or land to take any action in respect thereof in compliance with a notice issued under this Act, the occupier refuses to allow such owner to take such action the owner may apply to a Magistrate.

(2) The Magistrate upon proof of such refusal may make an order in writing requiring the occupier to allow the owner to execute all such works with respect to such building or land, as may be necessary for compliance with the notice, and may also, if he thinks fit, order the occupier to pay to the owner the costs relating to such application or order.

(3) If, after the expiration of eight days from the date of the Magistrate's order the occupier continues to refuse to allow the owner to execute such work, the occupier shall be liable, upon conviction to a fine which may extend to twenty- five rupees for every day during which he has so continued to refuse.

(4) Every owner, during the continuance of such refusal, shall be discharged from any penalties to which he might otherwise have become liable by reason of his default in executing such works.

1- Subs. by section 72 of chapter III of U.P. Act No. 12 of 1994.
2- Subs. by section 32 of chapter III of U.P. Act No. 26 of 1995.

Recovery of cost of work by the occupier

311. When the occupier of a building or land has, in compliance with a notice issued under the provisions of this Act, executed a work for which the owner of such building or land is responsible, either in pursuance of the contract of tenancy or by law shall in the absence of any contract to the contrary, be entitled to recover from the owner by deduction from the rent payable by him or otherwise the reasonable cost of such work.

Recovery of expenses of removal by [Municipality][1] under Section 211, 263, 264, 265, and 278.

312. (1) The expenses incurred by the [Municipality][1] in effecting any removal under Section 263 or 265 or in the event of a written notice under section 211, 263,264, or 278, not being complied with under Section 307, shall be recoverable by sale of the materials removed, and if the proceeds of such sale do not suffice, the balance shall be recoverable from the owner of the said materials in the manner provided by Chapter VI.

(2) If the expenses of removal are in any case paid before the materials are

sold, the [Municipality][1] shall restore the materials to the owner thereof, on his claiming the same at any time before they are sold or otherwise disposed of and on his paying all other expenses, if any incurred by the [Municipality][1] in respect thereof, or in respect of the intended sale or disposal thereof.

(3) If the materials are not claimed by the owner thereof, they shall be sold by auction or otherwise disposed of as the [Municipality][1] thinks fit, as soon as conveniently may be after one month from the date of their removal whether the expenses of the removal have in the meantime been paid or not and the proceeds, if any, of the sale or other disposal shall after defraying there from the costs of the sale or their disposal, and if necessary of the removal be paid to the credit of the municipal fund, and shall be the property of the [Municipality][1].

Relief to agents and trustees.

313. (1) When a person, by reason of his receiving, or being entitled to receive, the rent of immovable property as trustee or agent of a person or society would, under this Act, be round to discharge an obligation imposed by this Act on the owner of the property and for the discharge of which money is required, he shall not be bound to discharge the obligation unless he has, or but for his own improper act or default might have had, in his hands funds belonging to the owner sufficient for the purpose.

(2) When an agent or trustee has claimed and established his right to relief under this section, the [Municipality][1] may give him notice to apply to the discharge of such obligation as aforesaid the first moneys which come to his hands on behalf, or for the use of the owner and should he fail to comply such notice, he shall be deemed to be personally liable to discharge such obligation.

Prosecutions

Authority for prosecution.

314. Unless otherwise expressly provided, no Court shall take cognizance of any of the offences punishable under this Act (whereof a list is given in Schedule VIII for the purpose merely of easier reference) or under any rule or bye-law, except on the complaint of, or upon information received from, the [Municipality][1] or some person authorized by the [Municipality][1] by general or special order in this behalf.

1- Subs. by section 72 of chapter III of U.P. Act No. 12 of 1994.
2- Subs. by section 32 of chapter III of U.P. Act No. 26 of 1995.

Power to compound offences.

315. (1) The Executive Officer or Medical Officer of Health of a [Municipality][1] or in municipalities in which there is no Executive Officer or Medical Officer of Health, the president of a [Municipality][1] may either before or after the institution of proceedings, compound an offence against this Act or a rule or bye-law, except an offence described in Section 237 (4), 242, 246, 247, 281, 285 (5) or 295 :

Provided that no offence shall be compoundable which is constituted by failure to comply with a written notice issued by or on behalf of the [Municipality][1], unless the notice has been complied with, in so far as compliance is possible.

(2) When an offence has been compounded, the offender, if in custody, shall be discharged and no further proceedings shall be taken against him in respect of the offence so compounded.

(3) Sums paid by way of composition under this section shall be credited to the municipal fund.

Compensation for damage to municipal property.

316. If through an act, neglect or default on account whereof a person shall have incurred a penalty imposed by or under this Act any damage to the property of the [Municipality][1] shall have been caused, the person incurring such penalty shall be liable to make good such damage as well as to pay such penalty and the amount of damage shall, in case of dispute, be determined by the Magistrate by whom the person incurring such penalty is convicted, and on non –payment of such amount on demand the same shall be levied by distress, and such Magistrate shall issue his warrant accordingly.

Powers and duties of police in respect of offences and assistance to municipal authorities

317. Every police officer shall give immediate information to the [Municipality][1] of an offence coming to his knowledge which has been committed against this Act or against an Act referred to in clause (b) of sub-section (1) of Section 114, or against any rule made under any of the said Acts and shall be bound to assist all members officers and servants of the [Municipality][1] in the exercise of their lawful authority.

Appeals from orders of [Municipality][1] and suits against the [Municipality][1]

Appeals from order of [Municipality][1]

318. (1) Any person aggrieved by any order or direction made by [Municipality][1] under the powers conferred upon it by section 180 (1), 186, 204, 205 ,208, 211, 212, 222 (6), 241 (2), 245, 278 and 285 or under a bye-law made under Heading 'G' of Section 298, may within thirty days from the date of such direction or order, exclusive of the time requisite for obtaining a copy thereof, appeal to such officer as the [State Government] may appoint for the purpose of hearing such appeals or any of them or failing such appointment, to the District Magistrate.

[***][2]

1- Subs. by section 72 of chapter III of U.P. Act No. 12 of 1994.
2- Omitted by section 156 ibid.
3- Subs. by section 32 of chapter III of U.P. Act No. 26 of 1995.

(2) The Appellate authority may, if it thinks fit, extend the period allowed by sub-section (1) for appeal.

(3) No appeal shall be dismissed or allowed in part or whole unless reasonable opportunity of showing cause or being heard has been given to the parties.

Reference to High court.

319. (1) If on the hearing of an appeal under Section 318 any question as to the legality of the prohibition direction, notice, or order arises on which the officer hearing the appeal entertains reasonable doubt, he may, either of his own motion or on the application of any person interested draw up a statement of facts or the case and the point on which doubt, is entertained, and refer the statement with his own opinion on the point for the decision of the High Court.

(2) On a reference being made under sub-section (1) the subsequent

proceedings in this case shall be as nearly in this case shall be as nearly as may be in conformity with the rule relating to references to the High Court contained in Order XLVI of the first Schedule of the code of Civil procedure, 1908, (Act V of 1908) or such other rules as are made by the high Court under Section 122 of that Code.

Costs.

320. (1)The Court deciding the appeal shall have power to award costs at its discretion.

(2) Costs awarded under this section to the [Municipality][1] shall be recoverable by the [Municipality][1] as if they were arrears of a tax due from the appellant.

(3) If the (Municipality][1] fails to pay any costs awarded to an appellant under this section within ten days after the date of the communication of the order for payment thereof, the Court awarding the costs may order the person having the custody of the balance of the municipal fund to pay the amount.

Finality of order of Appellate Authority.

321. (1) No order or direction referred to in Section 318 shall be questioned in any other manner or by any other authority than is provided therein.

(2) The order of the Appellate Authority confirming, setting aside or modifying any such order or direction shall be final:

Provided that it shall be lawful for the Appellate Authority upon application and after giving notice to the other party, to review any order passed by him in appeal by a further order passed within three months from the date of his original order.

Suspension of orders passed under Section 318 pending decision of appeal or civil suit regarding the subject of appeal or civil suit

322. Where an order or direction referred to in Section 318 is subject to appeal and an appeal has been instituted against it, or a civil suit has been instituted in respect thereof all proceedings to enforce such order and all prosecutions for a breach thereof, may by order of the appellate Authority or of the Civil Court as the case may be, suspended pending the decision of the appeal or the civil suit and if such order is set aside on appeal or by the decision of the Civil court disobedience thereof shall not be deemed to be an offence.

1- Subs. by section 72 of chapter III of U.P. Act No. 12 of 1994.
2- Subs. by section 32 of chapter III of U.P. Act No. 26 of 1995.

Appeals from certain orders of a Court.

323. Every order of forfeiture under Section 201 and every order under Section 302 or Section 258 shall be subject to appeal to the next superior court to that by which the order was passed, but shall not be otherwise open to appeal or revision.

Disputes as to compensation payable by [Municipality][1]

324. (1) Should a dispute arise touching the amount of compensation which the [Municipality][1] is required by this Act to pay, it shall be settled in such manner as the parties may agree, or in default of agreement, by the Collector upon application made to him by the [Municipality][1] or the person claiming compensation .

(2) Any decision of the Collector awarding compensation shall be subject to a right of the applicant for compensation to require reference to the District Judge in accordance with the procedure set forth in Section 18 of the Land

Acquisition Act, 1894, (Act I of 1894).

(3) In cases in which compensation is claimed in clamed respect of land, the Collector and the District Judge shall, as far as may be observe the procedure prescribed by the said Act for proceedings in respect of compensation for the acquisition of land acquired for public purposes.

Decision of disputes between local authorities.

325. (1) Should a dispute arise between a [Municipality][1] and other local authority on any matter in which they are jointly interested, such dispute shall be referred to the State Government, whose decision shall be final.

(2) The State Government may regulate by rule made under Section 296 the relation to be observed between [Municipality][1] and other local authorities in any matter in which they are jointly interested.

Suits against [Municipality][1] or its officers.

326. (1) No suit shall be instituted against a [Municipality][1], or against a member, officer or servant of a [Municipality], in respect of an act done or purporting to have been done in its or his official capacity until the expiration of two months next after notice in writing has been in the case of a [Municipality][1], left at its office, and in case a member, officer or servant delivered to him or left at his office or place of abode, explicitly stating the cause of action, the nature of the relief sought the amount of compensation claimed and the name and place of abode of the intending plaintiff and the plaint shall contain a statement that such notice has been so delivered or left.

(2) If the [Municipality][1], member officer or servant shall before action is commenced, have tendered sufficient amends to the plaintiff, the plaintiff shall not recover any sum in excess of the amount so tendered shall also pay all costs incurred by the defendant after such tender.

(3) No action such as is described in sub-section (1) shall unless it is an action for the recovery of immovable property or for a declaration of title thereof, be commenced otherwise than within six months next after the accrual of the cause of action.

1- Subs. by section 72 of chapter III of U.P. Act No. 12 of 1994.
2- Subs. by section 32 of chapter III of U.P. Act No. 26 of 1995.

(4) Provided that nothing in sub-section (1) shall be construed to apply to a suit wherein the only relief claimed is an injunction of which the object would be defeated by the giving of the notice or the postponement of the commencement of the suit or proceeding.

[Civil court not to grant temporary injunctions in certain cases.

326A No Civil Court shall in the course of any suit grant any temporary injunction or make any interim order,-

(a) restraining any person from exercising the powers or performing the functions or duties of a President or Vice-President of a [Municipality][2] or by Chairman of a committee or sub-committee of a [Municipality][2] or of a member, officer or servant of a [Municipality][2] or of a committee or sub-committee of [Municipality][2] on that ground that such person has not been duly elected, nominated or appointed as such

President, Vice-President, Chairman, member, officer or servant; or

(b) restraining any person or persons or any [Municipality][2] or committee or sub-committee of a [Municipality][2] from holding any election, or from holding any election in any particular manner.][1]

CHAPTER XI

SUPPLEMENTARY

Delegation of powers by the State Government

327. The State Government may notification delegate to the Prescribed Authority in respect of any specified [municipality][2] within his or its jurisdiction any one or more of the powers vested in it by this Act, with the exception of the powers detailed in schedule VII.

Facility for inspection of minute books and assessment lists.

328. The minute books and assessment lists of the [Municipality][2] shall be open to inspection free of charge by any tax-payer or elector under conditions to be prescribed by bye-law in this behalf.

Provision for publicity of rules, regulations and bye-laws.

329. Books containing every rule, regulation and bye-law shall be kept in the municipal office and shall be open during the ordinary hours of business to inspection free of charge by any person and shall be for sale to the public at such office at reasonable price to be specified by bye-law in this behalf.

Mode of proof of municipal records.

330. A copy of any receipt, application , plan, notice order, entry in a register or other documents in the possession of a [Municipality][2], shall if duly certified by the legal keeper thereof or other person authorized by bye-law in this behalf be received as prima facie evidence of the existence of the entry or documents and shall be admitted as evidence of the matters and transaction therein recorded in every case where, and to the same extent as, the original entry or document would if produced have been admissible to prove such matters.

1- Subs. by U.P. Act No. 27 of 1964.
2- Subs. by section 72 of chapter III of U.P. Act No. 12 of 1994.
3- Subs. by section 32 of chapter III of U.P. Act No. 26 of 1995.

Restriction on the summoning of municipal servants to produce documents.

331. No municipal officer or servant shall in any legal proceeding to which a [Municipality][1] is not a party be required to produce any register or document the contents of which can be proved under the preceding section by a certified copy, or to appear as a witness to prove the matters and transactions recorded therein unless by order of the Court made for special cause.

Inspection of municipal works and registers by members.

332. With the previous sanction of the President any member of a [Municipality][1] may inspect any work of institution constructed or maintained in whole or part, at the expense of the [Municipality], and any register book, accounts or other document belonging to or in the possession of, the [Municipality][1].

Exercise by District

333. When a new municipality is created under this Act, the District Magistrate or other officer or committee, or authority appointed by him in this behalf may

Magistrate of [Municipality's][1] power pending establishment of [Municipality][1]

until a [Municipality][1] is established exercise the powers and perform the duties and functions of the [Municipality][1] and he or it shall for the purposes, aforesaid be deemed to be the [Municipality][1]:

Provided always that the District Magistrate or such other officer or committee, or authority shall as early as possible make preliminary arrangements for the holding of first elections and generally of expediting the assumption by the [Municipality][1] of its duties when constituted.

[***][2]

[Consequences of declaration of a smaller urban area in place of a transitional area

333.A Where a smaller urban area is declared in place of a transitional area, the following consequences shall follow as from the date of the declaration of the smaller urban area,-

(i) all taxes, fees, licences, fines or penalty imposed, prescribed or levied on the date immediately preceding the said date by the Nagar panchayat be deemed to have been imposed prescribed or levied by the Municipal Council under or in accordance with the provisions of this Act and shall until modified or changed continue to be so realizable;

(ii) any expenditure incurred by the Nagar Panchayat, on or before the date immediately preceding the said date, from its fund, shall continue to be so incurred by the Municipal Council as if it was an expenditure authorized by or under this Act;

(iii) all properties, including rights or benefits subsisting under any deed, contract, bond security or choses-inaction, vested in the Nagar Panchayat, on the date immediately preceding the said date, shall be transferred to and vested in and enure for the benefit of the Municipal Council;

(iv) all liabilities whether arising out of contract or otherwise which have accrued against the Nagar Panchayat and are outstanding on the date immediately preceding the said date shall thereafter be the liabilities of the Municipal Council;

1- Subs. by section 72 of chapter III of U.P. Act No. 12 of 1994.
2- Omitted by section 157 ibid.
3- Subs. by section 32 of chapter III of U.P. Act No. 26 of 1995.

(v) the Municipal fund of the Nagar Panchayat and all the proceeds of the unexpanded taxes, tolls, fees or fines levied or realized by it, shall be transferred to and from part of the municipal fund of the Municipal Council

(vi) all legal proceedings commenced by or against the Nagar Panchayat and pending on the date immediately preceding the said date, shall be continued by or against the Municipal Council;

(vii) any officer or servant who, on the date immediately preceding the said date, was employed by the Nagar Panchayat, in full time employment shall be transferred to and become an officer or servant of the Municipal Council as if he has been appointed by it under the provisions of this Act; and

(viii) anything done or any action taken, including any appointment or delegation made, notification, order or direction issued, rule, regulation,

form, bye-law or scheme framed, permit or licences granted or registration effected by the Nagar Panchayat, shall be deemed to have been done or taken by the Municipal Council and shall continue in force accordingly until superseded by anything done or any action taken by it.]

[Consequences of constitution of a municipality by excluding an area from existing municipal area.

333.B Where a municipality is constituted for a municipal area which has been excluded from an existing municipal area (hereinafter in this section referred to as undivided municipal area) the following consequences shall follow as from the date of constitution (hereinafter in this section referred to as the said date) of the municipality,-

(a) all taxes, fees, licences, fines or penalties imposed, prescribed or levied, on the date immediately preceding the said date, by the municipality of the undivided municipal area be deemed to have been imposed, prescribed or levied by the newly constituted municipality under the provisions of this Act;

(b) any expenditure in respect of the area included in the municipal area of the newly constituted municipality incurred by the municipality of the undivided municipal area on or before this date immediately preceding this said date from its funds, shall continue to be so incurred by the newly constituted municipality as if it was expenditure authorized by or under this Act;

(c) all property within the municipal area of the newly constituted municipality, including the rights or benefits subsisting under any deed, contract, bond, security or chooses-in action vested in the municipality of the undivided municipal area on the date immediately preceding the said date, shall be transferred to and vested in and enure for the benefit of the newly constituted municipality;

(d) all liabilities in respect of the municipal area of the newly constituted municipality, whether arising out of contract or otherwise which have accrued against the municipality of the undivided municipal area and are outstanding on the date immediately preceding the said date shall thereafter be the liabilities of the newly constituted municipality;

1- Subs. by section 158 of chapter III of U.P. Act No. 12 of 1994.

2- Subs. by section 32 of chapter III of U.P. Act No. 26 of 1995.

(e) such part of the fund of the municipality of undivided municipal area and the proceeds of any unexpended taxes, tolls, fees or fines levied or realized by the said municipality, as may be decided by the State Government, shall be transferred to and from part of the municipal fund of the newly constituted municipality ;

(f) such of the servants of the municipality of the undivided municipal area as are transferred to the newly constituted municipality shall become servants of the newly constituted municipality shall become servants of the newly constituted municipality as if they had been appointed by the newly constituted municipality under and subject to the provisions of this Act.

(g) anything done or any action taken including any appointment or delegation made notification order or direction issued, rule, regulation form, bye-law or scheme framed, permit or licence granted or registration affected

under the provisions of the Act in relation to or in respect of the municipal area of the newly constituted municipality shall be deemed to have been done or taken by the newly constituted municipality.][2]

Repeals and Savings

334. (1) The enactments specified in Schedule IX are repealed.

(2) Provided that this repeal shall not affect-

(a) the validity of any appointment or any grant or appropriation of money or property or any tax or impost, made or imposed under any enactment hereby repealed, or

(b) the terms of remuneration or right to pension of any officer appointed before the commencement of this Act.

Saving as to Indian Railways Act, 1890.

335. Nothing in this Act shall affect any provisions of the Indian Railways Act, 1890 (Act no IX of 1890), or any rule made under this Act.

Validation of acts done before commencement of this Act

336. All acts done before the commencement of this Act which could have been lawfully done if this Act had been in force shall be deemed to have been lawfully done.

336-A [***][1]

CHAPTER XII

Notified Area

337. [***][3]

338. [***][3]

339. [***][3]

1- Omitted by U.P. Act No. 27 of 1964.
2- Subs. by section 159 of chapter III of U.P. Act No. 12 of 1994.
3- Omitted by section 160 ibid.
4- Subs. by section 32 of chapter III of U.P. Act No. 26 of 1995.

[Power to remove difficulties

340. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act or, by reasons of anything contained in this Act, to any other enactment for the time being in force the State Government may as occasion requires by a notified order make such provision not inconsistent with the provisions of this Act as appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

(2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiration of the period of two years from commencement of the Uttar Pradesh Urban Local self Government Laws (Amendment) Act.1994.

(3) The provisions made by any order under sub-section (1) shall have effect as if enacted in this Act and any such order may be made so as to be retrospective to any date not earlier than the date of the commencement of the

(4) Every order made under sub-section (1) shall be laid as soon as may be before both the Houses of the State Legislature and the provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act.

Construction of references

341. On and from the date of commencement of the Uttar Pradesh Urban Local self Government Laws (Amendment) Act, 1994, any reference to the Municipal Board or the Town Area Committee constituted under the United Provinces Town Areas Act, 1914 [or the Notified area Committee constituted under section 338][3] in any rules, regulations bye-laws statutory instruments or in any other law for time being in force or in any document or proceedings shall be construed as reference [to the municipal Council for the municipal Board or to the Nagar Panchayat for the Town Area Committee or the Notified Area Committee.][4]

Provision until the constitution of municipalities

342. [(1) Notwithstanding anything in this Act, all the powers, functions and duties of every Municipal Board its president and Committees, Notified Area Committee and its Chairman, or Town Area Committee and its Chairman, as they stood immediately before the commencement of the Uttar Pradesh Local Self Government Laws (Amendment) Act, 1994 shall on such commencement vest in and be exercised, performed and discharged by the District Magistrate who shall in respect of Municipal Board, its President and Committees, be deemed to be Municipal Council, its President and Committees and in respect of Notified Area Committee and its Chairman or Town Area Committee and its Chairman be deemed to be Nagar Panchayat and its Chairman.][5]

(2) The District Magistrate May delegate all or any of the powers functions and duties to any other person or authority.

1- Subs. by section 72 of chapter III of U.P. Act No. 12 of 1994.
2- Subs. by section 32 of chapter III of U.P. Act No. 26 of 1995.
3- Ins. by section 51 (a) ibid.
4- Ins. by section 51 (b) ibid.
5- Subs. by section 52 (a) ibid.

(3) The District Magistrate in whom the powers, functions and duties of a Municipal Board and its President, or a Notified Area committee and its Chairman or a Town Area Committee and its Chairman are vested under the Uttar Pradesh Municipalities Notified Areas and Town Areas (Alpakalik vyavastha) Adhiniyam 1994 including the person or authority to whom the District Magistrate has delegated his powers, shall be deemed to be vested with such powers, functions and duties under the provisions of this section.

[(4) Notwithstanding anything in this section, the election to constitute the Municipal Councils and the Nagar Panchayats shall be held within a period of one and a half years from the date of commencement of the Uttar Pradesh Urban Local Self Government Laws (Amendment) Act, 1994 in accordance with the provisions of this Act as amended by the said Act and on the constitution of the

Municipal Council or the Nagar Panchayat, as the case may be, the provisions of sub-section (1), (2) and (3) shall cease to have effect.][5]][3]

SCHEDULE I

THE POWERS AND FUNCTIONS OF A [MUNICIPALITY][2]

[Section 50 (e) (ii), 111(1) and 112 (1) (a)]

Section	Power or duty	Remarks
1	**2**	**3**
2	[***][1]	
3	[***][1]	
*	[***][1]	
*	[***][1]	
44A	To elect a president in a casual vacancy.	
47A	To pass a vote of non-confidence in the President	
52	To require the President to furnish reports etc.	
54	To elect, or accept the resignation of a Vice- President	
57	[To appoint and employ and executive officer and a medical officer of health.	
58	[[To dismiss, remove or otherwise punish, an executive officer of health]	
59	To appoint a person to officiate as executive officer in cases where the vacancy exceeds two months	
61	To entertain appeals from orders of the executive officer or the medical officer of health	May be delegated
63	To require the executive officer or the medical officer of health in furnish returns, etc	
66	To appoint a secretary, to dismiss, remove or otherwise punish the secretary.	

1- Subs. by U.P. Act No. 7 of 1953.
2- Subs. by section 72 of chapter III of U.P. Act No. 12 of 1994.
3- Subs. by section 161 ibid.
4- Subs. by section 32 of chapter III of U.P. Act No. 26 of 1995.
5- Subs. by section 52 (b) ibid.

(1)	(2)	(3)
67	[To dismiss, remove or otherwise punish] a secretary.	
68	To appoint Civil Engineer, Assistant Civil Engineer, Electrical engineer Assistant Electrical Engineer, Water-Works Engineer Assistant Water works Engineer, Electrical and Water Works Engineer, Assistant Electrical & Water Works Engineer, qualified Overseer or sub Overseer, Secretary, Superintendent or Lady Superintendent of Education.	
69	To dismiss remove or otherwise punish any officer appointed under section 68.	
70(a)	To prohibit the employment of temporary servants for	

	any particular work.
71	To determine the number and salaries of the Board's permanent staff.
72	To appoint one person to discharge the duties of two or more officers.
74 and 76(2)	[***]
79(2)	To establish a provident fund.
79(3) (4) and (5)	To grant a gratuity, or compassionate allowance or to grant or purchase an annuity.
81	To institute a suit against a member.
82(2)(f)	To fix the amount up to which a member may be interested in occasional sales to the [Municipality].
94(6)	To modify or cancel a resolution
96(1)	[To sanction contracts for which budget provision does not exist or involving a value or amount exceeding ten thousand rupees in the case of a contract by a Municipal Council and three thousand rupees in the case of a contract by a Nagar Panchayat.][2]
96 (2)	To empower a committee or officer or servant of the [Municipality][1] to sanction other contracts.
96(3)	To empower engineer to sanction contracts.
97(2)(b)	[***][3]
99	To sanction a budget and to vary or alter a budget.
104(1)	To appoint and remove members of committees.
104(2)	To establish and appoint the members of advisory committees.
105	To appoint persons other than members of the [Municipality][1] to committees.
106	To fill up vacancies in committees.
107(1)	To appoint the [President] of any committee.
109	To call for returns etc. from a committee.
110	To appoint joint committees and to vary or rescinded any written instrument by virtue of which any joint committee has been appointed.

1- Subs. by section 72 of chapter III of U.P. Act No. 12 of 1994.
2- Subs. by section 162 (a) (i) ibid.
3- Omitted by section 162 (a) (ii) ibid.
4- Subs. by section 32 of chapter III of U.P. Act No. 26 of 1995.

(1)	(2)	(3)
112	To delegate powers or duties conferred or imposed on a [Municipality][2].	
115	To invest or place any portion of the municipal fund in deposit.	
117	To undertake State Government to acquire land.	
118	To undertake the management or control of property entrusted to it	
119	To manage,control and administer, and hold in trust the funds of public institutions.	

124	To transfer any property vested in the [Municipality][2]	May be delegated if the transfer relates to movable property.
125	To make compensation out of the municipal fund.	
128to 137	To take any action relating to a tax.	
141	To cause an assessment list to be prepared and to appoint a person to make the assessment list.	May be delegated
143(3)	To hear and decide objections, or to delegate the power to hear and hear and decide objections.	May be delegated
147(1)	To amend an assessment list.	May be delegated
156	To permit compounding for taxes.	
157(1)and (2)	To exempt from taxation.	
186	[***][1]	
187	To establish and maintain a fire brigade.	
189	[***][1]	
190	[***][1]	
196(a) and (b)	By public notice to undertake the house scavenging or cleansing of latrines or privies, and to relinquish undertaking	
197(2)	To pass orders on an application for the exclusion of a house from a notice under section 196(a).	May be delegated
211	[***][1]	
212 -A	To control and regulate the construction of any building or street and drains beyond [municipal area][4] up to a distance of two miles.	
217(1) (a)	To give a name to a street.	

1- Omitted by U.P. Act No. 27 of 1964.
2- Subs. by section 72 of chapter III of U.P. Act No. 12 of 1994.
3- Subs. by section 32 of chapter III of U.P. Act No. 26 of 1995.
4- Subs. by section 53 (a) (ii) ibid.

(1)	(2)	(3)
219	To make, alter, divert or close a public street, to provide building sites thereon, to take steps to acquire land for such purposes and to sell or dispose or land so acquired.	
221	To declare a street as public street.	
222(1) and (3)	To define “the regular line of the street”.	
224	To construct and alter water-works.	
237(1)	To fix premises for the slaughter of animals for sale.	

238	To fix premises for the slaughter or animals not intended for sale or slaughterd for religious purpose, and to prohibit such slaughter elsewhere.
245(1)	[***][1]
250(1)	To require the muzzling of dogs.
253(proviso)	To direct that the section shall not apply to vehicles proceeding at not more than a walking pace.
257 (1)	To direct that roofs and external walls shall not be made of inflammable materials without the [Municipality's][2] consent.
259	To prohibit the stacking or collecting of inflammable materials, etc.
269	To require the removal of a nuisance from tanks and the like, when such removal involves the [Municipality][2] acquiring or providing land.
237(1) (b) and (c)	To appoint places for disposal of offensive matter and rubbish and to issue directions as to the time manner and conditions of removal thereof.
257(3)	To prescribe fees for the disposal of dead bodies of animals.
278	[***][1]
282	To prohibit any cultivation use of manure or irrigation injurious to health.
285	To provide or close, or give permission for the making of, burning and burial grounds, to except private burial places from a public notice and to give permission to use an unrecognized burial or burning ground.
286	To set apart bathing and washing places to prescribe conditions for the use of such places and to prohibit bathing and washing at other places.

1- Omitted U.P. Act No. 27 of 1964.
2- Subs. by section 72 of chapter III of U.P. Act No. 12 of 1994.
3- Subs. by section 32 of chapter III of U.P. Act No. 26 of 1995.

(1)	**(2)**	**(3)**
290(2)	To sanction execution of water-works or a work under section 192, 267 and 168 at the charge of the municipal fund.	
290(3)	To transfer the [Municipality's][1] interest in appliances appertaining to a water or drainage work to the owner of a building or land .	
297	To make regulations.	
298	To make bye-laws.	
299	To direct that the breach of bye-laws shall be	

	punishable with fine.
General	Any power, duty or function which any rule requires to be exercised, performed or discharged by the [Municipality][1] itself by means of a resolution.

SCHEDULE II

SCHEDULED POWERS OF EXECUTIVE OFFECERS

[Section 60 (a)(d) and 61 (1)(a)]

Section	Nature of powers or duties	Remarks
(1)	**(2)**	**(3)**
75	To appoint permanent [***] inferior staff.	
76	[To dismiss remove or otherwise punish permanent inferior staff.]	
79 (1)	To pay leave allowances to officer or servant.	
142	To give public notice of the place where an assessment list may be inspected.	
143(1)	To give public notice of the time fixed for considering valuation and assessments and to give notice to owners or occupiers of property.	
143(2)	To receive objection to valuations and assessments	
147(2)	To give notice to persons interested in an alteration proposed in an assessment list of the date on which the alteration will be made.	
148(1)	To receive notice of building newly built, rebuilt or enlarged.	
150 (2)	To exercise the option of levying the tax from the lessor .	
151(1) and(2)	To remit or refund a tax in case of a building, tenement or land remaining vacant and unproductive of rent	

1- Subs. by section 72 of chapter III of U.P. Act No. 12 of 1994.
2- Subs. by section 32 of chapter III of U.P. Act No. 26 of 1995.

(1)	**(2)**	**(3)**
152(1)	To receive notice of the re-occupation of a building or land.	
158	To call for information effecting liability to taxation	
166	To present bills for taxes and other dues.	
168	To cause a notice of a demand to be served.	
169	To issue a distress warrant.	
172(1) and (2)	To sell goods distained.	

172(3)	To receive applications for a refund and to make a refund .	
173	To apply to a Magistrate for the issue of a warrant	
176	To sue for a demand .	
178(1)	To receive a notice of the intention to erect, re-erect or make a material alteration in a building etc.	
179(1)	To determine when information regarding such notice is satisfactory.	
179(2)	To require plans, specification and further information	
[186	To direct by notice that the erection, re-erection or alteration of a building etc., shall be stopped or that a building etc. be altered or demolished.][1]	Appealable
[189	To construct drains.][1]	
[190	To alter and discontinue municipal drains.][1]	
191(1)	To give permission and to prescribe conditions for the connection of private drains with municipal drains.	
191(2)	To require that a drain made in contravention of bye-law or of the terms of permission or without permission shall be closed etc.	Appealable
192(1)	To enforce a drainage connection with a public drain.	
193	To receive applications to call for objections to issue orders thereon, to construct drains and recover cost of construction and compensation.	Appeal lies against an order recorded under sub-section (3)
194	To give permission for diversion of drain and to prescribe conditions for such diversion .	Appealable
196(c) and (d)	With the consent of an occupier, undertake house scavenging or the removal of night soil or other offensive matter or rubbish and relinquish such undertaking.	
201(1)	To complain to a Magistrate of the negligence of a customary sweeper.	

1- Subs. by U.P. Act No. 27 of 1964.
2- Subs. by section 32 of chapter III of U.P. Act No. 26 of 1995.

(1)	(2)	(3)
202(1)	To complain to a Magistrate of the failure of an agriculturist to provide for proper house scavenging.	
204	[To receive application for permission to lay out and make a street].	
209	To give permission for projections.	Appeal lies from orders recorded

		refusing permission
211	To issue a notice for the removal or alteration of a projection	Appealable
213	To give permission for erection and repair of building etc. and to issue orders regarding hoarding etc.	
214	To require hedges and trees to trimmed.	
215	To remove and recover the expense of removal of or to issue a notice requiring the removal of an obstruction caused by fallen house, etc.	
216	To require the provision to trough and pipes for rain water.	
217(1) (b) and (c)	To affix the name of street or a house number to a building or to require the owner or occupier to affix a number plate and to cause or require such names and number to be altered.	
218	To attach posts and brackets to buildings for lamps telegraph and telephone wires etc.	
220	To give permission for the use or occupation of a public street or place.	
224	To provide fencing and lighting during repairs of public street, etc.	
225(1)	To require private wells etc., to be cleansed,	
225(2)	To require a person to desist from using a private well, etc. or to close or fence the same.	Appealable
227	To require the removal or closing of drains, latrines. etc. near a source of water- supply.	Appealable
229	To supply water by agreement.	
230	To charge for the supply of water.	
236	To remove or otherwise deal with unauthorized building over drains, etc. or to issue notice for the removal of such buildings, etc.	Appealable
240	To authorize an officer to seize flesh brought within the municipal limits in contravention of a bye-law and to issue orders as to the disposal of such flesh.	

1- Subs. by section 32 of chapter III of U.P. Act No. 26 of 1995.

(1)	(2)	(3)
244(1) and (2)	To seize articles exposed for sale which appear to be unfit for the consumption of man and drugs suspected to being adulterated or spent: and to produce such drugs before a Magistrate.	
245(1)	To issue a notice relating offensive trades.	Appealable
249	To authorize a person to destroy or confine dogs	

	suspected to be suffering from rabies, etc.	
250(2)	To authorize persons to destroy or confine unmuzzled dogs.	
256	To give permission for the use of public land for halting animals or vehicles.	
257(2)	To require the removal of a roof and wall, if inflammable	Appealable
258	To search for inflammable material and to seize any quantity in excess of the quantity permitted	
260	To issue notices regarding dangerous quarrying and to put up hoarding and fences to prevent imminent danger.	
261	To give permission for the displacing of pavements etc. and to recover expenses incurred by the [Municipality] by reason of such displacement etc,	
263	To require by notice buildings, etc. in a dangerous or ruinous state to be demolished or repaired or wells, tanks, etc. to be repaired and enclosed and to take immediate action where the danger is imminent.	Appeal lies against an order to repair or enclose a tank
264	To require unoccupied building or land which occasions a public nuisance to be secured or enclosed.	Appealable
265	To give written permission for the temporary obstruction of a street and to remove any obstruction from a street and to recover the cost of removal.	
266	To give permission for the removal of earth ,etc. from open spaces.	
267	To require provision alteration, removal, closing, cleansing and screening of private drains, cesspools, dustbins, latrines etc.	Appeal lies against an order under clause (a) of sub-section (1) requiring an owner or occupier to close or remove or under clause (b) of sub-section (1) to

1- Chapter-III subs. by section 32 of U.P. Act No. 26 of 1995.

(1)	(2)	(3)
		provide a latrine, urinal water-closet, drains, cess-pool, dust-bin or other receptacle

		for filth sullagewater rubbish or refuse.
268	To require the provision and cleansing of latrines and urinals for factories etc.	
269 (in part)	To require the cleansing, repairing, covering filling up or draining off of wells, tanks, etc.	
270	To inspect drains etc. and to cause the ground to be opened.	
271	To require the cleansing of filthy building or lands.	
273(1) (a)	To provide receptacles and places for the temporary deposit of offensive matters,	
275(1)	To arrange for the disposal of dead bodies of animals.	
275(3) (in part)	To charge and recover fees for such disposal.	
276	To give permission for, and to prescribe conditions regarding the discharging of sewage, etc.	
277	To enter and inspect a building and to direct that a building be disinfected, etc.	
[278	To issue orders regarding building unfit for human habitation.][1]	Appealable
280	To remove to hospital a cholera or small pox patient, etc.	
283	To require an owner or occupier to clear away noxious vegetation.	
284(1)	To require that excavation, etc. made in contravention of bye-laws or the conditions of a permission shall be filled up or shall be drained.	
291	To apply to the Collector to recover rent of land.	
293	To charge fees for the use or occupation of immovable property vested in, or entrusted to the management of the Municipality and to levy or recovers such charge.	
294	To charge fees for licences, sanction and to permission	
307	To cause a work to be executed and to recover the expenses thereof.	

1- Subs. by U.P. Act No. 27 of 1964.
2- Subs. by section 32 of chapter III of U.P. Act No. 26 of 1995.

(1)	(2)	(3)
308	To require an occupier to pay rent to a [Municipality] instead of to the defaulting owner, and to require an occupier to furnish information regarding the rent payable by him, etc.	
309	To approve the execution of a work by an occupier,	

312	To recover the cost of removal by sale of materials removed, to restore the materials to the owner under certain conditions, or to sell them when not claimed by the owner.
313(2)	To give notice to a trustee or an agent to apply moneys received on behalf of an owner to the discharge of obligations of the owner.
314	To institute prosecutions by making complaints and giving information and to authorize other persons to make such complaints and give such information.
317	To receive information from a police officer.

SCHEDULE III

NOTICE OF PROPOSAL TO IMPOSE TAX

[SUB-section (3) of Section 131]

Notice is hereby given to the inhabitants of the [Municipal area][1] of ………. that the [municipal area][1] desires to impose the tax rate [***][3] or cess (as the case may be) described in the proposals appended in** lieu of the tax known as the …………

Any inhabitant of the [municipal area][1] objecting to the proposals or rules appended hereto may within a fortnight from date of this notice send his objections in writing to the [Municipality][1].

PROPOSALS

The proposals framed by the [Municipal area][1] under sub-section (1) of section 131 are to be appended here.

RULES

The proposals framed by the Municipality under sub-section (2) of Section 131 are to be appended here.

1- Subs. by section 162(b) of chapter III of U.P. Act No. 12 of 1994.
2- Subs. by section 32 of chapter III of U.P. Act No. 26 of 1995.
3- Omitted by section 53 (b) ibid.

SCHEDULE IV

FORM NOTICE OF DEMAND

[Section 168]

To,

A,B……. residing at………..

Take notice that the municipal area of…….. demands from…………………. to sum of ……………. due from …………….on account of …………(here describe the property, occupation, circumstance or thing in respect of which the sum is leviable)…………………… leviable under ……………. for the period of …………………. commencing on the ………………..day of ……………. 20…………and ending on the……………..day of ……………..20……………….and that if, within fifteen days from the service of this notice, the said sum is not paid into the municipal office at………………..or sufficient cause for non-payment is not shown to the satisfaction of the municipal area, a warrant of distress will be issued for the recovery of the same with costs.

Dated this…………………..day of……………………….20……….. (Signed)

By order of the Municipal area of ………………………………….

SCHEDULE V
FORM OF WARRANT

[See sub-section(1) of Section 169]

(Here insert the name of the officer charged with the………………………………. execution of the warrant).

Whereas A, B,of………………..has not paid…………………and has not shown satisfactory cause for the non-payment of the sum of………………….due for the liability* …………………. mentioned in the margin for the period ……………… commencing on the …………………day of…………………. 20……………. and ending with the………………………..day of………………..20………………….and leviable under ………………..

And whereas fifteen days have elapsed since the on him of notice of demand for the same:

This is to command you to distrain subject to the provisions of Section 171 of the United provinces Municipalities Act, 1916 the goods and chattels of the said A, B, to the amount of ……………………………being the amount due from him as follows:

	Rs.	p.
on account of the liability	……………………..	…………………….
For service of notice	……………………..	………………..

and forthwith to certify to me together with this warrant all particulars of the goods seized by you there under.

Dated this……………………day of……………………….20…………………

(Signed)
Chairman or other officer

1- Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
2- Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995

[See Section 169 (2)]

Note— It shall be necessary to execute the warrant if the defaulter makes full payment to you before to you before removal of his goods.

SCHEDULE VI
FORM OF INVENTORY OF GOODS DISTRAINED AND NOTICE OF SALE

[See sub-section (4) of Section 171]

To,

A,B,………………………………residing at……………………

Take notice I have this day seized the goods and chattels specified in the inventory beneath this, for the value of……………………..due of the liability** mentioned in the margin for the period commencing with the ……………………day of…………………… 20…………………, and ending with the…………………….day of………………………… 20………….. …… ….., together with Rs…………………… due for service of notice of demand and that unless within 5 days from the date of the service of this notice you pay into the municipal office at……………………………….. the said amount together with the cost of recovery, the said goods and chattels will be sold.

Dated this ……………………………..day of……………………..20

(Signature of officer executing the warrant)
Inventory

SCHEDULE VII
POWERS OF THE [STATE GOVERNMENT] THAT MAY NOT BE DELEGATE
[See Section 327]

Section (1)	Power of duties (2)
[3(1)	To specify with limits any area to be a transitional area or a smaller urban area as the case may be.
3 (2)	To include or exclude any area in or from a transitional area or a smaller urban area as the case may be.][4]
8 (1) (n)	[To declare expenditure or anything to be an appropriate charge on the municipal fund][2]
9 (a)	To prescribe by notification the number of members of [Municipality][1] whom may be elected.
[9(b)	To nominate the members to the Nagar Panchayats or the Municipal Council as the case may be][5]
10	[***][6]

1- Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
2- Subs. by section 162 (iii) ibid.
3- Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.
4- Subs. by section 53 (c) (i) ibid.
5- Added by section 53 (c) (iii) ibid.
6- Omitted by section 53 (c) (iv) ibid.

(1)	(2)
[13-A	To appoint date or dates for general election to a Municipality.][13]
13-D	To remove a disqualification under (a) and (b) of this section.
13-I	[***][2]
30	To dissolve [***][3] a [Municipality][1] for a specified period.
31	[***][4]
34(2)	To rescind or modify an order passed under this section by the Prescribed Authority or the District Magistrate with respect to a city.
35(in part)	[***][5] To fix a period for the performance of duty and if the duty is not performed within the period so fixed, to appoint the District Magistrate to perform it and to direct that the expense of performing it shall be paid by the [Municipality]
40(1)	[To remove a member of a municipality.][6]
40(2)	[***][7]
40(3)	[To remove a member in certain circumstances.
40(5)	[***][7]
40(6)	To warn [***][8] a member as a punishment].
41(4)	To declare a member removed by the State Government to be no longer ineligible for further election or nomination
47-A	[***][9]
48	To remove [***][10] a President.
55(3)	To remove [***][11] a Vice- president
57	[To approve the appointment] of an executive Officer and a Medical Officer of Health.
57(2-A)	To nominate Account Officers and to lay down the terms and conditions of their service.
58	To entertain and pass orders on an appeal by an Executive Officer against his dismissal, removal or other punishment to transfer a Medical Officer of Health from one [Municipality][1] to another.

1- Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
2- Subs. by section 162 (c)(v) ibid.
3- Subs. by section 162 (c) (vi) ibid.
4- Added by section 162 (c) (vii) ibid.
5- Omitted by section 162 (c) (viii) ibid.
6- Subs. by section 162 (c)(ix) ibid.
7- Subs. by section 162 (c) (x) ibid.
8- Added by section 162 (c) (xi) ibid.
9- Omitted by section 162 (c) (xii) ibid.
10- Subs. by section 162 (c)(xiii) ibid.
11- Subs. by section 162 (c) (xiv) ibid.
12- Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.
13- Subs. by section 53 (c)(v) ibid.

(1)	(2)
59(3)	To approve to appointment of an officiating Executive officer if the term of appointment exceeds two months.
60-A	To direct that in any [municipality][2] the Medical Officer of Health and not the Executive officer shall exercise certain powers conferred on the executive Officer.
60-B	To direct that in any [municipality][2] the principal officer of the Electrical, Public Works and Water Works Departments and Municipal Museum shall with reference to their departments exercise the power under clause (e) of sub section (1) of section 60.
65	In default of his appointment by a [Municipality][2] to appoint a person to be an executive officer or to as Executive Officer and to fix the salary contributions to provident fund or pension and other conditions appertaining to such appointment.
73and 74	[***][1]
79(4) and(5)	To sanction grant of compassionate allowance or grant or purchase of annuity by [Municipality][2].
99(2)	To direct submission of budgets to specified officers.
102	To direct that budgets of specified [Municipality][2] shall be subject to sanction
104(1)	To require a [Municipality][2] to appoint committees.
110	To require the appointment of joint committees.
114-A	To permit a [Municipality][2] to raise loans.
115(2)	To determine the amount of security of a banker.
116	To make reservation regarding property ordinarily vesting in [Municipality][2].
117	To acquire land for a [Municipality][2] under the Land Acquisition Act.
122(1)	To declare by notification what portion of the property and liabilities of a [Municipality][2] shall be transferred to another local authority when a portion of the municipal area is placed under the control of such local authority.
122(2)	To declare what portion of the property and liabilities of a [Municipality][2] shall be transferred to the state Government when a local area if excluded from the transitional area or the smaller urban area as the case may be and is not immediately placed under the control of another local authority.
122(4)	To decide in any case falling under sub-section (1) or (2) that it is undesirable to transfer any portion of municipal funds or liabilities.

1- Omitted by U.P. Act No. 27 of 1964.
2- Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
3- Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.
4- Subs. by section 53 (c)(vi) ibid.

(1)	(2)
124(2)	To sanction the transfer to Government of any property vested in [Municipality][1]
126	To provide police protection at fairs, etc., and to determine the portion of the charges payable by a [Municipality][1].
130-A	To require a [Municipality][1] to impose a tax to vary its rates.
133(2)	To sanction, refuse to sanction or return for further consideration proposals for taxation under section 128, sub section (1) clauses (i) to (xii) submitted by a city, or proposals for taxation received from any [Municipality][1] under section 128 sub-section (1) clause(xiii).
135(2)	To notify the imposition of a tax sanctioned by the State Government.
137(1)	To require a [Municipality][1] to remove a defect in or relating to a tax.
137(2)	To suspend, abolish or reduce a tax.
157(3)	To exempt from taxation
160(1)	To empower an officer to hear appeals against taxation.
180-A	To approve construction of places of public entertainment.
279and 280	To notify infectious diseases.
296 (in part)	To make rules except rules under clauses (a), (b) and (c) of Section 153 applicable to municipalities other than cities.
318	To appoint an officer to hear appeals from certain orders of [Municipality][1].
327	To delegate powers.
336-A	To direct that during the transition period, the Act shall have effect subject to certain adaptations, alterations and modifications][1].
337	[***][2]
338(1)(e)	[***][2]
338(2)	[***][2]
339	[***][2]

1- Subs. by section 72 of Chapter-III of U.P. Act No. 12 of 1994.
2- Omitted by section 162 (c) (xv) ibid.
3- Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

CHAPTER VIII

LIST OF OFFENCES

[Section 314]

Section	Description of offences	Fine or other punishment that may be imposed
1	**2**	**3**
148(2)	Failure to report for entry in property assessment list a new or altered building.	Rupees 50 or ten times tax payable for three months.
152(2)	Failure to report reoccupation of vacant building	Rupees 50 or ten times tax due since occupation
155	[***][2]	[***][2]
185	Illegal erection or alteration of a building	Rupees 1,000 subject to a minimum of Rs. 250
191(2)	Illegal construction or alteration of a drain connection	Rupees 50
201(2)	Negligence by customary sweeper	Rupees 10
207	Illegal making of street.	Rupees 500
210	Construction of unauthorized projection over street or drain	Rupees 1,000 subject to a minimum of Rupees 250.
213(3)	Failure to obtain permission for, and to safeguard dangerous tree cutting and building operation	Rupees 500 and rupees 10 for each day that offence is repeated after conviction
217(2)	Improper interference with street names and house numbers	Rupees 250.
223(2)	Interference with arrangements made during street repair etc.	Rupees 50.
237(4)	Slaughter on unlicensed premises of animals for sale.	Rupees 20 per animal.
242	Improper feeding of animal kept for dairy purposes or used for food.	Rupees 50.
245	Failure to obey a notice prohibiting or regulating the use of premises for an offensive trade.	Rupees 200 and Rupees 40 for each day that offence is repeated after conviction
246	Loitering and soliciting for immoral purposes.	Rupees 50.
247(2)	Disobedience to Magistrate's order prohibiting use of houses as brothel	Rupees 25 per day

1- Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.
2- Omitted by section 162 (d) ibid.

(1)	(2)	(3)
248	Importunate begging	Rupees 50.
252	Neglect of the rules of the road	Rupees 10.
253	Driving vehicles without proper lights.	Rupees 20.
254	Failure to remove elephant, etc. to safe distance	Rupees 20.
255(1)	Allowing cattle to stray or be tethered.	Rupees 250.
256	Un-authorised use of municipal land as halting place.	Rupees 100 and Rs 10 for each day that offence is repeated after conviction
257(3)	Un-authorised erection or continuance of inflammable construction	Rupees 25 and Rs 10 for each day that offence is repeated after conviction
261(1)	Un-authorised interference with pavements and other municipal property	Rupees 1,000.
262	Dangerous discharge of firearms or fireworks and indulgence in dangerous games.	Rupees 20,
265	Obstruction of streets	Rupees 500 and Rs 10 for each day that offence is repeated after conviction.
266	Unauthorized digging on public land	Rs 500 and Rs 10 for each day that offence is repeated after conviction.
272	Failure of owner or occupier to remove offensive matter.	Rs 50 and Rs 5 for each day that offence is repeated after conviction.
274	Improper disposal by owner or occupier of rubbish, night soil, etc.	Rupees 250.
275(2)	Failure to dispose of dead animals	Rupees 10.
276	Improper discharge of sewage into a street or drain.	Rupees 250.
279	Failure to give information of cholera,small pox, etc.	Rupees 50.
281	Doing certain acts while suffering from infectious disorder.	Rupees 50.

1- Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.

285(5)	Burial or burning of corpses in a place not recognized as a burial or burning ground.	Rupees 500.
295	Obstruction to municipal employees.	Rupees 1,000 or imprisonment for six months or both.
299	Contravention of rules or bye-laws to the breach of which penalty is attached.	Any sum not exceeding Rupees 1,000 as prescribed and up to Rs. 25 for each day that offence is repeated after conviction.
306	Disobedience to public notice or provision of the Act applicable to the public.	Rupees 1,000 and Rs. 25 for each day that offence is repeated after conviction.
307	Disobedience to notice issued to individual	Rupees 1,00 and Rs. 25 for each day that offence is repeated after conviction .
310(3)	Refusal by occupier to allow owner to take action required by notice.	Rupees 25 for each day of refusal]

SCHEDULE IX

REPEALED ENACTMENTS

[Section 334(1)]

Section	**Description of offences**	**Fine or other punishment that may be imposed**
Year	No	Short title or subject
		Acts of the State Government
1900	I	The United Provinces Municipalities Act.
1901	V	The United Provinces Municipalities (Amendment) Act
1907	I	The United Provinces Municipalities (Amendment) Act.
1891	I	The United Provinces Water works Act.
1895	II	The United Provinces Water Works (Amendment) Act.
1901	I	The United Provinces Water Works (Amendment) Act.
1908	I	The United Provinces Water Works (Amendment) Act.
1892	I	The United Provinces Lodging House Act.
1894	III	The United Provinces Water Works (Amendment) Act.

1- Subs. by section 32 of Chapter-III of U.P. Act No. 26 of 1995.